नवम माला, खंड 9, अंक 17

सोमवार, 3 सितम्बर, 1990
12 भाद्र, 1912 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

तीसरा सत्र
(नौवीं लोक सभा)

62
10/6/91

(खंड 9 में अंक 11 से 21 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

[अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।]

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

सोमवार, 3 सितम्बर, 1990/12 भाद्र, 1912 (शक)

का

शुद्धि-पत्र

पृष्ठ	पंक्ति	शुद्धि
पृष्ठ 1	11	कोष्ठक चिह्न का लोप करिए।
पृष्ठ 1	नीचे से पंक्ति 6-7	"(क), (ख), से और (घ)" के स्थान पर "(क) से (घ)" पढ़िये।
19	13	"स्नातकोर" के स्थान पर "स्नातकोत्तर" पढ़िये।
21	नीचे से 7	"डी" के स्थान पर "जी" पढ़िये।
28	नीचे से 13	"श्री सुदाम देशमुख" के स्थान पर "श्री सुदाम दत्तात्रेय देशमुख" पढ़िये।
80	नीचे से 7	"जस्ट" के स्थान पर "जिस्ट" पढ़िये।
81	8	"स्टेडिम" के स्थान पर "स्टेडियम" पढ़िये।
288	10	"पुस्ताव" के स्थान पर "प्रस्ताव" पढ़िये।

विषय-सूची

नवम माला, खंड 9, तीसरा सत्र, 1990/1912 (शक)

अंक 17, सोमवार, 3 सितम्बर, 1990/12 भाद्र, 1912 (शक)

विषय		पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		1—19
*तारांकित प्रश्न संख्या :	346 से 349 और 351	
प्रश्नों के लिखित उत्तर		19—253
तारांकित प्रश्न संख्या :	350 और 352 से 366	19—39
अतारांकित प्रश्न संख्या :	3992 से 4067, 4069 से 4087, 4089 से 4159, 4161 से 4178 और 4180 से 4226	39—252
श्रीनगर में आतंकवादियों द्वारा भारतीय वायु सेना के एक कर्मचारी की हत्या के समाचार, जम्मू और कश्मीर में स्थिति तथा कश्मीरी विस्थापितों को राहत के बारे में		253—269
सभा पटल पर रखे गए पत्र		269—271
राज्य सभा से संदेश		271
सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति		271—272
छठा प्रतिवेदन और कार्यवाही-सारांश		

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित † चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस ही सदस्य ने पूछा था।

विषय	पृष्ठ
सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति	272
पांचवां प्रतिवेदन	
भारतीय पुनर्वास परिषद विधेयक	272
पुर:स्थापित	
नियम 377 के अधीन मामले	272—275
(एक) कर्नाटक की सिंचाई और विद्युत परियोजनाओं के वित्त-पोषण के लिए राज्य सरकार को बन्धपत्रों द्वारा धनराशि एकत्र करने की अनुमति दिए जाने की मांग	
श्री जी० एस० बासवराज	272
(दो) उड़ीसा में महेन्द्रगिरि के विकास के लिए शीघ्र वित्तीय सहायता दिए जाने की मांग	
श्री गोपी नाथ गजपति	273
(तीन) अल्मोड़ा, उत्तर प्रदेश में गोविन्द वल्लभ पंत पर्यावरण संस्थान के भवन का निर्माण आरंभ किए जाने की मांग	
श्री हरीश रावत	274
(चार) अहमदाबाद-दिल्ली मीटर गेज लाइन को बड़ी लाइन में बदलने की मांग	
श्री गुमान मल लोढा	274
(पांच) कासरगोड और कन्नौर के दूरदर्शन केन्द्रों की क्षमता बढ़ाये जाने की मांग	
श्री एस० रमन्ना राय	274
(छ:) महाराष्ट्र के मराठवाड़ा क्षेत्र में पीलिया महामारी फैलने से रोकने के लिए तुरन्त उपाय किए जाने की मांग	
श्री० वेंकटेश काबडे	275
स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण (संशोधन) अध्यादेश, 1990 के निरनुमोदन के बारे में सांविधिक संकल्प -- अस्वीकृत	275—288
स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण (संशोधन) विधेयक	
विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण (संशोधन) अध्यादेश, 1990 के निरनुमोदन के बारे में सांविधिक संकल्प -- अस्वीकृत	
और	
विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण (संशोधन) विधेयक	
विचार करने के लिए प्रस्ताव	
श्री बालगोपाल मिश्र	276

श्री महेश्वर सिंह 277

श्री जे० पी० अग्रवाल 278

श्री नन्द कुमार साय 279

श्री हेमेन्द्र सिंह बनेड़ा 280

प्रो० के० वी० थामस 281

श्री राजवीर सिंह 282

श्री गिरधारी लाल भार्गव 283

डा० तम्बि दुरै 284

श्री राम कृष्ण यादव 285

प्रो० मधु दण्डवते 286

स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण (संशोधन) विधेयक 288—291

खंडवार विचार

पारित करने के लिए प्रस्ताव

प्रो० मधु दण्डवते 290

विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण (संशोधन) विधेयक 291—292

खंडवार विचार

पारित करने के लिए प्रस्ताव

प्रो० मधु दण्डवते 292

मोटरकारों तथा मोटरयानों पर उद्ग्रहणीय मूल उत्पाद शुल्क के बारे में सांविधिक संकल्प 292—296

प्रो० मधु दण्डवते 292

श्री पी० आर० कुमारमंगलम 293

श्री रमेश बैस 295

अनुदानों की मांगें (पंजाब), 1990-91 296—344

श्रीमती सुखबन्स कौर 299

डा० एस० पी० यादव 308

श्री धर्म पाल शर्मा 310

विषय	पृष्ठ
श्री प्रहलाद सिंह पटेल	313
श्री भजन लाल	318
श्री सैफुद्दीन चौधरी	326
श्री मदन लाल खुराना	331
श्री कमल चौधरी	334
सरदार अतिन्दर पाल सिंह	336

लोक सभा

सोमवार, 3 सितम्बर, 1990/12 भाद्र, 1912 (शक)

लोक सभा 11 बजे म० पू० पर समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

[अनुवाद]

श्री ए० चार्ल्स : महोदय, आज ओणम का पर्व है। हम आपको बधाइयां देते हैं।

अध्यक्ष महोदय : आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। सभी केरल वासियों को ओणम की बधाइयां।

श्री संतोष कुमार गंगवार।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

(केन्द्रीय विद्यालय संगठन के कुछ और क्षेत्रीय कार्यालय खोलना)

[हिन्दी]

*346 श्री सन्तोष कुमार गंगवार : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का केन्द्रीय विद्यालय संगठन के कुछ और क्षेत्रीय कार्यालय खोलने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो ये कार्यालय कब तक खोले जाएंगे;

(ग) क्या एक क्षेत्रीय कार्यालय बरेली में खोलने की मांग भी की गई है; और

(घ) यदि हां, तो यह कार्यालय कब तक खोलने का विचार है ?

[अनुवाद]

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क), (ख), से और (घ) : एक संसद सदस्य ने बरेली में एक क्षेत्रीय कार्यालय खोलने का सुझाव दिया था। तथापि, केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने अभी तक कोई नया क्षेत्रीय कार्यालय खोलने का निर्णय नहीं लिया है।

[हिन्दी]

श्री सन्तोष कुमार गंगवार : मान्यवर अध्यक्ष जी, इस समय जो केन्द्रीय विद्यालय संगठन के माध्यम से विद्यालय चलाए जाते हैं, मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि वर्ष 1984 में 450

स्कूल थे और 15 क्षेत्रीय कार्यालय उसको देखते थे। उससे पहले 1980 में 318 स्कूलों को 11 क्षेत्रीय कार्यालय देखते थे। आज विद्यालयों की संख्या 744 है और इस समय केवल 15 क्षेत्रीय कार्यालय इसको देख रहे हैं। इसमें विशेष बात यह है कि अगर आप विद्यालयों के क्रम को देखें कि कौन से विद्यालय कहां जोड़े गए हैं तो उत्तर प्रदेश में लखनऊ में केन्द्रीय विद्यालय का क्षेत्रीय कार्यालय है, उत्तर प्रदेश के विद्यालयों को चार अन्य स्थानों से जोड़ा गया है। ये चार स्थान हैं चण्डीगढ़, दिल्ली, जयपुर और पटना। परन्तु यह बात मैं आपकी जानकारी में लाना चाहता हूं···

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य, आप जानकारी न दीजिए। आपके दो सवाल हैं, आप पहला सवाल पूछिए, भूमिका न बांधिए।

श्री सन्तोष कुमार गंगवार : पहले 15 विद्यालय इस समय देखने के कार्यालय हैं। तीस-पैंतीस विद्यालयों के ऊपर एक क्षेत्रीय कार्यालय की बात कही गई थी। उसके बाद पचास की बात की गई थी। इस समय जो औसत है कि साठ विद्यालयों को एक केन्द्रीय कार्यालय देख रहा है। तीन स्थलों पर तीन क्षेत्रीय कार्यालय खोलने की बात की गई थी। इस समय सात सौ केन्द्रीय विद्यालयों को चालीस के हिसाब से देख लेंगे, उसके अन्दर बरेली का नाम था। मूल उत्तर में यह कहा गया है कि एक संसद सदस्य ने बरेली में क्षेत्रीय कार्यालय खोलने का सुझाव दिया था और इस पर विचार किया जा रहा है। पहला प्रश्न यह है कि क्या तीन स्थानों पर कार्यालय खोलने की बात की गई थी। क्या यह सत्य है कि उसको खोलने के संबंध में विचार कर रहे हैं।

[अनुवाद]

श्री चिमनभाई मेहता : महोदय, माननीय सदस्य की बात सही है। एक बार मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक में एक क्षेत्रीय कार्यालय आरम्भ करने का निश्चित रूप से विचार किया गया था। परंतु तब वित्त पुनरीक्षा समिति ने नये केन्द्र स्थापित करने संबंधी प्रस्ताव रद्द कर दिया था क्योंकि उनका एक विशेष स्तर भी है। सामान्यत: एक क्षेत्रीय केन्द्र 50 स्कूलों को देखता है। यही मापदण्ड है। केवल एक ही क्षेत्रीय केन्द्र में 60 स्कूल हैं। अत: ऐसे मामलों में पुनरीक्षा हो रही है। इसमें 450 स्कूल थे। इन 15 क्षेत्रीय केन्द्रों की व्यवस्था इस प्रकार की गयी थी कि यदि बाद में और अधिक स्कूल खोले जाएं, तो वे उन्हें भी समायोजित कर लेंगे। मूल रूप से इससे कार्य-कुशलता पर प्रभाव नहीं पड़ा है। यही मुख्य बात है।

[हिन्दी]

श्री सन्तोष कुमार गंगवार : अध्यक्ष महोदय, यह बताया गया है कि केवल एक ही स्थान पर साठ हैं और फिर मेरा यह कहना है कि उत्तर प्रदेश को चार अलग-अलग स्थानों पर जोड़ा गया है। अगर यू० पी० की बात देखें तो व्यवस्था और कार्यकुशलता पर बहुत अंतर पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश में साठ विद्यालय लखनऊ के द्वारा देखे जा रहे हैं और उसकी व्यवस्था में अंतर है और परेशानी है और केंद्रीय विद्यालय संगठन के माध्यम से चलाने की बात की गई थी। पुनर्निरीक्षण समिति की बात पर मंत्री महोदय ने कहा है कि निश्चित रूप से यह सलाह दी गई कि उन्होंने मना कर दिया है। ऐसी बात नहीं है कि समिति ने यह नहीं कहा कि ना खोले जाएं और पचास के ऊपर खोले जाएं और इस

हिसाब से खोले जाएं कि ठीक से काम हो सके। मैं यह कहना चाहूंगा कि प्रधान मंत्री जी मौजूद हैं और देश का विकास शिक्षा से जुड़ा है और केन्द्रीय विद्यालय पूरे देश में एक ही अच्छे स्तर पर शिक्षा देते हैं। बरेली की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए और बरेली के अन्दर केन्द्रीय विद्यालय संगठन का क्षेत्रीय कार्यालय खोलने के बारे में पहले भी कहा जा चुका है। मैं माननीय मंत्री जी से यह आश्वासन चाहूंगा कि वहां पर कब खोलने का विचार है और कब शुरू कर रहे हैं।

श्री चिमनभाई मेहता : अध्यक्ष महोदय, इसी बात पर जवाब दिया गया है और हमने कहा है कि हमने कोई दरख्वास्त को मान्य नहीं रखा है। बाद में जब संख्या बढ़ जायेगी तो तब देखेंगे। उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा स्टेट है और चार जगहों पर बंटा है। उसकी सुविधा के लिए चण्डीगढ़ के लोग नजदीक हैं और पचास स्कूल देने चाहिए, करीब साठ हो गए हैं और इसलिए हम देखेंगे। ···(व्यवधान)

श्री राजवीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से फिर वही सवाल दोहराना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के बारे में मंत्री जी को बहुत चिन्ता है और बहुत बड़ा स्टेट है। अगर उत्तर प्रदेश में विद्यालयों की सही व्यवस्था हो सके इसलिए मंत्री जी चिंतित नहीं हैं। हमको चण्डीगढ़ से जयपुर और जयपुर से चण्डीगढ़ तक भागना पड़ेगा लेकिन उत्तर प्रदेश में बरेली से नहीं जोड़ सकते। इसका क्या मतलब निकलता है। मैं यही पूछना चाहता हूं कि बरेली में क्षेत्रीय कार्यालय खोलने की अनुमति कब तक हो जायेगी।

अध्यक्ष महोदय : आप कोई और सूचना नहीं दे रहे हैं।

श्री राजवीर सिंह : उत्तर प्रदेश में और नये स्थानों पर कार्यालय कब खोलने का क्या विचार है।

श्री चिमनभाई मेहता : कुल 15 रिजनल सेंटर आफिसेज हैं। वह पूरे हिन्दुस्तान को देखते हैं। कोई सेंटर तीन राज्यों को देखता और कहीं पर कोई सेंटर चार राज्यों को देखता है। क्योंकि हम 35 प्रतिशत से ज्यादा इस्टेब्लिशमेंट में खर्च नहीं कर सकते। कार्यकुशलता होनी चाहिए, लेकिन वह उतनी नहीं है।

[अनुवाद]

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य : क्षेत्रीय कार्यालयों की स्थापना के लिए मूल सिद्धान्त भौगोलिक स्थिति बताई गयी है जिसे कार्यकुशलता में वृद्धि होना माना गया है। यद्यपि पूर्व प्रश्न के उत्तर से पता चलता है कि इस भौगोलिक स्थिति के सिद्धांत का प्रत्येक जगह पालन नहीं हुआ है। उदाहरण के रूप में, हम देखते हैं कि जोरहाट को गुवाहाटी से जोड़ने के बजाय सिल्चर से जोड़ दिया गया है। फिर हम पाते हैं कि दो क्षेत्रीय कार्यालयों, जिन्हें पूरे उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के लिए खोला जाना था, को असम में खोल दिया है जबकि छः दूसरे राज्यों को उससे वंचित रखा गया है। अत: मैं मंत्री महोदय से जानना चाहती हूं कि क्या सरकार इस असमानता को दूर करने के लिए कोई तरीका निकालने पर विचार कर रही है।

श्री चिमनभाई मेहता : हमने प्रमुख मुद्दे की जांच की है। कार्यकुशलता के दृष्टिकोण से हम

पाते हैं कि केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद की परिक्षाओं में आज तक केन्द्रीय विद्यालयों के परिणाम लगभग 80 प्रतिशत रहे हैं। पूरे देश में यह परिणाम लगभग 50 प्रतिशत है। गुवाहाटी केन्द्रीय स्थान होने के कारण कई पहाड़ी राज्यों की देखरेख कर सकता है। संचार आदि की स्थिति जैसी सुविधाओं की भी जांच की जायेगी। पास का क्षेत्र भौगोलिक दृष्टि से भले ही काफी समीप हो सकता है, परंतु संचार की दृष्टि से भी इसकी देखभाल की जायेगी।

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य : इसे वास्तविक रूप से नहीं किया गया है।

प्रो० के० पी० थामस : केन्द्रीय विद्यालयों की संख्या में प्रतिवर्ष वृद्धि हो रही है और अनेक केन्द्रीय विद्यालय विभिन्न क्षेत्रों में स्थित हैं। अतः वर्तमान क्षेत्रीय कार्यालय इन केन्द्रीय विद्यालयों की देख-रेख नहीं कर पायेंगे क्योंकि प्रत्येक क्षेत्रीय मुख्यालय (कार्यालय) के अधीन विद्यालयों की संख्या में प्रतिवर्ष वृद्धि हो रही है। उदाहरण के रूप में, दक्षिणी राज्यों में कम से कम मद्रास, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु से इन सभी क्षेत्रीय कार्यालयों की देखरेख की जाती है। हमने केरल में, जहां भी उपयुक्त हो, एक क्षेत्रीय कार्यालय खोलने का सुझाव दिया है। क्या मंत्री महोदय भौगोलिक, प्रशासनिक संभावनाओं के आधार पर और विद्यालयों की संख्या पर नियंत्रण करने के लिए नए क्षेत्रीय कार्यालय खोलने के बारे में विचार करेंगे और यह संख्या किसी क्षेत्र विशेष में 40 से अधिक नहीं होनी चाहिए।

श्री चिमनभाई मेहता : मैं पहले ही उत्तर दे चुका हूं कि केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक में तीन और केन्द्र खोलने का प्रस्ताव किया था, परंतु वित्तीय कटौती के कारण इन्हें स्थापित नहीं किया जा सका। सरकार अब स्थापना कार्य के खर्च में और अधिक कटौती करने पर विचार कर रही है। इसके बावजूद हम इस मामले पर निरंतर विचार कर रहे हैं, क्योंकि हम प्रतिवर्ष 60 केन्द्रीय विद्यालय खोल रहे हैं। हमारा यह निर्णय है। हालांकि यह कोई निश्चित निर्णय नहीं है कि हम 50 अथवा 60 से अधिक विद्यालय नहीं होंगे। परंतु फिलहाल इसका शीघ्र उत्तर नहीं दिया जा सकता। हम इसकी जांच पड़ताल करेंगे।

श्री कमल नाथ : यदि आप प्रश्न सूची देखें, तो पायेंगे कि यह प्रश्न प्रधान मंत्री को संबोधित है। ऐसी बात नहीं है कि मंत्री महोदय ने कोई गलती···

अध्यक्ष महोदय : आप कृपया प्रश्न पूछिए।

श्री कमल नाथ : मैं प्रश्न पूछ रहा हूं। मेरा प्रश्न एक नीति संबंधी प्रश्न है। अतः मैं आपके माध्यम से प्रधान मन्त्री महोदय से निवेदन करता हूं कि इसनीति सम्बन्धी प्रश्न का वह उत्तर दें।

अध्यक्ष महोदय : कृपया प्रश्न पूछिए।

श्री कमल नाथ : केन्द्रीय विद्यालय बहुत सफल रहे हैं···(व्यवधान) यह एक नीति संबंधी प्रश्न है। यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। केन्द्रीय विद्यालयों ने काफी भारी सफलता हासिल की है। उनके परीक्षा परिणाम अच्छे रहे हैं। हम कार्यालयों और क्षेत्रीय कार्यालयों के बारे में बात कर रहे है। यहां और अधिक केन्द्रीय विद्यालय खोलने के बारे में जोर दिया गया है। अतः इसमें एक फार्मूला

है, एक नीति है और एक आधार है जिसके अनुसार विभिन्न स्थानों पर केन्द्रीय विद्यालय खोले जाते हैं। केन्द्रीय विद्यालयो की बढ़ती हुई मांग और सफलताओं को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार अपनी नीति में संशोधन करेगी ताकि पूरे देश में और अधिक केन्द्रीय विद्यालय खोले जा सकें ? (व्यवधान)

श्री चिमनभाई मेहता : महोदय, मैंने अनेक बार कहा है कि 50 अंतिम संख्या नहीं है। और अधिक केन्द्रीय विद्यालय खोले जा रहे हैं तथा हम कुछ और क्षेत्रीय कार्यालय आरंभ करने जा रहे हैं ··· (व्यवधान)

श्री कमल नाथ : मैं विद्यालयों के बारे में बात कर रहा हूं न कि कार्यालयों के बारे में।

श्री चिमनभाई मेहता : जहां तक विद्यालयों का संबंध है, हम प्रतिवर्ष 60 विद्यालय खोल रहे हैं। हमारा यह निर्णय है और हम इसे कर रहे हैं। परंतु कभी-कभी भूमि के आबंटन और दूसरी बातों के कारण विलंब हो जाता है ।

[हिन्दी]

श्री राम धन : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने बताया है कि वित्तीय साधनों के अभाव में क्षेत्रीय कार्यालय नहीं खोले जा रहे हैं और उन्होंने यह भी कहा कि माननीय सदस्या श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य को उत्तर पूर्व राज्यों की भौगोलिक स्थिति मालूम नही है कि जोरहाट को सिलचर से जोड़ना ठीक रहेगा या गोहाटी से अच्छा रहेगा तो ऐसी स्थिति में क्या इस पर पुनर्विचार करेगी ? दूसरी बात यह है कि आज आधा साल से अधिक बीत गया है और जो केन्द्रीय विद्यालय संगठन की स्थानांतरण नीति अभी तक नहीं बन पायी है क्योंकि इन्होंने गत मार्च में टीचर्स से स्थानांतरण के लिए एप्लीकेशन्ज ली थीं लेकिन क्षेत्रीय कार्यालयों की संख्या अधिक नहीं होने के कारण ऐसा नहीं हो पा रहा है तो क्या इस मामले में सरकार पुनर्विचार करने की जरूरत महसूस करती है ? माननीय प्रधानमंत्री जी से मेरा निवेदन है कि जब देश में शिक्षा का प्रचार होना जरूरी है तो यदि केन्द्रीय विद्यालय संगठन अच्छे कार्य कर रहे हों और जहां छुरे या बंदूक के जोर पर नकल होती है तो ऐसे विद्यालयों में क्या प्रचार होगा ? तीसरे, इन विद्यालयों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को प्रवेश नहीं मिलता है, इसके बारे में माननीय शिक्षा मंत्री का क्या विचार है ?

श्री चिमनभाई मेहता : अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के स्टूडेंट्स को उनके प्रसंटेज के हिसाब से प्रवेश मिलता है। यह हमारी पॉलिसी है। दूसरी बात माननीय सदस्य ने यह पूछी है कि हम नये कार्यालय खोल रहे हैं या नहीं तो हमने बराबर कहा है कि इसको रिव्यू कर रहे हैं। ऐसे तो लखनऊ रीजनल कार्यालय के अंतर्गत 29-30 हजार स्टूडेंट्स हैं, दिल्ली में 45 हजार स्टूडेंट्स हैं, फिर भी एक सेंटर है। अहमदाबाद में 26 हजार स्टूडेंट्स आते हैं और बंबई में 32 हजार स्टूडेंट्स हैं जबकि महाराष्ट्र में एक ही सेंटर है।

[अनुवाद]

हम इस पर ध्यान दे रहे हैं। (व्यवधान)

[हिंदी]

अध्यक्ष महोदय : तिवारी जी, आप बैठ जायें। मैं कहता हूं कि आपको बैठना पड़ेगा। आपको उठने की कोई जरूरत नहीं है। आप बैठ जायें।

[अनुवाद]

श्री यादवेन्द्र दत्त : महोदय, प्रशासन की कार्यक्षमता को ध्यान में रखते हुए क्या मंत्री महोदय सभी क्षेत्रीय कार्यालयों के क्षेत्र के यौक्तिकीकरण के साथ-साथ उसके भौगोलिक पक्ष पर भी विचार करेंगे जिससे कार्य सुचारू रूप से किया जा सके तथा किसी व्यक्ति को जोरहाट तथा गुवाहाटी अथवा देहरादून से चंडीगढ़ तक भागदौड़ न करनी पड़े। इसके अतिरिक्त मैं उन दो प्रस्तावित स्थानों के नाम भी जानना चाहूंगा जहां उत्तर प्रदेश में क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किए जाएंगे।

श्री चिमनभाई मेहता : महोदय, वही प्रश्न दोहराया गया है। मैंने कहा है कि हम सीमावर्ती क्षेत्रों के संबंध में स्थिति की पुनरीक्षा करना चाहते हैं··· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री नन्दलाल मीणा बोलें।

श्री अम्बारासु इरा : महोदय, मैं भी जानना चाहता था ·· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण करें···

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं। क्या आप अपना स्थान ग्रहण करेंगे ?···

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने श्री नन्दलाल मीणा का नाम लिया है। आपको सभा के नियमों की जानकारी होनी चाहिए। जी हां, श्री नन्दलाल मीणा अब बोलेंगे।

केन्द्रीय भण्डार में सामान खराब होना

*347. **श्री नन्दलाल मीणा :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ समय पूर्व केन्द्रीय भण्डार के शाखा स्टोरों से 1.5 लाख रुपये का खराब सामान हटाया गया था;

(ख) क्या खराब हुए सामान की वास्तविक जांच करने पर यह पाया गया था कि वहां उपरोक्त कुल मूल्य से कम का सामान था; और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस मामले में कोई जांच कराई गई है; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागेय गोवर्धन) : (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

केन्द्रीय भण्डार के अधिकारियों द्वारा केन्द्रीय भण्डार के कुछ खुदरा बिक्री केन्द्रों का निरीक्षण करने पर पता लगा कि बिक्री के लिए अनुपयुक्त सामान का वर्षों से ढेर लगता जा रहा है तथा इसने ग्राहकों को अव्यवस्था की झलक देने के साथ-साथ खुदरा बिक्री केन्द्रों में बहुमूल्य स्थान को भी घेर रखा है। अतः केन्द्रीय भण्डार के प्रबंधकों ने विभिन्न खुदरा बिक्री केन्द्रों (मोबाइल वैनों सहित) जिनकी कुल संख्या 58 है, से खराब सामान को उसी समय उठाने का निर्णय किया। भण्डारों से सामान उठाने तथा उसको बदलवाने के लिए सिफारिशों का सुझाव देने तथा ऐसा न होने पर नष्ट किए जाने का आदेश देने के लिए एक डैमेज कमेटी का गठन किया गया।

तदनुसार 1.98 लाख रु० की बुक वैल्यू का खराब सामान जून-जुलाई, 1989 में सभी खुदरा बिक्री केन्द्रों से उठाया गया तथा केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग की अनौपचारिक सहमति से केन्द्रीय भण्डार में मुख्य कार्यालय के साथ के भवन के हिस्से में उसका भण्डारण किया गया। 16 दिसंबर, 1989 को केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ने अपने भवन से खराब सामान को उठाया क्योंकि उन्हें वह स्थान किसी अन्य सरकारी कार्यालय को देना था। इसलिए सारा सामान इकट्ठा होने से पूर्व खराब सामान को खुले प्रांगण में रखा गया तथा भवन के गैराजों में उसे भर दिया गया।

19-12-1989 को, केन्द्रीय भण्डार ने सांविधिक तथा आंतरिक लेखा-परीक्षकों को खराब सामान का वास्तविक सत्यापन करने के लिए अनुरोध किया था। लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट में यह बताया गया कि मूल बुक वैल्यू के अनुसार खराब सामान कम था। यह कमी खराब सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने तथा काफी समय से उसके विकृत होने के कारण हुई थी।

यह देखते हुए कि केन्द्रीय भण्डार ने वर्ष 1983-84 से 1988-89 के दौरान 4379 लाख रु० का कारोबार किया है, कुल खराब सामान की कीमत समिति द्वारा बेचे गए कुल सामान का केवल 0.05% बनती है। इस अवधि के दौरान इस प्रकार का नुकसान उठाने के लिए 2.33 लाख रु० का प्रावधान है।

[हिन्दी]

श्री नन्दलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने मेरे प्रश्न का जो उत्तर दिया है, उसके पैरा 1 में इन्होंने कहा है कि केन्द्रीय भण्डार के प्रबंधकों ने विभिन्न खुदरा बिक्री केन्द्रों और मोबाइल वैनों, जिनकी संख्या 58 है, से खराब सामान को उसी समय उठाने का निर्णय किया। इस खराब सामान की बुक वैल्यू 1.98 लाख रुपये बतायी गयी है और खराब सामान में कमी आने का कारण बताया गया है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर माल को ले जाने के कारण ऐसा हुआ। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या खराब माल के साथ-साथ बढ़िया माल और न बदलवाने योग्य सामान भी उठाया गया था, जैसा कि लेखा परीक्षा रिपोर्ट से जाहिर होता है। उससे यह भी स्पष्ट होता है कि स्टोर में सामान ठीक प्रकार से नहीं रखा गया था और न ही खराब होने के लिये किसी को जिम्मेदार ठहराया गया। लेखा परीक्षा रिपोर्ट के अनुसार खराब माल में स्टेशनरी, बिजली

का सामान और खाद्य सामग्री शामिल है, इस संबंध में मंत्री जी का क्या कहना है, मैं चाहता हूं कि वे सदन को स्थिति स्पष्ट करें।

श्री भागेय गोवर्धन : माननीय सदस्य ने सप्लीमेंटरी में जो सवाल पूछा है, उसके जवाब में मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि वर्ष 1989 में केन्द्रीय भण्डार के जनरल मैनेजर ने अपने इंसपैक्शन के दौरान यह पाया कि इन सब स्टोर्स में कुछ डैमेज्ड गुड्स है। उसी के आधार पर, जो-जो खराब चीजें थीं, डैमेज्ड थीं उनकी तहकीकात की गयी और मई-जून में उन्हें वहां से हटाया गया। उस हटाये गये सारे डैमेज्ड गुड्स का बुक वैल्यू करीब 1.98 लाख रुपये आंका गया। हमारा कहना है कि ये वही चीजें थीं जो स्टोर्स में थीं, डैमेज्ड थीं, आप जानते हैं कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं, जिन्हें स्टोर्स में यदि बहुत दिनों तक रखा जाता है, या बहुत दिनों तक रह जाती हैं तो उनमें कीड़े पड़ जाते हैं, उन्हें चूहे खा जाते है, वे खराब हो जाती हैं आदि। इस तरह से 5 वर्षों से पड़ी, डैमेज्ड पायी गई चीजों को ही तहकीकात के बाद जून, 1989 में वहां से दूसरी जगह अलग किया गया।

श्री मक्खलाल मीणा : अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने जवाब में जो कहा है, उससे कुछ स्पष्ट नहीं होता। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जैसा इन्होंने बताया, खराब माल की बुक वैल्यू लगभग 1.98 लाख रुपये आंकी गयी परंतु लेखा परीक्षा रिपोर्ट, जो वर्ष 1989 के दिसम्बर माह की है, उसमें कहा गया है कि डैमेज्ड गुड्स की वैल्यू लगभग 2 लाख 12 हजार 173 रुपये 92 पैसे है, जबकि मंत्री महोदय खराब सामान की बुक वैल्यू 1.98 लाख रुपये ही बता रहे हैं। एक तो मैं इसका स्पष्टीकरण चाहूंगा कि इन दोनों वैल्यूज में अंतर क्यों है, क्या सही फीगर है। दूसरे इन्होंने अभी बताया कि मई-जून में इसका ऑडिट कराया गया, परंतु रिपोर्ट के अनुसार चार्टर्ड एकाउंटेंट के द्वारा दिसम्बर, 1989 में आडिट हुआ है और उसी के आधार पर डैमेज्ड गुड्स की वैल्यू 2 लाख 12 हजार 173 रुपये 9 पैसे आंकी गयी थी।

श्री भागेय गोवर्धन : अध्यक्ष जी, मैं पहले ही कह चुका हूं कि स्टोर्स में जो डैमेज्ड गुड्स था, उसे वहां से हटाकर सेन्ट्रल ऑफिस के पास एक सी० पी० डब्ल्यू० डी० की बिल्डिंग में रखा गया। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आर्डर प्लीज। मीणा जी, आप बैठ जाइये, वे अभी उसी तरफ आ रहे हैं। उन्होंने अपना उत्तर अभी कम्पलीट नहीं किया।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी, माननीय सदस्य का कहना है कि आप जो कुछ कह रहे हैं और जो ऑडिट रिपोर्ट में कहा गया है, दोनों में अंतर है, उसके बारे में बताइये।

(व्यवधान)

श्री भागेय गोवर्धन : सर, उसको सी० पी० डब्ल्यू० डी० की बिल्डिंग में इनफार्मेली अरेंजमेंट के अनुसार रखा गया। यह मैं कह चुका हूं। सिर्फ डैमेज गुड्स को ही वहां से हटाया गया, फिर 16 दिसम्बर, 1989 में सी० पी० डब्ल्यू० डी० ने वह खाली करवाने के लिए कहा, उसके बाद सारा सामान बाहर निकाल कर फेंक दिया। जो बाहर सामान फेंका गया, उसकी उसी दिन तहकीकात की, हिसाब लगाने के बाद पाया कि 1 लाख 35 हजार की शार्टेज है। यह रिपोर्ट है।

श्री मानी भट्टाचार्य : अध्यक्ष जी, मेरा एक सवाल है—तरह-तरह की डैमेज्ड गुड्स, जिनको सी० पी० डब्ल्यू० डी० की बिल्डिंग में, जो केंद्रीय भंडार के आसपास है, वहां रखा, लेकिन जो जवाब

हमको दिया है, उसमें लिखा है जून, जुलाई और रिमूवल हुआ दिसंबर महीने में तो लगभग 6 महीने का वक्त केंद्रीय भंडार वालों के पास था, उस टाइम में ऑक्शन क्यों नहीं किया गया ? इतने समय में आप क्लीयर कर सकते थे, क्यों क्लीयर नहीं किया गया ?

श्री भागेय गोवर्धन : अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने पूछा है कि छः महीने की अवधि में वह डैमेज्ड सामान जो स्टोर में रखा था, उसको ऑक्शन क्यों नहीं किया गया । सामान के ऑक्शन की चेष्टा, केंद्रीय भंडार वालों ने नहीं की, यह सवाल वाजिब है । लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि यह ऑक्शन क्यों नहीं किया गया, क्या कारण थे, मेरे पास इस समय ऐसी कोई सूचना नहीं है, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि इसके विषय में तहकीकात होनी चाहिए कि यह ऑक्शन क्यों नहीं हुई । मैं आपको यह ऐश्योरेंस देता हूं कि इसके बारे में आपको पत्र लिखा जाएगा ।

श्री चार्नसिंह सांगवा : अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री महोदय से यह आश्वासन चाहता हूं कि केंद्रीय भंडार में रैगुलरली इंस्पैक्शन कराएंगे और जो नुकसान होता है, उसके लिए जिम्मेवार आदमियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे । इन दोनों बातों का आश्वासन मंत्री जी आज इस सदन में दें ?

श्री भागेय गोवर्धन : अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि जब से ये केंद्रीय भंडार के स्टोर बने हैं, तब से ये लाभ में ही रहे हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि कहीं कोई गड़बड़ी हो, तो उसको न देखा जाए या कहीं त्रुटि हो, तो उसका निवारण किया जाए । माननीय सदस्य को मैं इस बात का आश्वासन देना चाहता हूं कि कोई भी को-आपरेटिव स्टोर को रन करते हों, उनमें कभी-कभी बहुत-सी कमियां रह जाती हैं, वे सिर्फ इंस्पैक्शन के अभाव के कारण ही होती हैं । यदि इंस्पैक्शन समय-समय पर किया जाएगा, तो ऐसी त्रुटियां नहीं होंगी । क्योंकि यहां 5 वर्ष की अवधि के विषय में कहा जा रहा है, क्या डैमेज हुआ, क्या खराब हुआ उस अवधि में । यदि रैगुलरली इंस्पैक्शन किया जाए, तो उनका समय-समय पर पता लग सकेगा ।

डा० राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी को अपनी ओर से बधाई देना चाहती हूं और मैं समझती हूं कि सारे सदन के सदस्य उनको इस बात के लिए बधाई देंगे कि उन्होंने बड़ी सच्चाई से, जो सरकार की कमजोरी है, उसको स्वीकार किया है और विभाग की कमजोरी को भी स्वीकार किया है । अगर हरेक मंत्री इस तरह की बात स्वीकार किया करे, तो जनतंत्र की इससे रक्षा हो सकेगी ।

अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि इस नुकसान के लिए जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, उनको सजा देने के लिए आपने क्या कदम उठाए हैं जिससे आगे के लिए इस तरह की गलती को होने से रोका जा सके ?

श्री भागेय गोवर्धन : अध्यक्ष जी, मैं माननीय सदस्या को धन्यवाद देना चाहता हूं — मेरे प्रति अच्छे शब्दों को कहने के लिए, लेकिन मैं इतना कहूंगा कि यह इसी समय में नहीं हुआ है । कोआपरेटिव सिस्टम में हमेशा से यह डिफीकल्टी रही है । इसलिए अगर को-आपरेटिव को अच्छी तरह से फंक्शन कराना चाहते हैं तो रेगुलर इंस्पैक्शन अवश्यम्भावी हो जाता है । अब रहा कार्य अनुष्ठान, उसके बारे में मैं कह चुका हूं कि मेरे पास वह तथ्य नहीं हैं लेकिन उसके बारे में अनुसंधान करके मैं जरूर बताऊंगा ।

श्री दाऊ दयाल जोशी : मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है वह अंकेक्षक रिपोर्ट के आधार पर किया है। यह सही है कि समय-समय पर आपकी अंकेक्षक रिपोर्ट आती है। क्या आप यह बताने की कृपा करेंगे कि समय-समय पर जो अंकेक्षक रिपोर्ट आती है उसका इंस्पैक्शन भी आप करते हैं या नहीं ? यदि करते हैं तो पिछले एक साल में किन-किन व्यक्तियों को जिम्मेदार ठहराया है, किन-किन लोगों को दंडित किया है ? यह स्पष्ट करें जिससे कि अंकेक्षक रिपोर्ट का महत्व बन सके वर्ना अंकेक्षक रिपोर्ट कूड़ेदान में पड़ी रहती है।

श्री भागेय गोबर्धन : अध्यक्ष जी, जहां तक मेरा अनुभव है, इस तरह की जो व्यवस्था है उसमें इंस्पैक्शन प्रति वर्ष होना चाहिए और जब कभी भी इंस्पैक्शन किया जाता है और उस रिपोर्ट के आधार पर जो कुछ भी तथ्य मिलते हैं उस पर कार्यवाही करनी चाहिए। लेकिन मैं कह चुका हूं कि यहां पांच वर्ष के बाद इंस्पैक्शन हुआ है उसके लिए मैं दुःखी हूं लेकिन मैं आश्वासन देता हूं कि यदि हम लोग रेगूलर्ली इंस्पैक्ट करें और उसके बाद फालो-अप एक्शन लें तो हम सोचते हैं कि इसका फंक्शन अच्छी तरह से कर सकेंगे।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करें कि पिछले नौ महीने में, जब से यह सरकार आई है, जितनी बार केंद्रीय भंडार की जांच हुई है और उस जांच के दौरान क्या-क्या कमियां पाई गईं और उन कमियों को दूर करने के लिए क्या-क्या कार्यवाही की है ? सिद्धांत तो मंत्री जी ने बताया है, पिछली सरकार की कमियों को भी बता दिया लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि जो कमियां पाई गई हैं उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री भागेय गोबर्धन : मेरे पास वे तथ्य इस समय नहीं हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रो० रंगा जी बोलें।

प्रो० एन० जी० रंगा : महोदय, उन्होंने पहले ही यह प्रश्न पूछ लिया है। परंतु उसका कोई उचित तथा संतोषजनक उत्तर नहीं दिया गया है। माननीय मंत्री जी प्रश्नों का उत्तर देने हेतु यहां पर ठीक से तैयार होकर नहीं आए हैं।

व्यावसायिक कॉलेज

*348. **श्री एन० डेनिस** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में व्यावसायिक कॉलेज खोलने के संबंध में कोई रोक लगाई गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) और (ख) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद नई तकनीकी संस्थाओं को खोलने के प्रस्तावों पर जनशक्ति अपेक्षा, उभरते हुए क्षेत्रों के विकास वित्तीय व्यवहारिता आदि जैसे अनेक घटकों को ध्यान में रखने के बाद विचार करती है। नई तकनीकी संस्थाओं को खोलने पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगाया गया है।

शिक्षक शिक्षा कालेजों के लिए केंद्रीय स्तर पर अभी तक कोई सांविधिक प्रतिबंध नहीं लगाए गए हैं।

विधि कालेजों की स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए संबधित विश्वविद्यालय के साथ सम्बर्धन सहित स्थापना की जाती है ।

श्री एम० डेनिस : महोदय, माननीय मंत्री जी ने पूरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है । उन्होने देश में मैडिकल कालेजों के, जो एक व्यावसायिक पाठ्यक्रम है, खोलने के संबंध में कुछ भी नहीं कहा है। उन्होंने इस बारे में बिल्कुल भी कुछ ही नहीं कहा है । मैं यह उल्लेख करना चाहूंगा कि देश में विभिन्न राज्यों में मेडिकल कॉलिज तथा इंजीनियरिंग कॉलिजों की संख्या में क्षेत्रीय असंतुलन है । उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में 99 इंजीनियरिंग कॉलेज हैं तथा कर्नाटक में 40 इंजीनियरिंग कॉलिज हैं, जबकि उत्तर प्रदेश में केवल 11 तथा बिहार में केवल 10 इंजीनियरिंग कॉलेज हैं ।

मेडिकल कॉलिजों के संबंध में, मैं कहना चाहूंगा कि महाराष्ट्र तथा कर्नाटक, दोनों राज्यों में से प्रत्येक में 18 मेडिकल कॉलिज हैं, जबकि उत्तर प्रदेश तथा बिहार में, प्रत्येक में 9 मेडिकल कॉलिज हैं । परंतु व्यावसायिक कॉलिज अधिक संख्या में नहीं हैं । उन्नत देशों की तुलना में भारत में, जनसंख्या की तुलना में डॉक्टरों की संख्या कम है। कुछ महत्वपूर्ण विषयों, जैसे पोलीमर्स, इंजीनियरिंग डिजाइन, कम्प्यूटर विज्ञान तथा माइक्रो-इलेक्ट्रोनिक्स इत्यादि क्षेत्रों में सुप्रशिक्षित इंजीनियरों और टैक्नोलोजी-विदों की कमी है, जबकि सिविल इंजीनियरिंग, इलैक्ट्रिकल तथा मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ये आवश्यकता से अधिक है। अत: एकरूपता लाने के लिए तथा क्षेत्रीय असंतुलन कम करने के लिए राज्य सरकारों को व्यावसायिक कालेज खोलने की मंजूरी देने के वास्ते प्राधिकृत करने के इस रवैये को समाप्त किया जाना चाहिए। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या कोई ऐसा नया कानून बनाया जाएगा, जिसके तहत नये संस्थाओं को अपना संस्थान चलाने से पूर्व भारतीय चिकित्सा परिषद से तथा केन्द्रीय सरकार से भी पूर्व अनुमति लेनी होगी। इस प्रकार सरकार क्षेत्रीय असंतुलनों तथा असमानताओं को दूर कर सकेगी। इन संगठनों को खोलने के लिए शर्तें निर्धारित की जाएंगी।

श्री चिमनभाई मेहता : महोदय, मेडिकल कालेजो के सम्बन्ध में यह एक अत्यन्त व्यापक प्रश्न है। परन्तु मेरे मंत्रालय के अन्तर्गत मेडिकल कालेज नहीं आते हैं। ये मेडिकल कालेज स्वास्थ्य मंत्रालय के अन्तर्गत आते हैं । परंन्तु फिर भी............।

श्रीमती बासव राजेश्वरी : प्रश्न अपने आप में बिल्कुल स्पष्ट है। (व्यवधान)

श्री चिमनभाई मेहता : आप थोड़ा धैर्य रखें। मैं यह कह रहा हूं कि इस पर भी मैं स्वास्थ्य मंत्रालय से प्राप्त सूचना देने के लिए तैयार हूं। इस समय उन्होंने नये मेडिकल कॉलिज के खोलने पर प्रतिबंध लगा दिया है क्योंकि वे सोचते हैं कि इनकी वर्तमान संख्या आवश्यकता से अधिक है, हमारे देश में स्टूडेंट्स-मेडिकल प्रैक्टिशनर अनुपात तथा कुछेक अन्य प्रावधानों के बारे में मैं उल्लेख करना नहीं चाहता।

इंजीनियरिंग कॉलिज खोलने में असंतुलन होने का मुख्य कारण मुख्यत: महाराष्ट्र, कर्नाटक तथा तमिलनाडु में गैर सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों का खोला जाना है। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : और बिहार की क्या स्थिति है?

श्री चिमनभाई मेहता : वहां 298 इंजीनियरिंग कॉलेज हैं । उनमें से लगभग 42 प्रतिशत अर्थात् 178 गैर-सरकारी संस्थाएं हैं तथा उन 178 में से लगभग 42 मंजूरशुदा हैं। अन्य संस्थाओं

की स्वीकृति नहीं दी गई है, क्योंकि उनके विरुद्ध कुछ शिकायतें हैं तथा वर्ष 1988 से अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अधिनियम लागू है तथा पिछले डेढ़ वर्ष से कार्यकारिणी समिति की कोई बैठक भी नहीं हुई थी। हाल ही में डेढ़ मास पूर्व इसकी बैठक हुई थी। इसमें मानदंड निर्धारित किए गए हैं, परंतु हम उन पर एक प्रकार से कोई रोक नहीं लगाते, परंतु कुछ मानदंड तो हैं। वित्तीय व्यवहार्यता के बारे में समिति ने दस करोड़ रु०, कुछ एकड़ जमीन, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, शिक्षक-विद्यार्थी का अनुपात तथा अन्य बातें निर्धारित की हैं। अतः उन पर प्रतिबंध लगाने का कोई प्रश्न नहीं है, अपितु यह प्रश्न कुछ विशेष प्रकार के मानदंड सहित अच्छे कॉलेज खोलने से संबंधित है तथा इसीलिए मैं समझता हूं कि मुख्य प्रश्न पोलिमर्स, कम्प्यूटर तथा माइक्रो इलेक्ट्रोनिक्स से संबंधित है। जब कभी इस प्रकार के पाठ्यक्रमों को शुरू करने की स्वीकृति मांगी जाती है, तब हम इस संबंध में कतिपय मानदंडों के आधार पर तुरंत विचार करते हैं। इस प्रकार अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् की कार्यकारिणी को अधिकार दिए हुए हैं। पहले मंत्री के पास यह अधिकार था और मैंने पिछली बैठक में इसका त्याग कर दिया था, क्योंकि कई बार मैं उचित फैसला नहीं कर पाया था।

श्री एम० डेनिस : महोदय, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् ने कुछ शर्तें रखी थीं जिन्हें नई संस्थाएं खोलने से पहले गैर सरकारी प्रबंध समितियों को पूरा करना होता है। शर्त संख्या छः के अनुसार प्रवेश, परीक्षा के द्वारा योग्यता के आधार पर किया जाना चाहिए और शर्त संख्या 7 के अनुसार सरकारी नियमों के अनुसार लगना चाहिए। किंतु यह बिल्कुल स्पष्ट है—हर व्यक्ति इस बारे में जानता है—गैर-सरकारी प्रबंध समितियों द्वारा इन शर्तों की अवज्ञा की जाती है और इन संस्थाओं में प्रवेश योग्यता के आधार पर नहीं अपितु भारी कैपिटेशन फीस अर्थात् प्रावेशिक शुल्क के आधार पर किया जाता है।

अध्यक्ष महोदय : श्री डेनिस, आप कृपया अपना प्रश्न पूछें।

श्री एम० डेनिस : क्या मैं माननीय मंत्री से यह जान सकता हूं कि क्या इन पथभ्रष्ट संस्थाओं का प्रबंध सरकार अपने हाथ में लेगी और क्या प्रावेशिक शुल्क पर रोक लगाने के लिए कोई कानून बनाया जायेगा।

श्री चिमनभाई मेहता : महोदय, मैं माननीय सदस्य के इस विचार से सहमत हूं कि गैर-सरकारी कालेजों में प्रवेश योग्यता के आधार पर नहीं होता, अपितु प्रावेशिक शुल्क के आधार पर होता है। शुल्क के बारे में कोई समानता नहीं है और वे खुले रूप में प्रावेशिक शुल्क लेते हैं। यह अनाचार चल रहा है। हम इस प्रावेशिक शुल्क को समाप्त करने के प्रति वचनबद्ध हैं और हम उसी दिशा में बढ़ रहे हैं। अभी 15 अगस्त को प्रधानमंत्री ने यह घोषणा की थी कि 50 करोड़ रुपए की राशि शैक्षिक ऋण के रूप में दी जाएगी। इसलिए, जब हम मैरिट व्यवस्था आरंभ करेंगे तो हम विद्यार्थियों को ऋण उपलब्ध करायेंगे, ताकि वे पूरा शुल्क भर सकें, क्योंकि इस समय इंजीनियरिंग कालेजों का आवर्ती खर्च प्रति विद्यार्थी 12,000 रुपए है। यह खर्च प्रतिवर्ष 400 रुपए है, और इस प्रकार इनमें काफी भिन्नता है, क्योंकि इन शुल्कों को स्वतन्त्रता से पहले निर्धारित किया गया था। यदि आप अनावर्ती खर्च उठाते हैं तो यह 25,000 रुपए तक हो जाता है। इसलिए, कभी-कभी यह तर्क-

संगत लगता है। किंतु हम इससे सहमत नहीं हैं और हमने कहा है कि हम गरीब विद्यार्थियों को स्व-वित्त पोषण वाले शिक्षण ऋण उपलब्ध करायेंगे। इसलिए, आरंभ में सभी प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को चाहे वे गरीब हो या मध्यम वर्ग के, ऋण दिया जाएगा जिससे धन की कमी के कारण किसी को इस बारे में कष्ट न हो।

श्री के० एस० राव : महोदय, केन्द्रीय सरकार और विभिन्न राज्यों में मंत्रियों ने प्रावेशिक शुल्क की नीति से संबंधित कई टिप्पणियां की हैं, किन्तु, अब तक, ऐसा कुछ पता नहीं चला है कि इस सम्बन्ध में राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार ने इसे स्पष्ट रूप से लागू किया है या नहीं। कई राज्य, जैसे महाराष्ट्र और कर्नाटक में, अन्धाधुन्ध गैर-सरकारी कालेज खोल रहे हैं। वहां पर हमने देखा है कि कई कालेजों में शिक्षा का स्तर बहुत खराब है। मैं इस बात से सहमत हूं कि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद को शुरू करने का यही एक उद्देश्य रहा है कि शिक्षा, विशेष रूप से तकनीकी शिक्षा के स्तर में सुधार लाया जाए, जो देश की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए आज बहुत ही महत्वपूर्ण है। माननीय मंत्री ने स्वयं कहा है कि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद को बनाने के बाद भी देश में 178 गैर-सरकारी इंजीनियरिंग कालेजों में केवल 42 को मंजूरी दी गयी है। मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहूंगा कि सरकार ने पिछले दो वर्षों में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के माध्यम से यह जांच कराने के लिए क्या कार्यवाही की है कि क्या शेष 136 कालेज अच्छे स्तर की शिक्षा दे रहे हैं और क्या वे अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद और भारत सरकार द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों के अनुसार काम कर रहे हैं अथवा नहीं। आगे मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या अब तक इस संबंध में कोई कार्यवाही की गई है—वे कोई कार्यवाही नहीं करना चाहते, वे केवल वक्तव्य देना चाहते हैं—क्योंकि आज देश को संस्थाओं की संख्या की नहीं, अपितु अच्छे स्तर की शिक्षा की आवश्यकता है। इसलिए, मैं माननीय मंत्री महोदय से यह पूछना चाहूंगा कि क्या वे शीघ्र शेष 136 कालेजों के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही करेंगे और यह जांच करेंगे कि क्या वे उपयुक्त स्तर के हैं अथवा नहीं, और यदि नहीं हैं तो क्या वे उन्हें बन्द करा देंगे ?

श्री चिमनभाई मेहता : हमने पहले ही इन 136 कालेजों के सहयोग के लिए कार्यवाही करना शुरू कर दिया है। पिछले दो वर्षों के दौरान, तत्कालीन सरकार अधिनियम के प्रावधानों को लागू नहीं कर सकी। हम सत्ता में हाल ही में आए हैं। पिछले 1½ वर्षों से कोई बैठक नहीं हुई है। अब प्रादेशिक प्राधिकारियों को इस विषय में तुरंत कार्यवाही करने के लिए विशेषज्ञ समिति गठित करने के अधिकार दिए गए हैं, और इसके परिणामस्वरूप दो कालेजों—फार्मेसी डिप्लोमा कालेज और डिप्लोमा इंस्टीट्यूट—को बन्द कर दिया गया है। महाराष्ट्र और कर्नाटक की राज्य सरकारों ने कुछ पोलिटेक्नीक्स भी बन्द कर दिए हैं। यह उस अधिनियम के कारण हो सका है जिसे लागू कर दिया गया है और उन्हें किसी भी स्थिति में स्वीकृति नहीं दी जाएगी।

प्रो० एन० जी० रंगा : इन कालेजों की, जिन्हें करोड़ों रुपए खर्च करके स्थापित किया गया है, बन्द करने के स्थान पर क्या यह बेहतर नहीं होता कि सरकार उनका पुनरुद्धार करती और उनके स्तर में सुधार करती ? इस प्रकार के तकनीकी कालेजों को कहीं पर भी खोलना अत्यन्त कठिन है। अब क्योंकि इन्हें पहले ही खोला जा चुका है, यदि इनका स्तर ऊंचा नहीं है तो इनका स्तर उठा सकते हैं, उन्हें मदद दें, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार सरकार ने 5,000 रुपए की राशि विद्यार्थियों

को देने का निश्चय किया है। आप उन कालेजों को, जो पहले से ही स्थापित हैं, राज सहायता और अनुदान दे सकते हैं।

श्री चिमनभाई मेहता : हमने इस सुझाव पर भी विचार किया है। वे कालेज जो उपयुक्त स्तर के लगभग 80 प्रतिशत तक निकट हैं, उन्हें 100 प्रतिशत स्तर तक लाने के लिए कुछ समय दिया जा सकता है। किन्तु वे कालेज जो औसत से भी नीचे हैं और घटिया स्तर के हैं, उन्हें बन्द किया जा सकता है। जब वे उस स्तर तक आ जायें, तो वे मंजूरी के लिए फिर आवेदन कर सकते हैं।

[हिन्दी]

स० अतिन्दर पाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने जवाब दिया है। पर मैं आपको बताना चाहता हूं और आपके माध्यम से उनसे पूछना चाहता हूं कि पंजाब में व्यवसायिक केन्द्र स्थापित करने के मामले में रोक लगाई गई है, लोंगोवाल इंस्टीच्यूट संगरूर जालंधर टैक्नीकल इंस्टीच्यूट पंजाब में, पटियाला में कम्प्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, इन सब पर भी अभी तक कोई कार्रवाई आगे नहीं बढ़ाई गई है जबकि तय किया गया था कि एक साल के अन्दर-अन्दर ये सब कार्य कर दिए जायेंगे। मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि ये सब कार्य कब तक कंप्लीट कर दिए जायेंगे ? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : ये कुछ स्पेसिफिक सवाल पंजाब के सिलसिले में पूछ रहे हैं।

[अनुवाद]

श्री चिमनभाई मेहता : हमने इस विषय पर मुख्य सचिव, पंजाब सरकार से और अन्य प्राधिकारी व्यक्तियों से चर्चा की थी। हम वह सब मदद दे रहे हैं, जिसकी आवश्यकता है। हम इस विषय में और कार्यवाही करेंगे।

इस समय मेरे पास माननीय सदस्य द्वारा पूछे गए इस विशिष्ट प्रश्न के सम्बन्ध में कोई विशिष्ट विवरण नहीं है। किन्तु मैं यह सारा विवरण माननीय सदस्य को अपने कार्यालय में उनके आने पर उपलब्ध करा सकता हूं। (व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : जनार्दन जी आप बैठ जायें।

श्री जनार्दन तिवारी : इसमें बड़ा घोटाला हो रहा है। इसको आप पूछने दीजिए। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी कहते हैं कि ये स्पेसिफिक सवाल है इसका जवाब बाद में दे दिया जाएगा।

(व्यवधान)

श्री जे० पी० अग्रवाल : इतना इम्पोरटेंट सवाल है, हजारों-लाखों लोगों की जिन्दगी का सवाल है। वैसे आप एक प्रश्न में आधा घंटा लेते हैं। (व्यवधान)

पंजाब में इलेक्ट्रॉनिक उद्योग

[अनुवाद]

* 349. श्री कमल चौधरी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय पंजाब में कितने इलेक्ट्रॉनिक उद्योग हैं और इन इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों में निर्मित वस्तुओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या वर्ष 1989-90 और 1990-91 के दौरान पंजाब में कुछ और इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों की स्थापना करने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजा रमन्ना) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

(क) पंजाब की इकतालीस इकाइयों ने वर्ष 1989 के दौरान इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के उत्पादन की सूचना दी है, जिसका मूल्य 294 करोड़ रु० है । इन इकाइयों द्वारा विनिर्मित वस्तुओं में श्याम तथा श्वेत और रंगीन टी० वी० सेट, टेलीफोन उपकरण, टेलीफोन प्रत्युत्तर मशीनें, ग्रामीण स्वचालित एक्सचेंज, प्रत्यक्ष लाइन मल्टीप्लेक्स प्रणालियां, पी० सी० एम० उपस्कर, ट्रांसमक्स उपस्कर, अति उच्च आवृत्ति ट्रांस रिसीवर, लम्बी दूरी के रेडियो उपस्कर जैसे दूरसंचार उत्पाद, कम्प्यूटर प्रणालियां, आंकड़ा अभिग्रहण तथा नियंत्रण प्रणालियां फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर जैसी आंकड़ा संसाधन वस्तुएं, विद्युत आपूर्ति यूनिट, वोल्टेज स्टेबिलाइजर, कई तरह के मीटर, टाइमर जैसे उपकरण तथा संघटक-पुर्जे जिनमें रंगीन टी० वी० पिक्चर ट्यूब, चुम्बकीय शीर्ष, मुद्रित परिपथ बोर्ड, एन०आई०-सी०डी० बैटरियां, बड़े/बहुत बड़े पैमाने की एकीकृत परिपथ युक्तियां तथा माड्यूल आदि शामिल हैं । इनके अतिरिक्त लघु क्षेत्र की इकाइयों में भी बड़े पैमाने पर उत्पादन हो रहा है जिसका अनुमान 25 करोड़ रु० है लेकिन इसके स्तर के बारे में अनिश्चितता है ।

(ख) और (ग) उद्यमियों तथा कंपनियों को लगातार जारी किए जा रहे आशय-पत्रों, लाइसेंसों तथा पंजीकरणों से यह स्पष्ट होता है कि पंजाब में और अधिक इलेक्ट्रॉनिक एकक स्थापित किए जायेंगे । पंजाब में वर्ष 1988, 1989 तथा 1990 (कैलेण्डर वर्ष) के दौरान इलेक्ट्रॉनिकी एककों की स्थापना के लिए जारी किए गए औद्योगिक लाइसेंसों, आशय-पत्रों/पंजीकरणों की संख्या नीचे दिए अनुसार है—

	औद्योगिक लाइसेंस	आशय-पत्र	पंजीकरण	योग
1988	5	5	4	14
1989	2	11	9	22
1990	शून्य	2	5	7

श्री कमल चौधरी : अध्यक्ष महोदय, गत वर्ष सरकार ने एक आश्वासन दिया था कि यह होशियारपुर जिले में विशेष रूप से बालाचौर और गढ़ शंकर के कन्डी क्षेत्र में एक इलैक्ट्रानिक उद्योग की स्थापना करेगी ।

उत्तर से यह मालूम पड़ता है कि वर्ष 1990 में दो आशय-पत्र और 5 पंजीकरण जारी कि गये हैं ।

क्या मैं माननीय मंत्री महोदय से यह पूछ सकता हूं कि क्या पंजाब सरकार ने होशियारपु जिले में इलेक्ट्रानिक उद्योग की स्थापना के लिए कोई प्रस्ताव किया है ?

दूसरे, क्या मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछ सकता हूं कि क्या बड़े नगरों में विशेषकर होशियारपुर में कोयले पर आधारित उद्योगों को इलेक्ट्रानिक उद्योगों में बदलने की अनुमति देने पर विचार कर रही है ?

डा० राजा रमन्ना : पंजाब में विभिन्न इलेक्ट्रानिक उद्योगों के विकास के संदर्भ में निजी क्षेत्र में पर्याप्त विकास हुआ है। वे और लाइसेंस की मांग कर रहे हैं। लेकिन, इस समय केन्द्र सरकार सेमी-कंडक्टर काम्पलेक्स की पुनर्निर्माण योजना पर विचार कर रही है। मुझे प्राप्त जानकारी के आधार पर मैं कह सकता हूं कि मैं यह नहीं समझता हूं कि होशियारपुर में इलेक्ट्रानिक कारखाने लगाने का कोई प्रस्ताव है।

श्री कमल चौधरी : क्या मैं माननीय मंत्री महोदय से यह पूछ सकता हूं कि पंजाब में कोयले की कमी को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार इस बात पर ध्यान दे रही है कि विशेषकर इन इलेक्ट्रा-निक उद्योगों में बिजली न जाए ताकि इन सामग्रियों के उत्पादन में कमी न हो ?

डा० राजा रमन्ना : कोयले की उपलब्धता का विषय नियंत्रण में नहीं है। लेकिन यदि कोयला उपलब्ध है तो निश्चित रूप से बिजली की पूर्ति की जायेगी क्योंकि इलेक्ट्रानिक उद्योग बहुत ही महत्वपूर्ण हैं।

[हिंदी]

स० अतिंदर पाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने जो जवाब दिया है, उसके संबंध में मेरा स्पेसिफिक सवाल है। शरद-कालीन सेशन में मुझे जवाब दिया गया था कि ग्रामीण एवं कुटीर उद्योग निगम के माध्यम से इलेक्ट्रानिक्स उद्योग स्थापित किए जाएंगे। आज 6 महीने बीत गए हैं, इस मामले में सरकार ने अभी तक क्या कदम उठाए हैं।

[अनुवाद]

डा० राजा रमन्ना : मेरे लिए यह निर्णय करना कठिन है कि माननीय सदस्य किस उद्योग का उल्लेख कर रहे हैं क्योंकि पंजाब में विकसित हो रहे विभिन्न इलेक्ट्रानिक उद्योगों की लम्बी सूची मेरे पास है

[हिंदी]

स० अतिन्दर पाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने स्पेसिफिक सवाल किया है। मंत्री महोदय ने जवाब दिया था कि ग्रामीण एवं कुटीर उद्योग निगम के माध्यम से उद्योग स्थापित किए जाएंगे, लेकिन आज मंत्री महोदय कह रहे हैं कि मेरे पास जानकारी नहीं है।

[अनुवाद]

डा० राजा रमन्ना : बहरहाल मुझे कुछ जानकारी है यदि माननीय सदस्य थोड़ा धैर्य रखें तो मैं उन्हें यह जानकारी दे दूंगा। इलेक्ट्रानिक्स के प्रभारी माननीय राज्य मंत्री जी ने हाल ही में पंजाब का दौरा किया और उन्होंने विशेषकर चावल की भूसी से तेल के उत्पादन के संदर्भ में तथा कृषि संबंधी और अन्य यांत्रिक उपकरण के निर्माण के लिए प्रदूषण बचाव, प्रदूषण नियंत्रण और फल प्रसंस्करण हेतु एक कार्यशाला स्थापित करने तथा कृषि संबंधी इलेक्ट्रानिकी के विकास का कार्यक्रम तैयार किया है। यह योजना उन्होंने तैयार की है और यह बाद के अतारांकित प्रश्न के जवाब के रूप में है। मेरे पास और अधिक विस्तृत ब्यौरा है। यदि माननीय अध्यक्ष महोदय सहमत हो जायें तो मैं इस ब्यौरे को पढ़ सकता हूं। लेकिन मैंने पूरी तरह से सभी प्रश्नों का उत्तर दे दिया है।

[हिंदी]

स० अतिन्दर पाल सिंघ : अध्यक्ष महोदय, ग्रामीण एवं कुटीर उद्योग निगम के माध्यम से इलेक्ट्रानिक उद्योग लगाने का निर्णय लिया गया था। शरदकालीन सेशन में मुझे लिखित उत्तर दिया गया था, मैं वही स्पेसिफिक सवाल पूछ रहा हूं लेकिन उसका अभी तक मंत्री महोदय ने जवाब नहीं दिया है।

[अनुवाद]

डा० राजा रमन्ना : मैं इस प्रश्न का केवल यह उत्तर दूंगा कि कारखाने स्थापित करने के विशिष्ट मुद्दों पर एक कार्यक्रम तैयार करने हेतु संपूर्ण ग्रामीण स्थिति का अध्ययन करने माननीय मंत्री महोदय पंजाब गये। (व्यवधान)

श्री हरभजन लाखा : महोदय, कल मेरी पंजाब यात्रा के दौरान लुधियाना और फगवाड़ा में कुटीर और लघु उद्योग स्थापित करने के विषय में उद्योगपतियों के साथ एक बैठक हुई थी। उन्होंने यह अनुरोध किया है कि कुटीर उद्योगों को शुरू करने के लिए अलग जगह उपलब्ध करायी जाये। इसके अतिरिक्त वे अपने घरों में कुछ उद्योग पहले ही शुरू कर चुके हैं। उत्पादन बढ़ाने हेतु यह उनके लिए बहुत सुविधाजनक होगा। इसलिए, महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी के ध्यान में बात लाना चाहूंगा कि यदि उनके लिए दोनों ही जगहों में अधिकतम स्थान उपलब्ध कराया जाए तो उन जगहों पर कुटीर और लघु उद्योगों में वृद्धि होगी। मैं इस पर माननीय मंत्री महोदय की प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा।

डा० राजा रमन्ना : माननीय सदस्य महोदय के सुझाव को हमने नोट कर लिया है।

[हिंदी]

स० अतिन्दर पाल सिंघ : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं.........

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइये, मैं आपको इजाजत नहीं दे रहा हूं। मैंने कृपाल सिंह जी को बुलाया है। (व्यवधान)

श्री कृपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, पंजाब हैवी इंडस्ट्री के मामले में देश के नक्शे पर नजर

नहीं आता। क्या इलैक्ट्रोनिक्स के फील्ड में वहां कोई नयी हैवी इंडस्ट्री डिजाइन की जा रही है, जिससे काम करने वाले लघु उद्योगों को फायदा हो या नये उद्योग लग सकें ?

[अनुवाद]

डा० राजा रमन्ना : महोदय, आज मैं सिर्फ इलेक्ट्रानिक्स से संबंधित प्रश्नो के उत्तर दे रहा हूं, लेकिन पंजाब के लिए भारी उद्योगों से संबंधित यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। मैं इसे संबद्ध मंत्री महोदय को भेज दूंगा।

विभिन्न स्रोतों से विद्युत उत्पादन

*351. श्री मनोरंजन भक्त :

श्री अम्बारासु इरा :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं योजना में कुल कितनी मात्रा में नाभिकीय, ज्वार तथा सौर-ऊर्जा का उत्पादन किया गया;

(ख) सातवीं योजना के अंतिम वर्ष में ऐसी ऊर्जा का कितना उत्पादन हुआ; और

(ग) इसके उत्पादन का आठवीं योजना में कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राजा रमन्ना) : (क) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत में कुल मिलाकर लगभग 25,583 मिलियन यूनिट (मिलियन किलोवाट घंटे) परमाणु बिजली का उत्पादन किया गया (इसमें राजस्थान परमाणु बिजलीघर से भारी पानी संयंत्र, कोटा को सप्लाई की गई भाप के बराबर की लगभग 651 मिलियन यूनिट बिजली भी शामिल है) भारत में किसी भी ज्वारीय बिजलीघर का प्रचालन नहीं किया जा रहा है। सौर ऊर्जा की बहुत ही कम मात्रा का उत्पादन विकेन्द्रीकरण आधार पर किया जाता है, जिसकी मात्रा मापी नहीं जाती।

(ख) वित्त वर्ष 1989-90 में लगभग 4,666 मिलियन यूनिट परमाणु बिजली का उत्पादन किया गया (इसमें राजस्थान परमाणु बिजलीघर से भारी पानी संयंत्र, कोटा को सप्लाई की गई भाप के बराबर की लगभग 186 मिलियन यूनिट बिजली भी शामिल है)।

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना में लगभग 46,600 मिलियन यूनिट परमाणु बिजली का उत्पादन करने का लक्ष्य रखा गया है (इसमें राजस्थान परमाणु बिजलीघर से भारी पानी संयंत्र, कोटा को सप्लाई की जाने वाली भाप के बराबर की बिजली भी शामिल है)। यह लक्ष्य अब तक के वास्तविक उत्पादन तथा उसके बाद पूर्वानुमानित उत्पादन को ध्यान में रखते हुए रखा गया है। आठवीं योजना में ज्वारीय बिजली अथवा सौर ऊर्जा के उत्पादन का कोई लक्ष्य नहीं रखा गया है।

श्री मनोरंजन भक्त : महोदय, इस देश में बिजली की भारी कमी है। विश्व के अनेक देशों ने अधिक परमाणु विद्युत ज्वारीय विद्युत और सौर विद्युत को अपनाना शुरू किया है। हमारे ताप विद्युत केन्द्रों में इस्तेमाल किये जा रहे घटिया किस्म के कोयले के बारे में हम जानते हैं। नयी जल-विद्युत परियोजनायें लगाने के मार्ग में भी अनेक बाधायें उत्पन्न हो गयी हैं। इस स्थिति को देखते हुए, मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विद्युत संयंत्रवार

और परमाणु संयंत्रवार परमाणु विद्युत उत्पादन का वास्तविक लक्ष्य क्या निर्धारित किया गया था। वास्तविक कमी क्या है और इसके कारण क्या हैं ?

डा० राजा रमन्ना : अध्यक्ष महोदय, जहां तक विद्युत उत्पादन का संबंध है, जैसा कि माननीय सदस्य महोदय ने सुझाव दिया है, हम परमाणु विद्युत उद्योग के महत्व को अच्छी तरह से जानते हैं। इस शताब्दी के अंत तक पंचवर्षीय योजनाओं में लगभग 10,000 मेगावाट का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। मेरे पास इस बारे में आंकड़े हैं। नयी शताब्दी शुरू होने के लगभग चार वर्ष पश्चात् हम 10,000 मेगावाट का लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे। निर्णय संबंधी मसलों उत्पादन और सभी संघटकों का उत्पादन देश में ही करने के कारण यह विलंब हुआ। मैं नहीं समझता हूं कि यह विलंब बहुत अधिक है। लेकिन वास्तव में पहले से स्थापित सभी विद्युत केन्द्र कार्य कर रहे हैं। उत्तर में विवरण दे दिया गया है। इसलिए, मैं समझता हूं कि पूर्ण निर्णयों के कारण कुछेक वर्षों के विलंब से 10,000 मेगावाट का लक्ष्य पूरा हो जायेगा।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

केन्द्रीय विद्यालय संगठन में स्नातकोत्तर शिक्षक (संस्कृत)

*350. श्री शिवाजी पटनायक : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय विद्यालय संगठन में पिछले 5-7 वर्षों से स्नातकोत्तर संस्कृत शिक्षकों की संख्या में उत्तरोत्तर कमी आती रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा इसका क्या औचित्य है; और

(ग) किन-किन केन्द्रीय विद्यालयों में 10+2 स्तर पर विद्यार्थियों को संस्कृत पढ़ाई जा रही है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) से (ग) केन्द्रीय विद्यालयों में स्नातकोत्तर शिक्षकों को "जमा दो" स्तर पर पढ़ाना अपेक्षित होता है। केन्द्रीय विद्यालयों में संस्कृत कक्षा V से कक्षा IX तक अनिवार्य है, परंतु "जमा दो" स्तर पर यह एक वैकल्पिक विषय है। उन केन्द्रीय विद्यालयों में स्नातकोत्तर शिक्षक (संस्कृत) के कुछ पदों को वापिस ले लिया गया है जहां पदों की संस्वीकृति के औचित्य के लिए कोई मांग नहीं थी। तथापि नियमित स्नातकोत्तर शिक्षकों की सेवाओं का सतत रूप से प्रयोग किया जा रहा है और इस कारण इस प्रकार के किसी भी स्नातकोत्तर शिक्षक को मुअत्तिल नहीं किया गया है।

वर्ष-वार स्नातकोत्तर (संस्कृत) शिक्षकों के पदों की संख्या निम्नलिखित है—

वर्ष	पद
1	2
1984-85	80
1985-86	80
1986-87	80

1	2
1987-88	69
1988-89	65
1989-90	65
1990-91	65

उन केन्द्रीय विद्यालयों के नाम नीचे दिये गये हैं जहां स्नातकोत्तर (संकुल) शिक्षकों के पद मंजूर किये गए हैं—

क्रमांक केन्द्रीय विद्यालयों के नाम		क्रमांक केन्द्रीय विद्यालय के नाम	
1	2	1	2
1.	एम० आर० परिसर, अहमदाबाद	2.	ए० एफ० एस, जामनगर नं० 2
3.	नं० 1, उदयपुर	4.	राजकोट
5.	नं० 2, ई० आर० ई०, बड़ोदा	6.	नं० 1 कोलाबा (दो स्नातकोत्तर शिक्षक
7.	नं० 2, देवू रोड	8.	खड़गवासला
9.	नं०1 किर्की	10.	एस० सी० पूणे
11.	नासिक रोड	12.	नं० 1, भुवनेश्वर
13.	बी० एस० एम०, नागपुर	14.	नं० जी० सी० एफ० जबलपुर
15.	नं० 1, इन्दौर	16.	नं 1, झांसी
17.	नं० 1, सागर छावनी	18.	बैरागढ़
19.	फिरोजपुर नं० 1	20.	नं० 1, हलवाड़ा
21.	शिमला	22.	नं० 1, एच० ई० ए० के० देहरादून
23.	ए० एफ० एस० बैरकपुर	24.	नं० 1, बोकारो इस्पात नगर
25.	एंड्रूजगंज	26.	गोल मार्केट
27.	टैगोर गार्डन	28.	बी० के० वी० गाजियाबाद
29.	एन टी० पी० सी० बदरपुर	30.	जालपारा
31.	हब्बल, बंगलोर	32.	नं० 1, गोलकोंडा
33.	पिकेट, सिकन्द्राबाद	34.	ए० एस० सी० बंगलोर
35.	नं० 1, जयपुर	36.	नं० 1, जोधपुर
37.	नं० 1, जमीनगर	38.	कोटा
39.	नं०1 मथुरा	40.	नं० 1 हरिद्वार
41.	रुड़की	42.	नं 2 ए० एस० सी० बरेली

1	2	1	2
43.	नं० 1 जे० आर० सी० बरेली	44.	ए० एम० सी० लखनऊ
45.	नं० 1 चकारी	46.	आई० आई० टी० कानपुर
47.	मनौरी	48.	फतेहगढ़
49.	आई० आई० टी० मद्रास	50.	नं० 1 कल्पकम
51.	ए० एफ० एस० अवधि	52.	नं० 1 तम्बम
53.	नं० 1 कोचीन	54.	पैटमें, त्रिवेन्द्रम
55.	रामगढ़ छावनी	56.	नं० 1 गया
57.	दानपुर छावनी	58.	कंकड़बाग
59.	हिनू रांची	60.	बी० एच० यू० वाराणसी
61.	गोरखपुर	62.	सी० सी० एल० रांची
63.	सी० एफ० एस० जोरहाट	64.	पोर्ट ब्लेयर

कोलाबा स्थित नं० केन्द्रीय विद्यालय, जहां स्कूल में बड़ी संख्या मे कक्षाएं होने के कारण दो पद मंजूर किये हैं, को छोड़कर इनमें से प्रत्येक केन्द्रीय विद्यालय में स्नातकोत्तर शिक्षक (संस्कृत) का एक पद है।

हुसैन सागर में से बुद्ध की प्रतिमा बाहर निकालने के लिए केन्द्रीय सहायता

*352. **श्रीमती टी० मनेम्मा :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बुद्ध की जो विशाल प्रतिमा हैदराबाद में हुसैन सागर में गिर गई थी, उसे बाहर निकाल लिया गया है;

(ख) क्या इस संबंध में राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार से कोई सहायता मांगी है और क्या उसे यह सहायता प्रदान कर दी गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) जी, नहीं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों का सेवानिवृत्ति के पश्चात् सेवा-काल बढ़ाना

*353. **डा० असीम बाल :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के पश्चात् उनके सेवा-काल में वृद्धि किए जाने के संबंध में सरकार के क्या विशिष्ट अनुदेश हैं;

(ख) यह सेवा-काल किन परिस्थितियों में बढ़ाया जाता है;

(ग) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में कर्मचारियों का सेवा-काल बढ़ाए जाने के लिए क्या प्रक्रिया निर्धारित की गई है; और

(घ) क्या सेवानिवृत्ति के पश्चात् जिन कर्मचारियों के सेवा-काल में वृद्धि की जाती है वे एक नियमित कर्मचारी की भांति सभी अधिकारों का उपयोग कर सकते हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागेय गोवर्धन) : (क) से (ग) 1983 में सरकार द्वारा जारी किए गए सेवाकाल में वृद्धि करने/पुनर्नियुक्ति से संबंधित अनुदेशों में निर्दिष्ट किया गया है कि सेवाकाल में वृद्धि करने/पुनर्नियुक्ति के किसी भी अनुरोध को स्वीकार किया जाये। बहरहाल, बहुत ही विरली तथा अपवादात्मक परिस्थितियों में अधिवर्षिता के बाद सेवाकाल में वृद्धि करने के मामलों पर सरकार द्वारा विचार किया जाता है तथा ऐसे सभी मामलों में, जहां सेवाकाल में वृद्धि/पुनर्नियुक्ति से संबंधित किसी कर्मचारी का वेतन 2500 रुपये प्रतिमाह अथवा उससे अधिक नियत किए जाने का प्रस्ताव हो, वहां मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति की स्वीकृति से निर्णय किया जाता है।

(घ) पदधारी अधिकारी उस पद की सभी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है भले ही उसकी नियुक्ति सेवा-काल में वृद्धि करके अथवा पुनर्नियुक्ति के द्वारा की गई हो।

रांची में मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस के कार्यालय की स्थापना हेतु भूमि का अधिग्रहण

[हिन्दी]

*354. **श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रांची जिले के नामकुम क्षेत्र में मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस के कार्यालय की स्थापना के लिए अधिगृहीत की गई 1500 एकड़ भूमि राज्य सरकार को अब वापस की जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राजा रमन्ना) : (क) रांची जिले के नामकुम क्षेत्र में सैन्य इंजीनियर्स सेवा के कार्यालय के लिए कोई भूमि अधिकृत नहीं की गई अथवा पट्टे पर नहीं ली गई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

विजय कीलावरी पर्वत पर बने ऐतिहासिक स्मारकों का संरक्षण

[अनुवाद]

*355. **डा० सुधीर राय** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असामाजिक तत्वों और खजाने की तलाश करने वाले लोगों द्वारा विजय कीलावरी पर्वत पर 10-15 फुट ऊंचे बौद्ध टीले पर स्थित पुरा-स्थलों और स्मारकों को नष्ट किया जा रहा है;

(ख) क्या इस स्थल में सातवाहन ईंटें, लाल पालिश युक्त और डिजाइनदार मिट्टी के बर्तन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इन ऐतिहासिक स्थलों की सुरक्षा के लिए कौन से कदम उठाये हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) उपलब्ध रिपोर्ट के अनुसार आंध्र प्रदेश की विजय कीलादरी पहाड़ी के शिखर पर स्थित प्राचीन स्थल का एक भाग अनधिकृत खुदाई करने के कारण आंशिक रूप से नष्ट हो गया है जबकि टीले के अन्य भाग अन्यथा अक्षत हैं।

(ख) इस प्राचीन स्थल में खोंडालाईट के तराशे हुए शिलाखंड, प्राचीन ईंटें, ऐतिहासिक बरतनों के टुकड़े, चूना पत्थर के आदि हैं। यह स्थल प्रागैतिहासिक काल का लगता है।

(ग) इस स्थल को संरक्षित करने का भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि यह राष्ट्रीय महत्व के स्मारक/स्थल की अपेक्षाओं को पूरा नहीं करता है। राज्य सरकार से उपयुक्त उपाय करने का अनुरोध किया गया है।

कम्प्यूटर मेंटिनेंस कार्पोरेशन लि० में इंजीनियरों की नियुक्ति

*356. **डॉ० बंगाली सिंह** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कम्प्यूटर मेंटिनेंस कार्पोरेशन लि० में हाल में ही लगभग 200 इंजीनियर नियुक्त किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो इनमें अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों का भी कोई उम्मीदवार नियुक्त किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित पद भरने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० एम० जी० के० मेनन) : (क) और (ख) सी० एम० सी० लि० ने जुलाई, 1989 में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के चयन के लिए एक विशेष भर्ती अभियान चलाया था। कई अखबारों और साथ ही रोजगार समाचार में भी विज्ञापन दिए थे। इस बात का उल्लेख किया गया था कि 200 कार्मिकों तक की आवश्यकता पड़ेगी। इसके परिणामस्वरूप, भारत सरकार में लागू छूट तथा अन्य रियायतें देने के उपरांत 24 उम्मीदवार उपयुक्त पाए गए तथा उनकी नियुक्ति की गई। दिनांक 31 मार्च, 1990 की स्थिति के अनुसार इसमें 24 उम्मीदवार नोकरी पर हैं, चार उम्मीदवारों ने नौकरी छोड़ दी है। अप्रैल, 1990 से सामान्य आधार पर अपनी आगे की गई भर्ती में, सी० एम० सी० लि० में 183 इंजीनियरों की नियुक्ति की गई जिनमें अनुसूजित जाति/अनुसूचित जनजाति के दो उम्मीदवार शामिल हैं।

(ग) सरकार के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार दी गई छूट तथा रियायतों के बावजूद, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार अपेक्षित मात्रा में उपलब्ध नहीं थे। किंतु, इस दिशा में कमी को पूरा करने करने के लिए अखबारों में समुचित विज्ञापनों, कार्यालय परिसर में ही

साक्षात्कारों के माध्यम से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए विशेष भर्ती अभियान जैसे उपाय किए जा रहे हैं तथा आगे भी किए जाते रहेंगे।

संस्कृत के विकास की योजनाएं

*357. डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय :
श्री प्यारेलाल खंडेलवाल :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संस्कृत भाषा के विकास एवं प्रचार के लिए तथा संस्कृत के विद्यार्थियों के लिए अन्य स्नातक एवं स्नातकोत्तर व्यक्तियों के समान समुचित रोजगार उपलब्ध कराने हेतु विभिन्न योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान, प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष में इनमें से प्रत्येक योजना के अंतर्गत, राज्यवार, कितनी प्रगति हुई है;

(ग) क्या आकाशवाणी/दूरदर्शन के माध्यम से संस्कृत के अध्यापन की कोई योजना बनाई गई है;

(घ) यदि हां, तो, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) और (ख) विवरण 1 और 2 संलग्न हैं।

(ग) से (ङ) जी, नहीं। दूरदर्शन के माध्यम से संस्कृत शिक्षण को आरंभ करने के लिए कोई सुझाव सरकार के विचाराधीन नहीं है। तथापि, आकाशवाणी 25 केंद्रों से संस्कृत भाषा के शिक्षण के लिए पाठ प्रसारित करती है।

विवरण-1

विभिन्न योजनाओं, जिन्हें मंत्रालय में संस्कृत के विकास व प्रचार के लिए तथा संस्कृत अध्येताओं को लाभकारी रोजगार प्रदान करने के लिए क्रियान्वित किया जा रहा है, के अंतर्गत पिछले तीन सालों तथा चालू वित्तीय वर्ष के दौरान व्यय

(लाख रु० में)

सं० क्र०	योजना का नाम	1987-88 व्यय	1988-89 व्यय	1989-90 व्यय	1990-91 व्यय (अब तक)
1	2	3	4	5	6
1.	संस्कृत के प्रचार व विकास के लिए कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता	59.41	53.34	59.99	14.34

1	2	3	4	5	6
2.	आदर्श संस्कृत पाठशाला/शोध संस्थान के लिए अनुदान	50.97	58.41	75.00	18.50
3.	राष्ट्रीय संस्कृत संगठन को अनुदान	2.70 (करोड़ों में)	2.83 (करोड़ों में)	3.00 (करोड़ों में)	65.00 (लाख में)
4.	दक्कन कालेज, पूना के संस्कृत शब्द-कोश परियोजना के लिए अनुदान	7.37	13.45	14.25	3.00
5.	राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरुपति को अनुदान	—	—	6.00	12.00
6.	श्री लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत विद्यापीठ, नई दिल्ली को अनुदान	—	—	6.95	12.00
7.	दुर्लभ पांडुलिपियों के क्रय व प्रकाशन के अलावा संस्कृत साहित्य का प्रकाशन	25.59	31.12	26.32	5.86
8.	पुरालिपि शास्त्र, शिलालेख शास्त्र आदि-आदि जैसे व्यावसायिक विषयों में स्नातकोत्तर अध्ययन के लिए विशेष अवस्थापना पाठ्यक्रम	2.59	2.56	4.37	कुछ नहीं
9.	वैदिक काव्य-पाठ की मौखिक परंपरा का परीक्षण करना	3.82	3.94	2.15	कुछ नहीं
10.	वक्तृता प्रतिस्पर्धा तथा वैदिक सम्मेलन का आयोजन	1.25	2.14 (1.15+0.99)	3.95 (2.58+1.37)	कुछ नहीं
11.	वैदिक धर्म दाय	50.00	45.00	62.00	33.00
12.	आदर्श संस्कृत पाठशाला तथा अन्य स्वैच्छिक संगठनों के प्रख्यात वयोवृद्ध संस्कृत अध्येताओं को वित्तीय सहायता	5.98	7.96	7.80	कुछ नहीं
		209.68	220.75	271.98	163.70

विवरण-2

संस्कृत के विकास और प्रचार के लिए तथा संस्कृत विद्यार्थियों को लाभकर रोजगार देने के लिए पिछले तीन वर्षों में और चालू वित्तीय वर्ष में भी राज्यवार खर्च (अर्थात् यह केंद्रों के माध्यम से संस्कृत कार्यान्वयन के विकास की योजना के अंतर्गत है)

(लाख रु० में)

क० सं०	राज्यों के नाम	निम्नलिखित वर्षों के दौरान किए गए वास्तविक खर्च			
		1987-88	1988-89	1989-90	1990-91
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	1.85	2.10	1.95	—
2.	असम	1.86	2.71	2.78	—
3.	बिहार	3.57	5.13	5.20	—
4.	गुजरात	0.32	0.26	0.26	—
5.	हरियाणा	0.08	0.11	0.11	—
6.	हिमाचल प्रदेश	0.04	0.42	0.24	1.00
7.	जम्मू और कश्मीर	0.26	0.34	0.38	—
8.	कर्नाटक	7.90	11.90	14.78	—
9.	केरल	1.78	2.85	2.54	—
10.	मध्य प्रदेश	0.52	0.76	0.76	—
11.	महाराष्ट्र	0.62	0.98	0.38	—
12.	मणिपुर	0.20	0.36	0.31	—
13.	मेघालय	0.06	0.08	0.08	—
14.	उड़ीसा	1.38	1.69	2.72	—
15.	पंजाब	0.22	0.08	0.86	—
16.	राजस्थान	0.70	2.26	2.22	—
17.	तमिलनाडु	5.07	7.45	7.68	—
18.	त्रिपुरा	1.02	1.76	1.29	—

1	2	3	4	5	6
19.	उत्तर प्रदेश	2.77	3.55	3.76	—
20.	पश्चिम बंगाल	4.05	6.16	6.22	—
21.	नागालैंड	0.20	0.20	0.20	—
22.	गोवा	0.06	0.12	0.11	0.09
	कुल :	34.33	51.27	54.83	1.09
	केंद्रशासित प्रदेशों के नाम				
1.	दिल्ली	0.55	0.36	0.50	—
2.	दादरा और नगर हवेली	0.05	0.06	0.02	—
3.	पांडिचेरी	0.02	0.07	0.07	—
4.	चंडीगढ़	0.07	—	—	—
	कुल :	0.69	0.49	0.59	—
	कुल योग :	35.02	51.76	55.42	1.09

भारत डेनमार्क समझौते के अंतर्गत कर्नाटक में इलेक्ट्रॉनिक और कम्प्यूटर प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना

*358. श्री बी० एस० बासवराज :

श्रीमती बासवराजेश्वरी :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक में भारत-डेनमार्क समझौते के अंतर्गत कम्प्यूटर प्रशिक्षण के लिए एक टूल रूम और प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की जाएगी;

(ख) यदि हां, तो क्या इस केंद्र में इलेक्ट्रॉनिकी और कम्प्यूटर विज्ञान में प्रशिक्षण दिया जाएगा; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसकी स्थापना पर कुल कितनी धनराशि खर्च होगी और डेनमार्क सरकार द्वारा कितनी सहायता दी जाएगी; और

(घ) इस केंद्र में प्रति वर्ष कितने छात्रों को प्रशिक्षण किया जाएगा ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० एम० जी० के० मेनन) : (क) भारत और डेनमार्क के बीच वर्ष 1989 में हुए करार के अंतर्गत भारत के तीन स्थानों पर टूलरूम तथा प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना करने का प्रस्ताव है, जिनमें से मैसूर, कर्नाटक में एक-एक केंद्र भी शामिल

है। किंतु उपर्युक्त करार के अंतर्गत इलैक्ट्रॉनिकी तथा कम्प्यूटर विज्ञान के लिए प्रशिक्षण सुविधाओं की स्थापना शामिल नहीं है।

(ख) से (घ) ये प्रश्न ही नहीं उठते।

पिछड़े राज्यों का विकास

[हिन्दी]

*359. **श्री महेश्वर सिंह** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केंद्रीय सरकार ने किन-किन राज्यों को पिछड़ा राज्य घोषित किया है; और

(ख) इन राज्यों के उचित विकास के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागेय गोवर्धन) : (क) और (ख) राज्यों को पिछड़े या विकसित रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है। हालांकि, पिछड़े क्षेत्रों के अभिनिर्धारण से संबंधित कार्यदल की रिपोर्ट के आधार पर दिसम्बर, 1969 में 9 राज्यों को अभिनिर्धारित किया गया था जो औद्योगिक विकास के लिए प्रोत्साहनों के रूप में विशेष व्यवहार के पात्र थे। ये राज्य थे—आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, जम्मू व कश्मीर, मध्य प्रदेश, नागालैंड, उड़ीसा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। कुछ अन्य राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को भी औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े हुए राज्यों के रूप में अभिनिर्धारित किया गया था जिनका एक जिला केंद्रीय औद्योगिक राजसहायता और रियायती वित्त का हकदार था।

इसके अतिरिक्त कमजोर संसाधन आधार/राष्ट्रीय औसत से कम प्रति-व्यक्ति आय या विशेष समस्या वाले राज्यों को केंद्रीय सहायता के आबंटन में अधिमानता भी दी जाती है।

गाविलगढ़ किला, अमरावती में स्मारकों का संरक्षण

*360. **श्री सुदाम देशमुख** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरावती जिले में चिखलधरा गिरी स्थित गाविलगढ़ किले में ऐतिहासिक स्मारक नष्ट होते जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो उनकी वर्तमान स्थिति क्या है और सरकार ने उनके संरक्षण के लिए क्या कदम उठाए हैं;

(ग) क्या पुरातत्व विभाग ने वहां पर्यटकों के प्रवेश पर रोक लगा दी है;

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ङ) पर्यटकों के लिए इस स्थल को सुगम बनाने हेतु वहां सुविधाएं प्रदान करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क और (ख) अमरावती जिले में गाविलगढ़ अथवा गाविलगढ़ किला, चिखलधारा प्रारक्षित अरण्य क्षेत्र में स्थित है, चार दीवारी के कुछ भाग घने पेड़-पौधों के उगने से प्रभावित हुए हैं जबकि अन्य भागों के संरक्षण की आवश्यकता है। चालू वित्तीय वर्ष के संरक्षण कार्यक्रम में इस स्मारक को शामिल किया गया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) इस स्मारक तक पक्की सड़क जाती है।

मध्य प्रदेश के रीवा जिले में सेना के जवानों द्वारा चांदमारी

*361. **श्री यमुना प्रसाद शास्त्री** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के रीवा जिले के गुढ़ और बदवार गांवों के पास की पहाड़ियों में पिछले कई वर्षों से सेना द्वारा चांदमारी का अभ्यास किया जाता रहा है;

(ख) इसके परिणामस्वरूप कितने व्यक्ति हताहत हुए हैं;

(ग) क्या सरकार का सेना द्वारा इस अभ्यास का स्थल बदल कर अन्यत्र किसी उपयुक्त स्थान पर, विशेषकर उत्तर प्रदेश के बांदा जिले से लगे हुए वनक्षेत्र में और मध्य प्रदेश के रीवा जिले में करने का विचार है, ताकि वहां फैले डाकुओं के आतंक को समाप्त किया जा सके; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राजा रमन्ना) : (क) मध्य प्रदेश के रीवा फील्ड फायरिंग रेंज में सेना 1972 से चांदमारी का अभ्यास करती आ रही है। गुढ़ और बदवार गांवों के पास की पहाड़ियां इस रेंज के क्षेत्र का एक भाग हैं।

(ख) पिछले पांच वर्षों के दौरान 3 मारे गए और 5 घायल हुए।

(ग) और (घ) इस रेंज को किसी अन्य स्थान पर ले जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

न्यायालयों में विचाराधीन सेवा संबंधी मामले

*362. **श्री हर्ष वर्धन** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 जुलाई, 1990 की स्थिति के अनुसार उच्चतम न्यायालय तथा विभिन्न उच्च न्यायालयों में रक्षा अधिकारियों/जवानों के सेवा संबंधी कितने मामले विचाराधीन हैं;

(ख) क्या सरकार रक्षा अधिकारियों/जवानों के सेवा संबंधी मामलों को किसी आंतरिक प्रक्रिया के माध्यम से निपटाने के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था करने के बारे में विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राजा रमन्ना) : (क) 31-7-1990 की स्थिति के अनुसार उच्चतम न्यायालय में 103 मामले और विभिन्न उच्च न्यायालयों में 1237 मामले विचाराधीन हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शिक्षा संबंधी लक्ष्य

*363. श्री फूल चंद वर्मा :
श्री संजय लाल :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान व्यावसायिक शिक्षा, नवोदय विद्यालयों की स्थापना, साक्षरता अभियान चलाए जाने तथा निरक्षरता के उन्मूलन से क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं;

(ख) इस संबंध में प्रत्येक क्षेत्र में कितने प्रतिशत सफलता प्राप्त हुई है; और

(ग) इन लक्ष्यों को प्राप्त न कर पाने के क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) सातवीं योजना अवधि के दौरान निम्नलिखित लक्ष्य थे—

(i) व्यावसायिकरण : व्यावसायिक शिक्षा द्वारा वर्ष 1990 तक +2 स्तर पर 10 प्रतिशत छात्र शामिल किए जाने हैं।

(ii) नवोदय विद्यालय : प्रत्येक जिले में औसतन एक नवोदय विद्यालय खोला जाएगा।

(iii) ओपरेशन ब्लैक बोर्ड : मार्च, 1990 तक सभी सामुदायिक विकास खंडों और नगर क्षेत्रों को शामिल करना।

(iv) निरक्षरता का उन्मूलन : सातवीं योजना अवधि के दौरान (1985-90) 490.48 लाख निरक्षर प्रौढ़ों को दाखिल करना।

(ख) प्रत्येक क्षेत्र में प्राप्त की गयी सफलता की प्रतिशतता :

(i) व्यावसायिकरण : +2 स्तर पर 1990 तक लगभग 4% छात्रों को शामिल कर लिया गया था।

(ii) नवोदय विद्यालय : देश में 454 जिलों में से 261 जिलों में नवोदय विद्यालय खोल दिए गए थे अर्थात् इस लक्ष्य का 57.5% प्राप्त कर लिया गया।

(iii) ओपरेशन ब्लैक बोर्ड : वर्ष 1989-90 के अंत तक 64.05% सामुदायिक विकास खंड और 20.30% नगर क्षेत्रों को शामिल कर लिया गया था।

(iv) निरक्षरता का उन्मूलन : वर्ष 1985-90 तक 396.24 लाख निरक्षर प्रौढ़ों को दाखिल किया गया था जो इस लक्ष्य का 80.79% निकलता है।

(ग) वे कारण जिनकी वजह से ये लक्ष्य प्राप्त नहीं किए जा सके :

व्यावसायिकरण के अंतर्गत लक्ष्यों की उपलब्धता में अन्य बातों के साथ-साथ अधिकांश व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए प्रशिक्षुता संबंधी सुविधाओं, प्रौद्योगिकी क्षेत्रों के साथ समुचित संबंध, व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण सुविधाओं के अभाव के कारण बाधा

उत्पन्न हुई। नवोदय विद्यालय और ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की योजनाओं के लिए कमी का मुख्य कारण संसाधनों की कृत्रिम बाधा है। निरक्षण के उन्मूलन के लिए मुख्य कारण निरक्षरों में गतिशीलता का अभाव, कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए स्थानीय समुदाय की अपर्याप्त सहभागिता, संचार माध्यमों के अपर्याप्त समर्थन की कमी है।

केन्द्रीय विद्यालय संगठन के सदस्य

*364. श्री अमृतलाल वल्लभदास तारवाला : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय विद्यालय संगठन के सदस्यों और इसकी 'गवर्निंग बाडी' के सदस्यों की संख्या नियमों में निर्धारित की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इन दोनों संगठनों के वर्तमान सभी सदस्यों संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन दोनों संगठनों में कर्मचारियों के प्रतिनिधित्व हेतु क्या उपबंध किए गए हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) से (ग) जी, हां केन्द्रीय विद्यालय संगठन और इसके शासी बोर्ड की संरचना केन्द्रीय विद्यालय संगठन की नियमावली के नियम-3 और 19 में निर्धारित की गयी है। इन दोनों निकायों की संबद्ध नियमावली और इनके वर्तमान सदस्यों को दर्शाने वाले विवरण 1 और 2 क्रमशः संलग्न हैं।

(घ) वर्तमान में इन संगठनों में कर्मचारियों के प्रतिनिधित्व का कोई प्रावधान नहीं है। केन्द्रीय विद्यालय संगठन के शासी बोर्ड ने 22-8-1990 को हुई इसकी बैठक में इस मामले पर विचार किया है। इसमें कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।

विवरण-1

केन्द्रीय विद्यालय संगठन की संरचना

नियम संख्या	नियमों के प्रावधान	वर्तमान नियुक्ति/मनोनयन
1	2	3
3 (क) (1)	केन्द्रीय विद्यालय संगठन के प्रभारी शिक्षा तथा युवा रोजगार मंत्रालय में मंत्री या राज्य मंत्री या उपमंत्री	श्री चिमन भाई मेहता मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री
3 (क) (2)	शिक्षा मंत्रालय का एक अधिकारी	श्री एस० गोपालन, अपर सचिव, शिक्षा विभाग मानव संसाधन विकास मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।

1	2	3
3 (क) (3)	शिक्षा मंत्रालय में वित्तीय सलाहकार	श्री एल० एस० नारायण, वित्तीय सलाहकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, शिक्षा विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली ।
3 (क) (4)	मुख्य कल्याण अधिकारी, कार्मिक विभाग	श्री बी० के० डे मुख्य कल्याण अधिकारी, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, निर्वाचन सदन, नई दिल्ली
3 (क) (5)	रक्षा मंत्रालय का प्रतिनिधि	श्री एल० के० कक्कर, निदेशक (टी० एंड सी०) रक्षा मंत्रालय, साऊथ ब्लाक, नई दिल्ली
3 (क) (6)	शिक्षा निदेशक सेना मुख्यालय	मेजर जनरल के० एन० सरदाना वी० एस० एम०, सेना शिक्षा का निदेशक, सेना मुख्यालय, नई दिल्ली
3 (क) (7)	शिक्षा निदेशक नौ सेना मुख्यालय	कप्तान पी० के० रामास्वामी नौ सेना शिक्षा का निदेशक, नौ सेना मुख्यालय, नई दिल्ली
3 (क) (8)	शिक्षा निदेशक वायु सेना मुख्यालय	ए० बी० एम० रतनम् शिक्षा निदेशक, वायु सेना मुख्यालय, नई दिल्ली
3 (क) (9)	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का प्रतिनिधि	श्री बलबीर सिंह उप सचिव, स्वास्थ्य एवं कल्याण मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली।
3 (क) (10)	निर्माण तथा आवास मंत्रालय का प्रतिनिधि	श्री जी० एस० राव, उप सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली ।
3 (क) (11)	अध्यक्ष, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड	डा० एच० एस० सिंह, अध्यक्ष, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, प्रीत विहार, नई दिल्ली ।

1	2	3
3 (क) (12)	निदेशक राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद	निदेशक, एन० सी० ई० आर० टी० श्री अरविंदो मार्ग, नई दिल्ली
3 (क) (13)	दो शिक्षा सचिव	सचिव, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, बिहार सरकार।
3 (क) (14)		सचिव, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, कर्नाटक सरकार।
3 (क) (15)	दो जन शिक्षा निदेशक	डा०एस० भराली, लोक शिक्षा निदेशक, आसाम सरकार।
3 (क) (16)		श्री एम० एल० चंद्रकीर्ती, लोक शिक्षा आयुक्त, कर्नाटक सरकार।
3 (क) (17)	दो अन्य शिक्षाविद्	प्रो० एच० पी० खरे, भूतपूर्व अध्यक्ष/विज्ञान संकाय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय और भूतपूर्व यू० जी० सी० का सदस्य
3 (क) (18)		श्री एम० एल० बाखरी, प्रधानाचार्य, वायु सेना विद्यालय, सुब्रत पार्क, नई दिल्ली।
3 (क) (19)	तीन संसद सदस्य (दो लोक सभा से तथा एक राज्य सभा से)	श्री राम कृष्ण मोरे संसद सदस्य, लोक सभा, नई दिल्ली
3 (क) (20)		रिक्त
3 (क) (21)		श्री एम० पलनियंदी संसद सदस्य, राज्य सभा
3 (क) (22)	संगठन का आयुक्त	श्री डी० एस० मुखोपाध्याय, आई० ए० एस०, आयुक्त, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, नई दिल्ली
3 (क) (23)	संगठन का उपायुक्त (प्रशा०)	श्री पुरण चंद, उपायुक्त (प्रशा०) केन्द्रीय विद्यालय संगठन, नई दिल्ली

1	2	3
3 (ख)	भारत सरकार किसी भी समय, किसी दूसरे व्यक्ति को या व्यक्तियों को सदस्य या संगठन के सदस्य के रूप में नियुक्त कर सकती है।	1. श्रीमती सत्य बहीन, संसद सदस्य, राज्य सभा, नई दिल्ली 2. श्री सीता राम राय, प्रधानाचार्य, सरदार पटेल इंटर कालेज, ब्रह्मपुरी, मेरठ 3. डा० आर० सी० शर्मा, भूतपूर्व आयुक्त, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, नई दिल्ली। 4. श्री एल० ए० व्यास, 33, नशवीला रोड, देहरादून 5. श्री सिडनी रिबेयरे युवा रोजगार का विभागाध्यक्ष, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली।

विवरण-2

शासी बोर्ड की संरचना

नियम सं०	नियमों के प्रावधान	वर्तमान नियुक्ति/मनोनयन
1	2	3
19 (1)	संगठन का अध्यक्ष, केन्द्रीय विद्यालय योजना का प्रभारी, मानव संसाधन विकास मंत्रालय में मंत्री, या राज्य मंत्री या उप मंत्री	श्री चिमनभाई, मेहता मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री
19 (2)	उपाध्यक्ष होने के लिए भारत सरकार द्वारा निर्दिष्ट अधिकारी	श्री एस० गोपालन, अतिरिक्त सचिव, शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली
19 (3)	शिक्षा एवं युवा रोजगार मंत्रालय का वित्तीय सलाहकार या उसका प्रतिनिधि	श्री एल० एस० नारायण, वित्तीय सलाहकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, शिक्षा विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली

1	2	3
19 (4)	रक्षा मंत्रालय का प्रतिनिधि	श्री एल० के० कक्कर, निदेशक (टी० एंड सी०) रक्षा मंत्रालय, साऊथ ब्लाक, नई दिल्ली
19 (5)	मुख्य कल्याण अधिकारी कार्मिक विभाग	श्री बी० के० डे मुख्य कल्याण अधिकारी, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, निर्वाचन सदन, नई दिल्ली
19 (6)	निदेशक राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद	निदेशक राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, श्री अरबिन्दो मार्ग, नई दिल्ली।
19 (7)	भारत सरकार द्वारा शिक्षा एवं युवा रोजगार मंत्रालय में संगठन के सदस्य के रूप में नामजद जन शिक्षा निदेशक या राज्य सरकार का शिक्षा निदेशक	श्री एम० एल० चंद्रकीर्ती, आयुक्त/जन शिक्षा निदेशक, कर्नाटक सरकार, बंगलौर
19 (8)	भारत सरकार द्वारा शिक्षा एवं युवा रोजगार मंत्रालय में संगठन के सदस्य के रूप में नामजद राज्य सरकार का एक शिक्षा सचिव	सचिव, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, बिहार सरकार, पटना।
19 (9)	संगठन के एक या एक से अधिक सदस्य, जिन्हें समय-समय पर इस उद्देश्य के लिए शिक्षा एवं युवा रोजगार मंत्रालय में भारत सरकार द्वारा नामजद किया जाना चाहिये।	(i) श्री सिडमी रिवेयरे प्रभारी उपाध्यक्ष, युवा संस्कृति कार्यक्रम, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली (ii) श्री सीता राम राय, प्रधानाचार्य, सरदार पटेल इंटर कालेज, ब्रह्मपुरी, मेरठ
19 (10)	भारत सरकार द्वारा शिक्षा एवं युवा रोजगार मंत्रालय में इस उद्देश्य के लिए नामजद किये जाने वाले संसद सदस्यों में, से एक ऐसा सदस्य जो संगठन का एक सदस्य है।	रिक्त

1	2	3
19 (11)	संगठन का आयुक्त	श्री डी० एस० मुखोपाध्याय, आई० ए० एस० आयुक्त केन्द्रीय विद्यालय संगठन, नई दिल्ली
19 (12)	उपायुक्त (प्रशासन) और संगठन का पदेन सचिव	श्री पुरण चंद उपायुक्त (प्रशासन) केन्द्रीय विद्यालय संगठन, नई दिल्ली।

दिल्ली में प्रदूषण-रहित पर्यावरण को बढ़ावा देना

[अनुवाद]

*365. प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान दिल्ली में प्रदूषण रहित पर्यावरण को बढ़ावा देने संबंधी कार्यक्रम को लागू करने के लिए दिल्ली प्रशासन को वर्षवार कितनी वित्तीय सहायता दी गई;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इस कार्यक्रम पर वास्तव में कितनी धनराशि खर्च हुई;

(ग) उक्त अवधि के दौरान यदि बिना खर्च हुए कोई राशि रह गई है तो उसका ब्यौरा क्या है और इसको खर्च न किए जाने के क्या कारण हैं;

(घ) उक्त अवधि के दौरान किए गए कार्यों का वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार को उक्त धनराशि के खर्च किए जाने में हुई अनियमितताओं/कदाचारों के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(च) इन मामलों में दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री नीलमणि राउतराय) : (क) दिल्ली प्रशासन द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान प्रदूषण रहित पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए पर्यावरण और वन मंत्रालय की केन्द्रीय स्कीम सहित अन्य स्कीमों के लिए स्वीकृत परिव्यय के ब्यौरे नीचे दिये गये हैं—

वर्ष	योजना परिव्यय (लाख रुपये में)	केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीम (लाख रुपये में)
1987-88	73.28	10.00
1988-89	107.70	7.00
1989-90	221.25	5.00

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान खर्च किया गया वास्तविक व्यय का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

वर्ष	योजना परिव्यय (लाख रुपये में)	केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीम (लाख रुपये में)
1987-88	82.42	14.25
1988-89	72.20	10.00
1989-90	208.58	5.00

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान उपयोग में नहीं लाई गई निधियों के ब्यौरे नीचे दिये गये हैं—

वर्ष	योजना परिव्यय (लाख रुपये में)	केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीम (लाख रुपये में)
1987-88	0.53	शून्य
1988-89	36.34	शून्य
1989-90	27.15	शून्य

वर्ष 1987-88 और 1988-99 में व्यय केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के तहत रिलीज की गई राशि से अधिक हुआ है।

यह पाया गया है कि कुछ योजना स्कीमों में संबंधित विभाग ने पूरी धनराशि को उपयोग में नहीं लाया है। निधियों का उपयोग न करने का मुख्य कारण विभिन्न पदों को भरने और वाहन एवं उपकरण के इंतजाम में विलंब होना है।

(घ) दिल्ली प्रशासन ने विशेषज्ञ निकायों के जरिये वायु प्रदूषण के बारे में दो अध्ययन करवाए हैं। उनकी सिफारिशों को कार्य दल द्वारा केन्द्र शासित प्रदेश दिल्ली में वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए अमल में लाया जा रहा है।

दिल्ली प्रशासन ने प्रदूषण रहित पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए पेड़ लगाए हैं जिसके ब्यौरे निम्नलिखित हैं :

वर्ष	लगाए गए पेड़ों की संख्या (लाख रु० में)
1987-88	39.47
1988-89	65.90
1989-90	43.00

परिवहन निदेशालय 1987 से "मोटर वाहनों के उत्सर्जनों से होने वाले वायु प्रदूषण के नियंत्रण" के लिए एक स्कीम को अमल में ला रहा है।

1988 में 91,500 वाहनों के उत्सर्जनों की जांच के लिए निशुल्क सुविधा मुहैय्या की गई और जनवरी, 1989 से मार्च, 1990 तक 2,42,500 वाहनों की जांच की गई।

दिल्ली प्रशासन ने एक स्कीम आरंभ की है जिसके तहत प्रदूषण नियंत्रण उपकरण के लागत के 50 प्रतिशत की दर से आर्थिक सहायता दी जाती है बशर्ते यह राशि 50,000 रुपए से अधिक न हो।

वजीरपुर औद्योगिक क्षेत्र में एक बहिस्राव शोधन संयंत्र लगाया जा रहा है जिसके लिए लागत का 50 प्रतिशत आर्थिक सहायता दी जा रही है।

(ङ) कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

केरल में केरल औद्योगिक तथा तकनीकी परामर्श सेवा संगठन द्वारा औद्योगिक एककों का अध्ययन

*366. श्री ए० चार्ल्स : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्रीय सरकार ने केरल में औद्योगिक एककों का अध्ययन करने का काम केरल औद्योगिक तथा तकनीकी परामर्श-सेवा संगठन को सौंपा था;

(ख) यदि हां, तो क्या केरल औद्योगिक तथा तकनीकी परामर्श-सेवा संगठन ने अपनी रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को दे दी है;

(ग) यदि हां, तो इसके मुख्य निष्कर्ष क्या हैं; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा कौन से उपचारात्मक उपाय किए जा रहे हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० एम० जी० के० मेनन):(क) जी, हां। केरल में विदेशी सहयोग पर आधारित औद्योगिक यूनिटों पर वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग (विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय) ने केरल इंडस्ट्रियल एंड टेक्नीकल कंसलटेंसी आरगेनाईजेशन (के० आई० टी० सी० ओ०) के माध्यम से एक अध्ययन प्रारंभ किया है।

(ख) से (घ) के० आई० टी० सी० ओ० ने उनके द्वारा किये गये अध्ययन पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है। रिपोर्ट की मुख्य बातें इस प्रकार हैं : मशीनरी और अन्य कलपुर्जे, कच्ची सामग्री, प्रक्रम की तकनीकी जानकारी और परीक्षण और प्रमाणन (सर्टीफिकेशन) की आपूर्ति जैसे क्षेत्रों में यद्यपि कुछ फर्में अभी भी अपने सहयोगियों पर निर्भर थीं, फिर भी पिछले कुछ वर्षों में निर्भरता कम होती पाई गई है। सरकारी विनियमों और अनुसंधान तथा विकास की गतिविधियों में सुधार द्वारा इसकी गति तीव्र की जा सकती है।

उद्योग में अनुसंधान और विकास को उन्नत करने और आयातित प्रौद्योगिकी को अपनाने के लिए सरकार ने कई उपाय विकसित किये हैं। प्राप्त किए गए अनुभवों के आधार पर इनकी समीक्षा

और संशोधन किया जा रहा है। ऐसा इसलिए है कि सफलताओं, विसफलताओं, अनुभवों (सीखे गए पाठों) इत्यादि सहित विदेशी सहयोगियों और उद्योग के विशिष्ट क्षेत्रों के लिए ऐसे क्षेत्रवार अध्ययन शुरू हों। सरकार द्वारा किए गए उपायों तथा रिपोर्ट के परिणामों को उद्योगों के बीच विस्तार से प्रचारित-प्रसारित करने के लिए प्रयास किए जाते हैं।

पंजाब में जिला योजना बोर्डों को आवंटन

3992. बाबा सुच्चा सिंह : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब में जिला योजना बोर्डों को 1989-90 और 1990-91 के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई; और

(ख) विभिन्न उत्पादक और गैर-उत्पादक सेवा योजनाओं में कितनी धनराशि खर्च की गई है अथवा करने का विचार किया गया है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री और कार्यक्रम कार्यान्वियन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागेय गोवर्धन) : (क) राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, राज्य में वर्ष 1989-90 के दौरान जिला आयोजना बोर्डों के अधिकार में 14.47 करोड़ रुपए की राशि निर्बंध धनराशि के रूप में दी गई थी। वर्ष 1990-91 के दौरान जिला स्तर पर कार्यान्वियन हेतु विकेन्द्रित विभिन्न विकास कार्यक्रमों/स्कीमों के अंतर्गत 255.50 करोड़ रु० की धनराशि जिलों के लिए सुपुर्दगी के रूप में निर्धारित की गई है।

(ख) राज्य सरकार ने सूचित किया है कि अधिकांश निवेश उत्पादक सैक्टर में किए जा रहे हैं। पूंजी/परिसंपत्तियों के सृजन और मानव संसाधन विकास पर ही व्यय किया गया और इन्हीं पर किया जाना है।

पब्लिक स्कूल

3993. श्री शांतिलाल पुरुषोत्तमदास पटेल : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वी दिल्ली में तथाकथित कितने पब्लिक स्कूल हैं, उनके नाम क्या हैं, ये कहां-कहां स्थित हैं, इनमें कितने छात्र-छात्राएं हैं तथा इनके प्रिंसिपलों के नाम क्या हैं;

(ख) इनमें से कितने स्कूल मान्यता प्राप्त हैं और कितने स्कूल मान्यता प्राप्त करने की प्रतीक्षा कर रहे हैं; और

(ग) इन्हें मान्यता न दिए जाने के क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) से (ग) दिल्ली प्रशासन के अभिलेखों के अनुसार पूर्वी दिल्ली में निम्नलिखित वे स्कूल हैं जो अपने नाम के आगे "पब्लिक स्कूल" लिखते हैं।

क्र० सं०	पब्लिक स्कूल का नाम तथा स्थान	विद्यार्थियों की कुल संख्या	प्रधानाचार्य का नाम
1	2	3	4
1.	तक्षशिला पब्लिक स्कूल ज्योति नगर, दिल्ली	594	श्री जी० वी० एस० अहलूवालिया
2.	क्राउन पब्लिक स्कूल, बृजपुरी	511	श्री पी० डेविड
3.	गुरु हरिकृष्ण पब्लिक स्कूल, लोनी रोड	1258	श्री ओ० एस० प्रेम
4.	लिटिल फ्लावर पब्लिक स्कूल शिवाजी पार्क	1014	श्री डी० आर० पटेल
5.	नवीन भारती पब्लिक स्कूल बलबीर नगर	210	श्री पी० एस० आत्रे
6.	नेशनल विक्टर पब्लिक स्कूल मौजपुर	1231	श्रीमती कृष्णावती
7.	सरदार पटेल पब्लिक स्कूल करावल नगर	799	मोहम्मद जहीद खान
8.	केन्टबरी पब्लिक स्कूल यमुना विहार	366	श्रीमती यू० मुद्‌गल
9.	शिशु निकेतन पब्लिक स्कूल नॉर्थ घोंडा	434	श्रीमती सविता पांडेय
10.	शिशु ज्ञान पब्लिक स्कूल कबूल नगर	66	श्री बी० शर्मा
11.	के० डी० फील्ड पब्लिक स्कूल नवीन शाहदरा	284	श्री आर० एस० गुप्ता
12.	विद्या विहार पब्लिक स्कूल नवीन शाहदरा	288	श्रीमती प्रेम भटनागर
13.	ऐंग्लो इंडियन पब्लिक स्कूल नॉर्थ घोंडा	357	श्री हर प्रसाद
14.	यूनीवर्सल पब्लिक स्कूल मौजपुर	214	श्रीमती उषा रानी

1	2	3	4
15.	आकाशद्वीप पब्लिक स्कूल दयालपुर	374	श्री विजय वीर सिंह
16.	केपिटल पब्लिक स्कूल गंगा विहार	425	श्रीमती नीता सिंह
17.	एस० आर० केपीटल पब्लिक स्कूल, नवीन शाहदरा	292	श्रीमती एस०के० यादव
18.	तीतीक्षा पब्लिक स्कूल करावल नगर	437	श्रीमती उमा शर्मा
19.	बाबरपुर माडल पब्लिक स्कूल बाबरपुर	250	श्रीमती आशा रानी
20.	लवली रोज पब्लिक स्कूल बृजपुरी	336	श्रीमती शान्ती देवी
21.	अभीनव भारती पब्लिक स्कूल उत्तरी घोंडा	170	श्रीमती कमलेश
22.	हेप्पी टाईम पब्लिक स्कूल भजनपुरा	250	श्रीमती राजरानी शर्मा
23.	विश्व भारती पब्लिक स्कूल गंगा विहार	167	श्री त्रिभुवन तिवारी
24.	एस०डी० पब्लिक स्कूल भजनपुरा	195	श्रीमती राधा बाई
25.	देव पब्लिक स्कूल रोहतास नगर	286	श्रीमती शशि शरण
26.	सुंदर पब्लिक स्कूल, भजनपुरा	110	श्रीमती एस० गुप्ता
27.	नीति पब्लिक स्कूल, समयपुर	281	श्री एस० कुमार
28.	लकपत मेमोरियल पब्लिक स्कूल, दुर्गा नगर	140	श्रीमती बिमला शर्मा
29.	ग्यान ज्योति पब्लिक स्कूल गंगा विहार	156	श्री लाका सिंह
30.	शिव मेमोरियल पब्लिक स्कूल गोकुल पुरी	500	श्री आर० एस० रस्तोगी

1	2	3	4
31.	पलोटो पब्लिक स्कूल, योजना विहार	387	श्रीमती एस० सेठी
32.	ग्रीन फील्ड पब्लिक स्कूल, विवेक विहार	2188	श्रीमती एम० पांडेय
33.	सिद्धार्थ इंटर पब्लिक स्कूल बी० नगर	1485	श्रीमती नाहरया
34.	ऐंजेल पब्लिक स्कूल सहदेव गली, विश्वास नगर	517	श्रीमती शशि राघु
35.	सेंट विवेकानन्द पब्लिक स्कूल विवेक विहार	1510	श्रीमती भल्ला
36.	सीटी पब्लिक स्कूल, विश्वास नगर	357	श्रीमती गुलबहार
37.	वधमेश पब्लिक स्कूल विवेक विहार	217	श्रीमती सिंह
38.	सोनिया पब्लिक स्कूल दुर्गापुरी एक्सटेंशन	158	श्रीमती शर्मा
39.	सेंग नर्सरी पब्लिक स्कूल बी० विहार	310	श्रीमती एस० शर्मा
40.	सेंट लारेंस पब्लिक स्कूल दिलशाद गार्डन	257	श्रीमती मेहरा
41.	आर्यन पब्लिक स्कूल जी० टी० रोड, दिलशाद गार्डन	360	
42.	योगावे पब्लिक स्कूल राम नगर एक्सटेंशन	203	श्रीमती गुप्ता
43.	पुनीत पब्लिक स्कूल, विश्वास नगर	210	श्रीमती लक्ष्मी शर्मा
44.	मुक्ता भारती पब्लिक स्कूल मन्नू कालोनी	217	श्रीमती देवी सिंह
45.	शिव मेरी पब्लिक स्कूल गोकुल पुरी	343	श्रीमती मिथिलेश रानी

1	2	3	4
46.	न्यू केम्ब्रीज पब्लिक स्कूल जनक नगर	320	
47.	शकुन्तलम पब्लिक स्कूल बी० विहार	247	श्रीमती चौधरी
48.	कृष्णा बुध पब्लिक स्कूल ओल्ड सीमापुरी	265	श्रीमती युक्ती शर्मा
49.	बाल कन्वेंट पब्लिक स्कूल ओल्ड सीमापुरी	265	श्रीमती शर्मा
50.	के० बी० विद्या मंदिर पब्लिक स्कूल, मानसरोवर पार्क	309	श्रीमती जानकी
51.	अबनेव पब्लिक स्कूल दिलशाद गार्डन	256	—
52.	अरविंद पब्लिक स्कूल, दुर्गा पुरी	316	श्रीमती कांता कुमार मक्कड़
53.	फोरा दाला पब्लिक स्कूल दिलशाद गार्डन	210	श्रीमती गुप्ता
54.	डी० ए० वी० पब्लिक स्कूल सरस्वती विहार	217	श्रीमती भाटिया
55.	गुरु हरगोविंद पब्लिक स्कूल, हरगोविंद इंक्लेव, विकास मार्ग	247	श्रीमती कौर
56.	संत अरविंद पब्लिक स्कूल, आनन्द विहार	259	
57.	रानी शारदा पब्लिक स्कूल, विश्वास नगर	237	श्रीमती भारद्वाज
58.	लवली पब्लिक स्कूल, नया लायलपुर	525	श्रीमती एस० नारंग उप प्रधानाचार्य
59.	भारत नेशनल पब्लिक स्कूल, बुजपुर	481	श्रीमती के० कौर
60.	लवली पब्लिक स्कूल, प्रियदर्शनी विहार	540	श्रीमती एस० डी० मलिक
61.	वनस्थली पब्लिक स्कूल, मधु विहार	341	श्रीमती सुदेश कुमारी
62.	लक्ष्मी पब्लिक स्कूल, लक्ष्मी नगर	119	श्रीमती निर्मल मसीन उप प्रधानाचार्य

1	2	3	4
63.	बाल भवन पब्लिक स्कूल, लक्ष्मी नगर	300	श्रीमती सरोज गुप्ता
64.	यूनिवर्सल पब्लिक स्कूल, प्रीत विहार	360	श्रीमती मंजीर कौर
65.	श्री डी० ए० वी० पब्लिक स्कूल, दयानन्द विहार	936	श्रीमती एस० अरोड़ा
66.	भारती पब्लिक स्कूल, राधेश्याम पार्क	371	श्रीमती कविता अरोड़ा
67.	माडर्न मांटेसरी पब्लिक स्कूल, अनार कली, दिल्ली	351	श्रीमती कमलेश लव
68.	दिल्ली कान्वेंट पब्लिक स्कूल, पांडव नगर	349	श्रीमती आशा अरोड़ा
69.	प्रति पब्लिक स्कूल, प्रीत विहार	206	श्रीमती एस० के० अग्रवाल
70.	समराइज पब्लिक स्कूल, लक्ष्मी नगर	212	श्रीमती एस० भट्टार
71.	मदर टेरेसा पब्लिक स्कूल, प्रीत विहार	121	श्रीमती मीता जैत्थी
72.	ग्रीन लाइट पब्लिक स्कूल, गीता कालोनी	125	श्रीमती के० मेहूदीरत्ता
73.	भाई लालो पब्लिक स्कूल, गीता कालोनी	84	श्रीमती शशि बाल आर्य
74.	ज्ञान दीप पब्लिक स्कूल, शिवपुरी, दिल्ली-51	158	श्रीमती इन्दिरा गुप्ता
75.	बैंहलुन पब्लिक स्कूल, मयूर विहार	323	श्रीमती आर० के० शर्मा
76.	फ्लोरेन्स पब्लिक स्कूल, प्रताप नगर, दिल्ली-91	445	श्रीमती गीत रवि कुमार
77.	ईस्ट प्वाइंट पब्लिक स्कूल, प्रीत विहार	47	—
78.	लकी पब्लिक स्कूल, मंडावली, फाजलपुर	125	—
79.	इन्दिरा मैमोरियल पब्लिक स्कूल, मंडावली, फाजलपुर	103	श्री गोपाल शर्मा
80.	विगलो पब्लिक स्कूल, कृष्ण नगर	309	श्रीमती मधु गोगिया
81.	सेंट एण्ड्रयूज स्काट पब्लिक स्कूल, जगतपुरी	270	श्रीमती प्रेम लता
82.	मयूर पब्लिक स्कूल, पूर्वी विनोद नगर	206	श्रीमती शकुन्तला
83.	सेंट जी वर्गीस पब्लिक स्कूल, कल्याण वास	160	कु० एलिजाबेथ मैथ्यू
84.	कैरियर पब्लिक स्कूल, झील	450	श्रीमती नीत भारद्वाज
85.	नव जीवन पब्लिक स्कूल, गौतमपुरी	390	श्री धन देव रस्तोगी
86.	एवर ग्रीन पब्लिक स्कूल, पश्चिम आजाद नगर	210	श्रीमती प्रीमीग्राम
87.	ग्रीन लैण्ड पब्लिक स्कूल, राजगढ़ कालोनी	170	श्रीमती राधा गुप्ता

1	2	3	4
88.	अंजु पब्लिक स्कूल, गांधी नगर	158	श्रीमती कंचन
89.	पूजा पब्लिक स्कूल, ब्रह्मपुरी	310	श्री मनेश कुमार
90.	ज्ञान सरोवर पब्लिक स्कूल, शाहदरा	210	श्री मोहन लाल
91.	ब्रह्मपुरी पब्लिक स्कूल, ब्रह्मपुरी	315	श्री एस० सिंह
92.	राजा स्मारक शिक्षा समिति पब्लिक स्कूल, कृष्णा नगर	311	श्री अनूप सिंह
93.	भारती पब्लिक स्कूल, राजा गढ़	312	श्री एन० बत्रा
94.	संध्या पब्लिक स्कूल, चौहान नगर, दिल्ली	340	श्रीमती संध्या देवी
95.	बाल भवन पब्लिक स्कूल, गांधी नगर	200	श्री जी० सी० लागन

उपरोक्त उल्लिखित 95 स्कूलों में से 10 स्कूलों को दिल्ली स्कूल शिक्षा अधिनियम, 1973 तथा उसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों को पूरा करने की विभिन्न औपचारिकताओं तथा अपेक्षाओं के लम्बित पड़े होने के कारण अभी तक मान्यता प्रदान नहीं की गई है।

अम्बाला छावनी में गिरफ्तार किए गए सैन्य कार्मिक

3994. **श्री कृपाल सिंह** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूनिट 24 मिडियम रेजिमेंट (एम० पी०) अम्बाला छावनी के नायक और जवान रैंक के कुछ सैन्य कार्मिक को 24 फरवरी, 1986 को अम्बाला छावनी में गिरफ्तार किया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) इस मामले की वर्तमान स्थिति क्या है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राजा रमन्ना) : (क) जी, हां। केवल एक नायक गिरफ्तार किया गया और उसे सैनिक हिरासत में रखा गया।

(ख) और (ग) उसका आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने का संदेह था और इसलिए उसे सेना अधिनियम की धारा 125 के अंतर्गत सैनिक हिरासत में रखा गया। सिविल और सतर्कता एजेंसियों द्वारा छानबीन करने के बाद मामले की जांच की गई और अन्ततः उसे सेना अधिनियम के अंतर्गत 25-8-1986 को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। बर्खास्तगी के पश्चात् यह पता चला कि उसे सिविल पुलिस ने गिरफ्तार किया था लेकिन बाद में कुरुक्षेत्र के सिविल कोर्ट ने उसके विरुद्ध चलाया गया मामला खारिज कर दिया था और उसे छोड़ दिया गया। उसके बाद उसने सेना से अपनी बर्खास्तगी के विरुद्ध पंजाब और हरियाणा के उच्च न्यायालय में एक सिविल रिट याचिका दायर की जिस पर अभी सुनवाई होनी है।

बायोटेक्नोलॉजी एंड थर्ड वर्ल्ड

3995. श्री शान्ताराम पोटदुखे :

श्री सनत कुमार मंडल :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को "बायोटेक्नोलॉजी आफ वर्ल्ड" नामक रिपोर्ट की जानकारी है, जिसके अनुसार "जीन" की कालाबाजारी करने वालों के लिए कुछ शक्तिशाली जैव-रासायनिक प्रविधियां सहायक सिद्ध हो रही हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को "जीनों" की कालाबाजारी में शामिल किसी भारतीय कंपनी के बारे में पता चला है;

(ग) यदि हां, तो पकड़े गए ऐसे मामलों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में क्या सुधारात्मक कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार किया गया है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० एम० जी० के० मेनन) : (क) जी हां,

(ख) जी नहीं,

(ग) और (घ) उपर्युक्त (ख) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

केन्द्रीय सरकार के उद्यमों के निदेशकों के संबंध में सरकारी उद्यमों की स्थायी परामर्श-समिति का अध्ययन

3996. श्री सनत कुमार मंडल : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी उद्यमों की स्थायी परामर्श-समिति द्वारा किये गये अध्ययन के अनुसार केन्द्रीय सरकार के उद्यमों के निदेशकों में दायित्व निर्वहन भावना का भारी अभाव है;

(ख) यदि हां, तो बोर्ड में निर्णय लेने, प्रभाव तथा नियंत्रण की दृष्टि से दायित्व निर्वहन के किन-किन विभिन्न पहलुओं पर सरकारी उद्यमों की स्थायी परामर्श-समिति ने चिन्ता प्रकट की है; और

(ग) इस संबंध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागेय गोवर्धन) : (क) सरकारी उद्यमों के स्थाई सम्मेलन (स्कोप) द्वारा किए गए अध्ययन से केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के सरकारी निदेशकों के दायित्व निर्वहन में किसी प्रकार के गंभीर अभाव का पता नहीं चलता है परन्तु इसमें उक्त पद्धति को बेहतर बनाने की आवश्यकता का उल्लेख है।

(ख) और (ग) इस अध्ययन में वांछनीय उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कुछ उपाय सुझाए गए हैं तथा ये अधिकांश उपाय अस्सी के दशक के प्रारंभ में आर्थिक प्रशासन सुधार आयोग द्वारा किए गए

अध्ययन में पहले से ही शामिल हैं। सरकार ने आर्थिक प्रशासन सुधार आयोग की सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं तथा उनके बारे में सरकारी निदेशकों को अवगत करा दिया गया है।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में सार्वजनिक निवेश के लिए मानदंड

3997. **श्री के० एस० राव** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड के भूतपूर्व चेयरमैन के नेतृत्व में गठित कार्यदल ने आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में सार्वजनिक निवेश के लिए नए मानदंड सुझाये हैं;

(ख) यदि हां, तो सार्वजनिक निवेश के लिए सुझाये गए नए मानदंडों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन सुझावों पर सरकार ने क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागेय गोवर्धन) : (क) और (ख) आठवीं योजना तैयार करने के लिए योजना आयोग द्वारा शुरू की गई कारंवाई के अंग के रूप में, सरकारी उद्यमों के प्रबन्धन के संबंध में एक कार्यदल गठित किया गया था। इस कार्यदल के अध्यक्ष भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड के भूतपूर्व अध्यक्ष श्री वी० कृष्णमूर्ति थे। कार्यदल ने अपनी रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ नए सार्वजनिक निवेश के लिए निम्नलिखित मापदंडों की सिफारिश की है—

(i) कि ऐसा निवेश नीति अथवा कार्यनीति के आधार पर वस्तुतः आवश्यक है;

(ii) कि सरकार के बजट पर भार कम से कम हो;

(iii) कि आय की आंतरिक दर मात्र सीमान्त न होकर अच्छी हो। जिस मामले में निम्न आय-निवेश का अनुमोदन किया जाय, उसमें संगत उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अदा की जाने वाली आर्थिक कीमत की स्पष्ट रूप से पहचान की जानी चाहिए।

(iv) कि सार्वजनिक निवेश का अर्थ सरकार का पूरा स्वामित्व नहीं होना चाहिए; और

(v) कि आयात प्रतिस्थापन की लागत के संबंध में सावधानीपूर्वक विचार किया जाना चाहिए "मेक" अथवा "बाई" के प्रश्न की जांच प्रत्येक मामले में की जानी चाहिए परंतु इनमें से किसी भी विकल्प के पूर्ण आर्थिक प्रभावों का भी ध्यान रखा जाना चाहिए।

(ग) आठवीं योजना में निवेश संबंधी कार्यनीतियां तैयार की जा रही हैं। योजना के ब्यौरों को अन्तिम रूप देते समय इस कार्यदल की सिफारिशों को ध्यान में रखा जाएगा।

तेन्दु पत्तों की तस्करी

[हिन्दी]

3998, **श्री साइमन मरांडी** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के छोटा नागपुर-सन्थाल परगना क्षेत्र से पश्चिम बंगाल को "तेन्दु पत्तों" की तस्करी की जा रही है जो कि स्थानीय लोगों के हितों के लिए हानिकारक सिद्ध हो रही है;

(ख) क्या सरकार का विचार इस तस्करी को रोकने के लिए इस क्षेत्र में एक बीड़ी कारखाने की स्थापना करने का है; और

(ग) यदि हां, तो कब और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री नीलमणि राउतराय) : (क) स्थानीय लोगों की मदद से बिहार के छोटानागपुर तथा सन्थाल परगना क्षेत्र से पश्चिम बंगाल को तेन्दु पत्तों की तस्करी किए जाने के बारे में छुट-पुट घटनाओं का पता चला है।

(ख) और (ग) राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार आधारभूत सुविधाओं की कमी के कारण निकट भविष्य में इस क्षेत्र में बीड़ी फैक्टरी लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

गरीबाबंद वन क्षेत्र में काला तेन्दुआ

[अनुवाद]

3999. श्री परसराम भारद्वाज : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रायपुर के गरीबाबंद वन क्षेत्र में, एशिया में लुप्तप्राय जाति का काला तेन्दुआ हाल ही में देखा गया था;

(ख) क्या मध्य भारत के जंगलों में इस प्रकार के दुर्लभ जानवर का देखा जाना पूर्णतः आश्चर्यजनक घटना मानी जा रही है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री नीलमणि राउतराय) : (क) काला तेन्दुआ कोई प्रजाति नहीं है बल्कि सामान्य तेंदुए की ही कृष्ण वर्णीय अभिव्यक्ति है। कुछ माह पूर्व एक काला तेंदुआ मध्य प्रदेश में रायपुर जिले के गरीबाबंद वन में देखा गया था।

(ख) और (ग) जी हां। मध्य भारत में बहुत कम काले तेंदुए देखे गए हैं।

दिल्ली प्रशासन में प्रधानाचार्यों के पद पर पदोन्नति

[हिन्दी]

4000. श्री कालका दास : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले अनेक वर्षों से दिल्ली प्रशासन, दिल्ली के उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में, प्रधानाचार्य के ग्रेड में तदर्थ आधार पर ही नियुक्ति कर रहा है;

(ख) क्या पदोन्नति संबंधी समितियों में संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य सम्मिलित किया जाता है; और

(ग) क्या उन व्यक्तियों को छोड़कर, जिनकी वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों में प्रतिकूल टिप्पणियां दर्ज होती हैं, शेष व्यक्तियों की वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति की जाती है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) जी, हां।

(ख) नितांत रूप से तदर्थ पदोन्नतियां करते समय संघ लोक सेवा आयोग को शामिल करना अपेक्षित नहीं है।

(ग) ये पदोन्नतियां वरिष्ठता-एवं-उपयुक्तता के आधार पर की जाती हैं और नितांत रूप से तदर्थ होती हैं।

भर्ती और पदोन्नतियों के नियमों में छूट

[अनुवाद]

4001. श्री कैलाश मेघवाल : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने केन्द्रीय सरकार की मंजूरी से आयोग में कर्मचारियों की भर्ती और पदोन्नतियों संबंधी मामलों में पात्रता की शर्तों में छूट देना आरंभ कर दिया है;

(ख) यदि नहीं, तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम अथवा उसके अंतर्गत बनाये गये किन-किन प्रावधानों के अंतर्गत ऐसा शर्तों में छूट दी जा रही है; और

(ग) इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) और (ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी की गई सूचना के अनुसार भारत सरकार द्वारा 19 मई, 1983 में अधिसूचित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (भर्ती) नियमावली में अन्य बातों के साथ-साथ यथा प्रवत्त भर्ती की आयु सीमा तथा अर्हताओं में छूट देने के प्रावधान के संबंध में आयोग शक्तियों का प्रयोग करता रहा है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

केरल के विश्वविद्यालयों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सहायता

4002. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान केरल, कालीकट, कोचीन और महात्मा गांधी विश्वविद्यालयों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा कुल कितनी राशि का अनुदान दिया गया;

(ख) क्या इन विश्वविद्यालयों में से किसी विश्वविद्यालय से अनुदान राशि में वृद्धि करने का कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या निर्णय लिया है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) से (ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विश्वविद्यालयों को वर्ष-दर-वर्ष के आधार पर अनुदानों का आवंटन नहीं करता, बल्कि, पंचवर्षीय योजना के लिए यह आवंटन करता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार केरल में विश्वविद्यालयों को सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान निम्नलिखित अनुदान प्रदान किए गए :

(रुपए लाख में)

विश्वविद्यालय का नाम	7वीं योजना में जारी अनुदान
कालीकट विश्वविद्यालय, कालीकट	205.47
कोचीन विश्वविद्यालय, कोचीन	347.03
केरल विश्वविद्यालय, त्रिवेन्द्रम	381.98
गांधी जी विश्वविद्यालय, कोट्टायम	53.85

गांधी जी विश्वविद्यालय केवल वर्ष 1988-89 से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अनुदान प्राप्त करने का पात्र बना। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को केरल के सभी विश्वविद्यालयों से आठवीं योजना के प्रस्ताव मिले हैं। आयोग ने विश्वविद्यालयों की आठवीं योजना के प्रस्तावों को अन्तिम रूप नहीं दिया है। फिर भी, आठवीं योजना के आवंटनों के सातवीं योजना के आवंटनों से कम होने की उम्मीद नहीं है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग शिक्षा वृत्ति

[हिन्दी]

4003. श्री राम सागर (सैदपुर) : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को वर्ष 1989-90 के दौरान गाजियाबाद जिले में धोखाधड़ी से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की शिक्षा वृत्ति प्राप्त करने के लिए कुछ व्यक्तियों के प्रयासों के संबंध मे शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इस मामले की जांच की है; और

(ग) दोषी पाये गए व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) और (ख) ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार को गाजियाबाद में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की शिक्षावृत्ति देने में तथाकथित धोखाधड़ी के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

वसन्त कुंज, नई दिल्ली के नजदीक एटोमिक एक्सेलेटर स्ट्रक्चर्स

[अनुवाद]

4004. श्री भवानी शंकर होटा : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वसन्त कुंज, जे० एन० यू० छात्र होस्टलों और नई दिल्ली में कर्मचारियों के रिहायशी आवास के नजदीक 'ऐटोमिक एक्सेलेटर स्ट्रक्चर्स' और विशिष्ट सुविधाओं का निर्माण किया है;

(ख) यदि हां, तो इस स्थापना का पूरा ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने किसी दुर्घटना की स्थिति में दिल्ली की आबादी, पानी और बिजली की सप्लाई पर, होने वाले संभावित खतरे और इस एकक द्वारा छोड़े जाने वाले 'रेडियेशन' स्तर के प्रतिकूल प्रभाव, विशेषकर शिशुओं पर, को भी ध्यान में रखा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० एम० जी० के० मेनन) : (क) परमाणु ऊर्जा विभाग ने वसन्त कुंज, जे० एन० यू० कैम्पस, नई दिल्ली के समीप किसी परमाणु त्वरित्र अथवा उससे संबद्ध संरचनाओं का निर्माण नहीं किया है। तथापि, उपर्युक्त स्थान पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का न्यूक्लियर साइंस सेन्टर एक पेलेट्रान त्वरक सुविधा स्थापित कर रहा है।

(ख) उपर्युक्त सुविधा की स्थापना से संबंधित कार्य निदेशालय, न्यूक्लियर साइंस सेन्टर, जे० एन० यू० कैम्पस, पोस्ट बाक्स सं० 10502, नई दिल्ली-110067 द्वारा किया जा रहा है।

(ग) और (घ) ये त्वरक सुविधायें पूरी तरह से सुरक्षित हैं तथा इनसे आसपास की आबादी, जल अथवा बिजली की सप्लाई को खतरा नहीं है। यह स्पष्ट किया जाता है कि उपर्युक्त सुविधा एक निम्न ऊर्जा वाला त्वरक है रिएक्टर नहीं।

रोजगार कार्ड

[हिन्दी]

4005. **श्री बाला साहिब विखे पाटिल :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने रोजगार कार्ड जारी करने की कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो इसके उद्देश्य क्या हैं;

(ग) क्या पहले भी ऐसी कोई योजना थी; और

(घ) यदि हां, तो पिछली और वर्तमान योजनाओं में अंतर क्या है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागेय गोवर्धन) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) वर्तमान में एक परिपाटी यह है कि रोजगार के कतिपय क्षेत्रों में कामगारों को एक परिचय-पत्र दिया जाता है जिसमें उन्हें तथा उनके आश्रितों को कल्याणकारी/सामाजिक सुरक्षा लाभ को प्राप्त करने में सहायता मिलती है तथा उनकी सुरक्षा तथा रक्षा सुनिश्चित होती है। उदाहरणार्थ, बीड़ी कामगार कल्याण कोष नियम, 1978 में एक प्रावधान है कि बीड़ी निर्माण में लगी किसी स्थापना, कारखाना मालिक अथवा ठेकेदार प्रत्येक कर्मचारी को एक पहचान-पत्र जारी करेंगे। कान्ट्रैक्ट लेबर (विनियम तथा उन्मूलन) अधिनियम, 1970 में भी ठेकेदार द्वारा कर्मचारियों को रोजगार कार्ड जारी किए जाने का प्रावधान है, अन्तरमाईग्रन्ट कामगार (सेवा शर्तें) अधिनियम, 1979 में प्रत्येक अंतर्राज्यीय माईग्रन्ट कामगार को पास बुक जारी करने का प्रावधान है।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता।

गरीबों के लिए योजनाएं

[अनुवाद]

4006. श्री मनोरंजन भक्त : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने के लिए कोई नई आर्थिक योजनाएं तैयार करने का है;

(ख) यदि हां, तो इन योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसी योजनाओं के अंतर्गत क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागेय गोवर्धन) : (क) से (ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, सरकार मुख्य रूप से उत्पादक रोजगार के अवसर अधिकतम करके गरीबों के आर्थिक उन्नयन के लिए एक व्यापक कार्यक्रम की उम्मीद करती है। ब्यौरे, आठवीं पंचवर्षीय योजना दस्तावेज में समाविष्ट किए जायेंगे।

मिश्र धातु निगम लिमिटेड के एकक का विस्तार

4007. श्री राजामोहन रेड्डी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हैदराबाद स्थित मिश्र धातु निगम लिमिटेड में वर्ष 1989-90 में धातु विज्ञान संबंधी सामग्री का कितना कारोबार हुआ;

(ख) क्या निर्यात आर्डर पूरा करने के लिए हैदराबाद स्थित मिश्र धातु निगम लिमिटेड के एकक का विस्तार करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राजा रमन्ना) : (क) वर्ष 1989-90 के दौरान मिश्र धातु निगम लिमिटेड, हैदराबाद ने 41.69 करोड़ रुपए (अनन्तिम) की लागत के धातुकर्मीय उत्पादों की बिक्री की।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

मध्य प्रदेश में वनों में स्थित गांवों का विकास

[हिन्दी]

4008. श्री एस० सी० वर्मा : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के आदिवासी तथा अनुसूचित जाति बहुल वनों में स्थित 1354 गांवों में विकास के लिए केंद्रीय सरकार को कोई योजना भेजी है ;

(ख) प्रस्तावित योजना की अनुमानित लागत कितनी है और केंद्रीय सरकार ने पिछले तीन वर्षों के दौरान इसके लिए कितनी धनराशि दी है; और

(ग) क्या केंद्रीय सरकार ने वर्ष 1988-89 के बाद कोई अनुदान नहीं दिया है; यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री मौलबनि सरतराय) : (क) केंद्रीय सरकार को मध्य प्रदेश सरकार से इस प्रकार की कोई स्कीम प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) और (ग) सातवीं पंचवर्षीय योजना में वन ग्रामों के विकास के लिए केंद्रीय सरकार कोई स्कीम लागू नहीं कर रही है।

इलेक्ट्रॉनिक सामान के उत्पादन के लिए विशेष सहायता

[अनुवाद]

4009. श्री पी० सी० थामस : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का इलेक्ट्रॉनिक सामान के उत्पादन को अधिक महत्ता देने और इलेक्ट्रॉनिक उद्योग को प्रोत्साहन देने का विचार है;

(ख) क्या सरकार का ऐसे उद्योगों को शुरू करने के लिए विशेष सहायता और प्रोत्साहन देने का विचार है; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) केरल में सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र में बड़े इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार का केरल में इलेक्ट्रॉनिक सामान का उत्पादन करने वाली कुछ नई फैक्टरियां शुरू करने का विचार है; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० एम० जी० के० मेनन) : (क) और (ख) इलेक्ट्रॉनिक उद्योग को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सरकार ने कई उपाय पहले से ही शुरू कर दिए हैं। ब्यौरे (संलग्न विवरण-I) में दिए गए हैं।

(ग) केरल में सार्वजनिक क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र में बड़े पैमाने की इलक्ट्रॉनिक इकाइयों और जिन वस्तुओं के लिए उन्हें लाइसेंस प्रदान किए गए हैं, उनके ब्यौरे संलग्न विवरण-2 में दिए गए हैं।

(घ) केरल में नई इलेक्ट्रॉनिक इकाई शुरू करने के बारे में इस समय सरकार के पास कोई विशिष्ट प्रस्ताव नहीं है। जब भी कोई आवेदन-पत्र प्राप्त होता है तो उसके गुण-दोषों के आधार पर उस पर अनुकूल दृष्टि से विचार किया जाएगा।

विवरण-I

देश में इलेक्ट्रॉनिक उद्योग को सुदृढ़ करने के लिए नीति विषयक निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :—

(1) एक ही लाइसेंस के अंतर्गत कई श्रेणी की वस्तुओं का निर्माण करने के लिए लाइसेंस जारी किए जाते हैं।

(2) इलेक्ट्रॉनिक संघटक-पुर्जा उद्योग को लाइसेंस मुक्त कर दिया गया है।

(3) इलेक्ट्रॉनिकी के सभी क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी के आयात करने तथा विदेशी सहयोग करने की अनुमति प्रदान की जाती है। जिन यूनिटों में विदेशी साम्या-पूंजी (इक्विटी) 40 प्रतिशत से कम है उन्हें सभी क्षेत्रों में अनुमति प्रदान की जाती है।

(4) लघु उद्योग के विकास को बढ़ावा दिया जा रहा है। राज्य स्तरीय उद्योग निदेशालयों के स्तर पर अनेक वस्तुओं के अनुमोदनों को विकेंद्रीकृत किया गया है। इस क्षेत्र के लिए पूंजी निवेश की सीमा बढ़ाकर 35 लाख रुपये तथा सहायक इकाइयों के लिए सीमा बढ़ाकर 45 लाख रुपये कर दी गयी है।

(5) महत्वपूर्ण क्षेत्रों में कम लागत पर अधिक उत्पादन का लक्ष्य हासिल करने की दृष्टि से जिन संघटक-पुर्जों को लघु उद्योग क्षेत्र के लिए आरक्षित किया गया था, उन्हें अनारक्षित कर दिया गया है।

(6) उपभोक्ता इलैक्ट्रॉनिकी को छोड़कर, इलैक्ट्रॉनिकी के लगभग सभी क्षेत्रों में, एकाधिकार प्रतिबंधनकारी व्यापार पद्धति के अंतर्गत आने वाली कंपनियों को एकाधिकार प्रतिबंधनकारी व्यापार पद्धति अधिनियम की धारा 21 तथा 22 के अंतर्गत अनुमति प्राप्त करने से छूट की गई है।

(7) टेलीफोनों, इलैक्ट्रॉनिक निजी स्वचालित शाखा एक्सचेंजों (ई० पी० ए० बी० एक्स), दूर मुद्रकों, प्रतिदर्श उपस्करों, आंकड़ा संचार टर्मिनलों आदि के विनिर्माण के लिए निजी क्षेत्र की इकाइयों को अनुमति प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त, 2000 लाइनों से कम क्षमता वाले कुछ स्विचन उपस्करों और 120 ध्वनि/आंकड़ा चैनलों से कम क्षमता वाले सम्प्रेषण उपस्करों के विनिर्माण की अनुमति भी निजी क्षेत्र में दी जाती है। निजी क्षेत्र केंद्रीय/राज्य सरकार की सहभागिता से, जिसमें कम से कम 51 प्रतिशत साम्या पूंजी शेयर हो, अन्य दूरसंचार की वस्तुओं का निर्माण भी कर सकता है।

(8) कम्प्यूटर उद्योग के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर के समतुल्य मूल्य पर अद्यतन प्रौद्योगिकी पर आधारित कम्प्यूटरों के विनिर्माण पर बल दिया जाता है तथा आर्थिक व्यवहार्यता के अनुरूप क्रमिक रूप से स्वदेशीकरण की प्रक्रिया में वृद्धि को बढ़ावा दिया जाता है।

(9) उत्पादन तथा साफ्टवेयर निर्यात को बढ़ावा देने के लिए नई सॉफ्टवेयर नीति की घोषणा की गई है। इस नीति के अनुसार और सरकार द्वारा बाद में लिए गए निर्णय के अनुसार, निर्यात के प्रयोजन से हार्डवेयर के आयात, विदेशों में विपणन संबंधी व्यय के लिए विदेशी मुद्रा की मुक्त रूप से अनुमति, भारत में संयुक्त उद्यमों की स्थापना और विदेशों में स्थित कंपनियों का अधिग्रहण खुले सामान्य लाइसेंस के अंतर्गत सॉफ्टवेयर का आयात और आंकड़ा संचार सम्पर्क के माध्यम से सॉफ्टवेयर का निर्यात के रूप में सॉफ्टवेयर उद्योग को विभिन्न प्रकार के प्रोत्साहन दिए जाते हैं।

(10) इलैक्ट्रॉनिकी विभाग आंकड़ा संचार सम्पर्क के माध्यम से शत प्रतिशत-निर्यात के लिए साफ्टवेयर विकास एककों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के उद्देश्य से भुवनेश्वर, पुणे तथा बंगलौर में सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्कों की स्थापना कर रहा है।

(11) कच्ची सामग्रियां, संघटक पुर्जों तथा पूंजीगत उपस्कर पर लगने वाले आयात शुल्क को घटा दिया गया है। संघटक पुर्जा उद्योग के लिए कच्ची सामग्रियों, कल-पुर्जों तथा अर्ध-विनिर्मित वस्तुओं पर लगने वाले शुल्क को तर्कसंगत बनाया गया है।

(12) उत्पादन में वृद्धि करने की दृष्टि से आयात नीति को तर्कसंगत बनाया गया है।

(13) सरकार इलैक्ट्रॉनिकी के समुचित अनुप्रयोगों को बढ़ावा दे रही है ताकि उत्पादकता, गुणवत्ता, सुरक्षा तथा मरम्मत-सेवा की गुणवत्ता में सुधार लाया जा सके।

(14) नितनूतन खोज, उत्पाद डिजाइन तथा विकास और प्रौद्योगिकी विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रौद्योगिकी विकास परिषद, राष्ट्रीय रेडार परिषद, राष्ट्रीय सूक्ष्म इलेक्ट्रॉनिकी परिषद तथा इलैक्ट्रॉनिक सामग्री विकास परिषद (ई० एम० डी० सी०) द्वारा कई परियोजनाएं शुरू हो गई हैं क्योंकि एक स्वस्थ इलैक्ट्रॉनिकी उद्योग के विकास के लिए ये आधारभूत आवश्यकताएं हैं।

(15) पहले से सुनिश्चित किए गए क्षेत्रों में अनुसंधान तथा विकास कार्य करने के लिए प्रायोगिक सूक्ष्म तरंग इलैक्ट्रॉनिकी इंजीनियरी तथा अनुसंधान संस्था (समीर), राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी केंद्र, (एन० सी० एस० टी०), टेलीमैटिक्स विकास केंद्र, (सी-डॉट), उन्नत अभिकलन प्रौद्योगिकी केंद्र (सी० डैक) सामग्री विकास के लिए इलैक्ट्रॉनिकी सामग्री प्रौद्योगिकी केंद्र और कई इलैक्ट्रॉनिकी अनुसंधान तथा विकास केंद्रों आदि जैसे विभिन्न अनुसंधान केंद्र और प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं, क्योंकि एक स्वावलम्बी औद्योगिक आधार विकसित करने का यह भी एक उपाय है।

(16) जिन वस्तुओं की उत्पादन-क्षमता सुस्थापित हो गई है उनके प्रयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयात नीति की आवधिक समीक्षा की जाती है।

(17) इलैक्ट्रॉनिक संघटक-पुर्जों तथा उपस्करों के निर्यात के मामले में जहाज पर्यंत निःशुल्क निर्यात मूल्य का 12 प्रतिशत नकद मुआवजा सहायता के रूप में उपलब्ध है। जहां तक कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर के मामले में नकद मुआवजा सहायता का प्रश्न है, यह विदेशी मुद्रा की शुद्ध आय का 10% है।

(18) इलैक्ट्रॉनिक संघटक-पुर्जों तथा उपस्करों के निर्यात पर आयात प्रतिपूर्ति जहाज पर्यंत निःशुल्क निर्यात मूल्य के 20% की दर से उपलब्ध है। कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर के निर्यात मामले में प्रतिपूर्ति लाइसेंस का मूल्य विदेशी मुद्रा की शुद्ध आय का 10% है।

(19) इलैक्ट्रॉनिकी के क्षेत्र में की सरलीकृत ब्रांड दर निर्धारण योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है।

(20) इलैक्ट्रॉनिकी विभाग के अंतर्गत स्थापित तीन भारतीय प्रयोगशालाओं अर्थात्, दिल्ली, कलकत्ता तथा बंबई स्थित इलैक्ट्रॉनिकी क्षेत्रीय परीक्षण प्रयोगशालाओं को अंतर्राष्ट्रीय इलैक्ट्रॉनिकी-तकनीकी आयोग गुणवत्ता निर्धारण प्रणाली, जेनेवा द्वारा स्वतंत्र परीक्षण

प्रयोगशालाओं के रूप में प्राधिकृत किया गया है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ, जापान, दक्षिण कोरिया, जर्मन संघीय गणराज्य, ग्रेट ब्रिटेन तथा अन्य यूरोपीय देशों सहित 24 सदस्य देशों को निर्यात करने के उद्देश्य से इलैक्ट्रॉनिक संघटक-पुर्जों का परीक्षण करके प्रमाणित कर सकते है।

विवरण-2

क्र० सं०	निर्माता का नाम	वस्तु का नाम
1	2	3
1.	आस्ट्राल वाच लि० (टी० डी०एम० यूनिट) कसरागोड	टेप डेक मेकेनिज्म
2.	बी० पी० एल० इंडिया लि०, पालघाट	श्याम/श्वेत टी०-वी०/डेपीप्लिलेटर
3.	बी० पी० एल० सैम्यो टेक्नॉलोजीस लि०, पालघाट	रेडियो कैसेट रेकार्डर्स श्याम/श्वेत टी० वी०
4.	बी० पी० एल० सिस्टम्स एंड प्रोजेक्ट्स लि०, पालघाट	कैसेट टेप रेकार्डर्स/प्लेयर्स इलैक्ट्रॉनिक ई० पी० ए० बी० एक्स इलैक्ट्रॉनिक फोर वायर ग्रुप सेलेक्टर पावरलाइन कैरियर उपस्कर/सहायक उपकरण पावरलाइन संरक्षी रिलेकरण उपस्कर इलैक्ट्रॉनिक टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट मल्टीप्लेयर तथा होल पी० सी० बी० के जरिए लेपित
5.	सेंतरी पेरीफरल्स लि० कालीकट	फ्लॉपी डिस्केट
6.	गार्जियन कंट्रोल्स लि०, कोचीन	रिफ्लेट
7.	ए० डी० करेंट कंट्रोल्स (इंडिया) लि०, कालाकुडी	टाको जनरेटर्स इलैक्ट्रॉनिक रेगुलेटर सहित ए० डी० क्लच
8.	गार्जियन कंट्रोल्स लि०, कोचीन	व्यावसायिक ग्रेड के रिले
9.	इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज लि०, पालघाट	इलैक्ट्रॉनिक एक्सचेंज
10.	केल्ट्रॉन कम्पोनेंट कॉम्प्लेक्स लि०, कन्नौर	अल एल कैपेसिटर
11.	केल्ट्रॉन कंट्रोल्स, त्रिवेंद्रम	जल/पेय क्वालिटी विश्लेषक प्रोग्रामेबल लाजिक नियंत्रक इलैक्ट्रो न्यूमेटिक कंवर्टर

1	2	3
		इलैक्ट्रॉनिक ट्रांसमीटर
		बिनेरी प्रोसेस कंट्रोलर
		बिनेरी प्रोसेस मॉनीटर
		पैनल माउंटेड इंस्ट्रूमेंट
		न्यूमेडिक एक्टर्स
		पैनल कंसोल
		एनालोग इलैक्ट्रॉनिक कंट्रोल माड्यूल
		डैटा एक्विजीशन सिस्टम मॉड्यूल
		डिस्ट्रीब्यूटेड डिजीटल कंट्रोल सिस्टम
12.	केल्ट्रॉन काउंटर्स लि०, त्रिवेंड्रम	पैनल जनरेटर
		एजीमूथ इंडीकेटर
		फोर शिफ्ट काउंटर
		इलैक्ट्रो मैगनेटिक काउंटर
		लो कोस्ट काउंटर
		मीजरिंग काउंटर
		रेवोल्यूशन काउंटर
		स्ट्रोक काउंटर
		ओथ किट बी०
		बी० आई० एम० एस०
		कलेक्टर रिंग बोक्स/स्लिप रिंग बोक्स
		माउंटिंग ऑफ रेडक्शन गेयर यूनिट
		कल पुर्जे
		टेक्सटाइल काउंटर
		स्पीडोमीटर
		डिजिट पहिए
		माउंटिंग ब्रेकेट/सॉकेट असेम्बली
		इलैक्ट्रोमेग ट्रांसमीटर
13.	केल्ट्रॉन क्रिस्टल्स लि०, कन्नूर	डिमोडल इलैक्ट्रॉनिक मशीनें
		कलाई घड़ियों तथा दीवार घड़ियों के लिए क्वार्ट्ज क्रिस्टल
		संचार के लिए क्वार्ट्ज क्रिस्टल
14.	केल्ट्रॉन इलैक्ट्रो सेरामिक्स लि०, कुट्टीपुरम	थर्मिस्टर
		सेरामिक कैपेसिटर

1	2	3
15.	केल्ट्रॉन मेगनेटिक्स लि०, कन्नौर	अनइन्ट्रप्टेबल पावर सप्लाई सिस्टम सर्वो कंट्रोल्ड वोल्टेज स्टेबलाइजर रंगीन टी०वी० डिलेक लाइन
16.	केल्ट्रॉन पावर डेवाइसिस लि०, त्रिचुर	पावर ट्रांजिस्टर
17.	केल्ट्रॉन रेक्टिफायर्स लि०, त्रिचुर	ट्रैक्शन इंडस्ट्रियल इलैक्ट्रॉनिक ट्रैक्शन तथा इंडस्ट्रियल रेक्टिफायर
18.	केल्ट्रॉन रेजिस्टर लि०, कन्नोर	कार्बन फिल्म रेजिस्टर मेटल फिल्म रेजिस्टर
19.	केरल स्टेट इलैक्ट्रॉनिक्स डेव० कार्पो० लि०, कालीकट	श्याम/श्वेत टी० वी०
20.	केरल स्टेट इलैक्ट्रॉनिक्स डेव० कार्पो० लि०, त्रिवेंद्रम	श्याम/श्वेत टी० वी० रंगीन टी० वी० पी० सी० एम० मल्टीप्लेक्सिंग टर्मिनल डाइरेक्ट रिसेप्शन सिस्टम रेडियो नेटवर्क टर्मिनल स्टूडियो ब्राडकास्टिंग उपस्कर इलैक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट फॉर डिफेंस पी० सी० बी० एस०
21.	माइक्रोवेव प्रोडक्ट (इंडिया) लि०, त्रिचुर	पी० सी० बी० एस०
22.	आई० एन० कनेक्टर्स लि०, कोचीन	सर्कुलर कनेक्टर फ्लोट केबल कनेक्टर रैक तथा पैनल कनेक्टर प्रिंटेड सर्किट बोर्ड कनेक्टर हैवी ड्यूटी कनेक्टर टर्मिनल कनेक्टर
23.	ओ० ई० एन० माइक्रो सिस्टम्स लि०, कोचीन	टर्मिनल के लिए विकल्प प्रिंटर्स वीडियो टर्मिनल फ्लॉपी डिस्क ड्राइव प्रोमप्रोग्रामर की-बोर्ड कम्प्यूटर पेरीफरल

1	2	3
24.	सिडकेल टेलीविजन लि०, मंजेरी	श्याम/श्वेत टी० वी० रंगीन टी० वी०
25.	टाटा केल्ट्रॉन लि०, पालघाट	पुश बटन टेलीफोन
26.	ट्रांसमेटिक सिस्टम्स लि०, त्रिवेंद्रम	इन सर्किट एमुलेटर्स; एम० पी० बेस्ड टर्मिनल कन्वर्टर डेजी व्हील तथा डॉटमेट्रिक्स प्रिंटर माडेम्स
27.	यूनाइटेड इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीस लि० जिलोन	कार्बन फिल्म रेजिस्टर प्लास्टिक फिल्म कैपेसिटर

स्कूलों में कम्प्यूटर शिक्षा प्रारम्भ करना

4010. श्री हरीश पाल : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्यवार कितने स्कूलों में कम्प्यूटर शिक्षा प्रारंभ की जायेगी अथवा प्रारंभ की जा चुकी है; और

(ख) इनमें से कितने स्कूल विशेष रूप से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में स्थित हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) स्कूलों में संगणक शिक्षा और अध्ययन परियोजना के अंतर्गत 2,598 माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक स्कूलों को संगणक लगाने के लिए चुना गया है। इन स्कूलों का राज्य/संघ शासित क्षेत्र-वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों से सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

विवरण

उन राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों की सूची जिन्हें 1984-85, 1985-86, 1986-87, 1987-88,, 1988-89 और 1989-90 के दौरान कक्षा परियोजना के अंतर्गत शामिल किए गए स्कूलों की संख्या की सूचना दी गई है

क्र० सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	निम्नलिखित वर्षों के दौरान आबंटित स्कूलों की संख्या 1984-85	1985-86	1986-87	1987-88	1988-89	1989-90
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	11	25	38	44	24	17
2.	अरुणाचल प्रदेश	2	3	2	2	1	1

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	असम	10	21	18	34	16	13
4.	बिहार	11	31	31	41	21	15
5.	गुजरात	15	27	29	42	24	16
6.	हरियाणा	5	13	15	16	9	6
7.	हिमाचल प्रदेश	6	6	9	11	4	3
8.	जम्मू एवं कश्मीर	5	8	9	16	8	6
9.	कर्नाटक	10	20	28	42	24	16
10.	केरल	10	18	17	30	17	12
11.	मध्य प्रदेश	15	44	23	33	17	13
12.	महाराष्ट्र	18	44	46	67	36	26
13.	मणिपुर	2	4	3	—	3	1
14.	मेघालय	2	4	3	2	1	1
15.	मिजोरम	1	2	2	3	2	1
16.	नागालैंड	2	4	3	3	1	1
17.	उड़ीसा	10	19	23	36	21	14
18.	पंजाब	10	24	22	31	17	12
19.	राजस्थान	10	24	25	32	17	12
20.	सिक्किम	2	4	2	3	1	1
21.	तमिलनाडु	16	27	30	42	24	16
22.	त्रिपुरा	2	2	2	3	2	1
23.	उत्तर प्रदेश	27	63	51	69	38	27
24.	पश्चिम बंगाल	20	39	42	66	35	26
25.	गोवा	2	2	2	4	2	1
26.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	—	3	2	2	1	1
27.	चंडीगढ़ प्रशासन	3	2	3	2	—	1
28.	दादरा और नगर हवेली	—	2	2	2	—	—
29.	दिल्ली प्रशासन	20	12	12	19	10	7
30.	लक्षद्वीप	—	2	2	2	1	2
31.	पांडिचेरी	1	2	2	2	1	1
32.	दमन और दीव	—	—	—	—	—	1
	कुल	248	501	500	700	378	271

देश में संग्रहालयों के लिए अतिरिक्त आवंटन

4011. श्रीमती वसुन्धरा राजे : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में बड़े संग्रहालयों की संख्या कितनी है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान इन संग्रहालयों को वर्ष-वार और संग्रहालय-वार कितनी अनुदान राशि मंजूर की गई;

(ग) क्या इन संग्रहालयों को और धनराशि मंजूर करने की आवश्यकता है क्योंकि उन्हें सामान को एकत्र करने और उनके रखरखाव पर राशि खर्च करनी होती है; और

(घ) यदि हां, तो वर्ष 1990-91 के दौरान इन संग्रहालयों को दी जाने वाली अतिरिक्त राशि के आवंटन का ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) और (ख) भारत के संविधान में संग्रहालय एक राज्य का विषय है। देश में लगभग 400 संग्रहालय हैं और इन्हें समय-समय पर केंद्रीय/राज्य सरकार सहायता-अनुदान देती है। तथापि, संस्कृति विभाग ने राष्ट्रीय महत्व के निम्नलिखित पांच संग्रहालयों को निम्नलिखित धनराशि दी है :

नाम	1987-88	1988-89	1989-90 (लाख रुपयों में)
1. राष्ट्रीय संग्रहालय, नई दिल्ली	294.00	257.02	362.00
2. भारतीय संग्रहालय, कलकत्ता	107.90	127.75	187.00
3. सालारजंग संग्रहालय, हैदराबाद	103.25	97.00	133.00
4. विक्टोरिया मेमोरियल हाल कलकत्ता	46.99	61.70	103.60
5. इलाहाबाद संग्रहालय	40.00	43.90	25.00

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान का विकास

4012. श्री माधवराव सिन्धिया : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिक्किम सरकार ने बाघ, कस्तूरी मृग और साह सहित कुछ विलुप्त हो रहे वन्य जीवों को बचाने के लिए कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान के विकास की कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना की विस्तृत रूपरेखा क्या है और इस पर अनुमानतः कितनी लागत आयेगी; और

(ग) क्या इस योजना को केन्द्रीय सरकार ने मंजूरी दे दी है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री नीलमणि राउतराय): (क) से (ग) कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान को, जिसमें अन्य जीवों के अलावा लाल पांडा, कस्तूरी मृग और हिम तेन्दुआ हैं, राज्य सरकार द्वारा 1977 में राष्ट्रीय उद्यान अधिसूचित किया गया था। इस राष्ट्रीय उद्यान का प्रबंध, अधिसूचित क्षेत्र में पाये जाने वाले वनस्पतिजात और प्राणिजात के संरक्षण की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। इसके लिए केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार को सहायता प्रदान करती है। पिछले तीन वर्षों में राज्य सरकार को निम्नलिखित केन्द्रीय सहायता प्रदान की गई—

1. 1987-88	1.31 लाख रुपए
2. 1988-89	7.08 लाख रुपए
3. 1989-90	12.92 लाख रुपए

कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान को राशि का आबंटन राज्य सरकार से सहायता के लिए प्राप्त अनुरोध पर वार्षिक आधार पर किया जाता है। केन्द्रीय सहायता के लिए राज्य सरकार के अनुरोध और धनराशि की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए 1990-91 के लिए कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान को अस्थायी रूप से 13.90 लाख रुपए की राशि आबंटित की गई है।

गोलकुन्डा किले की भूमि पर अतिक्रमण

4013. **श्री एम० बागा रेड्डी**: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश में एक ऐतिहासिक पर्यटन स्थल गोलकुन्डा किले की भूमि पर अतिक्रमण किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का ऐसे अतिक्रमणकारियों को हटाने के लिए तथा भविष्य में ऐसे अतिक्रमण को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमनभाई मेहता): (क) और (ख) इस संरक्षित क्षेत्र पर अतिक्रमण के किसी नए मामले की रिपोर्ट नहीं की गई है। तथापि, विगत में किए गए अतिक्रमणों को हटाने के लिए इस मामले को राज्य/जिला प्राधिकारियों के स्तर पर उठाया गया था। नये निर्माण को रोकने के लिए, प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 के अंतर्गत प्राइवेट भूमि को प्रतिषिद्ध घोषित करने के अलावा, किले के अन्दर की सरकारी भूमि को विशेष रूप से सुरक्षा की सीमा के अंतर्गत लाया गया है।

परिवहन व्यवस्था का आधुनिकीकरण

4014. **श्री पी० नरसा रेड्डी**: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आठवीं योजना के दौरान परिवहन व्यवस्था के आधुनिकीकरण को अत्यधिक महत्व दिया जाएगा, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) इस संबंध में आंध्र प्रदेश के लिए कितनी धनराशि मंजूर की गई है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागेय गोवर्धन): (क) आठवीं योजना अभी तैयार नहीं हुई है। आधुनिकीकरण सहित परिवहन विकास

के विभिन्न पहलुओं पर आठवीं योजना को अंतिम रूप देते समय संसाधनों की उपलब्धता के अधीन यथोचित विचार किया जाएगा ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

रक्षा मदों के स्वदेशीकरण के लिए विकास निधि

4015. श्री प्रकाश कोको ब्रह्मभट्ट : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में रक्षा मदों के स्वदेशीकरण के लिए हाल ही में एक करोड़ रुपये की विकास निधि स्थापित की गई है;

(ख) यदि हां, तो इस निधि का मुख्य प्रयोजन क्या है;

(ग) क्या रक्षा मदों की खरीद के लिए अनुदान और स्वीकृति प्रदान करने तथा इस निधि का उपयोग करने के लिए कोई समिति गठित की गई है; और

(घ) यदि हां, तो इससे रक्षा वस्तु उत्पादन को कितनी सहायता मिलेगी ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राजा रमन्ना) : (क) नए आयातित उपस्करों के आरंभिक रख-रखाव के लिए अपेक्षित महत्वपूर्ण हिस्से-पुर्जों का विकास करने के एक प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है ।

(ख) इस निधि का उद्देश्य नए आयातित उपस्करों के आरंभिक रख-रखाव के लिए अपेक्षित महत्वपूर्ण हिस्से-पुर्जों का विकास देश में शुरू करना है ताकि उपयोगकर्त्ताओं से पक्के आर्डर प्राप्त हुए बिना ही विकास कार्य किया जा सके ।

(ग) जी, नहीं, । प्रत्येक मामले के औचित्य के आधार पर निधि का आबंटन महानिदेशक गुणता आश्वासन द्वारा किया जाएगा ।

(घ) इससे, महत्वपूर्ण हिस्से-पुर्जों को देश में विकसित करने के लिए पहले से कार्रवाई करने में सहायता मिलेगी ।

संसद सदस्यों से पत्र

4016. श्री मदन लाल खुराना : क्या प्रधान मंत्री संसद सदस्यों से पत्र के बारे में 7 मई, 1990 के अतारांकित प्रश्न संख्या 7735 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लंबित पड़े पत्रों में से अब तक कितने पत्रों का उत्तर दिया गया है और शेष पत्रों का उत्तर न देने के कारण क्या हैं;

(ख) संसद सदस्यों के पत्रों का उत्तर देने के लिए निर्धारित दिशा-निर्देशों का पालन न किए जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) शेष पत्रों का शीघ्र उत्तर देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

प्रधान मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) 53 लंबित पड़े पत्रों में से 22 के उत्तर दे दिए गए हैं । शेष पत्र अन्य मंत्रालयों/संगठनों से सूचना एकत्रित करने के लिए लंबित पड़े हैं ।

(ख) संसद सदस्यों से प्राप्त पत्रों के शीघ्र निपटान के लिए विस्तृत निर्देशों का पालन किया जा रहा है।

(ग) संसद सदस्यों को अंतिम रूप से उत्तर यथासंभव शीघ्र भेजने के लिए हर संभव प्रयास किया जाता है।

राजस्थान में परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में ठेका कार्य

4017. श्री अमल दत्त : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान के परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में, विकिरण जोनों में कुछ कार्य ठेकेदारों द्वारा किया जा रहा है, यदि हां, तो कार्य का स्वरूप क्या है और पिछले पांच वर्षों के दौरान ठेकेदारों द्वारा कितने व्यक्ति इस कार्य में लगाए गए हैं;

(ख) क्या ठेकेदारों द्वारा कार्य पर लगाये गए व्यक्तियों का ब्यौरा इस समय सरकार अथवा परमाणु ऊर्जा निगम द्वारा रखा जाता है और क्या ऐसे कामगारों के स्वास्थ्य की कोई जांच की जाती है; और

(ग) यदि हां, तो ऐसे कार्यों में संलग्न कामगारों की संख्या को देखते हुए उनकी रक्षा के लिए किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० एम० जी० के० मेनन) : (क) जी, हां। संयंत्र के अनुरक्षण संबंधी कार्यों में से कुछ कार्य ठेकेदारों द्वारा किए जाते हैं ताकि प्रत्येक संयंत्र को वार्षिक अनुरक्षण के लिए बंद करने के दौरान, जिन्हें बारी-बारी से बंद किया जाता है, जो कार्य बढ़ जाता है उसे पूरा किया जा सके। पिछले पांच वर्षों के दौरान ठेके पर कराए गए कार्यों में लगाए गए व्यक्तियों का विवरण नीचे दिया जा रहा है—

वर्ष	ठेकेदारों द्वारा काम पर लगाए गए व्यक्तियों की कुल संख्या
1985	81
1986	223
1987	237
1988	98
1989	225

(ख) और (ग) जी, हां। राजस्थान परमाणु बिजलीघर में ठेकेदारों द्वारा काम पर लगाए गए व्यक्तियों को फिल्म बैज दिए जाते हैं ताकि यह जांच की जा सके कि उन पर विकिरण का कितना प्रभाव पड़ा है। ठेकेदारों द्वारा काम में लगाए गए व्यक्तियों पर पड़े विकिरण के प्रभाव की मात्रा का रिकार्ड रखा जाता है। इन कामगारों के स्वास्थ्य की जांच, जिसमें चिकित्सा जांच भी शामिल है, उन्हीं मापदंडों के अनुसार की जाती है जो मापदंड नियमित कर्मचारियों के लिए अपनाए

जाते हैं। चिकित्सा जांच संबंधी रिपोर्ट भी रखी जाती हैं। यदि किसी व्यक्ति पर विकिरण का प्रभाव स्वीकार्य सीमाओं से अधिक मात्रा में पड़ता है तो उसको दूर करने के उपाय सुनिश्चित करने के लिए विस्तृत सुरक्षोपाय और प्रक्रियाएं मौजूद हैं।

उड़ीसा में फूलबाड़ी में बाघ आरक्षित क्षेत्र

4018. **श्री डी० प्रभात** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उड़ीसा के फूलबाड़ी जिले में फूलबाड़ी, बोलनगीर और कालाहांडी जिलों के वनों को मिलाकर एक बाघ आरक्षित क्षेत्र की स्थापना करने का है; और

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त बाघ आरक्षित क्षेत्र की स्थापना आठवीं पंचवर्षीय योजना में की जाएगी, और यदि हां, तो इस बारे में क्या कदम उठाए गए हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री नीलमणि राउतराय) : (क) और (ख) फिलहाल उड़ीसा के फूलबनी, बालंगिर और कालाहांडी जिलों में बाघ रिजर्व स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की उड़ीसा स्थित परियोजनाएं

4019. **श्री गिरिधर गोमांगो** :

श्री बकुल नायक :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के कई प्राचीन स्मारक अत्यन्त जीर्णशीर्ण अवस्था में हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने इन स्मारकों के रख-रखाव के लिए तीन वर्षों के दौरान कितनी योजनायें शुरू की हैं;

(घ) क्या इन परियोजनाओं का कार्य संतोषजनक नहीं है; और

(ङ) यदि हां, तो इन्हें निर्धारित समय में पूरा करने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (ङ) राष्ट्रीय महत्व के रूप में घोषित किए गए स्मारकों के रख-रखाव और संरक्षण का कार्य एक सतत प्रक्रिया है। स्मारकों के परिरक्षण और संरक्षण के अतिरिक्त, उनकी आवश्यकताओं और पुरातत्वीय मानदंडों को ध्यान में रखते हुए, कार्य-योजना के अंतर्गत निम्नलिखित स्मारकों के विशेष संरक्षण-कार्य सफलतापूर्वक किए गए थे :

1. सूर्य मंदिर, कोणार्क।
2. भगवान जगन्नाथ मंदिर परिसर, पुरी।
3. लिंगराज मंदिर, भुवनेश्वर।
4. राजारानी मंदिर, भुवनेश्वर।

5. पापानासी तालाब, भुवनेश्वर।

6. बक्रेश्वर मंदिर, भुवनेश्वर।

7. उदयगिरि और खंडगिरि, परिसर।

विदेशी कंपनियों द्वारा वी० सी० आर०/वी० सी० पी० के निर्माण की पेशकश

4020. **श्री जनार्दन पुजारी :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ विदेशी कंपनियों ने भारत में वी० सी० आर०/वी० सी० पी० का निर्माण करने की पेशकश की है;

(ख) यदि हां, तो ये कौन-कौन-सी कंपनियां हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० एम० जी० के० मेनन) : (क) से (ग) भारत में वी० सी० आर०/वी० सी० पी० का विनिर्माण करने के लिए किसी भी विदेशी कंपनी से कोई सीधा प्रस्ताव नहीं प्राप्त हुआ है। किन्तु, निजी क्षेत्र की निम्नलिखित तीन कंपनियों को विदेशी कंपनियों के तकनीकी एवं वित्तीय सहयोग से वी० सी० आर०/वी० सी० पी० का विनिर्माण करने के लिए अनुमोदन प्रदान किया गया है—

क्र० सं०	कंपनी का नाम	विदेशी सहयोगकर्ता
1.	मैसर्स बी० पी० एल० सैन्यो लिमिटेड	मैसर्स सैन्यो इलैक्ट्रिक कारपोरेशन, जापान
2.	मैसर्स कल्याणी शार्प ऑफ इंडिया लि०	मैसर्स शार्प कारपोरेशन, जापान
3.	मैसर्स वीडियोकान वी० सी० आर० लि०	मैसर्स तोशिबा कारपोरेशन, जापान

अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों को शिक्षा देने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की योजना

4021. **श्री जी० एम० बनातवाला :**

श्री ए० के० ए० अब्दुल समद :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों को विभिन्न प्रतियोगिताओं और प्रवेश परीक्षाओं में, दूसरे छात्रों के समान सक्षम बनाने के लिए, (कोचिंग) देने की विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की कोई योजना है;

(ख) कौन-कौन से विश्वविद्यालय/कालेज, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग योजना के अंतर्गत, अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों को शिक्षा देने की योजना में भाग ले रहे हैं;

(ग) क्या योजना के लाभों और उपलब्धियों की समीक्षा की गई है;

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान, वर्षवार, परीक्षावार, कितने छात्रों को शिक्षा प्रदान की गई और उस पर कितनी राशि खर्च की गई; और

(ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान, वर्षवार, परीक्षावार, जिन छात्रों को शिक्षा प्रदान की गई उनमें से कितने छात्र परीक्षाओं में उत्तीर्ण हुए ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) जी, हां।

(ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित छात्रों को शिक्षण देने की योजना में भाग लेने वाले विश्वविद्यालयों/कालेजों के नाम संलग्न विवरण-I में हैं।

(ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षण की योजना के कार्यान्वयन का मूल्यांकन करने और इसके प्रभावी कार्यान्वयन के उपायों का सुझाव देने के लिए 1986 में एक समिति नियुक्त की। समिति ने योजना की पुनः संरचना की सिफारिश की ताकि पाठ्यसामग्री तैयार करने के लिए क्षेत्रीय संसाधन केन्द्र उपलब्ध कराये जा सकें, पुस्तकालय-सुविधाओं की व्यवस्था की जा सके और सामूहिक चर्चा के लिए एक मंच तैयार किया जा सके। इसने समन्वयकों के लिए प्रशिक्षण और योजना के व्यापक प्रचार की भी सिफारिश की।

(घ) और (ङ) ब्यौरे संलग्न विवरण-2 में दिए गए हैं।

विवरण-1

उन विश्वविद्यालय/कालेजों की सूची जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की योजना के अन्तर्गत शिक्षा देने की कक्षाओं में भाग ले रहे हैं।

1. आगरा विश्वविद्यालय, आगरा (उ० प्र०) 282004
2. अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ (उ० प्र०) 202001
3. इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद (उ० प्र०)
4. बंगलौर विश्वविद्यालय, बंगलौर (कर्नाटक)
5. भोपाल विश्वविद्यालय, भोपाल (मध्य प्रदेश)
6. कालीकट विश्वविद्यालय, कालीकट (केरल)
7. देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर (मध्य प्रदेश)
8. गुवाहाटी विश्वविद्यालय, गुवाहाटी (असम)
9. गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर (उत्तर प्रदेश)
10. जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली
11. जम्मू विश्वविद्यालय, जम्मू, जम्मू एवं कश्मीर
12. कश्मीर विश्वविद्यालय, श्रीनगर, जम्मू एवं कश्मीर
13. एल० एम० मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा (बिहार)
14. लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ (उ० प्र०)
15. एम० डी० विश्वविद्यालय, रोहतक, हरियाणा-124001

16. मेरठ विश्वविद्यालय, मेरठ (उ० प्र०)
17. नागपुर विश्वविद्यालय, नागपुर (महाराष्ट्र)
18. उस्मानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद (आंध्र प्रदेश)
19. पटना विश्वविद्यालय, पटना (बिहार)
20. दक्षिण गुजरात विश्वविद्यालय, सूरत (गुजरात)

कालेज

1. बी० एन० के० बी० (पी० जी०) डिग्री कालेज, अकबरपुर, फैजाबाद (उ० प्र०)
2. गांधी फैजम (पी० जी० कालेज) शाहजहांपुर (उ० प्र०)
3. राजकीय कालेज, केसरगढ़, जिला केसरगढ़, केरल
4. हमीदिया कन्या डिग्री कालेज, इलाहाबाद
5. करामत हुसैन मुस्लिम कन्या डिग्री कालेज, लखनऊ (उ० प्र०)
6. लाल बहादुर शास्त्री डिग्री कालेज, गोंडा (उ० प्र०)
7. एम० ई० एस० कलाडी कालेज मन्नरघाट, केरल
8. एम० एस० एस० कालेज, मन्जेरी, जिला—मालापुरम, केरल
9. लखनऊ ईसाइ डिग्री कालेज, लखनऊ (उ० प्र०)
10. एम० पी० कला एवं वाणिज्य कालेज, केशद, जिला जूनागढ़ (गुजरात)
11. राजाह सरफोजी राजकीय कालेज, थंजाबूर, तमिलनाडु
12. सेंट मेरी कालेज, सुल्तान बैटरी, जिला कालीकट, केरल
13. जमोरिन गुरावयुराप्पन कालेज, कालीकट, केरल
14. श्री नारायण कालेज मटिका, जिला—त्रिचूर, केरल
15. सेफिया कालेज, भोपाल (मध्य प्रदेश)
16. डी० ए० बी० कालेज, जालन्धर, पंजाब
17. शिबली राष्ट्रीय कालेज, आजमगढ़ (उ० प्र०)
18. फारूक कालेज, कालीकट, केरल
19. जमाल मोहम्मद कालेज, तिरूचिरापल्ली, तमिलनाडु
20. अनवर-उल-उलम कालेज, न्यू मल्लापट्टी, हैदराबाद
21. राजकीय कालेज मालेरकोटला, पंजाब
22. अंजुमन-ए-इस्लाम नेहरू कला विज्ञान एवं वाणिज्य कालेज, हुबली
23. हालीम मुस्लिम डिग्री, कालेज, कानपुर
24. सर सैयद कालेज, तेलीपडामतरा, केरल

25. एम० ई० एस० पुन्नानी कालेज, पुन्नानी, केरल

26. एम० ई० एस० मम्पड कालेज, मल्लापुरम

विवरण-2

वर्ष	विभिन्न श्रेणियों की परीक्षाओं की संख्या जैसे भारतीय प्रशासनिक सेवा/केन्द्रीय एवं राज्य सेवाएं/आशुलिपि बैंकिंग इत्यादि	शिक्षित किये गये छात्रों की संख्या	सफल छात्रों की संख्या	खर्च
1987-88	384*	5,918	511	रु० 14,50,838
1989-89	324*	5,909	212	रु० 20,49,010
1989-90	242**	5,334	93	रु० 23,38,267

* परीक्षाओं की पुनरावृत्ति शामिल है।

** मार्च, 1990 तक।

दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेजों में प्रवेश

[हिंदी]

4022. श्री रामलाल राही : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दिल्ली विश्वविद्यालय के कई कॉलेजों में योग्य छात्रों को प्रवेश देने की बजाए आपेक्षाकृत कम प्रतिशत अंक पानेत वाले छात्रों को खेल में प्रवीणता के नाम पर परोक्ष रूप में प्रवेश दिया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो सरकार इस संबंध में क्या कार्यवाही कर रही है और क्या सरकार का विचार योग्य छात्रों को प्रवेश दिलाने के लिए कोई कार्यवाही करने का है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) से (ग) दिल्ली विश्वविद्यालय ने इस वर्ष कॉलेजों में प्रवेश के संबंध में निश्चित दिशा-निर्देश जारी किए हैं। दिशा-निर्देशों में अन्य बातों के साथ-साथ यह व्यवस्था है कि अर्हक परीक्षा में प्राप्तांकों के आधार पर योग्यता के अनुसार ही प्रवेश दिए जाने चाहिए। वहां जहां प्रवेश परीक्षा है अथवा वहां जहां केन्द्रित प्रवेश हैं, इंजीनियरी और अन्य पाठ्यक्रमों के अलावा आनर्स और पास पाठ्यक्रमों दोनों में 5% तक स्थान खेलकूद और सह शैक्षिक कार्यकलापों के आधार पर भरे जाने चाहिए। विश्वविद्यालय द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार कॉलेज इन दिशा-निर्देशों का पालन कर रहे हैं।

दिशा-निर्देशों में निर्धारित मानदंडों और प्रक्रिया के अनुरूप संबंधित कॉलिजों द्वारा इस

प्रयोजनार्थ गठित एक खेलकूद प्रवेश समिति की सिफारिशों पर खेलकूद कोटे में प्रवेश को अंतिम रूप दिया जाता है। विश्वविद्यालय ने सूचित किया है कि खेलों के आधार पर कॉलिजों में हो रहे गलत प्रवेशों के बारे में इसे कोई विशेष शिकायतें नहीं मिली हैं।

केरल में पश्चिमी घाट परियोजना

[अनुवाद]

4023. **श्री कोडीक्कुनील सुरेश** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में पश्चिमी घाट विकास परियोजना के अंतर्गत आरंभ किए गए निर्माण कार्यों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस संबंध में गत दो वर्षों के दौरान आवंटित और व्यय की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) केरल में पश्चिमी घाट विकास परियोजना का क्या उद्देश्य है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागेय गोवर्धन) : (क) भूमि संरक्षण, लघु सिंचाई, चरागाह विकास सहित डेयरी विकास, मत्स्य विकास, जलसंभरों में वनरोपण सहित वानिकी स्कीमें और रेशम उत्पादन जल आपूर्ति और पैदल पुलों सहित अन्य कृषि कार्यक्रम केरल में पश्चिमी घाट विकास कार्यक्रम के अंतर्गत शुरू किए गए प्रमुख कार्यक्रम हैं।

(ख) वर्ष 1988-89 और 1989-90 में केरल में पश्चिमी घाट विकास कार्यक्रम के लिए आवंटन और व्यय के आंकड़े नीचे दिए गए हैं—

(लाख रु० में)

वर्ष	परिव्यय	व्यय
1988-89	430.00	385.58
1989-90	567.95	544.80

(ग) केरल में पश्चिमी घाट विकास परियोजनाओं का उद्देश्य राज्य के पश्चिमी घाट क्षेत्र की पारिस्थितिक विकास और पारिस्थितिक संरक्षण करना है।

सोवियत संघ में उच्च शिक्षा

4024. **श्री राम सजीवन** :

श्री लोकनाथ चौधरी :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को छात्रों को उच्च अध्ययन के लिए विदेशों में भेजने वाली एजेन्सियों/संस्थानों की जानकारी है अथवा सरकार का इन एजेन्सियों/संस्थानों पर कोई नियंत्रण है;

(ख) दिल्ली में ऐसे कितने संस्थान हैं जो छात्रों को उच्च अध्ययन के लिए मास्को भेजते हैं; और

(घ) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय करने का विचार है कि ऐसे संस्थानों द्वारा छात्र ठगे न जायें ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) से (घ) इस विभाग के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार भारत-सोवियत मेडिकल शिक्षा, देखभाल और अनुसंधान प्रतिष्ठान ने सोवियत संघ में विभिन्न विषयों में उच्च अध्ययन के लिए भारतीय छात्रों के चयन हेतु सोवियत संघ की जन शिक्षा राज्य समिति की ओर से अंतर्राष्ट्रीय संबंध सेवा केन्द्र के साथ एक संयुक्त उद्यम स्थापित किया था। प्रतिष्ठान ने औपचारिक मान्यता के लिए हाल ही में विदेश मंत्रालय से संपर्क किया। सरकार इस प्रतिष्ठान के कार्यकलापों पर नजर रखे हुए है ताकि यह देखा जा सके कि कहीं इस प्रतिष्ठान द्वारा भारतीय कानूनों का उल्लंघन तो नहीं किया जा रहा है। उन मामलों में, जहां सरकार के ध्यान में आता है कि किसी शैक्षणिक संस्था द्वारा छात्रों को धोखा या गुमराह किया जा रहा है, सतर्कता के लिए सार्वजनिक सूचनाएं जारी की जाती हैं और संबद्ध कानूनों के अंतर्गत उचित कानूनी कार्रवाई भी की जाती है।

वन्यजीव अभ्यारण्यों के विकास के लिए सहायता

4025. श्री श्रीकांत दत्त नरसिंह राज वाडियर : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में वन्यजीव अभ्यारण्यों के विकास के लिए केन्द्रीय सहायता दी जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान कर्नाटक में वन्यजीव अभ्यारण्यों के विकास के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा सहायता के रूप में कितनी धनराशि मंजूर की गई ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री नीलमणि राउतराय) : (क) जी, हां।

(ख) केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना "अभ्यारण्यों के विकास के लिए सहायता" के अंतर्गत कर्नाटक राज्य में वन्यजीव अभ्यारण्यों के विकास के लिए पिछले तीन वर्षों में स्वीकृत केन्द्रीय सहायता की राशि निम्नलिखित है —

वर्ष	स्वीकृत राशि
	(रुपये लाख में)
1. 1987-88	21.30
2. 1988-89	39.16
3. 1989-90	37.57
कुल	98.03

पंजाब विश्वविद्यालय में जीवाश्मीय संबंधी मामले

4026. श्री भोगेन्द्र झा : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार को पंजाब विश्वविद्यालय में भूवैज्ञानिकों द्वारा हिमालय के जीवाशेषों के बारे में जो वास्तव में विदेशों से आयात किए गए थे, धोखाधड़ी संबंधी "जीवावशेष मामले" की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस मामले में कोई जिम्मेदारी निर्धारित की गई है और सम्बद्ध पाए गए लोगों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो वास्तविक स्थिति क्या है और इस मामले में जांच करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) से (ग) पंजाब विश्वविद्यालय द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार "जीवावशेष संबंधी मामले" के बारे में पहली बार विश्वविद्यालय को अप्रैल, 1989 में पता चला। कुलपति, पंजाब विश्वविद्यालय के अनुरोध पर भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी ने इस मामले की जांच करने और अपनी सिफारिशें देने के लिए दो प्रख्यात भू-वैज्ञानिकों का एक दल भेजा। इस दल ने 21 से 23 सितम्बर, 1989 तक विश्वविद्यालय का दौरा किया और वैज्ञानिकों से विचार-विमर्श किया। दल ने सिफारिश की कि एक वैज्ञानिक अभियान दल को जीवावशेष संबंधी घटनाओं की प्रामाणिकता और रिसाईक्लिंग के आरोप के संबंध में विवाद को दूर करने के लिए यथाशीघ्र कुछेक स्थलों का दौरा करना चाहिए। इस अभियान के ब्यौरों को अंतिम रूप दिया गया और उपलब्ध सूचना के अनुसार प्रो० ए० एस० पेन्टल, विख्यात वैज्ञानिक के नेतृत्व में यह अभियान दल इन स्थानों का निरीक्षण करने के लिए अगस्त, 1990 के अंतिम सप्ताह में प्रस्थान कर चुका है।

ताम्रलिप्त ग्रामिण संग्रहालय, मिदनापुर (पश्चिम बंगाल) का विकास

4027. **श्री सत्यगोपाल मिश्र :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ताम्रलिप्त ग्रामिण संग्रहालय, मिदनापुर (पश्चिम बंगाल) के विकास के लिए अब तक कितनी धनराशि प्रदान की गई है; और

(ख) इस संग्रहालय के विकास से संबंधित प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) और (ख) मिदनापुर जिला स्थित ताम्रलिप्त ग्रामीण संग्रहालय को, इसके प्रकाशन संबंधी प्रस्तावों के प्राप्त होने पर 75,000 रुपए की राशि स्वीकृत की गई थी, जिसमें से 18,750 रुपए की पहली किस्त 4-3-1989 को मुक्त की गई थी। मुक्त की गई राशि के लिए उपयोगिता प्रमाण पत्र अब संग्रहालय से प्राप्त हो गया है और इस आधार पर 37,500 रुपए की दूसरी किस्त मुक्त की जा रही है।

पाकिस्तान द्वारा मिसाइलों का निर्माण

4028. **श्रीमती प्रेमलाबाई चव्हाण :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान ने प्रोर्टेबल, लेसर-नियंत्रित, स्वीडिश मिसाइल आर० बी० एस०-70 का निर्माण करना आरंभ कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इस मिसाइल की मारक क्षमता क्या है; और

(ग) भारतीय रक्षा तैयारियों पर इस कार्यवाही का क्या प्रभाव पड़ेगा ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राजा रमन्ना) : (क) और (ख) सरकार ने इस आशय की रिपोर्टें देखी हैं कि पाकिस्तान ने आर० बी० एस०-70 प्रक्षेपास्त्रों के संयोजन का कार्य आरंभ कर दिया है। यह कम दूरी से भूमि से हवा में मार करने वाले सुवाह्य प्रक्षेपास्त्र हैं। उच्च गति के निशानों के लिए उनकी रेंज लगभग 5 किलोमीटर है और धीमी गति के निशानों के लिए 6 किलोमीटर।

(ग) हमारी संक्रियात्मक योजनाओं को, जिन्हें समय-समय पर अद्यतन किया जाता है, हमारे सुरक्षा परिवेश संबंधी सभी गतिविधियों को ध्यान में रखकर तैयार किया जाता है।

सरकारी कर्मचारियों के लिए आचार नियम

4029. **श्री कल्पनाथ राय** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी कर्मचारियों के लिए असंबद्ध विषयों पर प्रेस को साक्षात्कार देने के संबंध में निर्धारित आचार नियमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या राजनीतिक विषयों और राजनीतिक संभावनाओं संबंधी साक्षात्कार प्रेस को देने के संबंध में कठोर आचार नियम हैं;

(ग) सरकारी कर्मचारियों द्वारा इन नियमों का उल्लंघन करने पर अधिकतम दंड की क्या व्यवस्था है; और

(घ) ऐसे आचार नियमों का उल्लंघन करने वाले कर्मचारियों को दी जाने वाली सजा और नियमों का ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) और (ख) केन्द्रीय सिविल (आचरण) नियमावली, 1964 के नियम 11 के नीचे 1967 के सरकारी अनुदेशों में व्यवस्था है कि मंत्री, सचिव और अन्य अधिकारियों जो विशेष रूप से मंत्री द्वारा प्राधिकृत किए गए हों, को सूचना देने की अनुमति है या वे प्रेस के प्रतिनिधियों से मिल सकते हैं। उन्हें पूर्वानुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। सरकारी कर्मचारियों को प्रेस में कोई भी वक्तव्य देने की मनाही है इससे सरकार की किसी वर्तमान या हाल ही की नीति या कार्यवाही की प्रतिकूल आलोचना का प्रभाव हो सकता है।

(ग) और (घ) आचरण नियमों के किसी उल्लंघन पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा उपर्युक्त अनुशासनात्मक कारंवाई की जा सकती है तथा दंड का निर्धारण प्रत्येक मामले में सभी संबंधित तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रख कर इसके द्वारा निर्धारित किया जाता है।

जोधपुर लिफ्ट जल आपूर्ति योजना को मंजूरी

[हिंदी]

4030. **श्री गिरधारी लाल भार्गव** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग का सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 9.54 करोड़ रुपए लागत वाली जोधपुर लिफ्ट-नहर जल आपूर्ति योजना को स्वीकृति देने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) यह धनराशि कब तक प्रदान कर दी जाएगी ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागेय गोवर्धन) : (क) से (घ) समीक्षा करने पर, परियोजना के कार्यान्वयन की प्रगति को धीमा पाया गया। राजस्थान सरकार से परियोजना विषयक किए गए कार्य, पूरा करने के लिए प्रस्तावित समय-सूची, वित्त पोषण की आवश्यकताओं, टैरिफ की पुनः संरचना के प्रस्तावों आदि के पूर्ण विवरण अपेक्षित थे। सहायता के संबंध में विचार, अन्य घटकों के साथ-साथ, भेजे गए विवरण पर निर्भर करेंगे।

बेरोजगारी दूर करने के लिए निधियां

402. श्री रेशम लाल जांगड़े : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) योजना आयोग द्वारा वर्ष 1990-91 की अवधि के लिए देश में ग्रामीण शिक्षकों और अकुशल अशिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों की बेरोजगारी दूर करने के लिए राज्यवार कितनी धनराशि आवंटित की गई; और

(ख) उन व्यवसायों का ब्यौरा क्या है जिनमें शिक्षित और अशिक्षित ग्रामीण बेरोजगारों को रोजगार मिलने की संभावनाएं हैं और उनकी संख्या कितनी है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागेय गोवर्धन) : (क) ग्रामीण इलाकों में एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (एग्राविका) और जवाहर रोजगार योजना नामक दो प्रमुख विशेष रोजगार कार्यक्रमों के लिए वर्ष 1990-91 में राज्यवार आबंटन क्रमशः विवरण 1 और 2 में दिये गये हैं।

(ख) वर्ष 1990-91 के दौरान एग्राविका अंतर्गत शामिल संभावित लाभभोगियों और जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत संभावित रोजगार सृजन की संख्या क्रमशः विवरण 1 और 2 में दी गई है। ग्रामीण बेरोजगारों को किन व्यवसायों में रोजगार मिलना सम्भावित है और तदनुसार इनकी संख्या क्या है, इस बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है।

विवरण-1

एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम 1990-91 के लिए भौतिक तथा वित्तीय लक्ष्य

(लाख रु० में)

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य	केन्द्रीय हिस्सा	राज्य का हिस्सा	कुल आबंटन	लक्ष्य (संख्याओं)
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	2751.453	2751.453	5502.906	174916
2.	अरुणाचल प्रदेश	234.720	234.720	469.440	14922

1	2	3	4	5	6
3.	असम	751.461	751.461	1502.922	43261
4.	बिहार	5512.947	5512.947	11025.894	350469
5.	गोवा	48.900	48.900	97.800	3109
6.	गुजरात	1133.049	1133.049	2266.098	72030
7.	हरियाणा	271.129	271.129	542.258	17236
8.	कर्नाटक	1722.168	1722.168	3444 336	109482
9.	जम्मू व कश्मीर	135.564	135.64	271.128	8618
10.	केरल	955.561	935.561	1871.122	59476
11.	मध्य प्रदेश	3648.520	3648.520	7297.040	231944
12.	महाराष्ट्र	2947.268	2947.268	5894.536	187364
13.	मणिपुर	21.757	21.757	43.514	1383
14.	मेघालय	65.272	65.272	130.544	4149
15.	मिजोरम	97.800	97.800	195.600	6217
16.	नागालैंड	102.690	102.690	205.380	6528
17.	उड़ीसा	1802.503	1802.503	3605.006	114589
18.	पंजाब	229.287	229.287	458.574	14576
19.	राजस्थान	1757.315	1757.315	3514.630	111716
20.	सिक्किम	19.560	19.560	38.120	1243
21.	तमिलनाडु	2470.282	2470.282	4940.564	157041
22.	त्रिपुरा	76.987	76.987	153.974	4894
23.	उत्तर प्रदेश	7363.985	7363.985	14727.970	468144
24.	पश्चिम बंगाल	3077.811	3077.811	6155.622	195663
25.	अण्डमान व निकोबार द्वीपसमूह	48.900	—	48.900	1554
26.	चण्डीगढ़	9.780	—	9.780	
27.	दादरा व नगर हवेली	9.780	—	9.780	311
28.	दिल्ली	48.900	—	48.900	1554
29.	दमन व द्वीव	19.560	—	19.560	622
30.	लक्षद्वीप	48.900	—	48.900	1554
31.	पांडिचेरी	39.120	—	39.120	1243
32.	हिमाचल प्रदेश	97.071	97.071	194.142	6171
	अखिल भारत :	37500.000	37275.06	74775.060	2371979

विवरण-2

जवाहर रोजगार योजना, 1990-91 के लिए भौतिक और वित्तीय लक्ष्य

(लाख में)

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	केन्द्रीय	राज्य	जोड़	रोजगार लक्ष्य (लाख मानव दिवसों में)
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	15332.96	3833.24	19166.20	919.98
2.	अरुणाचल प्रदेश	264.54	66.13	330.67	12.40
3.	असम	4091.67	1022.92	5114.59	122.75
4.	बिहार	30773.42	7693.36	38466.78	1125.86
5.	गोवा	285.82	71.45	357.27	11.91
6.	गुजरात	6472.57	1618.14	8090.71	242.72
7.	हरियाणा	1541.46	385.36	1926.82	37.60
8.	हिमाचल प्रदेश	908.22	227.06	1135.28	33.68
9.	जम्मू व कश्मीर	1289.21	322.30	1611.51	61.68
10.	कर्नाटक	9647.76	2411.94	12059.70	570.87
11.	केरल	5116.95	1279.24	6396.19	244.83
12.	मध्य प्रदेश	21122.00	5280.50	26402.51	1156.31
13.	महाराष्ट्र	16339.87	4048.97	20424.83	859.99
14.	मणिपुर	339.06	84.77	423.83	9.83
15.	मेघालय	396.73	99.18	495.91	18.98
16.	मिजोरम	167.12	41.78	208.91	4.48
17.	नागालैण्ड	425.26	106.32	531.58	21.26
18.	उड़ीसा	10475.94	2618.99	13094.93	672.97
19.	पंजाब	1340.52	335.13	1675.65	31.72
20.	राजस्थान	10244.22	2561.06	12805.28	523.55
21.	सिक्किम	154.83	38.71	193.53	7.91
22.	तमिलनाडु	13778.93	3444.73	17223.66	688.95

1	2	3	4	5	6
23.	त्रिपुरा	440.39	110.10	550.49	19.81
24.	उत्तर प्रदेश	40874.62	10218.66	51093.28	1703.11
25.	पश्चिम बंगाल	17429.55	4357.39	21786.93	643.16
26.	अण्डमान व निकोबार द्वीपसमूह	156.56	—	156.56	4.44
27.	चण्डीगढ़	38.81	—	38.81	1.08
28.	दादर और नगर हवेली	84.99	—	84.99	3.47
29.	दमन व द्वीव	50.07	—	50.07	1.61
30.	दिल्ली	184.18	—	184.18	5.12
31.	लक्षद्वीप	78.49	—	78.49	2.62
32.	पाण्डिचेरी	153.25	—	153.25	5.87
		210000.00	52313.41	262313.40	9770.52

अंग्रेजी माध्यम के स्कूल

[अनुवाद]

4032. श्री ए० के० राय : क्या प्रधान मंत्री अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों को बन्द करने के बारे में 13 अगस्त, 1990 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1039 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में अंग्रेजी माध्यम वाले कितने स्कूल चल रहे हैं;

(ख) क्या इनकी संख्या में वृद्धि हुई है;

(ग) क्या अंग्रेजी माध्यम के स्कूल संविधान के नीति निदेशक सिद्धान्तों के विपरीत आधारहीन विशिष्ट वर्ग की रचना कर रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्यों का ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्यवाही की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) दिल्ली प्रशासन के अनुसार संघ शासित प्रदेश दिल्ली में 398 अंग्रेजी माध्यम के स्कूल हैं। इनमें सहायता प्राप्त और गैर-सहायता प्राप्त दोनों प्रकार के स्कूल शामिल हैं।

(ख) जी हां।

(ग) और (घ) इस आशय के प्रश्न का कोई निश्चित उत्तर संभव नहीं है कि क्या इन

अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों द्वारा विशेष प्रकार के किस्म के व्यक्ति तैयार होते हैं। फिर भी, सरकार इस प्रकार की किसी विशिष्ट प्रकार की असमानता के पक्ष में नहीं है।

शिक्षा आयोग (1964-66) तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) में सामान्य स्कूल पद्धति की दिशा में उपाय करने की सिफारिश की है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सामीप्य स्कूल विचारधारा एक उपाय है। इस मुख्य विषय पर वर्तमान सरकार का दृष्टिकोण बहुत सकारात्मक है। सरकार स्कूल शिक्षा में समतावाद लाने के उद्देश्य से विद्यमान स्कूलों को सामीप्य स्कूल विचारधारा में अंतर्गत लाना चाहेगी।

स्कूलों में अच्छे स्तरों में व्यापक सामान्यता बनाए रखने को निम्नलिखित रूप से प्राप्त किया जा सकता है—

(i) सभी स्कूलों को व्यापक रूप से एक समान पद्धति की पाठ्यचर्या/पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध कराना, जो रा० शै० अ० प्र० परिषद द्वारा प्रकाशित और प्रारम्भिक, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या ढांचे के आधार पर तैयार की गई हों।

(ii) सभी स्कूलों द्वारा संबंधित राज्य बोर्ड, के० मा० शि० बोर्ड अथवा भारतीय स्कूल प्रमाण-पत्र परीक्षाओं की परिषद, जैसा भी मामला हो, से सम्बद्ध की जाने वाली बोर्ड की परीक्षाओं के लिए आवश्यक रूप से अपने छात्रों को भेजना तथा तत्पश्चात् राष्ट्रीय पाठ्यचर्या ढांचे के आधार पर संबंधित बोर्ड द्वारा निर्धारित पाठ्यचर्या/पाठ्यपुस्तकों को अपनाना।

(iii) कई केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं तथा कार्यक्रमों के जरिए स्कूलों में भौतिक सुविधाओं तथा अन्य शैक्षिक निवेशों में सुधार करना।

उत्तर प्रदेश के पर्वतीय जिलों में केन्द्रीय विद्यालय

4033. श्री जगपाल सिंह : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के पर्वतीय जिलों में कितने केन्द्रीय विद्यालय हैं;

(ख) आगामी तीन वर्षों के दौरान पर्वतीय क्षेत्रों में ऐसे कितने विद्यालय खोले जायेंगे;

(ग) क्या इन जिलों में केन्द्रीय विद्यालयों की संख्या इन जिलों के लोगों की सशस्त्र/अर्द्ध सैनिक बलों में संख्या के अनुरूप है; और

(घ) यदि नहीं, तो आगामी तीन वर्षों के दौरान वहां और अधिक केन्द्रीय विद्यालय खोलने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) उत्तर प्रदेश के पहाड़ी जिलों में केन्द्रीय विद्यालयों की संख्या नीचे दी गई है—

क्रमांक	जिला	
1.	पौड़ी गढ़वाल	02
2.	देहरादून	13
3.	चमोली	01
4.	टीहरी गढ़वाल	01
5.	उत्तरकाशी	01
6.	नैनीताल	05
7.	अल्मोड़ा	02
8.	पिथौरागढ़	01
	कुल	26

(ख) से (घ) नये केन्द्रीय विद्यालय खोलने के लिए अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। संसाधनों के उपलब्ध होने पर तथा प्रायोजित एजेन्सियों से प्राप्त प्रस्ताव की उपयुक्तता पर निर्भर करते हुए संगठन प्रत्येक वर्ष नए केन्द्रीय विद्यालय खोलता है।

गंगा सफाई योजना के समान ही नदियों की सफाई योजना

4034. श्री पी० ए० एन्टनी : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गंगा सफाई योजना के समान ही देश की अन्य किसी नदी की भी सफाई आरम्भ करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री नीलमणि राउतराय) : (क) और (ख) देश में गंगा कार्य योजना के माडल पर नदियों की सफाई करने के प्रस्ताव पर निधियों की उपलब्धता के आधार पर विचार किया जा सकता है।

केन्द्रीय विद्यालयों में शारीरिक शिक्षा के अध्यापक

4035. श्री प्रकाश बी० पाटिल : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय विद्यालयों में कार्यरत शारीरिक शिक्षा में स्नातकोत्तर डिग्री धारक शारीरिक शिक्षा के अध्यापकों के लिए उपलब्ध पदोन्नति के अवसरों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या निकट भविष्य में सीनियर सेकेन्डरी कक्षाओं में शारीरिक शिक्षा को एक वैकल्पिक (एलेक्टिव) विषय के रूप में प्रारम्भ करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) से (ग) इस समय शारीरिक शिक्षा शिक्षकों के लिए पदोन्नति के अवसर नहीं हैं क्योंकि केन्द्रीय विद्यालय संगठन में सीनियर माध्यमिक कक्षाओं में शारीरिक शिक्षा को एक वैकल्पिक विषय के रूप में

नहीं पढ़ाया जाता है। तथापि, शारीरिक शिक्षा को एक वैकल्पिक विषय के रूप में आरम्भ करने से संबंधित मामला विचाराधीन है।

सामान्य बीमा निगम के व्यवसायिक पाठ्यक्रम

4036. श्री सरजू प्रसाद सरोज : क्या प्रधान मंत्री सामान्य बीमा निगम में व्यवसायिक पाठ्यक्रम के बारे में 13 अगस्त, 1990 के अतारांकित प्रश्न संख्या 965 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रशिक्षण पूरा करने के बाद शीघ्र ही उम्मीदवारों को नियमित आधार पर नियुक्ति कर दी जायेगी;

(ख) यदि हां, तो क्या उनकी नियुक्ति सामान्य बीमा निगम की दिल्ली स्थित शाखाओं में ही की जायेगी;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) नियमित नियुक्ति के बाद उन्हें देय वेतन और भत्तों का ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) जी, हां। संतोषजनक ढंग से प्रशिक्षुता प्रशिक्षण समाप्त कर लेने के बाद तथा 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर उम्मीदवारों को तत्काल सामान्य बीमा निगम के सहायक कार्यालयों में नियमित आधार पर नियुक्त किया जाएगा।

(ख) और (ग) प्रशिक्षण पूरा कर लेने के बाद सामान्य बीमा निगम द्वारा उनके नियमों और विनियमों के अनुसरण में उम्मीदवारों को तैनात किया जाएगा।

(घ) उन्हें समय-समय पर लागू होने वाले सामान्य भत्तों सहित 1000-2850 रुपए के वेतनमान में नियुक्त किया जाएगा।

बहुभाषी 'जिस्ट' कार्ड

4037. श्री रामेश्वर पाटीदार : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "सी-डेक" द्वारा विज्ञापित बहुभाषी जिस्ट कार्ड उसी तरह का है, जैसा कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर में तैयार किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इनके मूल्यों में कितना अंतर है;

(ग) "जस्ट" कार्ड के मूल्य की तुलना में कम मूल्य के परसनल कम्प्यूटर का मूल्य कितना है; और

(घ) इसका मूल्य 1000 रुपये से कम करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं, ताकि कम मूल्य वाले परसनल कम्प्यूटर के रूप में इच्छुक ग्राहक को आसानी से खरीद सकें ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० एम० जी० के० मेनन) : (क) उन्नत अभिकलन विकास केंद्र (सी-डैक) द्वारा जिस बहुभाषी "जिस्ट" कार्ड का विज्ञापन जारी किया गया था वह भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था कानपुर द्वारा डिजाइन किए गए कार्ड का संवर्धित रूप है।

(ख) सी-डैक द्वारा विज्ञापित "जिस्ट" कार्ड की अनुमानित कीमत भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर की प्रौद्योगिकी पर आधारित कार्ड की कीमत का लगभग 45% है।

(ग) न्यूनतम साफ्टवेयर सहित कम कीमत वाले वैयक्तिक कम्प्यूटरों की कीमत 12,150 रु० है। "जिस्ट" कार्ड की कीमत 4500 रु० है।

(घ) इन कार्डों की मांग बढ़ने से ही इनकी कीमत कम हो सकती है। इसे हासिल करने के लिए इलैक्ट्रॉनिकी विभाग ने राज्य सरकारों से "जिस्ट" कार्ड युक्त वैयक्तिक कम्प्यूटरों का प्रयोग अधिक से अधिक करने की संभावनाओं का पता लगाने का अनुरोध किया है।

स्टेडियम के निर्माण हेतु राज्यों को केंद्रीय सहायता

4038. श्री गोपीनाथ गजपति : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का स्टेडियमों के निर्माण हेतु राज्यों को केंद्रीय सहायता देने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो केंद्रीय सहायता से देश में कितने स्टेडियमों का निर्माण करने का विचार किया गया है;

(ग) क्या उड़ीसा राज्य में स्टेडियमों के निर्माण के लिए उस राज्य को कोई धनराशि केंद्रीय सहायता के रूप में दिए जाने का विचार किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो किन-किन स्थानों पर स्टेडियमों का निर्माण किया जायेगा और इसके लिए कितनी धन-राशि मंजूर की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमनभाई मेहता): (क) से (घ) "राज्य खेल परिषदों आदि को अनुदान" की योजना के अंतर्गत स्टेडियमों के निर्माण सहित खेल अवस्थापना के सृजन हेतु सहायता की अनुमोदित पद्धति के अनुसार राज्य सरकारों और राज्य खेल परिषदों आदि को केंद्रीय वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

इस योजना के अंतर्गत केंद्रीय अनुदान का दिया जाना, राज्य सरकारों से प्राप्त व्यवहार्य प्रस्तावों पर निर्भर करता है। केंद्रीय सहायता राज्यवार आवंटित नहीं की जाती।

हालांकि, काफी संख्या में केंद्रीय सहायता प्राप्त खेल अवस्थापना परियोजनाएं राज्यों में अधूरी पड़ी हुई हैं, इसलिए विभाग ने तब तक नई परियोजनाओं को प्रोत्साहित न करने का निर्णय लिया है, जब तक कि अधूरी परियोजनाएं पूर्ण नहीं हो जातीं। यह नीति सभी राज्यों पर समान रूप से लागू होती है। उड़ीसा में कुल 141 ऐसी परियोजनाएं पूर्ण होने के लिए पड़ी हैं।

आनंद पर्वत नई दिल्ली स्थित एम० ई० एस० की विवादग्रस्त भूमि

4039. प्रो० रासा सिंह रावत : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली की दीवानी अदालत में आनंद पर्वत नई दिल्ली स्थित एम० ई० एस० की विवादग्रस्त भूमि और बैरकों से संबंधित कितने मामले लंबित पड़े हुए हैं; और

(ख) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राजा रमन्ना) : (क) दो।

(ख) (1) श्री भगवत सिंह, पुत्र श्री राम प्रसाद, निवासी मकान संख्या 207/2, थान सिंह, आनंद पर्वत, नई दिल्ली, ने वरिष्ठ उप-न्यायाधीश दिल्ली की अदालत में एक मुकदमा दायर किया है जिसमें यह प्रार्थना की गई है कि न्यायालय केंद्र सरकार को इस बात के निर्देश दे कि वह गडोडिया रोड की उस भूमि का कब्जा ले ले जिस पर रामजस फाउंडेशन ने अवैध रूप से कब्जा किया हुआ है, जबकि रक्षा प्रयोजनों के लिए इसे अधिग्रहीत किया गया था। इस मामले की सुनवाई के लिए 5 दिसंबर, 1990 की तारीख रखी गई है।

(2) श्री राम सहाय, पुत्र श्री देवी सहाय, निवासी मकान संख्या ए-13, बाबा फरीद पुरी, पश्चिम पटेल नगर, नई दिल्ली, ने वरिष्ठ उप-न्यायाधीश दिल्ली की अदालत में एक मुकदमा दायर किया है। जिसमें यह प्रार्थना की गई है कि मकान संख्या ए-13, बाबा फरीद पुरी, पश्चिम पटेल नगर, नई दिल्ली को न गिराया जाए। यह मकान रक्षा भूमि पर बना हुआ है इसलिए इसका प्रतिवाद किया जा रहा है।

कम्प्यूटरीकृत सहज भाषा ज्ञान के संबंध में अध्ययन रिपोर्ट

4040. **श्री रतिलाल कालीदास वर्मा** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संस्कृत साहित्य हमें सहज भाषा जानने और अनुवाद करने के लिए कम्प्यूटर पर आधारित प्रणालियों को तैयार करने के संकेत उपलब्ध कराता है और वैदिक गणित हमें ग्राफिक सॉफ्टवेयर तैयार करने और बुनियादी प्रोसेसिंग यूनिटों के बारे में संकेत उपलब्ध कराता है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) इन विषयों पर आयोजित विभिन्न कार्यशालाओं के क्या निष्कर्ष निकले हैं और इस प्रयोजनार्थ कौन-कौन से कार्यक्रम निर्धारित किए गए हैं;

(ग) क्या इन विषयों के बारे में कोई अध्ययन रिपोर्ट तैयार की गई है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और यह रिपोर्ट कब तक तैयार कर ली जाएगी और उपलब्ध करा दी जाएगी ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० एम० जी० के० मेनन) : (क) और (ख) संस्कृत और प्राकृतिक भाषा के अभिज्ञान के बारे में बंगलौर में वर्ष 1986 में आयोजित कार्यशाला में "कम्प्यूटरों में प्राकृतिक भाषा अभिज्ञान के लिए संस्कृत भाषा की परख" विषय पर विचार किया गया। इसके परिणामस्वरूप, संस्कृत शिक्षण प्रणाली से संबंधित परियोजनाएं इस समय उन्नत अभिकलन विकास केंद्र (सी-डैक), पुणे तथा जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली में चल रही हैं और यह आशा की जाती है कि ये परियोजनाएं प्राकृतिक भाषा अभिज्ञान एवं अनुवाद के सूत्र उपलब्ध कराएंगी। कम्प्यूटर वैज्ञानिकों तथा संस्कृत भाषा के विद्वानों को इसके लिए एक मंच पर लाया गया है और इस प्रयास में वृद्धि की जाएगी।

प्राकीय सॉफ्टवेयर तथा मूलभूत संसाधन एककों का डिजाइन तैयार करने के लिए वैदिक गणित शास्त्र के इस्तेमाल के संबंध में इस समय कोई परियोजना नहीं है।

(ग) इस विषय पर निम्नलिखित रिपोर्टें तैयार की गई हैं :—

(i) उन्नत अभिकलन प्रौद्योगिकी तथा संस्कृत का संश्लेषण

(ii) संस्कृत एवं कम्प्यूटर

(iii) बुद्धिपरक प्राकृतिक भाषा संसाधन के लिए पाणिनि का मॉडल

(iv) प्राकृतिक भाषा संसाधन में संस्कृत प्रत्ययों की भूमिका

(v) संस्कृत वाक्यों का पद-परिचय

(vi) पाणिनि व्याकरण का क्षेत्र।

(घ) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

सॉफ्टवेयर पैकेज

4041. श्री राजवीर सिंह : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूनीक्स आप्रेटिंग सिस्टम साफ्टवेयर पैकेज समान प्रणाली वाले एम० एस० डी० ओ० एस० साफ्टवेयर पैकेज की तुलना में अधिक महंगे हैं और इस प्रकार लाइसेंस शुल्क के रूप में विदेशी मुद्रा देश से बाहर जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) 'यूनिक्स' साफ्टवेयरों का प्रयोग आरंभ करने का आर्थिक दृष्टि से क्या औचित्य है जबकि सरकारी कार्यालयों में डी० ओ० एस० साफ्टवेयरों का ही पूरी तरह से प्रयोग नहीं किया जा रहा है और कम्प्यूटर का उपयोग बहुत कम किया जा रहा है;

(घ) साफ्टवेयरों के उपयोग, विभिन्न सरकारी कार्यालयों में पर्सनल कम्प्यूटरों और हार्डवेयर तथा साफ्टवेयरों के मूल्यों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकारी विभागों में द्विभागीय क्षमता वाले एस० एस० डी० ओ० एस० तथा 'यूनिक्स' प्रणाली युक्त पर्सनल कम्प्यूटरों का प्रतिशत क्या है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागेय गोवर्धन) : (क) जी, नहीं। यूनिक्स आपरेटिंग सिस्टम मूल रूप से बहु-उपयोगकर्त्ताओं के लिए है जबकि एम० एस० डी० ओ० एस० मात्र एकल उपयोगकर्त्ता के लिए है। दोनों सिस्टम तुलनीय नहीं हैं। तथापि, प्रति टर्मिनल लागत आधार पर, यूनिक्स आपरेटिंग, सिस्टम, संबद्ध सिस्टम साफ्टवेयर के साथ एम० एस० डी० ओ० एस० आधारित सिस्टम तथा साफ्टवेयर से सस्ता है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) यूनिक्स आधारित साफ्टवेयर के प्रयोग का आर्थिक औचित्य बहु-प्रयोगकर्त्ता स्थितियों

में है अथवा बड़े नेटवर्क के अंग के रूप में या 32 बिट सुपर माइक्रो तथा सुपर मिनी कम्प्यूटरों से सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त करने के लिए है।

(घ) और (ङ) सूचना संकलित की जा रही है।

मयूर विहार में स्कूलों का अभाव

4042. श्री हरा अन्नाराव : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मयूर विहार (फेज-1) में पर्याप्त संख्या से स्कूल नहीं है जिसके परिणामस्वरूप भारी संख्या में मयूर विहार के छात्रों को अपनी शिक्षा के लिए मजबूरन नोएडा और नई दिल्ली जाना पड़ता है जबकि समय की मांग "ऊर्जा/पेट्रोल बचत करने" की है;

(ख) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण मयूर विहार में, जहां कि पहले ही स्कूलों का अभाव है, स्कूलों के लिए नियत किए गए स्थान पर आवासीय फ्लैटों का निर्माण कर रहा है; और

(ग) क्या सरकार दिल्ली विकास प्राधिकरण को पब्लिक स्कूल और केंद्रीय विद्यालय खोलने के लिए भूमि आवंटन करने का निदेश देगी ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) दिल्ली प्रशासन द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, मयूर विहार फेज-I में पहले से ही पर्याप्त शैक्षिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। इस क्षेत्र में 3 से 5 किलोमीटर की दूरी के अंदर दो राजकीय सीनियर माध्यमिक स्कूल, दो पब्लिक मिडिल स्कूलों के अलावा 11 और राजकीय स्कूल स्थित हैं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

टी० वी० सैटों का निर्माण

4043. श्री राम दास सिंह : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टी० वी० नीति के अंतर्गत लघु औद्योगिक क्षेत्र, संगठित क्षेत्र, एकाधिकार और अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के अंतर्गत आने वाली कंपनियों एवं 40 प्रतिशत तक विदेशी साम्या पूंजी वाली विदेशी कंपनियों को टी० वी० सैटों का निर्माण करने की अनुमति दे दी गई है;

(ख) एकाधिकार और अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के अंतर्गत आने वाली कंपनियों तथा विदेशी साम्या पूंजी वाली कम्पनियों सहित लघु औद्योगिक क्षेत्र और संगठित क्षेत्र में सादे और रंगीन टी० वी० का निर्माण करने वाली कंपनियों का ब्यौरा क्या है और वर्ष 1989-90 के दौरान प्रत्येक एकक का उत्पादन कितना-कितना था; और

(ग) सरकार ने इन्हें अब तक क्या विशेष प्रोत्साहन दिया है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० एम० जी० के० मेनन) : (क) जी, हां। किंतु एकाधिकार प्रतिबंधनकारी व्यापार पद्धति के अंतर्गत आने वाली कंपनियों तथा अन्य ऐसी ही कंपनियों को जिनकी विदेशी साम्या-पूंजी 40 प्रतिशत से अधिक नहीं है, अपनी यूनिट द्वारा

उत्पादन आरंभ करने की तारीख से 5 वर्षों की अवधि के लिए अपने उत्पादन के कम से कम 25 प्रतिशत के भाग की आपूर्ति किट के रूप में लघु उद्योग की यूनिटों को करनी होगी।

(ख) इलैक्ट्रॉनिकी विभाग में प्राप्त सूचना के अनुसार रंगीन दूरदर्शन और श्याम तथा श्वेत दूरदर्शन विनिर्माताओं के नाम तथा वर्ष 1989 के दौरान प्रत्येक यूनिट द्वारा विनिर्मित रंगीन दूरदर्शन और श्याम तथा श्वेत दूरदर्शन सेटों की संख्या के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) दूरदर्शन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित विशिष्ट उपाय किए गए हैं:—

(i) एक ही औद्योगिक लाइसेंस के अंतर्गत रंगीन और श्याम तथा श्वेत दूरदर्शन सेटों के विनिर्माण की अनुमति दी जाती है।

(ii) रंगीन दूरदर्शन सेटों के उत्पादन के मामले में, प्रचालन के न्यूनतम आर्थिक स्तर के संदर्भ में औद्योगिक उत्पादन क्षमता की अनुमति पुनः दी जाती है।

(iii) उद्योग के सभी क्षेत्रों को टी० वी० सेटों के विनिर्माण में भाग लेने की अनुमति दी जाती है।

विवरण

वर्ष 1989 के दौरान वस्तुवार उत्पादन

वस्तु/विनिर्माता का नाम	वस्तु के ब्यौरे	मात्रा
1	2	3
दूरदर्शन रिसीवर, श्याम तथा श्वेत		
†1. आचार्य इलैक्ट्रॉनिक्स लि०, नागपुर	श्याम तथा श्वेत दूरदर्शन	785
†2. एलांज इलैक्ट्रॉनिक्स प्रा० लि०, नई दिल्ली	,, ,,	1,429
†3. एल्टेक इलैक्ट्रॉनिक्स प्रा० लि०, राजकोट	,, ,,	4,560
†4. एस्ट्रो इलैक्ट्रॉनिक्स प्रा० लि०, हैदराबाद	,, ,,	88
†5. आर्य-ट्रॉन इलैक्ट्रॉनिक्स, इलाहाबाद	,, ,,	3,500
†6. आसाम इलैक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कार्पोरेशन लि० गुवाहाटी	,, ,,	2,661
†7. अटारी (इंडिया) इलैक्ट्रॉनिक्स, कलकत्ता	14" श्याम तथा श्वेत दूरदर्शन	2,977
	20" श्याम तथा श्वेत दूरदर्शन	50
†8. बी० एंड बी० इलैक्ट्रॉनिक्स लि०, नोएडा	श्याम तथा श्वेत दूरदर्शन	186
†9. बजाज इलैक्ट्रॉनिक्स, बंबई	,, ,,	37

1	2	3
†10. बेल्टेक इलैक्ट्रॉनिक्स प्रा० लि०, नई दिल्ली	श्याम तथा श्वेत दूरदर्शन	25,027
†11. बेलटेक इंडिया लि०, नोएडा	,, ,,	48,509
†12. बेस्टावीजन इलैक्ट्रॉनिक्स लि०, नोएडा	14" श्याम तथा श्वेत दूरदर्शन	46,108
	20" श्याम तथा श्वेत दूरदर्शन	10,000
†13. बेस्टावीजन इलैक्ट्रॉनिक्स लि० (पटना), नई दिल्ली	14" श्याम तथा श्वेत दूरदर्शन	10,862
	20" श्याम तथा श्वेत दूरदर्शन	1,330
†14. भाठिया रेडियो वर्क्स, नाभा	श्याम तथा श्वेत दूरदर्शन	3
†15. बिजल इलैक्ट्रॉनिक्स प्रा० लि०, गांधीनगर	,, ,,	48,567
†16. बोनाटोन इलैक्ट्रॉनिक्स प्रा० लि०, गाजियाबाद	,, ,,	48,861
†17. बी० पी० एल० इंडिया लि०, बंगलौर	,, ,,	47,532
†18. बी० पी० एल० इंडिया लि०, पालघाट	,, ,,	16,298
†19. बी० पी० एल० सैन्यो टेक्नोलॉजीज लि०, पालघाट	,, ,,	36,274
†20. बुश इंडिया लिमिटेड, बंबई	,, ,,	50,428
†21. कैलकॉम इलैक्ट्रॉनिक्स लि०, दिल्ली	14" श्याम तथा श्वेत दूरदर्शन	0,19एम, नं०
†22. कलकत्ता प्रीमियर टी० वी० प्रा० लि०, कलकत्ता	श्याम तथा श्वेत दूरदर्शन	3,500
†23. केनन इलैक्ट्रॉनिक्स प्रा० लि०, नई दिल्ली	,, ,,	2,857
†24. कावेरी इलैक्ट्रॉनिक्स प्रा० लि०, बंबई	,, ,,	40,779
†25. सेंट्रल इलैक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रिज, नई दिल्ली	,, ,,	63
†26. कंसोलिडेटिड इंस्ट्रूमेंटेशन प्रा० लि०, बंबई	,, ,,	10
†27. कॉस्मिक इलैक्ट्रॉनिक्स, बड़ोदरा	,, ,,	1
†28. कॉस्मिक रेडियो, बंबई	,, ,,	3
†29. क्रिएटिव इलैक्ट्रॉनिक्स, नोएडा	12/14" श्याम तथा श्वेत दूरदर्शन	24,120
	20" श्याम तथा श्वेत दूरदर्शन	3,940
†30. दीपन इलैक्ट्रॉनिक्स प्रा० लि०, अहमदाबाद	श्याम तथा श्वेत दूरदर्शन	1,800
†31. डेल्टा हेमलिन लि०, नई दिल्ली	,, ,,	13,049
†32. डायमंड इलैक्ट्रॉनिक्स, तिरुनेलवली	,, ,,	40
†33. डायना टेलीविजन प्रा० लि०, इंदौर	14" श्याम तथा श्वेत दूरदर्शन	1,388

1	2	3
†34. डिस्को इलैक्ट्रॉनिक्स लि०, नई दिल्ली	श्याम तथा श्वेत दूरदर्शन	12,915
†35. डायनामिक इलैक्ट्रॉनिक्स लि०, बंगलौर	„ „	39
†36. डायनाविजन लि०, मद्रास	„ „	77,194
†37. ई० सी० पी० लि०, काशीपुर	14" श्याम तथा श्वेत दूरदर्शन	57,958
	20" „ „	10,962
†38. ई० सी० पी० लि०, नई दिल्ली	14" „ „	30,234
	20" „ „	20,071
†39. इलैक्ट्रॉनिक्स कॉम्पोनेंट सिस्टम्स, अहमदाबाद	श्याम तथा श्वेत दूरदर्शन	469
†40. इलैक्ट्रॉनिक्स कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि०, हैदराबाद	„ „	13,515
41. एनफिल्ड इलैक्ट्रॉनिक्स लि०, रानीखेत	श्याम तथा श्वेत दूरदर्शन	3,680
†42. इजूथास्सानूस इलैक्ट्रॉनिक्स प्रा० लि०, त्रिचूर	„ „	1,611
43. फ्यूजवेस इलैक्ट्रो लि०, नई दिल्ली	„ „ 20"	236
†44. जी० सी० जी० रेडियो कार्पोरेशन, दिल्ली	„ „	1,560
†45. गोवा इलैक्ट्रॉनिक्स लि०, मापुसा	„ „	5,511
†46. गोपीनाथ इलैक्ट्रॉनिक्स, धुबरी	„ „	118
†47. ग्रिप सिस्टम्स प्रा० लि०, अहमदाबाद	„ „	25,480
†48. हेंडेज इलैक्ट्रॉनिक्स प्रा० लि०, पालघाट	12/14" श्याम तथा श्वेत दूरदर्शन	1,089
	20" „ „	1,708
†49. हाई-साइड कोरडर, मद्रास	श्याम तथा श्वेत दूरदर्शन	3,450
†50. हिमविजन इलैक्ट्रॉनिक्स, सोलन	„ „14'	6,319
	„ „20"	2,486
†51. आईकॉन इलैक्ट्रॉन प्रा० लि०, कलकत्ता	„ „	1,959
†52. इंडियन टेक्नोलॉजिज एंड इंजी० (इलैक्ट्रो) प्रा० लि०, हैदराबाद	„ „	975
†53. इंडियन टेलीविजन इंडस्ट्रीज, जालंधर	„ „	100
†54. इन्फिनि इलैक्ट्रॉनिक्स, हैदराबाद	„ „1 4"	2,634
	„ „ 20"	112
†55. इपीट्रॉन टाइम्स लि०, भुवनेश्वर	„ „	6,760

1	2		3
†56. जाजोदिया इलैक्ट्रॉनिक्स प्रा० लि०, कलकत्ता	श्याम तथा श्वेत दूरदर्शन		1,070
†57. जॉली रेडियो एंड साउंड सर्विस, रामपुर	,, ,,		9,699
†58. जॉली टेलीविजन्स प्रा० लि०, रामपुर	,, ,,		48,966
59. जुपिटर रेडियोज (रजि०), लुधियाना	,, ,,		91,993
60. जुपिटर रेडियोज (रजि०), नई दिल्ली	,, ,,		72,180
†61. के० सी० जी० इलैक्ट्रॉनिक्स प्रा० लि०, मद्रास	,, ,,		526
‡62. कलानी इलैक्ट्रॉनिक्स, सतारा	,, ,,		88
†63 कंवर एस० एम० कंपनी, नई दिल्ली	,, ,,		695
†64. के०डी० एंड संस, नई दिल्ली	,, ,,	14"	84
	,, ,,	20"	133
†65. केजरीवाल इलैक्ट्रॉनिक्स, कलकत्ता	,, ,,		8,026
†66. केओनिक्स वीडियो लि०, बंगलौर	,, ,,		1,060
†67. केरला स्टेट इलैक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कार्पोरेशन लि०, कालीकट	,, ,,		6,051
†68. केरला स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कार्पोरेशन लि०, त्रिवेंद्रम	,, ,,		6,051
†69. किंगस्टन इलैक्ट्रानिक्स प्रा० लि०, नौएडा	,, ,,		392
70. किशोर आर० छाबड़ा, बंबई	,, ,,		14,683
†71. क्लिच इलैक्ट्रॉनिक्स, मद्रास	,, ,,		278
†72. कोणार्क टेलिविजन लि०, भुवनेश्वर	,, ,,		44,484
†73. कुमाऊं टेलिविजन प्रा० लि०, भीमताल	,, ,,		15,375
†74. के० बी० सी० इलैक्ट्रॉनिक्स एंड इलैक्ट्रिकल्स प्रा० लि०, कलकत्ता	,, ,,	14"	160
75. लक्सोन इलैक्ट्रॉनिक्स प्रा० लि०, गोवा	,, ,,		217
76. लेरीज इलैक्ट्रॉनिक्स प्रा० लि०, गाजियाबाद	,, ,,		423
†77. लोटस टेलिविजन प्रा० लि०, बंबई	,, ,,		11,539
†78. लुम्रांस इलैक्ट्रॉनिक्स, औरंगाबाद	,, ,,		145
79. एम० पी० एस० ई० डी० सी० लि०, भोपाल	,, ,,		5,296

1	2		3
†80. मेजीकॉन इलैक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रीज, गोधरा	श्याम तथा श्वेत दूरदर्शन		70
81. मनीपुर इलैक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कार्पोरेशन लि०, इम्फाल	"	"	3,000
†82. मारवान इलैक्ट्रॉनिक्स एंड इक्यूपमेंट प्रा० लि०, नई दिल्ली	14" श्याम तथा श्वेत दूरदर्शन		22,696
†83. मेक (इंडिया) प्रा० लि०, नई दिल्ली	श्याम तथा श्वेत दूरदर्शन		3,782
†84. मेडल इलैक्ट्रॉनिक्स प्रा० लि०, कलकत्ता	"	"	6,966
†85. मीरा इलैक्ट्रॉनिक्स (नासिक) प्रा० लि०, नासिक	"	"	2,041
†86. मिसक्की इलैक्ट्रॉनिक्स प्रा० लि०, नई दिल्ली	"	"	1,520
†87. माडर्न टेलिविजन कंपनी प्रा० लि०, कलकत्ता	"	"	727
†88. म्यूजिक नेस्ट, नोएडा	"	"	15,753
†89. एम० बी० एच० इंडस्ट्रीज (इलैक्ट्रॉनिक्स डिविजन), जूनागढ़	"	"	114
90. नेशनल रेडियो एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी लि०, बंबई	"	"	1,298
†91. नवरंग इलैक्ट्रॉनिक्स, सहारनपुर	"	"	599
†92. निहारिका इलैक्ट्रॉनिक्स प्रा० लि०, नई दिल्ली	"	" 14"	7,153
	"	" 20"	134
93. निहोन इलैक्ट्रॉनिक्स प्रा० लि०, बंबई	"	"	6,110
†94. नीपा इंटरनेशनल प्रा० लि०, कलकत्ता	"	" 14"	13
†95. नोवावीजन इलैक्ट्रॉनिक्स प्रा० लि०, गाजियाबाद	"	"	1,500
†96. एन०टी०टी०एफ० इलैक्ट्रॉनिक सेंटर, बंगलौर	"	"	688
†97. ओल्ड विलेज इंडस्ट्रीज, गाजियाबाद	"	"	1
98. ओरिएंट वीजन लि०, मद्रास	"	"	42,269
†99. उड़ीसा टेलिविजन, कटक	"	"	738
†100. ओरसन इलैक्ट्रॉनिक्स लि०, बंबई	"	"	6,500
†101. पेनोरमा इलैक्ट्रॉनिक्स प्रा० लि०, कलकत्ता	"	"	17,724
†102. पारा इलैक्ट्रॉनिक्स, नई दिल्ली	"	"	600

1	2	3
†103. पेकॉन इलैक्ट्रॉनिक्स लि०, कलकत्ता	श्याम तथा श्वेत दूरदर्शन	8,608
†104. पोलीमर इंडिया, सालेम	,, ,,	7,000
†105. प्रेस्टिज टेलिवीडियो प्रा० लि०, इंदौर	,, ,,	5,951
†106. पंजाब आनंद वीडियो लि०, मोहाली	,, ,,	22,077
†107. क्वालिटी इलैक्ट्रॉनिक्स एंड इक्यूपमेंट प्रा० लि०, मद्रास	,, ,,	1,219
†108. रॉ-वेल्ट्रॉनिक्स, मद्रास	,, ,,	3,113
†109. राजस्थान इलैक्ट्रॉनिक्स लि०, जयपुर	,, ,,	862
†110. राजू इंजीनियर्स, फतेहपुर	,, ,,	1,170
†111. रॉ इलैक्ट्रॉनिक्स लि०, बंगलौर	,, ,,	84,066
†112. रीना इलैक्ट्रॉनिक्स, मद्रास	,, ,,	388
†113. रूपिका इलैक्ट्रॉनिक्स लि०, नई दिल्ली	,, ,,	4,997
†114. साका इलैक्ट्रॉनिक्स लि०, नई दिल्ली	,, ,,	3,581
†115. सेटेलेक पावर इलैक्ट्रॉनिक्स प्रा० लि०, नई दिल्ली	,, ,,	250
†116. सियर्स इलैक्ट्रॉनिक्स लि०, मद्रास	,, ,,	25,467
†117. संथिल इंजीनियर्स, त्रिचि	,, ,,	480
†118. शैली ऑडियो वीजन्स, नई दिल्ली	14" श्याम तथा श्वेत दूरदर्शन	111
†119. सिद्रकेल टेलिविजन लि०, मंजेरी	श्याम तथा श्वेत दूरदर्शन	3,261
†120. सिग्मा इंजीनियर्स, पुणे	,, ,,	1,048
†121. शिल्पावीजन प्रा० लि०, विजयवाड़ा	,, ,,	2,154
†122. सिन्क्लेअर टेलिविजन्स प्रा० लि०, हैदराबाद	,, ,,	2,241
†123. शिवगंगा इलैक्ट्रॉनिक्स प्रा० लि०, शिवगंगा	,, ,,	126
†124. स्केन्ट्रॉन्स प्रा० लि०, नई दिल्ली	,, ,,	88
†125. सॉलीडेयर इंडिया लि० मद्रास	,, ,,	85,371
†126. सोनोडायन टेलिविजन कार्पोरेशन प्रा० लि०, कलकत्ता	,, ,,	5,658
†127. सोनोविजन लि०, नौएडा	,, ,,	7,841

1	2	3
†128. साउदर्न टेलिविजन प्रा० लि०, मद्रास	श्याम तथा श्वेत दूरदर्शन	6,520
†129. स्पेक्ट्रा ए० वी० एस० प्रा० लि०, नई दिल्ली	" "	5
†130. स्टारट्रॉन वीडियो प्रा० लि०, नई दिल्ली	" "	1,958
†131. स्टेट इलैक्ट्रॉनिक्स इंडिया, सहारनपुर	" "	373
†132. स्टेलार इलेक्ट्रॉनिक्स कार्पोरेशन प्रा० लि०, बंबई	" "	3,622
†133. स्टेलॉन इलैक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रीज, पांडिचेरी	" "	48
†134. सुदर्शन इलैक्ट्रॉनिक्स एंड टी० वी० लि०, बंबई	" "	5,738
†135. सुन्दरसंस इलैक्ट्रॉनिक्स प्रा० लि०, बंबई	" "	3,112
136. सुपर कैसेट इंडस्ट्रीज प्रा० लि०, नई दिल्ली	" "	20,000
†137. सूर्यो उद्योग लि०, भुवनेश्वर	" "	2,872
†138. सुवर्णा इलैक्ट्रॉनिक्स प्रा० लि०, हैदराबाद	" "	5,117
†139. टार्गेट इलैक्ट्रॉनिक्स प्रा० लि०, साहिबाबाद	" "	12,796
†140. टेक्नो इलैक्ट्रॉनिक्स, नई दिल्ली	टेलिविजन रिसिवर्स, श्याम तथा श्वेत	243
†141. टेलिरमा (इंडिया) लि० कलकत्ता	श्याम तथा श्वेत दूरदर्शन	19,069
†142. टेलिविजय प्रा० लि०, मद्रास	14" श्याम तथा श्वेत दूरदर्शन	2,485
	20" " "	3,142
†143. टेलिविजन एंड कॉम्पोनेंटस लि०, बारोदा	श्याम तथा श्वेत दूरदर्शन	0.11 एम नं०
†144. टेलिविजन फैक्ट्री, सोलन	" "	1,570
†145. टेलिस्टार कम्यूनिकेशन सिस्टम्स प्रा० लि०, कन्नौर	" "	515
†146. तोषनीवाल कम्यूनिकेशन इलैक्ट्रॉनिक्स प्रा० लि०, औरंगाबाद	" "	600
†147. त्रिडेंट टेलिविजन प्रा० लि०, कलकत्ता	" "	156
†148. त्रिपुरा इलैक्ट्रीकल्स एंड इलैक्ट्रॉनिक्स, अगरतल्ला	14" श्याम तथा श्वेत दूरदर्शन	720

1	2		3
†149. यूनीकॉन इलैक्ट्रॉनिक्स, कलकत्ता	श्याम तथा श्वेत दूरदर्शन		50
†150. यूनाईटिड टेलिविजन प्रा० लि०,	,,	,, 14″	175
गाजियाबाद	,,	,, 20″	21
†151. अप्ट्रॉन इंडिया लि०, इलाहाबाद	,,	,,	31,653
†152. अप्ट्रॉन इंडिया लि०, जौनपुर	,,	,,	39,142
†153. अप्ट्रॉन इंडिया लि०, लखनऊ	,,	,,	10,137
†154. बी० बी० इलैक्ट्रॉनिक्स, नौएडा	,,	,,	47,656
†155. वेल्विन टेलिविजन लि०, मद्रास	,,	,,	19,957
†156. वीडियो इलैक्ट्रॉनिक्स लि० साहिबाबाद	,,	,,	61,485
†157. वीडियो टेक्निकल प्रा० लि०, बंगलौर	,,	,,	5,780
†158. वीडियोकॉन इंटरनेशनल लि०, औरंगाबाद	,,	,,	159
†159. विडियोन, नई दिल्ली	,,	,,	9,917
160. व्यूट्रॉन इलैक्ट्रॉनिक्स प्रा० लि०, नई दिल्ली	,,	,,	10,587
†161. विजय इलैक्ट्रॉनिक्स प्रा० लि०, हैदराबाद	,,	,,	738
†162. वीटाबॉक्स, नई दिल्ली	दूरदर्शन रिसीवर्स श्याम तथा श्वेत		8,567
†163. वीटाबॉक्स इलैक्ट्रॉनिक्स प्रा० लि०,	14″ श्याम तथा श्वेत दूरदर्शन		23
गाजियाबाद	20″ ,,	,,	4,136
†164. व्यास टेलिविजन एंड कॉम्पोनेंट्स, नागपुर	श्याम तथा श्वेत दूरदर्शन		1,376
†165. वेबल निक्को इलैक्ट्रॉनिक्स लि०, कलकत्ता	,,	,,	17,416
†166. वेस्टन कॉम्पोनेंट्स लि०, नई दिल्ली	,,	,,	23,517
†167. वेस्टन इलैक्ट्रॉनिक्स लि०, नई दिल्ली	,,	,,	96,294
दूरदर्शन रिसीवर, रंगीन			
†1. एंटेक इलेक्ट्रॉनिक्स प्रा० लि०, राजकोट	रंगीन दूरदर्शन		150
†2. असम इलैक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कार्पोरेशन लि०, गोहाटी	,,	,,	1,789
†3. अटारी (इंडिया) इलैक्ट्रॉनिक्स, कलकत्ता	14″ रंगीन दूरदर्शन		253
	20″ ,,	,,	218
†4. बी० एंड बी० इलैक्ट्रॉनिक्स लि०, नौएडा	रंगीन दूरदर्शन		351
†5. बेलटेक इंडिया लि०, नौएडा	,,	,,	14,139

1	2	3
†6. वेस्टाविजन इलैक्ट्रॉनिक्स लि०, नोएडा	रंगीन दूरदर्शन	8,224
†7. वेस्टाविजन इलैक्ट्रॉनिक्स लि० (पटना), नई दिल्ली	" "	1,478
†8. बीनाटोन इलैक्ट्रॉनिक्स प्रा० लि०, गजियाबाद	" "	15,219
†9. बी० पी० एल० इंडिया लि०, बंगलौर	" "	83,394
†10. बी० पी० एल० इंडिया लि०, गुड़गांव	" "	22,492
†11. बी० पी० एल० इंडिया लि०, पालघाट	" "	27,326
†12. बुश इंडिया लि०, बंबई	" "	17,784
†13. केलकॉम इलैक्ट्रॉनिक्स प्रा० लि, दिल्ली	14" रंगीन दूरदर्शन	457
	20" " "	4,071
†14. कलकत्ता प्रिमीयर टी०वी० प्रा० लि०, कलकत्ता	रंगीन दूरदर्शन	1,100
†15. केनन इलैक्ट्रॉनिक्स प्रा० लि०, नई दिल्ली	" "	211
†16. कावेरी इलैक्ट्रॉनिक्स प्रा० लि०, बंबई	" "	6,888
†17. सेंट्रल इलैक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज, नई दिल्ली	" " 14"	150
†18. सेंट्रल इलैक्ट्रॉनिक्स लि०, साहिबाबाद	रंगीन दूरदर्शन/श्वेत श्याम दूरदर्शन	900
†19. कॉस्मिक इलैक्ट्रॉनिक्स, बड़ोदरा	रंगीन दूरदर्शन	24
†20. कॉस्मिक रेडियो, बंबई	" "	158
21. क्रिएटिव इलैक्ट्रॉनिक्स, नौएडा	" "	5,036
†22. दामोदर इलैक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल, कोचीन	" "	307
†23. डेल्टा हेमलिन लि०, नई दिल्ली	" "	417
††24. डायमंड इलैक्ट्रॉनिक्स, तिरुनेल्वेली	" "	25
†25. डायना टेलिविजन प्रा० लि०, इंदौर	" "	63
††26. डिस्को इलैक्ट्रॉनिक्स लि०, नई दिल्ली	" "	1,416
††27. डोम बेल इन्वेस्टमेंट्स प्रा० लि०, कोचीन	" "	2,914
††28. डोम बेल इन्वेस्टमेंट्स प्रा० लि०, नौएडा	" "	45,903
††29. डायनामिक इलैक्ट्रॉनिक्स लि०, बंबई	" "	18,496
30. डायनाविजन लि०, मद्रास	" "	29,697
31. ई० सी० पी० लि०, काशीपुर	" "	4,461
32. ई० सी० पी० लि०, नई दिल्ली	" "	21,348

1	2	3
33. इलैक्ट्रॉनिक्स कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि०, हैदराबाद	रंगीन दूरदर्शन	21,010
†34. एम्पायर ट्रेडिंग कंपनी, नई दिल्ली	" "	26
35. एमफिल्ड इलैक्ट्रॉनिक्स लि०, रानीखेत	" "	1,214
†36. इथुवास्सानूस इलैक्ट्रॉनिक्स प्रा० लि०, त्रिचूर	" "	4,361
†37. फारवर्ड टेलिविजन्स लि०, बंबई	" "	2,850
38. फ्युजबेस इलैक्ट्रो लि०, नई दिल्ली	रंगीन दूरदर्शन 20" नॉन रिमोट	10,800
	" " 20" रिमोट	2,147
39. गोवा इलैक्ट्रॉनिक्स लि० मथुरा	रंगीन दूरदर्शन	1,091
†40. ग्रिप सिस्टम्स प्रा० लि०, अहमदाबाद	" "	12,448
†41. हेल्डेक्स इलैक्ट्रॉनिक्स लि०, पालघाट	" "	2,395
†42. हिमवीजन इलैक्ट्रॉनिक्स, सोलन	" "	794
†43. हॉलीहॉक इन्वेस्टमेंट्स प्रा० लि०, कलकत्ता	" "	11,884
†44. इंडियन टेलिविजन इंडस्ट्रीज, जालंधर	" "	50
†45. इनफिनि इलैक्ट्रॉनिक्स, हैदराबाद	" "	42
46. इपीट्रॉन टाइम्स लि०, भुवनेश्वर	" "	330
†47. जॉली टेलिविजन प्रा० लि०, रामपुर	" "	6,430
48. जुपिटर रेडियोज (रजि०), लुधियाना	" "	20,278
49. जुपिटर रेडियोज (रजि०), नई दिल्ली	" "	9,895
50. कल्याणी शार्प इंडिया लि०, पुणे	" "	39,307
†51. केजरीवाल इलैक्ट्रॉनिक्स, कलकत्ता	" "	4,487
52. कीओनिक्स वीडियो लि०, बंगलौर	" "	1,652
53. केरल स्टेट इलैक्ट्रॉनिक्स डेव० कोर्पो० लि०, त्रिवेंद्रम	" "	5,230
†54. किंग्सटन इलैक्ट्रॉनिक्स प्रा० लि०, नौएडा	" "	132
†55. क्लिच इलैक्ट्रॉनिक्स, मद्रास	" "	23
56. कोणार्क टेलीविजन लि०, भुवनेश्वर	" "	8,492

1	2		3
†57. कुमाऊं टेलीविजन प्रा० लि०, भीमताल	रंगीन	दूरदर्शन	813
58. लेरीज इलैक्ट्रॉनिक्स प्रा०लि०, गाजियाबाद	"	"	24
†59. लोटस टेलीविजन प्रा० लि०, बंबई	"	"	212
60. एम० पी० एस० ई०डी०सी० लि०, भोपाल	"	"	3,866
61. मणिपुर इलैक्ट्रॉनिक्स डेव० कार्पो० लि०, इम्फाल	"	"	2,000
†62. मारवन इलैक्ट्रॉनिक्स एंड इक्विपमेंट प्रा० लि०, नई दिल्ली	"	"	56
†63. मास्टर इलैक्ट्रॉनिक्स कंपनी प्रा०लि०, त्रिवेंद्रम	"	"	100
†64. एम० ई० सी० (इंडिया) प्रा० लि०, नई दिल्ली	"	"	2,394
†65. मीरा इलैक्ट्रॉनिक्स (नासिक) प्रा० लि०, नासिक	"	"	283
†66. एम० आई० सी० इलैक्ट्रॉनिक्स लि०, बंबई	"	"	81,812
†67. मॉडर्न टेलीविजन कंपनी प्रा० लि०, कलकत्ता	"	"	49
†68. मोनीका इलैक्ट्रॉनिक्स प्रा० लि०, नई दिल्ली	"	"	46,324
†69. एम० वी० एच० इंडस्ट्रीज (इलैक्ट्रॉनिक्स डिवीजन) जूनागढ़	"	"	2
70. नेशनल रेडियो एंड इलैक्ट्रॉनिक्स कं० लि०, बंबई	20" रंगीन दूरदर्शन		30,449
71. न्यू वीडियो लि०, नई दिल्ली	रंगीन दूरदर्शन 20"		9
72. निहोन इलैक्ट्रॉनिक्स प्रा० लि०, बंबई	रंगीन दूरदर्शन		3,271
†73. निपा इंटरनेशनल प्रा० लि०, कलकत्ता	रंगीन दूरदर्शन 20/27"		6
74. नटफ इलैक्ट्रॉनिक्स सेंटर, बंगलौर	"	"	301
†75. ओल्ड विलेज इंडस्ट्रीज, गाजियाबाद	"	"	2
76. ओनिडा सेवक लिमिटेड, नौएडा	"	"	19,632
77. ओरिएंट विजन लिमिटेड, मद्रास	"	"	9,206
†78. ओरसान इलैक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बंबई	"	"	2,732

1	2	3
†79. पनोरामा इलैक्ट्रॉनिक्स प्रा० लि०, कलकत्ता	रंगीन दूरदर्शन	1,742
80. पीको इलैक्ट्रॉनिक्स एंड इलैक्ट्रिकल लि०, कलकत्ता	" "	14,000
†81. पीकॉन इलक्ट्रॉनिक्स लि०, कलकत्ता	" "	419
†82. पोलीमर इंडिया, सेलम	" "	4,500
†83. प्रेस्टीज टेलीवीडियो प्रा० लि०, इंदौर	" "	948
†84. क्वेसर इलैक्ट्रॉनिक्स प्रा० लि०, बंबई	" "	3,972
†85. रा-नेस्ट्रॉनिक्स, मद्रास	" "	2,216
86. राजस्थान इलैक्ट्रॉनिक्स लि०, जयपुर	" "	331
†87. राजू इंजीनियर्स, फतेहपुर	" "	129
88. रेलेक्ट्रॉनिक्स लि०, बंगलौर	" "	32,144
†89. रीना इलैक्ट्रॉनिक्स, मद्रास	" "	74
90. रुचिका इलैक्ट्रॉनिक्स लि०, नई दिल्ली	" "	1,731
†91. साका इलैक्ट्रॉनिक्स लि०, नई दिल्ली	" "	17,832
92. सीयर्स इलैक्ट्रॉनिक्स लि०, मद्रास	" "	2,026
†93. श्री रामकृष्ण इलैक्ट्रॉनिक्स लि०, नई दिल्ली	" "	11,372
94. सिदकील टेलीविजन लि०, मंजेरी	" "	259
95. सिगमा इंजीनियर्स, पुणे	" "	15
†96. सिलक्वेयर टेलीविजन प्रा० लि०, हैदराबाद	" "	1,585
†97. शिवगंगा इलैक्ट्रॉनिक्स प्रा० लि०, शिवगंगा	" "	5
†98. स्कॅट्रॉन्स प्रा० लि०, नई दिल्ली	" "	48
99. सोलिडेयर इंडिया लि०, मद्रास	" "	44,109
†100. सोनोडायन टेलीविजन कं० प्रा०लि०, कलकत्ता	" "	3,219
†101. सोनोविजन लि०, नौएडा	" "	30
†102. स्टेलर इलैक्ट्रॉनिक्स कं० प्रा० लि०, बंबई	" "	2,177
†103. सुदर्शन इलैक्ट्रॉनिक्स टी० वी० लि०, बंबई	" "	3,363
†104. सुदर्शन्स इलैक्ट्रॉनिक्स प्रा० लि०, बंबई	" "	134

1	2	3
105. सुपर कैसेट इंडस्ट्रीस प्रा० लि०, नई दिल्ली	रंगीन दूरदर्शन	50,000
†106. सूर्यो उद्योग लि०, भुवनेश्वर	„ „	227
†107. साइनलेन फेब्रिक्स लि०, हैदराबाद	„ „	15,339
†108. साइनलेन फेब्रिक्स लि०, मद्रास	„ „	12,101
†109. तेलीरामा (इंडिया) लि०, कलकत्ता	„ „	2,902
†110. टेलीविजय प्रा० लि०, मद्रास	„ „	55
111. टेलीविजन एंड कम्पोनेंट्स लि०, नरोडा	„ „	43,043
†112. टेलसटार कम्युनिकेशन सिस्टम्स प्रा० लि०, कन्नोर	„ „	1,122
†113. ट्रेसा इलैक्ट्रॉनिक्स प्रा० लि०, अहमदाबाद	„ „	22,400
†114. त्रिडेंट इलैक्ट्रॉनिक्स, कलकत्ता	„ „	60
†115. त्रिडेंट टेलीविजन प्रा० लि०, कलकत्ता	„ „	380
116. अपट्रॉन इंडिया लि०, जौनपुर	„ „	6,401
117. अपट्रॉन इंडिया लि०, लखनऊ	„ „	25,154
†118. वी०जी० इलेक्ट्रॉनिक्स, नोएडा	„ „	4,393
119. वीडियो इलैक्ट्रॉनिक्स लि०, साहिबाबाद	„ „	11,806
†120. वीडियो टेक्निका प्रा० लि०, बंगलौर	„ „	792
121. वीडियोकॉन इंडिया, अहमदनगर	„ „	75,730
†122. वीडियोकॉन इंटरनेशनल लि०, औरंगाबाद	„ „	24,813
†123. वीडियोकॉन, नई दिल्ली	„ „	247
124. व्यूट्रॉन इलैक्ट्रॉनिक्स प्रा० लि०, नई दिल्ली	„ „	357
†125. विजय इलैक्ट्रॉनिक्स प्रा० लि०, हैदराबाद	„ „	187
126. वीवेल नीक्को इलैक्ट्रॉनिक्स लि०, कलकत्ता	„ „	2,102
127. वेस्टन कम्पोनेंट्स लि०, नई दिल्ली	„ „	5,592
128. वेस्टन इलैक्ट्रॉनिक्स लि०, नई दिल्ली	„ „	30,153

टिप्पणी : (1) †लघु उद्योग/सीपज इकाइयां

(2) मात्रा जहां विशिष्ट रूप से बताई गई है उसके अलावा नगों में।

अंटार्कटिका अध्ययन केंद्र

4044. श्री मंगाराज मलिक : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अंटार्कटिका अनुसंधान कार्यक्रम के अंतर्गत एक, अंटार्कटिका अध्ययन केन्द्र स्थापित किया है अथवा करने का विचार किया है तथा "आइस ब्रेकर्स" खरीदने का विचार किया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) अंटार्कटिका के लिए अगला अभियान कब प्रारंभ करने का विचार किया गया है ?

विज्ञान और प्रोद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० एम० जी० के० मेनन) : (क) जी हां, श्रीमान। भारतीय अंटार्कटिक अनुसंधान कार्यक्रम को राष्ट्रीय बल प्रदान करने के लिए एक अंटार्कटिक अध्ययन केन्द्र की स्थापना निम्नलिखित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए की जा रही है;

(1) अंटार्कटिक में राष्ट्रीय वैज्ञानिक कार्यक्रमों को तैयार करना और अंटार्कटिक को भेजे जाने वाले भारतीय अभियानों सहित इन कार्यक्रमों के आयोजन और कार्यान्वयन के लिए संभार सहायता प्रदान करना;

(2) अंटार्कटिक अनुसंधान कार्यक्रमों के समर्थन हेतु अपेक्षित, विशिष्ट प्रयोगशाला सुविधाओं का विकास करना; और

(3) अंटार्कटिक प्रतिदर्शी, आंकड़ों और साहित्य के भंडार का सृजन करना और बहु-विध अनुसंधान को उत्प्रेरित और प्रोत्साहित करना।

वर्तमान में अंटार्कटिक अनुसंधान कार्यक्रम के लिए बर्फ भंजक (आइस ब्रेकर) के अभिग्रहण का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) अंटार्कटिक को भेजा जाने वाला अगला अभियान, जो कि दसवां अभियान होगा, नवंबर के तीसरे सप्ताह में भारत से रवाना होगा।

राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान

4045. श्री बलपत सिंह परस्ते : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान और संस्था के स्वायत्त निकाय को डिग्री प्रदान करने का अधिकार प्राप्त है; और

(ख) यदि हां, तो किस प्राधिकार से ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) जी, हां।

(ख) संघ के ज्ञापन के नियम 12 (ङ) के अंतर्गत राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान को डिग्रियां प्रदान करने का अधिकार है।

रक्षा भर्ती दल

4046. श्री ए० के० ए० अब्दुल समद : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1989-90 के दौरान रक्षा भर्ती दलों द्वारा किन स्थानों का दौरा किया था और दौरों की तिथियों का क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) इनमें से प्रत्येक स्थान का, जिले अथवा इनके अंश के रूप में, "केचमेंट एरिया" कितना है;

(ग) प्रत्येक दौरे में कितने जवान भर्ती किए गए;

(घ) भर्ती दलों के सदस्य कौन थे; और

(ङ) प्रत्येक भर्ती कार्यालय में 1 अप्रैल, 1989 और 1 अप्रैल, 1990 को कितने आवेदक पंजीकृत थे ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राजा रमन्ना) : (क) और (ख) इस संबंध में सूचना संलग्न विवरण-I में दी गई है।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 1549/90]

(ग) भर्ती दलों के कार्य इस प्रकार हैं—दस्तावेजों की जांच करना, शारीरिक माप-तोल की जांच करना, शारीरिक दक्षता का परीक्षण करना और स्वास्थ्य की जांच करना । उम्मीदवार के लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण होने तथा योग्यता सूची में आने के पश्चात् उसकी भर्ती शाखा/भर्ती कार्यालय अंचल भर्ती कार्यालय द्वारा की जाती है। इस प्रकार की गई भर्ती के बारे में सूचना देना लोक हित में नहीं है ।

(घ) "बोर्ड आँफ आफीसर्स" के नाम से जो भर्ती दल बनाया जाता है, उसमें निम्नलिखित शामिल हैं—

(1) कर्नल के रैंक का शाखा भर्ती अधिकारी ।

(2) शाखा भर्ती अधिकारी का स्टाफ जिसमें भर्ती चिकित्सा अधिकारी और सहायक भर्ती अधिकारी होते हैं ।

(3) भर्ती कार्यालय के निकटस्थ सेना फोरमेशन मुख्यालय द्वारा नामित दो स्वतन्त्र सदस्य ।

(ङ) सूचना विवरण-2 में दी गई है ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 1549/90]

गांधी जी के अप्रकाशित पत्र

4047. श्री ललित विजय सिंह : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 1 अगस्त 1990 के "टाइम्स आफ इंडिया" में "दी लटर वर्सेस दी स्प्रिट" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार का विचार गांधी जी के सभी पत्रों को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित

करने तथा उन्हें भारत अथवा विदेशों के सभी ज्ञात स्रोतों से यदि आवश्यक हो तो उचित मूल्य देकर, अर्जित करने का है; और

(ग) राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के इन सभी मूल्यवान रचनाओं को सूचीबद्ध करने, सुरक्षित रखने तथा उन सभी व्यक्तियों को उपलब्ध कराने के लिए क्या उपाय करने का विचार है, जो उनके बारे में जानना चाहते हैं तथा उनके विचार और संदेश से प्रेरणा लेना चाहते हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) जी, हां।

(ख) गांधी जी के पत्रों को राष्ट्रीय संपत्ति के रूप में घोषित किए जाने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है। गांधी जी के पत्रों के कुछ ऐसे संग्रहों को प्राप्त करने के प्रयास किए गए थे, जो भारत में, मूल अथवा प्रकाशित, किसी भी रूप में उपलब्ध नहीं थे। उदाहरणार्थ, गांधी जी और कॉलिनबक के बीच हुए पत्र-व्यवहार से संबंधित 250 से अधिक पत्र 18-12-1986 को सोथेबीज द्वारा आयोजित नीलामी में 27.26 लाख रुपए की लागत पर प्राप्त किए गए थे। गांधी जी द्वारा हेनरी पोलेक को लिखे गए अन्य 80 पत्र सोथेबीज द्वारा 22 जुलाई, 1988 को आयोजित नीलामी में 41.27 लाख रुपए की लागत पर प्राप्त किए गए थे। इन दोनों संग्रहों को भारतीय इतिहास और विरासत के लिए मूल्यवान और महत्वपूर्ण समझा गया था।

(ग) भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार और नेहरू स्मारक संग्रहालय एवं पुस्तकालय में उपलब्ध गांधी जी के कागजात को अध्येताओं और जनता के दर्शनार्थ एवं अध्ययन के लिए समुचित रूप से सूचीबद्ध करके सुरक्षित रखा गया है।

मिजोरम के लिए अलग से विश्वविद्यालय

4048. **डा० सी० सिलवेरा :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मिजोरम सरकार से मिजोरम में अलग विश्वविद्यालय स्थापित किए जाने के बारे में कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) से (ग) 30 जून, 1986 को हस्ताक्षरित मिजोरम पर समझौते के ज्ञापन में अन्य बातों के साथ-साथ इस बात का भी प्रावधान है कि राज्य प्रस्तावित प्रक्रिया अनुसार मिजोरम में अलग विश्वविद्यालय स्थापित कर सकता है। मई, 1988 में मिजोरम के तात्कालिक मुख्यमंत्री ने शिक्षा विभाग को राज्य की विशेष आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मिजोरम में एक अलग उच्च शिक्षा संस्थान स्थापित करने की राज्य सरकार की इच्छा के बारे में सूचित किया था। उन्होंने इस उद्देश्य के लिए परियोजना रिपोर्ट तैयार करने की लागत को पूरा करने के लिए इस विभाग से अनुरोध किया था। उन्हें सूचित किया गया था कि यह विभाग एजूकेशनल कन्सल्टेन्ट इंडिया लि० द्वारा जो इस पर होने वाला सारा खर्च भी उठायेंगे, परियोजना रिपोर्ट को तैयार करने में सहायता करने के लिए तैयार था। यह भी कहा गया था कि परियोजना रिपोर्ट तैयार करने में राज्य सरकार का सहयोग भी लिया जाएगा तथा

विश्वविद्यालय आदि के प्रकार के संबंध में अनेक सुझावों पर भी ध्यान दिया जाएगा। परंतु राज्य सरकार से कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई है।

पेंशन संबंधी असमानताएं

4049. **श्री के० मुरली धरन :**

डा० खुशाल परशराम बोपचे :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1 जनवरी, 1986 से पहले और इनके बाद सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को भिन्न-भिन्न दरों पर पेंशन दी जा रही हैं;

(ख) क्या सरकार को प्रतिनिधियों के विभिन्न दलों से इस असमानता को दूर करने के संबंध में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस असमानता को दूर करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

प्रधान मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की पेंशन उनकी सेवानिवृत्ति के समय प्रचलित परिलब्धियों के स्तर तथा उनकी अर्हक सेवा की अवधि के संदर्भ में उनकी सेवानिवृत्ति की तारीखों पर ध्यान दिए बिना एक ही फार्मूले पर निर्धारित की जाती है। अत: सेवानिवृत्ति की अवधि पर निर्भर करते हुए पेंशन की मात्रा भिन्न-भिन्न होती है।

(ख) और (ग) जैसा कि ऊपर स्पष्ट किया गया है "कोई विसंगति" विद्यमान नहीं है। किंतु भूतपूर्व-सैनिकों सहित केन्द्रीय सरकारी पेंशनरों की ओर से इस आशय के अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि सभी भूतपूर्व सेवानिवृत्त कर्मचारियों को उतनी ही पेंशन दी जानी चाहिए जैसी कि वर्तमान कर्मचारियों को वर्तमान स्तर की परिलब्धियों के संदर्भ में समान रेंकों/ग्रेडों से उनकी सेवानिवृत्ति पर अनुज्ञेय है। "समान रेंक समान पेंशन" को मंजूर करने के लिए भूतपूर्व सैनिकों की मांग विचाराधीन है।

सोवियत संघ को भारत की रक्षा संबंधी जरूरत के बारे में अवगत कराना

4050. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री ने अपनी हाल की सोवियत संघ की यात्रा के दौरान सोवियत अधिकारियों को आठवीं योजना के दौरान भारत की रक्षा संबंधी आवश्यकताओं के बारे में बताया था, और

(ख) यदि हां, तो क्या सोवियत सरकार ने अपने यहां संसाधनों की कमी होने, निरस्त्रीकरण के उपाय अपनाने तथा परिवर्तन संबंधी कार्यक्रमों के चलाए जाने के कारण, भारत की आवश्यकता पूरी करने में अपनी असमर्थता बताई है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राजा रमन्ना) : (क) और (ख) प्रधान मंत्री की सोवियत संघ की हाल की यात्रा के दौरान सोवियत नेताओं के साथ विभिन्न विषयों पर विचार-

विमर्श हुआ। विचार-विमर्श के दौरान परस्पर हित के द्विपक्षीय तथा अंतराष्ट्रीय मामलों पर बातचीत हुई। विचार-विमर्श के दौरान सोवियत संघ के बदलते हुए आर्थिक ढांचे और इसके फलस्वरूप विभिन्न क्षेत्रों में भारत-सोवियत सहयोग पर पड़ने वाले संभावित प्रभावों पर भी चर्चा हुई। सोवियत संघ नेताओं ने रक्षा सहित, सभी क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच चले आ रहे सहयोग को बनाए रखने की अपनी प्रतिबद्धता को पुनः दोहराया है।

प्रदूषण संबंधी उपकरणों पर राज सहायता

4051. श्री जे० चोक्का राव : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का वायु और जल प्रदूषण फैलने वाले उद्योगों/एककों पर भारी जुर्माने करने का विचार है;

(ख) क्या सरकार का, उद्योगों/फैक्टरियों में आने वाले प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों की खरीद पर राज सहायता देने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री नीलमणि राउतराय) : (क) से (ग) प्रदूषण के उपशमन के लिए नीति विवरण का मसौदा तैयार किया गया है जिसमें उद्योगों से विसर्जित प्रदूषकों पर बहिस्राव प्रभार लगाना भी शमिल है। इसकी दर शोधन लागत पर आधारित होगी तथा इतनी निर्धारित की जाएगी जिससे शोधन संयंत्र लगाने और जल संरक्षण करने के लिए प्रोत्साहन मिल सके। ये प्रभार उत्सर्जनों तथा ठोस अपशिष्टों पर भी लागू होंगे।

इस समय, उद्योगों को प्रदूषण नियंत्रण उपकरण लगाने में आर्थिक सहायता देने का कोई प्रस्ताव नहीं है। सरकार ने लघु औद्योगिक इकाइयों के समूहों द्वारा सांझा बहिस्राव शोधन संयंत्र लगाने के लिए आवश्यक प्रदूषण नियंत्रण उपकरण खरीदने हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए जून, 1990 में एक स्कीम शुरू की है। इस स्कीम के अंतर्गत आर्थिक सहायता की राशि 25 लाख रुपये अथवा पूंजी लागत का 25 प्रतिशत, जो भी कम हो, है, बशर्ते राज्य सरकार द्वारा समान अंशदान किया जाए। यह सहायता 50 लाख रु० तक बढ़ाई जा सकती है बशर्ते सरकार तथा अन्य एजेंसियां इससे अधिक अंशदान करें। इसके अतिरिक्त स्वीकृत सूची के अनुसार प्रदूषण नियंत्रण उपकरण खरीदने के लिए सभी इकाइयों के लिए उत्पादन शुल्क पर 5 प्रतिशत तथा सीमा-शुल्क पर 40 प्रतिशत रियायत उपलब्ध है।

वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थाओं का पंजीकरण

4052. श्री मांधाता सिंह : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय औषध अनुसंधान संस्थान, लखनऊ राष्ट्रीय वानस्पतिक अनुसंधान परिषद, लखनऊ और भारतीय विष विज्ञान अनुसंधान परिषद, लखनऊ जैसे वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान, सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत पंजीकृत स्वायत्तशासी संस्थान हैं;

(ख) क्या इन संस्थानों द्वारा प्रयुक्त वाहनों पर आम तौर पर "भारत सरकार" का लेबल लगा होता है और इनके कर्मचारियों पर सी० सी० एस० (सी० सी० ए०) आचरण नियम लागू होते हैं; और

(ग) क्या ये संस्थान 1978 में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय के अनुसार उद्योग के रूप में स्वीकार किये गये हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० एम० जी० के० मेनन) : (क) केन्द्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान (सी० डी० आर० आई०) लखनऊ, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान (एन० बी० आर० आई०), लखनऊ और औद्योगिक विष विज्ञान अनुसंधान संस्थान, (आई० टी० आर० सी०), लखनऊ जैसे वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सी० एस० आई० आर०) के लगभग 40 घटक यूनिट हैं तथा सी० एस० आई० आर० सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अन्तर्गत पंजीकृत सोसाइटी है।

(ख) जी, हां।

(ग) वर्ष 1988 में उच्चतम न्यायालय द्वारा इन संस्थानों को उद्योग के रूप में घोषित नहीं किया गया था। तथापि, वर्ष 1984 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सी० एस० आई० आर० के एक संस्थान—भारतीय पैट्रोलियम संस्थान (आई० आई० पी०) देहरादून को उद्योग के रूप में घोषित किया था। तत्पश्चात् वर्ष 1989 में केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (ट्रिब्यूनल) (सी० ए० टी०), एर्नाकुलम ने सी० एस० आ०ई आर० को उद्योग के रूप में नहीं माना था।

ललित कला अकादमी के कलाकारों द्वारा ज्ञापन

4053. **श्री हन्नान मोल्लाह :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ललित कला अकादमी की समस्याओं के बारे में कलाकारों की ओर से मांग पत्र प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो कलाकारों द्वारा क्या-क्या मुद्दे उठाए गए हैं ; और

(ग) सरकार द्वारा अकादमी के काम-काज तथा स्थिति को दुरुस्त करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) जी, हां।

(ख) (i) ललित कला अकादमी के अध्यक्ष की नियुक्ति।

(ii) हक्सर समिति की रिपोर्ट पर आम बहस करवाना।

(iii) अकादमी के प्रशासन/वित्तीय मामलों में भ्रष्टाचार संबंधी आरोपों की जांच करने के लिए एक तथ्यान्वेषण समिति की नियुक्ति।

(iv) हक्सर समिति की रिपोर्ट को दृष्टिगत रखते हुए अकादमी के पुनर्गठन तक अकादमी की वर्तमान व्यवस्था स्थगित करके इस अंतराल के दौरान अकादमी के मामलों का संचालन करने के लिए एक प्रशासक की नियुक्ति।

(v) कथित आरोपों की जांच तथा अकादमी का पुनर्गठन होने तक अकादमी के प्रमुख कार्यकलापों/कार्यक्रमों का स्थगन ।

(ग) एक पूर्णकालिक अध्यक्ष की नियुक्ति कर दी गई है । आगे की कारंवाई अध्यक्ष के परामर्श से की जाएगी ।

बकरों की सप्लाई का ठेका

[हिन्दी]

4054. **श्री हुक्मदेव नारायण यादव** : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेना के जवानों के लिए बकरों की सप्लाई का ठेका ठेकेदारों को दिया जाता है, यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान कितने बकरे सप्लाई किए गए और उनका वजन कितना है;

(ख) बकरों को तोलने से पहले उन्हें पानी पिलाया जाता है ताकि उनके वजन में 5 से 7 किलोग्राम तक की वृद्धि हो सके, यदि नहीं, तो क्या उन्हें काटे जाने के बाद उनका वजन किया गया था, यदि हां, तो एक जीवित और काटे गए बकरे के वजन में कितना अन्तर पाया गया है; और

(ग) क्या उनकी खाल ठेकेदारों को लौटा दी जाती है अथवा अन्य किसी को बेच दी जाती है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राजा रमन्ना) : (क) साफ किए हुए मांस और "मीट ऑन हूफ" (जीवित पशु) की सप्लाई के ठेके सैन्य कोर के पंजीकृत ठेकेदारों के साथ किए जाते हैं। ठेकेदारों द्वारा सप्लाई की गई भेंड़ें/बकरियां नर या मादा हो सकती हैं और "नर" अथवा "मादा" का कोई अलग रिकार्ड नहीं रखा जाता है । अतः पिछले तीन वर्षों के दौरान सप्लाई किए गए "बकरों" की संख्या बताना संभव नहीं है । लेकिन पिछले तीन वर्षों के दौरान "मीट ऑन हूफ" की संविदा की गई कुल मात्रा इस प्रकार से है—

(1)	1988-89	—1,33,03,000 किलोग्राम
(2)	1989-90	—1,27,86,000 किलोग्राम
(3)	1990-91	— 92,83,000 किलोग्राम

(ख) ठेके की शर्तों के अनुसार पशुओं को सप्लाई के निश्चित समय से 12 घंटे पूर्व अलग किया जाता है और उन्हें जीवित रखने के लिए पानी के अतिरिक्त कोई भोजन नहीं दिया जाता है । जारी करते समय जीवित पशुओं को तोला जाता है तथा तदनुसार जारी की गई वास्तविक मात्रा की जांच की जाती है और उसे आलेखबद्ध किया जाता है । यूनिटों के पास उनकी अपनी आवश्यकतानुसार पशुओं को काटने की व्यवस्था होती है । ठेकेदार को अदायगी जीवित पशुओं (जिसके लिए ठेका किया जाता है) के वजन के आधार पर की जाती है और उनको काटने की व्यवस्था यूनिट में की जाती है । काटे जाने के पश्चात् उनका दुबारा वजन नहीं किया जाता इसलिए जीवित और कटे हुए पशुओं के बोझ भार के अन्तर को बताना संभव नहीं है ।

जारी किए गए मांस की गुणता पर नियंत्रण रखने के लिए विशेष रूप से गठित "स्टेशन बोर्ड" जीवित पशुओं को अलग करने और उनको जारी करने तक की प्रक्रिया पर नजर रखता है । मांस

की गुणवता की पुष्टि के बारे में यूनिटों से सीधे सूचना भी प्राप्त की जाती है। अत: अधिक मात्रा में पानी पिलाकर वजन में वृद्धि करने के अवसर बहुत ही कम होते हैं।

(ग) "मीट आन हूफ" के ठेकों के मामले में पशुओं की खाल पहले से स्वीकृत दरों पर भुगतान करने के बाद ठेकेदारों को अवश्य लौटा दी जाती है बशर्ते ऐसा करना व्यवहार्य/किफायती हो।

दिल्ली नगर निगम में नियुक्त व्यक्तियों को आयु सीमा में छूट देना

[अनुवाद]

4055. श्री बाल गोपाल मिश्र : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारी चयन आयोग द्वारा जिन व्यक्तियों का चयन किया गया है और जिन्हें श्रेणी "सी" पद के अंतर्गत दिल्ली नगर निगम में नियुक्त किया गया है, उन्हें कर्मचारी चयन आयोग और केन्द्रीय सरकार द्वारा अगली भर्ती परीक्षाओं में आयु सीमा में छूट के लाभ से वंचित रखा गया था;

(ख) क्या कर्मचारी चयन आयोग द्वारा दिल्ली प्रशासन/मंत्रालयों के कर्मचारियों को आयु सीमा में छूट दी जाती है; और

(ग) यदि हां, तो दिल्ली नगर निगम में नियुक्त कर्मचारियों को आयु सीमा में छूट न दिए जाने के क्या कारण हैं ?

प्रधान मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) से (ग) सूचना एकत्रित की जा रही है और लोक सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

महाराष्ट्र में घाटे में चल रहे सरकारी उपक्रम

4056. श्री दौलत राव सोनूजी अहेर : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में सरकारी क्षेत्र के कितने उपक्रम घाटे में चल रहे हैं;

(ख) क्या सरकार का इन सरकारी उपक्रमों को गैर सरकारी क्षेत्र में लाने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की नीति क्या है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भगेय गोवर्धन) : (क) केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के ऐसे 8 उद्यम हैं, जिनके पंजीकृत कार्यालय महाराष्ट्र राज्य में स्थित हैं और जो वर्ष 1988-89 को समाप्त तीन वर्ष की अवधि के दौरान लगातार घाटा उठा रहे हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

केरल में केन्द्रीय निवेश

4057. प्रो० पी० जे० कुरियन :

श्री एस० कृष्ण कुमार :

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने राज्य के औद्योगिक क्षेत्र में केन्द्रीय निवेश के लिए हाल में कुछ प्रस्ताव भेजे हैं;

(ख) यदि हां, तो इन प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागेय गोवर्धन) : (क) से (ग) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

सरकारी क्षेत्र में केन्द्रीय पूंजी निवेश

4058. श्री नाथू सिंह : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने विभिन्न राज्यों में सरकारी क्षेत्र के एककों में कितने प्रतिशत पूंजी निवेश किया है;

(ख) क्या इस संबंध में किन्हीं मार्ग निर्देशों/मानदंडों का पालन किया गया था, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार राजस्थान में सरकारी क्षेत्र के एककों में और अधिक पूंजी निवेश करने पर विचार कर रही है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागेय गोवर्धन) : (क) 31 मार्च, 1989 तक केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में सकल परिसंपत्ति के रूप में किए गए पूंजी निवेश का राज्य-वार विवरण 15-3-1990 को सभा-पटल पर रखे गए लोक उद्यम सर्वेक्षण, 1988-89 के खंड-I के पृष्ठ संख्या 26-27 पर उपलब्ध है ।

(ख) संतुलित क्षेत्रीय विकास की आवश्यकता को भी ध्यान में रखते हुए तकनीकी आर्थिक दृष्टिकोणों के आधार पर केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में पूंजीनिवेश किया जाता है ।

(ग) आठवीं योजना के प्रस्तावों पर अभी भी विचार किया जा रहा है । प्रस्तावित प्रमुख योजना इस प्रकार हैं—

क्रम संख्या	सरकारी क्षेत्र के उद्यम/परियोजना का नाम	कुल परिव्यय
1.	हिन्दुस्तान जिंक लि० खानों तथा प्रगालक के लिए राम पुरा, अगुचा तथा चन्देरिया	600 करोड़ रुपए
2.	हिन्दुस्तान कापर लि० खेत्री, राजस्थान में प्रदूषण नियंत्रण उपाय	20 करोड़ रुपए

उपर्युक्त दोनों परियोजनाओं के अलावा, पायराइट्स फासफेट्स एंड केमिकल्स लि० ने राजस्थान में एक एस० एस० पी० एकक स्थापित करने के लिए तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता का अध्ययन करने हेतु प्रथम चरण की स्वीकृति प्रदान कर दी है।

नर्मदा सागर और टिहरी बांध परियोजना

4059. श्री रमेश चेन्नीथाला : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नर्मदा सागर और टिहरी बांध परियोजनाओं के कार्यान्वयन के कारण कुल कितनी वन भूमि और कितने लोग प्रभावित होंगे;

(ख) सरकार द्वारा इन स्थानों पर प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र सुरक्षित रखने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए तैयार की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री नीलमणि राउतराय) : (क) परियोजना प्राधिकारियों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार प्रभावित वन भूमि तथा जनसंख्या के आंकड़े नीचे दिए गए हैं—

	वन भूमि	प्रभावित जनसंख्या	
टिहरी बांध	2582.9 हेक्टेयर	13300 परिवार	
नर्मदा सागर	41111.97 हेक्टेयर	86570 व्यक्ति	1981 की जनगणना के अनुसार
सरदार सरोवर	13385.45 हेक्टेयर	66675 व्यक्ति	

(ख) इन परियोजनाओं को स्वीकृति दे दी गई है बशर्ते कि इंजीनियरी कार्यों के साथ-साथ पर्यावरणीय कार्य योजनाओं का कार्यान्वयन तथा प्रतिपादन हो।

(ग) परियोजना प्राधिकारियों द्वारा अभी पुनर्वास योजनाओं को अंतिम रूप दिया जाना है।

तमिलनाडु में केन्द्रीय निवेश

4060. श्री सी० श्रीनिवासन : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु में सरकारी क्षेत्र के विभिन्न उपक्रमों में अब तक कुल कितनी धनराशि का निवेश किया गया है;

(ख) पूरे देश के सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में किये गए कुल निवेश की तुलना में तमिलनाडु में कितने प्रतिशत धनराशि लगाई गई है;

(ग) क्या तमिलनाडु में किसी सरकारी क्षेत्र के उपक्रम में घाटा हो रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागेय गोवर्धन) : (क) और (ख) 31-3-89 तक तमिलनाडु तथा अन्य राज्यों में स्थित केन्द्रीय सरकारी

क्षेत्र के उद्यमों में, सकल परिसंपत्ति के रूप में किए गए कुल पूंजी निवेश का ब्यौरा, 15-3-90 को सभा-पटल पर रखे गए लोक उद्यम सर्वेक्षण, 1988-89 के खंड-I के पृष्ठ संख्या 26-27 पर उपलब्ध है।

(ग) और (घ) केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र का केवल एक ही उद्यम अर्थात् नेशनल टेक्सटाइल कारपोरेशन (तमिलनाडु एवं पाण्डिचेरी लि०) है, जिसका पंजीकृत कार्यालय तमिलनाडु राज्य में स्थित है और जिसने वर्ष 1988-89 के दौरान 9.53 करोड़ रुपये का शुद्ध घाटा उठाया है।

भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड द्वारा रंगीन पिक्चर ट्यूबों का निर्माण

4061. **श्री सी० पी० मुदाल गिरियप्पा :** क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड के रंगीन पिक्चर ट्यूबों के निर्माण का ठेका प्राप्त करने संबंधी अनुरोध पर क्या कार्यवाही की गई है;

(ख) क्या कुछ गैर सरकारी कंपनियां भी यह ठेका प्राप्त करने का प्रयास कर रही हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राजा रमन्ना) : (क) इस मद के निर्माण के लिए औद्योगिक लाइसेंस प्राप्त करने के लिए कंपनी ने 1988 में एक आवेदन पत्र दिया था। इसे अस्वीकार कर दिया गया है।

(ख) और (ग) निजी क्षेत्र की कुछ कंपनियां—जैसे मैसर्स जे० सी० टी० इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड और मैसर्स सैमटेल कलर लिमिटेड रंगीन पिक्चर ट्यूबों का निर्माण कर रही है। वीडियोकॉन ग्रुप के श्री राज कुमार नन्दलाल धूत ने भी आवेदन किया है कि उन्हें इस मद के निर्माण के लिए विदेशी सहयोग प्राप्त करने की मंजूरी दी जाए।

बिहार में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का आधुनिकीकरण

[हिन्दी]

4062. **श्री जनार्दन यादव :** क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन बिहार में मौजूदा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के आधुनिकीकरण और वहां सरकारी क्षेत्र के नए उद्योग स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागेय गोवर्धन) : (क) बिहार राज्य में सरकारी क्षेत्र का कोई नया उद्यम स्थापित करने अथवा मौजूदा उद्यमों के आधुनिकीकरण का कोई प्रस्ताव, फिलहाल सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

नवोदय विद्यालयों में ग्रामीण विद्यार्थियों के लिए आरक्षण

[अनुवाद]

4063. श्री बी० एन० रेड्डी :

श्री जे० चोक्का राव :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नवोदय विद्यालयों में ग्रामीण विद्यार्थियों के लिए आरक्षण सीटों को अमीर तथा उच्च जाति के विद्यार्थी अपने माता-पिता की वार्षिक आय गलत घोषित करके हथिया रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उन उम्मीदवारों के विरुद्ध, जिन्होंने गलत घोषणा की है, दाखिलों की पुनरीक्षा और उचित कार्यवाही करने का है; और

(ग) क्या सरकार ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों के बराबर पिछड़ी जातियों के विद्यार्थियों के लिए सीटें आरक्षित करने का विचार किया है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) नवोदय विद्यालयों में अभिभावकों की आर्थिक हैसियत के आधार पर दाखिले के लिए स्थानों का आरक्षण नहीं होता। नवोदय विद्यालय योजना में ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों के लिए 75% स्थान आरक्षित होते हैं और शहरी क्षेत्रों के बच्चों के दाखिले के लिये अधिकतम 25% प्रतिबंधित हैं।

(ख) यदि कोई शिकायत विशेष रूप से सरकार के ध्यान में लाई जाती है तो उसकी जांच की जाती है।

(ग) जी, नहीं।

यूकेलिप्टस के दुष्प्रभाव

4064. श्री चिकिहो सेमा : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बड़े पैमाने पर यूकेलिप्टस के वृक्ष लगाने से भूमि की उर्वरकता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है;

(ख) क्या वृक्षों को लगाने के कारण खाद्यान्न फसल उगाने के लिए अनुपयुक्त होने वाली भूमि की उर्वरकता में सुधार के लिए सरकार द्वारा कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या सरकार का कृषि योग्य भूमि में यूकेलिप्टस के वृक्ष उगाने पर प्रतिबंध लगाने का विचार है; और

(घ) 31 मार्च, 1990 की स्थिति के अनुसार जितनी भूमि पर यूकेलिप्टस के वृक्ष उगाये गए हैं उसका राज्यवार ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री नीलमणि राउतराय) : (क) और (ख) सफेदा उगाने से मिट्टी की उर्वरता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है—इसके पक्ष में कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।

(ग) सफेदा के सम्बन्ध में सरकार की नीति इसके रोपण को हतोत्साहित करने की नहीं

है। लेकिन राज्यों को दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं कि एकधान्य के बजाय मिश्रित रोपण प्रोत्साहित किया जाए।

(घ) कितनी भूमि पर विभिन्न किस्म के सफेदे उगाये गये हैं—इस संबंध में आंकड़े नहीं रखे जाते।

उत्तर प्रदेश में केन्द्रीय परियोजनाओं की स्थापना

[हिन्दी]

4065. श्री एम० एस० पाल : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को उत्तर प्रदेश सरकार से राज्य में पिछड़े क्षेत्रों के विकास हेतु नई केन्द्रीय परियोजनाएं स्थापित करने के लिए कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो वहां पर स्थापित की जाने वाली प्रस्तावित केन्द्रीय परियोजनाओं के नाम क्या-क्या हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागेय गोवर्धन) : (क) जी, हां।

(ख) ज्ञापन में, केवल औरय्या में गैस क्रेकर परियोजना और डाउन स्ट्रीम परियोजनाएं स्थापित करने का अनुरोध है। तथापि, उत्तर प्रदेश के सभी सांसदों को सम्बोधित मुख्यमंत्री के दिनांक 7 मार्च, 1990 के पत्र में तथा दिनांक 30-6-1990 की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय सरकार के स्तर पर लंबित परियोजनाओं के संबंध में प्रधान मंत्री कार्यालय को भेजी गयी संक्षिप्त टिप्पणी में उत्तर प्रदेश सरकार ने बुंदेलखंड क्षेत्र में तेल रिफाइनरी और आर्डनेंस फैक्टरी की स्थापना का प्रस्ताव किया है।

घाटे में चल रहे सरकारी क्षेत्र के उपक्रम

[अनुवाद]

4066. श्री नकुल नायक : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने घाटे में चल रहे सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का पता लगाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकारी क्षेत्र के इन उपक्रमों को सातवीं योजना के दौरान प्रति वर्ष हुए घाटे का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकारी क्षेत्र के इन उपक्रमों को अर्थक्षम बनाने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागेय गोवर्धन):(क)से(घ)वर्ष 1988-89 के दौरान केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के घाटा उठा रहे उद्यमों का ब्यौरा, 15 मई, 1990 को सभा-पटल पर रखे गए लोक उद्यम सर्वेक्षण, 1988-89 के खंड I में विवरण 7-ख में पृष्ठ संख्या 218-219 पर दिया गया है। वर्ष 1985 से लेकर 1989 के दौरान उनके द्वारा उठायी गयी हानि का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। वर्ष 1989-90 के दौरान

उठाए गए घाटे के अंतिम आंकड़े इस वर्ष के अंत तक उद्यमों से वार्षिक लेखा परीक्षित लेखे प्राप्त होने तथा संकलित कर लिए जाने के बाद ही उपलब्ध होंगे।

विवरण

सातवीं पंचवर्षीय योजना के वर्ष 1985-89 के दौरान केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों द्वारा उठाई गई हानि का विवरण

(लाख रुपयों में)

क्रम सं०	सरकारी क्षेत्र के उद्यम का नाम	शुद्ध हानि 1988-89	1987-88	1986-87	1985-86
1	2	3	4	5	6
1.	इस्को उज्जैन पाइप एंड फाउंडरी कं० लि०	19	106	25	(+)25
2.	स्पंज आयरन इंडिया लि०	15	128	(+)20	(+)14
3.	इंडियन आयरन एंड स्टील कं० लि०	11955	11575	8014	6099
4.	भारत गोल्ड माइन्स लि०	1242	(+)140	1050	419
5.	भारत रिफ्रेक्ट्रीज लि०	862	475	(+)2621	395
6.	इंडिया फायरब्रिक्स एंड इंस्युलेशन कं० लि०	244	224	192	279
7.	इंडियन रेअर अर्थ लि०	726	1973	490	(+)885
8.	कुद्रेमुख आयरन ओर कं० लि०	1138	2725	1537	2117
9.	राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लि०	2485	1784	(+)66	(+)533
10.	भारत कोकिंग कोल लि०	519	11201	8771	15936
11.	कोल इंडिया लि०	73	137	216	(+)582
12.	साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि०	4756	(+)2057	3006	0
13.	वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि०	1593	(+)823	68	9905
14.	भारतीय गैस प्राधिकरण लि०	5289	7302	—लागू नहीं है—	

1	2	3	4	5	6
15.	हिंदुस्तान फर्टिलाइजर्स कोर पो० लि०	15638	10484	8622	7156
16.	भारतीय उर्वरक निगम लि०	19123	4267	10253	12938
17.	बंगाल कैमिकल्स एंड फार्मास्युटिकल्स लि०	705	771	665	573
18.	बंगाल इम्युनिटी लि०	740	508	428	435
19.	भारतीय सीमेंट निगम लि०	4663	4597	2102	1236
20.	हिन्दुस्तान फ्लूरोकार्बन्स लि०	1039	35	0	चालू नहीं है
21	हिन्दुस्तान साल्ट्स लि०	45	45	4	17
22.	इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स लि०	4642	3022	5138	3241
23.	महाराष्ट्र एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्युटिकल्स लि०	106	75	96	50
24.	उड़ीसा ड्रग्स एंड कैमिकल्स लि०	27	(+)1	14	(+)1
25.	सांभर साल्ट्स लि०	28	21	0	3
26.	स्मिथ स्टेनिस्ट्रीट एंड फार्मास्युटिकल्स लि०	367	221	203	135
27.	सदर्न पेस्टीसाइड्स कोरपो० लि०	153	184	200	(+)6
28.	यू० पी० ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स	47	27	(+)25	(+)40
29.	भारत प्रोसेस एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स लि०	679	318	549	312
30.	भारत वेगन एंड इंजी० कं० लि०	171	(+)77	(+)231	(+)183
31.	ब्रेथवेट एंड कं० लि०	629	892	678	1214
32.	बर्न स्टेन्डर्ड कं० लि०	430	1192	(+)34	(+)27
33.	माइनिंग एंड एलाइड मशीनरी कोरपो० लि०	1000	622	(+)229	1230
34.	त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लि०	282	410	(+)1102	(+)73
35.	वेबर्ड (इंडिया) लि०	103	97	108	85

1	2	3	4	5	6
36.	भारत ब्रेक्स एंड वाल्व्स लि०	211	296	(+)492	409
37.	भारत पम्प्स एंड कंम्प्रेशर्स लि०	2616	873	521	43
38.	बीको लॉरी लि०	856	704	581	420
39.	सेन्ट्रल इलेक्ट्रोनिक्स लि०	453	5	(+)8	(+)17
40.	एच० एम० टी० बियरिंग लि०	109	345	475	(+)13
41	इंटेलीजेंट कम्युनिकेशन सिस्टम इंडिया लि०	6	0	चालू नहीं है	
42.	नेशनल इंस्ट्रूमेंटस लि०	517	444	206	234
43.	रिचर्डसन एंड क्रूडास (1972) लि०	818	858	1500	698
44.	सेमी-कंडक्टर कॉम्प्लेक्स लि०	235	10	213	224
45.	विग्नयन इंडस्ट्रीज लि०	46	0	चालू नहीं है	
46.	केन्द्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन निगम लि०	1017	1311	851	1446
47.	कोचीन शिपयार्ड लि०	2974	2586	1621	864
48.	भारतीय साइकिल निगम लि०	1511	1269	1033	819
49.	हिन्दुस्तान शिपयार्ड लि०	4668	3657	4052	3098
50.	हुगली डॉक एंड पोर्ट इंजी० लि०	145	154	290	308
51.	मझगांव डॉक लि०	1669	3487	2093	3898
52.	भारतीय राष्ट्रीय बाइसाइकिल निगम लि०	829	658	604	496
53.	स्कूटर्स इंडिया लि०	3721	2712	2335	1642
54.	भारत ऑप्थेल्मिक ग्लास लि०	720	683	573	505
55.	बर्डस, जूट एंड एक्सपोर्ट लि०	111	0	चालू नहीं है	
56.	हिन्दुस्तान पेपर कोरपो० लि०	8624	3890	4958	2247
57.	हुगली प्रिंटिंग कं० लि०	13	16	11	17
58.	मार्डन फूड इंडस्ट्रीज (इंडिया) लि०	68	(+)90	103	(+)104

1	2	3	4	5	6
59.	नागालैण्ड पल्प एंड पेपर कं० लि०	2394	2058	2319	2308
60.	नेशनल जूट मैन्युफैक्चर्स कोरपो० लि०	5579	4464	4671	4874
61.	उद्योग पुनर्स्थापन निगम लि०	1453	1052	863	637
62.	टैनरी एंड फुटवियर कोरपो० ऑफ इंडिया लि०	1404	1069	938	929
63.	मण्डया नेशनल पेपर मिल्स लि०	1033	605	583	532
64.	नेशनल न्यूजप्रिंट एंड पेपर मिल्स लि०	514	(+)276	(+)482	(+)79
65.	टायर कोरपो० ऑफ इंडिया लि०	991	944	988	736
66.	राष्ट्रीय बीज निगम लि०	290	440	317	(+)42
67.	उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम लि०	145	33	16	12
68.	कानपुर टेक्सटाइल लि०	505	384	186	123
69.	ने० टे० का० (आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल एंव माहे) लि०	2067	2264	1946	1111
70.	ने० टे० का० (दिल्ली, पंजाब एंव राजस्थान) लि०	1173	620	827	893
71.	ने० टे० का० (गुजरात) लि०	3950	3103	2665	1751
72.	ने० टे० का० (मध्य प्रदेश) लि०	4466	2146	2148	837
73.	ने० टे० का० (महाराष्ट्र उत्तर) लि०	3754	3243	2774	1452
74.	ने० टे० का० (महाराष्ट्र दक्षिण) लि०	3446	2619	1683	718
75.	ने० टे० का० (तमिलनाडु एंव पांडिचेरी) लि०	953	597	152	(+)1
76.	ने० टे० का० (उत्तर प्रदेश) लि०	3048	3087	2455	1271
77.	ने० टे० का० (पश्चिम बंगाल, असम, बिहार एंव उड़ीसा) लि०	3914	2816	2466	2634

1	2	3	4	5	6
78.	ब्रिटिश इंडिया कोरपो० लि०	180	(+)78	385	160
79.	एल्गिन मिल्स कं० लि०	3107	2179	1314	1037
80.	भारत लेदर कोरपो० लि०	51	68	41	12
81.	भारतीय खाद्य निगम लि०	1130	537	127	(+)35
82.	उत्तर पूर्वी हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम लि०	30	35	34	31
83.	स्कूटर इंडिया (इंटरनेशनल) जी० एम० बी० एच० पश्चिम जर्मनी	1	0	चालू नहीं है	
84.	मसाला व्यापार निगम लि०	6	(+)5	3	4
85.	भारतीय हस्तशिल्प एवं हथकरघा निर्यात निगम लि०	146	(+)13	(+)8	69
86.	भारतीय पटसन निगम लि०	369	72	2688	1868
87.	माइका ट्रेडिंग कोरपो० ऑफ इंडिया लि०	174	147	(+)19	(+)23
88.	दिल्ली परिवहन निगम	9899	7888	16400	17692
89.	पवन हंस लि०	798	669	517	4
90.	वायुदूत	1036	362	78	78
91.	ब्रेथवेट, बर्न एंड जेसप कंस्ट्र० लि०	7	94	0	चालू नहीं है
92.	हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन लि०	7033	1210	1016	(+)215
93.	भारतीय सड़क निर्माण निगम लि०	4775	1583	1026	1392
94.	राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लि०	741	1276	2400	(+)122
95	इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लि०	3829	3439	2586	3443
96.	प्रोजेक्ट्स एंड डेवलपमेंट इंडिया लि०	952	518	39	(+)52

1	2	3	4	5	6
97.	राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम लि०	64	(+)26	(+)15	(+)15
98.	भारतीय होटल निगम लि०	648	475	655	406
99.	इण्डो होक्के होटल्स लि०	14	14	0	चालू नहीं है
100.	भारतीय ऋण निर्यात प्रतिभूति निगम लि०	910	386	(+)73	(+)90
101.	आर्टिफिशियल लिम्बस मैनुफैक्चरिंग कोरपोरेशन ऑफ इंडिया	193	198	227	195

+ — वर्ष के दौरान लाभ कमाया।

प्राइवेट इंजिनियरिंग कॉलिज

4067. श्रीमती गीता मुखर्जी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कितने प्राइवेट इंजिनियरिंग कॉलिज हैं और उनमें से कितने ऐसे हैं जिन्हें सरकार द्वारा सहायता नहीं दी जाती और जो अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (आल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्नीकल एजूकेशन) द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है;

(ख) उन्हें मान्यता प्रदान न करने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या इन कालेजों के पास तकनीकी शिक्षा प्रदान करने हेतु पर्याप्त और आवश्यक उपकरण तथा सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं;

(घ) यदि हां, तो ऐसे कालेजों के विरुद्ध क्या कदम उठाये गए हैं; और

(ङ) ऐसे कालेज चलाने वालों के विरुद्ध यदि कोई कार्यवाही की गई है तो वह क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) निजी प्रबंध के अधीन 178 इंजीनियरी कालेज हैं, इनमें से 136 कालेज राज्य सरकारों से गैर सहायता प्राप्त हैं और वे अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा गैर मान्यता प्राप्त हैं।

(ख) इन इंजीनियरी कालेजों को अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के बिना पूर्व अनुमोदन के आरंभ गया किया था।

(ग) से (ङ) इस प्रकार के कालेजों का अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की संबंधित क्षेत्रीय समितियों द्वारा उनके अपने मानदंडो और मानकों अनुसरण में मूल्यांकन किया जाना अपेक्षित है। क्षेत्रीय समितियों को इन कालेजों की व्यवहार्यता का मूल्यांकन करने की सलाह दी गयी है। जहां कहीं भी इन कालेजों को मानकों से पर्याप्त रूप से नीचे पाया जाता है, तभी संबंधित राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों को इन कालेजों को बंद करने के लिए अपेक्षित कार्रवाई करने हेतु

सलाह दी जाती है। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की सलाह पर इस प्रकार के एक कालेज को बंद कर दिया गया है।

बिहार में स्मारकों का जीर्णोद्धार

[हिंदी]

4069. श्री तेज नारायण सिंह :

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा बिहार में संरक्षित की गई प्राचीन स्मारकों का जिलावार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इन स्मारकों के जीर्णोद्धार के लिए धनराशि आवंटित कि गई है;

(ग) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान इसके लिए आवंटित धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(घ) इस अवधि के दौरान अब तक पूरे किए गए जीर्णोद्धार कार्य का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस जीर्णोद्धार कार्य पर कितनी धनराशि खर्च की गई ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) बिहार राज्य के जिन प्राचीन स्मारकों को राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया गया है, उनकी सूची विवरण के रूप में संलग्न है ।

(ख) और (ग) जी, हां । बिहार राज्य के स्मारकों/स्थलों के संरक्षण और अनुरक्षण के लिए पिछले दो वर्षों में आवंटित की गई धनराशि नीचे दी गई है :

1988-89	26,72,000/-रुपये
1989-90	20,25,000/-रुपये

(घ) स्मारकों का संरक्षण और परिरक्षण एक सतत प्रक्रिया है और यह आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं पर निर्भर करती है। पिछले दो वर्षों में, सासाराम, वैशाली, कुमराहार, नालन्दा, राजगीर, अंतीचक, नंदनगढ़ और मलिक सराय में कुछ विशेष संरक्षण कार्य किए गए थे। इन स्मारकों और स्थलों में जो कार्य किए गए, वे हैं— रास्तों की मरम्मत करना, फर्श बनाना, पुल बनाना, ढही दीवारों को दुबारा बनाना, इमारत के सहारे के लिए टेक लगाना और उसे जलरोधी बनाना, कंटीले तार लगाना, नालियों और मोरियों में सुधार करना तथा स्मारकों के परिसरों को विकसित करना, आदि।

(ङ) बिहार राज्य के स्मारकों के संरक्षण और अनुरक्षण के लिए जो व्यय हुआ, वह इस प्रकार है—

1988-89	23,95,927I-रुपयें
1989-90	16,18,802/-रुपये

विवरण

बिहार के संरक्षित स्मारकों/स्थल की सूची

क्रम सं०	स्थान	स्मारक/स्थल का नाम
1	2	3
		जिला औरंगाबाद
1.	शमशेर नगर	शमशेर खान का मकबरा
		जिला भागलपुर
2.	अन्तीच F, माधोरामपुर और ओरामप	विक्रमशिला मठ का प्राचीन स्थल
3.	गोल गोंग	शैल मंदिर
4.	माधोरामपुर	पतलपुरी गुफा और पत्थर घाट पहाड़ पर वटेश्वर गुफा से लगने वाली भूमि शैल
5.	पठारघाट	मूर्तियां
		जिला पूर्व चंपारण
6.	चंकी	ध्वत किला, चंकी गढ़
7.	मढ़िया	नन्दनगढ़ स्थित किले का परकोटा
8.	—वही—	नन्दनगढ़ स्थित ध्वत किला
9.	—वही—	वैदिक दफन टीले
10.	पाकरी	वैदिक दफन टीले
11.	सागरडीह	किले के ध्वसांवशेष
12.	ताजपुर दयुर	बौद्ध स्तूप
		जिला पश्चिम चंपारण
13.	लोरिया आरेराज	लौर स्तम्भ नाम से प्रसिद्ध अशाक स्तम्भ
14.	लौरिया	अशोक स्तम्भ
15.	—वही—	वैदिक दफन टीले
16.	रामपुरवा	अशोक स्तंभ
		जिला दरभंगा
17.	पचरुखी	स्थानीय रूप से राजा बाली का गढ़ नाम से प्रसिद्ध प्राचीन किले अथवा गढ़ के अवशेष

1	2	3
	जिला गया	
18.	बराबर और नागरजुनी पाहड़ियां	गोपी गुफा
19.	—वही—	करणचोपड़ा गुफा
20.	—वही—	लोम ऋषि गुफा।
21.	—वही—	सुदामा गुफा
22.	—वही—	बाड़ा थाका गुफा
23.	—वही—	वाफीयाका गुफा
24.	—वही—	विश्व झोपा गुफा
25.	बकरौर बोध मेहेर	स्थानीय रूप से सुजाम गढ़ नाम से प्रसिद्ध प्राचीन स्तूप और अन्य अवशेष
26.	गेंजन	शेड के नीचे एकत्रित प्राचीन बौद्ध प्रतिमा और मूर्तियां
27.	गुनेरी	शेड के नीचे एकत्रित प्राचीन बौद्ध प्रतिमा और अन्य प्रतिमाएं तथा मूर्तियां
28.	विष्णुपुर-तरवान हसरा और जगदीशपुर	"हसरा कोल" नाम से प्रसिद्ध घाटी में प्राचीन टीले
29.	—वही—	सोमनाथ नाम से प्रसिद्ध पहाड़ी में प्राचीन टीले
	जिला नालन्दा	
30.	बिहार	किल्ला नाम से प्रसिद्ध पुराने किले में सार्वजनिक रूप से रानी का महल नाम से प्रसिद्ध परकोटों और टीले के अवशेष
31.	—वही—	मलिक इब्राहिम बेया का मकबरा
32.	घोरकटोरा	गढ़ नाम से प्रसिद्ध प्राचीन अवशेष
33.	नालंदा (बड़गांव)	अधिगृहीत क्षेत्र में संलग्न सभी टीले, संरचनाएं और इमारतें
34.	गांव अहियापुर मनेर	प्राचीन टीला और ध्वस्त ईंटों की दीवारें
35.	—वही—	—वही—

1	2	3
36.	राजगृह	1. उक्त दीवारों से सलग्न क्षेत्रों में सभी प्राचीन संरचनाएं और अन्य स्मारक अथवा अवशेष 2. प्राचीन अवशेषों वाली सभी प्राचीन संरचनाएं तथा कृत्रिम गुफाएं और टीले जो पुराने और नए राजगृह नाम से प्रसिद्ध उक्त प्राचीन नगरों की आधे मील की दूरी के बीच स्थित है। 3. पुराने और नए राजगृह नामों से प्रसिद्ध प्राचीन दो नगरों की दीवारें
		जिला नवादा
37.	कुरीसराय	कौशल पहाड़ी की कुछ चट्टानों और शिला खंडों के दक्षिणी और पूर्वी भागों में उत्कीर्ण की गई विभिन्न हिंदू-देवी-देवताओं की मूर्तियां
38.	कुरीसराय	कोडोल पहाड़ी के दक्षिण पूर्वी किनारे से 12 फुट की दूरी से पृथक अकेले गोल शिलाखंड के मुख पर उत्कीर्ण विभिन्न हिंदू देवी-देवताओं की मूर्तियां
39.	—वही—	कोडोल पहाड़ी की कुछ शिलाओं के उत्तरी और पूर्वी मुखों पर उत्कीर्णित विभिन्न हिंदू देवी-देवताओं की मूर्तियां
40.	कुरीसराय	कोडोल पहाड़ी के पूर्व में अकेले आयताकार शिलाखंड की प्रत्येक तरफ चार हिंदू देवी-देवताओं की मूर्तियां
41.	—वही—	सभी भग्नावशेष जिनमें बुद्ध की विशाल मूर्ति कुछ बिखरी मूर्तियां और तेरह बालू पत्थर स्तंभ हैं।
42.	कुरीसराय	सार्वजनिक रूप से "गढ़" नाम से प्रसिद्ध क्षेत्र
43.	लाट	लाट नाम से प्रसिद्ध प्राचीन एकाश्म स्तंभ
		जिला मुजफ्फरपुर
44.	कालहुआ	अशोक स्तंभ

1	2	3
		जिला पटना
45.	बुलंदीपुर	बुन्दीनाम नाम से प्रसिद्ध कब्र
46.	छोटी पहाड़ी	"छोटी पहाड़ी" नाम से प्रसिद्ध टीला अथवा स्तूप
47.	कुमराहार	अशोक के महलों का तथाकथित स्थल
48.	मोहल्ला संदेलपोर	लकड़ी की नींवों और प्राचीन मौर्य दीवारों के अवशेष
49.	मनेर	तलाब
50.	—वही—	शाह मकदूम दौलत मनेरी और इब्राहिम खान के मकबरे।
51.	पहाड़ीदीह	पांच स्तूप अथवा पांच पहाड़ी नाम से प्रसिद्ध टीले
52.	पटना	1. प्रक्षालन तलाब 2. मीर अशरफ की जामा मस्जिद 3. पक्का कुआ
		जिला रांची
53.	हुंस	असुर स्थल
54.	पथार टोली	—वही—
55.	बेपेट्टा	प्राचीन शैल मंदिर जिसके अंदर छोटा शिव-लिंग है
56.	खूंटी टीलों	असुर स्थल
57.	कुजला	—वही—
58.	सारिदके	—वही—
		जिला रोहतास
59.	आशिपुर	चन्दन शाहिद पहाड़ी पर अशोक के शिला लेख
60.	बक्सार	प्राचीन टीला
61.	कोटा	1. ताराचान्दी मंदिर के साथ गुफा में शैल आवास में संवत् 1225 के समय के नागरी लिपि में छः पक्तियों वाले शिलालेख के साथ उत्कीर्णित चट्टान 2. उपरोक्त सं॰ 1 में वर्णित उसी आवास में अतीकाल की नागरी लिपि में दो अन्य शिला लेख पंक्तियां

1	2	3
		3. आवास के ऊपर तीन पंक्तियों में अरबी लिपि में एक शिलालेख जिसके आरंभ में दाहिनी तरफ उभार किया गया है।
62.	मलिक सराय	बख्तयार खान का मकबरा
63.	पौरा	मुन्देश्वरी का मंदिर
64.	रोहतासगढ़	रोहतास किला
65.	सासाराम	हसन सूर शाह का मकबरा
66.	—वही—	1. शेरशाह का मकबरा 2. तलाब 3. इसकी दीवारें 4. घाट 5. बगली छतरियां, उत्तरी द्वार और पक्का नदापथ 6. शेरशाह के मकबरे के पश्चिम की ओर का द्वार (दिल्ली दरवाजा)
	जिला सहरसा	
67.	वनगान और महेशी	स्थानीय रूप से गोरदीह नाम से प्रसिद्ध प्राचीन टीला
	जिला संथाल परगना	
68.	अराजी मुकीमपुर	बारादरी इमारतों के भग्नावशेष जहां संभवतः भूमिगत मकरे और रास्ते है।
69.	हावफ	जामा मस्जिद
	जिला सारन	
70.	मांझी	1. उक्त प्राचीन मांझी नगर की सीमाओं में प्राचीन अवशेषों से युक्त सभी प्राचीन संरचनाएं तथा अन्य स्मारक अथवा अवशेष और सभी कृत्रिम गुफाएं और टीले। 2. प्राची मांझी नगर के अवशेष
	जिला सिंहभूम	
71.	बेनीसागर	1. बेनीसागर तालाब 2. उपरोक्त तालाब के दक्षिण-पूर्व किनारे पर मंदिर के पुराने अवशेष और मूर्तियां।

1	2	3
72.	कआम	पुराने किले का स्थल
73.	ईटागढ़	प्राचीन टीला
	जिला वैशाली	
74.	बसढ	राजा वैशाल का गढ़ नाम से प्रसिद्ध टीला
75.	हाजीपुर	जामा मस्जिद
76.	हारपुर बसोनी और चक्रमदास गांव	स्तूप के उत्खनित अवशेष

प्रो० जी० वी० के० राव समिति की सिफारिशें

4070. **श्री सुरेन्द्र सिंह** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण विकास के लिए प्रशासनिक ढांचे के बारे में सिफारिश करने के लिए प्रो० जी० वी० के० राव की अध्यक्षता में वर्ष 1985 में एक समिति गठित की गयी थी;

(ख) यदि हां, तो समिति द्वारा क्या-क्या सिफारिशें की गई थीं और उनमें से कितनी सिफारिशों को कार्यान्वित किया गया है;

(ग) क्या इन सिफारिशों के कार्यान्वयन की व्यवहार्यता का अध्ययन करने के लिए एक समिति गठित की गयी थी; और

(घ) यदि हां, तो इस समिति ने प्रो० जी० वी० के० राव समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन के बारे में क्या निर्णय लिया है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागेय गोवर्धन) : (क) जी, हां। समिति का गठन, ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन व्यवस्थाओं की समीक्षा करने तथा उपयुक्त संरचनात्मक क्रियाविधि की सिफारिश करने के लिए किया गया था ताकि उनका समेकित रूप से नियोजन और प्रभावी ढंग से कार्यान्वयन सुनिश्चित हो सके।

(ख) समिति द्वारा की गयी सिफारिशों का सारांश विवरण के रूप में संलग्न है। अभी तक उनमें से किसी का कार्यान्वयन नहीं किया गया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

सिफारिशों का सारांश

1. समिति महसूस करती है कि अब समय आ गया है कि ग्रामीण विकास की समग्र समीक्षा की जाए। इसे फील्ड स्तर पर विभिन्न अभिकरणों द्वारा की जाने वाली सभी प्रकार की आर्थिक तथा

सामाजिक विकास गतिविधियों को सम्मिलित करना है। अब कुछ विशिष्ट स्कीमों तक ही गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के सीमित रखने का परामर्श नहीं दिया जा सकता।

2. पिछले अनुभव से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि केवल सरकारी तंत्र को ही, आर्थिक विकास तथा सामाजिक न्याय प्राप्त करने का उत्तरदायित्व नहीं सौंपा जा सकता।

3. सातवीं योजना में रखे गए गरीबी उन्मूलन के उद्देश्यों का समर्थन तो करना ही चाहिए, परंतु स्थानीय पहल को अवश्य ही प्रोत्साहित किया जाना चाहिए तथा व्यापक कार्यनीति स्थानीय लोगों द्वारा तैयार की जानी चाहिए। इसलिए, यह जरूरी है कि ग्रामीण विकास के कार्यक्रम तैयार करने तथा उनके कार्यान्वयन में लोगों तथा उनके प्रतिनिधियों को प्रभावी रूप से शामिल किया जाए।

4. पंचायती राज संस्थाओं को सक्रिय बनाना होगा तथा सभी तरह का आवश्यक समर्थन देना होगा ताकि लोगों की समस्याएं सुलझाने के लिए वह प्रभावी संगठन बन सके। इनके चुनाव नियमित रूप से कराने चाहिए।

5. ग्रामीण क्षेत्रों में काम कर रहे स्वैच्छिक अधिकरणों को सूचित आदर्श के साथ हरसंभव तरीके से प्रोत्साहित करना भी आवश्यक है।

6. नीति आयोजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन के लिए जिले को मूल इकाई माना जाना चाहिए। इसलिए सभी विकास कार्यक्रमों, जो कि उस स्तर पर किए जा सकते हैं, के प्रबन्धन के लिए जिला परिषद् को मुख्य निकाय बनाया जाना चाहिए।

7. जिला परिषद् का अध्यक्ष, जिला परिषद् की सह-अवसानी अवधि के लिए अथवा व्यवस्था के पैटर्न पर एक वर्ष के लिए प्रत्यक्ष रूप से चुना जा सकता है। जिला परिषद् का कार्य, अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर चुनी गई अनेक उप-समितियों द्वारा किया जाना चाहिए ताकि सहभागी प्रजातंत्र को विकसित तथा प्रोत्साहित किया जा सके।

8. जिला तथा उसके निचले स्तरों की पंचायती राज संस्थाओं को ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की आयोजना, कार्यान्वयन तथा प्रबोधन के संबंध में महत्वपूर्ण भूमिका सौंपी जानी चाहिए।

9. प्रभावी विकेंद्रित जिला आयोजना के लिए, राज्य स्तर के कुछ आयोजना कार्यों को जिला स्तर पर अंतरित करना होगा।

10. इस संबंध में समिति जिला बजट की संकल्पना को शुरू करने की सिफारिश करती है। यह वांछनीय है कि इसे यथासंभव जल्दी से जल्दी शुरू किया जाए।

11. सही तरीके से तैयार की गई जिला योजना की संकल्पना की पुनरावृत्ति की गई है। ऐसी विकास प्रक्रिया, जिससे यह सुनिश्चित हो कि गरीबों का पूरी तरह से ध्यान रखा गया है, के लिए सही योजना की तैयारी एक पूर्वापेक्षा है। सभी विकास विभाग अपनी गतिविधियों के बारे में स्पष्ट रूप से बताएं, जिन्हें वे गरीबों की सहायता के लिए हाथ में लेंगे।

12. जिला योजना में, योजना तथा योजना-इतर, दोनों ही में उपलब्ध सभी संसाधनों को तथा संस्थागत साधनों को भी शामिल किया जाना चाहिए।

13. सहकारी समितियों सहित बैंकिंग संस्थाओं के लिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि ग्रामीण गरीबों की ऋण संबंधी जरूरतें पर्याप्त रूप से पूरी हों, ऐसी सुविधाओं में गरीबों की वैध उपभोग ऋण जरूरतें भी शामिल की जानी चाहिए।

14. आर्थिक विकास प्रक्रिया इस प्रकार से अभिकल्पित की जानी चाहिए कि इससे गरीबी कम हो। भूमि सुधारों का कार्यान्वयन और ज्यादा उत्साह से करना होगा ताकि वास्तव में यह सुनिश्चित हो सके कि भूमि, भूमि जोतने वाले को मिले।

15. चूंकि ग्रामीण विकास में राज्य स्तर के अनेक विभागों की गतिविधियों को सम्मिलित किया जाता है, इस स्तर पर प्रभावी समन्वय तथा समुचित निर्देशन की तत्काल आवश्यकता है।

16. समिति सिफारिश करती है कि मुख्य सचिव के स्तर के एक बहुत वरिष्ठ अधिकारी को विकास आयुक्त का पदनाम दिया जाना चाहिए तथा वह राज्य स्तर पर विकास प्रशासन का प्रभारी हो।

17. ग्रामीण विकास कृषि, पशुपालन, सहकारिता, उद्योग इत्यादि जैसे प्रमुख ग्रामीण विकास विभाग सीधे उसके कार्यक्षेत्र के अंतर्गत होने चाहिए। इन विभागों के सचिव सीधे उनके अधीन कार्य करेंगे।

18. समिति का विचार है कि जिला स्तर पर विकास प्रशासन को महत्वपूर्ण उत्तरदायित्वों को शामिल करते हुए प्रमुख क्रियाकलाप के रूप में माना जाए।

19. अतः समिति यह सिफारिश करती है कि जिले में सभी विकासात्मक कार्यकलापों की देखरेख तथा समन्वय करने के लिए जिला विकास आयुक्त (डी० डी० सी०) के पद का सृजन किया जाए।

20. जिला विकास आयुक्त को उन सभी राज्यों में जिला परिषदों का प्रमुख कार्यपालक बनाया जाए जहां विभिन्न विकास कार्यक्रमों की आयोजना तथा कार्यान्वयन का उत्तरदायित्व पंचायती राज संस्थानों ने संभाला हुआ है।

21. जिन राज्यों में जिला परिषदें स्थिति में नहीं है, वहां जिला विकास आयुक्त जिला विकास परिषद् के अध्यक्ष तथा मुख्य कार्यपालक का कार्य कर सकता है।

22. जिला विकास आयुक्त का पद जिला कलैक्टर के पद से उच्च स्तर का होना चाहिए ताकि विकास प्रशासन की प्रमुखता अनुरक्षण प्रशासन के ऊपर स्थापित की जा सके।

23. कमजोर आयोजना तंत्र, एजेंसियों की बहुलता तथा प्रभावी समन्वय की कमी वाले मौजूदा जिला गठन को पुनर्गठित करने की आवश्यकता है।

24. जिला विकास आयुक्त की स्थापना के साथ ही जिला स्तर पर आयोजना तथा कार्यान्वयन तंत्र के महत्वपूर्ण पुनर्संगठन को भी प्रभावी बनाया जाना चाहिए।

25. विकास एजेंसियों के प्रसार तथा कार्यों के विभागीयकरण और विखंडन को रोका जाना चाहिए।

26. जिला विकास कार्यालय के सर्वाधिक महत्वपूर्ण हिस्से जिला आयोजना दल, जिला ग्रामीण विकास दल तथा जिला वित्त तथा लेखा अधिकारी हैं, जो जिला बजट के प्रभारी भी होंगे।

27. विविध कार्यात्मक/संबद्ध विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी अपने-अपने क्षेत्रों से संबंधित कार्य करना जारी रखेंगे। फिर भी, उनके द्वारा कार्यान्वित की जा रही स्कीमें तथा कार्यक्रम जिला विकास योजना का अभिन्न हिस्सा होंगे।

28. जिला ग्रामीण विकास योजना के कार्यान्वयन के लिए प्रमुख परिचालन तंत्र ब्लॉक स्तरीय गठन होगा। इस उद्देश्य के लिए ब्लॉक तंत्र को पुनः दुरुस्त करना अनिवार्य है।

29. समिति की सिफारिश है कि ब्लॉक विकास कार्यालय संपूर्ण ग्रामीण विकास प्रक्रिया का अवलंब होना चाहिए। इस उद्देश्य के लिए इस कार्यालय का दर्जा बढ़ाया जाना चाहिए। ब्लॉक/तहसील के मुख्य कार्यपालक अधिकारी का पदनाम सहायक विकास आयुक्त (ए० डी० सी०) किया जाए। सहायक विकास आयुक्त उप-मण्डल अधिकारी के स्तर का अधिकारी होना चाहिए।

30. सहायक विकास अधिकारी एक गतिशील युवा, अधिमानतः 35 वर्ष की उम्र से कम तथा किसी भी मामले में 40 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। उसकी पृष्ठभूमि, प्रशिक्षण, प्रबन्धकीय क्षमता तथा प्रेरणा एक दल के नेता के रूप में कार्य के अनुरूप होनी चाहिए जो कि ब्लॉक में सभी-विकास कार्यों का प्रभारी होगा।

31. ब्लाकों के यौक्तिकीकरण/पुनर्गठन के लिए तत्काल आवश्यकता यह सुनिश्चित करने के लिए है कि उनको सौंपे गए कार्य के लिए व्यवहार्य इकाइयां बन जाएं।

32. जनसंख्या, क्षेत्र तथा मैदान के निश्चित मापदंड के आधार पर ब्लाक का औसत आकार मैदानी इलाकों में 1 लाख जनसंख्या तथा पहाड़ी इलाकों तथा दुर्गम मैदानी तथा जनजातीय क्षेत्रों में 50,000 जनसंख्या हो।

33. उपर्युक्त आधार पर लगभग 6,000 सी० डी० ब्लाक हो सकते हैं।

34. जिला तथा निचले स्तर पर अधिकारियों की तैनाती के यौक्तिकरण की भी तत्काल आवश्यकता है।

35. जिला तथा निचले स्तर पर प्रशासनिक गठन के विभिन्न स्तरों को सौंपे गए कार्य पर विचार करते हुए राज्य सरकारों को स्टाफ आवश्यकताओं का अनुमान लगाना होगा।

36. कुछ मामलों में जनशक्ति का यथेष्ठ संवर्धन नहीं हो; आवश्यकताओं को आवश्यक पुनराभिमुखीकरण/प्रशिक्षण के बाद स्टाफ के पुनर्प्रसारण द्वारा पूरा किया जाएगा।

37. जहां कहीं अतिरिक्त स्टाफ की आवश्यकताएं ग्रस्त हैं, राज्य सरकारें केंद्र को प्रस्ताव भेज सकती हैं।

38. योजना, व्यय, कृषि तथा ग्रामीण विकास विभागों के सचिवों की एक समिति कुछ मापदंडों के आधार पर अतिरिक्त आवश्यकताओं की जांच तथा अनुमोदन करेगी।

39. अतिरिक्त स्टाफ की दो-तिहाई लागत सातवीं योजना के दौरान केंद्र द्वारा वहन की जानी चाहिए।

40. ग्रामीण विकास कार्यक्रम में लगे हुए विभिन्न कार्यकर्ताओं के लिए पुनश्चर्या/अभिमुखीकरण प्रशिक्षण आयोजित किया जाए। इस उद्देश्य के लिए जहां आवश्यक हो अतिरिक्त प्रशिक्षण सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं तथा उनकी पूर्ण लागत केंद्र वहन करे।

भारत और बांग्लादेश के बीच सांस्कृतिक और शैक्षिक समझौता

[अनुवाद]

4071. श्री माणिकराव होडल्या गावीत :

श्री आर० एन० राकेश :

श्री श्रीकान्त दत्त नरसिंह राज वाडियर :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और बांग्लादेश के बीच 31 जुलाई, 1990 को वर्ष 1990 से 1992 तक तीन वर्षों के लिए एक सांस्कृतिक और शैक्षिक विनिमय कार्यक्रम पर हस्ताक्षर हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) जी, हां।

(ख) सांस्कृतिक एवं शैक्षिक विनिमय कार्यक्रम में शिक्षा, कला एवं संस्कृति, पर्यटन, स्वास्थ्य, खेलकूद, रेडियो, टेलीविजन, प्रेस और फिल्मों के क्षेत्र में आदान-प्रदान के विशेष प्रस्तावों द्वारा वैज्ञानिकों, प्रौद्योगिकविदों, इतिहासकारों, शिक्षाविदों, कलाकारों, नर्तकों, संगीतकारों, लेखकों, पुरालेखापालों, पुरातत्वविदों, खेल टीमों, पत्रकारों के दौरों के आदान-प्रदान, सूचना, सामग्री, रेडियो और टेलीविजन कार्यक्रमों, प्रदर्शनियों आदि के आदान-प्रदान के माध्यम से; एक-दूसरे के राष्ट्रिकों को छात्रवृत्तियों की पेशकश करके; पर्यटन को बढ़ावा देकर और दोनों देशों के बीच यात्रा को सुकर बनाकर तथा ऐसे ही कार्यों के माध्यम से दोनों देशों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों और सहयोग को विकसित करने तथा सुदृढ़ करने पर विचार किया गया है।

स्वघोषित विश्वविद्यालयों के विरुद्ध विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की चेतावनी

[हिन्दी]

4072. श्री गुलाब चन्द्र कटारिया :

श्री प्रकाश कोको ब्रह्मभट्ट :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 27 विश्वविद्यालयों को स्वघोषित विश्वविद्यालयों की श्रेणी में रखा है और छात्रों को उनके द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रमों को लेने की प्रति चेतावनी दी है जैसा कि 18 जुलाई, 1990 के "इंडियन एक्सप्रेस' में प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इन विश्वविद्यालयों के नाम क्या हैं और ये विश्वविद्यालय किन-किन राज्यों में चलाए जा रहे हैं; और

(ग) ऐसे विश्वविद्यालयों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) और (ख) जी, हां। इन स्व-घोषित विश्वविद्यालयों की राज्यानुसार सूची विवरण के रूप में संलग्न है।

(ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को जब भी इन स्व-घोषित विश्वविद्यालयों के बारे में पता चलता है तो आयोग इस प्रकार के संस्थानों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम के अंतर्गत अपने नाम के आगे से यूनिवर्सिटी/विश्वविद्यालय/विश्वविद्यापीठ शब्द हटाने व डिग्रियां न प्रदान करने के लिए नोटिस जारी करता है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष ने सभी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को इस प्रकार के स्व-घोषित विश्वविद्यालयों के विषय में जानकारी देने के लिए लिखा है तथा उनसे इस प्रकार के संस्थानों के विरुद्ध उचित कारंवाई करने का अनुरोध किया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने देश में इस प्रकार के झूठे विश्वविद्यालयों के प्रादुरोद्भव के प्रश्न पर विचार करने तथा इस प्रकार के संस्थानों की बढ़ती संख्या को रोकने के लिए सुझाव देने व विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम में संशोधन के सुझावों के लिए तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर जुर्माना बढ़ाने के लिए समिति की स्थापना की है।

विवरण

बिहार	1. मैथिली यूनिवर्सिटी/विश्वविद्यालय
जम्मू व कश्मीर	1. आर्य विश्वविद्यालय, श्रीनगर
केरल	1. श्री नारायण मुक्त विश्वविद्यालय, क्वाइलोन
	2. यूनिवर्सिटी म्यूजक्यलम, कुयूपरम्मा, केन्नौर
	3. वर्ल्ड सोशल वर्क यूनिवर्सिटी, फेरूनगडी
	4. सेंट जान विश्वविद्यालय, किजानत्तम
	5. सेल्फकल्चर विश्वविद्यालय, किजानत्तम
महाराष्ट्र	1. राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, नागपुर
दिल्ली	1. तक्षशिला केंद्रीय विश्वविद्यालय, उत्तमनगर, नई दिल्ली
	2. कमशियल यूनिवर्सिटी लि॰, दरियागंज, दिल्ली
	3. संयुक्त राष्ट्र यूनिवर्सिटी, दिल्ली
पंजाब	1. अमृतसर विश्वविद्यालय, अमृतसर
	2. पश्चिमी विश्वविद्यालय, कपूरथला
	3. व्यावसायिक विश्वविद्यालय, अमृतसर व दिल्ली
तमिलनाडु	1. टेस्टेटर अनुसंधान विश्वविद्यालय, बोडीनाया कनूर
	2. डी॰ डी॰ बी॰ संस्कृत विश्वविद्यालय, पुथुर, तिरुची
	3. बाईबल विश्वविद्यालय, अम्बूर उत्तरी आर्कोट
	4. पूर्वी आर्थोडाक्स विश्वविद्यालय, अम्बूर उत्तरी आर्कोट
	5. ग्लोब विज्ञान विश्वविद्यालय, कुम्भाकोनम

उत्तर प्रदेश
1. महिला ग्राम विद्यापीठ/विश्वविद्यालय (महिला विश्वविद्यालय) प्रयाग, इलाहाबाद
2. वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी
3. गांधी हिन्दी विद्यापीठ, प्रयाग, इलाहाबाद
4. नेशनल यूनिवर्सिटी आफ इलैक्ट्रो काम्प्लेक्स होम्योपैथी, कानपुर
5. नेताजी सुभाष चंद्र बोस विश्वविद्यालय (मुक्त विश्वविद्यालय) अचलताल, अलीगढ़
6. श्रीमती महादेवी वर्मा मुक्त विश्वविद्यालय, मुगलसराय
7. उत्तर प्रदेश विश्वपीठ, कोसीकला (मथुरा)
8. महाराणा प्रताप शिक्षा निकेतन विश्वविद्यालय, प्रतापगढ़

गैर-हिन्दी भाषी राज्यों में हिन्दी पढ़ाना

[अनुवाद]

4073. श्री अनादि चरण दास : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गैर-हिंदी भाषी किन-किन राज्यों में प्राइमरी, मिडिल और सेकेंडरी स्तरों पर, पृथक-पृथक रूप से हिंदी पढ़ाना शुरू हो गया है;

(ख) क्या उड़ीसा में हिंदी को सैकेंडरी स्तर पर एक अनिवार्य विषय बना दिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) सूचना विवरण के रूप में दी गई है।

(ख) और (ग) अपेक्षित सूचना राज्य सरकार से प्राप्त की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

विवरण

प्राइमरी स्तर पर हिन्दी पढ़ाना

राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम

1. अरुणाचल प्रदेश
2. जम्मू और कश्मीर
3. पंजाब
4. अंडमान निकोबार द्वीप समूह
5. चंडीगढ़
6. दिल्ली

7. दादरा और नगर हवेली
8. पांडिचेरी (माहे और यनम क्षेत्र)

मिडिल स्तर पर हिन्दी पढ़ाना

1. आंध्र प्रदेश
2. असम
3. गोवा
4. गुजरात
5. कर्नाटक
6. केरल
7. महाराष्ट्र
8. मणिपुर
9. मेघालय
10. मिजोरम
11. नागालैंड
12. उड़ीसा
13. सिक्किम
14. त्रिपुरा
15. पश्चिम बंगाल
16. दमन और दीव
17. लक्षद्वीप

माध्यमिक स्तर पर हिंदी पढ़ाना—

दक्षिण मध्य सांस्कृतिक केन्द्र, नागपुर की गतिविधियां

4074. श्री बनवारी लाल पुरोहित : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्रीय सरकार ने कुछ समय पूर्व नागपुर में दक्षिण-मध्य सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना की थी;

(ख) क्या पिछले अनेक महीनों के दौरान, उक्त सांस्कृतिक केंद्र कोई गतिविधि नहीं चला रहा है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा सांस्कृतिक केंद्र के सही प्रयोग किए जाने के बारे में क्या कदम उठाने का विचार है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) जी, हां।

(ख) 1990 के दौरान नागपुर केंद्र द्वारा निम्नलिखित कार्यक्रम आयोजित किए गए :—

(i) महाराष्ट्र में कर्नाटक दर्शन,

(ii) आंध्र प्रदेश में मध्य प्रदेश दर्शन

(iii) मध्य प्रदेश में आंध्र प्रदेश दर्शन

(iv) शास्त्रीय नृत्य साधना शिविर

(v) लोक कला यात्रा आंध्र प्रदेश

(vi) जुगार उत्सव

(vii) बाल नाट्य प्रशिक्षण शिविर

(viii) झांकियों और मूर्तियों की प्रदर्शनी

(ix) शास्त्री नृत्य साधना शिविर

(x) विकलांग बच्चों के लिए थिएटर कार्यशाला

(xi) बच्चों के लिए ग्रीष्म कार्यशालाएं

(xii) स्कूली बच्चों के लिए वृंदगान भारत भारती शिविर

(xiii) बच्चों के लिए क्षेत्रीय चित्रकला प्रतियोगिता

(xiv) युवा संगीत नृत्य महोत्सव

इनके अलावा, केंद्र ने अन्य केंद्रों/संगठनों द्वारा आयोजित किए गए समारोहों में भाग लिया।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

20-सूत्री कार्यक्रम के लिए गुजरात और महाराष्ट्र को आवंटन

[हिन्दी]

4075. श्री हरि शंकर महाले : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान 20-सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए महाराष्ट्र और गुजरात को, वर्ष-वार और सूत्र-वार कुल कितनी धनराशि आवंटित की गई;

(ख) इन राज्यों में वर्ष-वार और सूत्र-वार कितनी राशि व्यय की गई;

(ग) क्या दोनों राज्य सरकारों ने समूची धनराशि का उपयोग कर लिया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागेय गोवर्धन) : (क) गुजरात और महाराष्ट्र के राज्य योजना क्षेत्र में पिछले दो वर्षों 1988-89 और 1989-90 के दौरान 20-सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु किए गए वर्ष-वार और सूत्र-वार आवंटन संलग्न विवरण-1 में दिए गए हैं।

(ख) राज्य सेक्टर में वर्ष 1988-89 और 1989-90 के दौरान इन राज्यों में व्यय की गई राशि संलग्न विवरण-2 में दी गई है।

(ग) और (घ) वर्ष 1988-89 और 1989-90 के दौरान 20-सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वयन में महाराष्ट्र राज्य सरकार ने वर्ष 1988-89 के दौरान परिव्ययों का 97% और वर्ष

1989-90 के दौरान 89% भाग प्रयुक्त किया है और दोनों ही वर्षों में वास्तविक कार्य निष्पादन में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। गुजरात राज्य सरकार ने वर्ष 1988-89 के दौरान परिव्ययों का 84% और 1989-90 के दौरान 87% भाग प्रयुक्त किया और इन दो वर्षों में वास्तविक कार्य निष्पादन में क्रमशः बारहवां और दसवां स्थान प्राप्त किया।

विवरण-1

राज्य योजना सेक्टर के अन्तर्गत 20-सूत्री कार्यक्रम के लिए वर्ष 1988-89 और 1989-90 के दौरान गुजरात और महाराष्ट्र को धनराशि का आवंटन

(लाख रु० में)

क्र०सं० मद	गुजरात		महाराष्ट्र	
	1988-89	1989-90	1988-89	1990-90
1. ग्रामीण गरीबी पर आक्रमण				
आई० आर० डी० पी०	1557	1623	2559	3088
एन० आर० ई०पी०/जे०आर० वाई०	889	1591	2140	4139
सी० डी० व पंचायतें	176	150	56	70
ग्राम व लघु उद्योग	3000	4000	1450	1945
2. वर्षा सिंचित कृषि	323	373	675	749
3. सिंचाई का बेहतर प्रयोग	34730	36500	52845	53011
4. बृहद्तर उपज	3822	3869	8657	9174
5. भूमि सुधार	300	345	65	79
6. सुरक्षित पेयजल	2707	3450	10058	10000
7. सब के लिए स्वास्थ्य	1121	1275	3500	4200
8. दो बच्चों का नियम-पोषाहार	5500	7300	595	456
9. शिक्षा	3945	4440	9396	13144
10. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति को न्याय	3190	3500	2250	2700
11. युवाओं के लिए अवसर	58	60	261	500
12. लोगों के लिए आवास	1170	1500	730	442
13. गंदी बस्तियों का सुधार	85	100	900	1215
14. वानिकी	3000	3500	3390	3946
15. पर्यावरण का संरक्षण	52	50	110	92
16. उपभोक्ताओं के लिए दिलचस्पी	16	15	—	—
17. गांवों को ऊर्जा	40	40	40	40
जोड़	65681	73681	99676	108990

विवरण-2

राज्य योजना सेक्टर में वर्ष 1988-89 और 1989-90 के दौरान गुजरात और महाराष्ट्र में 20-सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत व्यय दर्शाने वाला विवरण

(लाख रु०)

क्र०सं०	मद	गुजरात		महाराष्ट्र	
		1988-89	1989-90	1988-89	1989-90
1	2	3	4	5	6
1.	ग्रामीण गरीबी पर आक्रमण				
	आई० आर० डी० पी०	1747	1623	2631	3088
	एल० आर० ई० पी० जे० आर० वाई०	1417	1300	2616	4304
	सी० डी० व पंचायतें	74	150	53	70
	ग्राम व लघु उद्योग	3891	4100	1920	1531
2.	वर्षा सिंचित कृषि	382	373	745	749
3.	सिंचाई का बेहतर प्रयोग	23539	29700	53114	44103
4.	बृहत्तर फसलें	3434	3460	7314	9674
5.	भूमि सुधार	378	345	76	79
6.	सुरक्षित पेयजल	2691	3250	8844	7874
7.	सबके लिए स्वास्थ्य	944	1275	3825	3596
8.	दो बच्चों का नियम पोषाहार	5181	5300	510	456
9.	शिक्षा	3690	4506	7580	12221
10.	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति को न्याय	3204	3300	2072	2700
11.	युवाओं के लिए अवसर	15	64	268	374
12.	लोगों के लिए आवास	1170	1500	631	442
13.	गंदी बस्तियों का सुधार	85	100	896	1215
14.	वानिकी	2934	3500	3022	3946
15.	पर्यावरण का संरक्षण	51	50	30	68
16.	उपभोक्ताओं में दिलचस्पी	10	15	72	—
17.	गांवों के लिए ऊर्जा	40	40	40	50
	जोड़	54877	63951	96259	96540

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के भारत कला भवन के कार्यकरण के बारे में शिकायतें

[अनुवाद]

4076. श्री राम धन : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के भारत कला भवन के कार्यकरण के बारे में कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) इन शिकायतों में किन-किन विशिष्ट मुद्दों को उठाया गया है; और

(ग) इन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) से (ग) सरकार को पिछले तीन वर्षों के दौरान बनारस हिन्दु विश्वविद्यालय के भारत कला भवन के कार्यकलापों के संबंध में कई शिकायतें प्राप्त हुई हैं। शिकायतें प्रशासनिक व वित्तीय कुप्रबंध, खोयी हुई वस्तुओं, कलावस्तुओं की प्राप्ति/सूचीपत्र तैयार करने में अनियमितताओं, अनुचित वास्तविक सत्यापन आदि से संबंधित हैं।

विश्वविद्यालय द्वारा दी गई सूचनानुसार कुलपति ने मार्च, 1989 में तथ्यों का पता लगाने के लिए एक समिति गठित की थी जो भारत कला भवन के कार्यकलापों की जांच करेगी तथा इसके सुधार के लिए तरीकों व उपायों के बारे में सुझाव देगी चूंकि इसके सदस्यों ने स्वीकृति देने के पश्चात् बाद में स्वास्थ्य के आधार पर सदस्यता से इनकार कर दिया, अतः कुलपति ने दिसंबर, 1989 में समिति पुनर्गठित की। समिति ने अपनी रिपोर्ट अभी तक नहीं दी है। कुलपति से समिति का कार्य शीघ्र निपटाने का अनुरोध किया गया है।

दांडी सत्याग्रह राष्ट्रीय स्मारक का विकास

[हिन्दी]

4077. श्री सी० डी० गामित : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा "दांडी सत्याग्रह राष्ट्रीय स्मारक" के विकास के लिए अब तक कितनी धनराशि व्यय की गई है;

(ख) क्या उक्त स्मारक के और विकास के लिए कोई योजना तैयार की गई है अथवा कोई योजना सरकार के विचाराधीन है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस उद्देश्य हेतु कितनी धनराशि व्यय की जाएगी ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) संस्कृति विभाग ने गत तीन वर्षों में दांडी सत्याग्रह राष्ट्रीय स्मारक के विकास के लिए कोई व्यय नहीं किया है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

वैज्ञानिक नीति सम्बन्धी संकल्प में संशोधन

[अनुवाद]

4078. श्री अमीन हासमी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मार्च, 1958 के वैज्ञानिक नीति सम्बन्धी संकल्प में संशोधन किया जा चुका है, यदि हां, इस ती सम्बन्ध में वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या 1983 का प्रौद्योगिकी नीति सम्बन्धी कथन अभी लागू है, यदि नहीं, तो उसकी वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) क्या औद्योगिक नीति में अब प्रस्तावित परिवर्तन मार्च, 1958 के वैज्ञानिक नीति संबंधी संकल्प तथा 1983 की प्रौद्योगिकी नीति के उद्देश्यों को देखते हुए किए जा रहे हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० एम० जी० के० मेनन) : (क) जी, नहीं। मार्च, 1958 का वैज्ञानिक नीति संकल्प अभी भी वैध है।

(ख) जी, हां। 1983 का प्रौद्योगिकी नीति सम्बन्धी वक्तव्य लागू है।

(ग) भारत सरकार की विद्यमान औद्योगिक नीति के व्यापक ढांचे के अंतर्गत, जैसा कि 1956 के औद्योगिक नीति संकल्प में उल्लिखित है और जैसा कि उसे समय-समय पर विस्तृत किया गया है, सरकार ने हाल ही में कुछ निर्णय लिए हैं जिन्हें 31 मई, 1990 को संसद के दोनों सदनों में रखे गए कागजातों में प्रस्तुत किया गया है। ये कागजात "लघु उद्योग और कृषि-आधारित उद्योगों के संवर्धन और औद्योगिक स्वीकृतियों के लिए पद्धतियों में परिवर्तन हेतु नीति उपाय" नामक शीर्षक से हैं। राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर विद्यमान औद्योगिक पर्यावरण को ध्यान में रखते हुई ये उपाय निवेश और उत्पादन के लिए जलवायु और पद्धतियों में सुधार लाने के लिए बनाए गए हैं। ये उपाय 1958 के वैज्ञानिक नीति संकल्प और 1983 के प्रौद्योगिकी नीति वक्तव्य के मूल पहलुओं पर कोई प्रभाव नहीं डालते हैं। नए औद्योगिक नीति उपायों के विस्तृत कार्यान्वयन में यह सुनिश्चित किया जाएगा कि वैज्ञानिक नीति संकल्प और प्रौद्योगिकी नीति वक्तव्य में उल्लिखित उपाय पूर्णतः वैध रहें।

हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा युद्ध पोतों का निर्माण

4079. श्री पी० एम० सईद : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित युद्धपोतों का समुद्री परीक्षण कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं; और

(ग) युद्धपोत का कुल मूल्य कितना है और इसकी विभिन्न प्रकार की प्रहार क्षमताएं क्या-क्या हैं ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राजा रमन्ना) : (क) जी, नहीं। मैसर्स हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड में निर्माणाधीन एक अपतटीय गश्ती पोत का सितंबर, 1990 के प्रथम सप्ताह में समुद्र में परीक्षण किए जाने का कार्यक्रम है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में ब्यौरे नहीं दिए जा सकते हैं।

अमरीका के सहयोग से सुपरसोनिक लड़ाकू प्रशिक्षण विमान का निर्माण

[हिन्दी]

4080. **श्री के० डी० सुल्तानपुरी :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राज्य अमरीका ने भारत में सुपर-सोनिक लड़ाकू प्रशिक्षण विमान टी० एफ० 5 के निर्माण के लिए सहयोग का प्रस्ताव रखा है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर कितना खर्च आने का अनुमान है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राजा रमन्ना) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) आगे और ब्यौरे देना राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में नहीं है।

केन्द्रीय सचिवालय सेवा के विभिन्न ग्रेडों की संवर्ग पुनरीक्षा

[अनुवाद]

4081. **श्री कादम्बुर एम० आर० जनार्दन :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सचिवालय सेवा के विभिन्न ग्रेडों की गत 25 वर्षों के दौरान संवर्ग पुनरीक्षा नहीं हुई है;

(ख) यदि हां, तो क्या इसके परिणामस्वरूप केन्द्रीय सचिवालय सेवा के, विशेष रूप से अवर सचिव ग्रेडों और अनुभाग अधिकारी ग्रेड में पदोन्नति में भारी गतिरोध विसंगति पैदा हुई है;

(ग) क्या सरकार का विचार निकट भविष्य में केन्द्रीय सचिवालय सेवा के सम्पूर्ण संवर्ग की पुनरीक्षा करने का है; और

(घ) सरकार का केन्द्रीय सचिवालय सेवा के विभिन्न ग्रेडों में पदोन्नति के वर्तमान गतिरोध को समाप्त करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है?

प्रधान मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) से (घ) केन्द्रीय सचिवालय सेवा में निम्नलिखित चार ग्रेड होते हैं—

(i) चयन ग्रेड (उप सचिव तथा इसके समकक्ष पद);

(ii) ग्रेड-1 (अवर सचिव तथा इसके समकक्ष पद);

(iii) अनुभाग अधिकारी (समूह "ख" राजपत्रित);

(iv) सहायक ग्रेड (समूह "ख" अराजपत्रित);

चयन ग्रेड के पद तथा ग्रेड-1 के पद केन्द्रीकृत पद होते हैं और केन्द्रीय स्टाफिंग योजना का ही भाग है। इन पदों पर अखिल भारतीय सेवाओं तथा समूह "क" केन्द्रीय सेवाओं के अधिकारियों के

साथ-साथ केन्द्रीय सचिवालय सेवा के पात्र अधिकारियों की नियुक्तियां कुछ विशेष मार्गदर्शी सिद्धांतों के आधार पर की जाती हैं। चूंकि केन्द्रीय सचिवालय सेवा के सदस्यों के लिए कोई विशेष पद नहीं रखा जाता है, अतः इस सेवा के सदस्यों के लिए इन ग्रेडों के संबंध में कोई संवर्ग पुनरीक्षा किए जाने का प्रश्न नहीं उठता है।

अनुभाग अधिकारी ग्रेड तथा सहायक ग्रेड विकेन्द्रीकृत ग्रेड हैं और इन्हें विभिन्न संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारियों द्वारा नियंत्रित किया जाता है। इन संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारियों को केन्द्रीय सचिवालय सेवा के विकेन्द्रीकृत ग्रेडों की संवर्ग पुनरीक्षा किए जाने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

वन क्षेत्र का गैर-वानिकी प्रयोजनों हेतु नियतन

4082. **श्री अरविन्द नेताम** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में 60-70 प्रतिशत से अधिक प्राकृतिक और प्राकृतिक सदृश वन क्षेत्र का औद्योगिक क्षेत्र की दृष्टि से प्रतिशत कितना है;

(ख) परियोजनाओं के विकास हेतु 1 जून, 1990 से अब तक कितने वन क्षेत्र के नियतन की मंजूरी प्रदान की गई है और 30 मई, 1990 को समाप्त हुए छह महीनों के दौरान कितना वन क्षेत्र नियत किया गया; और

(ग) हाल ही में तथाकथित "विकास" के नाम पर वनों की कटाई की योजनाओं की लहर आने के क्या कारण हैं जबकि मानव अस्तित्व कम से कम 33 प्रतिशत वन क्षेत्र पर टिका हुआ है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री नीलमणि राउतराय) : (क) भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा उपग्रह प्रतिबिम्बकी का प्रयोग करके किए गए अध्ययन के अनुसार 1985-87 के दौरान 37.8 मिलियन हेक्टेयर भूमि पर वन थे, जिनका घनत्व 40 प्रतिशत और उससे अधिक था।

(ख) जून और जुलाई, 1990 के दौरान वनेतर प्रयोजनों के लिए 1,12,798.33 है० वन क्षेत्र रिलीज किया गया। 30 मई, 1990 से पहले के छः महीनों के दौरान वनेतर प्रयोजनों के लिए 6,006.836 हेक्टेयर वन क्षेत्र रिलीज किया गया।

(ग) वनेतर प्रयोजनों के लिए रिलीज लिए वन क्षेत्र में वृद्धि इसलिए हुई कि मध्य प्रदेश राज्य में 1.03 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र पर पुराने अवैध कब्जों को नियमित किए जाने के मामलों को स्वीकृति दी गई।

इन्स्ट्रूमेंटेशन सेन्टर के लिए विश्वविद्यालयों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अनुदान

4083. **प्रो० प्रेम कुमार धूमाल** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग इन्स्ट्रूमेंटेशन सेन्टर के लिए विभिन्न विश्वविद्यालयों को अनुदान देता है;

(ख) यदि हां, तो क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से ऐसा इन्स्ट्रूमेन्टेशन सेन्टर स्थापित करने का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ग) यदि हां, तो क्या इस प्रस्ताव के लिए मंजूरी दे दी गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) से (घ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, विश्वविद्यालय सेवायें तथा उपकरण केन्द्र स्थापित करने के लिए विश्वविद्यालयों को वित्तीय सुविधायें प्रदान करता है। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय द्वारा आयोग को भेजी गई सूचना के अनुसार, इस संबंध में विश्वविद्यालय ने एक प्रस्ताव विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को प्रस्तुत किया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी की गई सूचना के अनुसार, यह प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

गंगा सफाई योजना

4084. **श्री शंकर सिंह वघेला :**
डा० ए० के० पटेल :
श्री राजवीर सिंह :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हरिद्वार, कानपुर, ऋषिकेश, इलाहाबाद, वाराणसी, पटना और बिहार तथा पश्चिम बंगाल के अन्य बड़े नगरों में गंगा का वर्तमान प्रदूषण स्तर क्या है और इन योजनाओं के पूरा हो जाने के बाद इन नगरों में उसका प्रदूषण स्तर क्या रहने का अनुमान है; और

(ख) इन स्थानों में गंगा की सफाई में अब तक क्या प्रगति हुई है और इन प्रयोजन के लिए अब तक कितनी धनराशि व्यय की गई है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री नीलमणि राउतराय) : (क) प्रश्न में उल्लिखित बड़े नगरों में घुलित आक्सीजन और बायोकेमिकल आक्सीजन मांग (बी० ओ० डी०) के महत्वपूर्ण जल गुणवत्ता पैरामीटरों पर मापा गया गंगा नदी में वर्तमान प्रदूषण स्तर संलग्न विवरण में दिया गया है।

ऐसा अनुमान है कि गंगा कार्य योजना के अन्तर्गत संस्वीकृत स्कीमों के पूरा हो जाने पर सभी स्थानों पर घुलित आक्सीजन का स्तर 5.0 मिलीग्राम प्रति लीटर से अधिक तथा बायोकेमिकल आक्सीजन मांग (बी० ओ० डी०) का स्तर 3.0 मिलीग्राम प्रति लीटर से कम हो जाने की संभावना है।

(ख) गंगा कार्य योजना के अन्तर्गत तीन राज्यों में संस्वीकृत की गई 262 स्कीमों में से 152 पूरी की जा चुकी हैं। अब तक गंगा में गिरने वाले प्रतिदिन 368 मिलियन लीटर अपशेष जल को गंगा में प्रवाहित होने से अवरोधित किया गया है और उसकी दिशा परिवर्तित की जा चुकी है तथा अब तक 198.14 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं।

विवरण

बड़े नगरों में गंगा नदी जल गुणवत्ता (जून, 1990 तक)

क्रमांक शहर/नगर	घुलित आक्सीजन (मिलीग्राम/प्रति लीटर)	बायोकेमिकल आक्सीजन मांग मिलीग्राम/प्रति लीटर
1. ऋषिकेश (उत्तर प्रदेश)	7.05	1.32
2. हरिद्वार	6.63	1.75
3. इलाहाबाद	6.50	1.60
4. वाराणसी	8.20	2.50
5. कानपुर	4.01	3.70
6. *पटना (बिहार)	8.80	0.40
7. *बक्सर	9.30	0.40
8. *राजमहल	8.90	0.30
9. बेहरामपुर (पश्चिम बंगाल)	6.60	0.90
10. पल्टा	7.50	0.70
11. दक्षिणेश्वर	6.30	0.70
12. उलुबेरिया	5.40	0.80

* फरवरी, 1990 तक।

गोल गुम्बज के लिए लिफ्ट लगाया जाना

4085. श्री एच० सी० श्रीकान्तय्या : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक स्थित बीजापुर गोल गुम्बज की छत पर पहुंचने के लिए लिफ्ट सुविधा उपलब्ध कराई गई है; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या पर्यटकों को गोल गुम्बज की छत पर पहुंचने के लिए लिफ्ट सुविधा उपलब्ध कराने का कोई प्रस्ताव है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) जी, नहीं।

(ख) जी, नहीं।

टिहरी बांध परियोजना

4086. श्री नरसिंह सूर्यवंशी : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 11 जुलाई, 1990 के "डेक्कन हेराल्ड" में "टिहरी प्रोजेक्ट टूबी रेडी बाई 1996" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या सुविख्यात पर्यावरण-विद श्री सुन्दर लाल बहुगुणा ने काफर बांध के विरुद्ध आन्दोलन का नेतृत्व किया था और उसकी ऊंचाई कम करने की मांग की थी; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री नीलमणि राउतराय) *: (क) जी, हां।*

(ख) और (ग) जी, हां। क्षेत्र में संभावित पर्यावरणीय विनाश तथा बांध की सुरक्षा से संबंधित आकांक्षाओं के कारण श्री सुन्दर लाल बहुगुणा तथा स्थानीय लोग 260.5 मीटर ऊंचे टिहरी बांध के निर्माण के विरुद्ध आन्दोलन चला रहे हैं। टिहरी बांध के सुरक्षा पहलुओं की जांच के लिए सरकार ने विशेषज्ञों की एक स्तरीय समिति गठित की है।

व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में सीटों का आरक्षण

4087. **श्री औस फर्नान्डीज** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने आंग्ल-भारतीय समुदाय के छात्रों के लिए इंजीनियरिंग और डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में कुछ प्रतिशत सीटें आरक्षित की हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या अन्य राज्यों में भी इस प्रकार के आरक्षण की व्यवस्था है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का आंग्ल-भारतीय समुदाय के छात्रों के लिए इंजीनियरिंग और डिप्लोमा पाठ्यक्रमों जैसे व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में आरक्षण किए जाने के बारे में सभी राज्य सरकारों को कोई निदेश जारी करने का विचार है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) जी, हां। कर्नाटक सरकार ने बंगलौर स्थित विश्वविद्यालय विश्वेश्वर्या इंजीनियरी कालेज में बी० ई० डिग्री पाठ्यक्रम में एक स्थान आरक्षित किया है।

(ख) जी हां, तमिलनाडु के पालिटेकनिक में एक स्थान आरक्षित है।

(ग) ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

उत्तर प्रदेश में युवा संगठनों को वित्तीय सहायता

[हिन्दी]

4089: **श्री हरीश रावत** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में कितने युवा संगठनों को केन्द्रीय सरकार से वित्तीय सहायता मिलती है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष इन संगठनों को वित्तीय सहायता की कितनी धन-राशि दी गई है;

(ग) क्या इन संगठनों के कार्यकरण के बारे में कोई अध्ययन किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) उत्तर प्रदेश

में 266 युवा स्वैच्छिक संगठनों ने पिछले तीन वर्षों के दौरान युवा कार्यक्रम और खेल विभाग से वित्तीय सहायता प्राप्त की है।

(ख) वर्ष	सहायता (रुपयों में)
1987-88	16,31,270
1988-89	17,18,283
1989-90	11,67,295

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

महाराष्ट्र की अनुमोदित सिंचाई परियोजनाएं

4090. प्रो० महादेव शिवनकर : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र की किन-किन सिंचाई परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है और किन-किन अस्वीकृत किया गया है तथा इसके क्या कारण हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री नीलमणि राउतराय) : एक विवरण संलग्न है जिसमें पिछले तीन वर्षों के दौरान पर्यावरणीय और वानिकी की दृष्टि से मंजूर और रद्द की गयी विकास परियोजनाओं के नाम दिए गए हैं।

विवरण

क्र०सं०	विकास क्षेत्र और परियोजना का नाम	वर्तमान स्थिति
1	2	3
1. नदी घाटी परियोजना		
1.	बाघ नदी परियोजना	मंजूर
2.	गोसिखुर्द सिंचाई परियोजना	—वही—
3.	बोसंबाडी परियोजना	—वही—
4.	कोयला कृष्णा लिफ्ट सिंचाई स्कीम	—वही—
5.	जयकवाड़ी स्टेज-1 और परियोजना	—वही—
6.	तिलारी सिंचाई परियोजना	पूर्ण पर्यावरणीय कार्य योजनायें न भेजे जाने के कारण नामंजूर
7.	हाटवाने परियोजना	
8.	वागुर नदी परियोजना	
9.	कुकड़ी सिंचाई परियोजना	
10.	ऊपरी वर्धा परियोजना	
2. थर्मल पावर परियोजनायें		
11.	दहानू थर्मल पावर परियोजना—500 मेगावाट	मंजूर

1	2	3
12.	हिन्दुस्तान पैट्रोकैमिकल्स लि० का कैप्टिव पावर प्लान्ट	मंजूर
13.	चन्दरपुर थर्मल पावर परियोजना—यूनिट-7	—वही—
14.	उमरेद थर्मल पावर स्टेशन-2 × 210 मे० वा०	परियोजना प्राधिकारियों द्वारा सूचना न भेजे जाने के कारण नामंजूर
15.	चन्दरपुर थर्मल पावर स्टेशन-4 × 500 मे० वा	परियोजना प्राधिकारियों द्वारा सूचना न भेजे जाने के कारण नामंजूर
	3. आणविक ऊर्जा परियोजनायें	
16.	तारापुर में परमाणु ऊर्जा परियोजना 2 × 500 मे० वा०	मंजूर
	4. खनन परियोजनाएं	
17.	सस्ती खुले खदान परियोजना पश्चिमी कोलफील्ड लि० (डब्ल्यू सी० एल०)	मंजूर
18.	सिलवारा भूमिगत परियोजना (संशोधित लागत अनुमान), डब्ल्यू० सी० एल०	मंजूर
19.	उकनी खुली खदान परियोजना, डब्ल्यू० सी० एल०	मंजूर
20.	दुर्गापुर रेयतवाड़ी (पुनर्गठन) परियोजना डब्ल्यू० सी० एल०	पर्यावरण/वानिकी ब्यौरे न भेजे जाने के कारण नामंजूर
21.	पदमपुर खुली खदान परियोजना डब्ल्यू० सी० एल०	पर्यावरण/वानिकी ब्यौरे न भेजे जाने के कारण नामंजूर
22.	हिन्दुस्तान लालपेठ खुली खदान परियोजना ऑफ डब्ल्यू० सी० एल०	पर्यावरण/वानिकी ब्यौरे न भेजे जाने के कारण नामंजूर
23.	दुर्गापुर खुली खदान परियोजना डब्ल्यू० सी० एल०	पर्यावरण/वानिकी ब्यौरे न भेजे जाने के कारण नामंजूर
24.	सावोनेर खुली खदान एवं भूमिगत परियोजना, डब्ल्यू० सी० एल	पर्यावरण/वानिकी ब्यौरे न भेजे जाने के कारण नामंजूर
25.	कोलार पिम्परी खुली खदान परियोजना, डब्ल्यू० सी० एल०	पर्यावरण/वानिकी ब्यौरे न भेजे जाने के कारण नामंजूर
	5. औद्योगिक परियोजनायें	
26.	बम्बई हाई का अतिरिक्त विकास	मंजूर
27.	हीरा फेज-2 डेवलपमेंट	—वही—
28.	वेस्टर्न ऑफ सोर इंटीग्रेटिड डेवलपमेंट प्लान	—वही—
29.	गैस लिफ्ट फैसिलिट्स ऑफ बम्बई हाई फील्ड	—वही—
30.	डेवलपमेंट ऑफ मिड-तापती एंड साउथ तापती गैस फील्ड	—वही—
31.	डेवलपमेंट ऑफ डी-31 स्ट्रैक्चर	—वही—
32.	डेवलपमेंट आफ पन्ना फील्ड	—वही—
33.	तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा स्ट्रक्चर बी० एच०-22	—वही—
34.	तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा स्ट्रक्चर बी० एच०-25	—वही—

1	2	3
35.	तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा स्ट्रक्चर बी० एच०-57	मंजूर
36.	माहुल बम्बई में भारत पैट्रोलियम कारपोरेशन द्वारा एन-पाराफिन परियोजना और सी-3/सी-4 सेपरेशन सुविधायें	—वही—
37.	विस्तार/आधुनिकीकरण आफ स्टैम्प प्रिंटिंग फैसिलिटिस एट इंडिया सिक्योरिटी प्रैस, नासिक	—वही—
38.	करेंसी नोट प्रैस, नासिक रोड का आधुनिकीकरण	—वही—
39.	वर्धा में कोल्ड रोलिंग मिल मैसर्स इस्पलैंड स्टील लि० की स्थापना	—वही—
40.	1,20,000 टी० पी० ए० के एक रोलिंग काम्पलैक्स की स्थापना मैसर्स इंटीग्रेटेड स्टील्स लि०	—वही—
41.	एच० सी० एल० की बम्बई रिफाइन्डरी में लूब बैस स्टाक की सुविधाओं में वृद्धि करना	—वही—
42.	बी० पी० सी० एल० की बम्बई रिफाइनरी में ल्यूब वेस स्टाक की सुविधायें बढ़ाना	—वही—
43.	आर०-7, आर०-9, आर०-13 स्ट्रक्चर एनवायरमेंट क्लीरेंस	—वही—
44.	एम० जी० सी० सी० गैस क्रेकर काम्पलैक्स मैसर्स आई० पी० सी० एल० का विस्तार	—वही—
45.	चैम्बूर में मैसर्स आर० सी० एफ० सुफाला और अमोनिया प्लांट रिहैबिलिटेशन	—वही—
46.	मुक्ता आयल तेल फील्ड ओ० एन० जी० सी० का विकास	—वही—
47.	ओ० एन० जी० सी० का नीलम आयल फील्ड का विकास	—वही—
48.	5,70,000 एम० टी० पी० ए० इथेन/प्रोपेन यूनिट एट यूरान-ओ० एन० जी० सी०	—वही—
49.	बम्बई हाई साउथ एन हाल्स रिकवरी प्रो० ओ० एन० जी० सी०	—वही—
6.	पत्तन और बन्दरगाह	
50.	नावा सेवा पोर्ट परियोजना को पर्यावरणीय मंजूरी	—वही—
51.	बम्बई सेवा पोर्ट ट्रस्ट द्वारा पी० ओ० एल० एंड बल्क लि० कैमिकल्स के स्पेसिलाइज्ड ग्रेड के संचालन के लिए पीरपाऊ में नए बर्थ का निर्माण	—वही—
52.	बम्बई पोर्ट ट्रस्ट के पोर्ट में जहाज मरम्मत सुविधाओं का आधुनिकीकरण	—वही—
53.	दीपक फर्टिलाइजर और पैट्रोकैमिकल्स कार्पोरेशन लि० द्वारा फास्फोरिक एसिड के लिए भंडारण सुविधाओं का विकास	—वही—
54.	जवाहर लाल नेहरू पोर्ट में कंटेनर हैंडलिंग सुविधाओं में वृद्धि करना	—वही—
55.	बम्बई पत्तन में कंटेनर हैंडलिंग सुविधाओं की व्यवस्था	—वही—

1	2	3
56. इंदिरा डाक, बम्बई पत्तन में बाहरी लाक को बदलना		मंजूर
7. एयरपोर्ट परियोजनायें		
57. बम्बई हवाई अड्डे में नए अन्तर्राष्ट्रीय यात्री टर्मिनल काम्पलैक्स (फेज-3) का निर्माण		—वही—
58. दिल्ली और बम्बई हवाई अड्डों में वायु यातायात सुविधाओं का आधुनिकीकरण		—वही—
8. सड़कें		
59. पुणे शहर के चारों ओर 2.38 किलोमीटर वैस्टरली डाइवरसन मार्ग का निर्माण		—वही—
9. संचार परियोजनायें		
60. नागपुर में राष्ट्रीय चैनल की स्थापना और 1000 कि० वाट मेगावाट ट्रांसमीटर की स्थापना		—वही—
10. समुद्री किनारे सैरगाह		
61. अलीगढ़, रायगढ़ में कोंकण समुद्री सैरगाह	200 मीटर उच्च ज्वार रेखा के अन्दर प्रस्तावित निर्माण के कारण नामंजूर।	
(ख) वानिकी मंजूरी		
1. चन्द्रपुर जिले में लेबहान-सारद नाला परियोजना		मंजूर
2. नासिक जिले में परकोलेशन टैंक		—वही—
3. अकोला जिले में वाक सिचाई टैंक		—वही—
4. सिचाई परियोजना के लिए भूमिगत पाइप लाइन, जलगांव जिला		—वही—
5. एन०एच०-3 को मजबूत बनाना		—वही—
6. पुणे जिले में सिचाई के लिए पाइप लाइन		—वही—
7. पुणे में भूमिगत पाइप लाइन		—वही—
8. नासिक जिले में परकोलेशन टैंक		—वही—
9. धूले जिले में परकोलेशन टैंक		—वही—
10. नासिक जिले में परकोलेशन टैंक		—वही—
11. जल आपूर्ति स्कीम		—वही—
12. नासिक जिले के 8 गांवों में परकोलेशन टैंक		—वही—
13. लोनावाल में वाई सब-स्टेशन तक 132 के०वी० ट्रांसमिशन लाइन		—वही—
14. एन०एच०-3 का निर्माण—बम्बई से नासिक राष्ट्रीय राजमार्ग तक		—वही—
15. मुर्बसिंह से राधानगर तक 110 के० वी० ट्रांसमिशन लाइन		—वही—

1	2	3
16.	पुणे में श्री गोपालराव कंचन की सिंचाई परियोजना के लिए पाइप लाइन बिछाना	मंजूर
17.	पुणे में सिंचाई के लिए पाइप लाइन बिछाना	—वही—
18.	नाइग्रे जल आपूर्ति स्कीम का निर्माण	—वही—
19.	अमरावती में नागथाना टैंक का निर्माण	—वही—
20.	पुणे में श्री विठ्ठल शंकर के लिए सिंचाई प्रयोजन के लिए पाइप लाइन बिछाना	—वही—
21.	चन्द्रपुर में पारली तक 400 के० वी० डी० सी० ओवरहैड ट्रांसमिशन लाइन	—वही—
22.	गोसिखुर्द सिंचाई परियोजना	—वही—
23.	पिछड़े क्षेत्रों की विद्युतीकरण के लिए 11 के०वी० ट्रांसमिशन लाइन	—वही—
24.	ऊमा मफोली परियोजना का निर्माण	—वही—
25.	सिंचाई टैंक दोकी-2 का निर्माण	—वही—
26.	अहमदनगर जिले में परकोलेशन टैंक	—वही—
27.	यवतमाल में पाइप लाइन बिछाना	—वही—
28.	बांगुर सम्पर्क मार्ग	—वही—
29.	गोकी नदी परियोजना यवतमाल एम० आई० डी० सी० से पाइप लाइन बिछाना	—वही—
30.	नासिक में 16 के० वी० ट्रांसमिशन लाइन	—वही—
31.	आदिवासी क्षेत्रों में विद्युतीकरण के लिए 11 के० वी० ट्रांसमिशन लाइन	—वही—
32.	माहुमुल गांव में परकोलेशन टैंक	—वही—
33.	नासिक में परकोलेशन टैंक	—वही—
34.	नासिक में परकोलेशन टैंक	—वही—
35.	जल आपूर्ति स्कीम के लिए पाइप लाइन बिछाना	—वही—
36.	नासिक जिले में 11 के० वी० ट्रांसमिशन लाइन बिछाना	—वही—
37.	बालस्वराजी माइन सिंचाई परियोजना	—वही—
38.	खुतल वाटर सप्लाई स्कीम	—वही—
39.	हाई फ्रिक्वेंशी वायरलैस संचार स्कीम	—वही—
40.	वाटर सप्लाई स्कीम	—वही—
41.	वैस्टर्न कोल फील्ड लि० द्वारा कोयला निकालना	—वही—
42.	पूणे में डिम्भे बांध ग्रार राइट बैंक नहर	—वही—
43.	अमरावती बाईपास रोड	—वही—
44.	बोरली-पंचतऊ जल आपूर्ति स्कीम	—वही—
45.	सिरसोला में परकोलेशन टैंक	—वही—

1	2	3
46.	इम्फाल में गांव का टैंक	मंजूर
47.	धूले में परकोलेशन टैंक	—वही—
48.	अकोला जिले में कुएं का निर्माण और जल आपूर्ति लाइन बिछाना	—वही—
49.	सिंचाई के लिए गुरुदेव सिद्धपीठ के लिए जल पाइप लाइन	—वही—
50.	नासिक में परकोलेशन टैंक	—वही—
51.	श्री एच० आर० कहारिया को उत्खनन पट्टे का नवीकरण	—वही—
52.	अकोला में अंधेरी टैंक का निर्माण	—वही—
53.	अहमदनगर में चिचवाने में परकोलेशन टैंक	—वही—
54.	ट्रंक रिपीटर स्टेशन	—वही—
55.	पूणे के भीलवारवाडी कटराज में परकोलेशन टैंक	—वही—
56.	400 के० वी०/डी० सी० लाइन-रामगुण्डम चन्द्रपुर	—वही—
57.	पेंटल-उरन रोड	—वही—
58.	अहमदनगर में परकोलेशन टैंक	—वही—
59.	थाणे में कारवेल लघु सिंचाई	—वही—
60.	अहमदनगर में अम्बी-भूनाला लघु सिंचाई टैंक	—वही—
61.	आई० पी० सी० एल० द्वारा भूमिगत गैस पाइप लाइन बिछाना	—वही—
62.	बोरापाठा से घनपेठा तक 11 के० वी० ट्रांसमिशन लाइन	—वही—
63.	नासिक में परकोलेशन टैंक	—वही—
64.	थाणे में भतसा राइट बैंक कैनल का निर्माण	—वही—
65.	मालेगांव से तिपास्वर तक 11 के० वी० ट्रांसमिशन लाइन	—वही—
66.	कोल्हापुर में पत्थर उत्खनन पट्टे का नवीकरण	—वही—
67.	यवतमाल में बोरागाव मिडियम टैंक	—वही—
68.	जलगांव में परकोलेशन टैंक	—वही—
69.	एच० ई० पी० भंडारा स्वेज नहर-1 के मध्य 132 के० वी० डी/सी इंटरलिंकिंग लाइन	—वही—
70.	बम्बाली में जल-आपूर्ति पाइप लाइन बिछाना	—वही—
71.	वारली गांव में कृषि फसलों की सिंचाई के लिए भूमिगत पाइप लाइन	—वही—
72.	मनोहली गांव में 3 फेज 4 वेयर विद्युत लाइन	—वही—
73.	जलगांव के शिवपुर में परकोलेशन टैंक	—वही—
74.	नासिक में पूर्वी बांध का निर्माण	—वही—

1	2	3
75.	बारेवाड़ी में आपातकालीन जल-आपूर्ति का निर्माण	मंजूर
76.	घोटुल में परकोलेशन टैंक	—वही—
77.	अहमदनगर के सिद्धेश्वर वाडी में परकोलेशन टैंक	—वही—
78.	इनजाले गांव में पेयजल आपूर्ति के लिए पाइप लाइन बिछाना	—वही—
79.	मलकाम पेठ में कार पार्किंग	—वही—
80.	कन्जली गांव में 11 केवल ट्रांसमिशन लाइन	—वही—
81.	देवनागरी से बगनारी चिर तक 11 के० वी० ट्रांसमिशन लाइन	—वही—
82.	पेय जल आपूर्ति के लिए पाइप लाइन बिछाना	—वही—
83.	वी० एच० आई० रिपीटर स्टेशन की स्थापना, थाणा जिला	—वही—
84.	आई० एन० एस० शिवाजी से ट्रोपो स्टेशन तक जल विद्युत आपूर्ति लाइन बिछाना	—वही—
85.	धूले में नवापुर पिम्पलनेर मार्ग	—वही—
86.	अहमदनगर में कृषि प्रयोजन के लिए जल आपूर्ति पाइप लाइन	—वही—
87.	गांव के लिए आपातकालीन जल आपूर्ति हेतु भूमिगत पाइप लाइन	—वही—
88.	नासिक में नालेगांव मझौली सिंचाई टैंक	—वही—
89.	नासिक में 11 के०वी० ट्रांसमिशन लाइन	—वही—
90.	जल आपूर्ति स्कीम के लिए भूमिगत पाइप लाइन	—वही—
91.	भूदाना में मुन नदी परियोजना	—वही—
92.	भंडारा जिले में बावनथाड़ी परियोजना	—वही—
93.	भंडारा में कालीसागर परियोजना	—वही—
94.	400 के० वी०—भिलाई-चंद्रपुर ट्रांसमिशन लाइन	—वही—
95.	जल-आपूर्ति के लिए भूमिगत सेवा जलाशय	—वही—
96.	पुणे में कुकदी सिंचाई परियोजना में फील्ड कैनल का निर्माण	—वही—
97.	वागुललुय से पोपासी मार्ग का निर्माण	—वही—
98.	ग्राम अम्बापानी के जरिये 11 के० वी० ट्रांसमिशन लाइन बिछाना	—वही—
99.	नौगिरी-घाटवाल मार्ग का निर्माण	—वही—
100.	तोरागांव में खारपाड़ी 11 के० वी० ट्रांसमिशन लाइन बिछाना	—वही—
101.	कालोनी और कालूइस्टी गांव के वन क्षेत्र के जरिये 11 के० वी० लाइन बिछाना	—वही—
102.	कन्टाई से पालेगांव के लिए पाइप लाइन बिछाना	—वही—
103.	भामघोत रेती और बड़का कोहल कोरार गांव में 11 के० वी० ट्रांसमिशन लाइन बिछाना	—वही—

1	2	3
104.	बम्बई-पूणे एन०एच० नं०-4 की बाईपास सड़क का निर्माण	मंजूर
105.	कोयना जल विद्युत परियोजना स्टेज-4 की सम्पर्क सड़क और सर्ज साफ्ट का निर्माण	—वही— —वही—
106.	भटकाबाडियागांव के लिए 11 के० वी० ट्रांशमिशन लाइन बिछाना	—वही—
107.	त्रिशूल श्रमिक सहकारिता सोसायटी द्वारा थाणे जिले में खनन पट्टे का नवीकरण	—वही—
108.	सालोर तालुका में पाइप लाइन बिछाना	—वही—
109.	कालम्बी गांव में परकोलेशन टैंक का निर्माण	—वही—
110.	भाटी खिरदी क्यासी गांव के लिए 11 के० वी० ट्रांसमिशन लाइन बिछाना	—वही—
111.	अबगेह से वरवा अरबन वाटर सप्लाई स्कीम के लिए जल शोधन संयंत्र का निर्माण	—वही—
112.	दुले में लघु सिंचाई टैंक	—वही—
113.	भानी क्याड़ी की ब्रांच केनल का निर्माण	—वही—
114.	जायकवाड़ी सिंचाई परियोजना में संचार प्रणाली के लिए बेतार रिपीटर स्टेशन का निर्माण	—वही—
115.	औरंगाबाद जिले में लघु सिंचाई टैंक का निर्माण	—वही—
116.	अहमदनगर में कृषि परियोजना के लिए पाइप लाइन बिछाना	—वही—
117.	पेयजल आपूर्ति के लिए पाइप लाइन बिछाना	—वही—
118.	मोहम्मद हुसैन द्वारा 15 वर्षों के लिए वाइट किले का परम्परागत पट्टे का नवीकरण	—वही—
119.	जलगांव में सम्पर्क मार्ग और एन० एच०-6 पर पुल का निर्माण	—वही—
120.	कोगम-खुणीहाद मार्ग का निर्माण	—वही—
121.	सरदार सरोवर परियोजना से प्रभावित देदखलियों का पुनर्वास	—वही—
122.	गुलबाना जिले में भूमि तथा हावर/छादा 3 में मझौली सिंचाई टैंक का निर्माण	—वही—
123.	रायगढ़ में मोरबा बांध	—वही—
124.	जल आपूर्ति स्कीम	—वही—
125.	पेय जल आपूर्ति स्कीम	—वही—
126.	सी० पी० सहकारिता सोसायटी जल-आपूर्ति स्कीम के लिए विद्युत और पाइप लाइन बिछाने के लिए अहमदनगर में भूमि	—वही—
127.	नावा शेवा के लिए उत्खनन पत्थर	गुणदोष के आधार पर नामंजूर

1	2	3
128.	पुणे में भूमिगत पाइप लाइन बिछाना	गुणदोष के आधार पर नामंजूर
129.	सतारा जिले में महाबलेश्वर-कस्टुड हाटलोड रोड	—वही –
130.	नेशनल आरगेनिंग कैमिकल्स लि० द्वारा वनीकरण	—वही—
131.	अल्लापल्ली में वर्कशाप भवन	—वही—
132.	शिवाजी विश्वविद्यालय के लिए उप केन्द्र की स्थापना	—वही—
133.	श्री एच० एम० पावरीके पक्ष में खनन	—वही—
134.	रायगढ़ जिले में पत्थर उत्खनन	—वही –

राज्य सभा के लिए स्कूल शिक्षकों का नामांकन

[अनुवाद]

4091. श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय केन्द्रीय विद्यालय शिक्षक एसोसिएशन ने राज्य सभा में शिक्षकों के नामांकन के लिए कुछ कोटा निर्धारित करने हेतु शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था करने की मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) केन्द्रीय विद्यालय संगठन में ऐसी कोई मांग प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक

4092. श्री प्रतापराव बी० भोंसले : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 4 और 5 अगस्त को प्रस्तावित राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक स्थगित कर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार का बैठक कब आयोजित करने का विचार है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागेय गोवर्धन) : (क) राष्ट्रीय विकास परिषद की 5 अगस्त, 1990 को बंगलौर में होने वाली बैठक स्थगित हो गयी थी।

(ख) नई दिल्ली में आवश्यक सरकारी काम की पूर्व-व्यस्तता के कारण।

(ग) बैठक आयोजित करने के लिए अभी कोई तारीख तय नहीं हुई है।

देश में स्कूलों की संख्या

4093. श्री अशोक आनंद देशमुख :

श्री साइमन मरांडी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कुल कितने प्राइमरी और सैकेण्ड्री स्कूल हैं और उनमें से राज्यवार कितने स्कूलों में समुचित इमारत, श्याम-पट, शौचालय और पेयजल की सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं; और

(ख) देश में, राज्यवार ऐसे कितने स्कूल हैं, जहां केवल एक ही शिक्षक है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) और (ख) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा संदर्भ तारीख के रूप में दिनांक 30 सितम्बर, 1986 को आयोजित पांचवें अखिल भारतीय शैक्षिक सर्वेक्षण के आधार पर इससे संबंधित स्थिति संलग्न विवरण में दी गयी है।

विवरण

क्र० सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	प्राथमिक स्कूलों की संख्या	माध्यमिक स्कूलों की कुल संख्या	ऐसे प्राथमिक स्कूल जिनमें उपयुक्त भवन नहीं हैं	ऐसे प्राथमिक स्कूल जिनमें पीने के पानी की सुविधाएं नहीं हैं	शौचालय नहीं है	ऐसी कक्षाओं की संख्या (प्राथमिक स्कूल) जिनमें ब्लैक बोर्ड नहीं हैं
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	44346	5034	10713	25499	42551	97702
2.	अरुणाचल प्रदेश	952	50	759	484	864	1666
3.	असम	25873	2230	16333	21895	24138	53133
4.	बिहार	51377	3626	19818	27135	50467	162398
5.	गोवा	993	297	58	380	889	1411
6.	गुजरात	12709	3302	1121	5567	11650	14670
7.	हरियाणा	4849	1899	360	1394	4239	8172
8.	हिमाचल प्रदेश	6904	801	3977	3429	6498	9982
9.	जम्मू और कश्मीर	7466	846	3526	5383	7322	10607
10.	कर्नाटक	23023	3572	2151	12766	22391	44303
11.	केरल	6098	2363	790	1438	4579	1765
12.	मध्य प्रदेश	64089	1605	15111	43396	60933	137317
13.	महाराष्ट्र	38094	7187	7993	20627	34095	40648
14.	मणिपुर	2757	363	2217	2046	2602	3594
15.	मेघालय	3692	288	2706	3255	3624	7171

1	2	3	4	5	6	7	8
16.	मिजोरम	1005	160	427	688	804	165
17.	नागालैंड	1131	95	651	848	1110	75
18.	उड़ीसा	34178	3955	9673	25748	33674	62247
19.	पंजाब	12838	2247	1053	1284	11045	12715
20.	राजस्थान	28103	2203	4231	13319	26229	52152
21.	सिक्किम	468	55	182	277	446	87
22.	तमिलनाडु	29268	2688	2447	4509	25988	29301
23.	त्रिपुरा	1927	280	1815	1209	1824	4472
24.	उत्तर प्रदेश	75564	5185	15488	35470	71320	189454
25.	पश्चिम बंगाल	48456	4483	21326	20018	45534	68159
26.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	177	23	61	73	121	169
27.	चंडीगढ़	44	71	1	0	15	10
28.	दादरा और नगर हवेली	124	4	47	0	108	180
29.	दमन और दीव	32	15	0	8	21	15
30.	दिल्ली	1838	259	37	128	228	455
31.	लक्षद्वीप	18	9	0	9	10	0
32.	पांडिचेरी	339	65	109	79	214	152
	भारत	528730	52560	14511	278361	495533	1023347

क्र० सं०	राज्य/संघ शासित प्रदेश का नाम	ऐसे माध्यमिक स्कूल जिनमें उपयुक्त भवन नहीं हैं	ऐसे माध्यमिक स्कूल जिनमें पीने के पानी की सुविधाएं नहीं है	शौचालय नहीं है	एकक शिक्षक वाले स्कूलों की संख्या (प्राथमिक)
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	221	1211	3146	18032
2.	अरुणाचल प्रदेश	8	14	23	526

1	2	3	4	5	6
3.	असम	783	466	1689	8903
4.	बिहार	136	264	1725	13303
5.	गोवा	2	18	94	167
6.	गुजरात	149	199	1385	4784
7.	हरियाणा	19	114	757	382
8.	हिमाचल प्रदेश	261	145	594	1951
9.	जम्मू और कश्मीर	103	321	550	4380
10.	कर्नाटक	263	654	2293	14350
11.	केरल	121	368	705	19
12.	मध्य प्रदेश	98	276	997	22163
13.	महाराष्ट्र	832	694	3863	16660
14.	मणिपुर	193	143	194	510
15.	मेघालय	55	101	159	1969
16.	मिजोरम	36	107	98	119
17.	नागालैंड	12	27	61	42
18.	उड़ीसा	698	1494	2780	14112
19.	पंजाब	36	71	1054	1457
20.	राजस्थान	12	171	1011	15352
21.	सिक्किम	2	18	21	21
22.	तमिलनाडु	243	545	1094	2724
23.	त्रिपुरा	185	66	158	145
24.	उत्तर प्रदेश	35	292	1227	8891
25.	पश्चिम बंगाल	219	90	1261	1679
26.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	0	4	41
27.	चंडीगढ़	0	0	6	1
28.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	83
29.	दमन और दीव	0	2	3	3

1	2	3	4	5	6
30.	दिल्ली	27	9	20	3
31.	लक्षद्वीप	0	0	1	1
32.	पांडिचेरी	8	8	9	75
	भारत	4737	7888	26982	152848

दिल्ली की जामा मस्जिद के जीर्णोद्धार के लिए दी गई धनराशि

4094. **श्रीमती विजयराजे सिंधिया** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा हाल ही में दिल्ली की जामा मस्जिद के जीर्णोद्धार के लिए धनराशि दी गई है यदि हां, तो कितनी धनराशि दी गई है और कब दी गई है;

(ख) सरकार द्वारा इसी अवधि के दौरान जिन-जिन मंदिरों, गुरुद्वारों और गिरजाघरों के जीर्णोद्धार के लिए धनराशि दी गई है उनका ब्यौरा क्या है; और

(ग) प्रत्येक मामले में दी गई धनराशि और इसको देने की तारीख सहित ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) से (ग) जामा मस्जिद के वास्तुशिल्पीय और ऐतिहासिक महत्व के कारण एक विशेष मामले के रूप में इसके संरक्षण हेतु वर्ष 1990-91 के लिए 2-5-90 को 3.5 लाख रुपये की धनराशि आबंटित की जा चुकी है और यह कार्य भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (भा० पु० स०) द्वारा राष्ट्रीय महत्व के स्थलों और अवशेषों की सुरक्षा, संरक्षण और परिरक्षण उनके उत्कृष्ट पुरातत्वीय, ऐतिहासिक और कलात्मक महत्व के आधार पर किया जाता है न कि उनके धार्मिक संबंधों के आधार पर। इसके अलावा कुछ मामलों में, धर्मनिरपेक्ष और धार्मिक स्वरूप के स्मारकों का एक संपूर्ण परिसर होता है। तथापि, निधियां, स्मारकों के धार्मिक स्वरूप के आधार पर आबंटित नहीं की जातीं। इसलिए आबंटन के आंकड़े इस आधार पर नहीं रखे जाते।

बिहार में खनन कार्य

4095. **श्री चंदूभाई देशमुख** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी बनाम बिहार राज्य के मुकदमे में दिनांक 4 अप्रैल, 1988 को उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय की जानकारी है जिसके द्वारा पहले से रिक्त पड़ी और खाली की गई वन भूमि में खनन कार्य की अनुमति दी गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार का उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुरूप ऐसी वन भूमि में खनन कार्य की अनुमति दिए जाने का मार्गनिर्देश जारी करने का विचार है; और

(ग) क्या वन और पर्यावरण की दृष्टि से स्वीकृति प्राप्त होने में पर्याप्त समय लगने के तथ्य

को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय सरकार का विचार उस अवधि के लिए खनन कार्य की अनुमति देने का है जब वह प्रत्येक मामले में अलग-अलग से अनुमति नहीं दे देती ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री नीलमणि राउतराय) : (क) जी, हां ।

(ख) राज्य सरकारों को 8-8-89 को पहले ही उचित निदेश जारी किए हैं । तथापि, मामले की जांच की जा रही है ।

(ग) अधिनियम के तहत जारी किए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार वन क्षेत्र में खनन पट्टों के नवीनीकरण के लिए राज्य सरकारों को पट्टे की अवधि समाप्त होने से 3 माह पूर्व केन्द्र सरकार को पूर्ण प्रस्ताव भेजने होते हैं । राज्य सरकारों से औपचारिक प्रस्ताव प्राप्त होने पर यह मंत्रालय ऐसे मामलों को निपटाने के लिए शीघ्र कार्रवाई करता है ।

पाक जलडमरू मध्य पर चौकसी

4096. श्री यादवेन्द्र दत्त : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाक जलडमरू मध्य के पार उत्तरी श्रीलंका में "लिट्टे" की बढ़ती गतिविधियों के कारण इस क्षेत्र के हजारों भारती मछुआरों का जीवन खतरे में पड़ गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है और स्थिति पर नियंत्रण पाने के लिये क्या कदम उठाये गए हैं ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राजा रमन्ना) : (क) श्रीलंका के समुन्द्री क्षेत्र में कुछ उग्रवादियों द्वारा, जिनके बारे में श्रीलंकाई उग्रवादी होने का संदेह है, भारतीय मछुआरों का अपहरण किए जाने और उनके साथ मारपीट किए जाने की कुछ घटनाएं सरकार के ध्यान में आई हैं ।

(ख) पाक खाड़ी में नौसेना और तट रक्षक संगठन द्वारा चौकसी तथा तेज कर दी गई है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि भारतीय मछुआरे बिना किसी रुकावट के अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा के पास भारतीय सीमा के अंदर मछली पकड़ सकें । तमिलनाडु सरकार ने भी भारतीय मछुआरों को चेतावनी दी है कि वे मछली पकड़ते हुए श्रीलंका के समुद्री क्षेत्र में न जाएं ।

पूर्वी दिल्ली से खुले कूड़ेदानों के कारण प्रदूषण

[हिन्दी]

4097. श्री शिव चरण वर्मा : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पूर्वी दिल्ली में खुले कूड़ेदानों और नालियों के कारण स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए खतरा पैदा हो गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार दिल्ली में कूड़ा उठाने की वर्तमान प्रथा में कोई परिवर्तन करने का है ताकि इससे पर्यावरण और स्वास्थ्य पर पड़ने वाले कुप्रभाव को रोका जा सके; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री नीलमणि राउतराय) : (क) जी, नहीं

(ख) और (ग) पूर्वी दिल्ली के कूड़ेदान और खुली नालियां सफाई कार्यक्रम के अन्तर्गत आते हैं। इनकी नियमित रूप से सफाई की जाती है और इकट्ठे किए गए कूड़े को अन्तिम निपटान के लिए गड्ढों में भर दिया जाता है। निपटान की नई विधियां स्वीकृति मिलने के उपरांत अपनाई जाएंगी।

कोयला और विद्युत परियोजनाओं को मंजूरी

[अनुवाद]

4098. **श्री वसंत साठे : क्या पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक कोयला परियोजना स्वीकृति के लिए केन्द्रीय सरकार के पास रुकी पड़ी हैं ;

(ख) यदि हां, तो इन परियोजाओं के नाम क्या हैं; और

(ग) गत छः महीनों के दौरान सरकार द्वारा स्वीकृति की गई ऐसी कोयला और विद्युत परियोजनाओं की सूची का ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री नीलमणि राउतराय) : (क) और (ख) जी, हां। लम्बित परियोजनाओं की एक सूची विवरण-I के रूप में संलग्न है।

(ग) पिछले 6 महीनों के दौरान पर्यावरणीय और वानिकी की दृष्टि से मंजूर की गई कोयला और विद्युत परियोजनाओं की एक सूची विवरण 2 के रूप में संलग्न है।

विवरण-1

1. पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए लम्बित कोयला परियोजनाओं की सूची

1. खैरागुडा खुली खदान परियोजना
2. मेडापल्ली खुली खदान परियोजना
3. चेरला खुली खदान परियोजना।
4. के० डी० हेसलांग (चरण-1) खुली खदान परियोजना
5. राजरप्पा खुली खदान परियोजना।
6. ब्लाक-2 कोकिंग कोल परियोजना।
7. कतरास भूमिगत परियोजना।
8. सोडा "डी" भूमिगत परियोजना।
9. तिस्रा कोयला संचालन संयंत्र।
10. नंदन कोयला खान का पुनर्गठन।
11. तंडसी कोयला खान।
12. बेल्लौरा खुली खदान खान।
13. गोडेगांव खुली खदान परियोजना।
14. पीमपालगांव खुली खदान परियोजना (वाणी एरिया)

15. मुगोली खुली खदान परियोजना ।

16. सामलेश्वरी खुली खदान परियोजना ।

17. लाजाकुरा खुली खदान परियोजना ।

18. कलिंग कोल प्रेपेयरिंग प्लांट ।

19. जाम्बाद खुली खदान परियोजना ।

20. बाकुलिया भूमिगत परियोजना ।

21. जे० के० नगर भूमिगत कोयला परियोजना ।

22. नाकराकोंडा परियोजना ।

23. तिलबोनी भूमिगत परियोजना ।

24. चिनाकुरा 1 और 2 खान ई० सी० एल० ।

2. वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत मंजूरी के लिए लंबित कोयला परियोजनाओं की सूची

1. (1) आंध्र प्रदेश के खम्माम जिले में सिंगरेनी कोयला कंपनी लिमिटेड की पदमावती खामी कोयला खनन परियोजना ।

(2) आंध्र प्रदेश के आदिलाबाद जिले में सिंगरेनी कोयला खान कंपनी लिमिटेड की गोलेटी न० 2 खुली खदान कोयला खान ।

(3) आंध्र प्रदेश के आदिलाबाद जिले में सिंगरेनी कोयला कंपनी लिमिटेड की रविन्द्रखानी न्यू टेक० कोयला खान परियोजना ।

(4) उड़ीसा के धनकनाल जिले में एस० ई० सी० एल० की कलिंग खुली खदान कोयला खनन परियोजना ।

(5) आंध्र प्रदेश में आदिलाबाद में एस० सी० सी० एल० की गोलेटी न० 1 परियोजना ।

(6) उड़ीसा में देवलावेड़ा कोयला खान के लिये पट्टे का नवीनीकरण ।

(7) उड़ीसा में दक्षिण पूर्व कोयला क्षेत्र लिमिटेड के तलचर कोयला खानों का नवीनीकरण ।

(8) पश्चिमी कोयला क्षेत्र लिमिटेड द्वारा मध्य प्रदेश के छिन्दवाड़ा जिले में तंवसी कोयला परियोजना ।

(9) मैसर्स सेन्ट्रल कोल फील्ड लिमिटेड की टोपा कोयला खुली खदान परियोजना के लिए 58 हैक्टयर ।

(10) मैसर्स सेन्ट्रल कोल्फील्ड लिमिटेड की कारकेट्टा परियोजना के लिये 102 01 हैक्टेयर ।

(11) मैसर्स सेन्ट्रल कोलफील्ड लिमिटेड की हिंदेगिर परियोजना के लिये 9.06 हैक्टेयर।

(12) मैसर्स सेन्ट्रल कोलफील्ड लिमिटेड की सोन्डा "डी" कोयला परियोजना के लिए 99.69 हैक्टेयर।

टिप्पणी : * दक्षिण पूर्व कोयला क्षेत्र लिमिटेड।

विवरण-2

1. पिछले 6 महीने के दौरान पर्यावरणीय दृष्टि से मंजूर कोयला और विद्युत परियोजनाओं की सूची

(क) कोयला परियोजनाएं

1. सतग्राम भूमिगत परियोजना
2. मूलीडीह भूमिगत परियोजना
3. उत्तरी अमलाबाद भूमिगत परियोजना
4. मनुगुरु खुली खदान परियोजना (2)
5. जवाहर खानी न० 5 इन्कलाइन परियोजना
6. डुडीचुआ खुली खदान परियोजना
7. खाडिया खुली खदान परियोजना
8. लिलारी खुली खदान परियोजना
9. गोरबी खुली खदान (विस्तार) परियोजना
10. सिलेवाड़ा भूमिगत परियोजना
11. गोदावरी खानी न० 11 ए इन्कलाइन परियोजना
12. उकनी खुली खदान परियोजना
13. पूतकी बुलियरी भूमिगत परियोजना

(ख) परमाणु विद्युत परियोजनाएं

1. तारापुर (महाराष्ट्र) में परमाणु विद्युत परियोजना (2 × 500 मेगावाट)

(ग) ताप विद्युत परियोजनाएं

1. विशाखापटनम में तट-आधारित ताप विद्युत परियोजना 1000 मेगावाट, आंध्र प्रदेश।
2. अंगूरी गैस आधारित ताप विद्युत केन्द्र—360 मेगावाट, असम।
3. मुजफ्फरपुर ताप विद्युत केन्द्र (विस्तार), स्टेज-2—2 × 200 मेगावाट, बिहार।
4. गंधार में गैस आधारित विद्युत केन्द्र—650 मेगावाट, गुजरात।
5. फरीदाबाद में गैस आधारित विद्युत केन्द्र, स्टेज-1, हरियाणा।

6. मंगलूर में कैप्टिव विद्युत संयंत्र, 20 मेगावाट, कर्नाटक ।
7. विन्ध्याचल सुपर ताप विद्युत परियोजना, स्टेज-2—2 × 500 मेगावाट, मध्य प्रदेश ।
8. कोरबा पश्चिमी तट ताप विद्युत परियोजना—2 × 210 मेगावाट, मध्य प्रदेश ।
9. चन्द्रपुर ताप विद्युत परियोजना, यूनिट-7—1 × 500 मेगावाट, महाराष्ट्र ।
10. मद्रास रिफाइनरी लिमिटेड में कैप्टिव विद्युत संयंत्र—16 मेगावाट, तमिलनाडु ।
11. नेलवेली लिग्नाइट निगम की विद्युत परियोजना, यूनिट-1, विस्तार—2 × 210 मेगावाट, तमिलनाडु ।
12. नागीमनस में गैस आधारित विद्युत परियोजना—2 × 5 मेगावाट, तमिलनाडु ।
13. दादरी में गैस आधारित विद्युत परियोजना, स्टेज-2, (405 मेगावाट, उत्तर प्रदेश) ।
14. कैप्टिव विद्युत संयंत्र (पूर्वी कोयला क्षेत्र लिमिटेड) चिनापुरी (20 मेगावाट), पश्चिम बंगाल ।

(ख) जल विद्युत परियोजनाएं

1. नागार्जुन सागर दक्षिणी मुख्य नहर, आंध्र प्रदेश की गुन्टूर शाखा पर जल विद्युत परियोजना ।
2. कुट्टीयाडी जल विद्युत परियोजना (विस्तार), केरल ।
3. टिहरी परियोजना (उत्तर प्रदेश) ।
4. सेरलुई-ख, जल विद्युत परियोजना, मिजोरम ।

2. वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत पिछले छः महीनों के दौरान मंजूर की गई कोयला और विद्युत परियोजनाओं की सूची

(क) कोयला परियोजनाएं

1. उड़ीसा के संबलपुर जिले में लिलारी खुली खदान खनन ।
2. मध्य प्रदेश में उत्तरी कोयला क्षेत्रों के पक्ष में गोरबी (विस्तार) कोयला खानों में पट्टे पर मंजूर की गई 83.127 हेक्टेयर वन भूमि ।
3. मिर्जापुर (सोनभद्र) जिले में बुडीचुआ और खाडिया कोयला परियोजनाएं ।

(ख) विद्युत परियोजनाएं

1. साल जल विद्युत परियोजना, स्टेज-2, हिमाचल प्रदेश के निर्माण हेतु 0.85 हेक्टेयर वन भूमि का उपयोग ।
2. हिमाचल प्रदेश में कोल जल विद्युत परियोजना के निर्माण हेतु 954.69 हेक्टेयर वन भूमि ।
3. संजय गांधी ताप विद्युत केन्द्र (मध्य प्रदेश), के लिए 47.77 हेक्टेयर वन भूमि ।

4. बैसोर से कंडारी (हिमाचल प्रदेश) तक 132 कि०वा० पारेषण लाइन बिछाने के लिए 14.70 हेक्टेयर वन भूमि।

5. विंध्याचल-बीना (मध्य प्रदेश) 400 कि०वा० पारेषण लाइन के निर्माण हेतु 34.872 हेक्टेयर वन भूमि मंजूर की गई।

6. बैसोर से देहरा (हिमाचल प्रदेश) तक 132 कि०वा० पारेषण लाइन के निर्माण हेतु 26.47 हेक्टेयर वन भूमि।

7. कोलाडई जल विद्युत परियोजना की येन-माला से ईडम तक 86 कि०वा० पारेषण लाइन के निर्माण हेतु 14.1416 हेक्टेयर वन भूमि (केरल)।

8. इदुक्की से निचकापेरियार (केरल) तक 220 कि०वा० पारेषण लाइन हेतु 25.585 हेक्टेयर वन भूमि।

9. निचला पेरियार से कोचीन (केरल) तक 220 कि०वा० पारेषण लाइन हेतु 21.0545 हेक्टेयर वन भूमि।

10. त्रिचूर से कोजीकोड (केरल) तक 220 कि०वा० डी० सी० पारेषण लाइन हेतु 22.4 हेक्टेयर वन भूमि।

11. चोलाकुट्टी बेसिन स्टेज-2, अनाक्कायम लघु जल विद्युत स्कीम (केरल) मे विद्युत विकास हेतु 8.00 हेक्टेयर वन भूमि।

12. हमीरपुर से देहरा (हिमाचल प्रदेश) तक 132 कि०वा० पारेषण लाइन के निर्माण हेतु मंजूर की गई 6.69 हेक्टेयर वन भूमि।

13. नर्मदा सागर बहुउद्देशीय परियोजना (मध्य प्रदेश) के लिए बिजलीघर आदि के वास्ते 308.47 हेक्टेयर वन भूमि।

14. 300 कि०वा० सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना (हिमाचल प्रदेश) के लिए 2.875 हेक्टेयर वन भूमि।

15. 400 कि०वा० भोपाल-बीना पारेषण लाइन (मध्य प्रदेश) के लिए 3.560 हेक्टेयर वन भूमि।

16. 11 कि०वा० चन्द्रपुर-लक्ष्मीनगर (मध्य प्रदेश) पारेषण लाइन के लिए 2.450 हेक्टेयर वन भूमि।

17. अल्मोड़ा जिले में चौकुटिया में 33/11 कि०वा० विद्युत उपकेन्द्र का निर्माण।

18. उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में 400 कि०वा० उपकेन्द्र का निर्माण।

19. अल्मोड़ा जिले के मिलियासैण। 33/11 कि०वा० उपकेन्द्र का निर्माण।

20. सोनितपुर जिले में गोहपुर-निर्जुली के लिए 132 कि०वा० एस०/सी० पारेषण लाइन।

21. रंगा नदी जल विद्युत परियोजना-स्टेज-1

22. केवल-कारो जल विद्युत परियोजना ।

23. गोरवा से छोटा उदयपुर तक 132 कि०वा० पारेषण लाइन ।

महात्मा जोतीबा फूले की जन्म शताब्दी

4099. श्री राम नाईक : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार महात्मा जोतीबा फूले की जन्म शताब्दी मनाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने क्या निर्णय लिया है; और

(ग) इसके लिए समयबद्ध कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) जी, नहीं। यह जन्म शताब्दी नहीं है ।

(ख) पंजीकृत संगठनों को वित्तीय सहायता शताब्दी समारोह के दिशानिर्देशों के अनुसार प्रदान की जाएगी ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

चौसा और बक्सर (बिहार) में उत्खनन कार्य

[हिन्दी]

4100. प्रो० शैलेन्द्र नाथ श्रीवास्तव : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का यह मत है कि चौसा (बिहार) में आगे और उत्खनन कार्य किए जाने से निकट भविष्य में ऐतिहासिक महत्व की पुरावस्तुएं प्राप्त हो सकती हैं; और

(ख) यदि हां, तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने चौसा और बक्सर में उत्खनन हेतु क्या भावी कार्यक्रम तैयार किया है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) और (ख) जी, नहीं । भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का चौसा और बक्सर के (बिहार) स्थलों पर खुदाई करने का कोई विचार नहीं है ।

बम्बई का मानक भौगोलिक नाम

[अनुवाद]

4101. श्री विद्याधर गोखले : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने हिन्दी प्रकाशित एटलस और सर्वेक्षण विभाग के मानचित्र में बम्बई के स्थान पर मुम्बई लिखा हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस राष्ट्रीय नाम को "यूनेस्को" द्वारा 1981 में "क्लाइमेटिक एटलस आफ एशिया" के प्रकाशन के समय रोमन लिपि में मानक नाम के रूप में स्वीकार किये जाने से पहले

भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र-कला सहयोग के अंतर्गत देवनागरी से रोमन लिपि में अंतरण सारणी तैयार की थी और "यूनेस्को" को सप्लाई की थी; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० एम० जी० के० मेनन) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) यूनेस्को द्वारा अपने 1981 के प्रकाशन के समय रोमन लिपि में इसे एक मानक नाम के रूप में स्वीकार करने संबंधी कोई सूचना उपलब्ध नहीं है। इसके बाद, अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र-कला सहयोग के अंतर्गत भारत की ओर से देवनागरी से रोमन लिपि में किसी तरह के प्रति-तैयार किए जाने एवं यूनेस्को को आपूर्ति किए जाने की सरकार को कोई जानकारी नहीं है।

भू-विज्ञान में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के लिए प्रवेश

4102. **श्री ए० एन० सिंह देव :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विश्वविद्यालय में भू-विज्ञान में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए कितने छात्रों ने आवेदन किया है ;

(ख) उक्त पाठ्यक्रम में कितने छात्रों को प्रवेश दिया गया है; और

(ग) दिल्ली विश्वविद्यालय ने भू-विज्ञान में स्नातकोत्तर कोर्स में प्रवेश देने के लिए क्या मानदण्ड अपनाये हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) और (ख) दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, इस वर्ष प्रयुक्त भू-विज्ञान में एम० एस० सी० पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए 60 छात्रों ने आवेदन किया। इस पाठ्यक्रम में 12 स्थान उपलब्ध हैं, जिसके लिए 31-8-90 की स्थिति के अनुसार 11 छात्रों को प्रवेश दिया गया है। शेष एक स्थान को भरने की प्रक्रिया जारी है।

(ग) प्रयुक्त भू-विज्ञान में एम० एस० सी० पाठ्यक्रम में प्रवेश निर्धारित अर्हक परीक्षाओं में निष्पादन के आधार पर दिए गए हैं।

बिहार का शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ा जिला

[हिन्दी]

4103. **श्री छेदी पासवान :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार का शैक्षिक दृष्टि से सबसे पिछड़े जिले का नाम क्या है;

(ख) इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस संबंध में सरकार ने क्या प्रयास किए हैं; और

(घ) यदि इस संबंध में कोई प्रयास नहीं किए गये हैं तो उनके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) विवरण संलग्न है।

(ख) प्रतिकूल सामाजार्थिक परिस्थितियां और अपर्याप्त अवस्थापना शैक्षणिक पिछड़ेपन के कारण हो सकते हैं।

(ग) और (घ) शैक्षिक विकास के लिए केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं जैसे ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, शिक्षक शिक्षण, अनौपचारिक शिक्षा और प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य सरकार को वित्तीय सहायता दी जाती है। राज्य सरकारों/केन्द्र शासित प्रदेशों के प्रशासनों को पिछड़े जिलों पर ध्यान केन्द्रित करने का सुझाव दिया गया है ।

विवरण

राष्ट्रीय साक्षरता दर 36.25 से नीचे साक्षरता दर वाले जिलों की सूची
(सभी व्यक्ति)

राज्य का नाम	क्र० सं०	जिले का नाम	साक्षरता दर
1	2	3	4
बिहार	1.	पश्चिम चम्पारण	18.78
	2.	पूर्णियां	19.26
	3.	पूर्वी चम्पारण	19.33
	4.	सीतामढ़ी	19.56
	5.	सहरसा	20.26
	6.	पलामू	20.41
	7.	कटिहार	21.03
	8.	गोपालगंज	21.37
	9.	मधुबनी	21.74
	10.	संथाल परगना	22.25
	11.	हजारीबाग	23.50
	12.	सिवान	23.71
	13.	गिरीडीह	23.91
	14.	दरभंगा	23.94
	15.	मुजफ्फरपुर	24.25
	16.	समस्तीपुर	24.86
	17.	वैशाली	25.55
	18.	बेगूसराय	26.06

1	2	3	4
	19.	नवादा	26.53
	20.	मुंगेर	26.65
	21.	सारण	27.28
	22.	भागलपुर	27.47
	23.	औरंगाबाद	28.49
	24.	गया	30.07
	25.	रोहतास	30.55
	26.	भोजपुर	31.35
	27.	राँची	31.41
	28.	नालंदा	32.92
	29.	सिंहभूम	33.59

जापान के साथ अन्तर्राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहयोग

[अनुवाद]

4104. **श्री राधा मोहन सिंह** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जापान के साथ अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहयोग में मशीन से अनुवाद प्रणालियों का विकास शामिल है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) यदि नहीं, तो मशीन से अनुवाद के मामले में जापान के अनुभव का लाभ उठाने हेतु क्या नीति अपनाई गई है; और

(ग) भारतीय भाषाओं हेतु प्रौद्योगिकी विकास मिशन संबंधी इलैक्ट्रोनिकी विभाग का कार्यक्रम किस प्रकार विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत भारत-जापान सहयोग कार्यक्रम से जुड़ा हुआ है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० एम० जी० के० मेनन) : (क) जी नहीं।

(ख) इलेक्ट्रोनिकी विभाग ने मशीन अनुवाद पर जापानी अनुभव का अध्ययन करने की पहल की है। बहु-भाषीय/बहु-लिपीय मशीन अनुवाद के क्षेत्र में सी० आई० सी० सी० (सेंटर फार इंटरनेशनल कोऑपरेशन फॉर कम्प्यूटराईजेशन) के साथ सहयोग की संभावनाओं की खोज की जाएगी।

(ग) भारतीय भाषाओं हेतु प्रौद्योगिकी विकास संबंधी कार्यक्रम को इलेक्ट्रानिकी विभाग द्वारा प्रवर्तित किया जा रहा है। भारत-जापान एवं अन्य अंतर्राष्ट्रीय सहयोग कार्यक्रमों के तहत

विचार-विमर्श करने के लिए भारतीय भाषाओं हेतु प्रौद्योगिकी विकास कार्यक्रम के उद्देश्यों एवं सुनियोजित गतिविधियों को भेज दिया जाएगा।

भारतीय भाषाओं के लिए प्रौद्योगिकी का विकास

4105. **श्री राघव जी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय भाषाओं के लिए प्रौद्योगिकी विकास कार्य, जिसके लिए आठवीं योजना अवधि में 17 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं, अब आरंभ किया जा चुका है;

(ख) यदि हां, तो अब तक आरंभ की गई परियोजनाओं का ब्योरा क्या है;

(ग) उपरोक्त योजनाओं के अंतर्गत कम्प्यूटर पर आधारित भाषा-विज्ञान और कम्प्यूटर से सहायता प्राप्त ज्ञान तथा शिक्षण संबंधी पाठ्यक्रमों को आरंभ करने के किन-किन विविध संस्कृत संस्थाओं का चयन किया गया है अथवा किया जाएगा; और

(घ) उपरोक्त योजनाओं के अधीन विभिन्न कार्यक्रमों में भाषाविज्ञ लोगों की सहायता लेने के कार्य को पुन: आरंभ करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का ब्योरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० एम० जी० के० मेनन) : (क) और (ख) भारतीय भाषाओं के लिए प्रौद्योगिकी विकास कार्यक्रम को आठवीं योजनावधि में कार्यान्वित करने के लिए एक विस्तृत कार्यक्रम तैयार किया गया है। इसकी शुरूआत आठवीं योजना के प्रस्तावों का अनुमोदन प्राप्त हो जाने के बाद की जाएगी।

इस कार्यक्रम के लिए आठवीं योजना के दौरान 17 करोड़ रु० के व्यय का अनुमान लगाया गया है लेकिन इसे अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है। किंतु इस क्षेत्र से संबंधित कार्य अक्षुण्ण तथा चालू रहने वाला है।

(ग) भारतीय भाषाओं के लिए प्रौद्योगिकी विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन के दौरान, संस्कृत में शोध, ज्ञानार्जन तथा शिक्षण के कार्य से जुड़े प्रतिष्ठित संस्थानों का इसके साथ संबद्ध किया जाएगा।

(घ) प्राकृतिक भाषा संसाधन शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए पाठ्य विषय तैयार करने के उद्देश्य से एक समिति का गठन किया गया है जिसका उद्देश्य भाषाविदों तथा भाषा शिक्षकों को अभिकलनात्मक भाषा—विज्ञान और कम्प्यूटर साधित अध्ययन एवं शिक्षण के उभरते हुए क्षेत्रों से परिचित कराना है। प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन तकनीकी एवं भाषा संस्थानों के संयुक्त सहयोग से किया जाएगा।

भारत में प्रौद्योगिकियों का पेटेंट कराया जाना

4106. **श्रीमती जयवन्ती नवीनचन्द्र मेहता** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रौद्योगिकियों के पेटेंट कराए जाने पर पर्याप्त ध्यान दिया जा रहा है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) इलैक्ट्रोनिकी, जैव प्रौद्योगिकी और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोतों के क्षेत्र में विश्व

के कुल पेटेंटों की संख्या की तुलना में भारतीय पेटेंटों की वास्तविक संख्या और प्रतिशतता क्या है;

(ग) सरकार द्वारा प्रयोजित अनुसंधान और विकास परियोजनाओं में से कितने प्रतिशत परियोजनाएं, विशेष रूप से जैव-प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में तेजी से विकसित होने वाले क्षेत्रों में पेटेंट की गयी हैं; और

(घ) इलैक्ट्रोनिकी और बायो-टैक्नोलोजी जैसे प्रमुख क्षेत्रों में जानकारी उन्मुख और पूंजी-उन्मुख प्रौद्योगिकियों के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पेटेंटिंग के संदर्भ में, विकसित देशों के साथ कदम मिलाते हुए चलने के लिए अपनायी गयी नीति का ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० एन० जी० के० मेनन) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

नेशनल ऑयल कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड के अवैध निर्माण स्थल की जांच

4107. **श्री उदय सिंह राव नाना साहिब गायकवाड़ :**

श्री विद्याधर गोखले :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को नयी मुंबई में नेशनल ऑयल कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड के प्रस्तावित पेट्रो-रसायन काम्पलेक्स के संबंध में हुए अनेक उल्लंघनों और अनियमितताओं को दर्शाने वाली सूचनाएं प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में कोई ठोस कार्यवाही की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री नीलमणि राउतराय) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) उठाए गए मुद्दे मौजूदा पैट्रो-रसायन एकक के विस्तार/आधुनिकीकरण से संबंधित हैं जो उद्योग के लगने के संबंध में जारी किए गए दिशा-निर्देशों के अनुरूप नहीं है। मंत्रालय ने इस क्षेत्र में औद्योगिक विकास के मूल्यांकन के लिए कार्रवाई शुरू की है। इसके लिए राज्य सरकार से इस क्षेत्र की वहन और समीकारी क्षमता के बारे में रिपोर्ट प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया है।

प्रतिभाशाली वैज्ञानिकों को पुरस्कार

4108. **श्रीमती सुमित्रा महाजन :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की कार्यकुशलता, कार्यनिष्पादन, गुणवत्ता में सुधार और राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए प्रतिभाशाली वैज्ञानिकों को पुरस्कार देने की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० एम० जी० के० मेनन) : (क) और (ख) जी हां। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में इस तरह की एक योजना है। इस योजना का उद्देश्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में काम करने वाले वैज्ञानिकों सहित विभिन्न पदाधिकारियों की कार्यकुशलता, निष्पादन, गुणवत्ता और उत्पादकता में सुधार लाना है। इस योजना के अनुसार, एक इनामधारी को 1500/- रुपये नगद पुरस्कार दिया जाता है। साधारणतया यह पुरस्कार दो माह में एक बार अधिकतम तीन व्यक्तियों को दिया जाता है। इसके अतिरिक्त, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राजभाषा विभाग के निर्देशों के अनुसार हिन्दी में अपना कार्यालयी कार्य करने पर वैज्ञानिकों सहित विभिन्न पदाधिकारियों को नगद पुरस्कार देने की भी एक योजना है। प्रत्येक वर्ष हिन्दी सप्ताह मनाया जाता है, प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं और विजेताओं को पुरस्कार दिये जाते हैं।

क्लास परियोजना के लिए साफ्टवेयर सामग्री

4109. **श्री नरसिंह राव दीक्षित** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "क्लास" परियोजना को वर्ष 1984 में प्रारम्भ किया गया था और अब तक 1000 स्कूलों को साफ्टवेयर और हिन्दी में निर्देश सामग्री के बिना कम्प्यूटर उपलब्ध कराए गए हैं;

(ख) अंग्रेजी के पैकेजों की तुलना में हिन्दी और अन्य भारतीय भाषाओं में पैकेजों का (प्रतिशत में) ब्यौरा क्या है;

(ग) हिन्दी और अन्य भारतीय भाषाओं में पाठ तैयार करने हेतु प्राधिकृत व्यवस्था के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) शैक्षिक साफ्टवेयर के लिए नियोजित विकास के लिए क्या नीति है;

(ङ) क्या "एस० सी० एल० यूनीकार्न माइक्रो कम्प्यूटर्स" के स्थान पर "आई० सी० एम० पर्सनल कम्प्यूटर्स" देने की कोई योजना है; और

(च) यदि हां, तो इस योजना का ब्यौरा क्या है तथा स्कूलों में दो प्रकार के कम्प्यूटरों के रखरखाव के लिए क्या प्रबंध किए गए हैं तथा इन कम्प्यूटरों के साफ्टवेयरों की परस्पर अनुकूलता और विनिमय का ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० एम० जी० के० मेनन) : (क) विद्यालयों में कम्प्यूटर साक्षरता तथा अध्ययन (क्लास) परियोजना वर्ष 1984 में शुरू की गई और 1694 विद्यालयों का (13-3-90 की स्थिति के अनुसार) साफ्टवेयर सहित माइक्रो कम्प्यूटर और अंग्रेजी में शिक्षण सामग्रियां उपलब्ध कराई गई हैं। भारतीय भाषाओं पर काम करने में सेमीकण्डक्टर काम्प्लेक्स लि० के माइक्रोकम्प्यूटर की क्षमताएं सीमित होने के कारण, भारतीय भाषाओं में काम करना संभव नहीं हो सका है।

(ख) चुने हुए प्रत्येक विद्यालय को इस समय 25 साफ्टवेयर पैकेज उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिकी विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अन्तर्गत सी० एम० सी० लिमिटेड नामक एक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम ने पठन मात्र स्मृतिकोशों (रोम) का विकास किया है जो 11 अलग-

अलग भारतीय भाषाओं की लिपियों के सृजन की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं और साथ ही हिन्दी में "प्रवन कोश" नामक एक साफ्टवेयर पैकेज का भी विकास किया है। ये "रोम" 11 भारतीय भाषाओं में लिप्यंतरण की सुविधा उपलब्ध कराते हैं।

(ग) इलेक्ट्रॉनिकी विभाग ने भारतीय भाषाओं के लिए प्रौद्योगिकी-विकास नामक एक कार्यक्रम तैयार किया है जिसे आठवीं योजना में कार्यान्वित किया जाएगा। इससे हिन्दी तथा अन्य भारतीय भाषाओं में पाठ तैयार करने में सुविधा मिलेगी।

(घ) शैक्षणिक साफ्टवेयर के विकास का कार्य शुरू करने के लिए साधन-स्रोत केन्द्रों और सार्वजनिक तथा निजी उद्यमकर्ताओं को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसका समन्वय राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद द्वारा किया जा रहा है।

(ङ) और (च) सरकार "क्लास" परियोजना के विकल्प के रूप में आई० बी० एम० पी० सी० के अनुरूप व्यवस्था के बारे में विचार कर रही है। क्योंकि पी० सी० अनुरूपी संसाधन व्यवस्था देश में वास्तविक मानक के रूप में उभर रही है। इन वैयक्तिक कम्प्यूटरों की क्षमता में वृद्धि करने के लिए अनुसंधान तथा विकास के प्रयास किए जा रहे हैं ताकि वे भारतीय भाषाओं में भी काम कर सकें। चूंकि ये दो माइक्रोकम्प्यूटर एक-दूसरे के संगत नहीं हैं, अतः वर्तमान साफ्टवेयर की मदद के लिए अतिरिक्त प्रयास की आवश्यकता है।

इस समय, "क्लास" परियोजना के लिए केवल एस० सी० एल० माइक्रोकम्प्यूटरों का ही इस्तेमाल किया जा रहा है, जिनका अनुरक्षण सी० एम० सी० लिमिटेड द्वारा किया जाता है।

गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले श्रमिकों का उत्थान

4110. **श्री रवि नारायण पाणि** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने प्रतिशत श्रमिक गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं; और

(ख) केन्द्रीय सरकार इन श्रमिकों, विशेष रूप से उड़ीसा और राजस्थान के आदिवासी क्षेत्रों में रहने वाले श्रमिकों की आर्थिक और सामाजिक दशा सुधारने के लिए क्या कदम उठा रही है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागेय गोवर्धन) : (क) गरीबी रेखा के नीचे के श्रमिकों के प्रतिशत अनुमान उपलब्ध नहीं है।

(ख) योजना में सम्मिलित विकास कार्यक्रमों के अलावा कई केन्द्र प्रायोजित गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों को गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वालों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए कार्यान्वित किया जा रहा है। इनमें एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई० आर० डी० पी०) तथा ग्रामीण क्षेत्रों में जवाहर रोजगार योजना (जे० आर० वाई०), शहरी क्षेत्रों में नेहरू रोजगार योजना (जे० आर० वाई०) तथा बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास के लिए योजना शामिल है। शहरी क्षेत्रों में शहरी गरीबों के लिए स्वरोजगार कार्यक्रम (एस० ई० ई० पी० यू० पी०) केन्द्र क्षेत्रक योजना भी है। इसके अलावा अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक-आर्थिक विकास उड़ीसा तथा राजस्थान सहित 17 राज्यों तथा 2 संघ राज्य क्षेत्रों में जनजाति उपयोजना कार्या-

न्वित की जा रही है। जनजाति उपयोजना की कार्यनीति यह है कि अलग-अलग लाभभोगी परिवारों की सेवाओं का एक ऐसा पैकेज प्रदान किया जाए जिससे उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति हो, उनके जीवन स्तर में सुधार हो तथा गरीबी रेखा को पार करने तथा उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने हेतु उन्हें समर्थ बनाने के लिए आय सृजन करने वाली स्कीमें प्राप्त हों।

प्रौढ़ शिक्षा योजना

4111. **श्री बलवन्त मणवरी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) उन राज्यों के नाम क्या हैं जहां प्रौढ़ शिक्षा योजना केन्द्रीय सहायता में सम्मिलित है;

(ख) प्रौढ़ शिक्षा योजना में कार्यरत कितने कर्मचारी केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी हैं;

(ग) क्या प्रौढ़ शिक्षा कार्मिकों के लिए संपूर्ण देश में समान वेतनमान लागू हैं;

(घ) प्रौढ़ शिक्षा कर्मिकों के लिए वेतनमानों में समानता लाने हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है;

(ङ) क्या उच्चतम न्यायालय ने इस संबंध में हरियाणा राज्य के प्रौढ़ शिक्षा कार्मिकों के बारे में कोई आदेश दिये हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) से (घ) सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में कार्यान्वित किए जाने वाले प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों की विभिन्न योजनाओं के लिए कार्मिक उपलब्ध कराये गए हैं। चूंकि योजनाओं का प्रशासनिक और पर्यवेक्षण संबंधी नियंत्रण राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के अधीन है, अतः परियोजना पदाधिकारियों का चयन प्रशिक्षण और स्थान निर्धारण प्रत्येक राज्य/संघ शासित क्षेत्र द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार उनके द्वारा किया जाता है।

(ङ) और (च) हरियाणा राज्य ने, 15-35 आयु वर्ग में प्रौढ़ शिक्षुओं तथा 6-14 आयु वर्ग में स्कूल बीच में छोड़ जाने वालों की गैर औपचारिक शिक्षा के लिए ग्रामीण कार्यात्मक साक्षरता परियोजनाओं की योजना के अंतर्गत साक्षरता प्रदान करने और उसके पर्यवेक्षण का कार्य क्रमशः उन्हीं अनुदेशकों और पर्यवेक्षकों को सौंपा। इसके अतिरिक्त, उन्हें कुछ अतिरिक्त कार्य भी सौंपे गए थे। इसके परिणामस्वरूप प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के अनुदेशकों और पर्यवेक्षकों के कार्यघंटों में वृद्धि हुई। बाद में, हरियाणा में प्रौढ़ शिक्षा तथा गैर औपचारिक शिक्षा की सम्मिलित योजना के अंतर्गत कार्यरत पर्यवेक्षकों तथा अनुदेशकों ने संविधान के अनुच्छेद-32 के अंतर्गत समादेश याचिका दायर की और पेप्सु (पी० ई० पी० एम० यू०) योजना के शेष कार्य के रूप में राज्यों से विरासत स्वरूप प्राप्त सामाजिक शिक्षा योजना के अंतर्गत क्रमशः हैड स्कवाइड और स्कवाइड अध्यापक के कार्यों तथा जिम्मेवारियों के स्वरूप में समानता का उल्लेख किया। उच्चतम न्यायालय ने पहले पर्यवेक्षकों के मामले में और बाद में अनुदेशकों के मामले में वेतनमान की अनुमति प्रदान की। माननीय न्यायाधीशों ने अपने फैसले में यह निर्णय दिया कि इसे देखते हुए कि प्रौढ़

शिक्षा और गैर-औपचारिक शिक्षा योजनाओं को एक साथ मिला दिया गया है, अभ्यर्थियों के कार्यों और जिम्मेवारियों के स्वरूप अपेक्षाकृत नियमित तथा पूर्णकालिक हैं।

ए० एफ० एच० क्यू० आशुलिपिक सेवा नियम, 1970 में संशोधन

4112. **श्री जनक राज गुप्त** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ए० एफ० एच० क्यू० आशुलिपिक सेवा नियम, 1970 में इस आशय के संशोधन का कोई प्रस्ताव जनवरी, 1990 के आसपास कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग में स्वीकृति के लिए प्राप्त हुआ था कि बकाया चले आ रहे रिक्त पदों को व्यपगत होने दिया जाए;

(ख) यदि हां, तो क्या इसे स्वीकृति प्रदान कर दी गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के कारण क्या हैं तथा इसे कब तक स्वीकृति प्रदान की जायेगी ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राजा रमन्ना) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सशस्त्र सेना मुख्यालय आशुलिपिक सेवा नियम 1970 में प्रस्तावित संशोधन के संबंध में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के साथ परामर्श करके विचार किया गया है। सरकार प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर सकती, क्योंकि प्रस्तावित प्रावधान केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा नियम में विहित प्रावधानों के अनुरूप नहीं है।

वन्य प्राणि अभ्यारण्य

4113. **श्री महेन्द्र सिंह मेवाड़** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में, राज्य-वार कितने वन्य प्राणि अभ्यारण्य हैं;

(ख) क्या आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान वन्य प्राणि अभ्यारण्य के विकास का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री नीलमणि राउतराय) : (क) राज्य-वार वन्यजीव अभ्यारण्यों की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) और (ग) (1) वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम के उपबंधों के अंतर्गत राज्य सरकारों द्वारा उपयुक्त क्षेत्रों को अभ्यारण्यों के रूप में घोषित किया जाता है। भारत सरकार वन की व्यवस्था, प्रशिक्षण सुविधाओं, तकनीकी सलाह आदि देकर केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के अन्तर्गत अभ्यारण्यों के प्रबंध और विकास में राज्यों को सहायता करती है। राज्य सरकारों को दी जाने वाली इस प्रकार की सहायता को 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जारी रखने का प्रस्ताव है।

(2) केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के अन्तर्गत सहायता का सम्पूर्ण योजना अवधि के लिए राज्य-वार आवंटन नहीं किया जाता है। इस प्रकार की सहायता के लिए राज्य सरकारों के अनुरोध और निधियों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए उन्हें वार्षिक आधार पर सहायता दी जाती है।

विवरण

क्रम संख्या	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश का नाम	वन्यजीव अभ्यारण्यों की संख्या
1	2	3
1.	अंडमान और निकोबार दीपसमूह	94
2.	आन्ध्र प्रदेश	18
3.	अरुणाचल प्रदेश	4
4.	असम	9
5.	बिहार	17
6.	चण्डीगढ़	1
7.	दिल्ली	[illegible]
8.	गोवा	4
9.	गुजरात	15
10.	हरियाणा	6
11.	हिमाचल प्रदेश	29
12.	जम्मू और कश्मीर	15
13.	कर्नाटक	19
14.	केरल	12
15.	मध्य प्रदेश	32
16.	महाराष्ट्र	24
17.	मणिपुर	1
18.	मेघालय	3
19.	मिजोरम	2
20.	नागालैंड	4
21.	उड़ीसा	16
22.	पंजाब	5
23.	राजस्थान	24

1	2	3
24.	सिक्किम	4
25.	तमिलनाडु	10
26.	त्रिपुरा	4
27.	उत्तर प्रदेश	22
28.	पश्चिम बंगाल	16
	कुल	411

महात्मा गांधी विश्वविद्यालय, केरल को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सहायता

4114. श्री पलाई के० एम० मैथ्यू : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1990 तक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा केरल के महात्मा गांधी विश्वविद्यालय को कितनी वित्तीय सहायता दी गई;

(ख) प्रत्येक उप-शीर्ष के अन्तर्गत मद-वार दी गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का महात्मा गांधी विश्वविद्यालय को विकसित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) क्या महात्मा गांधी विश्वविद्यालय को हाल ही में आरंभ किये जाने के कारण इसे अधिक धन-राशि उपलब्ध कराई जायेगी ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) से (घ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग राज्यों के विश्वविद्यालयों को भवनों, पुस्तकों और पत्रिकाओं, उपस्करों और शिक्षण और शोध की गुणात्मकता और स्तर को बढ़ावा देने के लिए तैयार की गई अन्य सुविधाओं जैसी संस्थागत अवस्थापना के सुदृढ़ीकरण के लिए विकास-अनुदान प्रदान करता है। आयोग विश्वविद्यालयों को वर्ष दर-वर्ष के आधार पर नहीं बल्कि पंचवर्षीय योजना के आधार पर अनुदानों का आबंटन करता है। सातवीं योजना के दौरान गांधी जी विश्वविद्यालय, कोट्टायम को दिए गए अनुदानों को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है। गांधी जी विश्वविद्यालय, केवल वर्ष 1988-89 से ही विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अनुदान पाने का पात्र बना। आयोग ने इस विश्वविद्यालय की आठवीं योजना के प्रस्तावों को अन्तिम रूप नहीं दिया है। परन्तु आठवीं योजना के लिए आबंटन सातवीं योजना के आबंटनों से कम होने की सम्भावना नहीं है।

विवरण

(रुपए लाख में)

योजना/कार्यक्रम का नाम	सातवीं योजना में जारी अनुदान
1. पुस्तकें और पत्रिकाएं	20.00
2. उपस्कर	32.00
3. अनिर्धारित अनुदान	0.75
4. शिक्षक शिक्षावृत्ति	0.39
5. शोध परियोजनाएं	0.71
कुल	53.85

उन्नयी वैरियर स्मारक कलानिकायम इंजिलाकुडा, केरल को अनुदान

4115. प्रो० सावित्री लक्ष्मणन : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का उन्नथी वैरियर स्मारक कलानिलायम, इंनिजलाकुडा, केरल को भवन अथवा उपकरणों के लिए अनुदान के रूप में कोई धनराशि देने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) यह अनुदान राशि कब तक दी जाएगी ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) से (घ) उन्नयी वैरियर स्मारक कलानिलायम, इंनिजलाकुडा (केरल) से प्राप्त आवेदन-पत्र पर सांस्कृतिक संगठनों को भवन अनुदान सम्बन्धी विशेषज्ञ समिति द्वारा 26 दिसंबर, 1988 को आयोजित उसकी बैठक में विचार किया गया था। चूंकि आवेदन-पत्र को पूर्ण नहीं पाया गया था, अतः समिति ने पुनर्विचार के लिए उनसे ब्यौरे मंगाने की इच्छा व्यक्त की थी। संस्थान ने अभी तक ब्यौरे नहीं भेजे हैं, ताकि भवन हेतु 1,75,000 रु० तथा उपकरणों हेतु 14,000 रु० के अनुदान के लिए उनके अनुरोध पर पुनः विचार किया जा सके।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के आरक्षित पदों को भरने हेतु राज्यों को मार्गनिर्देश

4116. श्री के० प्रधानी :

श्री मनोरंजन भक्त :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का निकट भविष्य में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आरक्षित खाली पड़े पदों को भरने का कोई कार्यक्रम है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में राज्य सरकारों को क्या मार्गनिर्देश जारी किए गए हैं ?

प्रधान मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी, हां। केन्द्रीय सरकार के अन्तर्गत 31-3-90 को अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए खाली पड़े पदों को भरने के लिऐ एक विशेष भर्ती अभियान चलाया गया है।

(ख) राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों से भी इसी प्रकार के एक विशेष भर्ती अभियान चलाने पर विचार करने का अनुरोध किया गया है।

उत्तर प्रदेश में सरेन नदी बांध परियोजना को मंजूरी

4117. **डा० राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सीतापुर, उत्तर प्रदेश में सरेन नदी बांध के निर्माण की परियोजना को योजना आयोग द्वारा कब तक अन्तिम रूप से मंजूरी दिए जाने की संभावना है; और

(ख) परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है और इस बांध का निर्माण कार्य कब शुरू होगा ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागेय गोवर्धन) : (क) योजना आयोग से निवेश संबंधी अन्तिम अनापत्ति, जल संसाधन मंत्रालय में सिंचाई बाढ़ नियंत्रण और अन्य बहु-उद्देशीय परियोजनाओं से संबंधित सलाहकार समिति, से इस आशय की सकारात्मक सिफारिश प्राप्त होने पर और घटकों के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा आठवीं पंचवर्षीय योजना में राज्य के पास उपलब्ध कुल संसाधनों की सीमा में इस परियोजना के साथ जुड़ी सापेक्षिक प्राथमिकताओं पर निर्भर करेगी।

(ख) इस स्कीम की अनुमानित लागत 601 लाख रुपए है, बशर्ते इसमें जल संसाधन मंत्रालय में सलाहकार समिति की अनापत्ति और गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग द्वारा स्कीम की जांच के अधीन कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। योजना आयोग से निवेश संबंधी अन्तिम अनापत्ति प्राप्त होने के पश्चात् निर्माण कार्य/स्कीम का प्रारंभ होना राज्य सरकार पर निर्भर करेगा।

भारतीय वायुसेना के जगुआर विमान का दुर्घटनाग्रस्त होना

4118. **श्री आर० एन० राकेश** :

श्री माणिकराव होडल्या गावीत :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वायुसेना का जगुआर विमान 1 अगस्त, 1990 को गोरखपुर के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया था;

(ख) यदि हां, तो विमान की दुर्घटना होने के क्या कारण हैं;

(ग) इसके कारण जान और माल की हुई क्षति का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इस बारे में अब तक कोई जांच की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राजा रमन्ना) : (क) जी, हां।

(ख) आकाश के दो वायुयानों के आपस में टकरा जाने के कारण दुर्घटना हुई।

(ग) दुर्घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। लगभग 5,000 रुपए की लागत की खड़ी फसल नष्ट हुई।

(घ) जी, हां।

(ङ) प्रशिक्षण कार्य में लगे दोनों वायुयान अभ्यास के दौरान आपस में टकरा गए। दोनों के चालक सुरक्षित बाहर निकल आए। जांच करने के बाद किसी को दोषी नहीं पाया गया।

अन्तरिक्ष-आधारित प्रक्षेपास्त्र प्रणाली

4119. **श्री वाई० एस० राजशेखर रेड्डी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्तरिक्ष-आधारित प्रक्षेपास्त्र प्रणाली विकसित किए जाने के लिए कोई कार्यक्रम तैयार किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राजा रमन्ना) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के मजदूर संघों के सदस्यों को अन्तरिम राहत

4120. **श्री छबिराम अर्गल** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सितंबर, 1987 को आई० डी० ए० ढांचे पर सरकारी क्षेत्र के कर्मचारियों के प्रबंध मंडल के मजदूर संघ के सदस्यों को 1-1-1986 से अन्तरिम राहत देने के लिए प्राधिकृत किया गया था, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इन श्रमिकों को अन्तरिम राहत दी गई, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) उन्हें अन्तरिम राहत कब तक दे दिए जाने की संभावना है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागेय गोवर्धन) : (क) से (घ) औद्योगिक महंगाई भत्ता पैटर्न पर कार्यरत सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के प्रबंधकों को सितंबर, 1987 में 1-1-1986 से अन्तरिम सहायता स्वीकृत करने के लिए प्राधिकृत किया गया था। बहरहाल इसे उन उद्यमों के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया था जिनमें मौजूदा मजूरी समझौते 31-7-1987 तक समाप्त हो गए थे। यह अन्तरिम सहायता स्लैब आधार पर है जैसा कि नीचे दिया गया है—

मूल वेतन सीमा	अन्तरिम सहायता (रुपयों में)
700 रुपए तक	100
701 रुपए से 1000 रुपए तक	120
1001 रुपए से 1100 रुपए तक	180
1101 रुपए से 1200 रुपए तक	240
1201 रुपए से 1300 रुपए तक	360
1301 रुपए से 2200 रुपए तक	420

सरकारी क्षेत्र के उद्यमों द्वारा मजूरी समझौतों के एक भाग के रूप में, अपने कर्मचारियों के साथ किए गए मजूरी समझौतों के अनुसार अन्तरिम सहायता का भुगतान कर दिया गया है।

इलेक्ट्रॉनिक टेलीफोन एक्सचेंजों का आयात

4121. **श्री बबनराव ढाकने** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का किसी देश से छोटे इलेक्ट्रॉनिक टेलीफोन एक्सचेंजों का आयात करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो किन देशों से इनका आयात किया जाएगा और इस आयात पर अनुमानतः कितना खर्च जाएगा; और

(ग) चालू योजना अवधि में ऐसे टेलीफोन एक्सचेंजों की कुल कितनी मांग है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० एम० जी० के० मेनन) : (क) से (ग) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

केरल में कालेजों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सहायता

4122. **प्रो० के० वी० थामस** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में स्कूलों में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की मंजूरी से 10+2 प्रणाली आरंभ की गयी है;

(ख) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा केरल को कालेज प्राध्यापकों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वेतनमान देने के लिए वित्तीय सहायता देगा;

(ग) क्या केरल में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सहायता उन कालेजों को प्राप्त है, जहां डिग्री-पूर्व, डिग्री और स्नातकोत्तर कक्षाएं साथ-साथ आयोजित की जाती हैं; और

(घ) राज्यों में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की योजनायें कार्यान्वित करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सहायता प्राप्त करने हेतु पात्रता की शर्तें क्या हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) केरल सरकार द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, राज्य में अनेक मिश्रित कालेज हैं जिनमें शिक्षक उसी कालेज में पूर्व-डिग्री और डिग्री कक्षाओं में पढ़ाते हैं। राज्य सरकार ने अनुमान लगाया है कि कालेज शिक्षकों की कुल संख्या का 52% डिग्री पाठ्यक्रमों में और 48% पूर्व-डिग्री पाठ्यक्रमों में होंगे। राज्य सरकार ने डिग्री कालेजों के 52% शिक्षकों को 1-1-1-1986 से और पूर्व-डिग्री पाठ्यक्रमों के 48% शिक्षकों को 1-4-90 से, जब भी वे 8 वर्ष की सेवा पूरी कर लेते हैं और वि० अ० आ० योजना की अन्य शर्तों को पूरा करते हैं, संशोधित वि० अ० आ० वेतनमान देने का निर्णय किया है। संशोधित वेतनमानों के कार्यान्वयन के लिए केन्द्रीय सहायता इस शर्त पर प्रदान की जाती है कि राज्य सरकार वेतन संशोधन की संपूर्ण योजना को स्वीकार करें जिसमें न्यूनतम अर्हतायें तथा भर्ती की विधि, आजीविका प्रोन्नति, सतत् शिक्षा, निष्पादन मूल्यांकन आदि शामिल हैं। केन्द्रीय सरकार 1-1-86 से 31-3-90 तक डिग्री कालेजों के 52% शिक्षकों को वेतनमानों के संशोधन के कारण हुए अतिरिक्त व्यय के 80% तक की सहायता प्रदान करेगा। केन्द्रीय सरकार ने इस उद्देश्य के लिए राज्य सरकार को पहले ही 20 करोड़ रुपए की पहली किश्त जारी कर दी है।

दुधवा नेशनल आखेट स्थल में झाबर मृगों की संख्या कम करना

4123. श्री आनन्द सिंह : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दुधवा नेशनल आखेट स्थल में झाबर मृगों की संख्या में भारी कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उनकी संख्या में हो रही कमी को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री नीलमणि राउतराय) : (क) से (ग) दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में झाबर मृगों की संख्या में कमी आने की रिपोर्ट है लेकिन उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने सूचित किया है कि अब झाबर मृगों की संख्या बढ़ने लगी है। राज्य सरकार ने यह भी सूचित किया है कि इस स्थिति को नियंत्रित करने के लिए उपयुक्त कदम उठाए जा रहे हैं। केन्द्र सरकार ने राज्य सरकार को दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में स्थिति में सुधार करने के लिए सभी संभव सहायता देने का आश्वासन दिया है।

भारतीय सीमा के साथ पाकिस्तान द्वारा सैनिकों का इकट्ठा किया जाना

4124. श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति :

श्री माधवराव सिन्धिया :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भारतीय सीमा के साथ पाकिस्तान द्वारा सैनिकों के जमाव की तथा पाकिस्तान हवाई अभ्यास की खबर की भी जानकारी है, यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ख) पाकिस्तान के किसी पिछले आधार से अथवा हवाई हमले से देश को बचाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं;

(ग) क्या भारत ने स्थिति को सामान्य बनाने के लिए महाजन सेक्टर में शांति-क्षेत्र तक अपने बलों को वापस बुला लिया था, किन्तु पाकिस्तान ने जम्मू तथा कश्मीर में छम्ब-जौरियां सेक्टर में दबाव बना रखा है; और

(घ) यदि हां, तो महत्वपूर्ण छम्ब-जौरियां सेक्टर को बचाने के लिए कौन से निवारक उपाय किए गए हैं ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राजा रमन्ना) : (क) सरकार को इस बात की जानकारी है कि जनवरी, 1990 से पाकिस्तानी विरचनायें और यूनिटें, सीमा/नियंत्रण रेखा पर पूरी तरह सतर्क हैं और तैयारी की स्थिति में हैं। उन्होंने अपने हवाई क्षेत्रों को भी संक्रियात्मक रूप दिया है।

(ख) देश की प्रादेशिक अखंडता की रक्षा करने के लिए हमारी सशस्त्र सेनायें पूरी तरह तैयार हैं।

(ग) तनाव दूर करने के लिए हमने एकतरफा कार्रवाई करके जून, 1990 में, महाजन रेंज में प्रशिक्षण ले रही सभी बख्तरबन्द यूनिटों को उनके स्थायी ठिकानों में वापस भेज दिया था। पाकिस्तानी विरचनाओं के संबंध में, यह सूचना मिली है कि उनकी कुछ टुकड़ियां अपने स्थायी ठिकानों को वापस लौट रही हैं। स्थिति पर पूरी तरह से नजर रखी जा रही है।

(घ) देश की प्रादेशिक अखंडता को बनाए रखने के लिए, संक्रियात्मक तैयारी के रूप में पर्याप्त उपाय किए गए हैं।

भारतीय विज्ञान संस्थान, रांची

[हिन्दी]

4125. **प्रो० रघुनाथ पाण्डेय** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय विज्ञान संस्थान, रांची की स्थापना बिहार में विज्ञान की प्रगति और विकास के लिए एक प्रभावकारी कदम के रूप में की गई थी और इसके केन्द्रीय सरकार ने वर्ष 1987 में मान्यता प्रदान की थी ;

(ख) क्या इस संस्थान में वर्ष 1987 के दौरान कुछ छात्रों ने दो वर्षीय पाठ्यक्रम के लिए प्रवेश लिया था और छात्रों की परीक्षा भी ली गई थी ;

(ग) यदि हां, तो क्या इन छात्रों का परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया गया है, यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) परिणाम कब तक घोषित कर दिए जाएंगे ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) भारतीय विज्ञान संस्थान, रांची के होटल प्रबंध में डिप्लोमा पाठ्यक्रम आयोजित करने के लिए अक्तूबर, 1987 में दो वर्ष की अवधि के लिए बिहार सरकार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा अस्थायी तौर पर मान्यता प्रदान की गई थी। बिहार राज्य सरकार द्वारा यह मान्यता जून, 1990 में समाप्त कर दी गयी है। इस कालेज को संघ सरकार/अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्रदान नहीं की गयी है।

(ख) से (घ) इस संस्थान द्वारा जनवरी, 1987 में होटल प्रबंध में छात्रों के प्रथम बैच को दाखिल किया गया और दिसम्बर, 1989 में संस्थान द्वारा अंतिम परीक्षा ली गयी तथा जनवरी, 1990 में परिणाम घोषित किया गया।

लम्बे समय से रुग्ण उद्योगों की समस्याएं

[अनुवाद]

4126. **श्री शांताराम पोटदुखे** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के 40 लम्बे समय से रुग्ण उपक्रमों के प्रशासनिक मंत्रालयों को उनकी समस्याओं का अध्ययन करने के बारे में योजना नीति तैयार करने को कहा गया था;

(ख) यदि हां, तो इन उपक्रमों के नाम क्या हैं;

(ग) इन उपक्रमों को अर्थक्षम बनाने के लिए योजना तैयार करने के लिए क्या मापदंड अपनाए गए हैं; और

(घ) क्या संबंधित उत्पादन विषय से संबंधित गैर-सरकारी क्षेत्र के किसी विशेषज्ञ को भी इस अध्ययन से सहयोग करने का प्रस्ताव है; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागेय गोवर्धन) : (क) से (ग) सरकारी क्षेत्र के घाटा उठा रहे उद्यमों के कार्य-निष्पादन को बेहतर बनाने के लिए अलग-अलग उद्यमों के आधार पर विस्तृत अध्ययनकरना तथा नीतियों का आयोजन करना सम्बद्ध प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों द्वारा किए जाने वाला एक सतत् कार्य हैं। घाटा उठा रहे उद्यमों का ब्यौरा 15 मार्च, 1990 को सभा-पटल पर रखे गए लोक उद्यम सर्वेक्षण 1988-89 के खण्ड-I में विवरण संख्या 7-ख में पृष्ठ संख्या 218-219 पर दिया गया है।

(घ) जी, नहीं।

तेल्लिचेरी में व्यायामशाला के कार्यकरण के बारे में शिकायतें

4127. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को तेल्लिचेरी, जिला कन्नोर केरल में स्थापित व्यायामशाला के कार्यकरण के संबंध में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस व्यायामशाला के कार्यकारण में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं; और

(घ) इस वर्ष के लिए इस संस्थान को कितना वित्तीय आवंटन किया गया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) भारतीय खेल प्राधिकरण को उन अभिभावकों से शिकायत प्राप्त हुई है जिनके बच्चों को जिम्नाटिक्स में दीर्घकालीन प्रशिक्षण हेतु नहीं चुना गया है।

(ख) 64 बच्चों को मूल्यांकन शिविर के लिए बुलाया गया था जिनमें से 33 को दीर्घकालीन प्रशिक्षण के लिए चुना गया। तत्पश्चात शेष 31 बच्चों के अभिभावकों ने कार्यकलापों तथा जिम्नाजियम के कार्यकरण में बाधा डाली तथा अपने बच्चों को शामिल करने के लिए दबाव डाला।

चूंकि यह योजना उन सक्षम प्रतिभाशाली युवा खिलाड़ियों में उत्कृष्टता को बढ़ावा देने पर लक्षित है जो एक दिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे, इसलिए चयन के मानदण्डों पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता।

तथापि, इन 31 बच्चों के अभिभावकों को संतुष्ट करने के लिए विदेशी कोच द्वारा पुनः मूल्यांकन कराने का आदेश दिया गया है।

(ग) जिम्नाजियम के कार्यकरण में सुधार लाने के लिए कोई कदम उठाना आवश्यक नहीं था। तथापि, उपर्युक्त भाग (ख) के अनुसार कारवाई करके तथा भारतीय खेल प्राधिकरण अधिकारियों, जिन्होंने सम्बद्ध अभिभावकों तथा अधिकारियों से बातचीत की है, के दौरों द्वारा परिस्थिति को शांत कर दिया गया है।

(घ) वर्ष 1990-91 के लिए प्रस्तावित आवंटन 12 लाख रुपये है।

अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह प्रशासन में शिक्षकों की संख्या

4128. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में सरकारी स्कूलों के लिए प्राइमरी, मिडिल, हाई स्कूल और सीनियर स्कूलों में शिक्षकों से श्रेणीवार कुल कितने-कितने पद सृजित किए हैं;

(ख) क्या शिक्षकों के पद सृजन का अंडमान और निकोबार प्रशासन का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह द्वारा संचालित स्कूल

4129. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह प्रशासन द्वारा कुल कितने सरकारी स्कूल चलाए जा रहे हैं;

(ख) उनमें पृथक-पृथक कितने प्राइमरी, मिडिल, हाई स्कूल और उच्च माध्यमिक स्कूल हैं;

(ग) क्या इन स्कूलों में मानदण्ड के अनुसार श्रेणी-वार शिक्षकों की अपेक्षित संख्या पूरी है; और

(घ) शिक्षकों के सभी पदों को भरने के लिए अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह प्रशासन द्वारा क्या कार्यवाही करने का विचार किया गया है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

वैदिक गणित की शिक्षा को बढ़ावा देना

4130. **श्री एस० सी० वर्मा** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश में वैदिक गणित की शिक्षा को बढ़ावा देने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में अब तक क्या कदम उठाए गए हैं और इस संबंध में भावी योजनाएं क्या हैं ; और

(ग) क्या वैदिक गणित की उपयोगिता को विदेशों द्वारा पहचाना जा रहा है, यदि हां, तो उन देशों के नाम क्या-क्या हैं और वे विशेषकर कम्प्यूटर के कार्यकरण में वैदिक गणित का किस प्रकार प्रयोग कर रहे हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार ने इस मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त संगठन राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान की सहायता से निम्नलिखित का आयोजन किया है—

—जयपुर, अहमदाबाद और दिल्ली में क्रमश: दो कार्यशालाएं और एक गोल मेज चर्चा का आयोजन।

—तिरुपति में दक्षिणी राज्यों के स्कूली शिक्षकों के लिए एक प्रशिक्षण शिविर।

—बंगलौर में राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान तथा अभिनव विद्या भारती के संयुक्त सहयोग से एक सम्मेलन-एवं-कार्यशाला का आयोजन।

—वैदिक गणित में और आगे अनुसंधान करने के लिए स्कूल शिक्षा को शिक्षावृत्ति सौंपी गयी।

—वैदिक गणित में पुस्तकें लिखने के लिए कुछ अध्येयताओं से आग्रह किया गया।

—राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद के प्रशिक्षण कार्यक्रमों और समृद्धिशाली सामग्री संबंधी कार्यशाला में वैदिक गणित में लेक्चरार को शामिल किया गया; और

—इसके आगामी कार्यक्रमों में देश के विभिन्न भागों में स्कूली शिक्षकों के प्रशिक्षण संबंधी नियमित कार्यक्रम, वैदिक गणित की अनुप्रयोज्यता संबंधी एक कार्यशाला तथा वैदिक गणित की विभिम्न परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता शामिल है।

(ग) जी, हां। राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान ने रिपोर्ट की है कि अर्थशास्त्र विज्ञान के स्कूल तथा यू० के० में लन्दन स्थित सेंट जेम्स स्कूल ने वेद गणित में रुचि दर्शायी है परन्तु संगणकों के कार्यों में वैदिक गणित के उपयोग के संबंध में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

पर्वतारोहण प्रशिक्षण संस्थान

[हिन्दी]

4131. श्री एस० सी० वर्मा : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में पर्वतारोहण प्रशिक्षण संस्थानों का ब्यौरा क्या है और वे कहां-कहां स्थित हैं;

(ख) सरकार ने वर्ष 1990-91 के लिए प्रत्येक संस्थान के लिए कितनी धनराशि मंजूर की है;

(ग) इन संस्थानों द्वारा वर्ष 1989-90 में कितने प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षित किए गए;

(घ) क्या मध्य प्रदेश के अडवेंचर एंड एक्सप्लोरेशन इंस्टीट्यूट ने केन्द्रीय सरकार से अनुदान मांगा है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त संस्थान के लिए कितनी धनराशि मंजूर करने का विचार है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) देश में निम्नलिखित चार पर्वतारोहण संस्थान कार्य कर रहे हैं—

(i) हिमालयन पर्वतारोहण संस्थान, दार्जिलिंग (पश्चिम बंगाल)

(ii) जवाहर पर्वतारोहण तथा शीतकालीन खेल-संस्थान, अरू, पहलगांव (जम्मू और काश्मीर)

(iii) नेहरू पर्वतारोहण संस्थान, उत्तरकाशी (उ० प्र०)

(iv) पर्वतारोहण तथा सम्बद्ध खेल संस्थान, मनाली (हिमाचल प्रदेश)।

(ख) रक्षा मंत्रालय तथा युवा कार्यक्रम और खेल विभाग द्वारा इन संस्थानों को स्वीकृत धनराशि का विवरण निम्न प्रकार से है—

संस्थान का नाम	रक्षा मंत्रालय द्वारा स्वीकृत धनराशि	युवा कार्यक्रम और खेल विभाग द्वारा स्वीकृत धनराशि	कुल
1	2	3	4
		(रुपये लाखों में)	
(i) हिमालयन पर्वतारोहण संस्थान, दार्जिलिंग	6.50	1.38	7.88
(ii) नेहरू पर्वतारोहण संस्थान, उत्तर काशी	8.675	—	8.675

1	2	3	4
(iii) जवाहर पर्वतारोहण संस्थान अरू, पहलगांव (जम्मू और कश्मीर)	—	—	—
(iv) पर्वतारोहण तथा सम्बद्ध खेल संस्थान, मनाली	—	1.58	1.58
	15.175	2.96	18.135

(ग) 2707.

(घ) जी, हां।

(ङ) संस्थान ने 1988-89 के दौरान पर्वतारोहण/ट्रेकिंग उपस्करों की खरीद हेतु अनुदान की मांग की थी। संस्थान को ऐसे उपस्करों की खरीद के लिए कोई धनराशि स्वीकृत नहीं की गई थी।

भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार द्वारा राज्यों को अनुदान

[अनुवाद]

4132. **श्रीमती वसुन्धरा राजे** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत का राष्ट्रीय अभिलेखागार मूल्यवान प्राचीन रिकार्डों के संरक्षण और उन्हें सही स्थिति में रखने के लिए और सुसज्जित प्रयोगशालाएं स्थापित करके उनकी संरक्षण संबंधी सुविधाओं के आधुनिकीकरण के लिए, राज्य सरकारों और विभिन्न संगठनों को अनुदान देता है;

(ख) यदि हां, तो इस उद्देश्य के लिए, पिछले तीन वर्षों के दौरान, विभिन्न राज्यों को कितनी अनुदान राशि दी गई है; और

(ग) विभिन्न राज्यों और संगठनों द्वारा इन मूल्यवान रिकार्डों आदि के रख-रखाव के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) जी, हां।

(ख) भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार ने राज्य अभिलेखागारों और स्वैच्छिक संगठनों, शैक्षिक संस्थाओं, पुस्तकालयों, संग्रहालयों और विश्वविद्यालयों को अपने-अपने पाण्डुलिपि संग्रहों के अनुरक्षण, परिरक्षण, सूचीयन तथा ग्रंथ सूची-निर्माण और माइक्रोफिल्में तथा गाइडें तैयार करने के लिए 1987-88 में 53,12,400 रुपए; 1988-89 में 65,06,300 रुपए और 1989-90 में 42,95,000 रुपए प्रदान किए हैं।

(ग) लाभग्राही राज्य सरकारें तथा स्वैच्छिक संगठन अपने-अपने रिकार्डों और पांडुलिपियों के भण्डार के परिरक्षण के लिए उपयुक्त कदम उठा रहे हैं।

भारतीय आविष्कारों की सुरक्षा

4133. **श्री सनत कुमार मंडल :**

श्री शांताराम पोटदुखे :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पेटेन्ट अधिकारियों का घोर अतिक्रमण करते हुए, अमरीका की एक बहुत बड़ी एल्युमिनियम कम्पनी द्वारा उस महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी का वाणिज्य रूप से शोषण किए जाने का समाचार मिला है जिसे वर्ष 1970 में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर के भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा विकसित किया गया था और पेटेंट कराया गया था;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में क्या कार्यवाही करने, सुलझाने तथा विदेशी फर्मों द्वारा भारतीय पेटेंट प्रौद्योगिकी के इस प्रकार के अतिक्रमण को रोकने के लिए क्या उपाय करने का विचार है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० एम० जी० के० मेनन) : (क) से (ग) पेटेन्ट अधिकारों के उल्लंघन विषयक निवारण प्रक्रिया पेटेन्ट अधिनियम, 1970 के अन्तर्गत दर्शायी गयी है। यदि पेटेन्ट का मालिक चाहे तो उन्मुक्ति (रिलीफ) के लिए न्यायालय आ सकता है।

पश्चिम बंगाल में जैव प्रौद्योगिकी संबंधी अनुसंधान और विकास केन्द्र

4134. **श्री सनत कुमार मंडल :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने विभिन्न क्षेत्रों के अंतर्गत पश्चिम बंगाल में जैव-प्रौद्योगिकी उत्पादों के लिए कोई अनुसंधान और विकास केन्द्र, प्रदर्शन परियोजना तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी केन्द्र की स्थापना की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का निकट भविष्य में पश्चिम बंगाल कुछ जैव प्रौद्योगिकी उत्पाद अनुसंधान कार्यक्रम केंद्र अथवा उद्योग स्थापित करने का प्रस्ताव है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० एम० जी० के० मेनन) : (क) से (घ) जी हां, बायोटेक्नोलॉजी विभाग ने पश्चिम बंगाल में अनुसंधान, उत्पाद एवं प्रक्रिया विकास तथा औद्योगिक जैव-प्रौद्योगिकी को कवर करने वाली जैव-प्रौद्योगिकी के विभिन्न पक्षों पर परियोजनाओं को सहायता प्रदान की है। इनमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं—

1. जैव-प्रौद्योगिकी सूचना प्रणाली के अंतर्गत बोस संस्थान, कलकत्ता में आनुवंशिक इंजीनियरी के क्षेत्र में एक वितरित सूचना केन्द्र की स्थापना की गई है।

2. उपोत्पाद के रूप में एंटीबायोटिक्स सहित मैग्नेसाइट अयस्क का जैव-प्रौद्योगिकी संवर्धन—बर्न स्टेंडर्ड कं० लि०, कलकत्ता।

3. एक प्रभावी वैक्सीन के विकास की दृष्टि से हैजे के विषाणुओं के सफल निवहन और रोगजनकता के लिए उत्तरदायी कारकों का अभिनिर्धारण—जादवपुर विश्वविद्यालय, कलकत्ता।

4. आनुवांशिक इंजीनियरी के माध्यम से मिथेन उत्पादक जीवाणुओं के बेहतर प्रभेदों का विकास—यूनिवर्सिटी कालेज आफ साईंस, कलकत्ता।

5. कोशिका सतह् आश्रित सेल सॉर्टर के उपयोग द्वारा जैव निक्षालन में सुधार के लिए एक तकनीक तथा जैव निक्षालन प्रक्रिया की व्याख्या करने वाला एक माडल—कल्याण विश्वविद्यालय, पश्चिम बंगाल।

6. बोस संस्थान, कलकत्ता, में एक पोस्ट डाक्टोरल बायोटेक्नोलॉजी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम।

महात्मा गांधी के पत्रों की नीलामी

4135. श्री परसराम भारद्वाज : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सुप्रसिद्ध अंग्रेज नीलामीकर्ता सोथेब्स द्वारा महात्मा गांधी द्वारा लिये गए कुछ पत्रों की नीलामी की जाएगी;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत सरकार का विचार, इस अवसर का उपयोग गांधी से संबंधित एकत्र वस्तुओं को बढ़ाने के संबंध में करने का है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

पाम आयल मिशन

4136. श्री शांताराम पोटदुखे : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सन् 2000 तक आत्मनिर्भर करने हेतु शुरू किए गए "पाम आयल मिशन" को धक्का पहुंचाने की संभावना है क्योंकि "टिशु कल्चर" के माध्यम से आवश्यक पाम के वृक्ष लगाने का कार्यक्रम लक्ष्य से पिछड़ गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं और मिशन के लिए "टिशु कल्चर" पर आधारित आयल पाम के पौध सप्लाई करने में क्या कठिनाई हो रही है; और

(ग) सरकार का इस स्थिति को किस प्रकार हल करने का विचार है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० एम० जी० के० मेनन) : (क) से (ग) आयल पाम परियोजना जिसे आयल पाम निदर्शन परियोजना (ओ० डी० पी०) कहते हैं, एक अलग "टेक्नोलॉजी मिशन" नहीं है, अपितु यह भारत सरकार द्वारा 1986 में चलाए गए आयल सीड्स पर टेक्नोलॉजी मिशन का एक भाग है। ओ० डी० पी के अंतर्गत, उच्च पैदावार वाले संकर बीजों का प्रयोग करते हुए तीन 1000 हेक्टेयर निदर्शन परियोजनाएं स्थापित की गई हैं। अभी तक कार्यकलाप निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार चल रहे हैं तथा कोई कमी नहीं आई है।

कार्यक्रम के अंतर्गत टिशु कल्चर द्वारा पाम के पौधों का विकास सम्मिलित है। इस कार्यक्रम

के अंतर्गत टिशु कल्चर द्वारा विकसित कई पौधों का खेत में रोपण पहले ही किया जा चुका है तथा उनके खेत में निष्पादन हेतु उनकी मॉनीटरी की जा रही है। टिशु कल्चर पौध के बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए प्रक्रिया के मानकीकरण का कार्य प्रयोगशाला परिस्थितियों के अंतर्गत अभी भी प्रगति पर है।

प्रदूषण रहित प्रौद्योगिकियों के लिए सहायता

4137. श्री शांताराम पोटदुखे : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में नैरॉबी में आयोजित संयुक्त राष्ट्र संघ पर्यावरण कार्यक्रम की गवर्निंग-काउंसिल के विशेष सत्र में पारित प्रस्ताव के अनुसार विकासशील देशों को, उन्हें प्रदूषण रहित प्रौद्योगिकी अपनाने की लागत पूरा करने में समर्थ बनाने हेतु, "नए और अतिरिक्त" वित्तीय और तकनीकी संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे;

(ख) यदि हां, तो भारत को इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदूषण नियंत्रण हेतु कितनी सहायता मिलने की संभावना है; और

(ग) इस संबंध में तैयार किए गए अथवा तैयार किए जा रहे उन कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है, जिनके लिए इस सहायता का उपयोग किया जाएगा ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री नीलमणि राउतराय) : (क) विकासशील देशों को प्रदूषण-मुक्त प्रौद्योगिकियां अपनाने और अन्य विशिष्ट पर्यावरणीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने में उनकी मदद करने के वास्ते नए और अतिरिक्त वित्तीय तथा अन्य संसाधन प्रदान करने की आवश्यकता के बारे में भारत सरकार द्वारा रखे गए एक संकल्प को नौरोबी में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की शासी परिषद के अंतिम विशेष अधिवेशन में पारित किया गया है।

(ख) संकल्प में विकासशील देशों को सहायता के बारे में कोई विशिष्ट आंकड़े नहीं दिए गए हैं। इसके ब्यौरों पर विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर विचार-विमर्श किया जाएगा।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

उड़ीसा में विद्यालयों में व्यावसायिक पाठ्यक्रम लागू करने के लिए धनराशि

4138. श्री डी० अमात : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने विज्ञान के प्रति अभिरुचि को बढ़ावा देने के लिए 150 नये विद्यालयों में व्यावसायिक पाठ्यक्रम लागू करने और नये समेकित विद्यालय खोलने के लिए धनराशि प्रदान करने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) उड़ीसा सरकार ने अपंग बच्चों की माध्यमिक शिक्षा और समेकित शिक्षा के व्यावसायिकरण की योजना के अंतर्गत केन्द्रीय सहायता के लिए प्रस्ताव भेजे हैं। स्कूलों में विज्ञान शिक्षा में सुधार लाने की योजना के अंतर्गत कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) उड़ीसा राज्य सरकार के प्रस्तावों पर राज्य प्रतिनिधियों से चर्चा की गयी थी। संशोधित प्रस्तावों/अतिरिक्त सूचना की उनसे प्रतीक्षा है।

उड़ीसा विद्युत संयंत्रों द्वारा प्रदूषण नियंत्रण के उपाय करना

4139. **श्री डी० अमात** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में उन विद्युत संयंत्रों के क्या नाम हैं जिन्होंने वायु और जल प्रदूषण नियंत्रण के लिए पर्याप्त उपाय नहीं किए हैं;

(ख) इस बारे में इन विद्युत संयंत्रों को क्या निर्देश जारी किए गए हैं; और

(ग) केन्द्रीय सरकार के निर्देशों के बारे में इन विद्युत संयंत्रों की प्रतिक्रिया क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री नीलमणि राउतराय) : (क) उड़ीसा में दो मुख्य ताप बिजली संयंत्र हैं, अर्थात्, तलचर ताप बिजली संयंत्र और नेशनल एल्युमीनियम कंपनी का बिजली संयंत्र, जिनकी संस्थापित क्षमता क्रमश: 440 मेगावाट और 600 मेगावाट है। दोनों ताप बिजली संयंत्रों में इलैक्ट्रोस्टेटिक प्रेसिपिटेटर लगाए गए हैं और इनमें अपशिष्ट जल के शोधन की पर्याप्त सुविधाएं हैं। विसर्जन के मौजूदा मानकों के अनुसार, इलैक्ट्रोस्टेटिक प्रेसिपिटेटरों की संख्या बढ़ाए जाने की आवश्यकता है।

(ख) उड़ीसा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने दोनों ताप बिजली संयंत्रों को निदेश दिया है कि या तो विसल्फयूरीकरण एकक लगा लें अथवा चिमनियों की ऊंचाई बढ़ा दें। केन्द्रीय सरकार ने इन इकाइयों को कोई निदेश जारी नहीं किये हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय खुला विश्वविद्यालय द्वारा छात्रों की भर्ती

[हिन्दी]

4140. **डा० लक्ष्मीनारायण पांडेय** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान इंदिरा गांधी राष्ट्रीय खुला विश्वविद्यालय द्वारा चलाये गये विभिन्न पाठ्यक्रमों में कितने छात्र भर्ती किये गये;

(ख) वर्ष 1990-91 सत्र के लिए किन-किन विभिन्न पाठ्यक्रमों में छात्र प्रवेश पा सकते हैं; और

(ग) किन-किन स्थानों में इसके क्षेत्रीय केन्द्र अथवा अध्ययन केन्द्र स्थित हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित विभिन्न पाठ्यक्रमों में दाखिल छात्रों की संख्या संलग्न विवरण-I में दी गई है। इसके अतिरिक्त इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय 1990-91 में कार्यालय प्रबंध में कम्प्यूटर डिप्लोमा पाठ्यक्रम में छात्रों को दाखिल करेगा।

(ग) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के 13 क्षेत्रीय केंद्रों और 133 अध्ययन केन्द्रों के स्थान विवरण-2 में दिए गए हैं।

विवरण-1

कार्यक्रम का नाम	वर्ष		
	1987-88	1988-89	1989-90
ग्रामीण विकास में प्रमाण-पत्र	289	—	—
खाद्य एवं पोषण में प्रमाण-पत्र	—	2,548	2,132
प्रबंध में डिप्लोमा	5,224	6,530	6,653
सुदूर शिक्षा में डिप्लोमा	1,092	1,140	1,227
अंग्रेजी सृजनात्मक लेखन डिप्लोमा	310	933	437
प्रबंध में उच्च डिप्लोमा	—	1,501	1,651
प्रबंध से विशेष डिप्लोमा	—	—	467
प्रारंभिक कार्यक्रम स्नातक	9,474	17,397	13,134
कार्यक्रम डिग्री स्नातक	—	5,765	4,507
पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान स्नातक	—	—	1,526
कुल	16,389	35,814	31,734

विवरण-2

क्षेत्रीय केन्द्रों के स्थान

1. अहमदाबाद
2. बंगलौर
3. भोपाल
4. भुवनेश्वर
5. कलकत्ता
6. कोचीन
7. दिल्ली
8. हैदराबाद
9. कोटा
10. लखनऊ
11. मद्रास
12. शिलांग
13. शिमला

अध्ययन केन्द्रों के स्थान

राज्य के नाम	अध्ययन केन्द्रों के स्थान
1	2
1. आंध्र प्रदेश (8)	हैदराबाद (2)
	तिरुपति
	विजयवाड़ा
	गून्टूर
	वारंगल
	अनन्तपुर
	अदोनी
2. अरुणाचल प्रदेश (1)	ईटानगर
3. असम (2)	गुवाहाटी
	डेरागांव
4. बिहार (6)	पटना
	जमशेदपुर
	धनबाद
	मुजफ्फरपुर
	भागलपुर
	रांची
5. गोवा (1)	मारगो
6. गुजरात (6)	अहमदाबाद (2)
	बड़ोदरा
	राजकोट
	सूरत
	भुज
7. हरियाणा (7)	कुरुक्षेत्र
	सोनीपत
	पानीपत
	भिवानी
	रोहतक
	गुड़गांव
	फरीदाबाद

1	2
8. हिमाचल प्रदेश (4)	शिमला
	मण्डी
	सोलन
	हमीरपुर
9. जम्मू एवं कश्मीर (2)	जम्मू तवी
	श्रीनगर
10. कर्नाटक (4)	बंगलौर
	मंगलौर
	धारवाड़
	गुलबर्गा
11. केरल (3)	त्रिवेन्द्रम
	कोचीन
	कालीकट
12. मध्य प्रदेश (9)	भोपाल
	जबलपुर
	दुर्ग
	ग्वालियर
	बिलासपुर
	इंदौर
	सागर
	रीवा
	जबलपुर
13. महाराष्ट्र (10)	बम्बई (3)
	पुणे
	सतारा
	नागपुर
	नासिक
	अमरावती
	औरंगाबाद
	कोल्हापुर
14. मणिपुर (1)	इम्फाल
15. मेघालय (2)	शिलांग
	तुरा

1	2
16. मिजोरम (1)	ऐंजल
17. नागालैंड (1)	कोहिमा
18. उड़ीसा (9)	भुवनेश्वर
	कटक
	राऊरकेला
	बरहामपुर
	अंगल
	बालासोर
	बोलनागीर
	सम्बलपुर
	फुलबनी
19. पंजाब (1)	जालन्धर
20. राजस्थान (6)	जयपुर
	उदयपुर
	कोटा
	जोधपुर
	बीकानेर
	अजमेर
21. सिक्किम (1)	गंगटोक
22. तमिलनाडु (5)	मद्रास (2)
	कोयम्बटूर
	मदुरै
	तिरुचिरापल्ली
23. त्रिपुरा (1)	अगरतल्ला (1)
24. उत्तर प्रदेश (17)	लखनऊ
	आगरा
	इलाहाबाद
	बरेली
	देहरादून
	कानपुर
	गाजियाबाद
	वाराणसी

1	2
	गोरखपुर
	सुल्तानपुर
	नैनीताल
	झांसी
	अलीगढ़
	मुरादाबाद
	गोपेश्वर
	बलिया
	अल्मोड़ा
25. पश्चिम बंगाल (5)	कलकत्ता (3)
	कम्बरपाड़ा
	सिलीगुड़ी
संघशासित प्रदेश के नाम	
26. अंडमान निकोबार द्वीप समूह (1)	पोर्ट ब्लेअर
27. चंडीगढ़ (1)	चंडीगढ़
28. दिल्ली (16)	दिल्ली (16)
29. लक्षद्वीप (1)	लक्षदीप
30. पांडिचेरी (1)	पांडिचेरी

भरतौल और बरेली को जोड़ने वाली सड़क को बन्द करना

4141. श्री सन्तोष कुमार गंगवार : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भरतौल गांव और बरेली को जोड़ने वाली सड़क को सेना के प्राधिकारियों द्वारा बंद कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या प्रभावित ग्रामवासियों की सुविधा के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था किए जाने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राजा रमन्ना) : (क) भरतौल गांव से बरेली के बीच रक्षा भूमि से जाने वाली सड़क का उपयुक्त रूप से सीमांकन नहीं किया गया है। इस समय जिन रास्तों का उपयोग किया जा रहा है उन्हें अभी बंद नहीं किया गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (घ) इस क्षेत्र में एक सेना विमानन यूनिट स्थापित किए जाने की संभावना है। एक और रास्ता भी है जो रक्षा भूमि से होकर गुजरता है, और इस गांव को बरेली-शाहजहांपुर राजमार्ग से जोड़ता है। साथ ही सेना विमानन यूनिट की सीमा पर इस प्रकार से बाड़ लगाई गई है कि उसके साथ चार मीटर चौड़ा रास्ता भी आने-जाने के लिए छोड़ा गया है।

एम० ई० एस० के पास पंजीकृत फर्में

4142. **श्री प्यारेलाल खण्डेलवाल :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान खरीद कार्य तथा मरम्मत संबंधी कार्य करने के लिए बैरागढ़ में एम० ई० एस० के पास कितनी फर्में पंजीकृत थीं;

(ख) क्या उक्त कार्य के लिए प्राप्त "कोटेशनों" को नोटिस बोर्ड पर लगाया गया था, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इन फर्मों से निविदाएं आमंत्रित करने में अनियमितताएं बरतने के कुछ मामले सरकार की जानकारी में आए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राजा रमन्ना) : (क) 165.

(ख) सैन्य इंजीनियरी सेवा (एम० ई० एस०) में सामान की खरीद 7 से 10 फर्मों से "कोटेशन" मंगाकर सीमित निविदा प्रणाली के आधार पर की जाती है। कोटेशनों को नोटिस बोर्ड पर नहीं लगाया जाता। फिर भी उन्हें उन फर्मों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में खोला जाता है जो इस अवसर पर उपस्थित होना चाहते हैं।

(ग) और (घ) जबलपुर अंचल के मुख्य अभियंता को श्रमिकों की यूनियनों और आपूर्तिकर्ताओं से सैन्य इंजीनियरी सेवा बैरागढ़ में सामान की खरीद में तथाकथित अनियमितताओं के कतिपय शिकायतें प्राप्त हुई हैं जिनकी जांच की जा रही है।

सेफर बायोपेस्टीसाइड एम० सी० ए० पी० में अनुसंधान और विकास

[अनुवाद]

4143. **श्री भवानी शंकर होटा :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका में एक "सेफर बायोपेस्टीसाइड एम० सी० ए० पी० विकसित किया गया है और वर्ष 1990 में अमरीका में जारी करने के लिए इसे ई० पी० ए० द्वारा स्वीकृति दी गई है, जैसा कि "हैल्थ फार मिलियन्स" के अप्रैल, 1990 के अंक में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) क्या बायोपेस्टीसाइड के विभिन्न दावे और उसकी नई विशेषताएं सिद्ध करने की दृष्टि से इस बायोपेस्टीसाइड के संबंध में कोई परीक्षण कराया गया है; और

(ग) क्या भारत में कोई अन्य ऐसा अनुसंधान और विकास कार्य इस क्षेत्र में किया जा रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० एम० जी० के० मेनन) : (क) जी हां।

(ख) इस जीव कीटनाशी के प्रयोग द्वारा लेपिडोप्टेरन कीटों जैसे आलू बीटल (लेप्टीनोटेरसा डिसेंपीलाइनीएटा), मक्का बेधक (फ्रासेटा न्यूबीलोलिस) और हीरक पृष्ठ शलभ (प्लूटेला जाइलोस्टेला) पर नियंत्रण के लिए परीक्षण किए जाने की रिपोर्ट मिली है।

(ग) बायोटेक्नोलॉजी विभाग ने जैव नियंत्रण कारकों के वृहत उत्पादन के लिए अर्ध-वाणिज्यिक और वाणिज्यिक प्रक्रियाओं का विकास करने और किसानों के खेतों में उनकी प्रभावोत्पादकता का निदर्शन करने के उद्देश से पायलट स्तर की उत्पादन प्रौद्योगिकी के विकास पर परियोजनाएं आरम्भ की हैं। खेत की फसलों को प्रभावित करने वाले लक्ष्य पीड़कजंतुओं के जैविक नियंत्रण में पीड़कजंतुओं में दालों, कपास मिलेट और तिलहनों पर लगने वाली चना सुंडी (हेलियोथिस आर्मीगेरा), कपास, तिलहनों, सब्जियों और दालों पर लगने वाली पत्ता सुंडी (स्पोडोप्टेरा लिटूरा) और कपास पर गोलक शलभ गन्ना पोरी बेधक और पोर बेधक शामिल है।

वायुसेना मुख्यालय में वायुसेना अधिकारियों की तैनाती

4144. प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे वायुसैनिकों, एन० ओ० (ई) और लास्करों की संख्या कितनी है जिन्हें यूनिटों से लेकर अल्पावधि ड्यूटी के लिए वायुसेना मुख्यालय में तैनात किया जाता है और उन्हें दैनिक भत्ता दिया जाता है;

(ख) कितने कार्मिक कब से अपने यूनिटों से हटाकर इस प्रकार की अल्पावधि ड्यूटी पर तैनात हैं;

(ग) इस प्रकार दैनिक भत्ते देकर इस फालतू खर्चे को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) इन्हें अपने यूनिटों में वापस भेजने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) भारतीय वायु सेना के कितने अधिकारी वायुसेना मुख्यालय में तैनात हैं, वे कब से तैनात हैं तथा इसके क्या कारण हैं; और

(च) इन अधिकारियों को अपने यूनिटों में वापस भेजने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राजा रमन्ना) (क) : 71.

(ख) वर्तमान निदेशों के अनुसार अस्थायी ड्यूटी 180 दिन से अधिक नहीं की जा सकती।

(ग) वायुसेना मुख्यालय/कमान मुख्यालय में उपयुक्त स्तर पर अस्थायी ड्यूटियों के सभी मामलों पर नजर रखी जाती है।

(घ) कार्य पूरा होने पर सभी वायुसैनिकों/असैनिकों (नामांकित) को उनकी अपनी यूनिटों में वापस भेज दिया जाता है।

(ङ) शून्य ।

(च) उपर्युक्त (ङ) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता ।

भारतीय प्रबंध संस्थान में अनियमितताएं

[हिन्दी]

4145. श्री संजय लाल :

श्री फूल चंद वर्मा :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 12 जून, 1990 के "इंडियन एक्सप्रेस" में "गुडबाई टु क्लस कन्वेंशन" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार भारतीय प्रबंध संस्थान में अहमदाबाद द्वारा बरती जा रही अनियमितताओं की जांच करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने अनियमितताएं दूर करने और उनकी पुनरावृत्ति रोकने के लिये कदम उठाये हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो इस संबंध में जांच न कराए जाने के क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) संस्थान से प्राप्त सूचना के अनुसार अहमदाबाद स्थित भारतीय प्रबन्ध संस्थान के प्रोफेसर द्वारा की गयी अनियमितता से संबंधित प्रमुख आरोप सही नहीं है। सरकार का किसी प्रकार की जांच करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) संस्थान का प्रबन्ध एक विधित : गठित शासी बोर्ड द्वारा किया जाता है । शासी बोर्ड के अध्यक्ष वैयक्तिक आय/और इससे संबंधित मामलों को अभिशासित करने के लिए नियमों/मानदंडों का एक सेट तैयार करने के लिए उपाय कर रहे हैं ।

(ङ) उपरोक्त (घ) को ध्यान में रखते हुए, सरकार द्वारा किसी प्रकार की कार्रवाई का प्रश्न नहीं उठता ।

नौसेना मुख्यालय द्वारा कलेंडरों/डायरियों आदि की छपाई पर कथित फिजूलखर्ची

[अनुवाद]

4146. श्री मदनलाल खुराना : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नौ सेना मुख्यालय दीवार कलेंडर/डेस्क कलेंडर, 1991, पाकेट कलेंडर, डायरियां, ग्रीटिंग कार्डों तथा लिफाफों आदि की छपाई के लिए निविदाएं आमंत्रित कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सामान्य प्रक्रिया है, और यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान उक्त वस्तुओं पर खर्च की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त सामग्री छपवाने से क्या प्रयोजन सिद्ध होता है और उक्त सामग्री किन व्यक्तियों को वितरित की जाती है;

(घ) इस फिजूलखर्ची को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) क्या थलसेना और वायुसेना मुख्यालय भी ऐसा ही करते हैं, और यदि हां, तो उक्त कार्यों पर गत तीन वर्षों के दौरान उन्होंने कितनी धनराशि खर्च की ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राजा रमन्ना) : (क) और (ख) जी, हां। पिछले तीन वर्षों के दौरान नौसेना मुख्यालय द्वारा कलैंडरों/डायरियों और अन्य प्रचार सामग्रियों की छपाई पर किया गया व्यय इस प्रकार है —

1987-88	—3.24 लाख रुपए
1988-89	—7.83 लाख रुपए
1989-90	—8.98 लाख रुपए

(ग) और (घ) इस प्रकार की सामग्री को छपवाने का उद्देश्य यह है कि नौसेना में उपलब्ध रोजगार के अवसरों के बारे में विद्यार्थियों/अन्य भावी उम्मीदवारों को व्यापक जानकारी दी जा सके ताकि इससे बेहतर और पर्याप्त संख्या में उम्मीदवार इस सेना में भर्ती होने के लिए आकर्षित हों। छपी हुई यह प्रचार सामग्री विभिन्न विश्वविद्यालयों, इंजीनियरी कॉलिजों, स्कूलों, भर्ती संगठनों, राष्ट्रीय कैडेट कोर की यूनिटों आदि को भेजी जाती है जहां से नौसेना सहित तीनों सेनाओं में भर्ती के लिए उम्मीदवार आते हैं।

(ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान इसी प्रकार की प्रचार सामग्री की छपाई पर सेना और वायुसेना मुख्यालयों द्वारा किया गया व्यय इस प्रकार से है—

	सेना मुख्यालय	वायुसेना मुख्यालय
1987-88	3.00 लाख रुपए	1.24 लाख रुपए
1988-89	9.14 लाख रुपए	1.73 लाख रुपए
1989-90	1.50 लाख रुपए	2.97 लाख रुपए

सांस्कृतिक योजनायें

[हिन्दी]

4147. श्री संजय लाल :

श्री फूल चन्द वर्मा :

श्री गिरधारी लाल भार्गव :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में सांस्कृतिक स्तर में निरंतर गिरावट आ रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) सरकार द्वारा सांस्कृतिक स्तर सुधारने के लिए कार्यान्वित की गई योजनाओं तथा भावी योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार इन योजनाओं की निरंतर समीक्षा करती है;

(ङ) यदि हां, तो सरकार किस निष्कर्ष पर पहुंची है;

(च) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रत्येक वर्ष में सांस्कृतिक योजनाओं पर कितनी धनराशि खर्च की गई; और

(छ) वर्ष 1990-91 के दौरान इन योजनाओं के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) मानव संसाधन विकास मंत्रालय का संस्कृति विभाग उन विभिन्न नवाचारी और सहायता योजनाओं का संचालन करता है जिनकी संस्कृति के परिरक्षण, विकास, संवर्धन और प्रसार में अहम् भूमिका है। विभाग के कुछ महत्वपूर्ण कार्य हैं : राष्ट्रीय महत्व के पुस्तकालयों और संग्रहालयों का संचालन करना; प्रदर्शन रूपंकर और साहित्य कलाओं को बढ़ावा देना; कला एवं संस्कृति के क्षेत्र में छात्रवृत्तियां प्रदान करना; महत्वपूर्ण विभूतियों की शताब्दियां और वर्षगांठ मनाना; स्मारक की स्थापना तथा देखभाल और विदेशों के साथ सांस्कृतिक करार एवं सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम करना। संस्कृति के प्रसार के लिए क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्रों की योजना है। संस्कृति विभाग द्वारा संचालित महत्वपूर्ण योजनाओं की एक सूची विवरण के रूप में संलग्न है।

(घ) और (ङ) इन योजनाओं की उपयोगिता और प्रासंगिकता का आवश्यकतानुसार मूल्यांकन किया जाता है। हाल ही में, श्री पी० एन० हक्सर की अध्यक्षता वाली एक समिति ने राष्ट्रीय अकादमियों और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की समीक्षा पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी और उसकी सिफारिशें विचाराधीन हैं।

(च) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान संस्कृति संबंधी विभिन्न योजनाओं पर वर्षवार किया गया वास्तविक व्यय इस प्रकार है—

वर्ष	वास्तविक व्यय		(लाख रुपयों में)
	योजनागत	योजनेतर	कुल
1	2	3	4
1985-86	1987.22	3246.26	5233.48
1986-87	4510.13	4294.87	8805.00

1	2	3	4
1987-88	4565.08	6294.45	10859.53
1988-89 (अनंतिम)	5108.48	5734.96	10843.44
1989-90 (अनंतिम)	5400.00	7233.90	12633.90
कुल : 1985-90	21570.91	26804.44	48375.35

(छ) 1990-91 के दौरान कला एवं संस्कृति के लिए किया गया बजट प्रावधान इस प्रकार है—

योजनागत	:	54.90 करोड़ रुपये
योजनेतर	:	81.71 करोड़ रुपये
		136.61 करोड़ रुपये

विवरण

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में संस्कृति विभाग द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की सूची

1. संगीत नाटक अकादमी
2. साहित्य अकादमी
3. ललित कला अकादमी
4. राष्ट्रीय आधुनिक कला वीथी, नई दिल्ली
5. राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय
6. केन्द्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान, वाराणसी
7. केन्द्रीय बौद्ध शिक्षा संस्थान, लेह
8. एशियाटिक सोसायटी, कलकत्ता
9. सांस्कृतिक स्रोत एवं प्रशिक्षण केन्द्र, नई दिल्ली
10. गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति
11. नृत्य, नाटक एवं थिएटर मंडलियों की सहायता
12. भारत महोत्सव
13. शताब्दियां और जयन्तियां मनाना
14. राष्ट्रीय स्मारकों का रख-रखाव

15. भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार
16. राष्ट्रीय पुस्तकालय, कलकत्ता
17. दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी
18. राजा राम मोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान, कलकत्ता
19. केन्द्रीय संदर्भ पुस्तकालय, कलकत्ता
20. राष्ट्रीय संग्रहालय
21. राष्ट्रीय सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षण अनुसंधान प्रयोगशाला, लखनऊ
22. नेहरू स्मारक संग्रहालय एवं पुस्तकालय, नई दिल्ली
23. भारतीय संग्रहालय, कलकत्ता
24. सालार जंग संग्रहालय, हैदराबाद
25. राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, भोपाल
26. विक्टोरिया मेमोरियल हाल, कलकत्ता
27. राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद, कलकत्ता
28. इलाहाबाद संग्रहालय
29. भारतीय मानव-विज्ञान सर्वेक्षण
30. भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण
31. क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्र
32. भारत में सांस्कृतिक संगठनों को सहायता
33. साहित्यिक, रूपंकर एवं प्रदर्शन कलाओं के क्षेत्रों में सेवा-निवृति शिक्षावृत्तियां, शिक्षा-वृत्तियां और छात्रवृत्तियां प्रदान करना.
34. बौद्ध एवं तिब्बती अध्ययनों के विकास के लिए वित्तीय सहायता
35. इन्टेक

मिग-21 विमानों के पुर्जों की चोरी

[अनुवाद]

4148. प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा :

श्री सुरेन्द्र सिंह :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 23-7-1990 को "जनसत्ता" में "कबाड़ के मोल बिके मिग-21 के पुर्जे" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है जिसमें यह बताया गया है कि चोर मिग-21 विमान के पुर्जे उड़ा ले गए और उन्हें अल्युमिनियम के भाव बेच दिया;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है;

(ग) क्या उन विमानों की संख्या का पता लगाया गया है जो पुर्जे निकलने के कारण उड़ने योग्य नहीं रहे हैं;

(घ) क्या हैंगरों में इन विमानों के दरवाजे खुले रखे गए थे और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या इसमें भारतीय वायुसेना के कोई कर्मचारी शामिल पाए गए हैं;

(च) क्या अन्य प्रतिष्ठानों की त्रुटिहीन सुरक्षा व्यवस्था की जांच के लिए कोई सर्वेक्षण किया गया है; और

(छ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राजा रमन्ना) : (क) जी, हां।

(ख) पुलिस के पास एक शिकायत दर्ज की गई थी। पुलिस ने चुराई गई मदों को बरामद कर लिया और 6 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध एक मामला दर्ज कर लिया है।

(ग) किसी भी संक्रियात्मक वायुयान को सेवा को अयोग्य नहीं ठहराया गया।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) जी, नहीं।

(च) और (छ) सभी रक्षा स्थापनाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक उपाय किए जाते हैं।

मानतलाई जम्मू और कश्मीर में गैर-सरकारी हवाई पट्टी का निर्माण

4149. **श्री मान्धाता सिंह** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तरी वायुसेना कमान के विरोध के बावजूद, मानतलाई, जम्मू और कश्मीर में किसी गैर-सरकारी हवाई पट्टी का निर्माण किया गया है;

(ख) क्या उक्त हवाई पट्टी के स्वामी के पास तीन निजी विमान भी हैं, जिसमें से एक विमान को नई दिल्ली स्थित सफदरजंग हवाई अड्डे पर हैंगर की सुविधा दी गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राजा रमन्ना) : (क) गैर-सरकारी हवाई पट्टी के निर्माण के अनुरोध के संबंध में महानिदेशक, नागर विमानन से प्राप्त एक पत्र के आधार पर एक सशर्त "अनापत्ति प्रमाण-पत्र" जारी किया गया था, परंतु बाद में इस प्रमाण-पत्र को वापस ले लिया गया था, लेकिन इस बीच 1977 में हवाई पट्टी का निर्माण कर लिया गया था।

(ख) और (ग) जी, हां। नागर विमानन मंत्रालय ने सूचित किया है कि लाइसेंस की अवधि समाप्त हो जाने के बाद 21-12-1987 से यह सुविधा और भूमि का आबंटन रद्द कर दिया गया है।

कच्चे लाख का उत्पादन

[हिन्दी]

4150. श्री संतोष कुमार गंगवार : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में कच्चे लाख के उत्पादन में कमी आई है;

(ख) देश में कच्चे लाख को किस प्रयोग में लाया जाता है और क्या सरकार ने इसके उत्पादन पर रोक लगाने का निर्णय लिया है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार ने लाख उत्पादक किसानों को अतिरिक्त सुविधाएं प्रदान करने का विचार है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री नीलमणि राउतराय) : (क) जी, हां।

(ख) लाख का प्रयोग मुख्यतः अपघर्णकों, आसंजकों, रबड़ मिश्रणों, सीलिंग लाख, रंगों और वार्निशों, लाख की चूड़ियों, सौंदर्य प्रसाधनों, सतह अवरण तथा विद्युत उद्योग के लिए सांचों के विनिर्माण के लिए किया जाता है। सरकार लाख के उत्पादन को प्रोत्साहन देती है।

(ग) लाख के विकास के संबंध में केन्द्रीय क्षेत्र की एक स्कीम लाख उगाने वाले मुख्य राज्यों अर्थात् बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और गुजरात में लागू की जा रही है। इन पांच राज्यों में क्षेत्र के लाख उगाने वाले लोगों की सहायता के लिए 13 पैकेज ब्लॉकों में 1989-90 में 7.80 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई। लाख उगाने वाले लोगों को लाख उत्पादन के लिए प्रोत्साहन के रूप में सरकारी बुडलैक फार्मों से मुफ्त बुडलैक सप्लाई किया जा रहा है।

सरकारी क्षेत्र के बारे में श्वेत पत्र

4151. श्री सन्तोष कुमार गंगवार :

श्रीमती जे० जमुना :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सरकारी क्षेत्र के उद्योगों के कार्य निष्पादन के बारे में एक श्वेत-पत्र जारी करने का है; और

(ख) यदि हां, तो इसे कब तक जारी कर दिया जाएगा ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागेय गोवर्धन) : (क) और (ख) सरकारी क्षेत्र से संबंधित श्वेत-पत्र सरकार के विचाराधीन है।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में विकलांगों को रोजगार के अवसर

[अनुवाद]

4152. श्री पी० नरसा रेड्डी :

श्री मनोरंजन भक्त :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र के विभिन्न उपक्रमों में विकलांग व्यक्तियों को रोजगार के विभिन्न अवसर उपलब्ध कराए हैं;

(ख) यदि हां, तो इन उपक्रमों का ब्यौरा क्या है और इन उपक्रमों में कितने विकलांग व्यक्ति कार्यरत हैं; और

(ग) क्या सरकार का सरकारी क्षेत्र के उपक्रमो के लिए विकलांगों को रोजगार देना अनिवार्य बनाने का विचार है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागेय गोबर्धन) : (क) और (ख) सरकार के मौजूदा मार्गनिर्देशों में शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में समूह "ग" और "घ" पदों की रिक्तियों में 3% तक आरक्षण की व्यवस्था है ।

(ग) उपर्युक्त अनुदेश केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के सभी उपक्रमों पर लागू हैं। इन उपक्रमों में कार्यरत विकलांग व्यक्तियों की संख्या तत्काल उपलब्ध नहीं है ।

श्रमिकों और जनता को सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के शेयर देना

4153. **श्री एल० बी० सिंह** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का श्रमिकों और जनता को सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के शेयर देने का विचार है; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इस संकल्पना को किसी अन्य विकासशील देश में आजमाया गया है; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ये शेयर गैर-सरकारी क्षेत्र की निगमित इकाइयों द्वारा भी खरीदे जा सकते हैं; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागेय गोबर्धन) : (क) कामगारों तथा जनता को सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के शेयर देने संबंधी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है । बहरहाल, सरकार ने हाल ही में कर्मचारियों द्वारा निधि के माध्यम से मारुति उद्योग लि० के शेयर खरीदने के लिए एक कर्मचारी परस्पर लाभ निधि योजना सृजन करने की स्वीकृति दी है । यह योजना कार्यान्वयन चरण में है। जनता को सामान्य शेयरों की बिक्री संबंधी कोई प्रस्ताव फिलहाल सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ख) इस संबंध में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता है।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की शेयरधारिता की बिक्री

4154. **श्री सी० श्रीनिवासन** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का कुछ सरकारी क्षेत्र के उन उपक्रमों में शेयरधारिता के एक भाग को बेचने का कोई प्रस्ताव है जो उत्पादकता बढ़ाने और लाभ अर्जित करने की दृष्टि से सक्षम नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागेय गोवर्धन) : (क) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते हैं।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में घाटा

4155. **श्री सी० श्रीनिवासन** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र के उन उपक्रमों की संख्या कितनी है जिनमें पिछले तीन वर्षों से 1 करोड़ रुपए से अधिक राशि का लगातार घाटा हो रहा है; और

(ख) सरकार द्वारा सरकारी क्षेत्र के इन उपक्रमों को लगातार घाटे की स्थिति से बचाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागेय गोवर्धन) : (क) सरकारी क्षेत्र के ऐसे 61 उपक्रम हैं, जो वर्ष 1988-89 को समाप्त पिछले 3 वर्षों से, प्रति वर्ष 1 करोड़ रुपए उसे अधिक राशि का निरन्तर घाटा उठा रहे हैं।

(ख) सरकारी क्षेत्र के उद्यमों की कार्यकुशलता में सुधार करना एक सतत् प्रक्रिया है। इस संबंध में उत्पाद, मिश्र में परिवर्तन करना, प्रौद्योगिकी समुन्नयन, बेहतर अनुरक्षण प्रबंध पद्धतियां, ऊर्जा संरक्षण, आधुनिकीकरण एवं पुनर्स्थापन, संगठनात्मक पुनर्गठन आदि जैसे विभिन्न कदम उठाये जाते हैं। समझौता ज्ञापन की एक नई अवधारणा शुरू की गई है जो कार्य निष्पादय को बेहतर बनाने के लिए, सरकारी क्षेत्र के उद्यमों तथा प्रशासनिक मंत्रालयों के परस्पर दायित्वों को स्पष्ट करती है।

सरकारी क्षेत्र के एककों के लिए निकास नीति

4156. **श्री प्रकाश कोको ब्रह्मभट्ट** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र के एककों के लिए निकास नीति (एक्जिट पालिसी) के बारे में कोई अन्तिम निर्णय ले लिया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ख) क्या इस योजना के अन्तर्गत सरकारी क्षेत्र के जो एकक उसे बन्द करना चाहते हैं, वे ऐसा कर सकते हैं;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में और क्या उपाय किए जा रहे हैं; और

(घ) यह निकास नीति सरकारी क्षेत्र एककों के लिए कहां तक सहायक सिद्ध होगी ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागेय गोवर्धन) : (क) ऐसी कोई नीति नहीं है।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते हैं।

गुट निरपेक्ष देशों का विज्ञान और प्रौद्योगिकी केन्द्र

4157. **श्री भवानी शंकर होटा :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुट निरपेक्ष देशों के विज्ञान और प्रौद्योगिकी केन्द्र की स्थापना एक वर्ष पहले नई दिल्ली में की गई थी;

(ख) यदि हां, तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन के कौन-कौन से सदस्य देश अब तक इसमें शामिल हुए हैं और अपनी देय राशि का भुगतान कर चुके हैं;

(ग) केन्द्र की अब तक क्या उपलब्धियां रही हैं; और

(घ) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं कि इस केन्द्र का कार्य पूर्ण रूप से चालू हो और इसके लिए उसे धन का अभाव न हो ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० एम० जी० के० मेनन) : (क) जी हां, नई दिल्ली में गुट निरपेक्ष एवं अन्य विकासशील देशों के विज्ञान और प्रौद्योगिकी केन्द्र की स्थापना नई दिल्ली में इस केन्द्र की मार्च, 1989 में हुई शासी परिषद की पहली बैठक के साथ ही लगभग डेढ़ वर्ष पहले की गई थी।

(ख) अब तक 32 देश इस केन्द्र में शामिल हो चुके हैं। वर्ष 1989-90 में 2 देशों द्वारा पूरी सदस्यता राशि भुगतान कर दी गई, जबकि वर्तमान वर्ष (1990-91) के दौरान अब तक एक देश द्वारा पूर्ण देय राशि और दूसरे द्वारा आंशिक देय राशि का भुगतान किया गया।

(ग) यह केन्द्र अपने निर्माणात्मक चरण में है। इसके संस्थानिकरण के क्रम में, नीति निर्माण संरचना को शासी परिषद की दो बैठकों एवं एक असाधारण बैठक का आयोजन करके गति प्रदान की गई, जिसमें इस केन्द्र के कार्य करने के विशिष्ट मापदंडों एवं इसके कार्य-कार्यक्रमों के क्रियान्वयन पर निर्णय लिए गए। अब तक कुछ देशों ने अपने हित से सम्बन्धित टिप्पणियां एवं प्रस्ताव भी भेज दिए हैं। सदस्य देशों को वितरित की गई प्रश्नावली के आधार पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी अवसंरचना पर एक सूचना फाइल तैयार करने के लिए कदम उठाये गए हैं। इस केन्द्र को तृतीय विश्व विज्ञान अकादमी, ट्रिस्टो, इटली के विज्ञानिक संगठन-कार्यतंत्र के एक सदस्य के रूप में स्वीकृति मिल गयी है। इसे दक्षिणी अफ्रीकी विकास समन्वय सम्मेलन द्वारा तृतीय विश्व देशों से विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विशेषज्ञों का पता लगाने वाले उपयुक्त माध्यम के रूप में भी मान्यता मिल गई है।

(घ) शासी परिषद ने सदस्य देशों से इस केन्द्र के खातों की सदस्यता सम्बन्धी देय-राशि का भुगतान करने हेतु निधि-अंतरण की समुचित व्यवस्था करने का अनुरोध किया तथा स्रोतों के काफी कम विस्तार के बावजूद विशिष्ट समतालक्षित कार्यक्रमों पर दिए जाने वाले ध्यान की महत्ता पर बल दिया। इस केन्द्र की गतिविधियों का कार्यक्षेत्र इसके सदस्य देशों की बढ़ती भागेदारी के साथ बढ़ेगा। इस प्रक्रिया में, सदस्य देशों का सहयोग एक अनिवार्य आवश्यकता होगी। इसके अतिरिक्त, अन्य देशों को भी इस केन्द्र का सदस्य बनने के लिए आमंत्रित किया गया है। भारत इसके मेजबान देश के रूप में इस केन्द्र को गठित करने एवं इसके संचालन को सुनिश्चित करने में अपना योगदान दे रहा है।

भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड द्वारा डीजल इंजन परियोजना प्रारंभ करना

4158. श्री गोपनाथ गजपति : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड (बी० ई० एम० एल०) की चालू वित्तीय वर्ष के दौरान एक डीजल इंजन परियोजना प्रारंभ करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) क्या यह परियोजना स्वदेशी तकनीकी से प्रारंभ की जाएगी;

(ग) यदि नहीं, तो क्या यह संयुक्त क्षेत्र के अन्तर्गत प्रारंभ की जाएगी;

(घ) इस परियोजना पर अनुमानतः कितनी लागत आएगी; और

(ङ) इस परियोजना को किस स्थान पर स्थापित किया जाएगा ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राजा रमन्ना) : (क) से (ग) मैसर्स भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड की डीजल इंजन परियोजना की स्थापना जापान की मैसर्स "कोमात्सू लिमिटेड" के तकनीकी सहयोग से की जा रही है। यह परियोजना वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान उत्पादन आरंभ कर देगी। लेकिन ऐसी आशा है कि निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार यह परियोजना 1992-93 के अन्त तक पूरी क्षमता के साथ काम करना शुरू कर देगी।

(घ) लगभग 80.06 करोड़ रुपए।

(ङ) यह परियोजना कर्नाटक में मैसूर के बेलावदी पोस्ट में स्थापित की गई है।

मिर्धा समिति द्वारा की गई सिफारिशों पर कार्यवाही

4159. श्री सी० पी० मुदाल गिरियप्पा : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पुरातात्त्विक सर्वेक्षण विभाग में पदोन्नति के अवसर कम होने के कारण अधिकारी 13 से 15 वर्षों से एक ही पद पर पर कार्य रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के अधिकारियों में व्याप्त असंतोष को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या सरकार द्वारा मिर्धा समिति द्वारा दी गई रिपोर्ट स्वीकार कर ली गई है; और

(घ) यदि हां, तो रिपोर्ट में की गई सिफारिशों में से कितनी सिफारिशें लागू की गई हैं और शेष सिफारिशों को लागू करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) और (ख) पदोन्नतियां भर्ती नियमों के अनुसार की जाती हैं जिनमें पदोन्नति के पर्याप्त अवसरों की गुंजाइश है।

(ग) और (घ) जी, हां। कुल 81 सिफारिशों में से चौंसठ को कार्यान्वित कर दिया गया है और शेष कार्यान्वयन के विभिन्न स्तरों पर हैं।

केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण में सदस्य न्यायाधीशों के रिक्त पद

4161. प्रो० रासा सिंह रावत :

श्री मदन लाल खुराना :

श्री राम सागर (सैदपुर) :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्य-वार किन-किन स्थानों पर केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के खंडपीठ स्थापित किए गए हैं;

(ख) न्यायाधिकरण की प्रत्येक पीठ में सदस्यों के कितने पद रिक्त पड़े हुए हैं;

(ग) सदस्यों के रिक्त पदों पर कब तक नियुक्ति किये जाने का विचार है;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार न्यायाधिकरण द्वारा पीठ-वार कितने मामलों का निपटान किया गया है;

(ङ) कितने मामले (मूल और स्थानान्तरित मामले, पृथक-पृथक) अभी विचाराधीन हैं; और

(च) विचाराधीन मामलों को शीघ्र निपटाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

प्रधान मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण की (राज्य-वार) खंड पीठ जिन स्थानों पर स्थापित की गई हैं, और उनका ब्योरा संलग्न विवरण-1 में दिया गया है।

(ख) केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण की विभिन्न पीठों में रिक्त पदों की संख्या विवरण-2 में दी गई है।

(ग) केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण में उपाध्यक्ष और सदस्यों के खाली पदों की शीघ्र ही भरे जाने की संभावना है।

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण की विभिन्न पीठों द्वारा निपटाए गए मामलों की संख्या विवरण-3 में दी गई है।

(ङ) दिनांक 30-6-90 की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण के पीठवार कुल लंबित मामलों की संख्या विवरण-4 में दी गई है।

(च) केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण की विभिन्न पीठों के सामने लंबित मामलों को कम करने और मामलों को तेजी से निपटाने के उद्देश्य से विभिन्न स्थानों पर सर्किट बैठकें आयोजित करने के अतिरिक्त सरकार ने केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण की अतिरिक्त/नई पीठें स्थापित करने का निर्णय किया है।

विवरण-1

उन स्थानों के नाम जहां केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण की पीठें (राज्यवार) स्थापित का गई हैं

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण की पीठ का स्थान
1	2	3
1.	दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र	प्रधान पीठ (नई दिल्ली)
2.	गुजरात	अहमदाबाद

1	2	3
3.	उत्तर प्रदेश	इलाहाबाद लखनऊ*
4.	कर्नाटक	बंगलौर
5.	सिक्किम और पश्चिम बंगाल तथा अंडमान संघ राज्य क्षेत्र और निकोबार द्वीप	कलकत्ता
6.	जम्मू और कश्मीर, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और पंजाब तथा चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र	चंडीगढ़
7.	उड़ीसा	कटक
8.	केरल और संघ राज्य क्षेत्र लक्षद्वीप	एर्नाकुलम
9.	असम, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम	गुवाहाटी
10.	आंध्र प्रदेश	हैदराबाद
11.	मध्य प्रदेश	जबलपुर
12.	राजस्थान	जोधपुर जयपुर*
13.	तमिलनाडु और पांडीचेरी संघ राज्य क्षेत्र	मद्रास
14.	महाराष्ट्र, संघ राज्य क्षेत्र गोवा और दादरा तथा नगर हवेली	नई बम्बई
15.	बिहार	पटना

* हाल ही में स्वीकृत—स्थापित की जा रही है।

विवरण-2

केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण की विभिन्न पीठों में उपाध्यक्षों तथा सदस्यों के पदों की स्थिति

क्र० सं०	पीठ का नाम	उपाध्यक्ष के खाली पदों की संख्या	सदस्य (जे०) के खाली पदों की संख्या	सदस्य (ए) के खाली पदों की संख्या
1	2	3	4	5
1.	प्रधान पीठ, नई दिल्ली	—	2	1
2.	अहमदाबाद पीठ	—	2	—
3.	इलाहाबाद पीठ तथा लखनऊ पीठ*	—	1	2

1	2	3	4	5
4.	बंगलौर पीठ	1	1	—
5.	न्यू बम्बई पीठ	1	1	—
6.	कलकत्ता पीठ	—	—	1
7.	जोधपुर पीठ और जयपुर पीठ*	—	3	2
8.	मद्रास पीठ	—	—	1
	योग	2	10	7

* हाल ही में स्वीकृत—स्थापित की जा रही है।

विवरण-3

पिछले तीन वर्षों तथा 1990 (जून, 1990 तक) के दौरान प्रशासनिक अधिकरण की विभिन्न पीठों द्वारा निपटाए गए मामलों की संख्या

क्र० सं०	पीठ	वर्ष			
		1987	1988	1989	1990 (30-6-90 तक)
1	2	3	4	5	6
1.	प्रधान पीठ (दिल्ली)	1316	1147	1580	917
2.	अहमदाबाद पीठ	1450	963	855	318
3.	इलाहाबाद पीठ	1460	1368	590	846
4.	बंगलौर पीठ	1715	2286	1266	493
5.	न्यू बम्बई पीठ	659	738	602	405
6.	कलकत्ता पीठ	1522	1469	1406	884
7.	चंडीगढ़ पीठ	1177	473	957	587
8.	कटक पीठ	503	672	531	247
9.	गुवाहाटी पीठ	334	161	241	107
10.	हैदराबाद पीठ	1393	1008	1179	640
11.	जबलपुर पीठ	605	757	1195	527

1 2	3	4	5	6
12. जोधपुर पीठ	897	875	651	169
13. मद्रास पीठ	1596	1320	973	526
14. पटना पीठ	492	378	543	305
15. एर्नाकुलम पीठ	—	162	1417	612
योग	15119	13777	13986	7593

विवरण-4

30-6-1990 को केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण की विभिन्न पीठों में कुल बकाया मामलों की संख्या

क्रम सं० पीठें	जून, 1990 के अन्त में बकाया मामलों की कुल संख्या		
1 2	3		
	टी० ए०*	ओ० ए०**	योग
	(i)	(ii)	(iii)
1 2	2	3	4
1. प्रधान पीठ	571	6467	7038
2. अहमदाबाद	32	1544	1576
3. इलाहाबाद	1208	4030	5238
4. बंगलोर	4	959	963
5. न्यू बम्बई	351	2167	2518
6. कलकत्ता	722	2836	3558
7. चंडीगढ़	115	2246	2361
8. कटक	18	749	767
9. गुवाहाटी	10	216	226
10. हैदराबाद	31	1478	1509
11. जबलपुर	116	1462	1578

1	2	3	4	5
12.	जोधपुर	1061	2315	3376
13.	मद्रास	142	1136	1278
14.	पटना	15	376	391
15.	एर्नाकुलम	2	740	742

टिप्पणी -- *स्थानान्तरित मामले।

**मूल मामले।

केन्द्रीय विद्यालय संगठन का मुख्यालय अन्यत्र ले जाना

4162. श्री नन्दलाल मीणा : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय विद्यालय संगठन का मुख्यालय हाल ही में किसी अन्य भवन में स्थानांतरित किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या अखिल भारतीय केन्द्रीय विद्यालय शिक्षक संघ ने अपने अधिकारियों के लिए वहां आवास की व्यवस्था किये जाने की मांग की है;

(ग) यदि हां, तो क्या इस बीच आवंटन कर दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) से (ङ) निर्माण एजेंसी ने केन्द्रीय विद्यालय संगठन को नया भवन अभी तक नहीं सौंपा है। संघ को उनके कार्यालय के लिए स्थान उपलब्ध कराने की मांग पर भवन को सौंपे जाने के बाद ही सरकारी आदेशों के अनुसार विचार किया जायेगा।

पंजाब में इंजीनियरिंग कालेज खोलना

4163. श्री कमल चौधरी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार वर्ष 1990-91 के दौरान पंजाब में कोई और इंजीनियरिंग कालेज खोलने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) से (ग) निधियों की कमी के कारण वर्ष 1990-91 के दौरान पंजाब सरकार का कोई नया इंजीनियरी कालेज खोलने का प्रस्ताव नहीं है।

पंजाब के स्कूलों में दोपहर का भोजन देने के लिए वित्तीय सहायता

4164. श्री कमल चौधरी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब सरकार ने राज्य के स्कूलों में दोपहर का भोजन देने के कार्यक्रम के लिए कोई वित्तीय सहायता देने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बंधी ब्योरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने इस बारे में पंजाब सरकार को कोई आर्थिक सहायता मंजूर की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बंधी ब्योरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

मास्को स्थित केन्द्रीय विद्यालय

4165. श्री शिवाजी पटनायक :

श्री मान्धाता सिंह :

श्री हीरा भाई :

श्रीमती जयवन्ती नवीनचन्द्र मेहता :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मास्को स्थित केन्द्रीय विद्यालय के भारतीय कर्मचारियों को वेतन और विदेश भत्ता रुपयों और रूबल में कितने-कितने प्रतिशत दिया जाता है; और

(ख) इन कर्मचारियों को वास्तव में रूबल में वेतन और विदेश भत्ते का कितना प्रतिशत दिया गया ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) और (ख) मास्को स्थित केन्द्रीय विद्यालय के भारत पर आधारित कर्मचारियों को शुद्ध परिलब्धियों की अदायगी निम्न प्रकार से की जाती है—

(i) 25 प्रतिशत रूबल में।

(ii) दुर्लभ मुद्रा (डयूटस्चे मार्क) में 65 प्रतिशत।

(iii) रूबल वाऊचरों में 10 प्रतिशत, जिससे सोवियत रूस में खरीदारी की जा सकती है।

विभिन्न श्रेणियों के अध्यापकों के वेतनमान

4166. श्री शिवाजी पटनायक : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 1-1-1986 और 1-4-1989 की स्थिति के अनुसार, संघ राज्य क्षेत्रों और अन्य राज्यों में केन्द्रीय

विद्यालयों, नवोदय विद्यालयों आदि में कार्यरत विभिन्न श्रेणियों के अध्यापकों के वेतनमान और भत्ते आदि का ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमनभाई मेहता) :

1 जनवरी, 1986 की यथा स्थिति के अनुसार केन्द्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालयों तथा संघ शासित राज्यों में सेवारत विभिन्न श्रेणियों के शिक्षकों के वेतनमान का ब्यौरा निम्नलिखित है—

स्कूल शिक्षकों की श्रेणी	संशोधित वेतनमान
1	2
(क) प्राइमरी स्कूल शिक्षक सीनियर वेतनमान (12 वर्ष के पश्चात) प्रवरण वेतनमान	1200—30—1380—द० रो०—30—1560—द० रो—40—1800—द० रो०—40—2040 रु०
(सीनियर वेतनमान में 12 वर्ष की सेवा तथा प्र० स्ना० शि० के लिए निर्धारित योग्यताएं उपलब्ध करने के पश्चात)	1400—40—1600—50—1650—द० रो०—50—1950—द० रो०—50—2250—द० रो०—50—2300—60—2600 रु०
	1640—60—2000—द० रो०—60—2360—द० रो०—60—2600—75—2750—द० रो० 2900 रु०
(ख) प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक/प्राइमरी स्कूल के प्रधानाध्यापक सीनियर वेतनमान	1400—40—1600—50—1650—द० रो०—50—1950—द० रो०—50—2250—द० रो०—50—2300—60—2600 रु०
(12 वर्ष के पश्चात) प्रवरण वेतनमान	1640—60—2000—द० रो०—60—2360—द० रो०—60—2600—75—2750—द० रो०—75—2900 रु०
सीनियर वेतनमान में 12 वर्ष की सेवा तथा स्नातकोत्तर शिक्षकों के लिए निर्धारित योग्यताएं प्राप्त करने के पश्चात)	2000—60—2300—75—2375—द० रो०—75—2825—75—3200—100—3300—द० रो०—100—3500 रु०
(ग) स्नातकोत्तर शिक्षक/मिडिल स्कूल के प्रधानाध्यापक सीनियर वेतनमान (12 वर्ष के पश्चात)	1640—60—2000—द० रो०—60—2360—द० रो०—60—2600—75—2750—द० रो०—75—2900 रु०

1	2
प्रवरण वेतनमान	2000—60—2300—75—2375—द० रो०—75—2820—द० रो०—75—3200—100—3300—द० रो०—100 3500 रु०
(सीनियर वेतनमान में 12 वर्ष की सेवा के पश्चात)	2200—75—2650—द० रो०—75—2800—100—3200—द० रो०—100 3800—द० रो०—100—4000 रु०
(घ) उप प्रधानाचार्या/माध्यमिक स्कूल के प्रधानाध्यापक	2000—60—2300—75—2375—द० रो०—75—2820—द० रो०—75—3200—100—3300—द० रो०—100—3500 रु०
सीनियर वेतनमान	2200—75—2650—द० रो०—75—
(12 वर्ष के पश्चात)	2800—100—3200—द० रो०—100 3800—द० रो०—100—4000 रु०

1-1-86 से कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। ये वेतनमान संगीत शिक्षक ड्राइंग, शिक्षक, कला शिक्षक, क्राफ्ट शिक्षक, व्यावसायिक पद प्रवर्तक अनुदेशकों, शारीरिक शिक्षा शिक्षक, भाषा शिक्षक, पुस्तकालयाध्यक्षों अथवा कोई अन्य पदनाम वाले समकक्ष शिक्षण पदों जैसे विविध/सहायक श्रेणी के शिक्षकों पर भी लागू होते हैं। इन सभी श्रेणियों के संबंध में वेतनमान को एक अन्य प्रकार के श्रेणी के शिक्षकों के वेतनमान के समान बनाया गया है।

इन वेतनमानों के साथ म० कि० भ०, श० प्र० पू० भ० आदि-आदि जैसे भत्ते भी जुड़े हुए हैं जो भारत सरकार द्वारा समय-समय पर संस्वीकृत किए जाते हैं।

जहां तक राज्यों में स्कूल शिक्षकों के वेतनमान का मामला है, उपलब्ध सूचना के अनुसार निम्नलिखित राज्य सरकारों ने अपने स्कूल शिक्षकों के वेतनमान को संशोधित कर दिया है—

राज्य का नाम	किस तारीख में वेतनमान संशोधित किये गये हैं
1	2
1. आन्ध्र प्रदेश	1-7-86
2. अरुणाचल प्रदेश	1-1-86
3. गोवा	1-1-86

1	2
4. गुजरात	1-1-86
5. हरियाणा	1-1-86
6. हिमाचल प्रदेश	1-1-89
7. कर्नाटक	1-1-89
8. मध्य प्रदेश	1-1-86
9. महाराष्ट्र	1-1-86
10. मणिपुर	1-7-88
11. मेघालय	1-1-87
12. मिजोरम	1-186
13. पंजाब	1-1-86
14. सिक्किम	1-1-87
15. त्रिपुरा	1-1-89
16. उत्तर प्रदेश	1-1-86

राज्यों में शिक्षकों के वेतनमानों के ब्यौरे एकत्र किये जा रहे हैं और इन्हें सभा पटल पर रख दिया जायेगा।

दिल्ली के केन्द्रीय विद्यालयों में पारी व्यवस्था

4167. **डा० सुधीर राय**
श्री रामजी लाल सुमन :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में कुछ केन्द्रीय विद्यालयों में अब दो-तीन पारियां शुरू करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो संगठन को किन परिस्थितियों में इस व्यवस्था को शुरू करने का निर्णय लेना पड़ा;

(ग) क्या अन्य महानगरों में पारी-व्यवस्था शुरू कर दी गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) और (ख) जी, हां। केन्द्रीय विद्यालय संगठन के शासी बोर्ड ने 22-8-1990 को हुई इसकी 54वीं बैठक में दिल्ली स्थित कुछ चुनिन्दा केन्द्रीय विद्यालयों में प्रयोगात्मक आधार पर दोहरी पद्धति को आरम्भ करने के लिए सिद्धान्त रूप से अनुमोदन कर दिया है। जिन परिस्थितियों ने संगठन को इस प्रकार

के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए उत्प्रेरित किया है, वे हैं केन्द्रीय विद्यालयों में दाखिल पाने के के इच्छुक केन्द्रीय सरकार के स्थानान्तरणीय कर्मचारियों के पिछले बकाया भारी संख्या में बच्चे हैं।

(ग) से (ङ) महानगरों में दूसरी पारी प्रणाली को शुरू करने के प्रश्न पर दिल्ली में प्राप्त अनुभवों पर जांच की जाएगी।

परियोजनाओं को स्वीकृति न दिए जाने के विरुद्ध शिकायत

[हिन्दी]

4168. डा० बंगाली सिंह : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन राज्यों ने अपनी परियोजनाओं को स्वीकृति न दिए जाने के संबंध में सरकार को शिकायतें की हैं;

(ख) क्या इन परियोजनाओं को पर्यावरण और प्रदूषण की दृष्टिकोण से स्वीकृति प्रदान नहीं की गई है;

(ग) यदि हां, तो क्या इन परियोजनाओं के संबंध में कोई जांच कराई गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री नीलमणि राउतराय) : (क) विकास परियोजनाओं को शीघ्र स्वीकृति देने के लिए समय-समय पर पत्र प्राप्त होते हैं। इस प्रकार के अनुरोध हाल ही में केरल, कर्नाटक, गुजरात और महाराष्ट्र सरकारों से प्राप्त हुए हैं।

(ख) से (घ) पूछे गए प्रश्न की प्रकृति और परियोजना की मौजूदा स्थिति दर्शाते हुए एक विवरण संलग्न है।

विवरण

क्रम सं०	परियोजना का नाम और राज्य	प्रश्न की प्रकृति	मौजूदा स्थिति
1	2	3	4
1.	अडिरापल्ली पनबिजली परियोजना, केरल	राज्य सरकार इस परियोजना जिसे पहले अक्तूबर, 1989 में अस्वीकार कर दिया गया था, स्वीकृति के लिए अनुरोध कर रही है।	जून, 1990 में राज्य प्राधिकारियों से अनुरोध किया गया है कि वे अडिरापल्ली फाल के नीचे की ओर किसी वैकल्पिक स्थल पर विचार करें और अपेक्षित पर्यावरणीय कार्य योजनाएं तैयार करें।

1	2	3	4
	2. ऊपरी कृष्णा परियोजना, कर्नाटक	राज्य सरकार अनुरोध कर रही है कि अप्रैल, 1989 में ऊपरी कृष्णा परियोजना के स्टेज-1, चरण-2 के संबंध में दी गई स्वीकृति में चरण-1 और 2 भी शामिल होने चाहिए।	इस परियोजना के स्टेज-1 में कवरेज सुनिश्चित करने के लिए चरण-1 और 3 के लिए कार्य योजनाएं मांगी गई हैं।
	3. गुजरात में कवास-हजारी क्षेत्र में औद्योगिक परियोजनाएं	राज्य प्राधिकारियों ने इस क्षेत्र में परियोजनाओं के बारे में शीघ्र निर्णय लिए जाने का अनुरोध किया है।	इस क्षेत्र की वहन क्षमता के संबंध में अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत न किए जाने तक औद्योगिक परियोजनाओं पर गुणावगुण के आधार पर विचार किया जाता है।
	4. थाणे, महाराष्ट्र में एन० ओ० सी० आई० एल० का विस्तार	राज्य प्राधिकारियों ने अनुरोध किया है कि थाणे में एन० ओ० सी० आई० एल० के विस्तार के प्रस्ताव को शीघ्र स्वीकृति दी जाए।	थाणे-बेलापुर क्षेत्र की वहन क्षमता रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद इस परियोजना पर विचार किया जाएगा।
	5. सुपर ताप बिजली घर, नन्दीकुर, कर्नाटक।	जून, 1990 में पत्र प्राप्त हुआ, जिसमें सुझाव दिया गया कि इस परियोजना को सशर्त स्वीकृति दी जाए।	निम्नलिखित के संबंध में ब्यौरों की प्रतीक्षा की जा रही है — — पुनर्वास योजना, — वैकल्पिक राख निपटान स्थल, — वन भूमि प्लावन, और — ठोस कोयला सम्पर्क।

विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षा और अध्ययन परियोजना

[अनुवाद]

4169. डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :
श्री प्यारेलाल खण्डेलवाल :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1984 में शुरू की गई विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षा और अध्ययन परियोजना (कम्प्यूटर लिटरेसी एंड स्टडीज इन स्कूल्स प्रोजेक्ट) के मामले में 1987 के बाद प्रगति होनी बंद हो गई है और अब इसे समाप्त किया जा सकता है;

(ख) इस परियोजना के अंतर्गत विद्यालयों में कितने कम्प्यूटर लगाए गए हैं और इसमें से कितने अब वास्तव में उपयोग किए जा रहे हैं; और

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि में इस परियोजना का भविष्य क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) जी नहीं।

(ख) स्कूलों में इस परियोजना के अंतर्गत 31 मार्च, 1990 तक चुने गये स्कूलों में 4756 संगणक लगाये गये हैं। जब भी इन संगणकों के खराब होने की शिकायत प्राप्त होती है तो उन्हें ठीक किया जाता है।

(ग) आठवीं योजनावधि के दौरान कार्यक्रम के भविष्य को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

विद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना का प्रस्ताव

4170. डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार एक विद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) और (ख) राष्ट्रीय शिक्षक आयोग-1, जो चट्टोपाध्याय आयोग के नाम से भी जाना जाता है, ने स्कूल शिक्षा के मानकों में सुधार करने के लिए एक राष्ट्रीय संगठन गठित करने की सिफारिश की थी। आयोग ने यह भी सिफारिश की थी कि अंतिम निर्णय लेने से पहले राज्य सरकारों से भी परामर्श किया जाना चाहिए।

तदनुसार, राज्य सरकारों से परामर्श किया जा रहा है। अभी तक 9 राज्य सरकारों ने अपने विचार भेजे हैं। इन नौ राज्य सरकारों में से महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और पंजाब राज्यों ने ऐसे राष्ट्रीय संगठन गठित करने के प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया है जबकि अन्य छ: राज्यों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया है। शेष राज्यों से विचार प्राप्त करने के प्रयास किए जा रहे हैं। इन राज्यों के विचार लम्बित होने के कारण, सरकार ने अभी तक इस मामले में अपने विचारों को अंतिम रूप नहीं दिया है।

भारतीय वायुसेना द्वारा विमान प्राप्त करना

4171. श्री बी० एस० बासवराज :

श्रीमती बासवराजेश्वरी :

प्रो० के० वी० थामस :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विमान परियोजना में विलम्ब को ध्यान में रखते हुए भारतीय वायुसेना ने एक नया विमान प्राप्त करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो नया विमान कब तक प्राप्त होगा;

(ग) इसका मूल्य कितना होगा और यह विमान पिछले विमानों की तुलना में कितना बेहतर होगा; और

(घ) ऐसे कितने विमान प्राप्त किए जाएंगे ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राजा रमन्ना) : (क) जी, नहीं। पुराने वायुयानों को धीरे-धीरे सेवा से हटाना और नए विमानों को शामिल करने की योजना बनाना एक निरंतर चलते रहने वाली प्रक्रिया है और यह भारतीय वायुसेना की संक्रियात्मक आवश्यकताओं से जुड़ी है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

अमरावती (महाराष्ट्र) में ऐतिहासिक स्मारकों का रख-रखाव

[हिन्दी]

4172. श्री सुदाम दत्तात्रेय देशमुख : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को महाराष्ट्र के अमरावती जिले में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधीन ऐतिहासिक प्राचीर के उचित रख-रखाव के लिए अनुरोध प्राप्त हुए हैं ताकि इन ऐतिहासिक स्मारक के ढह जाने के संभावित खतरे से स्थानीय लोगों को सुरक्षा प्रदान की जा सके; और

(ख) यदि हां, तो इन अनुरोधों पर क्या कार्रवाई की गई है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) जी, हां।

(ख) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के एक विशेषज्ञ द्वारा 24-9-90 को प्राचीर का निरीक्षण किया गया था। इमारत के जीर्ण और क्षतिग्रस्त हिस्सों को संरक्षित करने और सुदृढ़ करने के लिए आवश्यक हिदायतें जारी कर दी गई हैं।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुदान

4173. श्री यमुना प्रसाद शास्त्री : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न विश्वविद्यालयों को अनुदान देते समय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा पालन किए जाने वाले मानदंडों और नियमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) आयोग द्वारा वर्ष 1989-90 के दौरान दिल्ली विश्वविद्यालय और जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय को कितनी राशि का अनुदान दिया गया;

(ग) रीवां स्थित अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय को वर्ष 1989-90 में कितनी राशि का अनुदान किया गया; और

(घ) क्या उक्त अवधि के दौरान रीवां विश्वविद्यालय को इसके पुस्तकालय और विज्ञान प्रयोगशाला के लिए बहुत कम राशि का अनुदान दिया गया है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग सामान्य विकास उद्देश्य के लिए राज्य विश्वविद्यालयों को वर्ष-दर-वर्ष का आधार पर नहीं बल्कि प्रत्येक योजना अवधि के लिए विकास अनुदान प्रदान करता है। केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के लिए आयोग अनुरक्षण अनुदान भी प्रदान करता है। राज्य विश्वविद्यालयों के लिए अनुरक्षण अनुदान संबंधित राज्य सरकारों द्वारा प्रदान किए जाते हैं। किसी विश्वविद्यालय को दी जाने वाली सहायता की मात्रा निर्धारित करने के लिए जिन मानदंडों को ध्यान में रखा गया है, वे हैं: विश्वविद्यालय के विकास का स्तर, अनुसंधान परिणाम के रूप में इसकी शैक्षिक उपलब्धियां, शिक्षण में नवीकरण और उभरते हुए क्षेत्रों में पाठ्यक्रम शुरू करना।

(ख) से (घ) वि० अ० आ० द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, सातवीं योजना अवधि के दौरान दिल्ली विश्वविद्यालय को 749.44 लाख रुपये और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय को 1732.40 लाख रुपये का योजनागत अनुदान प्रदान किया गया था। 7वीं योजना अवधि के दौरान अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवां को दी गई अनुदान राशि 118.61 लाख रुपये थी। अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के प्रतिनिधियों और शैक्षिक विशेषज्ञों के बीच 7वीं योजना चर्चाओं के आधार पर, वि० अ० आ० ने इस विश्वविद्यालय को पुस्तकों और उपस्कर के लिए क्रमश: 11 लाख रुपये तथा 51 लाख रुपये आवंटित किए और 118.61 लाख रुपये के कुल सामान्य विकास अनुदान में से सातवीं योजना अवधि के दौरान ये राशियां पहले ही दी जा चुकी हैं।

केन्द्रीय विद्यालय के अनुसूचित जातियां/अनुसूचित जनजातियों के शिक्षकों की पदोन्नति

[अनुवाद]

4174. **श्री फूल चन्द वर्मा :**

श्री रामजीलाल सुमन :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय विद्यालय संगठन में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के स्नातकोत्तर शिक्षकों की उप-प्रधानाचार्य के पद पर तथा उप-प्रधानाचार्य के पद से प्रधानाचार्य के पद पदोन्नति संबंधी प्रावधानों का ब्यौरा क्या है;

(ख) वर्ष 1988 से सामान्य और अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कितने स्नातकोत्तर शिक्षकों को उप-प्रधानाचार्य के पद पर तथा कितने उप-प्रधानाचार्यों को प्रधानाचार्य के पद पर पदोन्नत किया गया; और

(ग) क्या अनुसूचित जातियों/जनजातियों के उम्मीदवारों की पदोन्नतियों के संबंध में किसी भी श्रेणी के पद खाली पड़े हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) उप-प्रधानाचार्यों तथा प्रधानाचार्यों की पदोन्नति के लिए अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए क्रमश: 15% तथा 7½ % पदों को आरक्षित किया गया है।

(ख) (1) वर्ष 1988 से सामान्य श्रेणी के 135 स्नातकोत्तर शिक्षकों तथा 2 अनुसूचित जाति के शिक्षकों को उप-प्रधानाचार्यों के रूप में पदोन्नत किया है।

(2) वर्ष 1988 से सामान्य श्रेणी के 43 उप-प्रधानाचार्यों को प्रधानाचार्य के रूप में पदोन्नत किया गया है। वर्ष 1988 से अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के किसी भी उप-प्रधानाचार्य को प्रधानाचार्य के रूप में पदोन्नत नहीं किया गया है।

(ग) जी, नहीं। चयन पद्धति पर पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों के मामलों में भारत सरकार की हिदायतों के अनुसार रिक्तियों को आगे ले जाने की अनुमति नहीं है।

केन्द्रीय विद्यालय संगठन के संयुक्त परामर्शदात्री समिति के अधीन परिषद् की बैठक

4175. **श्री फूल चन्द वर्मा :**
श्री सूर्य नारायण सिंह :
श्री रामजीलाल सुमन :
श्री राजमंगल मिश्र :
श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह :
श्री शांतिलाल पुरुषोत्तम दास पटेल :
श्री अमृतलाल वल्लभदास तारवाला :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मई, 1990 में अखिल भारतीय केन्द्रीय विद्यालय शिक्षक संघ के एक शिष्ट मंडल को यह आश्वासन दिया था कि केन्द्रीय विद्यालय संगठन की परामर्शदात्री समिति के अधीन परिषद की बैठक एक पखवाड़े के भीतर आयोजित की जाएगी; और

(ख) यदि हां, तो इस बैठक को अभी तक आयोजित न करने के क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) और (ख) अखिल भारतीय केन्द्रीय विद्यालय शिक्षक संघ के प्रतिनिधियों ने 15-5-1990 को केन्द्रीय विद्यालय संगठन के अध्यक्ष से भेंट की। उन्हें संयुक्त परामर्शी तंत्र में भाग लेने की सलाह दी गयी, जो शिक्षकों की मांगों पर चर्चा करने का उपयुक्त मंच है। संयुक्त परामर्शी तंत्र की बैठक लम्बी ग्रीष्म कालीन अवकाश के कारण आयोजित नहीं की जा सकी।

केन्द्रीय विद्यालयों में फर्नीचर की कमी

[हिन्दी]

4176. **श्री अमृतलाल वल्लभदास तारवाला :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के केन्द्रीय विद्यालयों में फर्नीचर की कमी है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे विद्यालयों का ब्योरा क्या है; और

(ग) गत दो वर्षों के दौरान दिल्ली से स्थित केन्द्रीय विद्यालयों द्वारा विद्यालय-वार फर्नीचर के लिए कितने अनुदान की मांग की गई और उन्हें कितना अनुदान स्वीकृत हुआ ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) और (ख) दिल्ली स्थित केन्द्रीय विद्यालयों में फर्नीचर संबंधी स्थिति संतोषजनक है।

(ग) अनुदानों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

विवरण

दिल्ली क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा संस्वीकृत तथा केन्द्रीय विद्यालयों द्वारा मांगी गयी राशि

क्रमांक	केन्द्रीय विद्यालय का नाम	केन्द्रीय विद्यालयों द्वारा मांगी गयी राशि		क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा संस्वीकृत की गयी राशि	
		1988-89	1989-90	1988-89	1989-90
1	2	3	4	5	6
1.	नं० 1 दिल्ली केन्ट	60,000	1,00,000	40,000	1,00,000
2.	नं० 2 दिल्ली केन्ट	2,50,000	2,40,000	1,20,000	1,00,000
3.	नं० 3 दिल्ली केन्ट	80,000	80,000	80,000	80,000
4.	झाड़ोदा कलान	60,000	65,000	30,000	65,000
5.	झंडेवाला गंज	70,000	80,000	70,000	80,000
6.	लारेन्स रोड	67,000	60,000	50,000	60,000
7.	टैगोर गार्डन	30,000	60,000	30,000	60,000
8.	गोल मार्किट	1,00,000	60,000	1,00 000	60,000
9.	आई० एन० के० कालोनी	80,000	1,50,000	30,000	70,000
10.	मस्जिद मोठ	1,00,000	1,50,000	1,00,000	1,25,000
11.	एस० पी० मार्ग	70,000	1,00,000	70,000	80,000
12.	थोगा	40,000	50,000	30,000	50,000
13.	ए० जी० सी० आर० कालोनी	50,000	60,000	50,000	60,000
14.	सेक्टर 2 आर० के० पुरम	70,000	1,00,000	50,000	70,000
15.	सेक्टर 4 आर० के० पुरम	50,000	50,000	50,000	50,000
16.	सेक्टर 8 आर० के० पुरम	30,000	30,000	30,000	30,000
17.	शालीमार बाग	50,000	1,00,000	40,000	1,00,000

1	2	3	4	5	6
18.	तुगलकाबाद	80,000	70,000	60,000	70,000
19.	पुष्प विहार	77,000	1,00,000	70,000	1,00,000
20.	अर्जन गढ़	28,000	30,000	28,000	30,000
21.	प्रगति विहार	40,000	45,000	40,000	45,000
22.	न्यू फ्रेंड्स सेंटर	60,000	80,000	40,000	80,000
23.	जनकपुरी	1,50,000	1,50,000	90,000	1,25,000
24.	पीतमपुरा	60,000	60,000	60,000	60,000
25.	सैनिक विहार	60,000	80,000	80,000	60,000
26.	छावला कम्प	1,00,000	1,25,000	40,000	80,000
27.	विकास पुरी	50,000	90,000	50,000	90,000
28.	ए० एफ० एस० जोकरी (1988-89 में खुला)	बजट प्रावधान प्राप्त नहीं हुआ	40,000	1,00,000	40,000
29.	न्यू महरौली रोड	आयोजित स्कूल	—	—	—
30.	एन० टी० पी० सी० बदरपुर	आयोजित स्कूल	—	—	—

आयुध कारखाने

[अनुवाद]

4177. प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा :
श्री हरिशंकर महाले :
श्री जनार्दन पुजारी :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में आयुध कारखाने कहां-कहां स्थित हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार निकट भविष्य में कुछ और आयुध कारखाने स्थापित करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन कारखानों को किन-किन स्थानों पर स्थापित करने का विचार है; और

(घ) ये कारखाने कब तक स्थापित हो जाएंगे ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राजा रमन्ना) : (क) आयुध निर्माणियां जहां स्थापित हैं उन स्थानों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) इस समय किसी नई आयुध निर्माणी को स्थापित करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

विवरण

आयुध निर्माणियां जहां स्थित हैं

आन्ध्र प्रदेश

1. आयुध निर्माणी, मेडक

मध्य प्रदेश

1. गन कैरिज फैक्टरी, जबलपुर
2. आयुध निर्माणी, खमरिया
3. व्हीकल फैक्टरी, जबलपुर
4. आयुध निर्माणी, कटनी
5. ग्रे आयरन फाउंडरी, जबलपुर
6. आयुध निर्माणी, इटारसी

महाराष्ट्र

1. अम्मुनिशन फैक्टरी, किरकी
2. हाई एक्सप्लोसिवेस फैक्टरी, किरकी
3. आयुध निर्माणी, अम्बरनाथ
4. आयुध निर्माणी, भुसावल
5. मशीन टूल्स प्रोटो-टाइप फैक्टरी, अम्बरनाथ
6. आयुध निर्माणी, अम्बाझारी
7. आयुध निर्माणी, वरनगांव
8. आयुध निर्माणी, भंडारा
9. आयुध निर्माणी, चांदा
10. आयुध निर्माणी, देहू रोड

उड़ीसा

1. आयुध निर्माणी, बोलंगीर (स्थापित की जा रही)

संघ शासित प्रदेश—चंडीगढ़

1. आर्डनेंस केबल फैक्टरी, चंडीगढ़

तमिलनाडु

1 कॉरडाइट फैक्टरी, अरुवंकाडू
2. आयुध निर्माणी, तिरुचिरापल्ली

3. आयुध वस्त्र निर्माणी, आवडी
4. हैवी व्हीकल फैक्टरी, आवडी
5. कॉम्बाइंड इंजन प्लांट, आवडी
6. एच० ए० पी० पी० तिरुचिरापल्ली

उत्तर प्रदेश

1. आयुध निर्माणी, हजरतपुर
2. आयुध उपस्कर निर्माणी, कानपुर
3. आयुध पैराशूट निर्माणी, कानपुर
4. आयुध निर्माणी, कानपुर
5. आयुध वस्त्र निर्माणी, शाहजहांपुर
6. आयुध निर्माणी, देहरादून
7. ऑप्टो इलैक्ट्रोनिक्स फैक्टरी, देहरादून
8. आयुध निर्माणी, मुरादनगर
9. स्माल आर्म्स फैक्टरी, कानपुर
10. फिल्ड गन फैक्टरी, कानपुर

पश्चिम बंगाल

1. गन तथा शैल फैक्टरी, कोशीपुर
2. आयुध निर्माणी, दमदम
3. मेटल तथा स्टील फैक्टरी, इशापुर
4. राइफल फैक्टरी, इशापुर

अस्थायी और कच्चे निर्माणों में चल रहे स्कूल

4178. प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में दिल्ली प्रशासन, दिल्ली नगर निगम और नई दिल्ली नगर पालिका के अन्तर्गत ऐसे कितने-कितने प्राथमिक मिडिल और हायर-सैकेण्डरी स्कूल, श्रेणीवार, चल रहे हैं, जो अस्थायी/कच्चे निर्माणों में लगाए जाते हैं और जिनके पास अपने उपयुक्त पक्के भवन नहीं हैं;

(ख) इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इन स्कूलों की खतरनाक स्थिति का पता लगाने के लिए कोई नया सर्वेक्षण किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) इन स्कूलों के लिए उचित भवन निर्माण हेतु क्या प्रभावी उपाय किए गए हैं;

(च) क्या इन स्कूलों हेतु भवन निर्माण के लिए कोई चरणबद्ध कार्यक्रम तैयार किया गया है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) से (छ)

विवरण

दिल्ली प्रशासन, दिल्ली नगर निगम और नई दिल्ली नगर पालिका द्वारा भेजी गयी सूचना के मुताबिक अपेक्षित जानकारी निम्नलिखित है—

प्रश्न	दिल्ली प्रशासन	नई दिल्ली नगर पालिका	दिल्ली नगर निगम
1	2	3	4
(क) दिल्ली प्रशासन, एम०सी० डी०, एन० डी० एम० सी० के अंतर्गत ऐसे प्राथमिक, मिडिल और उच्चतर विद्यालयों, जो अभी भी अस्थायी ढांचों में कच्चे मकानों में चल रहे हैं और जिनके पास उचित विद्यालय भवन नहीं हैं, की वर्ग क्रम में संख्या क्या है ?	(क) 146 मिडिल माध्यमिक और सीनियर माध्यमिक स्कूल तंबूओं/ पूर्वनिर्मित ढांचों में चल रहे हैं।	(क) छः प्राइमरी स्कूल अर्ध-पक्के भवनों में चल रहे हैं।	(क) 41 प्राइमरी स्कूल तंबूओं में चल रहे हैं।
(ख) और इसके क्या कारण हैं ?	(ख) नये स्कूलों को यदाकदा खोला जाता है। प्रोन्नत किया जाता है उनका विभाजन किया जाता है और, इसलिए तत्काल पक्के भवनों का निर्माण संभव नहीं है।	(ख) तथापि पहले बजट, प्रावधान नहीं किया गया था। अब वर्ष 1990-95 के लिए इसकी व्यवस्था कर दी गयी है।	(ख) संबंधित एजेंसियों द्वारा स्थानों के आवंटन में विलंब और विवाद के कारण हैं।
(ग) क्या इन स्कूलों की खतरनाक स्थिति का पता लगाने के लिए कोई नया सर्वेक्षण किया गया है;	(ग) जी, हां।	(ग) नई दिल्ली नगरपालिका के किसी भी स्कूल भवन की हालत खतरनाक नहीं है।	(ग) दिल्ली नगर निगम के किसी भी स्कूल भवन की स्थिति खतरनाक नहीं है।

1	2	3	4
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; (ङ) इन स्कूलों के लिए उचित भवन निर्माण हेतु क्या प्रभावी उपाय किए गए हैं; (च) क्या इन स्कूलों हेतु भवन निर्माण के लिए कोई चरणबद्ध कार्य-क्रम तैयार किया गया है; और (छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?	(घ), (ङ), (च) और (छ) दिल्ली प्रशासन ने एक द्रुतगामी कार्य-क्रम तैयार किया है और ऐसे 200 स्कूलों का पता लगाया है जहां पर बिजली, पानी और शौचालय खंडों जैसी बुनियादी सुविधाएं प्रदान की जानी हैं। हिन्दुस्तान फेब्रीकेटेड लिमि-टेड को पांच आदर्श स्कूल प्री-फेब्रीकेटेड भवन तैयार करने के लिए कहा गया है। लोक निर्माण विभाग के अतिरिक्त दिल्ली प्रशासन ने हिन्दुस्तान प्री-फेब्रीकेटेड लिमिटेड, डी० एस० आई० डी० सी० तथा दिल्ली विकास प्राधि-करण आदि जैसी अन्य एजेंसियों को निर्माण कार्य सौंपने का निर्णय किया है।	(घ) प्रश्न नहीं उठता। (ङ), (च) और (छ) नई दिल्ली नगर पालिका ने आठवीं पंच-वर्षीय योजना (1990-95) में छः प्राइमरी स्कूलों के लिए स्कूल भवनों का निर्माण करने का प्रस्ताव शामिल किया है।	(घ) प्रश्न नहीं उठता। (ङ) स्कूलों के लिए पक्का भवन निर्माण करने हेतु दिल्ली विकास प्राधिकरण अथवा ग्राम पंचायतों से भूमि आवंटित करने के प्रयास किये जा रहे हैं। (च) और (छ) जी हां, दिल्ली नगर निगम के इंजीनियरी विभाग से कहा गया है कि वह दिसम्बर, 1990 तक अपेक्षित संख्या में कक्षों/भवनों का निर्माण करे ताकि शिक्षा विभाग स्कूलों को उपयुक्त भवनों में स्थानांतरित कर सके।

केरल में अमरीकी कंपनियों द्वारा इलेक्ट्रॉनिक एककों की स्थापना

4180. श्री ए० चार्ल्स : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्ज मल्टी नेशनल कार्पोरेशन और मैसर्स ए० एम० पी० इन्क नामक अमरीकी कंपनियों के प्रतिनिधियों ने केरल के कुछ स्थानों का दौरा किया था;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्होंने राज्य में इलेक्ट्रानिक संघटकों का निर्माण करने वाले कुछ उद्योग स्थापित करने की इच्छा व्यक्त की है;

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) इस प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० एम० जी० के० मेनन) : (क) से (घ) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

टिहरी बांध परियोजना

4181. श्री तेल नारायण सिंह :
श्री अरविन्द नेताम :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नदी घाटी परियोजना सम्बन्धी पर्यावरणीय मूल्यांकन समिति ने देश में सभी संबद्ध विशेषज्ञों से परामर्श करने के बाद निर्माण कार्य में खतरा होने के कारण टिहरी बांध को रद्द करने की सिफारिश की है; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस मंत्रालय द्वारा पर्यावरणीय मूल्यांकन समिति की रिपोर्ट पर विचार और इसे स्वीकार किया गया और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री नीलमणि राउतराय) : (क) नदी-घाटी परियोजनाओं के लिए पर्यावरणीय मूल्यांकन समिति ने प्रस्तुत आंकड़ों के आधार पर यह निर्णय दिया कि टिहरी बांध परियोजना पर्यावरणीय मंजूरी दिए जाने के योग्य नहीं है। यह निष्कर्ष विभिन्न पर्यावरणीय पहलुओं पर विचार करने के पश्चात् निकाला गया है। इन पहलुओं पर सुरक्षा भी शामिल है, जिसके लिए स्कूल आफ अर्थक्वेक इंजीनियरिंग, रुड़की; नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीच्यूट, हैदराबाद; वाडिया इंस्टीच्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी, देहरादून; केन्द्रीय जल आयोग, कोचिन विश्वविद्यालय आदि जैसे संस्थानों के विशेषज्ञों के दृष्टिकोणों पर बाकायदा विचार किया गया था।

(ख) पर्यावरणीय मूल्यांकन समिति की रिपोर्ट पर बाकायदा विचार किया गया और सुरक्षा पहलुओं की विशेष रूप से जांच करने के लिए सरकार द्वारा विशेषज्ञों की एक उच्च स्तरीय समिति गठित की गई है।

ऐटोमिक इनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड के बारे में स्वयंसेवी संगठनों का अभ्यावेदन

4182. श्री राम लाल राही : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि ऐटोमिक इनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड ने

केरल के तटीय क्षेत्र में अत्याधिक विकीरण के संबंध में गैर-सरकारी शोधकर्त्ताओं के निष्कर्षों पर आपत्ति की है, जैसा कि 2 जुलाई, 1990 के इंडियन एक्सप्रेस में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) क्या स्वयंसेवी संगठनों ने ऐटोमिक इनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड के कार्यकरण की आलोचना की है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार सरकारी और स्वयंसेवी दोनों क्षेत्रों से वैज्ञानिकों की एक विशेषज्ञ समिति गठित करने का है, ताकि इसके सही तथ्यों और ऐहतियाती उपायों को प्रकाश में लाया जा सके;

(घ) क्या सरकार का जनता का विश्वास प्राप्त करने के लिए ऐटोमिक इनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड के संबंध में दो-तीन स्वयंसेवी स्वास्थ्य संगठनों के प्रतिनिधियों को भी इसमें शामिल करने का विचार है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० एम० जी० के० मेनन) :(क) सरकार को केरल के समुद्री तट पर अत्यधिक प्राकृतिक विकिरण वाले क्षेत्रों में स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों के बारे में गैर-सरकारी शोधकर्त्ताओं द्वारा दी गई जांच रिपोर्ट की जानकारी है। परमाणु ऊर्जा विभाग ने विकिरण से पड़ने वाले ऐसे किसी प्रभाव की मात्रा का पता लगाने के वास्ते जो नियमित प्रयोग किए हैं उनसे किन्हीं ऐसे प्रतिकूल प्रभावों का पता नहीं चला है जो आंकड़ों की दृष्टि से महत्वपूर्ण है । इस बात को ध्यान में रखकर परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के न्यूजलेटर (1990 का अंक 1, खंड 6)में इस बारे में किसी अंतिम नतीजे पर पहुंचने से पहले सामने आने वाली अन्तर्निहित कठिनाइयों का विस्तार से वर्णन किया गया है और संपादकीय में कहा है कि किसी एक अथवा अन्य सिद्धांत को सिद्ध करने के संबंध में कोई निर्णायक प्रमाण नहीं किया है क्योंकि जिन प्रभावों के पड़ने का पूर्वानुमान लगाया गया है वे बहुत ही कम हैं और सामान्य रूप से पड़ने वाले ऐसे प्रभावों की तुलना में इनका पता लगाना कठिन है ।

(ख) जी, नहीं। हमें परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के बारे में की गई किसी ऐसी आलोचना की जानकारी नहीं है।

(ग) पर्यावरण तथा वन मंत्रालय ने इस विषय पर एक विशेषज्ञ समिति गठित की है। इस समिति की रिपोर्ट के आने की अभी प्रतीक्षा है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के सदस्य सुरक्षा संबंधी विभिन्न विषयों के विशेषज्ञ हैं। बोर्ड के कुल पांच सदस्यों में से तीन सदस्य परमाणु ऊर्जा आयोग के कार्यकलापों से संबद्ध नहीं हैं। इन सदस्यों में से एक सदस्य गैर-सरकारी संस्थान का प्रतिष्ठित चिकित्सक है। परमाणु ऊर्जा विभाग और परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के बाहर के सत्तर से अधिक विशेषज्ञ बोर्ड के नियामक कार्यकलापों में अपना योगदान दे रहे हैं। अतः सरकार का परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड में स्वैच्छिक संगठनों के प्रतिनिधियों को शामिल करने का इस समय कोई विचार नहीं है।

पर्वतीय क्षेत्र विकास योजना के अन्तर्गत अरावली पहाड़ियों का विकास

[हिन्दी]

4183. श्री गिरधारी लाल भार्गव : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आठवीं पंचवर्षीय योजना के कार्य दल ने अरावली पहाड़ियों के विकास के लिए 410 करोड़ रुपए की योजना प्रस्तुत करते समय, इसे पर्वतीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत लाने का प्रस्ताव किया था;

(ख) क्या सरकार का विचार हिमालय, नीलगिरी की पहाड़ियों और पश्चिमी घाटों की तरह ही अरावली पहाड़ियों को भी पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल करने का है; और

(ग) यदि हां, तो कब और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री और कार्यक्रम कार्यान्वियन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागेय गोवर्धन) : (क) से (ग) आठवीं योजना में सामान्य दृष्टिकोण विशेष क्षेत्र विकास कार्यक्रमों की शृंखला से बचना है। इसके बदले, स्थानीय निकायों द्वारा शुरू की गई विकेन्द्रीकृत क्षेत्र आयोजना के जरिए किए जाने वाले सामान्य ग्रामीण विकास पर बल देना होगा। पर्वतीय क्षेत्रों में, स्थानीय विकास में पर्वतीय विकास पर जोर होगा। पर्वतीय क्षेत्र विकास हेतु आठवीं योजना के लिए कोई अलग कार्य दल गठित नहीं किया गया था।

अरावली पर्वतमाला में भू-कटाव

[अनुवाद]

4184. श्री गिरधारी लाल भार्गव : क्या पर्यावरण और वन मंत्री राजस्थान में नदियों, बांधों और जलाशयों से गाद निकालने के बारे में 23 अप्रैल, 1990 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6097 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अरावली पर्वतमाला में भू-कटाव तथा इसके कारण विभिन्न नदियों में गाद जमा होने के बारे में जानकारी एकत्रित कर ली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस मामले में कितनी प्रगति हुई है और यह सूचना कब तक प्राप्त होने की संभावना है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री नीलमणि राउतराय) : (क) से (ग) राजस्थान सरकार ने सूचना दी है कि अरावली पर्वत शृंखला में वननाशन के परिणामस्वरूप भूमि के कटाव में वृद्धि हुई है। फिर भी, भूमि कटाव की दर निर्धारित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा कोई डाटा एकत्रित नहीं किया गया है।

राज्य सरकार के सिंचाई विभाग द्वारा नदियों, बांधों तथा तालाबों में गाद भर जाने के बारे में कोई अध्ययन नहीं किया गया है। फिर भी, नदियों, बांधों तथा तालाबों से गाद निकालने का कार्य नहीं किया जाता है क्योंकि यह समस्या का समाधान नहीं है। उन्होंने सूचना दी है कि आवाह

क्षेत्र तथा अरावली पर्वत श्रृंखला के इस मामले में मृदा संरक्षण उपाय तथा व्यापक स्तर पर वृक्षरोपण किया जाना अनिवार्य है।

अरावली की पहाड़ियों पर वनरोपण

[हिन्दी]

4185. श्री गुलाब चन्द कटारिया :
श्रीमती वसुन्धरा राजे :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान सरकार ने विदेशी सहयोग से अरावली की पहाड़ियों पर वनरोपण संबंधी 129 करोड़ रुपए की परियोजना का एक प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार की मंजूरी के लिए भेजा है;

(ख) यदि हां, तो कब और इस पर केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) इस परियोजना की कार्यान्वयन अवधि कितनी है और इसके लिए विदेशी सहायता शीघ्र प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या जापान की सहायता से इन्दिरा गांधी नहर क्षेत्र में वनरोपण की 107 करोड़ रुपए की इसी प्रकार की परियोजना को मंजूरी दे दी गई है; और

(ङ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री नीलमणि राउतराय) : (क) से (ग) पांच वर्ष की अवधि के लिए 129 करोड़ रुपए लागत की अरावली पर्वतीय श्रृंखला के वनीकरण की एक प्रायोजना राजस्थान सरकार से प्राप्त हुई थी। आवश्यक अनुमति प्राप्त कर ली गई है और विदेशी सहायता प्राप्त करके इस प्रायोजना की वित्त व्यवस्था की जाएगी।

(घ) और (ङ) जापान सरकार ने इन्दिरा गांधी नहर क्षेत्र में वनीकरण के लिए प्रायोजना को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु हाल ही में अपनी सहमति प्रदान की है। जापान सरकार के साथ औपचारिक करार होने के बाद प्रायोजना को कार्यान्वित किया जाएगा।

वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत जारी किए गए मार्ग निर्देशों का उल्लंघन

[अनुवाद]

4186. श्री पी० नरसा रेड्डी : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के उपबंधों का उल्लंघन किए जाने के कुछ मामलों का पता लगा है;

(ख) यदि हां, तो क्या कुछ मामलों में केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुमति के बिना वन भूमि का किसी अन्य प्रयोजन के लिए उपयोग किया गया है;

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान किन-किन राज्यों के द्वारा किन-किन परियोजनाओं के सम्बन्ध में इस अधिनियम का उल्लंघन किया गया है; और

(घ) इस सम्बन्ध में सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री नीलमणि राउतराय) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(घ) उल्लंघनों के लिए कार्रवाई 1988 में यथा संशोधित वन (संरक्षण) अधिनियम के उपबंधों के अनुसार की जाती है तथा इसके साथ मार्ग-निर्देश सिद्धांत जारी किए गए हैं।

परती भूमि विकास कार्यक्रम के लिए चयनित गांव

4187. **श्री पी० नरसा रेड्डी** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परती भूमि विकास कार्यक्रम के अंतर्गत चयनित गांवों के लिए कोई विशेष योजना तैयार की गयी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री नीलमणि राउतराय) : (क) और (ख) परती भूमि विकास कार्यक्रम के अंतर्गत, ग्राम स्तर पर वनीकरण और परती भूमि विकास कार्यकलाप चलाने के लिए धनराशि प्रदान की जाती है। एकीकृत परती भूमि विकास के लिए सूक्ष्म-आयोजना सुनिश्चित करने की दृष्टि से चुने गए जलागम क्षेत्रों में गांवों के लिए कार्य-योजनाएं तैयार की जाती हैं। अब तक आठ जिलों में यह कार्य किया जा चुका है। कार्यक्रम के अंतर्गत, कार्य-योजनाओं में भूमि की क्षमता स्थल की अवस्थाओं और स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए भूमि को निकृष्ट बनने से रोकने, परती भूमि को सतत् उपयोग में लाने और बायोमास, विशेषकर ईंधन लकड़ी और चारे की उपलब्धता को बढ़ाने की व्यवस्था की गई है।

"यूनेस्को" द्वारा एशिया पैसिफिक इंफॉरमेशन नेटवर्क ऑन मेडिसिनल एण्ड एरोमैटिक प्लांट्स की स्थापना करना

4188. **श्री भवानी शंकर होटा** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "यूनेस्को" द्वारा वर्ष 1985 में "एशिया पैसिफिक इंफारमेशन नेटवर्क ऑन मेडिसिनल एण्ड एरोमैटिक प्लांट्स" की स्थापना किए जाने की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो भारत द्वारा इस संगठन में क्या भूमिका निभाई जा रही है और इसके मुख्यालय कहां-कहां हैं तथा इसका भारत के साथ क्या संपर्क है; और

(ग) इस नेटवर्क के मुख्य लक्ष्य और गतिविधियां क्या-क्या हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० एम० जी० के० मेनन) : (क) जी, हां।

(ख) ए० पी० आई० एन० एम० ए० पी० का मुख्यालय बैंकाक थाइलैंड में है। भारत ए० पी० आई० एन० एम० ए० पी० का सदस्य है, जो एशिया तथा प्रशांत क्षेत्र के देशों के मध्य इस क्षेत्र में सूचना

नेटवर्किंग (जाल) के लिए स्वैच्छिक सहकारी कार्यक्रम है। प्रत्येक सदस्य देश एक राष्ट्रीय नोड के माध्यम से कार्यशील रहता है और भारत के मामले में यह काम वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् (सी० एस० आई० आर०) नई दिल्ली का प्रकाशन और सूचना निदेशालय (पी० आई० डी०) करता है। पी० आई० डी० तथा नेटवर्क के अन्य 13 सदस्य देशों के नोडों की भूमिका देश के अन्दर तथा नेटवर्क केन्द्र से चिकित्सीय तथा सुगंधित पौधों पर अनुसंधान सूचना तथा आंकड़े एकत्रित करने, प्रक्रमित करने, प्रचारित-प्रसारित करने तथा उपयोग करने के लिए अपनी क्षमताओं को उन्नत बनाने हेतु एक दूसरे की सहायता करना है।

(ग) चिकित्सीय और सुगंधित पौधों पर एशिया तथा प्रशांत सूचना नेटवर्क (ए० पी० आई० एन० एम० ए० पी०) के मुख्य उद्देश्य/लक्ष्य और गतिविधियां इस प्रकार हैं—

1. लक्ष्य व उद्देश्य

1. चिकित्सीय तथा सुगंधित पौधों के क्षेत्र में सदस्य देशों के बीच रिसोर्स शेयरिंग सेवाओं तथा सूचना के आदान-प्रदान को बढ़ावा देना।
2. इस क्षेत्र में अन्य क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क को लिंकेज/सर्विसेज मुहैया कराना।
3. विशेष सूचना प्रबंधन प्रणालियों की स्थापना के लिए सदस्य देशों की सहायता करना।
4. सूचना का उचित प्रचार-प्रसार तथा उपयोग सुनिश्चित करना।

2. गतिविधियां

1. चिकित्सीय और सुगंधित पौधों पर बिबली ओग्राफिक (ग्रंथ सूची) आंकड़ा-आधार तैयार करना और अनुरोधानुसार क्षेत्र में सूचना उपलब्ध कराना।
2. इस क्षेत्र में अनुसंधान संस्थानों, अनुसंधानकर्ताओं, सूचना केन्द्रों, पुस्तकालयों इत्यादि के लिए संदर्भ केन्द्र के रूप में सेवा करना।
3. लक्ष्य उपयोगकर्ताओं (टारगेट यूजर्स) के लिए विशिष्ट विषयों पर आंकड़ा-आधार पैकेजेज तैयार करना।
4. विभिन्न उपयोगकर्ताओं यथा योजना बनाने वाले, वैज्ञानिकों, संभाव्य उद्यमियों इत्यादि के लिए आंकड़ा-आधार विकसित करना।
5. उपयोगकर्ताओं के लिए वाणिज्यिक आंकड़ा-आधार के लिए ऑन लाइन एक्सेस (सुगमता-पूर्वक उपलब्धता) हेतु सुविधाएं मुहैया कराना।

पौधों की विलुप्त किस्में

4189. श्री भवानी शंकर होता : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अवैध रूप से वन कटाई के द्वारा अमूल्य जड़ी-बूटियां नष्ट हो रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) वनों की कटाई के कारण कौन-कौन से पौधे विलुप्त हो गए हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री नीलमणि राउतराय) : (क) से (ग) वननाशन के परिणाम-स्वरूप औषधीय पौधों की हानि से संबंधित कोई मूल्यांकन नहीं किया गया है।

उड़ीसा में शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े जिले

4190. श्री अनादि चरण दास : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे अधिक पिछड़ा जिला कौन-सा है;

(ख) उपेक्षित सुविधाओं का ब्यौरा क्या है तथा पिछड़ेपन के क्या कारण हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान पिछड़ापन दूर करने के लिए कौन-सा विशेष कार्यक्रम चलाया गया है; और

(घ) यदि कोई विशेष कार्यक्रम नहीं बनाया गया है तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) साक्षरता के आधार पर उड़ीसा में कोरापुट जिला शैक्षिक रूप से सबसे पिछड़ा हुआ जिला है।

(ख) शैक्षिक विकास के लिए अपेक्षित सुविधाओं में अच्छे और सुसज्जित स्कूल, कामकाजी और स्कूल बीच में छोड़ जाने वाले बच्चों के लिए पर्याप्त संख्या में गैर औपचारिक शिक्षा केन्द्र, 15-35 आयु वर्ग के प्रौढ़ निरक्षरों को कार्यात्मक साक्षरता प्रदान करने के लिए प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों की स्थापना, नवसाक्षरों की उत्तर साक्षरता और सतत शिक्षा के लिए जन शिक्षा निलायम शामिल हैं।

लोगों की सामाजार्थिक परिस्थितियां और शिक्षा के लिए उपलब्ध अपर्याप्त अवस्थापना संबंधी सुविधाएं ही शैक्षिक रूप से पिछड़ेपन के मुख्य कारण हैं।

(ग) और (घ) आपरेशन ब्लैक बोर्ड की केन्द्रीय प्रायोजित योजना शिक्षक शिक्षा, गैर औपचारिक शिक्षा और प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत शैक्षिक विकास के लिए राज्य सरकारों/संघ शासित प्रशासनों को वित्तीय सहायता दी जाती है। राज्य सरकारों/संघ शासित प्रशासनों को यह सलाह दी गयी है कि वे पिछड़े जिलों पर ध्यान केन्द्रित करें।

अम्बाजारी आर्डनेंस फैक्टरी का आधुनिकीकरण

4191. श्री बनवारी लाल पुरोहित : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अम्बाजारी आर्डनेंस फैक्टरी का विस्तार और आधुनिकीकरण करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसका विस्तार और आधुनिकीकरण कब तक करने का विचार किया गया है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राजा रमन्ना) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) आयुध निर्माणी, अम्बाजारी उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए 5.92

करोड़ रुपए लागत की परियोजनाएं हाल ही में कार्यान्वित की गई हैं। 5.11 करोड़ रुपए की लागत की परियोजनाओं के 1991-92 तक पूरे किए जाने की योजना है।

आधुनिकीकरण के लिए 1990-91 में 5.6 करोड़ रुपए की राशि लगाए जाने की मंजूरी दी गई है।

इलेक्ट्रॉनिक परीक्षण प्रयोगशाला

4192. **श्री बनवारी लाल पुरोहित** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में अनेक इलेक्ट्रॉनिक एकक खराब किस्म का माल बना रहे हैं और उन्हें निर्यात करके देश को बदनाम कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) देश में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के निर्माण पर नियंत्रण रखने के लिए सरकार का क्या उपाय करने का विचार है;

(घ) क्या इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और उपस्करों के लिये एक सामान्य परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं जिससे कि निर्यातोन्मुख एककों द्वारा गुणवत्ता का कड़ाई के साथ पालन किया जा सके ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० एम० जी० के० मेनन) : (क) और (ख) इलेक्ट्रॉनिकी विभाग में इस संबंध में कोई विशिष्ट शिकायत नहीं प्राप्त हुई है।

(ग) इस समय इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों की गुणवत्ता का परीक्षण स्वैच्छिक है, किंतु, दूरसंचार विभाग, अंतरिक्ष विभाग तथा रक्षा मंत्रालय जैसे प्रयोगकर्ता इसके अपवाद हैं जो खासकर अपने विभागीय प्रयोगशालाओं से गुणवत्ता संबंधी प्रमाण-पत्र प्राप्त करने पर ही जोर देते हैं। इलेक्ट्रॉनिकी क्षेत्रीय परीक्षण प्रयोगशालाओं/इलेक्ट्रॉनिकी परीक्षण तथा विकास केन्द्रों में उपलब्ध परीक्षण सुविधाओं का उपयोग विभिन्न किस्म के गुणवत्ता संबंधी प्रमाण-पत्रों के लिए किया जा सकता है। हाल ही में टी० वी० सेट तथा वयक्तिक कम्प्यूटर जैसे उपभोक्ता उत्पादों के लिए गुणवत्ता प्रमाणन योजना भारतीय मानक ब्यूरो तथा इलेक्ट्रॉनिकी विभाग के मानकीकरण परीक्षण तथा गुणवत्ता नियंत्रण निदेशालय द्वारा शुरू की गई है।

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के अंतर्गत, उपभोक्ता की शिकायतों पर कार्रवाई करने के लिए जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर एक त्रि-स्तरीय अर्ध-न्यायिक तंत्र का गठन किया गया है। इलेक्ट्रॉनिकी विभाग में एक उपभोक्ता अंतः सम्पर्क कक्ष भी काम कर रहा है जो उपभोक्ता की शिकायतों पर सीधे उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के विनिर्माताओं के साथ सम्पर्क करके कार्रवाई करता है।

(घ) मानकीकरण परीक्षण तथा गुणवत्ता नियंत्रण के लिए प्रभावी मूल संरचनात्मक सुविधाओं की जरूरतों को महसूस करते हुए इलेक्ट्रॉनिकी विभाग के मानकीकरण निदेशालय ने देश भर में 4 इलेक्ट्रॉनिकी क्षेत्रीय परीक्षण प्रयोगशालाओं, एक विश्वसनीयता केन्द्र और 15 इलेक्ट्रॉनिकी परीक्षण तथा विकास केन्द्रों की स्थापना पहले ही कर ली है। इन प्रयोगशालाओं/केन्द्रों को स्वदेशी तथा

निर्यात दोनों ही बाजारों की आवश्यकताओं के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के परीक्षण के लिए आधुनिक/सूक्ष्म एवं जटिल किस्म की परीक्षण तथा अंशांकन सुविधाओं से सुसज्जित किया गया है।

इलेक्ट्रॉनिकी विभाग के अंतर्गत स्थापित तीन भारतीय प्रयोगशालाओं अर्थात् दिल्ली, कलकत्ता तथा बम्बई विद्युत इलेक्ट्रॉनिकी क्षेत्रीय परीक्षण प्रयोगशालाओं को अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी तकनीकी आयोग गुणवत्ता निर्धारण प्रणाली, जेनेवा द्वारा स्वतंत्र परीक्षण प्रयोगशालाओं के रूप में प्राधिकृत किया गया है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ, जापान, दक्षिण कोरिया, जर्मन संघीय गण-राज्य, ग्रेट ब्रिटेन तथा अन्य यूरोपीय देशों सहित 24 सदस्य देशों को निर्यात करने के उद्देश्य से इलेक्ट्रॉनिक संघटक-पुर्जों का परीक्षण करके प्रमाणित कर सकते हैं।

महाराष्ट्र में वनस्पति-विहीन वन भूमि

[हिन्दी]

4193. श्री हरि शंकर महाले : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र में वन के लिए आरक्षित एक बड़े भू-भाग में कोई वनस्पति नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार इस संबंध में राज्य सरकार की सहमति से कोई कार्यवाही करने का विचार है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री नीलमणि राउतराय) : (क) महाराष्ट्र के रिकार्ड में दर्ज वन क्षेत्र 64055 वर्ग किलोमीटर है। भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा सेटलाइट इमेजरी के जरिए किए गए मूल्यांकन के अनुसार 1985-87 के दौरान राज्य में वनाच्छादन 44058 वर्ग किलोमीटर है। महा-राष्ट्र में 19997 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 10% से भी कम वृक्ष हैं।

(ख) और (ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना में महाराष्ट्र सहित देश के अवक्रमित वनों का व्यापक स्तर पर पुनरुद्धार किए जाने का प्रस्ताव है।

केरल में परमाणु ऊर्जा संयंत्र

[अनुवाद]

4194. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में प्रस्तावित परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापना के लिए स्थल का चयन करने हेतु केरल के दौरे पर गए परमाणु ऊर्जा आयोग के विशेषज्ञ-दल ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ख) क्या इस दल ने इस संयंत्र की स्थापना उत्तर मालाबार के निकट करने का सुझाव दिया है/सिफारिश की है; यदि हां, तो इस स्थान का चयन किन कारणों से किया गया है;

(ग) क्या केरल में परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापना के विरोध में कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० एम० जी० के० मेनन) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न उठता ही नहीं।

(ग) और (घ) केरल सरकार में परमाणु बिजलीघर स्थापित करने के लिए संघ सरकार को समय-समय पर लिखती रही है। केरल में परमाणु बिजलीघर स्थापित करने के विरोध में कुछ व्यक्तियों और वर्गों की रिपोर्टें समाचार पत्रों में छपी हैं। कासरगाड जिले में केरल राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा प्रस्तावित स्थलों में से एक स्थल पर परमाणु बिजलीघर स्थापित करने के विरोध में और विकिरण के रिसाव की संभावना के बारे में आशंका जाहिर करते हुए कासरगाड जिले की "किलिंगर श्री सत्यनारायण सेवा समिति" द्वारा दिया गया एक ज्ञापन प्राप्त हुआ था।

संसद सदस्यों के पत्रों के उत्तर

4195. श्री मदन लाल खुराना :
श्री राम सागर (सैदपुर) :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष के दौरान कार्मिक मंत्रालय में संसद सदस्यों से कितने पत्र प्राप्त हुए;

(ख) इनमें से अब तक कितने पत्रों का उत्तर दिया जा चुका है; और

(ग) शेष पत्रों का शीघ्र उत्तर देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

प्रधान मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) 355.

(ख) 244.

(ग) संसद सदस्यों को अन्तिम उत्तर यथाशीघ्र भेजने के लिए हर सम्भव प्रयास किए जाते हैं।

केन्द्रीय भण्डार को संसद सदस्यों से प्राप्त पत्र

4196. श्री मदन लाल खुराना : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय भण्डार को संसद सदस्यों से कितने पत्र प्राप्त हुए हैं;

(ख) इनमें से कितने पत्रों के उत्तर दिए गए और उन्हें अंतिम रूप से निपटाया गया तथा कितने पत्र अभी तक लंबित हैं;

(ग) इनमें से कितने-कितने पत्र एक वर्ष, छह महीने और तीन महीनों की अवधि से भी अधिक समय से लंबित हैं और इनका उत्तर भेजने में विलंब के क्या कारण हैं; और

(घ) लंबित पत्रों के शीघ्र उत्तर भेजने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

प्रधान मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) केन्द्रीय भण्डार में पिछले 3 वर्षों के दौरान संसद सदस्यों से 31 पत्र प्राप्त हुए।

(ख) सभी पत्रों का उत्तर दे दिया गया है।

(ग) और (घ) उपरोक्त (ख) को ध्यान में रखते हुए यह प्रश्न ही नहीं उठता।

ग्रीन हाउस इफैक्ट

4197. **श्रीमती सुभाषिनी अली :** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 1 जुलाई, 1990 के 'संडे मेल" में ग्रीन हाउस इफैक्ट वि थर्ड वर्ल्ड्स शेयर" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या यह सच है कि ग्रीन हाउस गैस छोड़ने वाले पांच बड़े कारणों में से तीन कारण गैर औद्योगिक देशों में हैं; और

(ग) यदि हां, तो क्या वन कटान, दुधारू पशुओं का चारा और धान की पैदावार से भी ग्रीन हाउस के प्रभाव में वृद्धि हुई है और यदि हां तो इस स्थिति से निपटने के लिए बनाई गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री नीलमणि राउतराय) : (क) जी, हां।

(ख) विभिन्न देशों द्वारा कितनी ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जित की जाती है, इसकी गणना के बारे में पहली जुलाई, 1990 के संडे मेल में उल्लिखित वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीच्यूट की रिपोर्ट में ठोस वैज्ञानिक आधार नहीं दिए गए हैं। सबसे अधिक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जित करने वाले पांच देशों में रिपोर्ट में उल्लिखित तीन विकासशील देशों में से दो देशों अर्थात् भारत और चीन का जिक्र उसी रिपोर्ट में बताए गए उन 50 देशों की सूची में नहीं है जिनका प्रति व्यक्ति ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन सबसे ज्यादा है जबकि तीसरा विकासशील देश ब्राजील का इस दृष्टि से विश्व में सातवें देश के रूप में उल्लेख किया गया है।

(ग) यह सच है कि वन नाशन, पशुओं की पाचन क्रिया और चावल उगाने से भी ग्रीन हाउस गैस वृद्धि होती है। इनमें से प्रत्येक कारक द्वारा ग्रीन हाउस गैस के योगदान की गणना के आधार अलग-अलग देशों में अलग-अलग हैं जो वहां की मृदा परिस्थितियों और आहार की किस्म आदि पर निर्भर करते हैं। सरकार ने देश के पारिस्थितिक हित में वननाशन को रोकने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए हैं। चावल के खेतों और पशुओं से होने वाले ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जनों को कम करने के लिए कोई अल्पकालिक व्यवहार्य समाधान उपलब्ध नहीं हैं।

प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों को नोटिस

4198. **श्री पी० एस० सईद :** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले छह महीनों के दौरान पर्यावरण को प्रदूषित करने के लिए कितने और किन-किन संगठनों/एककों को नोटिस जारी किए गए हैं;

(ख) क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग को भी चेतावनी दी गई है कि वे अपने संसाधन केन्द्रों से निकलने वाले द्रव्य बहि:स्राव को नियंत्रण में रखने को सुनिश्चित करें; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री नीलमणि राउतराय) : (क) पिछले छः महीनों में केन्द्रीय सरकार ने पर्यावरण को प्रदूषित करने के लिए विभिन्न एककों/संगठनों को पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 की धारा 5 के तहत 18 नोटिस जारी किये हैं। ये एकक/संगठन निम्नलिखित हैं—

1. सुपर टैनरी (2) जाजमाऊ, कानपुर (उ० प्र०)
2. सुल्तान टैनिंग इंडस्ट्री, जाजमाऊ, कानपुर (उ० प्र०)
3. एलाइड टैनरी, जाजमाऊ, कानपुर (उ० प्र०)
4. न्यू लाइट टैनरी, जाजमाऊ, कानपुर (उ० प्र०)
5. अपर इंडिया टैनरी, जाजमाऊ, कानपुर (उ० प्र०)
6. एशिया टैनरी, जाजमाऊ, कानपुर (उ० प्र०)
7. इंडियन नेशनल टैनरी, जाजमाऊ (उ० प्र०)
8. युनाइटेड टैनरी, जाजमाऊ, कानपुर (उ० प्र०)
9. माडल टैनरी, जाजमाऊ, कानपुर (उ० प्र०)
10. यूनिवर्सल लैदर फिनिशर्ज, जाजमाऊ, कानपुर (उ० प्र०)
11. नार्दर्न टैनरी, जाजमाऊ, कानपुर (उ० प्र०)
12. मिर्जा टैनरी, मगरवाड़ा, जिला उन्नाव (उ० प्र०)
13. जमजम टैनरी, उन्नाव (उ० प्र०)
14. कौनपुर, शुगर वर्क्स, पडरौना, जिला देवरिया (उ० प्र०)
15. रेणु शुगर पावर कंपनी लि०, रेणु सागर (उ० प्र०)
16. कोआपरेटिव कंपनी लि०, नवाबगंज सहारनपुर (उ० प्र०)
17. पानीपत कोआपरेटिव शुगर एंड डिस्टीलरी वर्क्स, पानीपत, हरियाणा।
18. लीला वेंचर होटल बीच रेजोर्ट, गोवा।

(ख) और (ग) मई, 1990 में असम राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने तेल और प्राकृतिक गैस आयोग को जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के उपबंधों के तहत निदेश जारी किये जिसके अनुसार लकवा में दो ग्रुप गैदरिंग स्टेशनों से अशोधित बहिःस्राव के विसर्जन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है और प्रभावित क्षेत्रों की 7 दिनों के भीतर सफाई करने को कहा गया है।

उच्च अध्ययन क्षेत्र में निजी उद्यमों की भूमिका

4199. **श्री संजय लाल :**

श्री आर० एन० राकेश :

श्री माधवराव सिंधिया :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उच्च अध्ययन क्षेत्र में निजी उद्यम को अधिक भूमिका सौंपने का है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित योजना की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इस संबंध में क्या निर्णय लिया गया है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

एन० सी० ई० आर० टी० टोल्ड नॉट टु एनकरेज आउटसाइडर

[हिंदी]

4200. **श्री संजय लाल :**

श्री आर० एन० राकेश :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 21 जून, 1990 के "दि टाइम्स ऑफ इंडिया" में "एन० सी० ई० आर० टी० टोल्ड नॉट टु एनकरेज आऊटसाइडर" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की विशेषज्ञ समिति द्वारा भेजी गयी रिपोर्ट में क्या-क्या सिफारिशें की गयी हैं;

(ग) क्या सरकार ने इन सिफारिशों को लागू करने का निर्णय ले लिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में कब तक निर्णय लिये जाने की संभावना है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) जी, हां।

(ख) प्रशासनिक सुधार और सार्वजनिक शिकायत विभाग ने राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद की पाठ्य पुस्तकें समय पर उपलब्ध न होने की समस्या पर एक अध्ययन कार्यक्रम आयोजित किया था। रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ यह सुझाव दिया गया कि विज्ञान गणित सहित विभिन्न विषयों में पांडुलिपियां तैयार करने की जिम्मेवारी रा० शै० अ० प्र० प० के संकाय-सदस्यों को सौंपी जानी चाहिए।

(ग) और (घ) इन सिफारिशों को इस दृष्टि से नोट कर लिया गया है ताकि रा० शै० अ० प्र० प० पाठ्यपुस्तकें तैयार करने और वितरित करने की उपयुक्त पद्धतियां तैयार की जा सकें।

बच्चों के लिए समेकित शिक्षा परियोजना

[अनुवाद]

4201. **श्री माधवराव सिंधिया : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या दिल्ली, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान सहित अनेक राज्यों और संघ राज्य

अपंग बच्चों के लिए शिक्षा की नई विधि अपंगों के लिए समेकित शिक्षा परियोजना आरंभ की

(ख) यदि हां, तो अपंगों की शिक्षा के लिए उपयोग में लायी गयी परियोजना और विधियों मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) क्या इस योजना का उद्देश्य मानसिक रूप से अपंग और पिछड़े बच्चों, जो जन्म के समय श्वासावरोध अथवा अन्य कारणों से मानसिक रूप से पीड़ित हो गये हों, को शिक्षा देना है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) इस परियोजना में मानसिक विकलांगता सहित सभी प्रकार की विकलांगता वाले बच्चे शामिल करने की परिकल्पना की गई है । इस परियोजना की प्रमुख विशेषताएं निम्न-लिखित हैं—

(1) विकलांग बच्चों के लिए शिक्षा की सुविधाओं का प्रबंध और आयोजना के लिए निश्चित क्षेत्र का प्रस्ताव ।

(2) बहुश्रेणी प्रशिक्षित संसाधन शिक्षकों से सहायता प्राप्त एवं प्रशिक्षण के माध्यम से सामान्य शिक्षा के उपयोग की अवर स्थापना ।

(3) स्वास्थ्य, कल्याण एवं महिला और बाल विकास जैसे अन्य सेक्टरों से उपलब्ध संरचना के प्रयोग से पुनर्वास पहलू को सहायता प्रदान करना ।

(4) कार्यात्मक मूल्यांकन पर आधारित उपकरण और विशेष शिक्षण अध्ययन का प्रावधान।

(5) अभिभावकों और समुदाय सहायता का संघटन ।

(6) परियोजना क्षेत्र में बच्चों की प्रगति का सतत अनुश्रवण ।

पी० आई० ई० डी० के अंतर्गत विकलांग बच्चों की शिक्षा के लिए प्रमाणन-अभ्यास-पुनर्निवेशन प्रचलित अभ्यास पद्धति का प्रयोग किया जाता है । इसमें उनके बौद्धिक संवेदना और कार्यात्मक शारीरिक स्तर का ध्यान रखा जाता है । विकलांगता के विशिष्ट क्षेत्रों में बच्चों के कार्यात्मक स्तर के साथ अनुदेशात्मक सामग्रियों और पद्धतियों को समायोजित किया जाता है । नेत्रहीन बच्चों के लिए स्पर्श एवं श्रवण संबंधी प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है जबकि बधिर बच्चों के लिए भाषा और वाक् का प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है । मानसिक रूप से विकलांग बच्चों को पढ़ाए जाने के कार्य में बहुत अधिक अभ्यास कराया जाता है । मूल्यांकन प्रक्रिया को भी बच्चों की विशेष आवश्यकताओं के साथ समायोजित किया जाता है ।

हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अनुदान

[हिन्दी]

4202. **प्रो० प्रेम कुमार धूमल** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में खेलों को प्रोत्साहन देने हेतु अनुदान देने के बारे में कोई प्रस्ताव मिला है;

(ख) यदि हां, तो कितनी धनराशि मांगी गई है, कितनी स्वीकृत की गई है तथा कितनी दी गई है; और

(ग) शेष राशि को कब तक दिया जायेगा ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) से (ग) जी, हां। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी की गई सूचना के अनुसार, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से राष्ट्रीय खेल संगठन कार्यक्रम के अंतर्गत सहायता के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग निधियों की उपलब्धता के आधार पर विश्वविद्यालय को चरणबद्ध ढंग से सहायता प्रदान करने के लिए सहमत हुआ है। इसने 20.79 लाख रु० की लागत पर एक आउटडोर स्टेडियम के निर्माण को अनुमोदित किया, जिसमें आयोग का भाग 7.50 लाख रु० तक सीमित होगा। आयोग ने 6 लाख रु० की राशि क्रमशः अगस्त, 1989 तथा मई, 1990 में दो किस्तों के पहले ही संस्वीकृत कर दी है। शेष धनराशि कार्य की प्रगति तथा विश्वविद्यालय से अपेक्षित कागजात प्राप्त होने पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा संस्वीकृत की जायेगी।

हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम प्रारम्भ करना

[अनुवाद]

4203. **प्रो० प्रेम कुमार धूमाल :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से इस विश्वविद्यालय में व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ था :

(ख) यदि हां, तो क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इस प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) और (ख) जी, हां। वि० अ० आ० द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, आयोग द्वारा प्राप्त हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के आठवीं योजना प्रस्तावों में व्यावसायिक अध्ययन के लिए सुविधाओं में वृद्धि करना शामिल है। आयोग ने सिद्धान्त रूप में इस पर सहमति व्यक्त की है कि व्यावसायिक अध्ययन के लिए एक केन्द्र स्थापित करने के वास्ते विश्वविद्यालय की सहायता की जाए।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय खेल प्रतिभा योजना के अंतर्गत विद्यालयों को सम्मिलित करना

[हिन्दी]

4204. **श्री महेश्वर सिंह :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को हिमाचल प्रदेश में कुल्लू और मनाली के कुछ विद्यालयों से इन्हें राष्ट्रीय खेल प्रतिभा प्रतियोगिता योजना के अंतर्गत सम्मिलित करने संबंधी कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रस्ताव पर क्या कार्यवाही की गई है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) और (ख) युवा कार्यक्रम और खेल उप मंत्री को एक पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, कुल्लू और राजकीय विजय हाई स्कूल, मनाली को अपनाने के लिए अनुरोध किया गया है।

(ग) यदि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा सिफारिश की जाती है तो एन० एस० टी० सी० योजना के अंतर्गत भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा इन दो स्कूलों को अपनाने के लिए विचार किया जा सकता है बशर्ते कि अपेक्षित मापदण्डों को पूरा करते हों और विस्तार के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध हों।

हिमाचल प्रदेश में राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण समाप्त करना

4205. प्रो० प्रेम कुमार धूमाल : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को हिमाचल प्रदेश सरकार से राज्य "प्रशासनिक न्यायाधिकरण" को समाप्त करने के बारे में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार ने, इस बीच अपनी स्वीकृति दे दी है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रधान मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) जी, नहीं। राज्य सरकार से इस मामले में कुछ अतिरिक्त सूचना भेजने के लिए अनुरोध किया गया है।

राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान द्वारा अध्ययन

[अनुवाद]

4206. श्री शंकर सिंह वघेला :

श्री ए० के० पटेल :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान द्वारा तैयार अध्ययन रिपोर्ट की जानकारी है, जिसमें बताया गया है कि विश्व तापन के कारण समुद्र जल स्तर बढ़ने से लक्षद्वीप जलमग्न हो जायेगा;

(ख) यदि हां, तो इस अध्ययन रिपोर्ट का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में क्या उपाय करने का प्रस्ताव है; और

(घ) ऐसी स्थिति में कितना क्षेत्र प्रभावित होगा ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० एम० जी० के० मेनन) : (क) जी, हां।

(ख) राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान के वैज्ञानिकों द्वारा फरवरी, 1990 की "करंट साइंस"

पत्रिका में "वलनरेविलिटि आफ इंडियन कोस्टल रीजन टू डेमेज फ्रोम सी लेविल राईज" पर प्रकाशित किया गया अनुसंधान लेख समुद्र स्तर के बढ़ने से आप्लावन के लिए लक्षद्वीप समूह को बहुत ही सुभेद्य क्षेत्र के रूप में निर्धारित करता है। इस लेख में यह भी बताया गया है कि वर्ष 2050 के लिए भूमंडलीय समुद्र स्तर संबंधी अनुमानों के बारे में अनिश्चितता है, 23.8 से०मी० से 106.7 से०मी० की इनमें भिन्नता है और वर्ष 2100 के लिए 56.2 से० मी० से 345.9 से० मी० की भिन्नता है।

(ग) आधार माने जा सकने वाले दीर्घकालिक, स्थायी और विश्वसनीय आंकड़ों की कमी है और ऐसी भविष्यवाणी करने के लिए उपयुक्त संतोषजनक मॉडल अभी उपलब्ध नहीं हैं। भारतीय क्षेत्र में समुद्र-स्तर के बढ़ने में ऐसे क्षेत्र के परिणामों तथा संभावनाओं पर अपनी जानकारी में वृद्धि के लिए तात्कालिक अनुक्रिया मुख्य रूप से अनुसंधान के रूप होनी चाहिए। इसमें समुद्र स्तर के मापन के लिए लगाये गए प्रमापी यंत्र का आधुनिकीकरण, इससे संबंधित अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों में भाग लेना भी सम्मिलित होगा। निम्न स्तरीय समुद्र तटीय क्षेत्र (कोस्टल जोन) जैसे कि लक्षद्वीप के विकास की योजना में यह सुनिश्चित किया जाना है कि ऐसे समुद्र स्तर के बढ़ने से प्रभावित हो सकने वाले क्षेत्रों में अधिक व्यय और जनसंख्या में वृद्धि न हो या कम इसमें कमी की जाये।

(घ) प्रभावित होने वाले क्षेत्र का परिमाणात्मक अनुमान विभिन्न परिस्थितियों (सीनेरियो) पर निर्भर करेगा जो वर्तमान में विश्वसनीय नहीं है।

दिल्ली में प्रदूषण के विरुद्ध शिकायतें

4207. श्री रामसागर (सैदपुर) : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में पिछले छह महीनों के दौरान वायु, जल तथा ध्वनि प्रदूषण के बारे में प्राप्त शिकायतों का अलग-अलग ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के आंकड़ों की तुलना में इसकी स्थिति क्या है; और

(ग) इस बारे में की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री नीलमणि राउतराय) : (क) पिछले छ: महीनों में कुल 144 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, इनमें से 79 शिकायतें वायु प्रदूषण, 36 जल प्रदूषण तथा 29 शोर प्रदूषण के विरुद्ध हैं।

(ख) कुल 144 शिकायतों की तुलना में 1987, 1988 और 1989 में क्रमशः 22, 77 और 129 शिकायतें प्राप्त हुईं।

(ग) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड दिल्ली में राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के रूप में कार्य कर रहा है और इसने इन शिकायतों को दूर करने के लिए उपयुक्त कार्रवाई की है। इस कार्रवाई में प्रदूषक एककों को इस निदेश के साथ स्वीकृति देना कि वे निर्धारित समय में प्रदूषण नियंत्रण के उपकरण लगा लें तथा दोषी इकाइयों के विरुद्ध जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 और वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के उपबंधों के तहत कानूनी कार्रवाई करना शामिल है।

हेसारघट्टा, कर्नाटक में "नृत्यग्राम"

4208. श्री एच० सी० श्रीकांतय्या : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हेसारघट्टा, कर्नाटक में "नृत्यग्राम" निर्माण के लिए कोई धनराशि दी है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा कितनी सहायता राशि दी है;

(ग) क्या उपर्युक्त "नृत्यग्राम" का प्रबंध किसी एक व्यक्ति द्वारा अथवा किसी न्यास द्वारा किया जाता है; और

(घ) क्या सरकार द्वारा स्वीकृति की गई धनराशि के हिसाब-किताब के उचित लेखे रखे गए हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) से (ग) पंजीकृत न्यास ओडिसी नृत्य केन्द्र, बम्बई को हेसारघट्टा, कर्नाटक में अपनी "नृत्यग्राम" नामक परियोजना के निर्माण के लिए 2.00 लाख रुपए का अनुदान संस्वीकृत किया गया था। अनुदान की 50,000 रुपए की पहली किस्त का भुगतान केन्द्र को पहले ही कर दिया गया था।

(घ) संस्था ने अनुदान और अनुदान के बराबर की अपने भाग की राशि का उपयोग दर्शाते हुए सनदी लेखापाल द्वारा विधिवत लेखा-परीक्षित लेखा-विवरण और उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत कर दिया है।

कर्नाटक में इन्दिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय का अध्ययन केन्द्र

4209. श्री एच० सी० श्रीकांतय्या : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक में इन्दिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय के अध्ययन केन्द्र कहां-कहां कार्य कर रहे हैं;

(ख) क्या वर्ष 1990-91 के दौरान में उक्त विश्वविद्यालय का अध्ययन केन्द्र खोलने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के अनुसार विश्वविद्यालय के अध्ययन केन्द्र कर्नाटक के बंगलौर, मंगलौर, धारवाड़ और गुलबर्ग में कार्य कर रहे हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय प्रबंधन संस्थान, बंगलौर की बैलगाड़ी योजना

4210. श्री एच० सी० श्रीकांतय्या : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय प्रबंधन संस्थान, बंगलौर ने बैलगाड़ी सम्बन्धी कोई परियोजना शुरू की थी;

(ख) क्या उस परियोजना का कार्य पूरा हो गया है;

(ग) यदि हां, तो उक्त परियोजना पर कुल कितनी धनराशि खर्च हुई है;

(घ) क्या भारतीय प्रबंधन संस्थान द्वारा डिजाइन की गयी बैलगाड़ियों को प्रयोग में लाया जा रहा है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) 1979 में।

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ) संस्थान से प्राप्त सूचना के अनुसार किया गया शुद्ध खर्च लगभग 8 लाख रुपए है। संस्थान ने भूतल परिवहन मंत्रालय, जिसने इस परियोजना के लिए वित्त पोषण किया, को संभावित बैलगाड़ी निर्माण करने के लिए उपयुक्त डिजाइन उपलब्ध कराए और ये डिजाइन बैलगाड़ी के प्रचार के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय को भेजे गए।

केन्द्रीय परियोजना के लिए कैबिनेट समिति

4211. श्री नरसिंह राव सूर्यवंशी :
श्री प्रकाश कोको ब्रह्मभट्ट :
श्रीमती बासव राजेश्वरी :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अनावश्यक व्यय रोकने की जारी प्रक्रिया के एक अंग के रूप में 100 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली परियोजना को कार्यान्वित करने में विलंब होने की पुनरीक्षा के लिए प्रधान मंत्री के अधीन कैबिनेट समिति का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो इस समिति के विचाराधीन विषय क्या-क्या हैं; और

(ग) यह समिति अपनी रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत करेगी ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागेय गोवर्धन) : (क) प्रधान मंत्री महोदय, जो कि कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के प्रभारी मंत्री भी हैं, ने हाल ही में, संबंधित मंत्रियों के साथ अधिक लागत और समय वृद्धि वाली परियोजनाओं की समीक्षा प्रारंभ कर दी है, जो कि इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन में आने वाली समस्याओं के समाधान और समीक्षा के लिए जारी प्रक्रिया के एक अंग के रूप में है। केन्द्रीय परियोजनाओं के लिए ऐसी किसी मंत्रिमंडल समिति का गठन नहीं किया गया है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

बिहार में परमाणु विद्युत संयंत्र

4212. श्री एल० पी० सिंह : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बिहार में बिजली उत्पादन में भारी कमी होने की जानकारी है;

(ख) क्या बिहार यूरेनियम खनिजों में समृद्ध है जो वहां पर भारी मात्रा में उपलब्ध है; और

(ग) यदि हां, तो बिहार में परमाणु विद्युत संयंत्र स्थापित न किये जाने के क्या कारण हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० एम० जी० के० मेनन) : (क) बिहार में बिजली का उत्पादन आवश्यकता से कम है। वर्ष 1989-90 और 1990-91 (जुलाई, 1990 तक) के दौरान बिहार में बिजली की सप्लाई की स्थिति नीचे दिए अनुसार थी :

(निवल मिलियम यूनिट में आंकड़े)

	मांग	उपलब्धता	कमी	प्रतिशत
1989-90	6270	5440	830	13.2%
1990-81 (जुलाई, 90 तक)	2110	1598	512	24.3%

बिहार पूर्वी ग्रिड में आता है। तथापि, जब कभी भी संभव हुआ है, उस समय बिहार को उत्तरी ग्रिड से बिजली सप्लाई करके सहायता दी गई है। वर्ष 1989-90 और 1990-91 (जुलाई, 1990 तक) में बिहार ने उत्तरी ग्रिड से क्रमशः 234 तिलियन यूनिट और 179 मिलियन यूनिट बिजली प्राप्त की। बिहार की बिजली संबंधी यह जो सहायता मिली थी वह उस सहायता के अलावा थी जो केन्द्रीय क्षेत्र के बिजलीघरों से पूर्वी क्षेत्र को दी जाती है।

(ख) बिहार में निम्न ग्रेड वाले यूरेनियम के भंडार प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं।

(ग) किसी क्षेत्र में परमाणु बिजलीघरों को स्थापित करने के वास्ते वहां यूरेनियम के भंडारों का उपलब्ध होना कोई निर्धारित मानदंड नहीं है क्योंकि परमाणु बिजलीघर को चलाने के लिए यूरेनियम की जितनी मात्रा बिजलीघर तक लाई जाती है वह ताप बिजलीघरों को चलाने के लिए लाई जाने वाली कोयले की आवश्यक मात्रा से अपेक्षाकृत कम होती है। पूर्वी विद्युत क्षेत्र, जिसमें बिहार भी एक संघटक राज्य है, में कोयले का प्रचुर भंडार उपलब्ध है। अतः बिहार में ऐसे ताप बिजलीघरों को स्थापित करने में प्राथमिकता दी जाती है जिनमें ईंधन के रूप में कोयले को काम में लाया जाता है क्योंकि वहां पर कोयले को लम्बी दूरी से लाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है और इसीलिए बिहार में परमाणु विद्युत संयंत्र स्थापित करने को अपेक्षाकृत कम प्राथमिकता दी जाती है।

मंजूरी के लिए बिहार की लंबित पड़ी परियोजना

4213. **श्री एस० बी० सिंह** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार की कुछ परियोजनाएं योजना आयोग की मंजूरी के लिए लंबित पड़ी हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन परियोजनाओं की कब मंजूरी दे दी जाएगी ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागेय गोवर्धन) : (क) वर्तमान में योजना आयोग में निवेश अनुमोदन के लिए बिहार की कोई परियोजना लंबित नहीं है।

(ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं उठते।

हिन्दी, पंजाबी और उर्दू अकादमियों के बारे में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट

[हिन्दी]

4214. **श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दी, पंजाबी और उर्दू अकादमियों के बारे में, 17 मई, 1990 को सभापटल पर रखी गई, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की, "संघ राज्य (दिल्ली प्रशासन)" संबंधी रिपोर्ट, 1990 की संख्या 3 के पैरा 7 में की गई टिप्पणी के बारे में कोई कार्यवाही की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

पाक-जलडमरू मध्य की चौकसी

[अनुवाद]

4215. **श्री माधवराव सिंधिया :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय नौसेना ने पाक जलडमरू मध्य की चौकसी के लिए कोई स्पष्ट नीति बनाए जाने की आवश्यकता पर बल दिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राजा रमन्ना) : (क) और (ख) पाक जलडमरू मध्य पर पूरी निगरानी बनाए रखने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए 30 मई, 1990 को भारत सरकार ने आदेश जारी किए, जिनमें अन्य बातों के साथ, नौसेना और तट रक्षक संगठन को इस क्षेत्र में समन्वित रूप से अपनी निगरानी/गश्त बढ़ाने के लिए कहा गया है, ताकि भारत-श्रीलंका अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा पर होने वाली किसी भी प्रकार की गैर-कानूनी गतिविधि को रोका जा सके।

विश्वायतन योगाश्रम, कटरा

4216. **श्री मान्धाता सिंह :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू में कटरा स्थित विश्वायतन योगाश्रम और मानतलाई योग अनुसंधान केंद्र को शिक्षा विभाग द्वारा मान्यता प्रदान की गई थी;

(ख) क्या 13 अगस्त, 1989 को "हिन्दुस्तान" में प्रकाशित विज्ञापन से नौकरी पाने के इच्छुक हजारों नौजवानों को धोखा दिया गया था; और

(ग) यदि हां, तो इस विज्ञापन को प्रकाशित करने वालों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग) इस श्रेणी की संस्थाओं को मान्यता प्रदान नहीं

करता है यद्यपि विश्वायतन योग आश्रम, कटरा को वर्ष 1977 तक वित्तीय सहायता प्रदान की गयी थी।

(ख) और (ग) दिनांक 13 अगस्त, 1989 के हिन्दुस्तान टाइम्स के संस्करण में प्रकाशित एक ऐसे विज्ञापन की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है। उपलब्ध सूचना के अनुसार दिनांक 1-6-1990 को पुलिस स्टेशन, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली में विश्वायतन योगाश्रम के प्रबंधक न्यासी के विरुद्ध 13-8-1989 के विज्ञापन के संबंध में धारा 420 के तहत एक मामला दर्ज किया गया है।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में आवास भत्ते तथा नगर प्रतिपूर्ति भत्ते के ढांचे की जांच के लिए कार्यकारी दल

4217. श्रीमती के० जमुना : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के अधिकारियों और गैर-यूनियन वाले सुपरवाइजर श्रेणी के कर्मचारियों को मिलने वाले आवास भत्ते तथा नगर प्रतिपूर्ति भत्ते के वर्तमान ढांचे की जांच के लिए एक कार्यकारी दल की स्थापना का निर्णय किया था;

(ख) यदि हां, तो कार्यकारी दल के गठन और विचारणीय विषयों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कार्यकारी दल की रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत कर दी गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो कार्यकारी दल की रिपोर्ट कब प्रस्तुत की जाएगी ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागेय गोवर्धन) : (क) जी, हां।

(ख) से (ङ) महंगाई भत्ता सूत्र सहित वेतनमानों के संशोधन को अंतिम रूप दिये जाने के बाद उक्त दल गठित किया जायेगा।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में पूंजी निवेश

4218. श्री ए० के० ए० अब्दुल समद : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1990 की स्थिति के अनुसार सरकारी क्षेत्र में किए गए कुल पूंजी निवेश का उद्योगवार, राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है;

(ख) 31 मार्च, 1990 को उनके द्वारा लिए गये कुल ऋणों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इनमें सरकारी क्षेत्र के वित्तीय संस्थानों, गैर सरकारी बैंकों और जनता से लिए गए ऋणों का अलग-अलग ब्यौरा क्या है; और

(घ) वर्ष 1989-90 के दौरान कराधान से पहले कुल अनुमानित लाभ का ब्यौरा क्या है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागेय गोवर्धन) : (क) से (घ) 31-3-1990 तक केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में कुल पूंजी निवेश की अनुमानित राशि 1,02,600 करोड़ रुपये है। पूंजीनिवेश तथा ऋणों का ब्यौरा, इस वर्ष के अंत

तक सभी उद्यमों के वार्षिक लेखापरीक्षित लेखे प्राप्त होने तथा संकलित कर लिये जाने के बाद ही उपलब्ध होगा।

(घ) वर्ष 1989-90 के दौरान कर-पूर्व कुल अनुमानित लाभ 49.30 करोड़ रुपये है।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण

4219. **श्री जे० चोक्का राव** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में उच्च श्रेणी के पदों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए कितने पद आरक्षित किए गए हैं;

(ख) इन पदों को भरने के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं और विभिन्न श्रेणियों में अपेक्षित संख्या में ये व्यक्ति न मिलने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ऐसे विभिन्न पदों को श्रेणियों की समीक्षा और पता लगा रही है जिनके लिए अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हैं; और

(घ) आरक्षित पदों को भरने के लिए अपेक्षित संख्या में व्यक्तियों को प्रशिक्षण देने के लिए क्या कार्यक्रम बनाया गया है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागेय गोवर्धन) : (क) जैसा कि सरकार में, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में खुली प्रतियोगिता द्वारा अखिल भारतीय आधार पर सीधी भर्ती द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों के लिए, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए क्रमश: 15% तथा $7\frac{1}{2}$% तक आरक्षण की व्यवस्था की गई है। खुली प्रतियोगिता के अलावा अन्य प्रकार से भरे जाने वाले पदों के लिए मौजूदा प्रतिशतता $16\frac{2}{3}$% तथा $7\frac{1}{2}$% है।

(ख) से (घ) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों का उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर विभिन्न कदम उठाये गये हैं। इनमें आयु सीमा, परीक्षा शुल्क में छूट तथा रियायतें देना, साक्षात्कार देने के लिए यात्रा-खर्च की प्रतिपूर्ति करना, अनुसूचित जातियों/जनजातियों से संबंधित उम्मीदवारों के लिए अलग साक्षात्कार लेना, विभागीय पदोन्नति समिति आदि में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधित एक सदस्य को शामिल करना आदि शामिल है। सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में सीधी भर्ती में अनारक्षण पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

विशेष रूप से समूह "क" और "ख" पदों में कमी का कारण मुख्यत: तकनीकी पदों पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उपयुक्त उम्मीदवारों की अनुपलब्धता है। अधिकांश सरकारी उद्यम विनिर्माणकारी/उत्पादन क्षेत्र में होने के नाते, सरकारी उद्यमों की सेवाओं में समूह "क" और "ख" में तकनीकी पदों की बहुलता है।

वर्ष 1989 में शुरू किए गए विशेष भर्ती अभियान के अनुसरण में सरकारी क्षेत्र के उद्यमों ने अब एक विशेष भर्ती अभियान (1990) चलाया है। चालू अभियान के दौरान भर्ती के लिए

विभिन्न समूहों में कुल मिलाकर 10,461 वास्तविक रिक्तियां अभिज्ञात की गई हैं। अक्तूबर, 1990 के अंत तक रिक्तियों को भरने के लिए एक कार्य-योजना बनाई गई है।

जहां तक प्रशिक्षण का संबंध है, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को सलाह दी गई है कि वे अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के लिए भर्ती पूर्व प्रशिक्षण आयोजित करें, केवल अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के लिए ही विशेष भर्ती परीक्षायें लें, भारतीय औद्योगिक संस्थाओं, भारतीय प्रबंध संस्थानों, क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेजों आदि में अध्ययन कर रहे अनुसूचित जातियों/जनजातियों के उम्मीदवारों के लिए छात्रवृत्ति योजनायें चलायें।

बंगलौर में कैम्पेगौडा टावर के चारों ओर बाड़ लगाना

4220. **श्री एच० सी० श्रीकान्तय्या :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बंगलौर शहर में उल्सूर लेक और शताब्दि पुराने मुनीश्वर मंदिर की पहाड़ी पर बने कैम्पेगौडा टावर के चारों ओर सैन्य प्रशासन ने अनधिकृत रूप से बाड़ लगा दी है;

(ख) क्या बंगलौर नगर निगम ने भी उक्त बाड़ को हटाने का अनुरोध किया है; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में क्या सुधारात्मक कार्रवाई की गई है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राजा रमन्ना) : (क) केवल रक्षा भूमि पर ही सुरक्षा की दृष्टि से स्थानीय सैनिक अधिकारियों ने बाड़ लगा दी है।

(ख) और (ग) बंगलौर नगर निगम ने कैम्पेगौडा टावर पर पहुंचने में लोगों को हो रही कठिनाइयों से संबंधित अधिकारियों को अवगत करा दिया था। स्थानीय सैनिक अधिकारियों ने इस विषय में कर्नाटक सरकार के परिवहन मंत्री तथा अन्यों के साथ चर्चा की थी। यह स्मारक सार्वजनिक महत्व का है इसलिए बंगलौर नगर निगम को स्मारक के लिए पक्की सीढ़ियां और उसके आस-पास के क्षेत्र को सुन्दर बनाने की स्वीकृति दे दी गई थी। दिन में इस स्मारक में लोगों के आने-जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं है लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से रात में प्रतिबंध लागू है।

टिहरी बांध परियोजना

4221. **श्री अरविंद नेताम :** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1980 में प्रधान मंत्री द्वारा गठित कार्यदल ने टिहरी बांध परियोजना को अस्वीकृत करने की सिफारिश की थी और जिस पर बाद में पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा विचार करके अक्तूबर, 1986 में इसे अस्वीकृत करने के लिए प्रधान मंत्री से सिफारिश की गई थी;

(ख) क्या मंत्रालय की पर्यावरणीय मूल्यांकन समिति ने भी 1990 में प्रस्तुत कार्य योजना को अस्वीकृत कर दिया है; और

(ग) यदि हां, तो मंत्रालय द्वारा सर्वसम्मति से की गई सिफारिशों को स्वीकार न करने के क्या कारण हैं और किन-किन परिस्थितियों में इस परियोजना को पर्यावरणीय संबंधी सशर्त स्वीकृति प्रदान की गई है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री नीलमणि राउतराय) : (क) जी, हां।

कार्य दल, 1980 ने टिहरी परियोजना के स्थान पर नदी स्कीमों के तहत कई छोटे-छोटे बांध मार्गों के संबंध में सिफारिश की थी और पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने अक्तूबर, 1986 में इस परियोजना को छोड़ देने की सिफारिश की थी।

(ख) और (ग) पर्यावरणीय मूल्यांकन समीति ने भी फरवरी, 1990 में यह निर्णय लिया कि प्रस्तुत किए गए आंकड़ों और योजनाओं के आधार पर यह परियोजना पर्यावरणीय मंजूरी के योग्य नहीं है।

इस उम्मीद पर सशर्त मंजूरी दी गई है कि अपेक्षित कार्य योजनाएं तैयार की जाएंगी एवं उन्हें इंजीनियरिंग निर्माण कार्यों के साथ-साथ अमल में लाया जाएगा।

गुरुनानक देव विश्वविद्यालय के अमृतसर और जालन्धर कालेजों में एल० एल० बी० की सीटें

4222. **श्री कृपाल सिंह** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुरुनानक देव विश्वविद्यालय की अमृतसर और जालंधर स्थित दोनों कालेजों में एल० एल० बी० की 100-100 सीटें थीं;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इस वर्ष अमृतसर और जालन्धर स्थित दोनों ही कालेजों में सीटें घटाकर 60-60 कर दी गई हैं;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) एल० एल० बी० में दाखिला लेने के इच्छुक छात्रों के असंतोष को देखते हुए सरकार का अमृतसर और जालन्धर स्थित प्रत्येक कालेज में एल० एल० बी० की 100-100 सीटें उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) से (घ) स्थानीय शैक्षिक आवश्यकताओं और अन्य संबंधित पहलुओं को ध्यान में रखकर सम्बद्ध विश्वविद्यालय के परामर्श से कालेज प्राधिकारियों द्वारा कालेज में स्थानों की संख्या निर्धारित की जाती है। ऐसे प्रस्तावों को न तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को भेजने की आवश्यकता है और न ही केन्द्रीय सरकार को।

विकास कार्यों में संसद सदस्यों को शामिल करना

4223. **डा० ए० के० पटेल** :
श्री प्यारे लाल खंडेलवाल :

क्या प्रधान मंत्री विकास के लिए धनराशि के बारे में 18 मई, 1990 के तारांकित प्रश्न संख्या 887 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संबंधित संसद सदस्य के सुझावों के अनुसार विकास कार्यों के लिए प्रत्येक संसदीय चुनाव क्षेत्र में धनराशि के आबंटन से संबंधित मामले की पुन: जांच कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक ले लिया जायेगा?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागेय गोवर्धन) : (क) से (ग) संसद सदस्यों को उनके अपने निर्वाचन क्षेत्रों में विकासात्मक गतिविधियों में शामिल करने की विधि और ऐसे विकासात्मक कार्यों के लिए आवंटित संसाधनों का प्रश्न विचाराधीन है।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष रोजगार कार्यक्रम

[हिन्दी]

4224. श्री दलपत सिंह परस्ते : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विशेष रोजगार कार्यक्रम के अंतर्गत, गत एक वर्ष के दौरान अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कितने लोगों को रोजगार दिया गया है;

(ख) क्या कुछ विशेष सेवा क्षेत्रों के लिए योग्य उम्मीदवारों के उपलब्ध न होने के कारण अभी तक आरक्षित रिक्तियों को नहीं भरा गया है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

प्रधान मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) वर्ष 1989 के दौरान चलाए गए विशेष भर्ती अभियान के अंतर्गत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उन उम्मीदवारों की संख्या, जिन्हें नियुक्ति प्रदान की गई थी, नीचे निर्दिष्ट की गई है :

भारत सरकार के मंत्रालय/विभाग	31243
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	8125
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक	8084
बीमा निगम	3023

(ख) और (ग) चालू वर्ष के दौरान 31-3-90 की स्थिति के अनुसार खाली पड़ी आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए एक और अभियान चलाया गया है जिसमें पिछले साल चलाए गए अभियान में न भरी आरक्षित रिक्तियां सम्मिलित हैं।

विकीरण प्रौद्योगिकी के माध्यम से खाद्यान्नों का भण्डारण

[अनुवाद]

4225. श्री नाथू सिंह : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विकीरण प्रौद्योगिकी के माध्यम से खाद्यान्नों और अन्य खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने की योजनाएं तैयार की गई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) क्या यह प्रौद्योगिकी पूर्णतः सुरक्षित है; यदि नहीं, तो इसके माध्यम से भंडार किए गए खाद्य पदार्थों का उपयोग करने वाले व्यक्तियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा; और

(घ) पर्यावरण पर इसका क्या प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० एम० जी० के० मेनन) : (क) और

(ख) सरकार ने खाद्य पदार्थों के परिरक्षणों के लिए किरणन प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग सैद्धांतिक रूप से अनुमोदित कर दिया है। किरणन प्रौद्योगिकी के संबंध में दिशा-निर्देश देने के वास्ते और उसके सभी पहलुओं के बारे में जांच करने की दृष्टि से स्वास्थ्य मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय मानीटरिंग एजेंसी नामक एक शीर्ष निकाय का गठन किया गया है। वर्तमान में, राष्ट्रीय मानीटरिंग एजेंसी ने निर्यात किए जाने वाले मसालों, प्रशीतित समुद्री खाद्य पदार्थों और प्याज के परिरक्षण के लिए इस प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग की अनुमति दे दी है।

(ग) और (घ) इस प्रौद्योगिकी का परीक्षण जीव भोज्य पर करने पर कोई दुष्प्रभाव नहीं देखा गया है। पर्यावरण की दृष्टि से इस प्रौद्योगिकी का परीक्षण किया गया है और इसे सुरक्षित पाया गया है।

अमीरी की रेखा का निर्धारण

[हिन्दी]

4226. प्रो० शैलेन्द्र नाथ श्रीवास्तव : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार गरीबी रेखा की तरह अमीरी रेखा निर्धारित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागेय गोवर्धन) : (क) और (ख) "अमीरी रेखा" या "धनाढ्यता की रेखा" जैसी अभिव्यक्तियों का प्रयोग इस विचार को संप्रेषित करने के लिए किया गया है कि अनुत्पादक परिसम्पत्तियों पर लगने वाली बचत संसाधनों का अपव्यय है और अनुत्पादक परिसम्पत्ति का संचय अवांछनीय है।

12.00 मध्याह्न

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : बैठ जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको अनुमति नहीं दी है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जनार्दन जी, आप बैठ जाइए।

(व्यवधान)

श्री विनेश सिंह (प्रतापगढ़) : अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि देशवासियों में इस मुद्दे पर बहुत आक्रोश है जिसमें 900 करोड़ रुपये से अधिक राशि उत्पादन शुल्क और सीमा शुल्क के रूप में प्राप्त की गई है। पहले सरकार ने यह निश्चय किया था कि यह राशि उन्हें वापस कर दी जाएगी। फिर देश में इसका विरोध हुआ जिसके परिणामस्वरूप सरकार ने अब इसे स्थगित किया है। इस मामले को अब केवल स्थगित करना ही काफी नहीं है। यदि आज इसे स्थगित किया जाता है, तो कल उन्हें यह राशि वापस लौटा दी जा सकती है। परन्तु, असली प्रश्न यह है कि ऐसा कैसे हुआ।

इस मामले में जहां पैसे लिए गए थे क्यों ऐसी योजना बनाई गई कि यह पैसा लौटा दिया जाए और वह भी जनता के कुछ ऐसे वर्गों से ही, जो सरकार से निकट हैं ? इसीलिए हम समझते हैं कि इस मामले की निष्पक्ष पूछताछ की जाए। इतना कहना ही पर्याप्त नहीं है कि यह पैसा वास्तव में सुरक्षित है। अतः मैं सुझाव देता हूं कि सरकार सामने आकर इस मामले की जांच करने के लिए एक संयुक्त संसदीय समिति का गठन करे। (व्यवधान)

[हिन्दी]

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा (दिल्ली सदर) : अध्यक्ष महोदय, श्री दिनेश सिंह जी ने जो प्रश्न उठाया है मैं उसका समर्थन करता हूं कि आप कमेटी बनाएं या नहीं बनाएं। परन्तु सरकार को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। यह पांच सौ करोड़ रुपया उसमें से वापस किया गया था, कितना किया गया यह भी नहीं बताया गया। आप कहते हैं कि आगे रोका गया है। क्यों नहीं कहते कि वापिस करेंगे नहीं और पूरा का पूरा पैसा वेलफेयर फण्ड में लगाया जायेगा। वापस करने का सवाल पैदा नहीं होता। यह बताया जाना चाहिए कि किस-किस को राशि वापिस की गई और उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई।··· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आई० ए० एफ० पर्सनल के बारे में बताइए।

12.03 म० प०

श्रीनगर में आतंकवादियों द्वारा भारतीय वायु सेना के एक कर्मचारी की हत्या के समाचार, जम्मू और कश्मीर में स्थिति तथा कश्मीरी विस्थापितों को राहत के बारे में

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा (दिल्ली सदर) : अध्यक्ष जी, इंडियन एयर फोर्स के तीन जवानों की श्रीनगर में हत्या की गई और इससे पहले भी पांच जवानों की श्रीनगर में हत्या हो चुकी है। इसी वजह से श्रीनगर को सेना के हवाले करना पड़ा है। कई महीनों से स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है और बार-बार यह सवाल उठाए जाने के बाद भी पूरी तरह सुरक्षा के कदम नहीं उठाए जाते। पाकिस्तानी प्रशिक्षित आतंकवादी आ रहे हैं, उन्होंने अत्याधिक लोगों को मारा है और अभी भी लोगों को मार रहे हैं और उनको रोकने के लिए जो कदम उठाए जाने चाहिए थे, वे नहीं उठाए गए हैं। पाकिस्तान से बातचीत होती रहती है। पाकिस्तानी तत्व काश्मीर में आकर खुलेआम युद्ध कर रहे हैं और लड़ाई का तरीका अपना रहे हैं। यह युद्ध नहीं तो और क्या है। इसके लिए पाकिस्तान को वारनिंग दिया जाना चाहिए। सीधे तौर पर पाकिस्तान को बताया जाए कि इसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे जब वे इस बात को नहीं रोकते तो उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की जाएगी। हजारों लोग प्रशिक्षण लेकर आते हैं और काफी लोग प्रशिक्षण लेकर खड़े हैं और उनको भारत में घुसाने की तैयारी हो रही है। हमारे लोग और काफी जवान मारे जा रहे हैं। उसके बदले में क्या कार्यवाही की जा रही है इसके लिए सरकार को पूरे देश को कान्फीडेंस में लाना चाहिए।

[अनुवाद]

श्री कमल नाथ (छिन्दवाड़ा) : महोदय, मुद्दा केवल वायु सेना के तीन जवानों की हत्या तक ही सीमित नहीं है। सरकार की ओर से भी कश्मीर की घटनाओं के संबंध में हमें कुछ वक्तव्य मिले हैं। कल हमने गृह मंत्री को ही दूरदर्शन पर कश्मीर में भाषण देते हुए देखा जब वह कह रहे थे, "स्थिति सामान्य होती जा रही है, लोग अब आतंकवाद की भर्त्सना कर रहे हैं।" जब वह यह बात डोडा जिले में किश्तवाड़ में कह रहे थे, उसी समय वहीं पर एक स्कूल में बम फटा और राज्य में 20 लोगों की हत्या की गई। सरकार कश्मीर के संबंध में उचित नीति आरंभ करना भूल गई। अब वह कश्मीर की जनता को बेवकूफ बनाने की नीति आरंभ कर रही है। वे घोषणा करते हैं कि कर्फ्यू 13 घंटे के लिए उठा रहे हैं। किंतु अगले दिन सुबह हम पढ़ते हैं कि 20 लोगों की हत्या की गई है। प्रधान मंत्री कश्मीर नहीं जा पाए हैं। हर समय हम सुनते हैं, "वह अगले सप्ताह जा रहे हैं; दूसरे सप्ताह जा रहे हैं, आदि-आदि;" किंतु कुछ भी नहीं हो रहा है। वह राष्ट्र को धोखा दे रहे हैं। क्या सरकार केवल इस की घोषणा करने कि "कर्फ्यू हटाया जा रहा है" और "स्थिति सामान्य होती जा रही है" के बदले कश्मीर के सम्बन्ध में कोई नीति तैयार कर रही है, जबकि प्रतिदिन कम से कम 20 लोगों की हत्या की जा रही है। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री धर्मपाल शर्मा (उधमपुर) : जैसा कि यहां कहा गया है कि कश्मीर में स्थिति गम्भीर है, लेकिन कल हमारे गृह मंत्री ने कहा कि स्थिति सामान्य होने जा रही है। हमने देखा कि कल सुबह तीन आई० ए० एफ० के जवानों को श्रीनगर-बड़गाम रोड पर अगवा कर लिया और शाम को तीनों की लाशें ओल्ड एयरपोर्ट, रावलपुरा में मिलीं। कल ही खानेयार में सिक्योरिटी फोर्स और मिलीटरी की फार्यरिंग में तीन आदमी मारे गये, इक्कीस अन्य जगह मारे गये और अड़तीस जख्मी हुए, इससे पता चलता है कि स्थिति कितनी गम्भीर है। कल यह भी कहा गया कि कर्फ्यू रेगुलर सुबह साढ़े पांच बजे से शाम 6 बजे तक रहेगा और कल ही बैनी को मिलीटरी के हवाले करना पड़ा। 10 हजार अफगान मुजाहिदीन वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास खड़े हैं और चार-पांच हजार पाकिस्तान में प्रशिक्षण प्राप्त आतंकवादी सीमा क्रास करने के लिए तैयार हैं। पिछले सप्ताह जो फार्यरिंग हुई तो कुपवाड़ा सेक्टर में कवरिंग फायर से पांच सौ के करीब ट्रेंड मिलीटेंट्स वहां दाखिल हो गये। इस पर हमारे गृह मंत्री यह कहते हैं कि स्थिति सामान्य है। मैं समझता हूं कि कश्मीर के मामले में राष्ट्रीय मोर्चा सरकार की कोई पालिसी नहीं है, अगर वह राजनीति हल ढूंढना चाहती है तो उसे सभी दलों के लोगों को विश्वास में लेना चाहिए और उनसे वार्ता करनी चाहिए। वहां के एक लाख पच्चीस हजार कर्मचारियों ने सरकार की वार्निंग के बावजूद हड़ताल की और 137 आई० ए० एस० तथा आई० पी० एस० अधिकारियों ने वर्ल्ड कमेटी को राज्य के हालात के बारे में लिखकर ब्यौरा दिया है कि कश्मीर की आम जनता के साथ कैसे अत्याचार हो रहे हैं। लेकिन सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया। कर्मचारियों को हड़ताल के दौरान तनख्वाह नहीं दी गई, जबकि उन्होंने तीन दिन की तनख्वाह निकाल ली और सरकार कुछ नहीं कर सकी। यह राष्ट्रीय मोर्चा और जनता दल की सरकार मसलों को हल नहीं कर पा रही है इसकी कोई पालिसी नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : शर्मा जी आप बैठ जायें, बहुत हो गया।

श्री धर्मपाल शर्मा : इसको नेशनल प्राब्लम समझकर हल किया जाये और सबको विश्वास में लिया जाये।

श्री राजवीर सिंह (आंवला) : अध्यक्ष महोदय, पिछले कई वर्षों से कश्मीर परीक्षणों का केन्द्र बनता जा रहा है। पता नहीं और कितने परीक्षण होंगे। कश्मीर के मसले पर सख्त कारंवाई नहीं की जा रही है, परिणाम यह हुआ है कि पाकिस्तान से प्रशिक्षण लेकर कश्मीर में आ रहे हैं और हमारे जवानों तथा अफसरों को मार रहे हैं। वहां पर ला एण्ड आर्डर नाम की चीज नहीं रह गई है। हर बार सदन में सरकार की तरफ से, गृह मंत्री की तरफ से बयान आते हैं कि हमने यह किया, हमने वह किया। उसके बावजूद भी इस प्रकार की घटनायें घटित हो रही हैं। वहां के पूर्व राज्यपाल जगमोहन जी ने इन घटनाओं पर कंट्रोल करने की कोशिश की थी, लेकिन उस पर हमारे मित्रों ने बड़ा शोर मचाया था, लेकिन मैं देख रहा हूं कि अभी भी स्थिति गम्भीर बनी हुई है और उनको हटाने के बाद माहौल और तनावपूर्ण होता जा रहा है। यह केवल जम्मू-कश्मीर राज्य का सवाल नहीं है, यह पूरे देश का सवाल है इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि वह इन घटनाओं पर बयान दे और उचित कारंवाई करे।

[अनुवाद]

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : आतंकवादियों द्वारा वायु सेना के तीन जवानों की हत्या अत्यन्त निन्दनीय है। (व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जायें।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री सैफुद्दीन चौधरी : महोदय, पूरी सभा कश्मीर में आतंकवादियों द्वारा हमारी सुरक्षा सेनाओं के जवानों की इस प्रकार की निर्मम हत्याओं की निन्दा करती है। यह इस तथ्य का प्रमाण है कि आतंकवादियों को जनता से जितना अलग किया जाएगा वे उतने ही दुःसाहसी बन जाएंगे और वे कश्मीर में सुरक्षा बलों और निर्दोष व्यक्तियों पर हमला करेंगे। अतः, जब हमें जनता के जीवन की सुरक्षा करनी है, तो उसके साथ ही हमें अपने सुरक्षा बलों के जीवन की भी सुरक्षा करनी चाहिए, हमें यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि आतंकवादियों के नेता जो विदेशों में रहते हैं उनका पीछा किया जाए और उनके विरुद्ध काफी कार्यवाही की जाए ताकि वे हमारे देश में घुसपैठ न कर सकें और जब भी वे ऐसा करने की कोशिश करें उनको पकड़ लिया जाए। (व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जायें। बिना इजाजत नहीं खड़े हों।

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिणी दिल्ली) : मुझे एक मिनट कहने का मौका दीजिये।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं।

श्री मदन लाल खुराना : मुझे कश्मीर के माईग्रेंट्स के बारे में कहना है।

अध्यक्ष महोदय : कश्मीर के बारे में आप कह चुके हैं।

श्री मदन लाल खुराना : मुझे यह कहना है कि···

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जायें।

श्री मदन लाल खुराना : मुझे यह कहना है कि जो कुछ इन्होंने कहा, उसके बाद मुझे यह निवेदन करना है कि कश्मीर से जो माईग्रेंट्स आये हैं···

अध्यक्ष महोदय : खुराना जी, ऐसा नहीं होना चाहिये। आप लिखकर दें।

श्री मदन लाल खुराना : मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप इन्क्वायरी करवा लें कि उनको 500 रुपया मिल रहा है या नहीं ? मेरी अपनी जानकारी के अनुसार उनको नहीं मिल रहा है।

अध्यक्ष महोदय : आप बार-बार उठा चुके हैं।

श्री मदन लाल खुराना : मैं इसलिए उठा रहा हूं कि होम मिनिस्टर ने जो वायदा किया है और जो स्टेटमेंट दिया है, उसको पूरा नहीं किया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जायें। पहले से लिखकर के देना पड़ता है।

[अनुवाद]

हां, अब गृह मंत्री महोदय।

[हिन्दी]

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : अध्यक्ष महोदय, आज जो समाचार-पत्रों में घटना छपी है, ये सरासर बे-बुनियाद तो नहीं कही जा सकती लेकिन पूरी तरह से सत्य भी नहीं है। यह एक दुखदायी समाचार है कि तीन एअरफोर्स के कर्मचारी जो मशालची थे और बाजार से सामान खरीदने गये और वहां हरे रंग की मैटाडोर ने उनको अगुवा करने की कोशिश की। इनमें से दो पकड़ लिये गये और एक भाग निकला। इन दोनों को आईजोलेट करके नहर के किनारे छोड़ दिया गया जिसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हो गयी और दूसरा आदमी बैरक में लौट आया है। इसलिए मैं यही कहना चाहता हूं कि तीनों व्यक्तियों की हत्या नहीं हुई है।

[अनुवाद]

श्री कमल चौधरी (होशियारपुर) : क्या आप यह कहना चाहते हैं कि जम्मू-कश्मीर में स्थिति बिल्कुल ठीक है ?

[हिन्दी]

श्री सुबोध कांत सहाय : अध्यक्ष महोदय··· **(व्यवधान)**

श्री कमल चौधरी : जो बी० जे० पी० के सदस्य ने उठाया है··· (व्यवधान)

श्री सुबोध कांत सहाय : कश्मीर पार्टी और सरकार से बड़ी चीज है। (व्यवधान)

श्री कमल चौधरी : जब भी हमने इसे डिस्कशन के लिए उठाया है, आपने जवाब नहीं दिया है लेकिन जब बी० जे० पी० के सदस्यों ने उठाया है तो आपने जवाब दिया है।

श्री सुबोध कांत सहाय : अध्यक्ष महोदय, जहां तक कश्मीर की सिचूएशन का सवाल है तो इसकी सिचूएशन पहले बहुत खराब थी जिसकी कल्पना आप नहीं कर सकते हैं।

श्री कमल नाथ : कल मुफ्ती साहब ने कहा था ? (व्यवधान)

श्री सुबोध कांत सहाय : अध्यक्ष महोदय, जब से जनता फ्रंट सरकार आयी है और उसके सामने कश्मीर का मामला आया है, उसमें हम दिनोंदिन सुधार करते जा रहे हैं और संवारने की कोशिश कर रहे हैं। अब रहा सवाल कश्मीर के माईग्रेंट्स का तो उनके लिए मेरा कहना है कि उनके लिए रिलीफ का जितना कार्य किया जा सकता है वह सरकार कर रही है। यद्यपि यह जिस स्तर पर किया जाना चाहिए था, उस स्तर पर नहीं किया जा रहा है फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री कुरियन।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। मैंने श्री कुरियन को बुलाया है। आप क्यों इस प्रकार उठ रहे हैं ? श्री कुरियन।

प्रो० पी०जे० कुरियन (मवेलीकारा) : दिनेशसिंह जी द्वारा उठाया गया उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क की सैकड़ों करोड़ रुपए की राशि सरकार द्वारा वापस किए जाने का प्रश्न इतना मामूली मामला नहीं है कि इस प्रकार निपटाया जाए या मामूली समझा जाए। श्री चन्द्रशेखर जी ने भी अन्तिम दिन भी यह मामला उठाया था और सरकार द्वारा पूछताछ करने के लिए कहा था। इस बारे में चर्चाएं हो रही हैं कि यह आदेश जारी किया गया है··· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : चर्चाओं पर विश्वास मत कीजिए; आप जो कहना चाहते हैं, कह दीजिए।

प्रो० पी० जे० कुरियन : यह कहा जा रहा है कि आदेश···

अध्यक्ष महोदय : इस पर भरोसा मत कीजिए; कृपया आप वह कहिए जो आपको कहना है।

प्रो० पी० जे० कुरियन : जो मैंने सुना है वही मैं आपको सुना रहा हूं। हमारे पास और कोई साधन नहीं है··· (व्यवधान) इन सब बातों से हमारे मन में यह शंकाएं पैदा हुई हैं कि यह आदेश

स्वयं प्रधान मंत्री की जानकारी के साथ-साथ जारी किया गया था और जब सरकार को लगा कि स्थिति परेशान करने वाली है, तो उन्होंने आदेश वापस ले लिया। आदेश वापस लेने का अर्थ यह नहीं कि पूरी कहानी ठीक है। इसमें कुछ चालबाजी है। हम चाहते हैं कि इसकी पूरी-पूरी जांच की जाए। महोदय, आप जानते हैं कि बोफोर्स राशि की तुलना में यह बहुत छोटी है जबकि उस पर वे संयुक्त संसदीय समिति चाहते थे और संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया गया। हमारी जोरदार मांग यह है कि इस पूरे वृत्तान्त की जांच संयुक्त संसदीय समिति द्वारा की जाए और देश को यह मालूम होना चाहिए कि इस आदेश और इस प्रकार चालबाजी से काम करने के पीछे कौन काम कर रहे हैं।

दूसरा, कुवैत में फंसे लाखों लोगों के जीवन की समस्या है। सरकार पहले ही लोगों को वहां से निकालने के लिए कुछ प्रयास कर रही है। हाल ही में सरकार भी धीरे-धीरे इस स्थिति की गम्भीरता को समझ रही है। किंतु, एक महत्त्वपूर्ण मुद्दे की ओर ध्यान नहीं दिया गया है। हमें अनेक पत्र प्राप्त हो रहे हैं। उन पत्रों और श्री गुजराल द्वारा लाए गए पत्रों से स्पष्ट रूप से यह व्यक्त हो रहा है कि कुवैत में भोजन (खाद्य पदार्थों) की भारी कमी है। वे लिख रहे हैं कि यदि दो एक दिन में खाद्य सामग्री नहीं पहुंची, तो उनमें से अनेक लोग मर जाएंगे। यह हमारी शंका है। मैं नहीं जानता कि सरकार किस प्रकार काम कर सकती है, हो सकता है रेड क्रॉस, या रेड क्रीसेंट अथवा किसी अन्य एजेन्सी द्वारा। आप किसी भी सरकार के साथ इस समस्या को उठा सकते हैं किंतु सरकार को कार्यवाही करनी चाहिए कि उनको कुवैत में खाद्य सामग्री उपलब्ध हो सके अन्यथा, लोग भूखे मर जाएंगे। मैं यह निवेदन करता हूं। महोदय, मैं आपसे भी निवेदन करता हूं कि आप इस पर टिप्पणी करें और कुवैत में उनके खाने-पीने की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए सरकार को शीघ्रता से काम करने को कहेंगे।

श्री संतोष मोहन देव (त्रिपुरा पश्चिम) : महोदय, यू० एल० एफ० ए० (उल्फा) की गतिविधियों के संबंध में सभा में पहले भी प्रश्न उठाया गया है। अब वे समानान्तर सरकार नहीं चला रहे हैं, किंतु असम में केवल उनका ही हुकुम चलता है। विगत में जब हमने पंजाब और कश्मीर से आतंकवादियों के साथ 'उल्फा' के संबंधों का मुद्दा उठाया था, तो गृह राज्य मंत्री ने इस बात का खण्डन किया था कि उन्हें इस प्रकार की कोई जानकारी नहीं थी। कल एक सेमिनार में एक केन्द्रीय मंत्री श्री जार्ज फर्नान्डीस ने सेमिनार में उपस्थित व्यक्तियों से कहा कि भारत सरकार के मंत्री के रूप में उन्हें निश्चित जानकारी प्राप्त थी कि 'उल्फा' ने कश्मीर और पंजाब के आतंकवादियों के साथ सम्पर्क स्थापित किया है और स्थिति नियंत्रण के बाहर हो गई है। उन्होंने लिट्टे का भी उल्लेख किया है। उन्होंने कहा कि जो वह उस सेमिनार में कह रहे थे, वे उसके लिए जिम्मेदार हैं। मैं चाहूंगा कि गृह मंत्री अथवा गृह राज्य मंत्री या तो इस बात का खंडन करें या इसकी पुष्टि करें। यह एक अत्यन्त गम्भीर समस्या है। यह बात केन्द्रीय सरकार के एक मंत्री ने एक सेमिनार में कही है। इससे लोगों में भ्रम उत्पन्न हो रहा है। हम अत्यधिक चिन्तित हैं। 'उल्फा', कश्मीरी उग्रवादियों, एन० एस० सी० एल०, खालिस्तानी आतंकवादियों और लिट्टे के बीच सम्बन्ध होने से पूरा देश

चिन्तित है। पूरा देश इन आतंकवादी गतिविधियों पर नियंत्रण करने के लिए सरकार के साथ है। लेकिन एक मंत्री कुछ कहता है और दूसरा कुछ और ही कहता है जिससे लोगों में भ्रान्ति उत्पन्न होती है। मैं सरकार से इस मामले में पहल करने और वक्तव्य देने का अनुरोध करता हूं। (व्यवधान)

श्रीमती बासव राजेश्वरी (बेल्लारी) : महोदय, मुझे बोलने का अवसर देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूं।

श्रीमती मेनका गांधी सरकारी विमान का दुरुपयोग कर रही हैं। उन्होंने पर्यावरण मंत्रालय को आग पर नियंत्रण रखने हेतु दिये गये संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के विमान का दुरुपयोग किया। उन्होंने इस विमान का पूर्ण रूप से दुरुपयोग किया। सिर्फ इतना ही नहीं है। उन्होंने नेपाल सरकार को सूचित किया था कि वह विमान द्वारा नेपाल आएंगी। लेकिन बाद में उनका विमान नेपाल में नहीं उतरा और दूसरी तरफ नेपाल सरकार अत्यधिक भयभीत रही और उनके लिए सारा मार्ग खाली रखा गया। उन्होंने नेपाल की सरकार को अपना कार्यक्रम रद्द करने के बारे में सूचित नहीं किया कि वह नेपाल नहीं आ रही हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपने राउरकेला में एक उप-बैटरी बन्द करने के संबंध में मुझे लिखा है...

श्रीमती बासव राजेश्वरी : मैंने तीन नोटिस दिए हैं।

अध्यक्ष महोदय : नहीं। मैंने आपको कहा है कि कोकिंग कोयले की कमी के कारण राउरकेला संयंत्र में कोयला-भट्ठी में एक उप-बैटरी को बन्द करने के बारे में एक मामला उठाने की आज अनुमति दूंगा।

(व्यवधान)

श्रीमती बासव राजेश्वरी : वह विमान को अन्य स्थानों पर ले गई। उनके ही साथी श्री राउतराय ने यह आरोप लगाए हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह तरीका नहीं है। यह सही नहीं है। कृपया अपनी टिप्पणियां इस विषय तक ही सीमित रखिए। आपने मुझसे एक मुद्दे के बारे में कहा और मेरी अनुमति के बाद आप दूसरा मुद्दा उठा रही हैं। कृपया, जिस मुद्दे पर आपने लिखा है, उसे उठाइए।

(व्यवधान)

श्रीमती बासव राजेश्वरी : मैं उसी मुद्दे पर आ रही हूं। इस देश में कोयले की अत्यधिक कमी है। प्रैस रिपोर्ट के अनुसार राउरकेला संयंत्र कोयले की कमी के कारण बन्द होने वाला है। एक तरफ तो कोयला बेकार जा रहा है और दूसरी तरफ कोयले की अत्यधिक कमी है।

वहां पर मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए मुझे नहीं लगता कि हम ताप विद्युत संयंत्रों से विद्युत उत्पादन कर सकते हैं, कोयले की ढुलाई देश की सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकती है।

अतः सरकार तत्काल कोयले की सप्लाई की व्यवस्था करे और यह भी सुनिश्चित करे कि कोयला व्यर्थ न जाए। मैं यही कहना चाहती हूं। (व्यवधान)

श्री मनोरंजन भक्त (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) : अध्यक्ष महोदय, ऐसा लगता है कि नागालैंड, मिजोरम तथा अन्य क्षेत्रों में हो रही अनेक गतिविधियों के बावजूद केन्द्र सरकार कार्यवाही नहीं कर रही है। द्वीप क्षेत्र, विशेषकर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह मौजूदा सरकार द्वारा अत्यधिक उपेक्षित हैं। आप जानते हैं कि मिट्टी का तेल द्वीप में उपलब्ध नहीं है और आदिवासी क्षेत्र भी प्रकाशहीन रातें बिता रहे हैं। ऐसा केन्द्र सरकार द्वारा मिट्टी के तेल का कोटा कम करने के कारण हुआ है। आप मानेंगे कि ये द्वीप छोटे क्षेत्र हैं और मुख्य भूमि से काफी भिन्न हैं। इन क्षेत्रों की विशिष्ट समस्याएं हैं। उदाहरण के तौर पर, अब वहां पर मानसून का समय है। इस समय अशांत समुद्र होने के कारण कुछ द्वीपों पर जाना बहुत कठिन है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि यदि केन्द्र सरकार मिट्टी के तेल के कोटे में कटौती करेगी तो इससे गरीब लोग, सुदूर द्वीपों में रह रहे आदिवासी लोग प्रत्यक्षतः बुरी तरह प्रभावित होंगे। इसलिए मैं केन्द्र सरकार से अपील करता हूं कि द्वीप समूहों के लिए मिट्टी के तेल का कोटा बहाल किया जाए। किसी भी हालत में मिट्टी के तेल के कोटे में कटौती न करें। (व्यवधान)

श्री अन्बारासु इरा (मद्रास मध्य) : खड़े हो गए।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, अन्बारासु जी, अपना स्थान ग्रहण कीजिए। मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा। अब कुमारमंगलम जी बोलें।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं होगा।

(व्यवधान)

श्री पी० आर० कुमारमंगलम (सलेम) : महोदय, हालांकि मूलतः मैंने उसी मामले के बारे में लिखा था जो श्री अन्बारासु इरा यहां उठाना चाहते हैं। मैं एक मुद्दा उठा रहा हूं जो अत्यधिक महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक किसानों को ऋण देने तथा ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को वित्त उपलब्ध कराने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण वित्तीय संस्था है। इसके कर्मचारी 6-8 महीने से आन्दोलन कर रहे हैं। प्रबंधकों के दमनकारी रवैये और जिस प्रकार वे यूनियन के पदाधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही कर रहे हैं और यूनियन को तोड़ने का प्रयास कर रहे है, नकारात्मक रवैया अपना रहे हैं, विशेष रूप से अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच भेद-भाव उत्पन्न कर रहे हैं, इसके बारे में हम वित्त मंत्री से मिले। हम वित्त मंत्री और प्रधान मंत्री से मिले। वित्त मंत्री ने हमसे आन्दोलन वापस लेने का अनुरोध किया। हमने आन्दोलन वापस ले लिया। (व्यवधान) लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई है। महोदय, मैं आपके माध्यम से यहां पर मौजूद वित्त मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वह तत्काल कुछ करें, अन्यथा वहां पर औद्योगिक शान्ति लाना बहुत कठिन हो जाएगा और यदि

**कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

कुछ नहीं किया गया तो इसका देश की सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था, विशेषकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ेगा। मेरे विचार से वित्त मंत्री इसका उत्तर दें। वह यहां मौजूद हैं।

[हिन्दी]

श्री कंकर मुंजारे (बालाघाट) : अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के मैंगनीज ओर इंडिया लिमिटेड के दस हजार मजदूर वोट क्लब पर जमा हैं! उनका वेतन समझौता, जो 1-4-87 से लागू करना था, उसका भुगतान नहीं किया गया है। अपनी इस मांग को लेकर दस हजार मजदूर प्रदर्शन के लिए वोट क्लब पर जमा है। मेरी आपसे मांग है कि सरकार उसमें हस्तक्षेप करे और उनकी बातों को सुनकर उनकी समस्याओं का निराकरण करे। उनकी समस्याओं को जानकर उसे हल करने का कार्य करें, उस पर चर्चा करें ताकि उन लोगों की परेशानी कम हो सके। मैं इतनी ही बात कहना चाहता हूं कि सरकार गम्भीरता से उनकी समस्याओं का निराकरण करे।

कुमारी मायावती (बिजनौर) : माननीय अध्यक्ष जी, मैंने आपको जीरो आवर के लिए जो लिखकर दिया है वह अपनी पार्टी की नीति और साम्प्रदायिकता के बारे में लिखकर दिया है।

अध्यक्ष महोदय : मायावती जी, आप इस तरह से बोलिए कि सारी सदन साम्प्रदायिकता के खिलाफ हो जाए।

कुमारी मायावती : मैं आपके मार्फत पूरे सदन को अपनी पार्टी की नीति के बारे में स्पष्ट करना चाहती हूं क्योंकि जब से मैंने गरीब और मजलूमों के हित बारे में सदन में आवाज उठाने की कोशिश की है, तब से मेरी पार्टी के ऊपर आरोप लगाया गया है कि मायावती कांग्रेस पार्टी के हाथों में खेल रही है। मैं पूरे सदन को अवगत कराना चाहती हूं कि हमारी पार्टी न कांग्रेस के साथ है, न किसी और सत्ता पक्ष के साथ है। हम लोग न्यूट्रल हैं और यदि सत्ता पक्ष के लोग वीकर सैक्शन के हित में सही कदम उठाते हैं तो बहुजन समाज पार्टी सत्ता पक्ष को पूरा समर्थन देगी। उत्तर प्रदेश में जब श्री मुलायम सिंह यादव ने गरीब और मजदूरों के हित की बात कही तो बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने उत्तर प्रदेश में श्री मुलायम सिंह यादव की सरकार का पूरा समर्थन किया था। जहां तक कांग्रेस का सवाल है, मैं बताना चाहती हूं कि यदि हम लोग कांग्रेस पार्टी से मिले होते तो आज सत्ता पक्ष के लोग सत्ता में नहीं बैठे होते क्योंकि हमें मालूम है जितना विरोध हमने कांग्रेस पार्टी का किया है उतना किसी और ने नहीं, हमारे वीकर सैक्शन के लोग सबसे ज्यादा कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए थे। लेकिन जब कांग्रेस पार्टी ने लम्बे अरसे में वीकर सैक्शन के लोगों को आश्वासन के सिवाए प्रैक्टीकल में कुछ नहीं दिया तो हमने वीकर सैक्शन के लोगों को तैयार किया और वीकर सैक्शन के लोग उठकर खड़े हो गए। इसका नतीजा यह हुआ कि इस देश में बहुजन समाज पार्टी एक मजबूत ताकत के रूप में बनकर खड़ी हुई है। इसके साथ ही मैं यह भी बताना चाहती हूं कि इस देश में बाबरी मस्जिद और राम जन्म भूमि को लेकर साम्प्रदायिक हिंसा भड़कने की सम्भावना लग रही है। मेरी आपसे रिक्वैस्ट है कि साम्प्रदायिक हिंसा को रोकने के लिए सरकार इसमें ढीलापन न अपनाए, सख्ती से, कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए जो असामाजिक तत्व हैं, जो राम जन्म भूमि, बाबरी

मस्जिद के माध्यम से देश की एकता और अखंडता को खत्म करना चाहते हैं, ऐसे असामाजिक तत्वों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाये। इतना ही मेरा सरकार से आग्रह है।

श्री जनार्दन तिवारी (सीवान) : अध्यक्ष महोदय, बिहार के खंडवा, रांची क्षेत्र में सीसियल में आज से 12 वर्ष पूर्व करोड़ों रुपये की मशीन कोयला निकालने के लिए आयात की गई। इसमें काफी गड़बड़ हुई थी। वह मशीन आज तक वहां लगायी नहीं गई है और वह जंग खा रही है। मैं सरकार से आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि इसकी जांच सी० बी० आई० द्वारा करवायी जाये जिससे सही तथ्य सामने आयें। इन दोनों संस्थानों में लाखों की लूट हो रही है और अफसरों ने काफी इसमें लूट किया है।

श्री जनार्दन यादव (गोड्डा) : अध्यक्ष जी, बिहार के संथाल परगना और छोटा नागपुर में वर्षा का घोर अभाव है। छोटा नागपुर और संथाल परगना में धान के सारे पौधे सड़ रहे हैं। वहां बिजली महीनों से बंद है। मैं सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि वहां किसानों को सिंचाई के लिये छोटे-मोटे नदी और नालों को बांध कर दिया जाये और बिजली छोटा नागपुर और संथाल परगना को अविलम्ब दी जाये जिससे धान की फसल को बचाया जा सके।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री हरीश रावत।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने मित्र श्री हरीश रावत का ध्यान रखिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं श्री हरीश रावत जी को बोलने के लिए कह रहा हूं।

(व्यवधान)

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : मैं श्री अम्बारासु इरा के बाद बोलूंगा। उनके निर्वाचन क्षेत्र में गोलीबारी हुई है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री अम्बारासु इरा, मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री हरीश रावत, क्या आप बोलेंगे ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री अम्बारासु इरा, मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह अनुचित है। क्या आप अपने स्थान पर बैठेंगे ? अपने स्थान पर जाइए। मैं आपकी बात नहीं सुनूंगा। आप अपने स्थान पर जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नहीं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री तारीफ सिंह।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जिन सदस्यों ने लिखित में सूचित किया है उन सभी को बोलने का अवसर दिया जाएगा। आपने लिखित में सूचना नहीं दी। इसलिए मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा। आप अपने स्थान पर चले जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको पुनः कह रहा हूं, कृपया अपना अपना स्थान ग्रहण कीजिए। यह उचित तरीका नहीं है। आपने नियमों का उल्लंघन किया है; आपको नियमों का पालन करना चाहिए। कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री तारीफ सिंह।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : प्रो० रंगा, मैं आपको भी बुलाऊंगा।

(व्यवधान)

[हिंदी]

श्री तारीफ सिंह (बाह्य दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय, 1986 के अन्दर दिल्ली में कपड़ा मजदूरों की एक बहुत बड़ी हड़ताल हुई थी और उसमें प्रबन्धकों और मजदूरों के बीच में एक मामला तय हुआ था। मजदूरों के वेतन को लेकर, आवास सुविधा के मामले को लेकर, मजदूरों की छंटनी और दूसरे मामलों को लेकर यह हड़ताल चली थी। यह तय हुआ था कि इसमें ट्रिब्यूनल बनाया जायेगा और हाई कोर्ट के जज उस ट्रिब्यूनल के हैड होंगे। इसमें श्री आनन्द और श्री चड्ढा को पंच बनाया गया था। 22 मार्च, 1990 को यह तय किया गया था कि ट्रिब्यूनल बैठते ही 6 महीने के अन्दर जो मजदूरों की मांगें हैं, उन मांगों के समर्थन में अपना एवार्ड घोषित करेगा लेकिन मार्च से लेकर आज तक दिल्ली प्रशासन ने कोई भी पंच की नियुक्ति की अधिसूचना जारी नहीं की है। मैं मांग करता हूं कि सरकार मजदूरों की मांगों को देखते हुए उस पंच की नियुक्ति की अधिसूचना जल्दी घोषित करे ताकि मजदूर दोबारा से हड़ताल करने और आंदोलन करने के लिए मजबूर न हों। मैं यही मांग करता हूं।

12.35 म० प०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

श्री कालका दास (करोल बाग) : मजदूरों के सम्बन्ध में सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना निर्णय दे दिया है कि मजदूरों को अपना हक मिलेगा।···

उपाध्यक्ष महोदय : कालका दास जी, मैं आपको बाद में बुलाऊंगा। आप बाद में बोलना।

[अनुवाद]

श्री कादम्बुर एम० आर० जनार्दनन (तिरुनेलवेली) : मैंने एक नोटिस दिया है।

[हिन्दी]

श्री हरीश रावत : अभी हमारी पार्टी की तरफ से माननीय दिनेश सिंह ने और कुरियन साहब ने भी एक्साइज ड्यूटी और कस्टम ड्यूटी के सन्दर्भ में जो पाइंट उठाया था, उसको लौटाने के संदर्भ में मामला उठाया···(व्यवधान)···और सरकार से आग्रह किया कि इस मामले की गह-राई से छानबीन करने के लिए एक जोइण्ट पार्लियामेण्टरी कमेटी कांस्टीट्यूट की जाए। माननीय उपाध्यक्ष जी, यह एक बहुत ही गम्भीर मामला है और यह मामला इतना गम्भीर है कि जनता दल के कुछ सम्मानित सदस्यों ने, जिन्होंने वित्त मंत्री जी द्वारा इसमें उठाए गए कदम के लिए उन्हें जो धन्यवाद का पत्र लिखा है, उसमें उन्होंने इस बात का भी उल्लेख किया है कि हम धन्यवाद तो आप को दे रहे हैं कि आपने इसमें स्टे कर दिया है लेकिन मामला इतना सरल नहीं है कि केवल स्टे करने से इस मामले में हमारी संतुष्टि हो जायेगी। यह गम्भीर मामला है, इसमें गम्भीर अनियमिततायें बरती गई हैं, इसमें कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए इस तरह का सर्कुलर वित्त मंत्रालय के लोगों के द्वारा निकाला गया है और उन्होंने आग्रह किया है कि आखिर किसके आग्रह पर, किसके इनिशिएशन पर इस तरह का सर्कुलर निकाला गया है, उसकी जांच की जानी चाहिए और उन्होंने इंगित करने की कोशिश की है कि इस सरकार के जो मुखिया हैं, उनके कार्यालय के कहने पर इस तरीके का सर्कुलर निकाला गया है तो यह एक बहुत ही गम्भीर मामला बन जाता है···

उपाध्यक्ष महोदय : सदन के सामने यह सारा मामला आ चुका है।

श्री हरीश रावत : क्योंकि, इससे सीधे प्रधान मंत्री के कार्यालय को जनता पार्टी के ही सम्मानित सदस्यों ने सम्बद्ध करने की चेष्टा की है। आप सहमत होंगे, यह सदन भी इस बात से सहमत होगा चाहे पक्ष और विपक्ष में ही हों···

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : यह सब पहले ही कहा जा चुका है।

श्री एम० जे० अकबर (किशनगंज) : मैं इस बात में कुछ और भी जोड़ना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : रावत जी, कृपया संक्षेप में अपनी बात कहें।

[हिन्दी]

श्री हरीश रावत : प्रधान मंत्री कार्यालय की पवित्रता के लिए, उसकी निष्पक्षता के लिए

भी यह बहुत आवश्यक हो गया है कि इस मामले की गहराई से छानबीन की जाए इसलिए मैं आग्रह करना चाहूंगा कि सरकारी पक्ष के लोग भी इस पक्ष में सहमति जाहिर करें। इस मामले को संयुक्त पालियामेण्ठरी कमेटी गठित करके उसको सौंप दिया जाना चाहिए ताकि सारे देश को मालूम हो सके कि इस मामले में क्या-क्या अनियमितताएं रही हैं और किसके कहने पर यह सारी गड़बड़ करने की कोशिश की गई है।

[अनुवाद]

श्री एम० जे० अकबर : जो श्री हरीश रावत ने कहा है, यह केवल उससे सम्बन्धित है।

उपाध्यक्ष महोदय : अकबर जी, कृपया इस तरह जबरदस्ती न करें।

[हिन्दी]

श्री कालका दास : मेरा यह निवेदन था कि अभी जो तारीफ सिंह जी ने प्रश्न उठाया था, कपड़ा मिलों के मजदूरों का, उसमें केवल ट्रिब्यूनल ही नहीं बना बल्कि सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया है। सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दे दी कि यह जो प्रबन्धकों और मजदूरों का आपस में फैसला हुआ है इसको तुरन्त लागू किया जाय लेकिन दिल्ली नगर निगम, दिल्ली प्रशासन उसमें इस प्रकार की अड़चन डाल देता है ताकि कम्पेंसेशन की शर्तें पूरी न हों, जिससे मजदूरों को 66 करोड़ रुपया जो मिलना था, वह दो सालों से अटका हुआ है तो मेरा यह निवेदन है कि क्योंकि, इस समय दिल्ली मैट्रोपोलिटन काउंसिल और कारपोरेशन में चुने हुए सदस्य नहीं हैं तो सरकार दबाव डालकर मजदूरों का 66 करोड़ रुपया उनको दिलवाए ताकि मजदूरों को उससे राहत मिले।

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा : उपाध्यक्ष जी, कपड़ा मिलों के मामले में मैं यह कहना चाहता हूँ कि यह मामला होम मिनिस्टर के पास है···(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपको बाद में बुलाऊंगा।

श्री अम्बारासु इरा : मैंने एक नोटिस दिया। (व्यवधान) आज सुबह मैं माननीय अध्यक्ष महोदय से मिला था और मद्रास में हुई एक गोलीबारी की घटना के बारे में मैंने एक नोटिस दिया है। दुर्भाग्य से,**

उपाध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं होगा।

श्री अम्बारासु इरा : समस्या यह है कि मद्रास में एक शान्तिपूर्ण जुलूस विनायक की मूर्ति को समुद्र में विसर्जित करने के लिए आ रहा था। जब यह बड़ा जुलूस शान्तिपूर्ण तरीके से जा रहा था, तो अचानक वहां साम्प्रदायिक दंगा हो गया और गोलीबारी भी हुई।

मैं यह कहना चाहता हूं कि चूंकि भाजपा के कार्यकर्ता इस प्रकार से सक्रिय हैं इस प्रकार के साम्प्रदायिक संघर्ष सारे देश में जारी हैं। महोदय, विशेष रूप से भाजपा के कार्यकर्ता सारे देश में

**अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

साम्प्रदायिक तनाव पैदा कर रहे हैं। भारत सरकार को इस पर नियन्त्रण करना चाहिए। यदि डी० एम० के० सरकार ने बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से कार्यवाही की होती तो स्थिति पर सरलता से नियन्त्रण किया जा सकता था···(व्यवधान) इस गोलाबारी के कारण पांच व्यक्ति मारे गए। अत: मैं यह कहना चाहता हूं। (व्यवधान) सर्कस में रिंग मास्टर का जानवरों पर नियन्त्रण होता है, परन्तु इस देश के प्रधान मन्त्री का अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों पर कोई नियन्त्रण नहीं है···(व्यवधान) न केवल मन्त्रिमंडल के सहयोगियों पर बल्कि किसी मुख्य मन्त्री पर भी उनका कोई नियन्त्रण नहीं है। यह इस सरकार की कमजोरी है। इस प्रकार की साम्प्रदायिक झड़पें सारे देश में हो रही हैं।···(व्यवधान) मैं चाहता हूं कि इनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए। मैं गृह मंत्री की प्रतिक्रिया जानना चाहता हूं। (व्यवधान)

[हिन्दी]

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा : उपाध्यक्ष महोदय, अभी मद्रास के बारे में जिक्र किया गया है कि मद्रास में गोली चली और कुछ लोग मर गए हैं। माननीय सदस्य ने भारतीय जनता पार्टी का नाम उसमें लेने की कोशिश की है। सब जानते हैं, सारे देश में भारतीय जनता पार्टी का स्थान कितना है और मद्रास के अन्दर तुलनात्मक दृष्टि से कितना कम है। वहां पर गणेश-चतुर्थी का जुलूस निकल रहा था, गणेश-चतुर्थी के जलूस पर हमला किया गया, उनके ऊपर जूते फेंके गए और वहां उनके ऊपर आक्रमण किया गया···(व्यवधान)···इसके बाद जब वहां पर हमला हुआ और पुलिस की गोली से कोई आदमी मरा। पुलिस की गोली चलने पर कोई मृत्यु होती है तो भारतीय जनता पार्टी कहां से आ गई। भारतीय जनता पार्टी वहां शासन में नहीं, उसकी सरकार नहीं, पुलिस उसके हाथ में नहीं। इस तरह से कांग्रेस के लोग निराधार कहते हैं। देश के अन्दर कहीं कोई हिन्दू मर जाए तो भी हिन्दू को गाली, मुसलमान मर जाए, तो भी हिन्दू को गाली और हर बात में भारतीय जनता पार्टी को बीच में लाना यह कांग्रेस की साम्प्रदायिक और दोगली नीति का परिचायक है।··· (व्यवधान)···भारतीय जनता पार्टी का क्या ताल्लुक है।···(व्यवधान)···

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री (झांसी) : कांग्रेस पार्टी साम्प्रदायिक पार्टी और दोगुली पार्टी है। ···(व्यवधान)···

श्री राम कृष्ण यादव (आजमगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, फैजाबाद जिला मेरे निर्वाचन क्षेत्र आजमगढ़ जिले से सटा हुआ है। फैजाबाद में अयोध्या भी पड़ती है, जहां राम-जन्म भूमि और बाबरी मस्जिद का झगड़ा चल रहा है। वहां पर ऐसी स्थिति हो गई है, कहते है कि वहां पत्थर तराशने का काम शुरू हो गया है। मेरे जिले में आर०एस०एस० के लोग प्रभात फेरी के नाम पर, कवायद के नाम पर लाठी और भाले चलाने की शिक्षा दे रहे हैं और साम्प्रदायिक उन्माद पैदा कर रहे हैं। ऐसे भड़कावे दे रहे हैं, जिससे वहां के असलियत लोग परेशानी में पड़ गए हैं। आर० एस० एस० द्वारा प्रभात फेरी के काम को, डंडा चलाने के काम को···(व्यवधान)···

श्री राजवीर सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, संसद को इस बात के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सदन के कीमती समय को इस प्रकार की बातों में नहीं ले जाना चाहिए।···(व्यवधान)···

श्री राम कृष्ण यादव : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आर०एस०एस० के माध्यम से···(**व्यवधान**)···मैं सरकार से चाहता हूं कि ऐसे तत्व जो तैयार किए जा रहे हैं, उनका पूरी तरह से दमन किया जाए, ताकि धार्मिक उन्माद न पैदा हो और उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाए।···(**व्यवधान**)···

[**अनुवाद**]

श्री उमा गजपति राजू (विशाखापट्टनम) : उपाध्यक्ष महोदय, यह एक ऐसी सरकार है जिसमें मन्त्रिमंडल के सदस्य स्वयं एक दूसरे पर आरोप लगाते रहते हैं। इस बार श्रीमती मेनका गांधी के पत्र ने सरकार को असमंजस में डाल दिया है। उस पत्र को देखते हुए हम सब जानते हैं कि न केवल श्रीमती मेनका गांधी बल्कि उनके मंत्रिमंडल के वरिष्ठ सदस्य और सचिव भी सरकारी-तंत्र का दुरुपयोग कर रहे हैं। दूसरे···*···जो इस मूल्य पर आधारित सरकार चलाने वालों के घनिष्ठ मित्र हैं, वे भी इस विमान का दुरुपयोग कर रहे हैं। यह विमान केवल दिल्ली से लखनऊ और लखनऊ से दिल्ली···*···मामले की पैरवी के लिए चल रहा है। हम इस मामले की पूर्ण जांच चाहते हैं कि कितनी-कितनी बार श्रीमती मेनका गांधी और श्री नीलमणि राउतराय ने और कितनी बार···*···ने इस विमान का दुरुपयोग किया है।

उपाध्यक्ष महोदय : दूसरी सभा के माननीय सदस्यों के नाम कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं किए जाएंगे।

श्री कादम्बुर ए० आर० जनार्दनन : मैं आपके ध्यान में एक अति महत्वपूर्ण मामला लाना चाहता हूं। पिछले कुछ समय से हम मद्रास में 'लिट्टे' की गतिविधियों की बात करते रहे हैं और यह राज्य और केन्द्र, दोनों सरकारों द्वारा अस्वीकार की जाती रही हैं। परन्तु आज के 'दी हिंदू' में एक समाचार प्रकाशित हुआ है जिसमें श्री जार्ज फर्नान्डीज ने कहा है कि "उल्फा के तमिल ग्रुपों के साथ सम्बन्ध हैं।" माननीय मंत्री ने स्वयं यह बात स्वीकार की है कि 'उल्फा' के 'लिट्टे' के साथ सम्बन्ध हैं और हमारे देश में वहां इन विदेशी उग्रवादियों की गतिविधियां बढ़ने का काफी खतरा है।

उपाध्यक्ष महोदय : आपको उद्धृत करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने आपको केवल एक वक्तव्य देने की अनुमति दी है।

श्री कादम्बुर एम० आर० जनार्दनन : श्री जार्ज फर्नान्डीज ने उनकी गतिविधियों की बात मान ली है।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री सन्तोष मोहन देव पहले ही यह बातें कह चुके हैं।

श्री कादम्बुर ए० आर० जनार्दनन : आपको इन तमिल उग्रवादियों से सावधान रहना चाहिए, अन्यथा पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की तरह तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में 'लिट्टे' अधिकृत तमिलनाडु बनने का खतरा है। यह तमिलनाडु के लोगों की आशंका है। अत: केन्द्र सरकार को राज्य

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

सरकार को यह आदेश देने चाहिएं कि वह लिट्टे के क्रियाकलापों पर अंकुश लगाए जो कि सरकार का नरम रुख के कारण खुले रूप से जारी हैं।

[हिन्दी]

श्री जे० पी० अग्रवाल (चांदनी चौक) : उपाध्यक्ष महोदय, मिस्टर मारन यहां पर हैं, मैं उन्हें यह बताना चाहता हूं कि पहाड़गंज में सी० पी० डब्ल्यू० डी० के एक ट्रक से 6 साल के एक बच्चे की मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु के बाद मैंने मिनिस्टर साहब से एप्रोच किया और कहा कि आप उसके परिवार वालों को सहायता दें। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : ऐसी बात आपको यहां पर नहीं लानी चाहिए।

(व्यवधान)

श्री जे० पी० अग्रवाल : आप मेरी बात सुनिये तो सही। अगर इस प्रकार से उस बच्चे की मृत्यु हो जाये तो इसके लिए कौन जिम्मेवार है? क्या इस प्रकार से सी० पी० डब्ल्यू० डी० वाले अपनी कामोनी की देखभाल करते हैं? उपाध्यक्ष महोदय, आज दिल्ली में ये हालत है कि कमिश्नर महोदय कहते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं हैं, डेवेलपमेंट का काम नहीं कर सकते, सड़कें बना नहीं सकते, इस प्रकार से यहां बुरी हालत है। मिनिस्टर को कोई बात कहो तो वह सुनने के लिए तैयार नहीं हैं। आप सरकार से कहें कि दिल्ली का ध्यान रखें। दिल्ली को बी० जे० पी०वालों के कब्जे में न दे दें। (व्यवधान)

श्रीमती जयवन्ती नवीनचन्द्र मेहता (मुम्बई उत्तर पूर्व) : उपाध्यक्ष महोदय, सम्माननीय सदस्य जो आजमगढ़ से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उनकी बात को मैंने गौर से सुना और मैं यहां यह बताना चाहती हूं कि जब कभी भी इस प्रकार से दंगे हुए। (व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न उत्तर काल बन रहा है।

[हिन्दी]

श्रीमती जयवन्ती नवीनचन्द्र मेहता : मेरा आपसे अनुरोध है कि हर प्रकार से बी० जे० पी०, जनसंघ, आर० एस० एस०, विश्व हिन्दू परिषद इस प्रकार की बातों को जानबूझ कर खड़ा करते हैं और साम्प्रदायिकता के लिए भाषण किए जाते हैं। मैं आपको यह बताना चाहती हूं कि 1977 में 4 राज्यों में जब हमारा शासन था उस समय कई बार इस प्रकार के आरोप इस संसद में लगे, लेकिन कोर्टों के माध्यम से जांच होने के बाद कभी भी आर० एस० एस० इसमें दोषी नहीं पाया गया और बिना किसी आधार पर इस तरह से किसी भी संस्था के ऊपर आरोप लगाना, इस पालियामेंट के लिए शोभा देने वाली बात नहीं है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : आप इस तरह इसको बढ़ाए नहीं रख सकते।

[हिन्दी]

श्रीमती जयवन्ती नवीनचन्द्र मेहता : आज भी गणपति उत्सव हो, चाहे मुहर्रम हो या कोई दूसरा उत्सव हो, उसमें राजनीतिक दल या किसी दूसरी संस्था को लाना गलत बात है, ऐसा मैं यहां पर कहना चाहती हूं। (**व्यवधान**)

12.49 म० प०

सभा पटल पर रखे गए पत्र

पद्मजा नायडू हिमालयन जूलोजिकल पार्क, दार्जिलिंग का वर्ष 1988-89 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा कार्यकरण की समीक्षा आदि

[अनुवाद]

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री नीलमणि राउतराय) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) (एक) पद्मजा नायडू हिमालयन जूलोजिकल पार्क, दार्जिलिंग के वर्ष 1988-89 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) पद्मजा नायडू हिमालयन जूलोजिकल पार्क, दार्जिलिंग के वर्ष 1988-89 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 1371/90]

ललित कला अकादमी, नई दिल्ली का वर्ष 1988-89 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा कार्यकरण की समीक्षा आदि

[हिन्दी]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल मलिक) : मैं श्री चिमनभाई मेहता की ओर निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) (एक) ललित कला अकादमी, नई दिल्ली के वर्ष 1988-89 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) ललित कला अकादमी, नई दिल्ली के वर्ष 1988-89 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 1372/90]

श्री चित्रा तिरुनल आयुर्विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी संस्थान, त्रिवेंद्रम का वर्ष 1988-89 का वार्षिक प्रतिवेदन, वार्षिक लेखे और कार्यकरण की समीक्षा

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राजा रमन्ना) : मैं प्रो० एम० जी० के० मेनन की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) (एक) श्री चित्रा तिरुनल आयुर्विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी संस्थान, त्रिवेंद्रम के वर्ष 1988-89 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) श्री चित्रा तिरुनल आयुर्विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी संस्थान, त्रिवेंद्रम के वर्ष 1988-99 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) श्री चित्रा तिरुनल आयुर्विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी संस्थान, त्रिवेंद्रम के वर्ष 1988-89 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 1373/90]

सामान्य रिजर्व अभियन्ता बल श्रेणी "ग" भर्ती नियम, 1989 और 1990, सीमा सड़क संगठन (अपर महानिदेशक-सीमा सड़क) भर्ती नियम, 1990

हिमालय पर्वतारोहण संस्थान, दार्जिलिंग का वर्ष 1988-89 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा परीक्षित लेखाओं की समीक्षा आदि

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राजा रमन्ना) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं—

(1) संविधान के अनुच्छेद 309 के अंतर्गत जारी की गई निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) सामान्य रिजर्व अभियन्ता बल श्रेणी "ग" भर्ती (संशोधन) नियम, 1989, जो 10 फरवरी, 1990 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 80 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) सीमा सड़क संगठन (अपर महानिदेशक-सीमा सड़क) भर्ती नियम, 1990, जो 7 अप्रैल, 1990 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 220 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) सामान्य रिजर्व अभियन्ता बल श्रेणी "ग" तथा "घ" भर्ती (संशोधन) नियम, 1990, जो 5 मई, 1990 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 279 में प्रकाशित हुए थे।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 1374/90]

(3) (एक) हिमालय पर्वतारोहण संस्थान, दार्जिलिंग के वर्ष 1988-89 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखा; परीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) हिमालय पर्वतारोहण संस्थान, दार्जिलिंग के वर्ष 1988-89 के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 1375/90]

12.50 म० प०

राज्य सभा से संदेश

अवर सचिव : महोदय मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्न संदेशों की सूचना सभा को देनी है :—

'मुझे लोक सभा को यह बताने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा ने गुरुवार 23 अगस्त, 1990 को हुई, अपनी बैठक में सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के संबंध में निम्नलिखित प्रस्ताव स्वीकृत किया है :—

"कि यह सभा लोक सभा की इस सिफारिश से सहमत है कि राज्य सभा, सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति में श्री वीरेन्द्र वर्मा और डा० जी० विजय मोहन रेड्डी के स्थान पर उस समिति की शेष अवधि के लिए समिति के साथ सहयोजित किये जाने हेतु, राज्य सभा से दो सदस्य नाम निर्देशित करने की लोक सभा की सिफारिश से सहमत हुई है और सभापति महोदय के निर्देशानुसार सभा के दो सदस्यों को उपरोक्त समिति के लिए मनोनीत करे।"

आगे मुझे लोक सभा को यह सूचित करना है कि उपरोक्त प्रस्ताव के अनुसरण में राज्य सभा के निम्नलिखित सदस्य उपरोक्त समिति के लिए विधिवत् निर्वाचित हुए हैं :—

1. श्रीमती रेणुका चौधरी
2. श्री महेन्द्र सिंह लाठर।'

12.50½ म० प०

सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति

छठा प्रतिवेदन और कार्यवाही सारांश

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : मैं तेल और प्राकृतिक गैस आयोग एम० आर-1 और

एन० एच० कूप प्लेटफार्मों के संबंध में सरकारी उपक्रमों का छठा प्रतिवेदन (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा समिति की तत्संबंधी बैठकों के कार्यवाही सारांश प्रस्तुत करता हूं।

12.51 म० प०]

सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति

पांचवां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा (दिल्ली सदर) : मैं सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति का पांचवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

12.51½ म० प०

भारतीय पुनर्वास और परिषद विधेयक

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल मलिक) : मैं श्री रामविलास पासवान की ओर से प्रस्ताव करता हूं कि पुनर्वास वृत्तिकों के प्रशिक्षण का विनियमन करने और केन्द्रीय पुनर्वास रजिस्टर रखे जाने तथा उनसे संबंधित या उनके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि पुनर्वास वृत्तिकों के प्रशिक्षण का विनियमन करने और केन्द्रीय पुनर्वास रजिस्टर रखे जाने तथा उनसे संबंधित या उनके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

श्री सत्यपाल मलिक : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

12.52 म०प०

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) कर्नाटक की सिंचाई और विद्युत परियोजनाओं के वित्त-पोषण के लिए राज्य सरकार को बंधपत्रों द्वारा धनराशि एकत्र करने की अनुमति दिये जाने की मांग

[अनुवाद]

श्री जी० एस० बासवराज (टुमकुर) : उपाध्यक्ष महोदय, कर्नाटक सरकार ने कई सिंचाई

और विद्युत परियोजनाएं आरंभ की हैं जिससे राज्य के शीघ्र विकास के लिए आवश्यक मूलभूत ढांचा प्रदान करने के लिए उपलब्ध क्षमता का उपयोग किया जा सके। इसके अलावा प्रतिवर्ष राज्य योजना में दोनों क्षेत्रों के लिए एक बड़ी धनराशि आवंटित की गई है। फिर भी, ये आवंटित धनराशि बहुत अपर्याप्त है और जितने निवेश की आवश्यकता है उससे कहीं कम है।

राज्य सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए समस्त प्रयास कर रही है कि दोनों क्षेत्रों के लिए पर्याप्त धनराशि आवंटित की जाये। संसाधन संबंधी कठिनाइयों के कारण तथा क्षेत्रीय सेवा खंड के लिए न्यूनतम आवंटन सुनिश्चित करने की आवश्यकता के कारण राज्य सरकार ने भारत सरकार से विशेष तौर पर सिंचाई परियोजना के वित्त-पोषण के लिए, धनराशि इकट्ठा करने के लिए विशेष बंध-पत्र जारी करने की अनुमति के लिए निवेदन किया था। राज्य सरकार ने वित्त मंत्रालय को सूचित किया था कि बंध-पत्र जारी करने के लिए राज्य सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के निगम को अनुमति दिए जाने की नीति पर विचार किया जाना चाहिए।

राज्य सरकार ने केन्द्र से निवेदन किया था कि वह उन्हें बाजार से धनराशि एकत्र करने की अनुमति दे। मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि वह कर्नाटक को राज्य में सिंचाई और विद्युत की कमी को दूर करने के लिए बंध-पत्रों द्वारा पूंजी एकत्र करने की अनुमति प्रदान करे।

(दो) उड़ीसा में महेन्द्रगिरि के विकास के लिए शीघ्र वित्तीय सहायता दिए जाने की मांग

श्री गोपी नाथ गजपति (बरहामपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, महेन्द्रगिरि उड़ीसा में पूर्वी घाट क्षेत्र में स्थित है। यह एक प्राचीन परिस्थिति-व्यवस्था है, जो 1500 मीटर ऊंचे पठार पर स्थित है। इसके वन 70,000 एकड़ क्षेत्र तक फैले हुए हैं और यह पर्णपाती उष्ण कटिबंधीय वन क्षेत्र में आता है। वास्तव में, महेन्द्रगिरि में एक श्रेष्ठ पर्यटक स्थल बनने की क्षमता है।

दुःख की बात है, दुर्दांत खेती बाड़ी में फेर-बदल, अंधाधुंध पेड़ गिराने से, और निर्दयता से जंगलों में चोरी करने से जंगलों का काफी बड़े पैमाने पर विनाश हो रहा है। उस क्षेत्र के लोगों में इसके पुनरुत्थान के लिए जागृति लाने का समय आ गया है। महेन्द्रगिरि की जनजातियों और वनस्पति का गहन अध्ययन किए जाने और सामूहिक शिक्षा के कार्यक्रमों की आवश्यकता है।

उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए सरकार की ओर से तुरंत इस पर ध्यान देकर कार्यवाही की जानी चाहिए। उड़ीसा पर्यावरण समिति ने पर्यावरण और वन मंत्रालय और विज्ञान और प्रोद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार को दिसम्बर, 1990 के दौरान गंजम जिले के पर्लाखेमुण्डी शहर में महेन्द्रगिरि वन परिस्थिति-विज्ञान अध्ययन पर दो दिन की कार्यशालानुमा गोष्ठी कराने के लिए 6-4-1990 को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने का प्रस्ताव किया था। किंतु अभी तक किसी भी मंत्रालय से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

मैं केन्द्रीय सरकार से निवेदन करूंगा कि उड़ीसा पर्यावरण समिति द्वारा मांगी गई महेन्द्रगिरि पर कार्यशालानुमा गोष्ठी कराने के लिए वित्तीय सहायता शीघ्रता से उपलब्ध कराई जाए जिससे न केवल उत्कृष्ट परिस्थिति विज्ञान का संरक्षण किया जा सके अपितु इसे एक आदर्श पर्यटक स्थल में बदला जा सके।

(तीन) अल्मोड़ा, उत्तर प्रदेश में गोविन्द बल्लभ पंत पर्यावरण संस्थान के भवन का निर्माण आरंभ किए जाने की मांग

[हिन्दी]

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, सन् 1982-83 में भारत सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश के अल्मोड़ा जनपद के कटरामल नामक स्थान पर तत्कालीन प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी जी के आशीर्वाद से सारी दुनिया में विशिष्ट स्थान रखने वाला एक पर्यावरण संस्थान स्वीकृत हुआ। कालांतर में इसका नाम गोविंद बल्लभ पंत पर्यावरण संस्थान रखा गया। इस संस्थान द्वारा लंबे समय पूर्व यहां कार्य करना प्रारंभ भी कर दिया गया है। संस्था के भवन, प्रयोगशाला आदि के निर्माण के लिए वांछित चाही गयी भूमि राज्य सरकार एवं स्थानीय जनता द्वारा उपलब्ध करवा दी है।

कुछ कारणवश संस्थान के भवन आदि का निर्माण कार्य अभी भी प्रारंभ नहीं किया गया है।

अत: मेरा पर्यावरण मंत्री एवं भारत सरकार से आग्रह है कि इस संस्थान में निर्माण कार्य शीघ्र प्रारम्भ करें।

(चार) अहमदाबाद-दिल्ली मीटर गेज लाइन को बड़ी लाइन में बदलने की मांग

[अनुवाद]

श्री गुमान मल लोढा (पाली) : अहमदाबाद-दिल्ली मीटर गेज रेल लाइन को बड़ी लाइन में बदलने की बहुत आवश्यकता है जिससे पाली जिले में कई रेलवे स्टेशनों, अर्थात् फलना, रानी, जवाई बन्ध, मरवार जंक्शन, इत्यादि, को भी शामिल किया जा सके। इस योजना को पच्चीस वर्ष पहले स्वीकृत किया गया था किंतु फिर कुछ कारणों से इसे निरस्त कर दिया गया था।

मुंबई, मद्रास इत्यादि से यात्रा करने वाले बहुत से यात्रियों को अहमदाबाद में मीटर गेज में यात्रा करनी पड़ती है और इस प्रकार उन्हें बहुत कठिनाइयों और कष्टों का सामना करना पड़ता है। मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि वह इस रास्ते पर मीटर गेज को एक बड़ी लाइन में परिवर्तित करने की योजना को तुरन्त स्वीकार करे और राजस्थान और गुजरात राज्य सरकारों से भी इस संबंध में सहयोग देने के लिए कहे।

(पांच) कासरगोड और कन्नौर के दूरदर्शन केन्द्रों की क्षमता बढ़ाए जाने की मांग

श्री एम० रमन्ना राय : कासरगोड और कन्नौर के टी० वी० प्रसारण रिले केन्द्र कासरगोड और कन्नौर के जिलों की जनसंख्या के बड़े हिस्से को प्रसारण की सुविधा नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि ये दोनों रिले केन्द्रों की प्रसारण क्षमता काफी कम है। हस्बूगं और तालिपरम्भा तालुक के बीच रहने वाले लोग उपेक्षित-सा महसूस कर रहे हैं क्योंकि वे इन केन्द्रों द्वारा प्रसारित कार्यक्रमों को पकड़ नहीं पाते हैं। त्रिवेन्द्रम केन्द्र से प्रसारित मलयालम कार्यक्रम भी इन केन्द्रों द्वारा प्रसारित नहीं किए जाते। कासरगोड जिले में बड़ी संख्या में कन्नड़ बोलने वाले लोग हैं और वे भी कन्नड़ के कार्यक्रम नहीं देख पाते हैं। कासरगोड़ एक दुभाषिया जिला है जहां पर दोनों मलयालम और कन्नड़ भाषाएं पढ़ी और बोली जाती हैं।

इसलिए, मैं माननीय सूचना और प्रसारण मंत्री से निवेदन करूंगा कि वे कासरगोड और कन्नौर के दूरदर्शन केन्द्रों की प्रसारण क्षमता बढ़ाने के लिए शीघ्र कदम उठाएं या पय्यन्नुर

(कासरगोड और कन्नौर जिलों के बीचों बीच) में कासरगोड और कन्नौर जिलों के लोगों के लिए एक नया टी० वी० ट्रांसमीटर स्थापित करवाएं।

मैं माननीय मंत्री महोदय से यह निवेदन भी करना चाहूंगा कि वह कासरगोड टी० वी० रिले केन्द्रों से मलयालम और कन्नड़ कार्यक्रमों का प्रसारण उपलब्ध कराने के लिए शीघ्र कदम उठाएं।

(छः) महाराष्ट्र के मराठवाड़ा क्षेत्र में पीलिया महामारी फैलने से रोकने के लिए तुरन्त उपाय किए जाने की मांग

डा० वेंकटेश काबडे (नान्देड़) : महोदय, मराठवाड़ा (महाराष्ट्र में) जिलों के बीड़, नान्देड़, लटूर और अन्य जिलों में जल आपूर्ति योजनाएं बहुत खराब स्थिति में हैं और हाल ही के मानसून के मौसम में इन जिलों में दीर्घकालिक महामारी पीलिया फैल गई है, प्रदूषित जल के कारण इस बीमारी से कई व्यक्तियों की मृत्यु हो चुकी है। हजारों व्यक्ति अभी भी पीलिया से पीड़ित हैं और अन्य कई दुर्दम और खतरनाक जिगर सम्बन्धी बीमारियों से ग्रस्त होने के खतरे का सामना कर रहे हैं। महाराष्ट्र राज्य सरकार इस बीमारी के विध्वंस को रोकने में सफल नहीं हो पाई है और लोगों का स्वास्थ्य खतरे में है। नान्देड़ जिले में सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशाला द्वारा जांचे गए जल के 550 सैम्पलों में से 110 में खतरनाक जीवाणु पाए गए।

मैं केन्द्रीय सरकार से निवेदन करता हूं कि वे इसमें हस्तक्षेप करे और केन्द्रीय विशेषज्ञों का एक दल भेजे जो इस खतरनाक महामारी के कारणों की जांच करे और इस बीमारी को रोकने और नियन्त्रण के तरीकों और साधनों का सुझाव दें।

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा 2 म० प० पर पुनः समवेत होने तक के लिए स्थगित होती है।

1.00 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2 बजे म० प० तक के लिए स्थगित हुई।

2.09 म० प०

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा 2.09 म० प० पर पुनः समवेत हुई।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण (संशोधन) अध्यादेश, 1990 के निरनुमोदन के बारे में सांविधिक संकल्प

स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण (संशोधन) विधेयक

विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण (संशोधन) अध्यादेश, 1990 के निरनुमोदन के बारे में सांविधिक संकल्प

और

विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण (संशोधन) विधेयक—जारी

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम, कार्य सूची की मद सं० 11 से 14 तक के विषय लेंगे। श्री

सूर्य नारायण यादव बोल रहे थे। वे यहां नहीं हैं। श्री हेमेन्द्र सिंह बनेड़ा। मुझे आपका नाम दिया गया है।

श्री हेमेन्द्र सिंह बनेड़ा (भीलवाड़ा) : क्या आप चाहते हैं कि मैं बोलूं ?

उपाध्यक्ष महोदय : मैं नहीं चाहता। मैं नहीं चाहता कि आप बोलें। किन्तु आपका नाम यहां है।

अब, श्री बालगोपाल मिश्र बोलेंगे।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : विषय क्या है ? (व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अगर आपके पास कार्यसूची है तो अब आप सांविधिक संकल्प और स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ संबंधी विधेयक पर चर्चा करेंगे।

[हिन्दी]

श्री महेश्वर सिंह (मण्डी) : मैं उस दिन बोल रहा था उपाध्यक्ष महोदय।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप श्री सूर्यनारायण यादव हैं ?

श्री महेश्वर सिंह : मैं महेश्वर सिंह हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप इन विषयों पर बोल रहे थे ?

श्री महेश्वर सिंह : जी हां, महोदय। मैंने उस दिन बोलना शुरू ही किया था। यह कार्यवाही वृत्तान्त में है।

उपाध्यक्ष महोदय : मेरा कार्यवाही वृत्त उससे भिन्न है जो आप बता रहे हैं। आप बाद में बोल सकते हैं। अब श्री बाल गोपाल मिश्र बोलेंगे।

श्री बालगोपाल मिश्र (बोलनगीर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत किए गए विधेयकों का समर्थन करता हूं। स्वापक औषधियां और मनःप्रभावी पदार्थ एक सामाजिक समस्या बन गए हैं। इस विषम स्थिति में जब हम निसंक्रमण और 21वीं सदी में जाने की बातें कर रहे हैं तब तथाकथित सुसम्पन्न देशों से यह बीमारी हमारे देश पर तेजी से हमला करती जा रही है। यह बीमारी न केवल शहरों तक ही सीमित है, अपितु दूरदराज के गांवों तक फैल गई है और विशेष रूप से समाज में समस्या पैदा कर रही है, पब्लिक और आधुनिक स्कूलों में, जहां संपन्न वर्ग के बच्चे पढ़ते हैं, मादक द्रव्यों के तस्कर अपने कुछ एजेंटों को इन स्कूलों में पहुंचाकर ऐसी मादक दवाएं पहुंचा देते हैं। इस तरह इन बातों को ध्यान में रखते हुए मैं वित्त मंत्री और आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूं कि इन विधेयकों में प्रस्तावित उपाय उदार नहीं होने चाहिए क्योंकि इस देश में अवैध ढंग से अर्जित की गई समस्त संपत्ति जब्त करने का अभी तक कोई विधान नहीं है, इस समय, पैसा कोई कमाता है और पकड़ा कोई जाता है और वह जेल में भेजा जाता है। इस तरह के अवैध कारोबार से अर्जित की गई सम्पति उसको जेल से वापिस आकर भोगने के लिए छोड़ दी जाती है।

अतः इन सभी बातों को दृष्टिगत रखते हुए समाज और भावी पीढ़ी के हित में यह बात बेहतर होगी कि कोई विधान बनाया जाए जिससे इन कृत्यों से अर्जित संपत्ति पूरी तरह से राज्य के लिए जब्त कर ली जाए और यदि कुछ व्यक्ति सोचते हैं कि यह प्रावधान अत्यधिक कठोर है, तब अवयस्क अथवा अधिक से अधिक परिवार के एक आश्रित व्यक्ति को कुछ सहायता देने का प्रावधान होना चाहिये। अब हम काले धन पर अंकुश लगाने की बात कर रहे हैं। स्वापक औषधियों से भी काफी मात्रा में काला धन पैदा होता है जिससे इस देश की अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अतः इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए मैं वित्त मंत्री जी से इन कानूनों को अधिक कठोर बनाने का पुनः अनुरोध करता हूं। भविष्य में ये चीजें न हो सकें अतः पर्याप्त और निवारक कदम उठाए जाने चाहिए। मैं इस्लामी कानूनों से सहमत नहीं हूं। लेकिन यदि आप इस्लामी कानूनों के कतिपय अंशों पर विचार करें तो वे निवारक स्वरूप के हैं। इनमें कठोर दंड नहीं हैं। कम से कम मादक द्रव्यों के अवैध व्यापारियों को आजीवन कारावास दिया जाए क्योंकि वे हजारों लोगों को मौत के घाट उतार रहे हैं, वे हजारों निरीह लोगों की जिंदगियां तबाह कर रहे हैं, वे हजारों लोगों का पारिवारिक जीवन नष्ट कर रहे हैं।

अंत में, मैं वित्त मंत्री जी से इस कारावास का बदले कर आजीवन कारावास करने के लिए पुनः आग्रह करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : महेश्वर सिंह महोदय, मुझे खेद है। कार्यवाही वृतान्त से पता चलता है कि आप ही वक्तव्य दे रहे थे। कृपया अब आप भाषण जारी रखें।

[हिंदी]

श्री महेश्वर सिंह (मंडी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं उस दिन कह रहा था कि जहां तक देश में नशीले पदार्थों के प्रचलन का संबंध है, इसका व्यापार न केवल शहरों में हो रहा है, बल्कि यह बीमारी हमारे पहाड़ों तक भी पहुंच गयी है। इससे हिमाचल प्रदेश भी अछूता नहीं रह गया है। जिस क्षेत्र से मैं चुनकर आता हूं, उसमें कुल्लू मनाली भी पड़ते हैं। जब से वहां हिप्पियों का आगमन हुआ है, तब से वहां का नौजवान, ईमानदार और भोलाभाला नौजवान, अपनी राह से भटक गया है। वहां का नौजवान आपको देश के अन्य भागों में, जेलों में बंद मिलेगा। कई जगहों पर वह कोर्ट कचहरियों के चक्कर काट रहा है। मैंने इस संबंध में पिछले 10 सालों के आंकड़े एकत्रित किये हैं, जिनके अनुसार कुल्लू जिले में, जिसकी जनसंख्या केवल दो लाख 16 हजार है, वहां भी यह अवैध धंधा जोरों पर है : सन् 1981 में वहां 32 किलो० चरस पकड़ी गयी, 1982 में 45 किलो० पकड़ी गयी, 1983 में 27 किलो० पकड़ी गयी, 1984 में 39 किलो०, 1985 में 15 किलो०, 1987 में 10 किलो०, 1988 में 29 किलो० और 1989-90 में केवल मात्र 2 किलो० चरस पकड़ी गयी। इसका अर्थ यह न समझें कि वहां धीरे-धीरे यह धंधा बंद होता जा रहा है बल्कि जैसे-जैसे पुलिस सतर्क होती जा रही है, वैसे-वैसे स्मगलर्स भी नित नये आधुनिक तरीके अपनाकर अपना व्यापार करते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा कि पिछले साल हमारे कुल्लू का एक नौजवान फ्रैंकफर्ट में जाकर पकड़ा गया···

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, आप उदाहरण की तरफ मत जाइये और सीधे-सीधे अपनी बात कह दीजिए। समय की कमी है।

श्री महेश्वर सिंह : ठीक है, सर। मैं कहना चाहता हूं कि केवल मात्र इस बिल की अवधि बढ़ा दिये जाने से ही काम नहीं चलेगा, इस बिल को व्यावहारिक बनाना होगा, सार्थक बनाना होगा और जितनी भी सामाजिक संस्थाएं इससे जुड़ी हैं, उनका सहयोग लेना होगा। जहां तक अफीम की खेती का प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश में अफीम की खेती पहले से काफी ज्यादा पैमाने पर होती रही है लेकिन बाद में सरकार ने रोक लगा दी। यहां हरीश रावत जी ने कहा कि वे अफीम की खेती पर पूरी तरह से बैन लगाये जाने के पक्ष में हैं, उत्तर प्रदेश में कम से कम अफीम की खेती पर प्रतिबंध लगा दिया जाना चाहिए, परंतु मैं उनकी बात से सहमत नहीं हूं। उपाध्यक्ष महोदय, अफीम की खेती से न केवल हमें अफीम प्राप्त होती है बल्कि पोस्त दाना भी मिलता है जो वहां के लोगों का स्टैपल है। इसलिये मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि हिमाचल प्रदेश में अन्य प्रदेशों की भांति अफीम की खेती करने पर जो रोक लगी है, उसे हटा कर, वहां के किसानों को अफीम की खेती करने की इजाजत मिलनी चाहिये। जैसा रावत जी का कहना है कि इसका अवैध धंधा बढ़ता जा रहा है, इसलिए अफीम की खेती बंद की जानी चाहिए, लेकिन हमारे यहां तो लोग गुड़ और चावल से भी शराब बनाते हैं तो क्या हम चावल की खेती और गन्ने की खेती को बंद कर दें। इसलिये मैं उनकी बात से सहमत नहीं हूं। मैं चाहता हूं कि इस कानून को ज्यादा सार्थक बनाने की जरूरत है, ज्यादा सख्त बनाने की जरूरत है और साथ में, जितनी सामाजिक संस्थाएं हैं, उनको साथ में लेकर चलने की जरूरत है ताकि देश में फैले इस अवैध धंधे को बंद किया जा सके। इन शब्दों के साथ मैं आपका, समय देने के लिये धन्यवाद करता हूं।

श्री जे० पी० अग्रवाल (चांदनी चौक) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे खुशी है कि आपने पूर्व बिल की अवधि को बढ़ाने के लिये सदन में एक विधेयक प्रस्तुत किया है, लेकिन अगर आप देश के हालात को देखें तो हमारे जितने नौजवान बच्चे इन ड्रग्स का शिकार हो रहे हैं, ड्रग्स लेते हैं, उनके मां-बाप भी इससे बहुत परेशान हैं और कहते हैं कि उनके बच्चों को आप जेलों में बंद कर दो, लेकिन उनके घरों से बाहर निकाल दो। उन बच्चों की ड्रग्स की वजह से इतनी बुरी आदत पड़ गयी है कि आप किसी भी गली में चले जाइये, किसी बाजार में चले जाइये, आपको हर जगह स्मैक मिल जायेगी, दूसरी ड्रग्स मिल जायेंगी। उनका एक चैनल बना हुआ है, जो दवाईयां सप्लाई करते हैं। मुझे यह कहते हुए अफसोस है कि हमारा एडमिनिस्ट्रेशन उन्हें पकड़ क्यों नहीं पाता, हजारों करोड़ों का धंधा होता है, यह भी सही है कि हर व्यक्ति इस काम को नहीं करता, इन ड्रग्स के ट्रेडर्स की संख्या बहुत थोड़ी है और उनका कोई चैनल ऐसा है, जिसके माध्यम से वे उन तक माल पहुंचाते हैं। अगर आप जाकर देखें और आपको चाहिए, तो आपको भी मिल जाएगी। मंत्री महोदय मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि आप किसी दिन मेरे साथ चलें, बिना पुलिस के, बिना सिक्योरिटी के, और अगर आप किसी पान वाले की दुकान के पास खड़े हो कर कहेंगे कि मुझे स्मैक चाहिए, तो एक छोटा-सा बच्चा आएगा और आपके हाथ में एक पुड़िया देकर चला जाएगा। आज यह हालत यहां पर हो गई है। इसलिए मैं आपसे यह दरख्वास्त करना चाहता हूं कि इतनी सख्ती करें कि उनकी जो प्रापर्टी है, उसको सील करें, उनको किसी भी सूरत में, किसी भी फायनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पैसा नहीं मिलना चाहिए। आज ऐसे लोग दूसरा व्यापार इसकी आड़ में करते हैं जिसके लिए बैंकों से लोन ले लेते हैं और सारा काम और पैसा नशीले पदार्थों को बांटने में लगा देते हैं। इस प्रकार से ये लोग छोटे-छोटे बच्चों

को खराब करते हैं। उनके माध्यम से इसको बंटवाते हैं। उसकी तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय को बताना चाहता हूं कि मुझे अफसोस है—पुरानी दिल्ली में इस समय जगह-जगह इनका व्यापार हो रहा है। पुलिस ने कुछ कैंप्स लगाए हैं, लेकिन उनमें उन लोगों को लाया जाता है, जो इसको कंज्यूम करते हैं जो इसको खाते हैं, लेकिन जो ट्रेडर्स हैं, जो वे आज भी खुले घूम रहे हैं। आप उनका नाम किसी से भी जानना चाहेंगे, तो हर-एक बता देगा, आपको इसमें कोई दिक्कत महसूस नहीं होगी, कोई भी बता देगा, लेकिन इसके बावजूद भी यह सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन क्यों उनको पकड़ नहीं पाता है? क्या वजह है? क्या साजिश है कि आज भी वे खुले-आम घूमते हैं, खुले आम व्यापार करते हैं उन पर कोई पाबन्दी लागू नहीं होती है। अगर आप दो-चार लोगों को पकड़ भी लेंगे, तो भी इनका जाल इतना बड़ा और फैला हुआ है कि ये लोग पुलिस की निगाहों में धूल झोंक कर या पुलिस के साथ मिलकर, मैं नहीं कहता कि सारे लोग पुलिस में ऐसे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे जरूर हैं और कुछ एडमिनिस्ट्रेशन में भी हैं, जिनकी मारफत या जिनके संरक्षण में यह काम होता है। इसलिए मैं यह चाहता हूं कि जहां आप उन लोगों के साथ सख्ती कर रहे हैं, वहां उस एरिया के जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, जो पुलिस वाले हैं और जो अफसर हैं, उनके खिलाफ भी उतनी ही सख्त कार्रवाई करें।

उपाध्यक्ष महोदय, क्या वजह है कि आज के नौजवानों को स्मैक और नशीले पदार्थ देकर खराब किया जा रहा है? नस्ल खराब की जा रही है। नौजवानों को राष्ट्रीयता से भड़काया जा रहा है और खुले आम ये सारे काम होते हैं। इसलिए मैं आग्रह करना चाहता हूं कि आप इसमें ज्यादा ध्यान दें और ज्यादा सख्त कार्रवाई करें, ताकि इसको रोका जा सके।

श्री नन्द कुमार साय (रायगढ़) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्तावित संशोधन पर अपने विचार रखने के लिए खड़ा हुआ हूं। जैसे कि मेरे और मित्रों ने अभी अपने विचार रखे हैं, देश के सामने यह एक अत्यन्त गंभीर समस्या है। जिस तरह से इन नशीले पदार्थों की तस्करी तेजी से बढ़ रही है, यह वास्तव में चिंता का विषय है। सरकार ने समय-समय पर कानून बनाकर इस तस्करी को रोकने का प्रयास किया है और कर रही है लेकिन मुझे लगता नहीं है कि इस धंधे में कोई रुकावट हो रही है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि कानून में संशोधन आवश्यक है, लेकिन मुझे जो लगता है कि इस पर एक बात यह भी जरूरी है की समाज में इनके प्रति जागरूकता पैदा की जाए। समाज में इसके खिलाफ बुराई पैदा करने का काम हमारी ओर से उतना नहीं हो सकता है जितना होना चाहिए और इस प्रकार यह काम पिछड़ रहा है। अभी हमारे एक मित्र ने कहा कि कुछ चीजों की खेती बंद कर दी जाए, अफीम की खेती बंद कर दी जाए, तो मैं समझता हूं कि कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको बंद करने की दिशा मे अगर आप विचार करते हैं तो यह गलत हो जाएगा। लेकिन इस पर कंट्रोल जरूर होना चाहिए। यह बहुत अच्छी विदेशी-मुद्रा दे सकती है। इसके लिए यह आवश्यक है कि इसकी तस्करी रुके, जगह-जगह जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं वहां पर आपने इसकी तस्करी रोकने के लिए जो तरीके अपनाए हैं, जो लोग वहां तैनात हैं, वे किस तरह

से हैं और कितने सालों से हैं इन सब बातों पर हमें विचार करना पड़ेगा। हमें इसकी वास्तविकता में जाना चाहिए और मैं यह भी समझता हूं कि इसमें आम जनता का सहयोग और भागीदारी किस तरह से ली जा सकती है, इस पर भी विचार करना चाहिए। तस्करी और खासतौर से नशीले पदार्थों की हो और जैसा हमारे मित्रों ने कहा कि कहीं पर भी चले जाइए, आपको जीवनोपयोगी चीज एक बार नहीं मिलेगी, लेकिन ये नशीले पदार्थ आराम से मिल जाएंगे, गली में, कूचे में, छोटी जगह में, बड़ी जगह में, हर जगह मिल जाएंगे। इस पर ध्यान देना चाहिए।

मैं कहना चाहता हूं कि इस पर समाज को और जागृत करने की आवश्यकता है। इसे रोकने के लिए सभी सहयोग करें, सरकार को सहयोग करें। जो कानून बना है और जो करने जा रहे हैं, उस पर आम जनता की भागीदारी हो, यह मेरा निवेदन है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री हेमेन्द्र सिंह बनेड़ा (भीलवाड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी ने पी० एस० ए० और एन० डी० पी० एस० जो दो बिल सदन के समक्ष पेश किए हैं, मैं समझता हूं कि मानव सभ्यता को ऐटम बम से ज्यादा खतरा विश्व में मादक द्रव्यों से है। ऐटम बम जहां भी गिरेगा, पांच-दस मिनट में वहां विनाश हो जाता है परंतु इन मादक द्रव्यों के जरिए आप देख रहे हैं प्रतिदिन किस तरह से तांडव देखने को मिल रहा है, घर-घर में तांडव देखने को मिल रहा है। यह स्थिति बड़ी विस्फोटक और भयावह है। हमारे पास देश में इस दशक के बाद जो आंकड़े आएंगे उन आंकड़ों से आपको पता लगेगा कि भारतवर्ष में इस दशक के बाद कम से कम डेढ़ करोड़ नौजवान व्यक्ति ऐसे होंगे जो आदतन मादक द्रव्यों का इस्तेमाल करने वाले होंगे। ऐसी भयानक परिस्थिति हमारे सामने है। इससे निपटने के लिए यदि सरकार कोई कठोर कदम उठाती है तो हमें सदन का और सरकार का साथ देना चाहिए। मैं दो-तीन पाइंट्स इस बिल के मुतल्लिक आपके सामने पेश करूंगा। मेरा निवेदन है कि बार-बार दो साल की सजा देने का जो प्रावधान है, जो संशोधन करके लाया जाता है, क्यों नहीं यह सरकार इस प्रावधान को मुस्तकिल कर देती है। अब यह स्थिति यदि आपके कंट्रोल में आ जाए तो इसको संशोधन करके ठीक किया जा सकता है। बार-बार इस अवधि को बढ़ाने से बेहतर होगा कि इस फीचर को, इस ऐक्ट को परमानेंट रूल बना दिया जाए। दूसरा हाई वलनरेबल ऐरिया टू स्मगलिंग में दिल्ली हवाई अड्डा आता है। देश में जितने भी हवाई अड्डे हैं उन सभी को ऐरिया आफ हाई वलनरेबल स्मगलिंग घोषित कर देना चाहिए। हमारी सीमा के पास जो भी कोस्टल ऐरिया है उसमें सौ किलोमीटर के अन्दर ऐरिया आफ हाई वलनरेबल घोषित करना चाहिए। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कोफा पोसे के अन्दर जो भी पकड़ा जाता है और उसके लिए जो डिटेंशन आर्डर दिया जाता है, उस व्यक्ति का केस ऐडवाईजरी बोर्ड तक पहुंचने से पहले ही वह स्टे आर्डर लेकर छूट जाता है। मेरा वित्त मंत्री से निवेदन है कि जो भी आफिसर डिटेंशन आर्डर निकाले उसके ऊपर ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि वह जुडिशियल स्क्रूटनी वहां पर सस्टेन कर सके। जो आर्डर छोटी-सी टैक्नीकल मिस्टेक्स के ऊपर खारिज कर दिया जाता है तो उस आफिसर को उसके लिए रिसपांसिबल बनाया जाना चाहिए।

मैं केवल एक निवेदन और करना चाहता हूं कि हमारे भीलवाड़ा क्षेत्र में हशीश बड़ी मात्रा में पकड़ी गई। जिसने यह साहस उठाकर यह हशीश पकड़वायी उसको वित्त मंत्रालय की तरफ से

जो कुछ ईनाम के तौर पर मिलना चाहिए था वह नहीं दिया गया। जामनगर का उदाहरण मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूं। वहां एक अफसर 1987 से 1990 तक रहा। करोड़ों रुपए की स्मगलिंग जो कच्छ के सीमावर्ती क्षेत्र में होती है उस अफसर के वहां रहते एक भी केस कस्टम और एक्साइज के जरिए नहीं पकड़ा गया। छोटे-मोटे केस पुलिस वालों ने पकड़े। मैं वित्त मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि ऐसे सेंसटिव एरियाज के अन्दर आप ईमानदार व्यक्तियों को लगायें और जो अपनी ड्यूटी ठीक से न करें उनके खिलाफ कार्यवाही करें।

मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र से ताल्लुक रखती एक चीज के संबंध में आपसे निवेदन करना चाहता हूं। अफीम की बहुत स्मगलिंग होती है। हमारे यहां कई भागों में अफीम की बहुत अच्छी खेती होती है जिससे हमें करोड़ों की आय होती है। इस कारण इसकी खेती को बंद करना उचित नहीं होगा। जहां पर ओलों या वर्षा के कारण अफीम की खेती को नुकसान होता है, मेहरबानी करके आप उन गरीब काश्तकारों को इससे राहत दिलायें और इसकी पूरी जांच करवायें। वहां के लोकल अफसरों की रिपोर्ट के आधार पर अपना मानस न बनायें ताकि काश्तकार लोग अपने हित की सुरक्षा कर सकें।

इतना ही कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

प्रो० के० वी० थामस (एरणाकुलम) : महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत किए गए दोनों संशोधन विधेयकों का समर्थन करता हूं। नशीले पदार्थों का अवैध व्यापार और तस्करी ऐसी समस्याएं हैं जिनका सामना न केवल विकसित देश, अपितु विकासशील देश भी कर रहे हैं।

मादक द्रव्यों के अवैध व्यापार के विषय जब बात होती है तो इसके दो पहलू हैं··· (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : हमें इसके सैद्धांतिक पक्ष में नहीं जाना चाहिए, आप जो कुछ भी कह रहे हैं, वह पूरी सभा को मान्य है। ये विधेयक कानूनों को दीर्घावधिक बनाने से संबंधित मात्र है। अधिक महत्व के कुछ और विषय भी हैं जिन पर अधिक समय दिया जा सकता है।

प्रो० के० वी० थामस : एक पक्ष तो यह है कि भारत के (गोल्डन ट्रायंगल) स्वर्ण-त्रिकोण स्थिति में होने के कारण, ये तस्कर और मादक द्रव्यों के अवैध व्यापारी भी समाज-विरोधी तत्वों से सम्पर्क बना लेते हैं और इससे वे विशेषकर सीमावर्ती क्षेत्रों में उथल-पुथल मचाते हैं। उदाहरण के लिए, दिसम्बर, 1989 में एक समाचार था कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में कतिपय अर्ध-सैनिक बल भी मादक द्रव्यों के अवैध व्यापार में संलिप्त थे। सरकार को पता लगाना चाहिए कि इस स्थिति से कैसे निपटा जा सकता है।

जहां तक तस्करी का संबंध है, आजकल हमारे देश के दक्षिणी-पश्चिमी तटवर्ती क्षेत्र में तस्करी संबंधी गतिविधियों, विशेष रूप से, स्वर्ण और इलैक्ट्रानिक्स सामान की तस्करी का ज्यादा जोर हो गया है। आजकल तस्कर लोग सीमा शुल्क एजेन्सियों से अधिक बेहतर तरीके से सुसज्जित हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रो० थामस, विधेयक बहुत सरल है और सरकार केवल इसका क्षेत्र बढ़ाना चाहती है। अतः हमें इन सभी बातों में नहीं जाना चाहिए।

प्रो० के० वी० थामस : मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं।

महोदय, हाल ही में लक्षद्वीप के निकट सीमा शुल्क एजेन्सियों द्वारा पकड़े गए एक जहाज में तस्करों के पास बेहतर संचार प्रणाली थी। उनके पास उपग्रह संचार प्रणाली तक थी जबकि हमारे सीमा शुल्क वालों के पास इन तस्करों से निपटने के लिए इस तरह की कोई प्रणाली नहीं है। उनके पास कहीं बेहतर उपकरण हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस ओर ध्यान देगी ताकि सीमा शुल्क अधिकारी बेहतर रूप से सुसज्जित हो सकें।

पहले कुल माल का तस्करी वाले माल का मूल्य दस प्रतिशत सीमा शुल्क अधिकारियों और दस प्रतिशत सूचना देने वाले को देने का निर्णय किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने इनमें से एक मामले में सीमा शुल्क अधिकारियों को इस पुरस्कार से वंचित कर दिया। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस मामले पर ध्यान देगी ताकि सीमा शुल्क अधिकारियों को यह न्याय्य अधिकार मिल सके।

[हिन्दी]

श्री राजवीर सिंह (आंवला) : उपाध्यक्ष जी, मैं इस विधेयक पर इतना ही कहना चाहता हूं कि एक तो यह जो मादक औषधियां हैं, यह जहर हैं, इनसे समाज में बड़ा जहर फैल रहा है। नौजवान लड़के लड़कियां उसके आदी होते जा रहे हैं, घर बर्बाद हो रहे हैं और इसके बड़े दुष्परिणाम निकलेंगे मगर केवल इसके दुष्परिणाम निकलेंगे और निकल रहे हैं, केवल इसी आधार पर गरीब खेती करने वालों को वंचित न किया जाय। हो यह रहा है···

उपाध्यक्ष महोदय : वह पाइंट दूसरों ने कह दिया है।

श्री राजवीर सिंह : मैं उसका भुक्तभोगी हूं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : जो बातें पहले कही जा चुकी हैं, उनकी पुनरावृत्ति करने की आवश्यकता नहीं है।

[हिन्दी]

श्री राजवीर सिंह : उपाध्यक्ष जी, मैं मंत्री जी से इस बारे में बहुत आग्रह कर चुका हूं। आज आपके माध्यम से आग्रह करना चाहता हूं। हो यह रहा है, बहुत आवश्यक बात कहना चाहता हूं, मंत्री जी से मेरी बहुत बात हो चुकी है···(व्यवधान)···मैं नया पाइंट ही बता रहा हूं। मैं रिपीट नहीं कर रहा हूं। हो यह रहा है कि पिछले दो तीन वर्षों से यह जो पोस्त की खेती करने वाले किसान हैं···

उपाध्यक्ष महोदय : 4-5 लोगों ने वह पाइंट कह दिया है।

श्री राजवीर सिंह : मैं जो कह रहा हूं, वह किसी ने नहीं कहा है। पोस्त तो कहूंगा ही, क्योंकि उसकी खेती होती है। मैं जो कह रहा हूं, वह किसी ने नहीं कहा है···

उपाध्यक्ष महोदय : सबने कहा है।

श्री राजवीर सिंह : यह नहीं कहा है। पोश्त तो सब कहेंगे, मगर वह क्यों परेशान हो रहे हैं, यह कहना चाहता हूं। पोश्त की खेती करने वाले किसानों के साथ पिछले तीन वर्षों से दुर्भाग्य यह रहा है कि जब-जब फसल आती है, होली के आस-पास, ओला पड़ जाता है, पानी पड़ जाता है, फसल बह जाती है तो उनका एवरेज कम हो जाता है, जब वह कम एवरेज देकर खरीद केन्द्र पर, विक्रय केन्द्र पर देने जाते हैं तो उनका वह एवरेज पूरा नहीं होता। मैंने मंत्री जी से कई बार आग्रह किया है कि ऐसी जो बाधाएं हैं, इस प्रकार की जो दैवी आपदाएं आती हैं, उस समय किसानों को यह कहकर कि तुम्हारा एवरेज पूरा नहीं हुआ, अगले साल के लिए तुम्हें लाइसेंस नहीं दिया जाएगा, इसके कारण से बड़ा असंतोष पैदा हो रहा है, किसान बहुत परेशान हैं। अगर प्रतिबंध लगाना ही है तो फिर सबसे ऊपर लगाइए। धीरे-धीरे करके लगाने से क्या होता है कि इसमें भ्रष्टाचार पनपता है। इसमें स्थानीय अधिकारी जिसकी रिपोर्ट अच्छी बनाते हैं, उसको मिल जाता है, जिसकी जेब गर्म नहीं करें, उसकी रिपोर्ट खराब हो जाती है, उसको लाइसेंस नहीं मिलता है। मैंने मंत्री जी से आग्रह किया था, मैं आपके माध्यम से फिर आग्रह करना चाहता हूं कि इस पर मंत्री जी विचार करें कि जो गरीब किसान हैं, जो इसके उत्पादक हैं, उनको कष्ट न हो और स्मगलरों को कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री सैयद मसूदल हुसैन (मुर्शिदाबाद) : इसमें नया पाइंट यह है कि सबसे बुरा नशा धर्म की ठेकेदारी का नशा है, जो इस बिल में नहीं है।

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : माननीय उपाध्यक्ष जी, मुझे भी दो एक शब्दों में निवेदन करना है कि पहले तो यह जो नशीले पदार्थों का कानून है, इसका सख्ती से पालन हो। इसके साथ ही मेरा यहां पर निवेदन करना है कि सलाहकार बोर्ड को भी पाबंद किया जाए, सलाहकार बोर्ड भी अपनी राय जो उसको 6 महीने में देनी है, वह दे दे तब मैं समझता हूं कि समय बढ़ाने की कहीं पर कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी।

इसी प्रकार से मेरा यहां पर निवेदन करना है कि यदि कहीं पर कोई अधिकारी इस प्रकार का आचरण यदि करता है तो उसको भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए।

दूसरी बात यह है कि इस सारे के सारे व्यापार का अड्डा विशेषकर जेल है और जेल में सारे कैदियों को, साधारण और इन कैदियों को एक साथ रखा जाता है। इसलिए मेरा मतलब है कि जेल में इस प्रकार का धन्धा न चले, उन कैदियों को, जो नशीली वस्तुएं बेचते हैं, इनको अलग रखा जाय और साधारण कैदियों को अलग रखा जाय। यदि जेल में भी इस प्रकार की कार्यवाही हो तो जेल के अधिकारियों को, जो इन सारे मामलों में लिप्त हैं, उनको भी सजा दी जानी चाहिए।

तीसरा मेरा निवेदन करना यह है कि अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में प्रति किलो इसकी कीमत एक करोड़ रुपए के करीब हम आंकते हैं और कहते हैं कि जो नशीले पदार्थ हमको मिलते हैं, इनको हम जला देते हैं। वास्तव में वे जलाए नहीं जाते हैं। अधिकारी उनको वापिस दे देते हैं और वापिस दे देने के कारण फिर मैदान में आ जाते हैं तथा नशीले पदार्थों का यह काम समाप्त नहीं होता है, सर्कूलेशन होता रहता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस गम्भीर समस्या पर विचार किया जाए। इसके अलावा

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि अमरीका वगैरह में इन पदार्थों की ज्यादा उपयोगिता है, यदि ये पदार्थ उनको बेच दें तो हमारे पास विदेशी मुद्रा भी आ जाएगी और जलाने के कारण जो नष्ट हो जाता है, वह भी नहीं होगा। यह हमारे देश में हिप्पी लोग भी आते रहते हैं, वे इन चीजों को फैलाने में लगे हुए हैं, जिसमें धार्मिक स्थल इसके ज्यादा शिकार हैं। अतः वाराणसी के साथ पुष्कर, मथुरा, इलाहाबाद, गया, हरिद्वार आदि स्थानों को भी इस बिल में जोड़ा जाना चाहिए, केवल वाराणसी को ही नहीं। हमारे यहां राजस्थान में सरिस्का बांध परियोजना में स्थित वन विभाग के विश्राम गृह में नशीले पदार्थ गांजे के पेड़ लगा रखे हैं। उन पेड़ों को लगाने के सख्त दोषी कौन हैं, उनके खिलाफ भी सरकार द्वारा कार्यवाही की जानी चाहिए।

मैं एक शब्द अन्तर्देशीय सीमा के बारे में भी कहना चाहता हूं। आपने अन्तर्देशीय सीमा इस बिल में पचास किलोमीटर दूर क्यों रखी है, जबकि पहले वाले बिल में यह सीमा सौ किलोमीटर थी। दोनों में भेद क्यों है ? मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि यह सीमा सौ किलोमीटर की जानी चाहिए। इसके बाद मैं एक निवेदन तस्करी से संबंधित भी करना चाहता हूं, तस्करी का पकड़ा गया अधिकतर उपभोक्ता सामान राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता महासंघ के माध्यम से बेचा जाता है। लेकिन इसमें देखा यह जाता है कि टीवी, घड़ियां, वीसीआर उपकरण महीनों अधिकारियों के घर पर पड़े रहते हैं और कह यह कह दिया जाता है कि तस्करी का माल हमारे पास नहीं है। यह क्रेता उपभोक्ताओं के साथ धोखाधड़ी है। मेरा निवेदन है कि इन वस्तुओं का राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता बिक्री केन्द्र पर मांग-पत्र का पंजीकरण होना चाहिए। इस प्रकार जो भी माल तस्करी का अधिकारी के पास न पहुंचे तथा उसको बेचा जा सके।

सोने की तस्करी के बारे में मेरा निवेदन यह है कि अप्रवासी भारतीयों व पर्यटकों को मामूली सीमा शुल्क पर, इस संबंध में बोर्ड ने पहले भी निवेदन किया था, सोना लाने देने की सुविधा देनी चाहिए। बोफोर्स का मामला भी इससे ही संबंधित है। वर्तमान सरकार ने दो महीनों में, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि मेरी सरकार होते हुए भी, दो बार बोफोर्स के अभियुक्तों को पकड़ने की घोषणा की थी, परंतु आज आठ महीने हो गए अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की है। चाहे बोफोर्स का मामला हो, चाहे पनडुब्बी का मामला हो, चाहे हैलीकॉप्टर का मामला हो—इन सभी मामलों में सरकार ने पिछले आठ महीने में अभियुक्तों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की है। सरकार विदेशी खातों के बारे में कुछ पता नहीं लगा सकी है और यह कानून मजाक बनकर रह गया है। इस संबंध में मेरा निवेदन है कि सरकार गम्भीरता से विचार करे।

अंत में, मैं बाघों की खाल की तस्करी के बारे में कहना चाहता हूं। सरिस्का में 1988 में 45 की संख्या के स्थान पर 1989 में बाघों की संख्या 19 रह गई है। जब 19 बाघों की संख्या रह गई है, तो इसका मतलब है कि बाकी के बाघ मर गए हैं और उनकी खाल की तस्करी हो गई है। उम्मीद है, माननीय मंत्री जी इन दोनों बातों के संबंध में विचार करेंगे और सख्त कार्यवाही करेंगे। इन शब्दों के साथ आपको धन्यवाद, आपने बोलने के लिए समय दिया।

[अनुवाद]

डा० तम्बि दुरै (करूर) : महोदय, मादक द्रव्यों के अवैध व्यापार के संबंध में बोलते हुए

मैं अपने मंत्री जी का ध्यान दो दिन पहले हमारे ध्यान में आए इस समाचार की तरफ दिलाना चाहता हूं कि एक महिला दूसरे देश में ब्राउन शुगर ले जाने के प्रयास में मद्रास में पकड़ी गई। आपने भी इस बारे में पढ़ा होगा। तमिलनाडू में मादक द्रव्यों की समस्या बहुत गम्भीर है क्योंकि कुछ विदेशी लोग आते है और यहां ठहरते हैं। इससे हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ता है। मादक द्रव्यों के अवैध व्यापार के अनेक दृष्टान्त हैं। मुझे नहीं पता कि सरकार क्या कर रही है।

दूसरी घटना जो हमने सुनी थी वह यह है कि कुछ लोग बड़ी संख्या में हथियार लाए थे। लेकिन जब वे समुद्र तट पर पहुंचे, तो हमारे सीमा शुल्क अधिकारियों ने हथियार जब्त कर लिए और इनकी कीमत 10 करोड़ रु० की। मुझे नहीं मालूम कि सरकार ने इन लोगों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है।

कई बार बहुत से लोग हो रही गतिविधियों का सुराग देना चाहते हैं। हमारी सरकार भी कहती है कि जानकारी देने वाले व्यक्तियों को कुछ प्रोत्साहन दिया जायेगा। लेकिन यह विभाग अपनी बात निभाता नहीं है। इस तरह के सुराग देने वाले लोगों की जान को खतरा भी रहता है। आप 10 प्रतिशत और अब 20 प्रतिशत जैसे आर्थिक पुरस्कारों की घोषणा भी करते हैं। लेकिन वह भी उचित रूप से नहीं दिया जाता। मैं मंत्री जी से इन सभी बातों, विशेषकर तमिलनाडू में जो कुछ हो रहा है, उसकी तरफ ध्यान देने का अनुरोध करता हूं। इससे पूरे देश विशेषकर इस राज्य की युवा पीढ़ी पर प्रतिकूल असर पड़ता है। जब ये लोग ऐसे मादक द्रव्य लाते हैं, तो विद्यार्थी भी इनका उपयोग करते हैं। उनका जीवन नष्ट हो जाता है। अतः मैं आपसे इस संबंध में आवश्यक कदम उठाने के लिए अनुरोध करता हूं।

[हिन्दी]

श्री राम कृष्ण यादव (आजमगढ़) : माननीय उपाध्यक्ष जी, मादक द्रव्यों और तस्करी का व्यापार कोई राष्ट्रीय अपराध ही नहीं है बल्कि सामाजिक अपराध भी है, इसमें कड़े से कड़ा दण्ड देना आवश्यक है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि दण्ड की प्रक्रिया चाहे कितनी ही कड़ी कर दी जाये, उससे कुछ होने वाला नहीं है। इसमें पुलिसकर्मियों की सबसे ज्यादा जिम्मेदारी है। यदि पुलिसकर्मी चाहें तो किसी भी कानून का ठीक तरह से पालन हो सकता है, नहीं तो नहीं। सारे के सारे पुलिसकर्मी तस्करी, मादक द्रव्यों और स्मगलिंग आदि का गलत तरीके से व्यापार कराते हैं और इसमें निरपराध आदमी पकड़े जाते हैं। मेरा कहना यह है कि जो कानून बना है, अगर पुलिस उसका ठीक से कार्यान्वयन कराये तो चाहे हल्का दंड हो या कड़े से कड़ा दण्ड हो, उसका ठीक से पालन हो सकता है।

दूसरा मेरा निवेदन यह है कि तस्करी को हमारे देश में एक सामाजिक सम्मान के रूप में देखा जाता है, मादक द्रव्यों का व्यापार और उसका सेवन करना भारतीय संस्कृति के रूप में माना जाता है। एक बहुत बड़े तस्कर ने कहा था कि कोई भी विक्रेता, राजनेता ऐसा नहीं है जो रात को मेरे दरबार में न आता हो या मेरा दरबार न करता हो और मुझसे पैसा न मांगता हो।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पुलिस और राजनेताओं का संरक्षण, ये दो चीजें ऐसी हैं जो देश में तस्करी और मादक द्रव्यों को बढ़ावा दे रही हैं। अगर हमारी और कानून बनाने वालों की

नीयत साफ हो जाये तो मेरा विश्वास है कि तस्करी की समाप्ति और मादक द्रव्यों का व्यापार समाप्त हो सकता है। हम तस्करी को सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। मैं चाहता हूं कि इसके लिये कड़े से कड़ा कानून बन जाये और उसको कार्यान्वयन करने की समुचित व्यवस्था की जाये।

वित्त मंत्री (प्रो० मधु दंडवते) : उपाध्यक्ष जी, ये जो दो विधेयक मैंने सदन के सामने विचार के लिए प्रस्तुत किए हैं उनका दायरा सीमित है। जिन सदस्यों ने अपने विचार सदन के सामने रखे हैं उन्होंने इन विधेयकों की चर्चा का फायदा उठाकर, गलत तरीके से नहीं ठीक तरीके से अपने जो सवाल हैं, अफीम और दूसरी चीजों के बारे में आपके सामने रखें, मैं जरूर उन पर विचार करूंगा। सबसे पहले जब जसवंत सिंह जी ने स्टेचुटरी प्रस्ताव यहां सदन के सामने रखा तो मैं समझता हूं कि उन्होंने ठीक एक दलील प्रस्तुत की और दूसरे साथियों ने भी बताया, उन्होंने कहा कि अगर बजट सत्र में मैं ये सारे सवाल आपके सामने लाता तो फिर आर्डीनेंस अध्यादेश लाने की कोई जरूरत महसूस न होती। मैं उनके विचारों के साथ पूरी तरह से सहमत हूं।

मेरे पास हमारे संसद के कार्यालय ने इस आर्डीनेंस के बारे में जो कुछ पब्लिकेशन प्रकाशित किया है, कई मर्तबा इस सदन के सामने उसकी जानकारी रखी है और पहली लोक सभा से लेकर हमारे सबसे पहले अध्यक्ष मावलंकर जी ने कई बार यहां रूलिंग और निर्णय देकर और दो मर्तबा भूत-पूर्व प्रधान मंत्री पं० जवाहर लाल नेहरू जी के साथ पत्र व्यवहार के जरिए उन्होंने बार-बार ये बताया कि अध्यादेश जारी करने का रवैया जनतांत्रिक नहीं है जब अत्यावश्यक हो तो सिर्फ आर्डीनेंस आना चाहिए, अध्यादेश आना चाहिए, लेकिन सारे काम विधेयक के जरिए होने चाहिए। मैं उनके साथ सहमत हूं। मैं माननीय सदस्य को याद दिलाना चाहता हूं कि हमारी दिक्कत ये थी कि 31 जुलाई, 1990 तक जो स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 10 की उपधारा (1) में तथा विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 की धारा 9 की उपधारा (1) में विशेष प्रावधान था, वह समाप्त हो रहा था और उसके बाद 7 अगस्त को लोक सभा का नया सत्र शुरू हो रहा था, बीच में खाई थी, अगर इस वक्त किसी प्रकार का विधेयक या आर्डीनेंस न होता तो फिर मैं समझता हूं कि तस्करों के लिए और नशीले पदार्थों का व्यापार करने वालों के लिए खुली सहूलियत मिल जाती और उससे भी हमारे देश को नुकसान होता है। अब आप सवाल पूछेंगे कि उससे पहले क्यों नहीं किया, उसमें दिक्कत यह थी कि 44 कांस्टीचूशनल अमेंडमेंट में, जिसमें डिटेंशन का जिक्र है और खतरनाक एरिया का जिक्र है कि जिन परिस्थितियों तथा मामलों में व्यक्तियों को सलाहकार बोर्ड की राय प्राप्त किए बिना तीन माह से अधिक अवधि के लिए निरोध में रखा जा सकता है, अगर उसके बारे में हम अन्तिम फैसला बजट के सत्र में न लेते तो हो सकता है कि अध्यादेश लाने की आवश्यकता महसूस न होती, चूंकि वह काम हम उस वक्त पूरा नहीं कर पाये और 31 जुलाई को उसकी अवधि समाप्त होती है और बीच में वेक्युम होता है। इसको टालने के लिए हम लोगों को सीमित वजन लाने की आवश्यकता हुई। यह बताने के बाद इस विधेयक के सिलसिले में मैं इतना ही कहूंगा कि एडवायजरी बोर्ड का मत हासिल करने के लिए कितनी मदद देनी चाहिए और डिटेंशन की सीमा कितनी होनी चाहिए। डिटेंशन की सीमा कितनी होनी चाहिए, उसमें तब्दीली करने वाले संशोधन मैंने पेश किए हैं। हमारे माननीय सदस्यों ने जो भाषण यहां पर दिए हैं, उन भाषणों से एक बात साफ है, चाहे विरोध पक्ष के सदस्य

हों या सत्ता पक्ष के हों, सभी सदस्यों ने कहा कि तस्करों और नशीले पदार्थों का व्यापार करने वालों का मुकाबला करने के लिए हम इन बिलों का समर्थन करते हैं और अन्य सुझाव भी दिए गए हैं। मैं ज्यादा उनका जिक्र नहीं करूंगा, आपने ठीक कहा कि इनका दायरा सीमित है, जो सारे सवाल उठाए गए वे दायरे के बाहर हैं, फिर भी मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश और दूसरे क्षेत्रों से आए हुए साथियों ने जैसा कहा कि अफीम की खेती करने वाले किसानों पर अगर पूरी पाबंदी लगा देंगे तो शायद उनके लिए बड़ा नुकसान होगा, मैं भी इस बात को मानता हूं कि खेती कोई गलत चीज नहीं है, लेकिन जो अफीम पैदा होती है। और उसका जो गलत इस्तेमाल होता है, उस गलत इस्तेमाल को रोकना है। खेती को रोकने की आवश्यकता नहीं है। एक साथी ने ठीक कहा कि किसान गन्ने का भी उत्पादन करता है, लेकिन उसी गन्ने से चीनी के साथ-साथ शराब और अन्य नशीले पदार्थ भी तैयार किए जा सकते हैं। इसलिए जनता को चीनी मिलना बंद हो जाए, इसलिए गन्ने की खेती तो नहीं रोकी जा सकती। इसलिए जो गलत इस्तेमाल होता है, उसकी तरफ ध्यान देना होगा, अफीम के भी गलत इस्तेमाल की तरफ ध्यान देना होगा।

लायसेंस के सिलसिले में, उसकी परख के सिलसिले में, मशीन से परख हो या हाथ से परख हो, इस बारे में किसानों को जो अड़चनें हैं, उनका भी जिक्र करूंगा। इस बारे में मैं आश्वासन देना चाहता हूं कि जितने भी किसानों को दिक्कतें हैं, उनको हल करने की पूरी कोशिश इस सत्र में करूंगा।

श्री महेश्वर सिंह : हिमाचल प्रदेश को भी लायसेंस दीजिए।

प्रो० मधु दण्डवते : जरूर, ठीक है, देखिए अफीम का असर सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही नहीं, हिमाचल प्रदेश में भी है। (व्यवधान)

डा० लक्ष्मीनारायण पांडेय (मन्दसौर) : मध्य प्रदेश को क्यों भुला रहे हैं।

प्रो० मधु दण्डवते : ठीक है, मैं जानता हूं कि हिमाचल प्रदेश, मध्यप्रदेश और बाकी राज्यों पर, जहां-जहां अफीम की खेती होती है, सभी पर अफीम का असर है और उन सभी राज्यों में लायसेंस के प्रावधान के बारे में जो भी अड़चनें हैं, उनको दूर करने की कोशिश करूंगा।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मैं यह कहना चाहता हूं कि इसमें कोई प्रतियोगिता नहीं होनी चाहिए।

[हिन्दी]

प्रो० मधु दण्डवते : ठीक है उपाध्यक्ष जी, आपने ठीक कहा है कि इस मामले में ज्यादा कंपीटीशन या स्पर्धा न करें। मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता, जैसा कि आपने कहा था कि इन विधेयकों का दायरा बहुत सीमित है, ये सीमित दायरे के विधेयक मैंने विचारार्थ रखे हैं। मुझे उम्मीद है कि एक राय से ये विधेयक पारित होंगे। सबसे पहले मैं इन विधेयकों को विचारार्थ रखूंगा।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री जसवंत सिंह यहां उपस्थित नहीं हैं। अब मैं उनके संकल्प को सदन में मतदान के लिए रखता हूं :

प्रश्न यह है :

"कि यह सभा 30 जुलाई, 1990 को राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण (संशोधन) अध्यादेश, 1990 (1990 का अध्यादेश संख्या 4) का निरनुमोदन करती है।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार (संशोधन) विधेयक

उपाध्यक्ष महोदय : अब, मैं विचाराधीन प्रस्ताव को सदन में मतदान के लिए रखता हूं :

प्रश्न यह है :

"कि स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण अधिनियम, 1988 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब सदन में विधेयक पर खण्ड-वार विचार किया जाएगा। खण्ड 2, इस पर श्री प्यारेलाल हान्डू द्वारा एक संशोधन दिया गया है। क्या आप इसे प्रस्तुत कर रहे हैं?

खण्ड 2 — 1988 के अधिनियम 46 की धारा 10 में संशोधन

श्री प्यारे लाल हान्डू (अनन्तनाग) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"पृष्ठ 1, पंक्ति 10,

"31 जुलाई, 1993" के स्थान पर "31 जुलाई, 1991" प्रतिस्थापित किया जाए।

महोदय, वर्तमान विधेयक के बारे में दो राय नहीं हैं। जैसाकि यह है, इसे इसी रूप में समर्थन करना है। लेकिन सावधानी के लिए मैं कुछ कहना चाहता हूं और सावधानी करना बहुत आवश्यक है क्योंकि माननीय वित्त मंत्री में जो कुछ कहा है वह उन कारणों के संबंध में है जिनमें अध्यादेश पारित करना पड़ा था। इनमें से एक अधिनियम 1974 का है और दूसरा अधिनियम 1988 का है। 1974 का जो अधिनियम है वह विगत सोलह वर्षों से विद्यमान है। हम इस बात से अत्यधिक प्रभावित होते, यदि अध्यादेश के कारणों के साथ एक नोट में अपने सांविधि पुस्तिका के अधिनियम की धारा 9 के संबंध में इतने कड़े कदम उठाने से मिली उपलब्धि के बारे में भी एक विहंगम् दृष्टि डाली होती। जबकि हम इन कानूनों को पारित करते हैं? हम संविधान की धारा 22 के आदेश को आसानी से नहीं भूल सकते। आज हम जो अधिनियमित कर रहे हैं, वह संविधान की धारा 22 का एक मुख्य अपवाद है, जो अधिक सक्षम है, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम में शामिल किए गए विधान से भिन्न है और जब इसे बनाया गया था तो उस समय इसके लिए कारण

भी था। लेकिन इस समय, 16 वर्षों के बाद, जब हम यह सत्ता फिर से तीन अन्य वर्षों के लिए लेने का प्रदान कर रहे हैं, उन कारणों के बारे में कुछ और कहने की आवश्यकता है जो कि बताया नहीं गया है।

दूसरी ओर संशोधन लाने के लिए मुझे जिस बात ने प्रेरित किया है वह नीचे एक पंक्ति के रूप में और उद्देश्य और कारणों के कथन में भी दी गई है :

"तथापि, विगत दो वर्षों के दौरान अत्यधिक प्रभावित क्षेत्रों में स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थों के पकड़ने के संबंध में आंकड़ों का तुलनात्मक विश्लेषण......... अर्थात्, चूंकि 1988 के 46 से,

"......पता लगता है कि स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थों में अवैध व्यापार उक्त क्षेत्रों में किसी भी तरह से कम नहीं हुआ है।"

अत: इन प्रभावित क्षेत्रों में इस कानून की विद्यमानता से स्थिति में तनिक भी कमी नहीं हुई है। मैं वित्त मंत्री से अनुरोध करता हूं कि हमें यह बताएं कि वह अनुमान कैसे लगाते हैं कि अगले तीन वर्षों के लिए, यदि वही असामान्य शक्तियां प्रदान की जाती हैं, तो धारा 9 या धारा 10, जिसमें अन्य अधिनियम की धारा 11, के साथ पढ़े जाने पर, के अन्तर्गत नजरबंद करने से स्थिति में कैसे सुधार आयेगा ? अन्य अधिनियम के संबंध में, जो अब 16 वर्षों से अधिक समय से सांविधि पुस्तिका में हैं...

उपाध्यक्ष महोदय : आप चाहते हैं कि इसे 1993 तक के लिए बढ़ाया न जाए। आप इसे 1991 तक ही बढ़वाना चाहते हैं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आपके संशोधन के पीछे तर्काधार क्या है; कृपया हमें बताइए ?

श्री प्यारे लाल हाण्डू : मेरा तर्काधार यह है कि उक्त उपबन्ध 16 वर्ष से अधिक समय से विद्यमान है, आज स्थिति यह है, जैसा कि कारणों में स्पष्ट किया गया है कि इसमें बिल्कुल कमी नहीं आई है। ये असामान्य शक्तियां देकर, जबकि अनुच्छेद 22 के लिए दो अपवादों का प्रावधान कर रहे हैं, आप नजरबंद करने वाले अधिकारी के लिए छ: माह की अवधि के दौरान परामर्शदात्री बोर्ड का परामर्श लेना संभव कर रहे हैं, जबकि संविधान केवल 10 दिन या तीन सप्ताह की अनुमति देता है। आप संवेदनशील और गैर-संवेदनशील क्षेत्र में अन्तर कर रहे हैं, और वहां नजरबंदी का समय एक वर्ष से अधिक कर रहे हैं, और कतिपय क्षेत्रों में दो वर्षों तक के लिए। इस शक्ति के होते हुए भी, चूंकि स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ, इसलिए किसी भी मामले में एक वर्ष से अधिक के समय के लिए यह शक्ति देना उचित नहीं है। मेरा यह अनुरोध है।

प्रो० मधु दण्डवते : माननीय सदस्य द्वारा उठाये गये मुद्दे को मैं भलीभांति समझता हूं। लेकिन मैं उनको यह आश्वासन दे सकता हूं कि हम यह उपबंध 1993 तक के लिए कर रहे हैं, यदि बाद में अनुभव के आधार पर हम यह पायेंगे कि वास्तव में कुछ कठिनाइयां उत्पन्न हो रही हैं, तो उस स्थिति में इसकी पुनरीक्षा किसी भी समय की जा सकती है। परन्तु हम एक लम्बी अवधि का

परिप्रेक्ष्य लेना चाहते हैं, और यह देखना चाहते हैं कि निवारक प्रभाव का वास्तव में प्रयोग किया जा सके; और यही कारण है कि हमने उक्त विधेयक को यथारूप ही रखा है; परन्तु हम उनके द्वारा सुझाए गए मुद्दे का ध्यान रखेंगे; और बाद में यदि हम इसे 31 जुलाई, 1993 तक सीमित करें तो हम तर्कसंगत और उन्होंने जो परामर्श दिया है उसको मान लेंगे। अत: हमें विधेयक को यथारूप में पारित कर देना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री हान्डू, क्या आप अपने संशोधन पर अब भी जोर देना चाहते हैं या इसे वापिस लेना चाहते हैं।

श्री प्यारे लाल हान्डू : दिये गये आश्वासन को देखते हुए, मैं इसे वापस लेता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या सभी श्री हान्डू को अपना संशोधन वापस लेने की अनुमति प्रदान करती है ?

कुछ माननीय सदस्य : जी, हां।

संशोधन सं० 2, सभा की अनुमति से, वापस लिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : खण्ड 3 में कोई संशोधन नहीं है। इसलिए, मैं खण्ड 2 और 3 को एक साथ सदन में मतदान के लिए रखता हूं।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 और 3 विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 2 और 3 विधेयक में जोड़ दिए गए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री जी।

प्रो० मधु दण्डवते : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : इसमें संशोधन किया जायेगा। श्री जसवंत सिंह, यहां उपस्थित नहीं है। अब प्रश्न यह है :

"कि यह सभा 30 जुलाई, 1990 को राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण (संशोधन) अध्यादेश, 1990 (1990 का अध्यादेश संख्या 5) का निरनुमोदन करती है।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

3.00 म० प०

विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण (संशोधन) विधेयक

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : सभा अब विधेयक पर खण्ड वार विचार करेगी।

खण्ड 2—1974 के अधिनियम की धारा 9 में संशोधन

श्री प्यारे लाल हाण्डू (अनन्तनाग) : मैं प्रस्ताव करता हूं।

पृष्ठ 1, पंक्ति 10

"31 जुलाई, 1993 के स्थान पर 31 जुलाई, 1991 प्रतिस्थापित किया जाये।" —(2)

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आपका तर्क नहीं है? क्या यह वही बात है जो संकल्प के बारे में आपने कही थी?

श्री प्यारे लाल हाण्डू : यह वही बात है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप कोई और बात नहीं कहना चाहते?

श्री प्यारे लाल हाण्डू : जी, नहीं।

प्रो० मधु दण्डवते : मेरा उत्तर वही होगा चूंकि आपने इसे वापस लेने का निर्णय कर लिया है।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप इस पर बल दे रहे हैं?

श्री प्यारे लाल हाण्डू : जी, नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या श्री हाण्डू को अपना संशोधन वापस लेने की अनुमति है?

अनेक माननीय सदस्य : जी, हां।

संशोधन संख्या 2, सभा की अनुमति से, वापस लिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : चूंकि खण्ड 3 में कोई संशोधन नहीं है, मैं खण्ड 2 और 3 को सभा में मतदान के लिए एक साथ रखता हूं।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 और 3 विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 2 और 3 विधेयक में जोड़ दिए गए।

उपाध्यक्ष महोदय : खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक के पूरे नाम में कोई संशोधन नहीं है।

प्रश्न यह है :

"खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

[हिन्दी]

प्रो० मधु दण्डवते : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

3.03 म० प०

मोटरकारों और अन्य मोटरयानों पर उद्ग्रहणीय मूल उत्पाद शुल्क के संबंध में सांविधिक संकल्प

वित्त मंत्री (प्रो० मधु दंडवते) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि यह सभा केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क तथा टैरिफ अधिनियम, 1985 (1986 का अधिनियम संख्या 5) की धारा 3 की उपधारा (2) के अनुसरण में, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग), भारत सरकार की अधिसूचना संख्या 136/90-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, सा० का० नि० 721 (ङ), दिनांक 22 अगस्त, 1990 का अनुमोदन करती है, जिसे उसी दिन सभा पटल पर रखा गया था और जिसके द्वारा स्टेशन वैगनों तथा रेसिंग कारों सहित मूलतः व्यक्तियों के परिवहन के लिए बनायी गई मोटर कारों तथा मोटर यानों पर उद्ग्रहणीय मूल उत्पाद शुल्क को उक्त अधिसूचना के जारी करने की तारीख से मूल्यानुसार 40 प्रतिशत से बढ़ाकर मूल्यानुसार 50 प्रतिशत किया गया है।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि यह सभा केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क तथा टैरिफ अधिनियम, 1985 (1986 का अधिनियम, संख्या 5) की धारा 3 की उपधारा (2) के अनुसरण में, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग), भारत सरकार की अधिसूचना संख्या 136/90-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, सा० का० नि० 721 (ङ), दिनांक 22 अगस्त, 1990 का अनुमोदन करती है, जिसे उसी दिन सभा पटल पर रखा गया था और जिसके द्वारा स्टेशन वैगनों तथा रेसिंग कारों सहित मूलतः व्यक्तियों के परिवहन के लिए बनायी गई मोटर कारों तथा मोटर यानों पर उद्ग्रहणीय शुल्क मूल उत्पाद को उक्त अधिसूचना के जारी करने की तारीख से मूल्यानुसार 40 प्रतिशत से बढ़ाकर मूल्यानुसार 50 प्रतिशत किया गया है।"

श्री पी० आर० कुमारमंगलम (सलेम) : उत्पाद-शुल्क में वृद्धि से संबंधित विषय बजट का एक भाग है। इसे खंड रूप में नहीं लाया जाना चाहिए। इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि इसमें प्रगति हुई है और उस प्रगति का कोई मूल्य नहीं है बल्कि यह तो बाद का विचार है, जो इस सदन में एक वक्तव्य के रूप में आया, जिसके वास्तव में दो भाग हैं। पहला भाग रविवार को सरकारी वाहनों का प्रयोग न किए जाने से संबंधित है। हम सोचते थे कि आम तौर पर रविवार को सरकारी वाहन प्रयोग में नहीं लाए जाते। हमारा विचार था कि गैर-सरकारी कार्य के लिए उनका प्रयोग नहीं किया जाता परन्तु ऐसा होता नहीं है। हमने इस बात पर काफी शोर मचाया कि यह प्रतिबंध सरकारी वाहनों पर लगाया गया है कि वे रविवार को नहीं चलाये जायेंगे। मुझे इस बात पर आश्चर्य होता है कि क्या यह मंत्रियों के वाहनों पर लागू होगा है क्योंकि हमने देखा कि कुछ मंत्रिगण विशेषकर प्रधान मंत्री जी की कार रविवार को चलती थी। अथवा क्या इसलिए कि प्रधान मंत्री जी की कार अथवा सरकारी कार को सुरक्षा कारणों से छूट प्राप्त थी ? हम जानना चाहेंगे कि इसका अर्थ क्या है यद्यपि वास्तव में यह सांविधिक संकल्प का भाग नहीं है पर पेट्रोलियम पदार्थों की खपत विशेष रूप से जो पेट्रोल और डीजल पर नियंत्रण के लिए वाहनों पर उत्पाद शुल्क में वृद्धि संबंधी पूर्ववर्ती वक्तव्य से संबंधित है। यह मेरा विचार है कि मोटर यानों पर लगने वाले शुल्क में वृद्धि से पेट्रोल की खपत में कोई बचत नहीं होगी। इससे केवल अतिरिक्त राजस्व मिलेगा और लोग वाहन खरीदने के प्रति अधिक आकर्षित होंगे।

एक समय था जब हमें यह बताया गया था कि मारुति कार मध्यम वर्ग या निम्न मध्यम वर्ग का वाहन होगा। परन्तु आज समस्त शुल्कों और लागतों सहित, जिसमें वैन का मूल्य भी शामिल है, इतनी बढ़ गई है कि यह उच्च वर्ग का वाहन बन गई है। केवल जो अमीर व्यक्ति हैं और इसे रख सकते हैं वे ही इसको खरीद सकते हैं। 10 प्रतिशत की वृद्धि से निम्न मध्य वर्ग के लोगों को काफी नुकसान होगा और उस वर्ग को जो अब मध्यम वर्ग बन गया है और इस वाहन को खरीदने की सोचते हैं परन्तु लागत वृद्धि के कारण इसे खरीद नहीं सकते।

मैं इस बात का उल्लेख करना चाहूंगा कि आपका इस अधिसूचना को जारी करने के पीछे कुछ भी मन्तव्य रहा हो किन्तु यह पूर्णतः स्पष्ट है कि केवल वाहनों की कीमत में ही वृद्धि होगी बल्कि कल-पुर्जों के मूल्य भी बढ़ जायेंगे। कल-पुर्जों की कीमत बढ़ने से हम सभी वाहन धारकों को

नुकसान होगा क्योंकि उनके पास जो वाहन हैं वे काफी पुराने हैं और कीमती में वृद्धि होने के कारण हम आज नयी कार नहीं खरीद सकते हैं। और हम उपलब्ध कल-पुर्जों पर पूर्ण रूप से निर्भर हैं। अतः इससे वे लोग प्रभावित नहीं हो रहे हैं जो केवल वाहन खरीदना चाहते हैं बल्कि वे लोग प्रभावित हो रहे हैं जिनसे पास वाहन हैं और इसके लिए शुल्क वृद्धि के पीछे वास्तविक उद्देश्यों को समझना आवश्यक नहीं है।

यदि इसका एकमात्र महत्वपूर्ण उद्देश्य उन मोटर यानों की संख्या को कम करना है जो सड़क पर चलेंगे तो आप अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में अधिक कामयाब नहीं हो रहे हैं क्योंकि या तो सरकारी विभाग या निगम क्षेत्र ही अधिक संख्या में मोटर यान खरीदते हैं। प्रतिशत के हिसाब से वाहनों की निजी खरीद बहुत कम है और मैं नहीं समझता कि इससे यह दोनों प्रमुख क्षेत्र प्रभावित होंगे परंतु लागत में 10 प्रतिशत वृद्धि से कोई अंतर नहीं पड़ेगा। परन्तु क्या इससे वास्तव में पेट्रोल की खपत और पेट्रोल उत्पादों की खपत जिसमें डीजल भी शामिल है, में कमी आएगी इसमें मुझे संदेह है। और मेरा विचार है कि माननीय वित्त मंत्री जी को इसे दूसरे दृष्टिकोण से देखना चाहिए। यातायात के वाहनों के उपस्करों की लागत में हो रही अपेक्षित वृद्धि से क्या राष्ट्र को लाभ हो रहा है अथवा यह बेहतर होगा कि कोई अन्य तरीका निकाला जाए जिसके द्वारा आप पेट्रोल की खपत कम कर सकें। वस्तुतः मैं "सप्ताह में एक दिन बंद रखने" का स्वागत करता हूं कि कुछ लोगों को सप्ताह में एक दिन वाहन नहीं चलाना चाहिए। यह अनुरोध वास्तव में अधिक प्रभावी होगा।

मुझे याद है कि विदेश में एक तकनीक थी कि जब एक व्यक्ति कार में यात्रा करता है तो चुंगी कर ऊंचा होता है और जब तीन या चार व्यक्ति एक कार में यात्रा करते हैं तो चुंगी कर कम हो जाता है। ऐसे अन्य तरीके भी हैं जब शुल्क में वृद्धि और आम व्यक्ति पर भार बढ़ाने की अपेक्षा आप मोटर यानों के प्रयोग को हतोत्साहित कर सकते हैं। यह अंततः मंत्री महोदय पर निर्भर करता है परन्तु अंत में मैं यह कहना चाहूंगा कि यह विडम्बना है कि सरकार इस तकनीक को स्वीकार कर रही है।

प्रो० मधु दंडवते जब इस पक्ष में बैठे हुए थे तो वह इस वृद्धि का कड़ा विरोध कर रहे थे।

प्रो० मधु दंडवते : वहां कोई भी व्यक्ति नहीं है। वहां इस समय रिक्तता आ गई है।

श्री पी० आर० कुमारमंगलम : मैं इससे सहमत हूं। हम आपका यहां फिर से आने का स्वागत करेंगे। इसमें कोई दिक्कत नहीं है।

परन्तु यह प्रश्न भी आवश्यक है और मेरा विचार है कि इस बात का स्मरण रखना चाहिए कि जब वह एक दल से दूसरे दल में जायें तो उनके विचारों में परिवर्तन न आये। कराधान और राजस्व संग्रहण दोनों ही बजट से सम्बद्ध हैं जिसे बजट का भाग माना जाना चाहिए और उन्हें अचानक ही सितम्बर-अक्तूबर अथवा अगस्त-सितम्बर में अर्थात् कुछ महीनें में ही प्रस्तुत नहीं किया जाना चाहिए, 18 मार्च को माननीय मंत्री जी ने अपने बजट में अपनी संपूर्ण कराधान नीति प्रस्तुत की और उसी समय उन्होंने निर्णय किया कि वह वाहनों के शुल्क में वृद्धि करना चाहते हैं। इसका उद्देश्य क्या है ? वह स्वयं इस बात को जानते हैं कि पेट्रोल की खपत बढ़ी हुई है। अंततः जब एक देश प्रगति करता है तो वह उनके हाथ में नहीं है कि ऊर्जा की खपत बढ़ेगी और पैट्रोलियम उत्पाद मूल उत्पाद

होने की वजह से वह जानते हैं कि यह सब हो रहा है। जब उन्होंने बजट प्रस्तुत किया जो उस समय उन्होंने बताया कि वह खपत में कमी लाने के लिए पेट्रोलियम उत्पादों पर शुल्क बढ़ा रहे हैं। क्या वास्तव में खपत में कमी आई है ? कृपा करके हमें आंकड़े मत दीजिए जब आप सवेरे 7 बजे आंकड़े देते हैं शाम को 7 बजे तक इनमें कमी आ जाती है। वस्तुतः खपत में कोई कमी नहीं हुई है। जो कुछ भी हुआ है वह सब चोरी-छिपे हुआ है और आप सच्चाई से भागने का प्रयास कर रहे हैं। और आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति हुई है। आपने पेट्रोल की अधिक खपत का कारण बताया है।

मैं मंत्री महोदय से गंभीरतापूर्वक अनुरोध करता हूं कि वे इस बात पर पुनर्विचार करें कि क्या यह वास्तव में इसे सांविधिक संकल्प के रूप में पारित करना चाहेंगे।

[हिन्दी]

श्री रमेश बैस (रायपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो संकल्प लाया गया है, इसका तो हम समर्थन करेंगे लेकिन इस संकल्प पर आम जनता के ऊपर क्या असर होगा, इस पर ध्यान देना होगा। जिस तरीके से टू-व्हीलर/थ्री व्हीलर पर लगाया गया है, उससे मध्यमवर्गीय जनता पर भार पड़ेगा। आपने कारों के भाव बढ़ा दिये। अगर आप सोच रहे हैं कि हैडिंग 87.02 में स्पष्ट लिखा है ऊपर पब्लिक ट्रांसपोर्ट टाइप पैंसिजर मोटर व्हीकल हैडिंग 87.03, 87.04, 87.06 में थ्री व्हील्ड आटो रिक्शा एंड चैसिस देयर फोर स्पष्ट दिया है। इसका मतलब यह है कि 87.02 में 2-व्हीलर्स 3-व्हीलर्स नहीं हैं, इसका मतलब 2-व्हीलर्स और 3-व्हीलर्स दोनों पर लगा है। इससे आम जनता को, नौकरी-पेशा करने वालों के ऊपर डायरेक्ट असर पड़ेगा। इस संकल्प से काले धन वालों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उदाहरण के तौर पर हम मारुति कार को लें। यह मध्यम वर्ग के लिए 42 हजार रुपये की प्रोपोजल में आयी थी लेकिन आज इसकी कीमत 1.20 लाख रुपये हो गयी है। इस बड़ी राशि में मध्यम वर्ग का आदमी मारुति कार नहीं खरीद सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान एक और बात की ओर दिलाना चाहता हूं। इस संकल्प के पहले ही टैल्को ने ट्रक के चेसिस का भाव साढ़े बारह हजार बढ़ा दिया और ट्रक के भाव भी बढ़ा दिये हैं। यदि टैल्को का वार्षिक बजट देखें तो इसको 1987-88 में शुद्ध मुनाफा तीन करोड़ रुपये था जो 31 मार्च, 90 को 100 करोड़ रुपया हो गया है। ऐसा लगता है कि सरकार उद्योगपतियों को बढ़ावा दे रही है और उद्योगपतियों को लूट की छूट दे रही है। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि उद्योगपतियों को लूट की छूट न देकर मध्यम वर्ग के लोगों को राहत दी जाये। अगर सरकार यह सोचती है कि यदि कारों का या व्हीकल्स का भाव बढ़ा दिया जायेगा तो पेट्रोल की खपत कम होगी, यह ठीक बात नहीं होगी। आज 2-व्हीलर/3-व्हीलर हो या कार हो, ये सब आम आदमी के लिए जरूरत की चीज हो गयी है। पहले चाहे यह एशो-आराम की चीज रही हो लेकिन आज यह जरूरत में आ गयी है। इनके भाव बढ़ाने से इसका सीधा असर मध्यम वर्ग व आम उपभोक्ता के ऊपर पड़ेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया, इसके लिए धन्यवाद।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क तथा टैरिफ अधिनियम, 1985 (1986 का अधिनियम संख्या 5) की धारा 3 की उपधारा (2) के अनुसरण में, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग), भारत सरकार की अधिसूचना संख्या 136/90—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, सा० का० नि० 721 (ङ) दिनांक 22 अगस्त, 1990 का अनुमोदन करती है, जिसे उसी दिन सभा पटल पर रखा गया था और जिसके द्वारा स्टेशन वैगनों तथा रेसिंग कारों सहित मूलतः व्यक्तियों के परिवहन के लिए बनायी गई मोटर कारों तथा मोटर यानों पर उद्ग्रहणीय शुल्क मूल उत्पाद को उक्त अधिसूचना के जारी करने की तारीख से मूल्यानुसार 40 प्रतिशत से बढ़ाकर मूल्यानुसार 50 प्रतिशत किया गया है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

———

3.15 म० प०

अनुदानों की मांगें (पंजाब), 1990-91

उपाध्यक्ष महोदय : अब सदन में पंजाब राज्य के वर्ष 1990-91 के लिए बजट के संबंध में अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान किया जायेगा, जिसके लिए तीन घंटे का समय आवंटित किया गया है।

माननीय सदस्य, अनुदान मांगों के लिए जिनके कटौती प्रस्तावों को परिचालित कर दिया गया है, यदि अपने कटौती प्रस्तावों को प्रस्तुत करना चाहते हैं तो वे 15 मिनट के अन्दर कटौती प्रस्तावों की क्रम संख्या, जिन्हें वे प्रस्तुत करना चाहते हैं, को इंगित करते हुए एक पर्ची पटल पर भेज दें, केवल उन्हीं कटौती प्रस्तावों को पारित किया गया समझा जाएगा।

पारित माने गए कटौती प्रस्तावों की क्रम संख्या दर्शाते हुए एक सूची शीघ्र ही सूचना पट पर लगा दी जाएगी। यदि किसी सदस्य को सूची में कोई विसंगति दिखाई देती है तो वह बिना किसी विलम्ब के पटल पर बैठे अधिकारी को इसकी सूचना दें।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि कार्य सूची के स्तम्भ 2 में मांग संख्या 1 से 30 के सामने दिखाए गए मांग शीर्षों के संबंध में 31 मार्च, 1991 को समाप्त होने वाले वर्ष में संदाय के दौरान होने वाले खर्चों की अदायगी करने हेतु आवश्यक राशियों को पूरा करने के लिए कार्य सूची के स्तम्भ 4 में दिखाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक संबंधित राशियां पंजाब राज्य की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जायें।"

लोक सभा

सदन की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत अनुदानों के लिए मांगें (पंजाब) 1990-91

मांग की संख्या	मांग का शीर्ष	20-3-1990 को सदन द्वारा स्वीकृत लेखा अनुदान के लिए मांग की राशि		सदन की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत अनुदान संबंधी मांग की राशि	
1	2	3		4	
		राजस्व रु०	पूंजी रु०	राजस्व रु०	पूंजी रु०
1.	कृषि तथा वन	47,00,74,000	19,07,27,000	47,00,73,000	19,07,28,000
2.	पशुपालन और मछली पालन	17,91,10,000	1,04,50,000	17,91,11,000	1,04,50,000
3.	सहकारिता	7,11,81,000	31,01,83,000	7,11,80,000	31,01,82,000
4.	रक्षा सेवाएं कल्याण	1,50,87,000	12,00,000	1,50,88,000	12,00,000
5.	शिक्षा	2,51,27,48,000	60,20,000	2,51,27,47,000	60,20,000
6.	निर्वाचन	3,03,40,000		3,03,41,000	...
7.	उत्पाद शुल्क तथा कराधान	6,98,18,000		6,98,17,000	...
8.	वित्त	1,18,74,87,000	4,96,50,000	1,18,74,86,000	4,96,50,000
9.	खाद्य तथा आपूर्ति	1,95,53,000	4,96,70,80,000	1,95,54,000	...
10.	सामान्य प्रशासन	9,29,54,000	...	9,29,54,000	...
11.	स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण	98,39,74,000	...	98,39,74,000	...

1	2	3		4	
12.	गृह मामले तथा न्याय	1,18,10,02,000	5,00,00,000	1,18,10,03,000	5,00,00,000
13.	उद्योग	8,53,94,000	11,45,50,000	8,53,93,000	11,45,50,000
14.	सूचना तथा लोक सम्पर्क	2,86,48,000	...	2,86,48,000	
15.	सिंचाई तथा बिजली	66,59,00,000	3,05,00,36,000	66,59,01,000	3,05,00,35,000
16.	श्रम तथा रोजगार	2,76,86,000	...	2,76,86,000	...
17.	स्थानीय सरकार, आवास तथा शहरी विकास	12,21,72,000	9,62,78,000	12,21,72,000	9,62,78.000
18.	कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार	1,09,00,000	...	1,09,01,000	...
19.	योजना	1,30,68,21,000		1,30,68,22,000	
20.	कार्यक्रम कार्यान्वयन	2,00,000	...	2,00,000	...
21.	लोक निर्माण कार्य	79,15,86,000	35,06,15,000	79,15,86,000	35,06,15,000
22.	राजस्व तथा पुनर्वास	24,03,09,000	...	24,03,09,000	...

1	2	3		4	
23.	ग्रामीण विकास तथा पंचायतें	12,37,58,000	...	11,37,57,000	...
24.	विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	65,43,000	1,39,62,000	65,43,000	1,39,63,000
25.	सामाजिक और महिला कल्याण और अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों का कल्याण	24,58,10,000	2,29,60,000	24,58,11,000	2,29,60,000
26.	राज्य विधान मण्डल	1,21,82,000	...	1,21,83,000	...
27.	तकनीकी शिक्षा तथा औद्योगिक प्रशिक्षण	14,54,35,000	16,88,000	14,54,34,000	16,87,000
28.	पर्यटन और सांस्कृतिक मामले	1,40,48,000	1,31,46,000	1,40,47,000	1,31,46,000
29.	परिवहन	53,80,60,000	16,53,50,000	53,80,61,000	16,53,50,000
30.	चौकसी	1,06,80,000	...	1,06,79,000	...

श्रीमती सुखबंस कौर (गुरदासपुर) : मैं इस बात से खुश हूं कि अन्ततः मुझे पंजाब के बजट पर बोलने का अवसर दिया गया। मुझे केवल पंजाब के लिए अनुदान की मांगों पर ही बोलने की अनुमति प्रदान की गई है। किन्तु जब हम पंजाब के आए धन के वितरण की बात करते हैं, तो मेरी समझ से, यह आवश्यक हो जाता है कि हम पंजाब के मौजूदा हालातों के बारे में भी चर्चा करें। मेरे सहकर्मी अभी-अभी बता रहे थे कि जब हमारे माननीय वित्त मंत्री श्री यहां (सदन) थे तो

उन्होंने इस संबंध में कुछ और ही बताया। पिछले दस वर्षों से मैं यहां, इस संसद में, हूं। और इस अवधि के दौरान जब कभी भी पंजाब के बारे में चर्चा हुई तो मैंने उन्हें इसमें भाग लेते हुए पाया। वह पंजाब की परिस्थितियों तथा समस्याओं से अवगत हैं। यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इन आठ महीनों में— जब कि वह सरकार में हैं—उन्होंने पंजाब के हित में कुछ भी नहीं किया है। या तो उन्होंने पंजाब के लिए कुछ करने में कोई रुचि नही दिखाई है, जो कि बहुत दुखद तथा दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे भी अधिक दुर्भाग्य की बात तब होगी जब इनसे इस संबंध में कोई सलाह मशविरा ही नहीं लिया जाएगा अथवा परिस्थितियों को सामान्य बनाने के बारे में इनसे कुछ पूछा ही नहीं जाएगा अथवा पंजाब की समस्याओं का समाधान करने में यह जो कुछ कर सकते थे, इन्होंने नहीं किया।

आज, लोग पंजाब की परिस्थितियों के बारे में हमें लिखते हैं। लेकिन मैं समझती हूं कि बहुत से माननीय सदस्यों को वास्तविक तथ्यों का ज्ञान नहीं है। जबसे इस सरकार के हाथ में सत्ता आई है, हत्याओं में वृद्धि हुई है। बम विस्फोटों में वृद्धि हुई है। हर क्षेत्र में स्थिति बिगड़ती गई है।

3.19 म० प०

[डा० तम्बि दुरै पीठासीन हुए]

हमारे गृह राज्य मंत्री ने कुछ आकड़े दिए हैं जिसके अनुसार जनवरी से जून के बीच 1000 आम नागरिक, 178 सुरक्षाकर्मी और 850 आतंकवादी मारे गए हैं। यह संख्या केवल जनवरी से जून तक की है, मेरा विश्वास है कि जुलाई का महीना सबसे बुरा गुजरा तथा हो सकता है कि यह नए वर्ष की शुरूआत से अब तक का बदतर महीना रहा हो। अतः, मैं नहीं समझती कि वित्त मंत्री जी इसका उत्तर दे सकते हैं अथवा नहीं। परन्तु मैं वित्त मंत्री से यह जानते हुए कि वह पंजाब को लेकर चिन्तित हैं, यह चाहूंगी कि कम से कम वह हमारे दर्द को प्रधान मंत्री जी तक पहुंचाए क्योंकि एक आम आदमी को इस बात पर आश्चर्य होता है कि क्या प्रधान मंत्री जी को भी इस बारे में कुछ पता है। इस सरकार का पंजाब के बारे में जो रवैया रहा है उसे लेकर लोग यही महसूस करते हैं कि या तो इस सरकार को सच्चाई का ज्ञान नहीं है अथवा सरकार सच जानने के लाए कोई रुचि ही नहीं रखती है और इसलिए समस्या को हल करने के लाए कुछ भी नहीं कर रही है। एस० एस०पी०, डी० एस० पी०, एस० आई० जैसे पुलिस कार्मिकों की हत्याएं हुई हैं। मैं इस संबंध में काफी कुछ बोल सकती हूं पर मैं सोचती हूं कि मुझे इस विषय पर सदन का समय नष्ट नहीं करना चाहिए। सीमा सुरक्षा बल के कमाण्डरों तथा कार्मिकों को आतंकवादियों की गोलियों का निशाना बनना पड़ा। हमारे भूतपूर्व वित्त मंत्री, श्री बलवंत सिंह की हत्या चंडीगढ़ में कर दी गई। श्री तोहड़ा पर कातिलाना हमला हुआ। श्री तलवंडी पर हमला किया गया। कई कांग्रेसी तथा भाजपा कार्यकर्ताओं को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। दुर्भाग्य अथवा सौभाग्य से जनता दल वहां नहीं है इसलिए उनके किसी भी कार्यकर्ता की वहां हत्या नहीं हुई है। (व्यवधान)

परन्तु, सौभाग्य अथवा दुर्भाग्य से वहां उनका कोई कार्यकर्ता नहीं है···(व्यवधान)। नहीं, वहां आपका कोई कार्यकर्ता नहीं है···(व्यवधान), और, कोई बात नही, मैं जो कहने का प्रयास कर रही हूं वह यह है कि [हिन्दी] जनता दल है, लेकिन खुशी की बात है कि अभी तक मरे नहीं। [अनुवाद] परिस्थितियां ऐसी हैं कि आज हमें यह पता नहीं है कि सरकार मसले को लेकर किस दिशा में कार्य कर रही है? इसकी नीतियां क्या हैं? पंजाब के बारे में इसके कार्यक्रम क्या हैं।

किसानों, वकीलों, डाक्टरों तथा व्यवसायी लोगों से पैसा वसूला जा रहा है। किसी को नहीं बख्शा जा रहा तथा कुछ स्थानों से, चाहे वे व्यापार केन्द्र ही क्यों न हों, महीना वसूला जाता है। बम विस्फोट की अनेक घटनाओं का सामना हमें करना पड़ता है। हां, एक बात अवश्य है कि कभी कोई पकड़ा नहीं जाता। मैं मंत्री महोदय का ध्यान बंद की घटनाओं की ओर दिलाना चाहूंगी। हर समय किसी न किसी बन्द का आह्वान किया जाता है सरकार बन्द का रोकने में अथवा लोगों में अपनी दुकानें खोलने के लिए, विश्वास उत्पन्न करने में सर्वथा नाकामयाब रही है क्योंकि सरकार अथवा स्थानीय प्रशासन स्कूलों को बन्द करवा देते हैं और कह देते हैं कि बसें नहीं चलेंगी। अत: लोगों में बन्द का उल्लंघन करने का साहस नही होता क्योंकि सरकार उनके साथ नहीं होती। दुकानें अथवा किसी अन्य व्यापारिक प्रतिष्ठान को खुलवाने में प्रशासन उनके साथ नहीं होता है। मैं इस सदन को बताना चाहूंगी कि अभी हाल ही में तीन दिन का बन्द रखा गया था। यदि गुरुदासपुर में बन्द सफल होता है तो मैं जानती हूं कि यह प्रशासन की असफलता के कारण होता है क्योंकि प्रशासन का संचालन आतंकवादी या तो सामने आकर या परदे के पीछे से करते हैं लेकिन चंडीगढ़ जैसे शहर में वह भी राज्यपाल की नाक के नीचे सेक्टर 17 तथा 22, जो एक व्यापारिक केन्द्र हैं, में भी पूर्ण बन्द रखा गया। प्रशासन बन्द के खिलाफ कुछ भी करने में पूर्णतया नाकामयाब रहा। इसी कड़ी में, हमें सुनाई पड़ता है कि प्रधान मंत्री जी पंजाब की पदयात्रा पर जाने वाले हैं। मैं प्रधान मंत्री जी से अथवा सरकार के कुछ मंत्रियों से यह अनुरोध करूंगी कि वे अपनी पद यात्रा का श्रीगणेश बोट क्लब अथवा राजपथ के मैदान से करें ताकि वे विस्थापितों का दुख दर्द सुन सकें, जो वहां पिछले चार महीनों से बैठे हुए हैं तथा सरकार ने उनके लिए न तो सहानुभूति का एक शब्द कहा है और न ही कुछ किया है। हमारे भाजपा के सदस्यों ने जम्मू काश्मीर तथा पंजाब से आए विस्थापितों के बारे में अकसर चर्चा की है। लेकिन क्या कार्यवाही की गई है? वे समूहों में आते हैं... (व्यवधान)

श्री कालका दास (करोल बाग) : हमने पंजाब का मुद्दा भी उठाया है।

श्रीमती सुखबंश कौर : मैंने कहा कि पंजाब को लेकर और जम्मू-काश्मीर को लेकर उन्होंने प्रश्न उठाया है। सरकारी तौर पर मुझे नहीं पता है कि आपके पास क्या आकड़े हैं। लेकिन मुझे बताया गया है कि 50,000 लोग पंजाब से दिल्ली आए हैं। जहां तक राजपथ के मैदान में बैठे लोगों का सवाल है, सरकार ने उनके लिए क्या किया है। मैंने गृह मंत्री जी को 25 मई को एक पत्र लिखा था, जिसका जवाब मुझे 17 जुलाई को ही मिल सका। यह इस बात का प्रमाण है कि सरकार पंजाब की समस्याओं को लेकर कितनी गम्भीर है। अब प्रधान मंत्री जी का कहना है कि वह पंजाब की समस्याओं का समाधान ढूंढने के लिए पंजाब की पदयात्रा पर जा रहे हैं। क्या पिछले आठ माह के दौरान सरकार को पंजाब की समस्याओं का ज्ञान नहीं था? अत:, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, अपनी पदयात्रा का प्रारम्भ बोट क्लब, राजपथ के मैदान से करिए ताकि आपको विस्थापनों की पीड़ा, वेदना, जिसे वे भुगत रहे हैं, का एहसास हो सके। यहां पर आए विस्थापितों के एक समूह ने सर्वोच्च न्यायालय में अपील की थी और याचिका पर आदेश प्राप्त किया था। सरकार ने उन आदेशों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया है तथा उनके लिए कुछ भी नहीं किया गया है। मेरी जानकारी के अनुसार उन्हें 25,000 रु० ऋण के रूप में दिए जाने थे लेकिन भारतीय रिजर्व बैंक ने उस अनुरोध को ठुकरा दिया है। इसलिए, क्या माननीय वित्त मंत्री जी इस मामले की जांच करने का कष्ट करेंगे?

मैं सदन का ध्यान सरकार की उस गम्भीरता की तरफ लाना चाहती हूं जो वह पंजाब के लिए रखती है। मैं राज्यपालों का उदाहरण दे सकती हूं। पहले, श्री राय को हटाकर श्री निर्मल मुखर्जी को राज्यपाल नियुक्त किया गया। तत्पश्चात कुछ महीनों के बाद हवाई जहाज में यात्रा करते समय प्रधान मंत्री ने घोषणा कि राज्यपाल को बदला जा रहा है। किसी नाम की घोषणा नहीं की गई थी। बाद में श्री मुखर्जी ने त्यागपत्र दे दिया और शिमला चले गए। कुछ नामों की अटकलें यहां लगाई जा रही हैं। यह व्यक्ति जा रहा है। वह व्यक्ति जा रहा है। सभी लोग अथवा सरकार इससे इन्कार करते हैं और शायद सरकार को यह मालूम रहता था कि वे किसे भेज रहे हैं अथवा कम से कम प्रधान मंत्री जी को तो यह मालूम ही रहता था कि वे किसे नया राज्यपाल बनाकर भेज रहे हैं। चूंकि किसी दूसरे को पदारूढ़ करने के आए एक पद को खाली करना था, अतः श्री वर्मा को पंजाब भेजा गया। हां, शुरूआत में अवश्य ही श्री वर्मा ने काफी उत्साह दिखाया था और यह कहते हुए कई बयान दिए थे कि 'वह इसे करने जा रहे हैं, उसे करने जा रहे हैं, सीमा पर तार लगाने का कार्य युद्ध स्तर पर शुरू होने जा रहा है' लेकिन मैं समझती हूं कि अब वह ठंडे पड़ गये हैं। सारा जोश सारा उत्साह खत्म हो चुका है।

जब हम सरकार में थे तो विपक्ष हमेशा कहता था हत्यायें सरकार द्वारा कराई जा रही हैं, मैं सरकार तथा उसकी समर्थक पार्टी से यह जानना चाहूंगी कि अब इन हत्याओं को कौन करवा रहा है। क्या आपने सभी ग्रामीण प्रतिरोध शक्ति का पुनर्गठन किया है? क्या आपने उन्हें शक्तिशाली बनाया है? आज कितने लोग मारे जा रहे हैं? इसका कोई उत्तर नहीं है। कोई भी दावे के साथ कुछ नहीं कह सकता।

अब मैं पूछना चाहूंगी कि सरकार ने इस दशा में क्या पहल की है? राजीव गांधी जब प्रधान मंत्री थे तो कम से कम उन्होंने प्रयास तो किया—एक सच्चा प्रयास किया। एक समझौते पर सहमति हुई थी। दुर्भाग्य से संत जी की हत्या कर दी गई तथा समझौते के कई पहलुओं का उद्देश्य पूरा नहीं हो सका। लेकिन इस सरकार द्वारा क्या पहल की गई है? प्रधान मंत्री बनने के फौरन बाद प्रधान मंत्री श्री वी० पी० सिंह एक खुली जीप में अमृतसर की यात्रा करने जाते हैं। अवश्य ही यह काफी प्रशंसनीय बात है। हमें मालूम है कि जीप के साथ-साथ दौड़ने वाले सारे लोग सुरक्षाकर्मी थे जो सादे कपड़ों में थे। यहां तक कि श्री के० पी० एस० गिल जीप के साथ-साथ दौड़ रहे थे। लेकिन उन्होंने इस खबर को बहुत अच्छा रूप दिया। मैं भी बहुत खुश थी। मैंने सोचा, हो सकता है कि कि पंजाब के बारे में अब कुछ किया जा रहा हो और उसके बाद, छः महीनों के लिए सरकार सो जाती है। पंजाब के बारे में एक भी शब्द नहीं कहा जाता। कुछ होता भी नहीं। अब, बेशक थोड़े दिन पहले वे पंजाब गए थे और शायद सरकार के मंत्रियों को अथवा उनके सहयोगियों को यह मालूम है कि वहां केवल दो हजार लोग आये थे और केवल पांच सौ युवकों को रोजगार दिया गया था क्योंकि जब गृह मंत्रालय के राज्य मंत्री श्री सुबोधकांत सहाय वहां गये थे तो उन्हें फूलों की माला पहनाई गई थी और दो सरपंचों की हत्या कर दी गई थी। इसलिए, इस बार किसी ने भी श्री वी०पी० सिंह के मंच से बोलने का साहस नहीं किया। श्री वी० पी० सिंह चाहते थे कि जनता में से कोई व्यक्ति मंच पर आये और अपने विचार व्यक्त करे परंतु सभी लोग इतने डरे हुए थे कि उन्होंने सोचा कि प्रधान मंत्री के यहां वापिस जाने के बाद यह सरकार उन्हें सुरक्षा प्रदान नहीं कर पायेगी। अब वे पद-यात्रा करने जा रहे हैं। मैं सरकार से यह जानना चाहूंगी कि इसके क्या उद्देश्य हैं और पद-यात्रा का विचार

क्या है ? वहां आकर वे किन लोगों से मिलेंगे। पंजाब के निवासी आपके या आपकी सरकार अथवा इस राष्ट्र के निवासियों के विरुद्ध नहीं हैं। वे भी इसी राष्ट्र का अंग हैं। तब फिर वे किससे बात करने के लिए के लिए वहां जा रहे हैं। वे वहां आकर क्या पता लगायेंगे। हमें यह सब जानना चाहिए। हमें इस बात की खुशी है कि वे वहां जा रहे हैं। परंतु वहां आकर वे लोगों से क्या कहेंगे ? जैसा कि वे कहते हैं, वे वहां के हालात जानने के लिए जा रहे हैं। क्या उन्हें पंजाब के हालात के बारे में मालूम नहीं है ? यह अत्यंत दु:खद है कि आज, इस सरकार के सत्ता संभालने के आठ महीने बाद, प्रधान मंत्री को पंजाब के हालात जानने के लिए पंजाब की पद यात्रा करनी पड़ रही है। क्या प्रधान मंत्री के पास यह जानने का कोई और जरिया नहीं है। क्या प्रशासन इस बात का प्रबंध सुनिश्चित करेगा कि प्रधान मंत्री कुछ विशेष लोगों से ही बात कर पायें ?······(व्यवधान) मैं आपके वक्तव्य के बीच में कभी व्यवधान नहीं डालती। कृपया मेरी बात सुनिए। अपनी बारी आने पर आप अपनी बात कहियेगा। हमें ठेस पहुंची है, हमारी समस्यायें विकट हैं, अत: हम यह सब कहने पर मजबूर हैं। महोदय, मैं सरकार से यह जानना चाहूंगी कि प्रधान मंत्री की पद यात्रा का उद्देश्य क्या है ? क्या प्रशासन केवल उन लोगों से मिलेगा जो कि उसके अनुकूल हैं अथवा वे जनसाधारण से भी मिलेंगे ? और फिर केवल प्रधान मंत्री की ही नहीं, बल्कि जनता की सुरक्षा का क्या प्रबंध किया जायेगा ? क्या स.रे पुलिस बल को उनकी ड्यूटी से हटाकर प्रधान मंत्री की पद यात्रा की सुरक्षा करने के लिए तैनात कर दिया जायेगा ? हमें इन सभी प्रश्नों के उत्तर चाहिए ?

गृह मंत्री ने कहा था कि उन्होंने इस दिशा में कोई पहल की है। मैं उनके वक्तव्य में से कुछ बातें उद्धृत करना चाहूंगी। वे कहते हैं कि राज्य सीमा प्रबंध और जिलों में सामान्य प्रशासन की पुनर्रचना और विकास कार्यक्रम में आरंभ करने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। वे आगे कहते हैं कि उन्होंने इस बारे में कई बैठकों में भी भाग लिया। मैं यह जानना चाहती हू कि इस पहल के क्या परिणाम सामने आये ? क्या हत्या की घटनाओं में कमी आई है ? क्या जबरदस्ती पैसा ऐंठने की वारदातों में गिरावट आई है ? क्या बम विस्फोटों का धमाका कम सुनाई देने लगा है ? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। शुक्रवार की शाम को मैं गुरदासपुर में थी जब धारीवाल के पुलिस थाने पर आक्रमण किया गया था। समाचार-पत्रों में बेशक घटना का वर्णन भिन्न ढंग से किया गया था परंतु मैं अच्छी तरह से जानती हूं कि वास्तव में वहां क्या हुआ था ? लगभग तीस युवकों ने पुलिस थाने पर आक्रमण किया था। पूरे आधे घंटे तक के लगातार गोलीबारी करते रहे। लेकिन पुलिस, थाने से बाहर नहीं निकली। उन्होंने पुलिस थाने पर राकेट और हथगोले भी फेंके और लाऊडस्पीकर पर पुलिस को चेतावनी दी कि पुलिस थाने से निकल कर बाहर आए और उनका मुकाबला करे। पर कोई बाहर नहीं निकला। उन्होंने आगे यह भी कहा कि वे पांच दिनों बाद दोबारा आयेंगे और पुलिस तैयार रहे। अत: जब पुलिस अपनी ही रक्षा नहीं कर सकती तो वे जनता की रक्षा कैसे करेंगे ? भगवान के लिए, कृपया इस बारे में कुछ करें। आप इस सरकार के वित्त मंत्री हैं। परंतु जैसा कि मैंने आरंभ में कहा कि आप पंजाब के बारे में चिंतित हैं और मैं आपसे प्रार्थना करती हूं कि आप पंजाब के लिए अवश्य कुछ करें।

महोदय, मैं सरकार से यह भी पूछना चाहूंगी कि क्या सरकार यह महसूस करती है कि पंजाब समस्या में अकाली दल की कोई भूमिका है ? क्या सरकार यह सोचती है कि बादल गुट अथवा मान गुट पंजाब समस्या को सुलझाने में मदद कर सकते हैं ? यदि ऐसा है, तो आप इस विषय में क्या

कदम उठाने जा रहे हैं और यदि आप समझते हैं कि उन गुटों की मदद के बिना ही आप पंजाब समस्या को हल कर सकते हैं तो आप क्या कदम उठाने की सोच रहे हैं ? एक दिन हमने सुना कि प्रधान मंत्री ने श्री मान को वार्ता के लिए निमंत्रण भेजा है, तभी दूसरे दिन उसे वापस भी ले लिया गया। फिर हमने सुना कि एक सर्वदलीय बैठक आयोजित की गई थी और उसके बाद इस बारे में आगे कोई कदम नहीं उठाया गया। मैं समझ नहीं पा रही हूं कि आप श्री मान को किस प्रकार राजी करेंगे। अभी तक आप उन्हें यहां सदन में आकर एक सांसद की हैसियत से शपथ लेने तक के लिए तो राजी नहीं करवा पाए हैं। समाचार-पत्रों में इस आशय की खबरें भी प्रकाशित हुई हैं कि श्री वी० पी० सिंह श्री मान के, श्री देवीलाल, श्री प्रकाश सिंह बादल के और श्री अरुण नेहरू, श्री अमरिन्दर सिंह के पक्षधर हैं और हम पर यह आरोप लगाया जाता था कि हम अकाली दलों में फूट डाल रहे हैं। अब, मैं समझती हूं कि आप उससे भी कहीं अधिक बुरा कार्य कर रहे हैं। आप उनमें आपसी फूट डलवा रहे हैं और जहां तक हम महसूस करते हैं, आप किसी एक ऐसे व्यक्ति को ऊपर लाना चाहते हैं जिसका कोई जनाधार नहीं है। यदि आप ऐसा महसूस कर रहे हैं तो मैं नहीं जानती कि आप इस विषय में क्या कर रहे हैं। आप पंजाब में एक सर्वदलील बैठक आयोजित करने, हुरपंचों को बुलाने और दलों को राज्य में भेजने के लिए कोई पहल नहीं कर रहे हैं। वैसे भी इस सरकार द्वारा अभी तक आयोजित प्रत्येक बैठक का अकालियों ने बहिष्कार किया है, चाहे वह राज्यपाल द्वारा बुलाई गई थी अथवा उप-आयुक्त या किसी अन्य के द्वारा। अतएव, मैं सरकार से यह पूछना चाहूंगी कि उनके विचार से अकाली दल इस समस्या के समाधान पर पहुंचने में क्या भूमिका अदा कर सकते हैं ? यदि सरकार समझती है कि वे कोई भूमिका अदा नहीं कर सकते तो उस परिस्थिति में सरकार क्या कदम उठाने की सोच रही है और यदि सरकार की सोच इसके विपरीत है तो वह क्या कदम उठाना चाहती है।

महोदय, पंजाब की स्थिति के संबंध में, मैं सरकार का ध्यान एक और बात की ओर दिलाना चाहूंगी। मुझे यह नहीं पता कि सरकार को इस बात की जानकारी है अथवा नहीं। जैसा कि आपने वायदा किया है कि आप एक लाख युवकों को रोजगार मुहैया करायेंगे, उसी प्रकार आतंकवादियों ने भी भर्ती शिविर लगाये हैं। मैं एक पोस्टर लाकर सदन के सभापटल पर रखना चाहती थी परंतु उसे यहां ला नहीं पाई। आतंकवादियों ने सभी गांवों और छोटे शहरों में इस आशय के पोस्टर लगा दिए हैं कि प्रथम चक्र में वे 3000 युवकों को रुपये 1800-3600 के वेतनमान में भर्ती करेंगे और जरूरतमंद परिवारों को अग्रिम राशि के रूप में एक-एक हजार रुपये देंगे। उन्होंने आगे कहा है कि किसी व्यक्ति के मरने पर सरकार 20,000 से लेकर 50,000 रुपये तक देती है परंतु हम 2 लाख रुपये देंगे। क्या सरकार को इस बारे में जानकारी है ?

महोदय, श्री प्रकाश सिंह बादल मेरे जिले गुरुदासपुर में एक समारोह में शरीक हुए थे और वहां मंच पर एक युवक चढ़ आया और इस बात की घोषणा की। श्री बादल स्थानीय प्रशासन के अध्यक्ष, पुलिस अधीक्षक के साथ उस मंच पर विराजमान थे और उन्होंने भी इस घोषणा को सुना था। मैं इस बारे में सरकार की प्रतिक्रिया और उसके द्वारा उठाए जा रहे कदमों के विषय में जानना चाहूंगी।

महोदय, आज सत्र के अंतिम सप्ताह का पहला दिवस है और यह सत्र 7 सितम्बर को समाप्त हो जायेगा। पंजाब में राष्ट्रपति शासन की अवधि 11 नवंबर को समाप्त हो जायेगी। अब से लेकर

नवंबर तक की अवधि में कोई सत्र नहीं होगा। इस अवधि के दौरान आप कौन से कदम उठाने की सोच रहे हैं ? आज के लिए आपकी क्या योजना है ? क्या आप पंजाब में चुनाव कराने की योजना बना रहे हैं ? अथवा आप वहां राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाना चाहते हैं ? हमने सुना है कि आप राष्ट्रपति शासन की अवधि आगे बढ़ाने की सोच रहे हैं। मैं समझती हूं कि सरकार को कोई भी कदम उठाने से पहले सदन और राष्ट्र को अपने विश्वास में लेना चाहिए। इस विषय पर सरकार की नीति के विषय में हमें अभी तक कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। यदि सरकार को पंजाब में राष्ट्रपति शासन जारी रखने की कोई योजना है, तो उसे इस सत्र में ही उसका प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहिए और यदि सरकार इसकी अवधि बढ़ाना नहीं चाहती तो मालूम नहीं कि सरकार का इस बारे में क्या इरादा है। मैं आशा करती हूं कि हमारे वरिष्ठ तथा सम्मानीय सदस्य श्री इंद्रजीत गुप्त तथा अन्य दलों के सदस्य मेरे साथ पंजाब जाकर वहां के लोगों के विचार तथा शिकायतें सुनेंगे और पंजाब के विषय में सही जानकारी स्वयं हासिल करेंगे जिससे वे वापिस दिल्ली आकर सरकार को बता सकें कि पंजाब में चुनाव कराये जाना संभव है अथवा नहीं। मैं चाहती हूं कि पंजाब में चुनाव अवश्य कराये जायें। यदि ऐसा होता है तो मुझे हार्दिक प्रसन्नता होगी।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (मिदनापुर) : क्या पंजाब में चुनाव कराया जाना संभव है ?

श्रीमती सुखबंस कौर : इसका उत्तर देना सरकार का काम है, मेरा नहीं। इस बात का पता लगाना और इस विषय में निर्णय लेना सरकार का कर्तव्य है। **(व्यवधान)**

सभापति महोदय : उन्होंने कहा कि वे पंजाब में चुनाव कराए जाने के पक्ष में हैं।

श्रीमती सुखबंस कौर : मैं पंजाब में चुनाव कराये जाने का समर्थन करती हूं, किंतु यदि सरकार इस बारे में आश्वासन दे सकती हो कि ये चुनाव निष्पक्ष और स्वतंत्र होंगे तो मैं चुनावों का स्वागत करूंगी। परंतु मैं सरकार से यह पूछना चाहूंगी कि वे इस बारे में क्या कर रहे हैं ? विधान सभा को पुन: क्रियाशील बनाने के बारे में मैंने सरकार की ओर से विधायी प्राधिकारियों के तर्कों को पढ़ा है। ऐसा लगता है कि सरकार विधान सभा को पुन: बहाल करने के पक्ष में है, परंतु मैं सरकार को यह बता देना चाहूंगी···

वित्त मंत्री (प्रो० मधु दण्डवते) : यह न्यायालय के निर्णय पर निर्भर है।

श्रीमती सुखबंस कौर : जी हां, यह जानती हूं कि यह मामला न्यायालय के निर्णयाधीन है। परंतु आपका वास्तविक उद्देश्य जनता को संतुष्ट करना है। मैं यह जानती हूं कि चूंकि आप पंजाब में राष्ट्रपति शासन की अवधि आगे नहीं बढ़ा सकते हैं और दूसरी ओर आपके लिए वहां चुनाव कराना भी संभव नहीं है। इसीलिए आप एक तीर से दो शिकार करना चाहते हैं। हम यह सब समझते हैं। परंतु मैं आपका ध्यान एक कठिनाई की ओर दिलाना चाहूंगी। जिन व्यक्तियों को आप केन्द्र बिंदु बनाना चाहते है उनका कोई व्यापक जनाधार नहीं है। यदि लोक सभा के चुनाव कोई संकेत देते हैं तो श्री अमरेन्द्र सिंह और उनके सभी अनुयायी अपनी जमानत राशि गंवा चुके हैं और यदि आप इन्हीं लोगों को मुख्य मंत्री और मंत्रिपरिषद के सदस्यों के रूप में सामने लाना चाहते हैं तो मैं समझती हूं कि इस प्रकार आप पंजाब के लोगों को धोखा दे रहे हैं, आप समाज राष्ट्र के साथ, और समूचे लोकतंत्र के साथ विश्वासघात कर रहे हैं। और मैं सोचती हूं कि यदि आपके मन में प्रजातंत्र के प्रति लगाव है, मुझे विश्वास है कि वित्त मंत्री जी को प्रजातंत्र से लगाव है लेकिन मैं शेष सरकार के बारे

में नहीं जानती, तो कृपया इस पर ध्यान दें। इस सभा का चुनाव अब से पांच वर्ष पूर्व सितंबर, 1985 में हुआ था, या कहें कि इसमें अभी कुछ दिन बाकी हैं, वह एक महीने से अधिक या एक महीने से कम हो सकता है लेकिन मैं समझती हूं कि चुनाव सितंबर के अन्त में हुए थे। क्या ऐसी सरकार को लोगों पर लादना उचित है ? हो सकता है आप सोच रहे हों कि इससे बच निकलने का यही सर्वोत्तम तरीका है। आप भली-भांति जानते हैं कि वे कामयाब अथवा स्थिति पर नियंत्रण करने में सफल नहीं होंगे तब आपके पास राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए आपके पास एक वैध कारण होगा। अतएव कृपया इस पर ध्यान दें, ऐसा न होने दें, सभी पहलुओं पर गौर करें, केवल यह न कहें कि न्यायालय इस पर फैसला करेगा। मुझे विश्वास है कि प्रजातंत्र की रक्षा करने में आपकी रुचि होगी।

श्री इन्द्र जीत (दार्जिलिंग): चूंकि आप स्थिति से अवगत हैं इसलिए क्या आपसे प्रश्न पूछ सकता हूं··· (व्यवधान)

श्रीमती सुखबंस कौर : मैं सरकार को केवल अपने विचार व्यक्त कर रही हूं। सरकार को हर बात का फैसला करना है।

श्री इन्द्र जीत : हम स्थिति के बारे में जानना चाहते हैं··· (व्यवधान)

श्रीमती सुखबंश कौर : महोदय, प्रेस में प्रधान मंत्री जी से पूछा गया था कि क्या विधान सभा चुनाव कराए जा रहे हैं। भाजपा ने विभिन्न अवसरों पर और वामपंथी दलों ने भी कहा है कि पंजाब में स्थिति चुनाव कराने के अनुकूल नहीं है। इस प्रकार मैं समझती हूं कि सरकार पहले से ही यह सब जानती है परंतु वह निर्णय लेने का दायित्व सभी पर सौंपना चाहती है। वे समस्या से मुकाबला नहीं कर रहे हैं और वस्तुतः जो वे करना चाहते हैं इसके लिए तैयार नहीं हो रहे हैं क्योंकि जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि अभी तक वे एक सपने में जी रहे हैं और सोचते हैं, कि पंजाब की समस्या एक दुःस्वप्न है और जाते ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसा होने नहीं जा रहा है और मैं आपसे कहती हूं कि, जैसा पहले भी मैंने कहा है, हालात पहले से भी अधिक और उससे भी अधिक बदतर हैं जैसे कि मैंने बताया। वहां के हालात को समझने के लिए आपको वहां जाकर लोगों की बातें सुननी होंगी। एक खबर ऐसी भी थी कि कुछ दलों ने प्रधान मंत्री से भेंट की है। कांग्रेस को आमंत्रित नहीं किया गया था। हम चाहते हैं कि सरकार उन दलों के साथ हुई बैठक में लिए गए फैसलों से हमें अवगत कराये।

महोदय, अब मैं राज्य की कुछ आर्थिक समस्याओं पर प्रकाश डालूंगी। सर्वप्रथम, हम हमेशा यह सुनते रहते हैं कि सरकार पंजाब को आर्थिक सहायता देना चाहती है। सरकार जानती है कि वहां उद्योग-धन्धे प्रभावित हुए हैं लेकिन परसों ही पंजाब सरकार ने चुंगीकर में सीधे-सीधे एक प्रतिशत की वृद्धि की है। सरकार ने इसमें चार गुना वृद्धि की है। मैं समझती हूं कि यह अनुचित है। एक तरफ जबकि आपको पंजाब में ऐसे हालात में भी वहां रहकर उद्योग चलाने वाले लोगों को ऋण देना चाहिए लेकिन आप उन्हें प्रोत्साहित करने के स्थान पर हतोत्साहित कर रहे हैं। पहले चुंगीकर भार पर लगाया जाता था लेकिन अब आपने उसे लागत के अनुसार लगा दिया है। कल बटाला में औद्योगिक इकाइयां चलाने वाले कुछ लोगों ने मुझसे मुलाकात करके मुझसे वित्त मंत्री महोदय से चुंगीकर में की गई इस बढ़ोत्तरी को लागू न करने का निवेदन करने के लिए कहा था। दूसरे यह कि हमारे यहां कोई बड़ा उद्योग नहीं है केवल छोटी इकाइयां ही हैं। हमने बार-बार इस बात की

आवश्यकता पर जोर दिया है कि हमारे यहां और अधिक कृषि आधारित उद्योग होने चाहिए। हमारे यहां इस समय 13 चीनी मिलें हैं और चार और बन रही हैं। चूंकि गन्ने से अच्छा काम मिल रहा है, इसलिए गन्ना उत्पादकों को कम से कम 6 चीनी मिलों की और अधिक आवश्यकता है और विशेषकर गुरदासपुर जिले में एक और होनी चाहिए। इसके बाद, हमारे यहां 5 से 6 लाख गांठ की क्षमता वाली 5 लाख कताई मशीनें हैं लेकिन वहां कपास की उपलब्धता देखते हुए 50 लाख तकुओं की आवश्यकता है। 1987 की बाढ़ से बाद से सड़कें, विशेषकर सीमावर्ती जिलों में अत्यन्त खराब हालत में हैं। गुरदासपुर जिला रावी और व्यास नदियों के बीच के क्षेत्र में स्थित है और सम्पूर्ण जिला बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित है। इसलिए सड़कें बनाने और रावी के किनारे बाढ़ सुरक्षा निर्माण कार्य हेतु विशेष फंड की व्यवस्था की जानी चाहिए। जल संसाधन मंत्रालय ने बाढ़ सुरक्षा निर्माण कार्य हेतु सदैव सहायता प्रदान की है किंतु इस बार कोई काम नहीं हुआ क्योंकि उसका कहना है कि पैसा ही नहीं है। इसके साथ ही रणजीत सागर बांध का काम भी अत्यन्त धीमी गति से चल रहा है। सौभाग्य से मंत्रालय के प्रभारी मंत्री भी यहां उपस्थित हैं। मैं उनसे निवेदन करती हूं कि बाढ़ के दौरान रणजीत सागर बांध की सुरंगों को बहुत अधिक क्षति पहुंची है इसलिए धन टुकड़ों में नहीं दिया जाना चाहिए क्योंकि सम्पूर्ण निर्माण कार्य पर उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा इसके बावजूद यदि हम समुचित धन नहीं आबंटित करते तो इससे और अधिक देरी नहीं होगी।

महोदय, इराक-कुवैत समस्या के कारण लुधियाना की अतिरिक्त पुर्जे, साईकिल आदि बनाने वाले उद्योगों को बहुत अधिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। मेरा विश्वास है कि उन्हें 12 लाख रु० का नुकसान उठाना पड़ रहा है। अतः मैं सरकार से लुधियाना की इन औद्योगिक इकाइयों को विशेष राहत पहुंचाने का निवेदन करती हूं। कांग्रेस सरकार के दौरान औद्योगिक विकास केन्द्रों की स्थापना की गई थी और ऐसा ही एक औद्योगिक विकास केन्द्र पठानकोट के लिए मंजूर किया गया था। मैं जानना चाहूंगी कि उस पर काम कब चालू किया जा रहा है और उसके लिए अभी क्या किया जा रहा है। हम सभी गांवों में पेयजल की आपूर्ति करने की बात करते हैं। गुरदासपुर के अर्ध-पर्वतीय धार ब्लाक में पेयजल की अत्यंत कमी है। इसलिए मैं निवेदन करती हूं कि इस क्षेत्र को पेय-जल की आपूर्ति के लिए विशेष रूप से धन आबंटित किया जाना चाहिए। यही हालत उन सभी छोटे शहरों की है जिनके पास सड़कों के विकास और प्रकाश की व्यवस्था हेतु पर्याप्त धन नहीं है। यह छोटी बातें हैं लेकिन अंततः इनसे पंजाब और विशेषकर गुरदासपुर के लोगों को सहायता मिलेगी। अन्त में, मैं एक बार फिर वित्त मंत्री से लोगों की परेशानियों और कठिनाइयों को सम्प्रेषित करने और समस्याओं को हल्के ढंग से न लेने का निवेदन करूंगी। अभी तक, सरकार अनभिज्ञ बनी हुई है। सरकार पंजाब में जो कुछ घट रहा है इस पर कोई ध्यान नहीं दिया है और न ही कुछ किया है। अब, लोग जम्मू और काश्मीर के बारे में कह रहे हैं कि मसला हाथ से निकल रहा है। मैं यह तो नहीं कह सकती कि मसला पहले से ही हाथ से निकल गया है, परंतु हम उसकी ओर बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं। अतएव यही समय है जब सरकार और समर्थन करने वाले दल इस पर कुछ करें।

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि गृह और न्याय शीर्ष के अंतर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए।"

[पंजाब में पुलिस बल का उत्साह/मनोबल बढ़ाने में असफलता] (4)

"कि गृह और न्याय शीर्ष के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए।"

[पंजाब में आतंकवादियों से आम जनता को बचाने में असफलता] (5)

"कि गृह और न्याय शीर्ष के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए।"

[पंजाब में सामान्य स्थिति बहाल करने में असफलता] (6)

"कि गृह और न्याय शीर्ष के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए।"

[पंजाब में आतंकवादियों द्वारा पैसा ऐंठने के मामलों को रोकने में पुलिस की असफलता] (7)

"कि उद्योग शीर्ष के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए।"

[पंजाब में कुटीर और लघु उद्योगों के बन्द होने को रोकने में असफलता] (8)

श्री पी० आर० कुमारमंगलम (सलेम) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि गृह और न्याय शीर्ष के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए।"

[सुरक्षा हेतु पर्याप्त धनराशि प्रदान करने में असफलता] (9)

"कि उद्योग शीर्ष के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपए किया जाए।"

[प्रशिक्षित बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए नये उद्योग स्थापित करने में असफलता] (10)

[हिन्दी]

डा० एस० पी० यादव (सम्भल) : माननीय सभापति जी, पंजाब समस्या के विषय पर आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। समस्या चाहे पंजाब की हो या काश्मीर की हो, समस्यायें हमेशा क्रियेटिड हुआ करती हैं। पंजाब की समस्या भी इसी प्रकार से क्रियेटिड समस्या है। सन् 1977 के चुनाव के बाद जब जनता पार्टी की सरकार बन गई थी, उसके बाद उस समय के विरोधी दल के जो नेता थे उन लोगों ने इस समस्या को क्रियेट किया। मेरी राय में उन लोगों ने जिस तरह से पंजाब के उन चंद लोगों के लिए जो असामाजिक तत्व थे, उन लोगों के लिए बढ़ावा दिया और इतना महत्व दिया कि वे आपे से बाहर हो गए। जिस समय वे दिल्ली के दरबार में आया करते थे, दिल्ली के चारों तरफ घूमते थे तो उनके लिए एक स्पेशल निमंत्रण जाता था कि आप दरबार में आइए, आपका स्वागत है। उस समय वे दरबार में आया करते थे। इसके बाद उन लोगों ने स्थिति इस प्रकार से बदली कि उन्होंने पंजाब की अलग से खालिस्तान की मांग पेश कर दी और वे मांग धीरे-धीरे सुलगती गई, बढ़ती गई और सरकार उसको साइलेंट होकर देखती रही कि अब क्या होगा, अब क्या होगा? समस्या इतनी आगे बढ़ गई कि पानी सिर से ऊपर उतर गया, तब उस समय जा करके ब्लू स्टार आपरेशन करना पड़ा, इस समुदाय विशेष के लोगों के दिलों में जख्म बन गए, उनके दिलों में दरारें पड़ गईं और देश से अलग होने का उन्होंने निर्णय ले लिया जो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय था और उसी निर्णय के तहत उन लोगों ने पंजाब के अन्दर मार-काट की, उन्होंने ये भी नहीं देखा कि मरने वाले लोग कौन हैं? बसें पकड़ ली गईं, लोगों को नीचे उतार लिया गया और उन्हें मार दिया गया, बेगुनाहों को मारा गया और आज भी वह आग वहां

पर जल रही है। पंजाब के माध्यम से पाकिस्तान ने भी हमारे देश में घुसपेठ की है। इस सदन के जितने माननीय सदस्यगण हैं, मेरा अपना यह मानना है कि यहां भले ही हमारे मनों में कोई पार्टी मतभेद है, लेकिन देश के लेवल पर कोई मतभेद नहीं होना चाहिए। देश का बंटवारा, देश का विभाजन, हम सब लोगों के लिए एक बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात होगी। हमारे अपने आपसी राज-नीतिक मनमुटाव, मतभेद हो सकते हैं। हम लोग कोई डैगसंट्राग नहीं हैं, लेकिन हमारे मतभेद हैं और वे मतभेद देश के लेवल पर नहीं होने चाहिए।

मैं इस सदन में कभी-कभी देखने लगता हूं कि काश्मीर का इशु उठता है तो उस समय दो तरह के हाउस में मत दिखाई देने लगते हैं और कुछ लोग उनको वहां पर सपोर्ट करने लगते हैं जो वहां पर दरिन्दे हैं और कुछ लोग उसके खिलाफ बोलते हैं। मैं समझता हूं कि यदि इस सदन के 547 सदस्य ये तय कर लें और हाउस के अन्दर एक शपथ ग्रहण कर लें कि राष्ट्र के लिए हम सब समर्पित हो जाएंगे, काश्मीर और पंजाब तब अलग होगा जब हम 547 सदस्य समाप्त हो जायेंगे। हमें संकल्प करना चाहिए। हम सभी लोगों के लिए ये स्टेप लेना आवश्यक है क्योंकि सत्ता में कभी आप थे, कभी हम हैं, इस तरह से तो सत्ता का परिवर्तन होता ही रहता है और परिवर्तन एक बहुत बड़ी चीज है जो कभी चेंज नहीं हो सकता है। लोगों के दिलों में जब दरारें पड़ीं, बागी बन गए और बागियों के दिलों को पीड़ा पहुंची। जिस समय महात्मा गांधी का मर्डर किया गया, उस समय कितने लोगों को मारा गया और जिस समय इन्दिरा गांधी का मर्डर हुआ उस समय दिल्ली के अंदर पकड़-पकड़ कर सरदारों के गले में टायर डाल-डाल कर आग लगा दी गई और उन्हें दौड़ाया गया। बहुत से लोगों ने इतने जुल्म किए, जिसके बाद ये आग पूरे देश के अन्दर फैलती गई। यह आग किसने फैलायी ? वह आग उन लोगों ने फैलाई, जो आज विरोधी पक्ष में बैठे हैं। साथियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि समय-समय पर इस प्रकार के स्टेप्स लिये जाते रहे, जिनके कारण आप देखिए, आज क्या हो गया है। जनता दल ने एक बात पेश कर दी कि आरक्षण होना चाहिए, मण्डल कमीशन की रिपोर्ट लागू होनी चाहिए, इसके लिए नौजवानों बच्चों, लड़कों, छोटी-छोटी लड़कियों के लिए अखबार के अन्दर फोटो दिखाए जाते हैं अगर किसी तरह का कोई भी स्टेप पुलिस ले लेती है तो उसी पुलिस को कहा जाता है कि बड़ी घटिया पुलिस है और बहुत ही खराब काम यह पुलिस कर रही है। लेकिन उन बच्चों को आगे लाने का काम किसका था, निहित स्वार्थों के कारण कुछ लोगों ने उनको उकसाकर यह काम करवाया। यही काम पंजाब के अंदर होता रहा और पंजाब के अन्दर जिन जातियों के लिए, नाम मैं नहीं लेना चाहता, जिनके दिलों में कालिख है, नाम उनको पता हैं, वे नाम जान सकते हैं कि किनके नाम हैं। इसलिए मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि पंजाब समस्या का समाधान इस हाउस के सब लोगों को मिलकर करना चाहिए और एक दिन करना पड़ेगा। अगर देश को खण्डित होने से बचाना चाहते हैं तो ऐसी कितनी आवाजें हैं, उनका मुकाबला करना होगा। मैं तो कहना चाहता हूं कि चाहे कश्मीर हो, चाहे पंजाब हो, कोई भी प्रदेश हो, हमारे देश की शक्ति विश्व के अन्दर इतनी बढ़ चुकी है कि किसी भी राष्ट्र से हम पीछे नहीं हैं, चाहे आर्थिक शक्ति हो, सामाजिक शक्ति हो, नैतिक शक्ति हो, चाहे सैनिक शक्ति हो, किसी भी तरह से हम पीछे नहीं हैं। हमारे पास भण्डार बहुत हैं, लेकिन हम उनका दोहन नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन धीरे-धीरे दोहन भी हो रहा है। हमारी शक्ति विश्व में उभर कर सामने आयी है, विश्व का

कोई भी देश हिन्दुस्तान से टकराएगा तो बच नहीं पाएगा, हिन्दुस्तान इतना कमजोर नहीं है और हम सबको मिलकर यह कामना करनी चाहिए कि हमारी शक्ति और बढ़े, विश्व की कोई शक्ति हमारी तरफ आंख उठाकर न देख सके, इस प्रकार का हमारा उद्देश्य होना चाहिए।

सभापति महोदय, मैं केवल इतना बताना चाहता हूं कि जो भी समस्याएं हमारे देश में पैदा हो रही हैं, उनको हमारे विरोध पक्ष के कुछ लोगों द्वारा ही क्रिएट किया जा रहा है, जिससे कि थोड़ा सा हल्ला-गुल्ला हो और इस तरह की कार्यवाहियां हों। मैं केवल कुछ सुझाव पंजाब समस्या के लिए अन्तिम रूप से देना चाहता हूं। वैसे तो वहां स्थिति सामान्य है, लेकिन स्थिति को और अधिक सामान्य बनाना होगा, इसके लिए प्रयास करने होंगे और उसके बाद पंजाब में राजनीतिक गतिविधियां शुरू हो जाएं, चुनाव करवाए जाएं, उनके अपने लोगों के हाथ में जब शासन पहुंचे तो वे लोग अपनी व्यवस्थाओं को खुद देखें। दूसरी बात यह कि पंजाब में पाकिस्तान की घुसपैठ है, घुसपैठिए पाक में तैयार करके भेजे जाते हैं और वे मारकाट करते हैं, उन लोगों को प्रतिबंधित करने के लिए यह आवश्यक है कि पंजाब सीमा को सील किया जाए। पंजाब की सीमा को सील करना बहुत आवश्यक है, ताकि उधर से पाकिस्तान के लोग प्रवेश करके गड़बड़ी पैदा न कर सकें। इसके अलावा एक समय पंजाब के अन्दर हवाई सुरक्षा पट्टी बनाने का प्रस्ताव था। जो भी प्रिकाशंस हमें इस भयंकर स्थिति को देखते हुए लेने चाहिए वे लिए जाएं। सरकार को बहुत मजबूती के साथ कदम कदम उठाने चाहिए और कोई भी कदम ऐसा बाकी न रहे जिसके लिए हमें कभी पछताना पड़े।

मेरा इतना ही निवेदन है कि सरकार को बहुत मजबूती से चाहे पंजाब समस्या हो या कश्मीर समस्या हो, कदम उठाने चाहिए। पंजाब के लिए जो मांगें प्रस्तुत की गई हैं, उनका मैं समर्थन करता हूं।

श्री धर्मपाल शर्मा (ऊधमपुर) : सभापति महोदय, पंजाब की मांगों पर बहस हो रही है, मैं इस बात में नहीं जाना चाहता था, लेकिन मेरे से पहले जनता दल के माननीय सदस्य ने कुछ बातों की तरफ इशारा किया, जिससे यह बताने की कोशिश की कि शायद पंजाब का मसला कांग्रेस का पैदा किया हुआ है। मैं संक्षेप में कहना चाहूंगा कि 1982 में अकाली दल ने धर्म युद्ध शुरू किया, धर्म के नाम पर शुरू किया। उस वक्त पंजाब के अन्दर पंजाबियों के मसले थे, पंजाब में हिन्दू भी हैं जो पंजाबी भाषा बोलते हैं, अपने आपको पंजाबी कहते हैं, लेकिन बदकिस्मती तब पैदा हुई जब उन्होंने धर्म के नाम पर धर्मयुद्ध शुरू 1982 में किया, संत लोंगोवाल जी ने शुरू किया और 1982 में हालात कहां तक पहुंचे। किस तरह से एक्स सर्विसमैन को रिक्रूट किया गया, हरमंदिर साहब का मोर्चेबन्दी की गई और आपरेशन ब्लू स्टार किन हालात में हुआ, कितनी कैजुअल्टीज हो गईं जब मिल्ट्री ने एंटर किया, मैं यह नहीं कहता कि वह अच्छी बात थी, लेकिन इसके लिए जिम्मेदार कौन है, कितने लोग वहां मारे गए। उसके बाद 1984 में जो हालात हुए, उन सबके लिए हम दुखी हैं, कांग्रेस ने कोर्ट्स बनाई, लोगों को सजाएं हुईं, अब भी हो रही हैं।

सभापति महोदय, मसले क्या थे, चंडीगढ़ पंजाब को मिलना चाहिए, सतलुज-यमुना लिंक कैनाल का मसला था, भाखड़ा मैनेजमेंट का मसला था, सिर्फ अकालियों या सिखों का मसला नहीं

था। बुनियादी तौर पर ये सब मसले पंजाबियों के थे और बाद के मसले अकाली दल ने पैदा किए और उनकी अंदरूनी लड़ाई से पैदा हुए। कांग्रेस ने कोशिश की, माननीय राजीव जी जब सत्ता में आए, उन्होंने राजीव-लोंगोवाल अकार्ड किया, उसको भी सेबोटाज करने वाला कौन है, अकाली दल के नेता श्री प्रकाश सिंह बादल और श्री गुरुचरण सिंह टोहड़ा, उस वक्त लोंगोवाल जी के साथी थे बलवंत सिंह जी जो मारे गए हैं और बरनाला जी अभी तमिलनाडु के गवर्नर हैं, उन्होंने साथ दिया, लेकिन मसला आया कि चीफ मिनिस्टर बन गए, बादल भी बनना चाहते थे। तो ये अकाली दल के लोग जो अब पावर में हैं, नेशनल फ्रंट की सरकार है, इनके लोग जब अपोजीशन में थे तो एक बात कहते थे कि अकाली दल के जो बड़े-बड़े फैक्शंस हैं, इसको हम मिलाएंगे, इकट्ठा करेंगे, क्या इकट्ठा किया, क्या पालिसी सरकार की है, पालिसी यह है कि जिस दिन माननीय वी०पी० सिंह प्राइम मिनिस्टर बने, उस दिन वहां खालिस्तान के हक में और दूसरे नारे लगाए। रे साहब जो गवर्नर थे उन्होंने इंस्ट्रक्शंस मांगी कि मैं इनको गिरफ्तार करना चाहता हूं, प्राइम मिनिस्टर साहब मिले टेलीफोन पर कि अभी इत्तला देंगे, क्योंकि केबिनेट नहीं थी, उनका मैसेज आया, उन्होंने कुछ नहीं कहा और पंजाब का प्रोग्राम बना लिया, उनसे पूछे बगैर, रे जी ने इस्तीफा दे दिया और खुली जीप की बात जो कहते हैं, 25000 प्लेन क्लाद में सिक्यूरिटी परसनल थे, वह मि० रे ने कहा है कि 25000 लोग थे, कितने किलोमीटर चले या कितना पैदल चले और क्या हो गया, उसके बाद तमाशा यह दिया कि मान जी को लाना चाहते हैं, सिमरनजीत सिंह मान चीफ मिनिस्टर होंगे और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल साफ्ट हो गया, टेररिस्टों के खिलाफ कार्यवाही धीमी कर दी गई और वही सिमरनजीत सिंह मान हैं, क्या कहते हैं कि मिलीटेंट्स फ्रीडम फाइटर हैं, इलेक्शन का बायकाट करेंगे, यू० एन० असेम्बली के तहत सैल्फ डिटर्मीनेशन की बात करते हैं, सरकार कमजोर है, कोई ऐक्शन नहीं लेती है, सलेशन की बात करते हैं, खालिस्तान की बात करते हैं, यू० एन० की बात करते हैं, लेकिन यह सरकार एक लफ्ज कंडेम तक नहीं कर सकती, न कोई एक्शन ले सकती है, तब उनको लाने की बात होती थी, जब देखा कि वे नहीं आ रहे हैं तो अब कैप्टन अमरिन्दर सिंह से बात शुरू हो गई कि आपको चीफ मिनिस्टर बनाएंगे और कहा जाता है कि तीन बातों पर समझौता भी हो गया है कि चंडीगढ़ पंजाब को दे देंगे, सतलुज यमुना लिंक कैनाल, अब भजनलाल जी हैं कि हरियाणा वाले क्या समझते हैं कि काम बंद कर देंगे, तो यह पता लगा कि मान जी ने खुद एक इंटरव्यू में कहा कि मैं चीफ मिनिस्टर हो जाऊं या राजा हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ये दोनों रिश्तेदार हैं, सांढू हैं, लेकिन चूंकि वे बन रहे हैं तो मान भी हो गए और बात सिर्फ यह कि रिवाइवल आफ असेंबली की बात जिसको एक महीने से कम रह गया है, सरकार यह चाहती है कि उसके बाद वह सरकार ही रहे और फिर इलेक्शन हों, कोई साल दो साल, फिर गवर्नर रूल हो; इस तरीके से बचना चाहती है। मैं तो यह कहूंगा कि जिनको आपने गवर्नर बनाकर भेज दिया, वर्मा जी ने वहां माफी मांगी है, मैं तो एतराज करूंगा, पता नहीं नेशनल फ्रंट की सरकार की तरफ से माफी मांगी है या जाती तौर पर मांगी है, पर ही इज एन इंस्टीट्यूशन, गवर्नर है, उन्होंने कहा कि जो कुछ हो गया है कि उसके लिए मैं माफी मांगता हूं, आई ओब्जेक्ट सर, उन्होंने जो कुछ कहा। सवाल यह है कि क्यों हालात ऐसे हो गए, मैं यही कह रहा था कि ये हालात किसने पैदा किए, धर्मयुद्ध ने पैदा किए, अकाली दल ने पैदा किए, मोर्चेबन्दी वहां हो गई और पंथक कमेटी ने ऐलान कर दिया किस तरह से वायरलैस मैसेज पाकिस्तान से होते थे, किस तरह से खालिस्तान का अनाउंसमेंट होगा

था, इस हालात में वहां पर एंट्री हो गई, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि आपरेशन ब्लैक थंडर के बाद वहां हालात नार्मल हुए, एक दो जिलों को छोड़कर ब्लास्टिंग बंद हो गई थी, किलिंग में कमी हो गई थी, सिगरेट, बीड़ी की दुकानों को जलाया और बंद किया जाता था, वे बेचने लगे थे, मीट, शराब बिकने लगे, वारदातों में कमी हो गई, लेकिन जब से यह सरकार बनी है, इनकी कोई पालिसी नहीं है, हम देखते हैं कि 15-20 लोग रोज मारे जा रहे हैं, एक्सटार्शन में इजाफा हुआ है, पलायन बढ़ा है, अमीर सिख भी गांवों से भागकर शहरों की तरफ आ रहे हैं, यह हालात वहां पर पैदा हो गए हैं। (व्यवधान)

आप देखिए कि एक देश का प्रधानमंत्री, यहां पर इतने मसले हैं देश के, प्रधानमन्त्री वहां पर पंजाब में एक हफ्ता पैदल यात्रा करेंगे, क्या यहां पर और कोई काम नहीं है, यहां इतने मसले हैं, तमिलनाडु में क्या हो रहा है, असम में क्या हो रहा है, उल्फा क्या कर रही है, कश्मीर में क्या स्थिति है, लेकिन प्रधानमंत्री जी एक हफ्ता टूर करेंगे और पंजाब के मसले को समझेंगे।

4.00 म० प०

काश्मीर के हालात के बारे में सभी को पता है। होम मिनिस्टर साहब भी वहां हालात देखने गए। मेरी कांस्टीच्युऐंसी में गए और कह रहे थे कि सुरक्षा करेंगे, लेकिन मारा-मारी होगी। कल ही वहां पर तीन आई० ए० एफ० और तीन पुलिस के लोग मारे गए। श्री गुजराल जी कंसीसटेन्टली कह रहे हैं कि पंजाब में इलेक्शन होंगे और कुछ मिनिस्टर कहते हैं कि नहीं होंगे। काश्मीर के बारे में कोई पालिसी नहीं है लेकिन रुकावट डालने वाला कौन है। श्री देवीलाल जी ने कहा था कि पानी नहीं आयेगा और फिर किसने रुकावट डाली। बाद में डिप्टी प्राइमिनिस्टर बने। लोंगोवाल एकार्ड अमल में लाया जाना चाहिए। टर्मिनेशन का फैसला नहीं हुआ। जो एकार्ड है वह सही मायने में इम्प्लीमेंट करें। हरियाणा और पंजाब के लोग आपका साथ देंगे। गवर्नर साहब की माफी मांगने का मैंने एतराज किया। क्या प्रेजीडेंट रूल एक्सटेंड करेंगे या सिमरनजीत सिंह मान को लायेंगे। अब तो देश का मसला है और श्री एस० एम० मान ने कहा कि आप कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। बी० एस० एफ० की पांच बटालियन के बारे में कहा तो आपने कहा कि पन्द्रह तो मिलेंगी। हमने कहा कि आप नहीं देंगे। पाकिस्तान का इरादा है कि आप कमजोर हैं। वह टैरोरीस्ट्स को ट्रेंड करके हमारे देश को तोड़ रहा है। वह काश्मीर को साथ में मिलाना चाहता है। फारेन मिनिस्टर साहब भी कह रहे थे कि सेक्रेटरी साहब बात करते हैं। यह ठीक है कि सरकार कमजोर है। आप मजबूती करके सबको कान्फीडेंस में लीजिए। जो अपोजिशन है उसको आप कन्सल्ट नहीं करना चाहते और न काश्मीर के बारे में कोई सहयोग लेना चाहते हैं। जनता दल वाले क्या हैं, इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। जो हमारे साथी हैं उनको बुलाकर प्राइम मिनिस्टर बात करते हैं और बैठने के लिए तैयार हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि नॉन-सीरियस हैं और काश्मीर, पंजाब, असम और तमिलनाडु के मसले को ले रहे हैं। यह पता नहीं कि किस ढंग से इन मामलों को डाइवर्ट करना चाहते हैं। मंडल आयोग का तरीका भी अख्तियार किया हुआ है। यह पता नहीं कि इस देश को आप कहां ले जा रहे हैं और क्या स्थिति बनाने वाले हैं और जो आने वाले लोग हैं वे आपको माफ नहीं करेंगे। मैं यह कहना चाहता हूं कि पंजाब का विकास होने दीजिए और जो लेंडलैस हैं और मजदूर हैं उनको रोजगार के साधन मिलने चाहिए। एम्प्लायमेंट की ओर आपको ध्यान देना चाहिए। आप यत्न

कीजिए कि उनकी जिंदगी महफूज करेंगे। जो बार्डर के हालात हैं और इन्फील्ट्रेशन को कम कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री प्रहलाद सिंह पटेल (सिवनी) : सम्माननीय सभापति महोदय, मैं भारतीय जनता पार्टी के सांसद के नाते पंजाब बजट पर अपना पक्ष रखने के लिए खड़ा हुआ हूं। मुझे भारतीय जनता पार्टी के संसदीय मंडल की तरफ से पंजाब जाने का अवसर मिला है और मैंने इसी सदन में गत 20 मार्च को जब पंजाब बजट पर बहस हो रही थी तो उसको ध्यान से सुना और पढ़ा है। सदन में बैठे हुए तमाम राजनीतिक दलों के नेतागण अपनी बातें पंजाब के बारे में कहते रहे हैं। मैंने कांग्रेस के माननीय सदस्यों की बातों को भी सुना है और सत्ताधारी जनता दल के माननीय सदस्यों की बातों को भी सुना है। एक सांसद के नाते मैं कहना चाहूं तो मेरा यही विनम्र अनुरोध रहेगा कि पंजाब के बारे में क्रिया और प्रतिक्रियाओं के बारे में अपने-अपने ख्याल रखें तो यह सदन जब भी यहां पर बैठेगा एक दूसरे पर आरोप के अलावा उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं होगा। पंजाब की समस्या सामाजिक समस्या है, राजनीतिक समस्या है, भावनात्मक समस्या है इसे सारे (सम्पूर्ण) परिप्रेक्ष्य को देखा जाना चाहिए, अगर किसी अंश में देखा जायेगा और उसी पर विचार किया जायेगा तो हमारी आम राय नहीं बन सकती और वह राय राष्ट्र हित में नहीं हो सकती है। हम जब 20 मई को वहां गये थे तो हमने एक रिपोर्ट अपने अध्यक्ष के माध्यम से प्रधान मंत्री को दी थी। उसमें स्पष्ट जिक्र किया था कि माननीय प्रधान मंत्री ने सत्ता में आने के बाद जब वहां पर शिरकत की थी, वे खुली जीप में घूमे थे तो उसका कुछ असर पड़ा था, लेकिन हमने दूसरा पक्ष भी प्रस्तुत किया कि जब दूसरी बार वे गये तो सारे अमृतसर को छावनी बना दिया गया था। उनकी बात को सुनने के लिए कोई आदमी नहीं आया था। इस बात को समझना चाहिए था कि यह परिस्थिति क्यों बनी। सरकार ने प्रयास किया है कि हम मरहम लगाने का काम करते हैं और एक तर्क दिया है कि हम वहां सामान्य लोगों के बीच में जाकर जनता को और आतंकवादियों की मुख्य धारा में, राष्ट्रीय धारा में लाना चाहते हैं। उसको एक एकसूत्रीय पाइंट बनाया गया, लेकिन वहां के लोगों ने इसको तिलांजलि दे दी और लगातार निर्मम हत्यायें जो आतंकवादियों द्वारा की जा रही हैं, जिनकी गिनती नहीं की जा सकती। जब यहां पर बजट का सवाल आता है तो हम किस पर बात करना चाहते हैं क्या शिक्षा पर बात करते हैं। आज आप पंजाब के बारे में विचार करेंगे तो गुरदासपुर, फिरोजपुर और अमृतसर में जाकर देखें वहां पर स्कूल में जाने के लिए मास्टर तैयार नहीं होते हैं, अगर हिन्दी पढ़ायेगा तो गोली मार दी जायेगी। इसलिए आप वहां किस शिक्षा की बात करना चाहते हैं और कौन-सा विद्यालय चलाना चाहते हैं जहां पर लड़के पढ़ने को तैयार नहीं हैं। जो पंजाब से यहां पर आये हैं मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि किसी दल ने एक-दूसरे पर यह आरोप नहीं लगाये और पंजाब की हालत सुधारने के लिए क्या किया, शिक्षा को ही लीजिए, कौन से आपने हालात बनाये कि वहां शिक्षा का प्रचार-प्रसार हो।

अगर आप उद्योग की बात करते हैं तो बटाला में राइस मिल्स एसोसिएशन के लोग मिले थे उन्होंने कहा कि हमने वित्त मंत्री को ज्ञापन दिया है। वहां के उद्योगपतियों पर रहम करना चाहिए। आज उनकी तुलना पाकिस्तान जैसे देश के उद्योगपतियों से की जाती है। राइस मिल्स की हालत इतनी खराब है कि अब उसके साथ भी तुलना नहीं की जा सकती, दूसरे देशों को तो छोड़ ही

दीजिए। बटाला के उद्योगों की यह हालत हो गई है। वहां से एक किलोमीटर बाहर भी जिसके उद्योग हैं उन्होंने वे बंद कर दिये हैं, क्योंकि मालिकों को और उनके बच्चों को उठा लिया जाता है और फिर उनके परिवार वालों से फिरौतियां मांगी जाती हैं। कितने ही बैंक लूट लिये गये हैं, कौन इस बात को नहीं जाता है। क्या इसका आपके बजट पर असर नहीं पड़ेगा। आप किस बजट की बात करना चाहते हैं, चाहे पंजाब की विधान सभा बनाती या हिंदुस्तान की संसद इसे रख रही है, लेकिन इस बजट का औचित्य क्या है, कौन-सी मद पर खर्च करना चाहते हैं। क्या इसमें रक्षा का जिक्र है, क्या नौजवानों को रोजगार देने की बात है।

यहां यह भी कहा गया है कि वहां मजदूरों की जरूरत है और बिहार तथा उत्तर प्रदेश से आकर लोग वहां पर मजदूरी करते थे, लेकिन लाइन लगाकर उनको मार दिया गया। एक बात का ख्याल रखना चाहिए कि पंजाब का आम आदमी साहसी है, पुरुषार्थी है उसकी प्रवृत्ति में ये सारे गुण मौजूद हैं। इसका सीधा अर्थ यह है कि वहां पर खेती पैदा करने वालों ने हमेशा प्रगति की है। इतनी विषमताओं के बाद भी, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि कभी खेती के आंकड़े नीचे नहीं गये, वहां पर बरबादी हुई है तो उद्योगों की हुई है, वहा पर बैंक बर्बाद हुए हैं, उनको लूटा गया है, बर्बादी हुई है तो गांव के जो सम्पन्न किसान हैं चाहे वे सिख ही क्यों न हों उनकी हुई है, उनकी हालत खराब है। अमृतसर में फाइनेंसिंग एजेंसीज चल रही हैं, कल तक जो आटो रिक्शा चलाता था आज लाखों-करोड़ों की फाइनेंसिंग एजेंसी चला रहा है। सरकार की जानकारी में उसके बाद हम कार्रवाई करना चाहते हैं। आपके बजट का औचित्य क्या रहेगा? अगर सारे बैंक्स लुट जायेंगे तो बजट में पैसा कहां से आयेगा? पंजाब में उनके हालात क्या होने वाले हैं। इस प्रकार की परिस्थितियों को लेकर अगर हम पंजाब का कोई बजट यहां पर पारित कर दें तो मैं पूछना चाहता हूं कि कितना प्रतिशत सफलता अर्जित की जा सकती है? यदि संसद ने समस्या के मूल बिंदु की तरफ ध्यान नहीं रखा तो राष्ट्र के साथ विश्वासघात करेंगे। हमारी एक राष्ट्रीय नीति होनी चाहिये और उस पर आम सहमति होनी चाहिये। मैं अमृतसर, तरनतारन, बटाला, जंदियाला, जालंधर और लुधियाना गया हूं। सारे लोगों से मिला हूं। मुझे इस बात को कहते हुए हैरत होती है कि जब वहां हम पहुंचे तो हमारे कम्युनिस्ट मित्र भी मिलने आये थे। अकाली दल के लोग भी मिलने आये थे। वहां पर राष्ट्रीय दल का कोई भी व्यक्ति हो, उनके काम का तरीका क्या है? सारे लोग चाहते हैं कि पहले वहां शांति होनी चाहिये, उसके बाद चुनाव की बात होनी चाहिए। इस बजट को हम यहां रख रहे हैं या बजट बनाकर भेज रहे हैं क्योंकि हम पंजाब में विकास की दर को बढ़ाना चाहते हैं। वहां के लोगों को सुविधा मुहैय्या करना चाहते हैं और कुछ लोगों के बारे में चिंता करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या औचित्य रहेगा यदि हम जिस उद्देश्य को लेकर चले हैं, उसकी पूर्ति नहीं कर सकते। यदि हम चुनाव पर चर्चा करना चाहते हैं तो लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए उचित सलाह करनी चाहिए कि जनता के हितों की बात करें। मैं इस सदन में खड़े होकर उन सारी पार्टियों से पूछना चाहता हूं जो चुनाव की वकालत करते हैं कि वहां पर चुनाव होने चाहिएं। मैं पूछना चाहता हूं कि उनको पहले शांति पसंद है या चुनाव पसंद है? हम लोकतंत्र का सम्मान करते हैं और उसके प्रति आस्था रखते हैं। क्या इसका अर्थ यह नहीं कि बंदूक के जोर पर चुनाव जीत जायेंगे। हम वहां लोकतंत्र की स्थापना करना चाहते हैं, उसकी हत्या नहीं करना चाहते हैं जो राष्ट्रीय दल वहां पर स्थायित्व की बात करते हैं उनमें एक आम राय होनी चाहिए। किसी राष्ट्रीय दल ने इस बात पर

विचार नहीं किया कि पंजाब में इस बारे में कम से कम एक मत हो सकें। एकमत कैसे होगा ? कभी संसद में बैठकर एकमत से यह निर्णय नहीं हुआ कि सब जाकर पंजाब का दौरा करेंगे, उसकी रिपोर्ट यहां पर रख दी जाए और उसके बाद बजट पास होने की बात करें तो बात समझ में आती। वे कहते हैं कि पंजाब की समस्या के निदान का कारण क्या है ? भारतीय जनता पार्टी को इस बात का गर्व है कि मैं पंजाब में गया और लौटने पर यही बात कही कि वहां पर सुरक्षा पट्टी की व्यवस्था होनी चाहिए। हमें पंजाब की समस्या का स्थायी समाधान चाहिए। जो लोग यह कहते हैं कि वहां पर पाकिस्तान से लोग आते हैं उसे रोकने के लिए वहां पर पैरा-मिलिट्री फोर्सेस लगा दी जाए, यह तरीका नहीं हो सकता है। हम बी० एस० एफ०, सी० आर० पी० एफ० एवं पंजाब पुलिस के उच्चाधिकारियों से मिले। उनका कहना था कि मंद के क्षेत्र में सेना के अलावे पैरा-मिलिट्री फोर्सेस का उपयोग नहीं हो सकता है, सार्थक नहीं हो सकता है। इनको एस० एल० आर० दी गयी है लेकिन आतंकवादियों के पास ए० के० 47 आ गई, हमारा साफ मत है कि वहां पर सुरक्षा पट्टी बनानी पड़ेगी। इस बात के लिए इस सदन को दुविधा क्यों होती है ? एक राष्ट्रीय दल के मित्र ने कहा कि इस पर विचार करना चाहिए। अगर बहस हो तो इस बात पर हो कि सुरक्षा पट्टी बननी चाहिए या नहीं ? यदि नहीं बननी चाहिए तो क्यों नहीं ? यदि इस बात पर स्वस्थ बहस होती तो समस्या का निदान मिल जाता। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि तीनों जिलों को सेना के सुपुर्द कर देना चाहिए, इसमें हमारा स्पष्ट मत है। लोगों का कहना है कि वे मरने से घबराते नहीं हैं, संघर्ष से घबराते नहीं हैं, इसमें पीछे हटना वे चाहते नहीं हैं लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि जिन आतंकवादियों की बात करते हैं इस सदन में बहुत सारे बैठे हुए सदस्य सोचते हैं कि वे आतंकवादियों को पहचानते नहीं हैं। आतंकवादी वहां नॉन पर्सनेलिटी है। मैं जानता हूं कि ये आतंकवादी हैं, फिरौती देने वाले और फिरौती को मध्यस्थता कराने वाले लोग चिर-परिचित चेहरे हैं। जब उनमें कुछ पकड़े जाते हैं तो कई नेता चुनाव की बात करते हैं या पैरामिलिट्री फोर्सेस की बात करते हैं। तब आतंकवादी उस थाने में खड़े होकर कहता है कि दो महीने तक कोई उसे बंद करके रख सकता है ? जब चुनाव होंगे तो सरकार में हमारे लोग आयेंगे। वे सिमरनजीत सिंह के बयान का उल्लेख करते हैं कि जो अधिकारी उस आतंकवादी के परिवार से होगा उनको शहीद की उपमा देते हैं, यदि कोई परेशान करेगा तो चौराहे पर फांसी पर लटकायेंगे। इससे पुलिस और पैरा-मिलिट्री फोर्स का मनोबल कहां रहेगा ? हम पूछना चाहते हैं कि ऐसी परिस्थितियों में कहां तक यह समाज रहेगा ? पंजाब की हालत कैसी होगी मैं आपसे पूछना चाहता हूं ? और इस नाते मैं सदन से बार-बार इस बात का निवेदन करूंगा, चूंकि वहां चाहे आतंकवादी हों यो कोई और ऐसे व्यक्ति हों जो पाकिस्तान के साथ संबंध रखते हों, उनसे आज भी लोग घबराये हुए हैं, कि वहां की जनता ने बार-बार कहा है कि यहां आप सारे इलाके को सेना के सुपुर्द कर दीजिये और विशेषकर बिना घोषणा किये सेना के सुपुर्द कर दीजिये तो निश्चित रूप से पंजाब की आतंकवाद की समस्या का स्थायी समाधान निकल आयेगा। प्रत्यक्ष रूप से जिन आतंकवादियों को वहां के लोग जानते हैं, यदि वे भी इस मिशन में कहीं शामिल हैं, तो सेना उन पर काबू पा सकती है। वहां की आम जनता संघर्ष करने के लिए तैयार है, लड़ने के लिए तैयार है। आप उन्हें कहां तक हथियार देने की बात करते हो। हम एंटी टेरेरिज्म ग्रुप की बात नहीं करते, क्योंकि वहां दूसरे देशों में ट्रेंड आतंकवादी गोलियां चलाते हैं, हमने वहां जाकर देखा है कि हमारे

बी० एस० एफ० और सी० आर० पी० के जवान रात-रात भर सड़कों के किनारे नीचे उतर जाते हैं और दोनों के बीच रात भर गोलियां चलती हैं। हमारा किसी तरह का कम्युनिकेशन वहां पर नहीं है ताकि पंजाब के बारे में हमारे बी० एस० एफ० या सी० आर० पी० के लोगों को पूरी जानकारी हो, उनके अड्डों के बारे में जानकारी हो। इसलिए हम एंटी टेरेरिज्म की बात यहां नहीं करते, परन्तु अपनी वकालत जरूर करना चाहेंगे कि वहां जिन परिवारों के एक या दो सदस्य मारे गये हैं, उनकी प्रतिबद्धता राष्ट्रवादी हो सकती है, क्योंकि उन्होंने कुछ अपना खोया है, उन पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं हो सकता। उनको अपने साथ जोड़ कर सामाजिक सुरक्षा के उपाय किये जा सकते हैं। उनको हथियार दिये जा सकते हैं ताकि वे व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए अपने आपको तैयार कर सकें। पंजाब का आदमी मरने से भागने वाला या घबराने वाला नहीं है परन्तु दुख तब होता है जब बटाला का उद्योगपति दुख के साथ कहता है कि हमारे तीन भाइयों को मार दिया गया तब उनके चेहरे पर कोई विशेष अंतर नहीं आता है। किंतु दोबारा जब कहता है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के विभाजन के समय जब वह पाकिस्तान छोड़कर बटाला या दूसरे किसी जिले में आया था, उस समय उसकी उम्र 14-15 साल रही होगी। आज हालात यह हैं कि अब उसे पंजाब छोड़कर कहीं दूसरी जगह जाना पड़ेगा। आप दिल्ली में उनके लिए टैंटों की व्यवस्था करा दीजिये। उनका कहना है कि जिस दिन वहां चुनाव होंगे, यह बात तय है कि उन्हें पंजाब छोड़ना पड़ेगा। आज वे पूछते हैं कि आप हमें बता दीजिए कि उसके बाद दिल्ली में हमें लात मारकर कब दिल्ली की तरफ भगा दिया जायेगा। वे सदन से सवाल करते हैं। ऐसे पुरुषार्थी लोग आज पंजाब में हैं और वे जीना चाहते हैं। यदि उनका मनोबल इतना गिर जायेगा तो मैं पूछना चाहता हूं कि फिर पंजाब को कौन बचायेगा। हमें पंजाब समस्या का कोई स्थायी हल, कोई स्थायी समाधान खोजना पड़ेगा। संसद में आज जब हम पंजाब बजट पर चर्चा कर रहे हैं, इसमें वहां के उद्योगों पर भी चर्चा करेंगे, नौजवानों को रोजगार देने के प्रश्न पर भी चर्चा करेंगे और सुरक्षा की बात भी करेंगे। ऊर्जा के नये स्रोत पैदा करने की स्थिति पर भी चर्चा करेंगे कि कैसे ज्यादा-से-ज्यादा ऊर्जा वहां पैदा की जाये। इन सब बातों पर किसी की असहमति नहीं हो सकती, क्योंकि ये सारी समस्याएं ऐसी हैं, जिन पर विचार जरूरी है। उसके साथ-साथ हम यह भी चाहेंगे कि बजट कारगर तरीके से लागू हो, इस नाते मैं यह सुझाव जरूर देना चाहूंगा कि पंजाब में पूरी पाकिस्तान सीमा पट्टी पर, सुरक्षा के नाते, आपको बोर्डर सील कर देना चाहिए। जब तक आप पूरी सीमा पट्टी को सील नहीं कर देते, पंजाब समस्या पर काबू नहीं पाया जा सकता। इस प्रश्न पर यदि किसी का मतभेद है तो उसे खुलकर सदन के सामने बताना चाहिये कि इस कारण हमारा मतभेद है। मैं तो यहां तक कहना चाहता हूं कि पंजाब के जिन तीन जिलों को आपने आतंकग्रस्त क्षेत्र घोषित किया है, उनमें और पंजाब के बाकी जिलों में भी बजट के कामों में जितना पैसा खर्च किया जायेगा, उसमें कुछ-न-कुछ अंतर तो जरूर आयेगा, इसलिए जरूरी है कि पूरे इलाके को सेना के हवाले करके, जरूरत पड़ने पर और ज्यादा सहायता उपलब्ध करानी चाहिये तभी जाकर हम पंजाब समस्या का कोई स्थायी समाधान निकाल सकते हैं। वर्ना जिस तरह से सरकार चाहती है, हर 6 महीने बाद राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाये जाने से सम्बन्धित प्रस्ताव सदन में लाते रहेंगे, हर बार पंजाब का बजट यहीं पास करते रहेंगे, तो जहां यह प्रक्रिया लोकतंत्र के विरुद्ध है, वहीं आप पंजाब समस्या का हल खोजने की तरफ बढ़ पायेंगे। हमें पहला प्रयास यह करना चाहिये कि पंजाब में शांति कैसे स्थापित हो। भारतीय जनता पार्टी का एक

सदस्य होने के नाते, आज मैं फिर गर्व के साथ कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का दृष्टिकोण पंजाब के बारे में सदैव एक-सा रहा है, बदला नहीं है। हमारी नीति राष्ट्रवादी रही है। चाहे हम सरकार में रहें या बाहर से समर्थन देते रहें, अभी हमारी एक माननीय सदस्या ने जो कुछ कहा, आरोप लगाये, मैं उन्हें साफ तौर से बताना चाहता हूं कि एक समर्थक दल होने के बावजूद, भारतीय जनता पार्टी का दृष्टिकोण कभी बदला नहीं है। यदि हम वहां उस प्रतिनिधि मंडल में गये थे तो हमने सम्मानित महामहिम राज्यपाल महोदय से वहां सिर्फ एक ही सवाल किया था, जब हम लुधियाना में उनसे मिले थे कि एक स्थान पर लगातार 14 आदमियों को हाथ बांध कर गोली से उड़ा दिया गया तो आप उस दिन घटनास्थल पर क्यों नहीं गये, इससे पहले तो सभी राज्यपाल ऐसे अवसर पर जाते थे। उन्होंने जवाब दिया कि उस दिन पंजाब में तीन घटनाएं हुई थीं, एक स्थान पर 14 लोग मारे गये, दूसरी घटना में 9 लोग मारे गये और तीसरी जगह 4 लोग मारे गये, मैं उस घटनास्थल पर गया था जहां 14 लोग मारे गये थे। यदि कहीं अधिक लोग मारे जायेंगे तो निश्चित तौर से उनकी गम्भीरता बढ़ जायेगी। मैं इसे दुर्भाग्यपूर्ण मानता हूं, एक गम्भीर समस्या मानता हूं। वहां कादियां के पास एक गांव में 5 नौजवानों को जिंदा जला दिया गया था और मरने वाले पांचों नौजवान हिंदू परिवारों के थे। वैसे मारने के लिये तो उस परिवार में 50 लोग थे, लेकिन आतंकवादियों ने उनमें से किसी को नहीं मारा बल्कि छांटकर 19-20 साल की उम्र के 5 नौजवानों को पकड़ा, झाड़ से बांधा और जिंदा जला दिया और जब तक वे पूरी तरह जल नहीं गये, कोई आतंकवादी वहां से भागा नहीं। सारे परिवार को वहां देखने के लिए मजबूर किया गया कि वह जलते हुए अपने नौजवान बेटों को देखे और गांव के लोगों से कहा गया कि वे वहां आकर किसी भी प्रकार से सम्वेदना व्यक्त नहीं कर सकते। पांच मरने वालों की जो दुखद मामला और जघन्यतम तरीके से हत्या की गई है, यह ज्यादा गंभीर और दुखद मामला है। हमारी किसी बहन या बेटी की इज्जत लूटी जाती है, तो वह हत्या का मामला हो सकता है, लेकिन अगर उसकी इज्जत लूट कर उसकी वीडियो फिल्म बना कर उसी हालात में उसको उसके भाई या बाप के पास भेजा जाए, तो यह जघन्यतम तरीका बन जाता है और यह ज्यादा शर्मनाक है, यह ज्यादा गंभीर घटना है। 100 लोगों के मरने से घटना छोटी या बड़ी नहीं हो सकती है। भावनाओं की क्रिया-प्रतिक्रिया होती है। जो जघन्यतम तरीका अख्तियार किया जाता है वह निश्चित रूप से ज्यादा गंभीर मामला है। इसलिए पंजाब की समस्या का निश्चित रूप से कोई समाधान खोजा जाना चाहिए।

सभापति महोदय, मैं यह मानता हूं कि पंजाब की समस्या के स्थायी समाधान के लिए अगर सभी पक्ष मिलकर बात करें, कोई सामूहिक अभियान चलाएं, तो ज्यादा अच्छा होगा। सामूहिक रूप से अभियान के रूप में पंजाब में जाना चाहिए ताकि हम सदन में बैठकर एक-दूसरे पर कटाक्ष न करें। गलतियां, खामियां हुई हैं। जो लोग पहले सरकार में थे, उन्होंने भी गलतियां की थीं उनसे कुछ आज भी जूझ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी उस समय भी अपना वही दृष्टिकोण रखती थी और आज भी वही दृष्टिकोण रखती है। मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का दृष्टिकोण राष्ट्रीय हित में सर्वोपरि है। राष्ट्रहित में जो लोग, जो भी दल यहां पर त्याग किए हुए बैठे हैं, उनमें कम्युनिस्ट भी हैं, जो मिलने आए थे, उस नाते भी मैं कहना चाहता हूं कि उन सब की आम राय से कोई निर्णय लेना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ, महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

श्री भजन लाल (फरीदाबाद) : सभापति महोदय, वित्त मंत्री जी ने पंजाब में बजट के बारे में राशि की मांग की है, मैं इसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। उस साइड के भाई समझेंगे कि भजन लाल भी हमारी डिमाण्ड का समर्थन करता है। क्या कारण है? पंजाब के हालात ऐसे हैं कि पंजाब को और भी ज्यादा धनराशि देनी चाहिए। विकास के कामों के लिए, वहां के नौजवानों को रोजगार देने के लिए और वहां के दूसरे कामों के लिए, ज्यादा से ज्यादा धनराशि पंजाब को देनी चाहिए। मैं तो यह कहता हूं कि इससे अगर डबल धनराशि भी दी जाए, तो भी मैं समझता हूं कि थोड़ी है। क्योंकि पंजाब और हरियाणा ऐसे प्रदेश है, जो सारे देश का पेट अनाज से भरते हैं। आज वहां के हालात भी ऐसे हैं--चाहे लॉ एण्ड आर्डर की बात है या दूसरी बात है, उनको देखते हुए, धनराशि बजट में ज्यादा देनी चाहिए। इसलिए मैं इसका समर्थन करता हूं।

सभापति महोदय, अभी एक माननीय सदस्य ने पंजाब के ऊपर बोलते हुए कहा, मैं भी कुछ बातें आपके माध्यम से सदन में अर्ज करना चाहूंगा। जो भाई उधर से बोलते हैं, पंजाब की हालय के बारे में कहते हैं कि कांग्रेस की यह देन है। यह बात समझ में नहीं आई कि ये लोग "कांग्रेस की देन है" यह कब तक कहते रहेंगे? 9 महीने सरकार को बने हुए हो गए हैं। आप लोगों को इसीलिए गद्दी पर बैठाया हुआ था या देश के लोगों ने कि आप, लोगों को कांग्रेस से बेहतर सरकार दे सकेंगे।

श्री सैयद मसूदल हुसैन (मुर्शिदाबाद) : आपने 9 साल में बिगाड़ी।

श्री भजन लाल : आप सुनने की कृपा करें। हालात खराब हुए हैं और क्यों हुए? आप जानते हैं कि पंजाब में दो बड़े भारी अहम मसले हुए। सबसे पहला अहम मसला अकाली पार्टी ने आनन्दपुर साहब प्रस्ताव रखा 1977 में और उसमें क्या था, क्या मांग थी। इंडिपेंडेंट राज्य होना चाहिए। इसका समर्थन किया। किन्होंने? यह बात मुझे कहने की जरूरत नहीं। यह देश इस बात को जानता है कि किस-किस पार्टी ने अकालियों का समर्थन किया है।

कुछ माननीय सदस्य : राजीव गांधी ने किया।

श्री भजन लाल : अब आपने राजीव गांधी का नाम ले लिया। इसलिए मुझे कहना पड़ रहा है कि 1977 में कई लोग पंजाब आए और उनमें बड़े-बड़े लोग थे जिन्होंने इलैक्शन मैनीफेस्टो के अनुसार भाषण दिए। अकालियों के इलैक्शन मैनीफेस्टो में अलग इनडिपैंडेंट राज्य की मांग थी। उनमें एक चौधरी चरण सिंह, वे आज जीवित नहीं है, उनका नाम लेना मुनासिब नहीं है, उन्होंने कहा कि अकालियों का राज यहां पर बनना चाहिए।...(व्यवधान) आपको 1977 की बात याद नहीं है, आप उस बात को याद कीजिए। मैं जो कह रहा हूं वह रिकार्ड के आधार पर कह रहा हूं, सारे देश के लोगों को पता है।

श्री राजवीर सिंह (आंवला) : आप बहकिए नहीं, जो सही है वही बताइए। अलग स्टेट बनाने की बात नहीं की थी। यह सत्य का केन्द्र है, सत्य बोलिए।

श्री भजन लाल : आप जानते हैं कि वक्त जनसंघ पार्टी थी, बी० जे० पी० नहीं बनी थी। जनसंघ ने अकालियों के साथ मिलकर वहां पर सरकार बनाई थी। आपने श्री बादल के साथ मिलकर सरकार बनाई कि नहीं, आपने उनका समर्थन किया कि नहीं।...(व्यवधान) यह तो हकीकत है,

हकीकत से क्यों भागते हैं। आनन्दपुर साहब का समर्थन आप लोगों ने किया और समर्थन देकर बादल की सरकार में आप शामिल हो गए।

श्री राजवीर सिंह : आनन्दपुर साहब प्रस्ताव तो उस समय आया भी नहीं था। यह तो जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने उस समय शुरू हुआ था। (व्यवधान)

श्री भजन लाल : यह आज उसी का नतीजा है कि धर्म का उपयोग राजनीति के साथ हो रहा है। धर्म का दुरुपयोग किया तो किसने किया ? आप गुरुद्वारे में बैठकर राजनीति करें। क्या गुरुद्वारा किसी एक पार्टी का है, क्या मन्दिर किसी एक पार्टी का है, क्या मस्जिद किसी एक पार्टी की है, यह इस देश के मानव का है, किसी एक का अधिकार उस पर नहीं है कि एक पार्टी वहां पर बैठकर अपनी राजनीति चलाए।

एक माननीय सदस्य : आपने रोका क्यों नहीं ?

श्री भजन लाल : हमने रोकने की कोशिश की थी लेकिन कहा गया कि अकालियों के साथ बड़ा अन्याय हो जाएगा।... (व्यवधान) पंजाब के हालात बहुत खराब हुए और यहां पर बोलते हुए कुछ महानुभावों ने कह दिया कि हरमन्दिर साहब पर बमों से हमला किया गया। किन हालातों में किया गया, इस पर कोई नहीं जाता है। बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, हरमन्दिर साहब की मैं बड़ी इज्जत करता हूं, श्रद्धा से सिर झुक जाता है, मैं जितनी बार पंजाब गया हूं कम से कम दस बार हरमन्दिर साहब पर मत्था टेककर आया हूं। लेकिन हरमन्दिर साहब को किस तरह से बेइज्जत किया गया, किस तरह से पवित्रता को भंग किया गया कि बड़े से बड़ा गुनाह करके, कत्ल करके कातिल वहां पर जाकर बैठ जाए, उनको कोई पकड़ नहीं सके, किस तरह से हरमन्दिर साहब में बहु-बेटियों को बेइज्जत किया गया। यही नहीं, पुलिस का बड़ा अफसर डी० आई० जी० श्री अटवाल, जिनके हाथ में गुरु साहब का प्रसाद था, दरवाजे से पूरे बाहर निकले भी नहीं थे कि उन्हें गोलियों से उड़ा दिया गया। कितने लोगों को हरमन्दिर साहब में गोलियों से मारा गया, यह रिकार्ड की बात है। ये सारी बातें वहां पर लोगों के सामने आईं। किस तरह से मोर्चाबन्दी हो गई ? क्या मोर्चाबन्दी एक दिन में हो गई ? मोर्चाबन्दी भी ऐसी हुई कि पुलिस की बात तो छोड़िए, हालात ने मजबूर कर दिया। उग्रवादियों को वहां से निकालने के लिए हरमन्दिर साहब में आर्मी को दाखिल होना पड़ा। 300 के करीब आफिसर और आर्मी के जवान मारे गए। बड़ी से बड़ी लड़ाई में भी इतने फौजी जवान एक मोर्चे पर नहीं मर सकते हैं, जितने कि वहां पर उग्रवादियों ने मार दिए। ऐसे-ऐसे आधुनिक हथियार थे उनके पास कि आर्मी को भी काफी दिक्कत पेश आई। फौजी जवान आसानी से नहीं बनता है। एक फौजी जवान को तैयार करने में और उसको ट्रेनिंग वगैरह देने में लाखों रुपए खर्च होते हैं। 300 से ज्यादा आर्मी के लोग वहां मारे गए। तब जाकर बड़ी मुश्किल से उग्रवादियों को वहां से खदेड़ा गया। गुरुद्वारों से कई उग्रवादी पकड़े गए। हमें मजबूर होकर ये सब करना पड़ा। आज कहा जाता है कि हरमंदिर साहब पर हमला हुआ। हम भी यही चाहते थे कि वहां पर कुछ न किया जाता लेकिन मजबूरी में ये सब करना पड़ा। कोई भी अकाली लीडर जो वहां पर बैठते थे। किसी ने यह नहीं कहा कि हरमंदिर साहब में उग्रवादी घुस गए हैं और जुल्म करके वहां जालिम घुस गए हैं। जो लीडर जाते थे, मैं उनका नाम नहीं लूंगा क्योंकि अगर नाम लूंगा तो मुश्किल हो जाएगी कहते थे कि हरमंदिर साहिब में कुछ नहीं है, वहां बिल्कुल ठीक-ठाक है, कोई झगड़ा नहीं है,

बड़ा भारी अमन है । भले आदमियों, किस प्रकार के हथियार वहां बरामद किए गए, किस तरह के हालात वहां बने इनको क्या आप नहीं जानते ? एक दिन कृपाल सिंह जी कह रहे थे कि ये सब आपकी देन है, आपने सिखों से बहुत ज्यादती की है । मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि मैं सिखों का बहुत आदर-सम्मान करता हूं और पंजाब के सिख बहादुर हैं, सारे सिख उग्रवादी नहीं हैं लेकिन जो उग्रवादी हैं उनका हम डटकर विरोध करते हैं । उस समय भिंडरावाले ने क्या कहा, उस समय के अखबार आप पढ़कर देखें, उस समय भिंडरावाले ने कहा कि वह एशियाड गैम्स नहीं होने देंगे, किसी कीमत पर नहीं होने देंगे । यह देश की इज्जत का सवाल था । 50 से ज्यादा देशों ने उसमें हिस्सा लेना था । एक आदमी इसको चैलेंज कर दे कि एशियाड गैम्स नहीं होने देंगे तो ऐसे में मुझे कहना पड़ा कि भिंडरावाले साहब, आप हरियाणा से गुजर कर दिल्ली में आकर यह नहीं कर सकते हो··· (व्यवधान)···

श्री जनार्दन यादव (गोड्डा) : यह आपकी ही देन है ।

श्री भजन लाल : आप पहले सुनने की कृपा करें । यह तो पता नहीं कि यह किसकी देन है । आप मुझसे पूछते हो···(व्यवधान)···

[अनुवाद]

श्री चिरंजी लाल शर्मा (करनाल) : सभापति महोदय, इस तरह का व्यवधान उत्पन्न करते रहने की अनुमति दी जानी चाहिए अन्यथा ऐसा करते रहने से उन्हें बोलने का अवसर नहीं मिलेगा ।

[हिन्दी]

श्री भजन लाल : यह एक सीरियस मैटर है, कोई छोटा-मोटा डिसकशन नहीं है । हमने किसी के खिलाफ कोई बात नहीं की है । जो हकीकत है उसको जानना चाहिए । जब वह बोलते हैं तो आप थपथपी बजा देते हैं···(व्यवधान)···

श्री जनार्दन तिवारी (सीवन) : सभापति महोदय, मेरा प्वाइंट आफ आर्डर है कि इतने महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो रही है और मंत्रिमंडल का कोई आदमी यहां उपस्थित नहीं है ।

श्री सूर्य नारायण यादव (महरसा) : भागेय गोवर्धन जी यहां उपस्थित हैं ।

श्री जनार्दन तिवारी : यह छोटे मंत्री हैं । कैबिनेट का मंत्री यहां उपस्थित नही है ।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मंत्री महोदय यहां उपस्थित हैं, वह इसका ध्यान रखेंगे, पहले से ही एक मंत्री महोदय यहां उपस्थित हैं और वह नोट कर रहे हैं । इसलिए, इसमें व्यवस्था का कोई प्रश्न ही नहीं है ।

[हिन्दी]

श्री भजन लाल : मेरी आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आप बीच में मत टोकिए । हमने किसी को बेइज्जत करने की कोशिश नहीं की । हो सकता है किसी ने कुछ कह दिया हो । सब अफसर एक जैसे नहीं होते हैं ।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : जब आप कह रहे हैं कि यह एक बहुत ही गम्भीर मामला है तो जब, जब सदस्य कुछ बोल रहे हों, तो उसे भी बहुत गम्भीरता से सुनना चाहिए। यदि आप बीच-बीच में इसी प्रकार की टिप्पणियां करते रहेंगे तो वह कैसे बोलेंगे। अतः मैं आपसे पीठासीन अधिकारी के सहयोग करने का अनुरोध करता हूं।

[हिंदी]

श्री भजन लाल : सभापति महोदय, मैं कह रहा था कि किन हालात में हरमंदिर साहिब में ये सब करना पड़ा। इस देश की महान नेता श्रीमती इन्दिरा गांधी जी की हत्या हुई। उससे सारे देश को दुख पहुंचा और सब नेताओं ने दुख महसूस किया। किन हालात में उनकी हत्या हुई इसको आप जानते हैं। उस वक्त बहुत से लोगों ने इन्दिरा गांधी जी से कहा कि···(व्यवधान)···

श्री कृपाल सिंह (अमृतसर) : उससे फायदा किसको हुआ ?

श्री भजन लाल : फायदा आपको हो गया और आप एम० पी० बनकर आ गए वरना गांव में पंचायत के मैम्बर तक नहीं बन सकते थे। आप जरा सुनिए और बैठ जाइए।···(व्यवधान)··· यह कोई तरीका बीच में खड़े होकर बोलने का नहीं है। यहां बिमल खालसा बोल रही थीं। मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूं। उन्होंने कुछ इल्जाम लगाए। मैंने उस दिन यही कहा था रक्षक भक्षक हो जाए, बेअंत सिंह जिन्होंने इन्दिरा गांधी की हत्या की, उनकी धर्मपत्नी यहां पर बोल रही थीं, आप जानते हैं। शायद सब एम० पीज० को पता भी नहीं होगा। मैंने इसीलिए कहा था कि जब रक्षक ही भक्षक हो जाए तो क्या बनेगा, उस मुल्क का और जब वह बोल रही थीं तो आप ताली बजा रहे थे तो आपको कुछ सोचना चाहिए। इन्दिरा गांधी की ही नहीं, मैं कहता हूं कि किसी की भी हत्या हो जाय देश में इस तरह से, इस तरह रखवाले हत्या कर दें तो क्या इससे भी बड़ी गिरावट की बात कोई संसार में हो सकती है ? उसके बाद अभी एक महानुभाव बोल रहे थे, मैं उनका नाम नहीं जानता, कह रहे थे, सिखों के साथ बहुत भारी ज्यादती हुई, उनको जिन्दों को गले में टायर डालकर दिल्ली में जला दिया गया। ये झगड़े किन हालात में हुए, यह हमारे भाई खुराना साहब बैठे हुए हैं, दूसरे माननीय सदस्य, दूसरे साथी बैठे हुए हैं, कुछ शरारती लोगों ने इन्दिरा गांधी की हत्या के बाद दिल्ली में दिल्ली में जब भांगड़ा डालना शुरू कर दिया तो मजबूर होकर···(व्यवधान) ···आप जानते हैं कुछ लोगों ने···(व्यवधान)···हां, ठीक कह रहा हूं, मैंने भांगड़े का कहा है, भांगड़ा डाल रहे थे इन्दिरा गांधी की हत्या की खुशी में कि इन्दिरा गांधी की हत्या हो गई। तो लोगों ने नाचना गाना भांगड़ा डालना शुरू कर दिया तब मजबूर होकर कुछ लोगों में भड़कावा हो गया इसलिए दिल्ली में झगड़ा हुआ···

श्री जनार्दन तिवारी : आप लोगों का पाप है।

श्री भजन लाल : आप खुराना साहब से पूछिये, आपको दिल्ली का क्या पता। आप थोड़ा मेहरबानी करके दिल्ली वालों से पूछिये, ये जानते हैं इस बात को। राजीव गांधी को जब पता लगा तो उसी समय अपनी मां को छोड़कर सारी-सारी रात वह दिल्ली की गलियों में फिरे, आडवाणी साहब और खुराना साहब भी फिरे, हम यह नहीं कहते कि य नहीं फिरे। सारी रात गाड़ियों में फिरकर

वहां भी लोगों से अपील की कि ऐसा मत करिये। ऐसा करेंगे तो पहली गोली मुझे मारो, बाद में इनको मारना, यह राजीव गांधी ने कहा एच० के० एल० भगत और दूसरे कांग्रेस के नेताओं ने भी अपील की और राजीव गांधी ने सारे मुख्य मंत्रियों को बुलाकर आदेश दिया किसी भी···(व्यवधान)··· हम ठीक बात कहते हैं तो भी इनको तकलीफ हो रही है··

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिणी दिल्ली) : टी० वी० में यह आया था कि खून का बदला खून से लेंगे। (व्यवधान)

श्री भजन लाल : आपका कोई लीडर मर जायेगा, तब आपको पता लगेगा। आप सुनने की कृपा करिये। किसी का बेटा मर जाय तो तकलीफ होती है फिर इन्दिरा गांधी तो कोई छोटी सी लीडर नहीं थी, इंदिरा गांधी देश की महान नेता थीं, उनकी हत्या हो जाय और उसका नौजवान बेटा सारी-सारी रात गलियों में फिरकर लोगों से अपील करे, यही नहीं उन्होंने सारे मुख्यमंत्रियों को आदेश दिया, किसी भी प्रदेश में, जहां झगड़े शुरू हुए थे, वहां के सारे मुख्य मंत्रियों को आदेश दिया कि झगड़ा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करो और मैंने भी देखा क्योंकि मैं उस समय हरियाणा का मुख्य मंत्री था···(व्यवधान)···ठीक बात के लिए आपको भी बोलना पड़ेगा। सभापति महोदय, किन हालात में दंगे हुए, किन हालात में वहां पर कंट्रोल करना पड़ा, यह सब जानते हैं। कांग्रेस पर इल्जाम लगाने से ज्यादा शर्मनाक बात और क्या हो सकती है।

अब रह गई सरकार की बात। अपने प्रधान मंत्री वी०पी० सिंह जी कहते हैं, पंजाब में गये, हम इस बात की सराहना करते हैं अच्छी बात है, हम इस बात का सम्मान करते हैं, अच्छी बात है। वह कहते हैं कि हम खुली जीप में गये तो वी० पी० सिंह साहब को क्या खतरा है, उन्होंने एक भी लफ्ज तो पहले नहीं बोला, उग्रवादियों के खिलाफ और अभी तक भी एक लफ्ज नहीं बोला। वह उग्रवादियों के सामने सरेण्डर कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में जो कुछ हुआ, वह किसी से छिपा हुआ नहीं है, क्या ऐसा कोई दुनिया में कर सकता है? कितनी बेटियां रोज नहीं मरती हैं, क्या बेटियां किसी की रोज उठती नहीं हैं, किसने एग्रीमेंट किया पांच उग्रवादियों के बदले कि बेटी को छुड़वा दें। यहां इतने महानुभव बैठे हुए हैं, हर महानुभव की बेटी सारे एम० पीज० की बेटी है इस देश के हर मानव की बेटी है। क्या किसी की बेटी रोजाना नहीं मरती है, क्या किसी के नौजवान बेटे भी रोजाना नहीं मरते, हैं वह अपनी बेटी के लिए पांच उग्रवादियों को छोड़ दें और साथ में उनकी कंडीशन को मानकर कि आपकी बेटी को तीन घंटे के बाद छोड़ेंगे, जब आप इनको पाकिस्तान बोर्डर से क्रास कराओगे। सरकारी गाड़ी में बैठाकर जब वह पाकिस्तान बार्डर से क्रास कर गये तो उन्होंने बाद में बिटिया को छोड़ा। गृह मंत्री जी की बेटी और मेरी बेटी एक जैसी हैं, मैं उनका आदर और सम्मान करता हूं, गृह मंत्रीजी का लेकिन कोई देश इस तरह से चलेगा? उसके बाद उग्रवादियों के कितने हौसले बढ़ गये, क्या हालात आज जम्मू कश्मीर में हैं, क्या हालात आज पंजाब में है? छः हत्यायें हुई थीं पंजाब में और कांग्रेस के मुख्य मंत्री दरबारा सिंह थे, एक मिनट में इस्तीफा दिया। एक मिनट नहीं लगाया। आज क्या हालात हैं पंजाब में, कोई दिन ऐसा है···(व्यवधान)···

श्री इन्द्रजीत गुप्त : इसीलिए उसको आपने सरकार से निकाल दिया···(व्यवधान)···

श्री भजन लाल : इसीलिए कि आदमी मर रहे हैं, कंट्रोल करो, अगर नहीं कर सकते तो इस्तीफा दो।···(व्यवधान)···

श्री राजवीर सिंह : भजन लाल जी, आपने कहा—क्या एक मिनट में रोक दिया ?··· (व्यवधान)···

श्री भजन लाल : एक मिनट में इस्तीफा लिया। मैंने इस्तीफा कहा है, रोकना नहीं कहा है। ···(व्यवधान)···सुनिए, आप क्या कह रहे हैं, सीरीयस नहीं हैं हम इस मामले में आप। उसके बाद किस तरह के हालात हो गए ? उसके बाद कहते हैं आप कि दोबारा से ··(व्यवधान)···मैं अभी बताता हूं, आप इस्तीफे की क्या बात कह रहे हैं। आपकी तो सरकार ही इस्तीफों की है

4.42 म० प०

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

कोई दिन ऐसा जाता है, जब इस्तीफों की चर्चा न हो—कभी डिप्टी प्रधान मंत्री का इस्तीफा, कभी प्रधान मंत्री इस्तीफा दे रहे हैं, कभी कानून मंत्री इस्तीफा दे रहे हैं, कभी अरुण नेहरू इस्तीफा हो गया, कभी आरिफ मोहम्मद का हो गया, कभी मलिक का कहते हैं और कभी किसी का—इस सरकार को तो यदि इस्तीफों की सरकार कहें, तो गलत बात नहीं होगी। आप किस के इस्तीफो की बात कह रहे हैं ? ···(व्यवधान)···वह भी बताता हूं वह भी सुनिए···(व्यवधान)···आपके जो हरियाणा के नेता हैं, उनसे पूछिएगा कि देवीलाल ने बी० जे० पी० का क्या हाल किया था। उनको बरखास्त करके उनका बिस्तर रैस्ट-हाउस से बाहर फिकवा दिया था। तब वे भजन लाल की शरण में आए कि बदलो देवी लाल को किसी तरह से। तब हमने साथ साथ देकर देवी लाल को बदला। आपसे क्या कहें, खुराना जी सब जानते हैं। इनसे पूछो, आप को पता नहीं है···(व्यवधान)···हमने जीवन में एक बार पार्टी बदली है, इससे हम इंकार नहीं करते हैं और किन हालात में बदली है, यह देश जानता है किसी कुर्सी के लिए या किसी ताकत के लिए···(व्यवधान)···यह किन हालात में देश जानता है लेकिन आप कहां खड़े हैं···(व्यवधान)···कहां आर० एस० एस० और कहां आपकी भारतीय जनसंघ है। कहो जनता पार्टी कहां है···(व्यवधान)···

उपाध्यक्ष महोदय : आप चेयर को एड्रेस करिए।

(व्यवधान)

श्री भजन लाल : बीच में टोकते हैं, मैं क्या करूं। ···(व्यवधान)···आप कहते हैं कि जनता पार्टी से भारतीय जनता पार्टी, आप कहां खड़े हो,···(व्यवधान)···आज आप जिनको देश का लीडर मानते हो, देवी लाल जी को, उन्होंने 19 बार पार्टी बदली है···(व्यवधान)···एक बार नहीं, 19 बार और चौधरी चरण सिंह को बहुत बड़ा लीडर कहते थे उन्होंने 21 बार बदली है···(व्यवधान) 19 बार देवी लाल जी ने और 21 बार चौधरी चरण सिंह जी ने और तीन बार मदन लाल खुराना जी ने···(व्यवधान)···

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : जनसंघ से जनता पार्टी और जनता पार्टी से भारतीय जनता पार्टी···(व्यवधान)···

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : आप अध्यक्ष को संबोधित कीजिए। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो अपनी बात नहीं कह पायेंगे।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री भजन लाल : मैं याद करा रहा हूं, ये भूल जाते हैं, मुश्किल यही है कि यादाश्त जरूरी है।...(व्यवधान)...

उपाध्यक्ष महोदय : भजन लाल जी, आप इनके ऊपर ध्यान न दीजिए।

श्री भजन लाल : आप देहाती आदमी हैं, मैं बताता हूं भैंस भी जब परावा करती है, तो तीन महीने के बाद करती है और देवी लाल *तो हर महीने बदलता है...(व्यवधान)...मैंने कोई ऐसी बात नहीं कही है। मैंने कोई भद्दी बात नहीं कही है। मैं आपको बता रहा हूं ..(व्यवधान)...

उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ-साथ आज किस तरह के हालात हैं, पंजाब में, असम में ...(व्यवधान) *जम्मू और कश्मीर

श्री कपिल देव शास्त्री (सोनिपत) : उपाध्यक्ष महोदय, और तो सारी बातें इनकी ठीक हैं, लेकिन उन शब्दों को वे वापिस ले लें।...

श्री भजन लाल : मैंने कहा क्या है ? (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय, गृह मंत्री जी ने कहा कि वहां पर हालात नार्मल हो गये, किसको कहते हैं ये नार्मल। 25-30 आदमी रोज पंजाब में मरते हैं, 20-25 आदमी रोज जे० एण्ड के० में मरते हैं, आसाम, तमिलनाडु और बंगाल में आज क्या हाल है और यही नहीं इसके साथ-साथ पहले तो लोगों को ही मारने की बात थी, लेकिन अब क्या है कि आर्मियों, बी० एस० एफ०, सी० आर० पी० और पुलिस चौकियों तक पर हमले हो रहे हैं। आज जितने लोग दूसरे मरते हैं, उतने आर्मी, पुलिस, सी० आर० पी० और बी० एस० एफ० के लोग मरते हैं। इससे ज्यादा हौंसला उग्रवादियों का और क्या हो सकता है ? (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : भजन लाल जी हरियाणा से आते हैं, उनकी कुछ मालूमात हैं जिसको वे सदन के सामने रख रहे हैं। मेहरबानी करके आप इनको इंटरप्ट मत कीजिए। आपको अगर कुछ कहना है तो आप लोग इसके बाद बोलियेगा, आपको भी बोलने का मौका दिया जायेगा। भजन लाल जी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि बीच में जो प्रश्न उठाये, उसका जवाब आप मत दें। आप अपनी पद्धति से बोलते जायें। आप सिर्फ चेयर पर देखें। (व्यवधान)

श्री भजन लाल : उधर से आवाज आती है तो उधर देखना पड़ता है, ध्यान मेरा आपकी ही तरफ है। (व्यवधान) आज मुल्क के हालात कितने खराब हो रहे हैं। अब प्रधान मंत्री जी कह रहे हैं कि मैं पंजाब में पद यात्रा करूं। पद यात्रा से कोई मसला हल होने वाला है, इससे कोई बात निकलने वाली नहीं है। कहने से बात नहीं बनती है, कोई ऐक्शन लेने से बात बनेगी और कभी कुछ

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

भाई कहते हैं कि साहब, पंजाब और हरियाणा के मसले हल हो जायें तो वहां पर उग्रवाद खत्म हो सकता है। जिस समय मैं हरियाणा में मुख्य मंत्री था उस समय मैंने एक बात कही थी कि किसी तरह से अमन होता हो तो हरियाणा और हिमाचल प्रदेश सारा पंजाब में मिला दीजिए और महापंजाब बना दिया जाए इसको। इन्होंने कभी, किसी भी एस० वाई० एल० की पानी के बारे में या फाजिल्का अबोहर चंडीगढ़ के बारे में कोई भी बात नहीं की, लेकिन लोंगोवाल साहब और भारत सरकार ने फिर भी यह महसूस किया कि कोई रास्ता निकल सकता है तो निकालें। रास्ता निकालने के लिए कितनी बार संसदीय पार्टी बना कर राजीव गांधी ने मीटिंग की, बातचीत की कि इस मसले का कोई हल निकल जाये। कुछ लोगों ने कहा कि यदि इस पर बात हो जाए तो इसका हल निकल सकता है। फाजिल्का अबोहर चंडीगढ़ पंजाब को देने से एस० वाई० एल० का फैसला कर लें। लोंगोवाल का जो अकार्ड हुआ, भारत सरकार ने अकार्ड किया, जिसने अकार्ड किया था, पंजाब के हित में, उसको भी दो महीने के बाद, संत लोंगोवाल को भी गोली से उड़ा दिया। क्या चाहते हैं वे? इस देश को तोड़ना चाहते हैं, कौन, कुछ गिनती के लोग। कोई सिख देश को तोड़ने की बात नहीं कर सकता, लेकिन कुछ ऐसे मनचले लोग हैं कि वे दूसरे मुल्कों के इशारे पर और इस तरह की बात करके मुल्क को तोड़ने की कोशिश करते हैं। आज यहां पर चर्चा हो रही है कि साहब, पंजाब में चुनाव होने चाहिए, प्रजातंत्रवाद होना चाहिए, लेकिन कब, जब पंजाब में अमन हो जाए। अगर अमन नहीं हुआ और पंजाब में चुनाव हो गये तो वहां पर ऐसा उग्रवाद हो जायेगा कि किसी भी सभ्य आदमी का, किसी भी अच्छे नागरिक का रहना मुश्किल हो जायेगा, दूभर हो जायेगा क्योंकि फिर इलेक्शन हो ही नहीं सकता है और सारे का सारा माहौल ही बिगड़ जायेगा वहां का; जिसका कि कोई अन्त ही नहीं है। इसलिए जब वहां पर बिलकुल नार्मल हालात हो जायें तब चुनाव हो, लेकिन जब तक अमन न हो तब तक पंजाब में चुनाव नहीं होने चाहियें। इसके साथ-साथ अध्यक्ष महोदय, वहां एस० वाई० एल० नहर है। इसमें नेशन का सवाल है केवल हरियाणा का नहीं है। राजस्थान भी नहर के पानी के साथ जुड़ा हुआ है। सतलुज यमुना लिंक नहर, जिसके लिए भारत सरकार की ओर से 3 सौ करोड़ रुपया दिया जा चुका है, 90 परसेंट काम हो चुका है। लेकिन उग्रवादी क्या करते हैं? तीन बार हमला करके उन्होंने काम रोकने की कोशिश की। एक बार 40 मजदूरों को मौत के घाट उतार दिया, जो नहर पर काम कर रहे थे। एक बार एस० डी० ओ०, इरीगेशन और एक्स० ई० एन० तक को मारा गया। अभी दो महीने पहले चंडीगढ़ में चीफ इंजीनियर और सुपरिनटेंडेंट इंजीनियर, जो नहर के काम को देख रहे थे, को मार दिया, ताकि कोई आदमी वहां जाकर नहर न बना सके। मान साहब क्या कहते हैं? जो लोक सभा के मैम्बर हैं, अगर पाकिस्तान ने हमला कर दिया तो पीछे से हिंदुस्तान की आर्मी को हम उखाड़ेंगे। मैं भारत सरकार से पूछना चाहता हूं कि आप क्या कहते हैं इसके बारे में? आपका क्या ट्रैंड है? आज तक एक बयान भी उनके खिलाफ भारत सरकार ने नहीं दिया। इससे बड़ा कोई देश-द्रोही हो सकता है जो आर्मी को पीछे से मारे? यह देश के लिए दुर्भाग्य की बात है कि जनता ने ऐसे लोग चुन कर भेजे हैं। आप जानते हैं किन हालात में ये लोग चुने गए? ज्यादती और जुल्म करके लोगों को वोट नहीं डालने दिया। देवी लाल जी वहां से इलेक्शन लड़ रहे थे। फिरोजपुर में सिर्फ 3 हजार वोट से देवी लाल की जमानत बची है। क्योंकि लोगों को वोट नहीं डालने दिया। कैसी हालत बनी है वहां पर, यह आप जानते हैं। इसलिए ऐसी बात करने वालों के खिलाफ सरकार को सख्त कार्यवाही करनी चाहिए। एस० वाई० एल० कैनाल, जो हरियाणा और

मुल्क की जिन्दगी का सवाल है, को जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए। पंजाब और हरियाणा ही दो प्रदेश हैं जो सारे मुल्क को अनाज सप्लाई करते हैं। आज पंजाब में ज्यादा पानी की वजह से जमीनों में सैम हो गयी हैं और हरियाणा एक-एक बूंद पीने के पानी के लिए तरस रहा है, राजस्थान एक-एक बूंद के लिए तरस रहा है आज नहर को बनने नहीं देते और कहते हैं कि हमारा प्रोग्राम होगा कि नहर को मिट्टी से भरें। पानी पाकिस्तान में बेशक जाए लेकिन देश के अन्दर, हरियाणा और राजस्थान को पानी न जाए। इससे बुरी बात कोई हो सकती है? इसलिए यह बहुत विचारणीय विषय है। मैं लंबी-चौड़ी बात नहीं कहना चाहता, में इतना ही कहना चाहता हूं कि पंजाब के बजट के लिए और ज्यादा पैसा देना चाहिए।

साथ ही, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उग्रवाद के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही करके इसको दबाना चाहिए, वर्ना मुल्क टूट जाएगा। आज पंजाब में जो लोग बसते हैं, उनसे जब तक बात होती है तो पता चलता है कि लोग इतने दुःखी हैं जिसका आज कोई अन्त नहीं है, चाहे उनमें सिख हों हिन्दू हों या दूसरे लोग हों। कोई अमन पसन्द आदमी पंजाब में सुरक्षित नहीं है। किस तरह के हालात पंजाब में बने हुए हैं? इस सरकार का क्या कर्तव्य है? जो सरकार कहती थी कि 30 दिन के अन्दर यह कर देंगे, वह कर देंगे। 9 महीने तो बच्चा भी पैदा हो जाता है, मैं पूछना चाहता हूं कि इस सरकार ने क्या किया? 9 महीने हो गए हैं इस सरकार को बने हुए, सरकार ने उग्रवाद के खिलाफ क्या एक्शन लिया? इसलिए मेरी प्रार्थना है कि सरकार को उग्रवाद के साथ सख्ती से निपटना चाहिए और विकास के कामों में एम० वाई० एल० कैनाल को जल्दी भारत सरकार अपने कंट्रोल में लेकर, वहां आर्मी खड़ी करके उस नहर को बनाए। क्योंकि इसमें हरियाणा का सवाल ही नहीं है, नेशन का भी सवाल है। इसको पूरा किया जाए ताकि नेशन में किसी चीज की कमी न रहे। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : महोदय, यद्यपि यह चर्चा पंजाब के बजट पर है फिर भी पंजाब की राजनीतिक स्थिति के संपूर्ण पहलुओं पर भी चर्चा हो रही है क्योंकि इस सत्र में हमें इस पर चर्चा करने का अवसर नहीं मिला था और अगले सत्र से पूर्व आगामी दो महीनों में भी हमें इस पर चर्चा करने का अवसर नहीं मिलेगा।

यह एक बहुत अप्रिय स्थिति है कि इस सभा में हम बहुत कुछ समय से पंजाब के बजट के संबंध में चर्चा कर रहे हैं। यह इसके लिए उपयुक्त जगह नहीं है। पंजाब राज्य के प्रतिनिधि इस पर चर्चा अपने राज्य में अच्छी तरह से कर सकते हैं क्योंकि उन्हें पंजाब के लोगों की समस्याओं और वास्तविकताओं का ज्ञान है।

हमें अब इस पर चर्चा करनी ही पड़ेगी क्योंकि यह स्थिति का तकाजा है और जो गलती केन्द्रीय सरकार ने उस समय की थी वह पंजाब की चुनी हुई राज्य सरकार को भंग करने की थी। हम अब उस नुकसान को भुगत रहे हैं। मैं केन्द्रीय सरकार से अनुरोध करता हूं कि यदि संभव हो तो गलती को सुधारने के लिए उपाय खोजे जायें।

पंजाब के बजट पर इस चर्चा में भाग लेते हुए मैं कहना चाहूंगा कि इस संपूर्ण स्थिति के पीछे

एक आर्थिक कारण है। ऐसा नहीं है कि जहां बेरोजगारी होती है, वहां इस प्रकार का अलगाववादी आंदोलन होता है। मैं इससे इंकार करता हूं। परंतु प्रश्न यह है कि जहां निहित स्वार्थ, साम्राज्यवादी एजेंसियां और अन्य प्रकार के अलगाववादी शक्तियां इस प्रकार का आंदोलन चलाती हैं, तब अधिक वास्तविकता यह होती है कि हमारे यहां बड़ी संख्या में बेरोजगार युवक हैं जो आग में घी डालने का कार्य करते हैं और अब सवाल उठता है कि हम बेरोजगार युवकों के रोजगार सुनिश्चित करने के लिए किस तरह का उचित कदम उठाने जा रहे हैं, वे जो भटक रहे हैं, उन्हें राष्ट्र विरोधी तत्व और दूसरे लोग देश के विरुद्ध अपनी ओर मिला लेते हैं। इसके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि बेरोजगार युवकों के रोजगार सुनिश्चित किया जाये। उसके लिए समस्त प्रकार की आर्थिक गतिविधियां बढ़ाई जायें जिनका आधार मुख्य तथा दो बातों पर हो, यथा औद्योगिक विकास और अच्छी कृषि जो न केवल उसी स्तर पर बनाए रखी जाए अपितु उसमें वृद्धि भी की जाए। मैं समझता हूं, सरकार पंजाब के लोगों की मांगों के विषय में जानती है। उद्योग स्थापित करने और इसी प्रकार के अन्य नये कदम उठाने की पहल की जानी चाहिए। वे इस बात को अपने ध्यान में रखें। इसके पश्चात् कृषि और सिंचाई के संबंध में अन्य परियोजनाएं भी हो सकती हैं। नदी जल का मसला भी केवल पंजाब के लिए ही नहीं अपितु उससे जुड़े अन्य राज्य जैसे हरियाणा और राजस्थान के लिए भी काफी गंभीर है परंतु उसके लिए भी जिस प्रकार का विलंब हो रहा है वह स्वागत योग्य नहीं है। मुझे याद है कि जब पंजाब बजट पर बहस चल रही थी, पिछली बार, कई बार, तो न केवल मैंने अपितु अन्य सदस्यों ने भी सुझाव दिया था कि थीन बांध का निर्माण बहुत जरूरी है। वह शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण होना चाहिए। परंतु यह कार्य लंबा खिचता जा रहा है। क्या हम पंजाब के लोगों की मदद के लिए वास्तव में गंभीर हैं? सतलुज-यमुना संपर्क नहर का प्रश्न उठा है। हर बार हमने मांग की है कि इसको पूर्ण करने के लिए समुचित धन का आवंटन किया जाये। अब इस नहर को पूर्ण न होने के लिए उग्रवादियों ने हथियार उठा लिए हैं। यह बहुत गंभीर स्थिति है। सारे पंजाब के देहाती क्षेत्रों में पोस्टर लगाए गए हैं। इनमें लोगों का आह्वान किया है — मैं नहीं जानता कि उनकी ओर कौन ध्यान देगा — कि वे इसको भरने के लिए आगे आयें। अब यह बहुत ही गंभीर प्रकार की स्थिति है। हमें इस पर बहुत गंभीरता से ध्यान देना है और पंजाब के आर्थिक विकास के लिए जरूरी महत्वपूर्ण परियोजनाओं को पूरा करने में विलंब नहीं करना है।

मैं जानता हूं कि सरकार की बेरोजगार युवकों को रोजगार देने की कोई योजना है। उन्होंने घोषणा की है कि वे बेरोजगार युवकों को एक लाख रोजगार के अवसर प्रदान करेंगे। परंतु हमें एक किसी जुली योजना बनानी पड़ेगी क्योंकि सिर्फ घोषणाओं से ही हम उद्देश्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता और हमें देखना है कि हम किस प्रकार के उद्योग लगा रहे हैं। कृषि पर आधारित उद्योग पंजाब के लिए बहुत आवश्यक है। मुझे यह भी पता चला है कि विशेषज्ञों की एक समिति ने पंजाब में एक पेट्रोकेमिकल्स कम्पलैक्स स्थापित करने का सुझाव दिया है। यदि इस प्रकार का कोई सुझाव है, तो इस पर कार्य होना चाहिए। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि ऐसे राज्य में जहां अलगाववादी आंदोलन चल रहा हो तो आपको उग्रवादियों को शांत करने के लिए इस तरह परियोजनायें आरंभ करें। ऐसा नहीं है। आपको इन चीजों को गंभीरता से लेना है। ऐसा होना चाहिए कि कोई व्यक्ति हथियार नहीं उठाए और किसी चीज की मांग करे और आप उसे यह दे दें।

संपूर्ण देश की विकास योजना के साथ ही हमें पंजाब का विकास करना है। अब अन्य राज-

नैतिक प्रश्न भी हैं। यदि हम पंजाब की समस्या हल करने के लिए गंभीर हैं तो ये बहुत महत्वपूर्ण हैं। उन तीन मुद्दों का क्या हुआ। राजीव लोंगोवाल समझौते का, जिस पर हस्ताक्षर हुए थे, सारे देश में स्वागत हुआ था। उस आधार पर, यहां चुनाव हुए थे। आतंकवादियों ने चुनाव का बहिष्कार करने की घोषणा की थी। लोगों ने उनकी बात नहीं सुनी। वे आगे आये और बड़ी संख्या में मतदान में भाग लिया। परंतु पंजाब को चंडीगढ़ देने के बारे में क्या हुआ ?

5.00 म० प०

क्या वह मुद्दा ही नहीं है ? नदी जल विवाद के संबंध में प्रश्न क्या हुआ ? मैं नहीं जानता कि हम अब भी इसे आयोग या सुप्रीम कोर्ट को क्यों नहीं सौंपते। प्रादेशिक सीमा विवाद का क्या हुआ। क्या हम इन सब बातों को भूल गये हैं ? परंतु ये ही मुख्य लोकतांत्रिक आशाएं हैं जिनसे पंजाब समस्या का समाधान जुड़ा हुआ है। चंडीगढ़ के हस्तांतरण के संबंध में आप निर्णय क्यों नहीं लेते ? मैं समझता हूं पहले कुछ कठिनाइयां थीं जिनके कारण हस्तांतरण रुका। परंतु, ये तकनीकी मुद्दे हैं। यह सिद्ध करने के लिए कि सरकार इस मामले में गंभीर है, आप हरियाणा के लिए एक पृथक् राजधानी बनाने का निर्माण कार्य शुरू क्यों नहीं करते ? हरियाणा के हस्तान्तरण में अगले दो, तीन या चार वर्ष लग सकते हैं। परंतु हरियाणा के लिए अलग राजधानी के निर्माण करने के साथ, पंजाब के लोग समझ जायेंगे कि चण्डीगढ़ अन्ततः उन्हें हस्तांतरित हो जाएगा। परंतु जैसा कि आपने ऐसा नहीं किया, लोग सोचेंगे कि सरकार गंभीर नहीं है और झूठ बोल रही है।

[हिंदी]

श्री भजनलाल : चण्डीगढ़ के साथ अबोहर लिंक है। एक टेबल पर ट्रांसफर होंगे चण्डीगढ़ जब पंजाब को जाएगा तो तब पंजाब और अबोहर मिलेगा।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : मैं राजीव लोंगोवाल अकोर्ड की बात कर रहा हूं, वह अलग बात है।

[अनुवाद]

महोदय, ये स्वीकृत मुद्दे हैं जिनके ऊपर पंजाब समस्या की समाधान टिका हुआ है। अब, इन पर, मैं नहीं समझता कि हमें समस्या के समाधान के लिए इस या उस आदमी के पीछे दौड़ना पड़ेगा। हमें लोगों पर विश्वास करना है। पिछली बार, हमने इन विषयों पर सरकार से एकपक्षीय निर्णय लेने के लिए कहा था न कि श्री मान या श्री बादल या अन्य से सहायता मांगने के लिए नहीं कहा था। समाधान निकालने का यह तरीका नहीं है।

पंजाब के संकट के लिए, मुझे कहते हुए दुख है कि कांग्रेस (आई) भी काफी हद तक इसके लिए जिम्मेदार है। इसी तरह अकाली भी जिम्मेदार हैं। अकाली दल की धर्म के साथ राजनीति को मिलाने नीति ने भी भ्रम उत्पन्न करने में योगदान किया है। सिख जनता की भावनाओं को शांत करने के लिए हम स्वयं मंदिर में सेना भेजने पर खेद प्रकट कर सकते हैं परन्तु, यह काफी नहीं है। आपको यह याद रखना होगा कि मंदिर में सेना के प्रवेश के पूर्व वहां अंदर क्या हो रहा था, उसकी भी भर्त्सना होनी चाहिए। उग्रवादियों ने वहां पनाह भी हुई थी और वे हर प्रकार का आपत्तिजनक व्यवहार पवित्र स्थान के अन्दर कर रहे थे। अब, हर कोई जो सेना के मंदिर में प्रवेश करने पर क्षमा मांगने की मांग

करना है। उन्हें आतंकवादियों द्वारा पवित्र स्थान में किए जा रहे कार्यों की भी तीव्र भर्त्सना करनी चाहिए। हमें पंजाब में किसी को भी यह कार्य नहीं करने देना चाहिए।

अब, महोदय, अब इस या इस व्यक्ति के पीछे दौड़ने के कारण, वास्तव में सबसे अधिक आवश्यकता पंजाब के लोगों को संगठित करने की है। हर तरह की गलत बातों और भड़कावे के बावजूद भी पंजाब के लोग देशभक्त हैं। उन्होंने पहले से कहीं ज्यादा केन्द्रीय अन्न भंडार में योगदान किया है। उनकी कृषि संबंधी गतिविधियां कम नहीं हुई हैं। वे बढ़ रही हैं। वे बड़े पैमाने पर साम्प्रदायिक दंगों में शामिल नहीं हुए हैं। उन्हें हिन्दू और सिखों के रूप में बांटने के प्रयास हुए थे। परंतु, वे संगठित रहे। महोदय, मैं अन्य पार्टियों की बात नहीं कर रहा हूं। परंतु हमारी पार्टी, सी० पी० आई० (एम०) और सी० पी० आई० (वामपंथी), हम सब उग्रवादियों के विरुद्ध संघर्ष कर रहे हैं। पिछले महीने की 27 तारीख को, 30,000 लोग बोट क्लब आये थे और पंजाब की समस्या के समाधान की मांग की थी। सभी पार्टियों के लोग मर रहे हैं, हमारी पार्टी के, दूसरी पार्टियों के, परंतु, प्रश्न केवल मरने वालों का नहीं है परन्तु इन बलिदानों से कुछ लक्ष्य प्राप्त करने का है। हम ठीक यही उद्देश्य लेकर कार्य कर रहे हैं। हमें प्रतिरोध को संगठित करना है। उन ग्राम प्रतिरोध समितियों का क्या हुआ। टेलीविजन से सुना है कि किसी दिन कुछ हथियार बांटे गए थे। यह आवश्यक है। यदि प्रतिरोध समितियां नहीं होंगी और प्रशासन के साथ वे उचित रूप से जुड़े नहीं होंगे, तो लोग स्वयं की रक्षा कैसे करेंगे? राज्य स्तर की परामर्शदात्री समितियों का क्या हुआ? जिले स्तर की परामर्शदात्री समितियों का क्या हुआ? विभिन्न राजनैतिक दलों को एक साथ किया जा सकता है और उनको कुछ शक्तियां प्रदान करनी होंगी ताकि वे प्रशासन पर भी निगरानी रख सकें कि वह क्या कह रहा है। सुरक्षा बलों द्वारा की गई ज्यादतियों की भी कतिपय रिपोर्ट हैं। वे बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। मैं उनकी प्रशंसा करता हूं। लेकिन प्रश्न यह है कि जब इस तरह की रिपोर्ट आती है, तो उससे देश के हित की ही हानि होती है। अतः हमें उसे भी गंभीरता से लेना है। अब ये परामर्शदात्री समितियां बहुत महत्वपूर्ण हैं। मैं इस सरकार द्वारा निचले स्तर पर सरपंचों का सम्मेलन बुलाने के प्रयास की भी बहुत प्रशंसा करता हूं। निचले स्तर पर, लोग बहुत सतर्क हैं। वे प्रशासन और सरकार से सहयोग करने के इच्छुक हैं। वे पंजाब के आर्थिक विकास की प्रक्रिया में भाग लेने के इच्छुक हैं। हमें इन सबको एक साथ करना है और फिर हम पायेंगे कि लोगों को आतंकवादी से लड़ने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए हमारे पास काफी आधार है। इस समस्या को वास्तव में मनोवैज्ञानिक रूप से समझने के लिए कतिपय बातें हैं। 1984 में क्या हुआ था—उसके बाद क्या हुआ, दंगे, मारकाट और वह सब हुआ? वह सब अत्यधिक भयंकर था। लेकिन उन दंगों के अभियुक्तों का क्या हुआ? विशेष न्यायालयों की स्थापना की गई है लेकिन वहां क्या हो रहा है, कोई नहीं जानता। हमारे पास अपना टेलीविजन है। रेडियो है। हम इस पर गंभीरता से विचार क्यों नहीं करते कि उसकी कुछ कार्यवाही को लोगों को दिखाया जाए? क्या कुछ दंड, कुछ अभियुक्तों पर अभियोग शीघ्रता से क्यों नहीं सिद्ध किया जा सकता? लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। इसलिए लोग, यह सोचते हैं कि 1984 के दंगों के अभियुक्तों को वास्तव में दंड देने के हम इच्छुक नहीं हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण है। इस सन्दर्भ में, मैं यह कहूंगा कि हमारे प्रचार माध्यमों की भूमिका खराब रही है और देश के हित के लिए हानिकारक है। लोग प्रतिरोध कर रहे हैं। एक उदाहरण है कि एक गांव की महिलाओं ने आतंकवादियों का पीछा किया और उनको मार डाला या पकड़ लिया? परंतु क्या

प्रचार माध्यमों में इसका कोई वर्णन किया गया ? शायद एक पंक्ति में ही इसका वर्णन किया गया ? क्या उसे टेलीविजन पर दिखाया गया ? टेलीविजन सरकार के पास है। यदि प्रसार भारती भी ऐसा ही होगा, तो पंजाब में प्रतिरोध प्रकाश में न लाने के कारण मैं प्रसार भारती बोर्ड को भंग करने का प्रस्ताव प्रस्तुत करूंगा। लेकिन अब यह सरकार के पास है। आतंकवादी लोगों को मार रहे हैं। वे कैसे लोगों को मार रहे हैं, क्या इसे इस ढंग से दिखाया गया है कि उससे लोगों के मन में घृणा उत्पन्न हो ? अब लोग सोचते हैं कि यह कतिपय बहादुर व्यक्तियों की लड़ाई है जो अपने जीवन की परवाह नहीं करते। परंतु क्या उनमें कोई राजनीति है। नहीं। वे लोगों से पैसा ऐंठ रहे हैं, वे मां-बहनों की इज्जत लूट रहे हैं, और कोई उन्हें स्वतन्त्रता सेनानी कह रहा है। वे किस तरह की स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे हैं ? अतः उस तरह की घृणा लोगों के दिमागों में उत्पन्न करनी है ? मुझे यह कहते हुए खेद है कि हमारा प्रचार माध्यम उस काम में असफल रहा है। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए।

फिर महोदय, कुछ अन्य बातें भी हैं। मैं दृढ़ता से, यह महसूस करता हूं कि जिस ढंग से इस सरकार ने शुरूआत की थी वह बहुत अच्छी थी। प्रधान मंत्री की अमृतसर की यात्रा अच्छी थी। यह आवश्यक थी। वे पदयात्रा करने जा रहे हैं। मैं इसका स्वागत करता हूं। वहां जाकर लोगों से बात करनी चाहिए। उनसे निकट सम्बन्ध स्थापित कीजिए। वही एक मात्र रास्ता है। बादल या मान या ऐसे वैसे किसी अन्य व्यक्ति की परवाह न कीजिए। यदि आप लोगों को अपने साथ कर सकते हैं तो सभी बादल और मान आपके पास आयेंगे। आप ऐसा कीजिए। यह अत्यन्त महत्वपूर्ण है। लेकिन प्रारम्भिक उत्साह, स्थिति के प्रति दिखाई गई आपकी प्रारम्भिक प्रतिक्रिया का प्रभाव समाप्त हो गया है। अब आप वास्तव में पहल कीजिए। किसी तदर्थ नीति से काम नहीं चलेगा। चुनाव होंगे या नहीं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि पंजाब में शान्ति की स्थापना होती है या नहीं। चुनाव आतंकवादी तत्वों को प्रोत्साहित करने और उन लोगों को, जो सीमा की दूसरी ओर हैं, बल प्रदान करने के लिए नहीं करवाया जा सकता। यदि लोक सभा के चुनाव से आतंकवादियों को सहायता मिली है, तो अब वह समाप्त हो गया है। अब इस तरह की बातें नहीं हो सकती हैं। लेकिन मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि विधान सभा को भंग करके और सरकार को गिराकर आपने जो गलती की थी, यदि आप न्यायिक प्रक्रियाओं के द्वारा इसे ठीक कर सकते हैं, तो ऐसा करने का प्रयास करें। यह बहुत महत्वपूर्ण है और यह देश और सरकार के लिए भी अच्छा होगा। क्या हम इस तथ्य को गम्भीरता से महसूस करते हैं, जिसकी इस देश में प्रत्येक को जानकारी है कि पाकिस्तान और उसको भड़काने वाले देश संयुक्त राज्य अमेरिका की ताकतें अत्यधिक क्रियाशील है, अब भी आतंकवादियों को बहकाने में क्रियाशील हैं ? हम सबको इसकी जानकारी है। अतीत में, जब एक तरह का समझौता होने वाला था, तो हमने सुना कि इन लोगों ने अपने भाड़े के लोगों को बड़े स्तर पर मारकाट करने का संकेत भेजा और जो हुआ। अब, महोदय, मैंने इसे कुछ दिन पहले शून्य काल के दौरान उठाया था। भारत में अमेरिका के राजदूत श्री क्लार्क ने 6 से 10 अगस्त को पंजाब का दौरा किया। मैं आपको यह स्मरण कराना चाहता हूं कि वे हमारे देश में अधिक रुचि रखते हैं, पंजाब में उनकी रुचि अधिक है और यही कारण था कि अमेरिका के राजदूत ने पंजाब की यात्रा की, चीन या किसी अन्य देश के राजदूत ने नहीं की। लेकिन प्रश्न यह है कि हमने उक्त राजदूत को यह नहीं कहा कि उन्हें ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिससे आतंकवादियों को प्रोत्साहन मिले। सिख स्टूडेन्ट फेडरेशन को भी क्लार्क

को ज्ञापन देने के लिए अनुमति कैसे प्रदान की गई जिसमें 'खालिस्तान' की मांग की गई है और इसके लिए संयुक्त राज्य अमेरिका सरकार की सहायता की मांग की गई है ? क्या हमारे देश में इन सब बातों पर ध्यान रखने के लिए कोई प्राधिकारी है ?

अब, एक अन्य रिपोर्ट है जो इण्डियन एक्सप्रेस में 10 अगस्त को छपी थी। इसमें "श्री क्लार्क को पंजाब रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है" नामक एक शीर्षक है। अब, यह राजदूत अमेरिकन राष्ट्रपति श्री बुश को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। मैं नहीं जानता कि यह सब कैसे हो रहा है? हमारे यहां पाकिस्तान के समर्थक हैं जो वहां जाते हैं और उनसे बात करते हैं और वहां खालिस्तान परिषद के चेयरमैन भी हैं। पहले आतंकवादियों और उनके परामर्शदाताओं ने संयुक्त राष्ट्र संघ या अन्य कहीं अपना ज्ञापन भेजा था या उन्हें ज्ञापन को सौंपने के लिए पैसा खर्च करके वहां जाना पड़ा था। अब उन्हें लेने वाले लोग पंजाब आ रहे हैं। मैंने इसको अत्यधिक गम्भीरता से लिया है। और मैं इस पर सरकार से एक वक्तव्य की मांग करता हूं। यद्यपि यह पंजाब के अनुदानों की मांग है, हम राजनीति की अधिक बातें कर रहे हैं और वित्त की कम। परन्तु माननीय वित्त मंत्री को अपेक्षा राजनीति अधिक जानते हैं और यह राजनैतिक अर्थव्यवस्था है।

प्रो० मधु दण्डवते : कम से कम आप ऐसा तो नहीं कहते हैं कि यह दोनों में कोई भी नहीं है।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : मैं जानता हूं कि आप राजनैतिक अर्थशास्त्री हैं। आप हमें बताइये कि यह सब कैसे हो रहा है।

श्री संतोष मोहन देव (त्रिपुरा पश्चिम) : महोदय, यह वांछनीय था कि गृह मंत्रालय का कोई मंत्री संसद सदस्य के विचार सुनने के लिए यहां होता, चाहे वह उठाए जाएं मुद्दे का उत्तर न देता।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : महोदय, मैं इस सरकार से कहना चाहता हूं कि पंजाब में जो स्थिति है वह बहुत निराशाजनक है। लेकिन इस नई सरकार ने जिस तरह में शुरुआत की है उसमें कुछ आशा बनती है। और यदि वे लोगों को संगठित करने का गम्भीर प्रयास करें, आतंकवादियों के विरुद्ध लोगों की प्रतिक्रिया को संगठित करें और प्रशासन को लोगों के प्रति उत्तरदायी बनायें, तो तब मेरा विश्वास है कि ऐसा अधिक समय तक नहीं चलेगा और अधिक खून नहीं बहेगा।

उपाध्यक्ष महोदय : चौधरी साहब, आप 20 मिनट से अधिक समय ले चुके हैं।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : तब, महोदय, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिण दिल्ली) : उपाध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। जैसा कि मेरे पूर्व वक्ताओं ने कहा कि यदि पंजाब बजट पर केवल पंजाब के नुमाइंदे ही डिस्कस करते तो यह एक आईडियोलॉजिकल बजट होता लेकिन जिन हालात के अंदर पंजाब का बजट पंजाब के बजाय नई दिल्ली के अंदर डिस्कस हो रहा है। आज पंजाब का बजट, पंजाब की बजाये क्यों दिल्ली में डिस्कस किया जा रहा है। ऐसी स्थिति क्यों पैदा हुई। हमें ऐसी स्थिति पैदा करनी चाहिए कि पंजाब का बजट पंजाब में ही डिस्कस हो, चंडीगढ़ में डिस्कस हो। मैं सदन में बड़े स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं पंजाब के हालात वैसे नहीं है जबकि पंजाब में चुनाव

कराये जा सकें या चंडीगढ़ में पंजाब का बजट डिस्कस कराया जा सके। मैं और मेरी पार्टी इसकी समर्थक नहीं है। पहले पंजाब के हालात नोर्मल होने चाहिये। जब से देश में नई सरकार आई है, इसमें कोई दो रायें नहीं हैं कि उसे पंजाब की समस्या विरासत में मिली है। इस समय भजन लाल जी सदन में मौजूद नही है, शायद कहीं चले गये हैं, वरना मैं उन्हें याद दिलाना चाहता था कि उन्होने भिंडरावाले की बात की, मैं पूछना चाहता हूं कि क्या 1980 से पहले पंजाब में कोई ऐसी समस्या थी जिसे विस्फोटक कहा जा सके। जिस समय पंजाबी सूबा बना, महा-पंजाब की बात चली, सब कुछ होता रहा, लेकिन कभी स्थिति इतनी भयावह नहीं थी। असल में पंजाब की समस्या 1980 से शुरू हुई, जब कि 1979 में तत्कालीन सरकार ने जनता शासन को बदनाम करने के लिए एक चाल चली कि किसी तरह से वहां एक ऐसी फोर्स पैदा कर दी जाये, एक भस्मासुर पैदा कर दिया जाये, लेकिन वही भस्मासुर बाद में चलकर कांग्रेस के लिए ही भस्मासुर सिद्ध हुआ। इन्होने तो उस भस्मासुर को जनता पार्टी के शासन को बदनाम करने के लिए खड़ा किया था लेकिन वही भस्मासुर, भिंडरांवाला कांग्रेस के लिए भस्मासुर सिद्ध हुआ। दल खालसा भी 1979 में ही पैदा हुआ, चंडीगढ़ में उसका जन्म हुआ और उसके बिल का पेयमेंट किसने किया, उसे आप अच्छी तरह जानते हैं। वह सब कुछ अखबारों में आ चुका है और उसे मैं यहां फिर से रिपीट करना नहीं चाहता। मेरा कहना यही है कि जिस भस्मासुर को खड़ा करके इन्होंने वरदान दिया कि जनता शासन को भस्म कर दो, वही भस्मासुर बाद में इन्हें ही खा गया। अभी यहां कहा गया कि वह एक महान संत था, किसने उसे महान संत की संज्ञा दी, मैं उसमें जाना नहीं चाहता, लेकिन भजन लाल जी कह रहे थे कि मैंने उन्हें अपने इलाके में आने तक नहीं दिया, दिल्ली में आने नहीं दिया। क्या वही संत दिल्ली के अंदर, सरकार की नाक के नीचे, कृपाण लटकाये, बंदूक लेकर, सारी दिल्ली में घूमते नहीं फिरे। वे तिहाड़ जेल में भी कुछ लोगों से मिलने गये जबकि जेल में जाने का यह नियम है, चाहे वह जेल कोई भी हो, कहीं की भी हो कि जेल में हथियारों के साथ प्रवेश नहीं किया जा सकता, लेकिन भिंडरांवाले हथियारों से लैस होकर, बंदूक के साथ जेल के अंदर गये, वहां जाकर अकाली नेताओं से मिले और जेल से संबंधित सारे नियमों को तोड़ दिया गया। इतना ही नहीं उनके खिलाफ गिरफ्तारी के वारंट भी थे। जहां एक ओर उनके खिलाफ गिरफ्तारी के वारंट थे, दूसरी ओर सारी दिल्ली में जुलूस निकल रहे थे जी० टी० करनाल रोड से सारी दिल्ली में जुलूस गया, जगह-जगह उसका स्वागत हुआ, क्या यह जनता पार्टी के समय में हुआ था। किसके समय में यह सब हुआ। मैं कहना चाहता हूं कि कभी-कभी अपने राजनैतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जिस तरह से हम भस्मासुर खड़े कर लेते हैं, और आज मान की बात करते हैं। किसने छोड़ा मान को, ठीक चुनावों से कुछ दिन पहले, किसने उन्हें छोड़ा? यह जो तुष्टिकरण की नीति हम लोग अपनाते आये, यही सारे झगड़े फसाद की जड़ है। हम हमेशा से एडहॉक नीति अपनाते आये, कभी किसी को खुश कर दिया, किसी को कुछ दे दिया। यहां पर 1984 के दंगे की बात कही गयी, लेकिन भजन लाल जी सदन में मौजूद नहीं हैं, शायद वे उन दिनों हरियाणा में कहीं बैठे होंगे, मैं उपाध्यक्ष महोदय, इतना अवश्य कहना चाहता हूं कि कुछ कदम ऐसे उठाये गये जिससे कि हर आम सिक्ख के मन में इस तरह का विश्वास इस तरह की भावना ने घर कर लिया कि जैसे वह कोई दूसरे दर्जे का शहरी है। उसकी तलाशियां होनी शुरू हुआ। भजन लाल जी ने जितना रोल प्ले किया, जो सेवा की है, जो भी पंजाब से केशधारी आते थे, उनको जिस तरह से बेइज्जत किया गया, तलाशी ली गई। इससे आम सिख

के मन में एक हीन भावना आई कि मैं तो शायद इस देश का नागरिक ही नहीं हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं पुरानी बहस में नहीं जाना चाहता हूं। मैं नई सरकार से एक निवेदन करना चाहता हूं – यह ठीक है, प्रारम्भ बहुत अच्छा हुआ। आप अमृतसर गए, खुली जीप में घूमे, लोगों को यह दिखाया, लेकिन इनकी जो गतिविधियां हैं, उनको देखकर मुझे ऐसा लगता है कि सरकार को बहुत स्पष्ट और साफ तरीके से कह देना चाहिए, पॉलिटिकल टॉक्स उससे की जाए, जो व्यक्ति पोलिटिकल हो क्योंकि ये तो हर घड़ी अपनी कही हुई बात दो बदलते रहे हैं। अभी कहा गया कि चंडीगढ़ दे दिया जाए – चंडीगढ़ या नो चंडीगढ़, वाटर या नो वाटर अब लेटेस्ट उन्होंने कहा है कि पंजाब में चुनाव होना चाहिए यू० एन० ओ० के अंतर्गत। इस तरह की राष्ट्र विरोधी बात जो आदमी करता है, उसे तो सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा कहना तो यह है कि मान की लोकसभा की सदस्यता को खत्म किया जाए। जो व्यक्ति पार्लियामेंट को चुनौती दे रहा है। जो कह रहा है कि पार्लियामेंट के अंदर मैं इन शर्तों के साथ आऊंगा, जिसके लिए रूल बदलने की बातें हो रही हैं। मैं कहना चाहता हूं कि इस तरह के व्यक्ति के खिलाफ सख्त कदम उठाकर दुनिया को नहीं दिखाएंगे, तब तक काम नहीं चलेगा। उन्होंने अभी तक पार्लियामेंट की सदस्यता भी नहीं ली है। यदि सदस्यता ले ली होती, तो छः महीने से अधिक उनकी अनुपस्थिति हो गई, नियमानुसार अपने आप उनकी सदस्यता समाप्त हो जाती। मेरा तो कहना यह है कि उनके खिलाफ गद्दारी का केस चलना चाहिए। जब तक उनके खिलाफ आप सख्त से सख्त कदम नहीं उठाएंगे तब तक काम नहीं चलेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, एक तरफ तो हमें पाकिस्तान को कहना होगा – क्योंकि सरकार के पास प्रूफ है, सरकार बार-बार कह रही है कि पंजाब में और कश्मीर में दोनों में पाकिस्तान का हाथ है। इसलिए पाकिस्तान को चेतावनी देनी होगी। दूसरी तरफ सरकार को एक बात बहुत साफ तरीके से कहनी होगी कि चाहे मान हो या चाहे कितनी ही बड़ी ताकत क्यों न हो, देश की एकता और अखंडता को जो चुनौती देगा, जो आदमी हिन्दुस्तान के अंदर रहकर, उसके एक हिस्से में चुनाव कराने के लिए यू० एन० ओ० के माध्यम की बात करेगा, वह आदमी देश-भक्त नहीं, बल्कि देश का गद्दार है। ये बातें स्पष्ट रूप से सरकार को कहनी होंगी। उन्होंने एक तरफा कुछ सहूलियतों का अपने आप निर्णय ले लिया। यह ठीक नहीं है। मेरा कहना तो यह है कि किसी के साथ बैठकर वह निर्णय करना चाहिए, लेकिन कोई आदमी यह इम्प्रेशन दिए जा रहा है कि मैं ही अकेला ताकतवर हूं तो काम नहीं चलेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरी वहां के लोगों से बात हुई थी, वहां के प्रशासन के लोगों से भी बात हुई है जिस तरह से पिछले 3-4 महीने में व्यवहार किया गया है, उससे लोगों को लगा कि शायद सरकार यही चाहती है कि मान ही पंजाब के मुख्य मंत्री बनने वाले हैं। इसलिए लोगों ने सोचा कि यदि वह व्यक्ति मुख्य मंत्री बनने वाला है, तो हम क्यों इसको गिरफ्तार करें। इसलिए सरकार को पंजाब के बारे में बहुत स्पष्ट नीति अपनानी चाहिए और लोगों को बतानी चाहिए और उसकी अनाउंस करना चाहिए। किसी भी राष्ट्र को खंडित करने की बात जो करता हो उसके साथ कोई बात नहीं की जाएगी जब तक मान या इस तरह के लोग भारत के संविधान में रहकर कोई बात नहीं करें, कोई ऐंसयोरेंस नहीं दें। पंजाब में इतना कुछ होने के बाद भी वहां साम्प्रदायिक हालात

बिल्कुल ठीक हैं। कुछ लोगों ने इस तरह के जहरीले भाषण दिए जिससे कि वहां पर साम्प्रदायिक दंगे करवाए जाएं, लेकिन पंजाब में साम्प्रदायिक दंगे नहीं हुए, इसके लिए मैं वहां की जनता को बधाई देना चाहता हूं। उनको विश्वास में लेकर, उनको लाना चाहिए कि हमारी हिफाजत सरकार करेगी, मैं फिर एक बार कहना चाहता हूं कि पंजाब में चुनाव तब तक न करवाए जाएं जब तक वहां पर हालात नार्मल न हो जाएं। मान के इस एनाऊंसमेंट के बाद कि पंजाब का चुनाव यू० एन० ओ० के अंतर्गत होगा, सरकार को खुद सामने आना चाहिए और इस प्रकार का बयान देना चाहिए जिससे कि यह सिद्ध हो कि सरकार किसी भी हालत में किसी भी आतंकवादी के सामने, देश को तोड़ने वाले के सामने, चाहे अमरीका से मदद हो, चाहे पाकिस्तान से मदद हो, सरकार नहीं झुकेगी। इस तरह का स्पष्ट बयान सरकार की ओर से न केवल आए बल्कि एक्शन के रूप में भी कुछ किया जाए, यह मैं कहना चाहता हूं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब आज सायं 5-30 बजे के लिए सूचीबद्ध आधे घंटे की चर्चा को अगली तिथि के लिए स्थगित किया जाता है। हम पंजाब के बजट के संबंध में चर्चा जारी रखेंगे।

अनेक ऐसे सदस्य हैं जो पंजाब के बजट के संबंध में चर्चा करना चाहते हैं। क्या मैं पंजाब से बाहर के सदस्यों से अनुरोध कर सकता हूं कि वे इस विषय पर बहुत थोड़ा समय लें और मुख्य रूप से पंजाब से आने वाले सदस्यों को विस्तार से बोलने का अवसर दें।

श्री कमल चौधरी।

श्री कमल चौधरी (होशियारपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं पिछले एक सप्ताह से पंजाब के बजट के संबंध में वक्तव्य तैयार करने में लगा हुआ हूं। मैंने यहां बोलने के लिए बीस से अधिक पृष्ठ तैयार किए हैं। लेकिन यहां पर सदस्यों की बात सुनने पर कभी-कभी मैं हतोत्साहित, बल्कि खिन्न हो जाता हूं। अधिकतर वक्ताओं का मुख्य उद्देश्य कीचड़ उछालना और लोगों को लड़ाने के लिए उनकी भावनाएं उभारने की कोशिश करना है।

मैं यहां सीधे-सीधे उन बातों पर आता हूं, जो पंजाब के लिए अपेक्षित है। पंजाब में उपयुक्त वातावरण बनाना और चुनाव कराना संभव है। अगर आप चाहते हैं कि पंजाब में शांति बहाल हो तो यह आवश्यक ही नहीं बल्कि अपरिहार्य है कि वहां राजनैतिक प्रक्रिया शुरू हो और लोगों की अपनी सरकार हो न कि केन्द्र द्वारा थोपा गया राज्यपाल हो। पिछले वर्ष वातावरण उपयुक्त था। हमने पंजाब में चुनाव भी कराए। पंजाब के एक सदस्य है, जो मंत्रिमंडल के एक सदस्य हैं और वे सत्तापक्ष में बैठे हैं। आप उनसे पूछिए कि क्या पंजाब में चुनाव कराना सम्भव था अथवा नहीं। यह तो आज भी सम्भव है। मैं यह बात पिछले ढाई वर्ष से कहता रहा हूं। वे कहते हैं कि सम्भावना है कि आतंकवादी सत्ता में आ जाएंगे और राज्य में शासन करने लगेंगे। आपने भी पंजाब पर किसी न किसी को थोपने की कोशिश करके चाल चली है, क्योंकि पंजाब में किसी दल को नहीं लगता कि वह उस राज्य पर शासन करने में सक्षम है अथवा उनके पास पंजाब का राज चलाने के लिए कोई नेता है यह एक शर्म की बात है कि इन राजनैतिक चालों से राजनैतिक लोगों का भविष्य समाप्त हो गया है।

एक माननीय सदस्य : ये चालें किसने चली थीं।

श्री कमल चौधरी : मेरे पास इसका पूरा उत्तर है लेकिन मैं इस बात में नहीं पड़ना चाहता।

जहां तक लोग क्या कहते हैं, इसका संबंध चाहे वह सिमरनजीत सिंह मान है अथवा कमल चौधरी हैं अथवा श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह हैं अथवा श्री राजीव गांधी हैं या फिर श्री अतीन्दर पाल सिंह हैं, जो कोई भी पृथकतावाद की बात करता है, तथा जो राष्ट्र विरोधी है, उसे जीने का अधिकार नहीं है। मुझे यह स्पष्ट करने दिया जाए। उसको खत्म कर दिया जाना चाहिए। यदि आवश्यक हो तो हमें कानून बनाने और संशोधन करने होंगे। लेकिन दुर्भाग्य से हम ऐसे तत्वों को बढ़ावा दे रहे हैं।

पंजाब में आवश्यकता है तो केवल 12 उपायुक्तों की, 12 वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों की, जो मजबूत हों, साफ हों और अपने काम से मतलब रखने वाले हो। मैंने वर्षों पूर्व इसका सुझाव दिया था और मुझे याद है कि मैंने इसका भी उल्लेख किया था कि सरकार को युवा अधिकारी लगाने चाहिए। मुझे याद है कि पुलिस महानिदेशक उस समय हंस दिए थे और उन्होंने कहा कि यह सम्भव नहीं है। लेकिन मुझे खुशी हुई कि उन्होंने कनिष्ठ और युवा पुलिस अधिकारियों को इन जिलों में तैनात करके कोशिश तो की और यह परिवर्तन सफल था। आतंकवाद पर काबू पाना सम्भव था। लेकिन मुझे समय-समय पर वरिष्ठ अधिकारियों से सुनने को मिलता है कि कुछ भ्रष्ट अधिकारियों को भी बने रहने देना पड़ता है, क्योंकि वे आतंकवाद से लड़ रहे हैं। उन्हें खूब सारे धन से अपना पेट भरते रहने की अनुमति दी जाती है। यहां पर यह कहना असंगत नहीं होगा कि एक पुलिस महानिदेशक ने मुझे बताया कि होशियारपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक भ्रष्ट हैं और उसकी पत्नी पल्लू खुला रखते हुए लोगों से पैसा मांगती है। मैं हंस दिया और उनसे पूछा कि "आप क्या कार्यवाही कर रहे हैं ?" बाद में उस अधिकारी को पदोन्नत कर दिया गया और मुझे बताया गया कि उसका रिकार्ड साफ है। यह प्रशासन के लिए शर्म की बात है। इन भ्रष्ट अधिकारियों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? क्या आप किसी एक अधिकारी अथवा नौकरशाह का नाम ले सकते हैं ? यह शर्म की बात है। इस संबंध में कुछ नहीं किया गया है।

मैं सरकार से यह अनुरोध और आग्रह करता हूं कि "इन बातों पर ध्यान न दें। पंजाब में उपयुक्त वातावरण बनाना और चुनाव कराना संभव है।" मैं पंजाब में सभी दलों से अपील करता हूं। मैंने पंजाब के अधिकांश लोगों से बातचीत की है। मैंने सभी दलों और वरिष्ठ नेताओं से बात की है। वे मुझसे इस बात पर सहमत हैं कि राष्ट्रवादी शक्तियों के लिए राष्ट्र विरोधी शक्तियों के विरुद्ध एक जुट होना और चुनाव कराना सम्भव है और राष्ट्रवादी शक्तियां विजयी होंगी। ऐसी संभावना हो सकती है कि 5 या 10 या 15 अथवा 20 आतंकवादी जो उग्रवादी हैं, और जिनके विचार भिन्न-भिन्न हैं, जीत सकते हैं। उन्हें वार्ता के लिए आने दें और वे अपनी समस्याओं पर बात-कर सकते हैं। वे अपनी बात बताएं।

पांच वर्षों से समय-समय पर अधिकतर वरिष्ठ नेताओं का यह विचार रहा है कि किसी ऐसे आतंकवादी से बातचीत नहीं की जानी चाहिए जो आपके संविधान को नहीं मानता, जिसके हाथ में हथियार है और वह आपको मारना चाहता है। मेरा इस राष्ट्र से अनुरोध है कि ऐसे युवक से बात की जानी चाहिए जिसके साथ कोई समस्या है। इसका यह अभिप्राय नहीं है कि आपको वह बात

माननी चाहिए जो वह कहता है, अपितु जो वह कहता है, उसकी बात तो कम से कम सुननी चाहिए। मैंने ऐसे सैकड़ों युवकों से बात की है जो मेरी आंखों के सामने उग्रवादी बन गए हैं, उनमें से कुछ तो आज भी उग्रवादी हैं। उनमें से कुछ तो पाकिस्तान भी चले गए हैं और जो वहां से वापस आए हैं वे पुनः सामान्य जीवन बिताना चाहते हैं। उनमें से कुछ लोगों की होशियारपुर जिले में सामान्य जीवन व्यतीत करने में मदद की गई। लेकिन इन लोगों से बात अवश्य की जानी चाहिए। चूंकि हम बजट के संबंध में बात कर रहे हैं, अतः मैं उल्लेख करना चाहूंगा कि गृह और न्याय मंत्रालय की क्रमांक 12 के अंतर्गत अनुदान मांगों के अधीन राजस्व लेखाओं में 118,10,02,000 से और पूंजीगत लेखाओं में 2 करोड़ रुपए अधिक है और उन्हें कम किया जाना चाहिए। यह राशि पंजाब के विकास के लिए खर्च की जानी चाहिए।

जहां तक होशियारपुर का संबंध है, मेरा अनुरोध है कि दो नहर अर्थात शाह नहर और कांडी नहर को पूरा किया जाना चाहिए। उन पर अभी तक मुश्किल से कोई कार्य किया गया है। प्रत्येक वर्ष केवल कुछ मीटर नहर ही तैयार की जाती है। मैं अनुरोध करता हूं कि इन नहरों के लिए पैसा दिया जाना चाहिए। एक वर्ष के अन्दर ही ये दोनों नहरें पूरी कर दी जानी चाहिए।

पेप्सी फूड्स प्राइवेट लि० फैक्टरी जहूर, होशियारपुर में लगाई गई है। इस समय इसे बंद कर दिया गया है। इसमें केवल टमाटर ही संसाधित किए जाएंगे। मेरा अनुरोध है कि यही सुविधा किन्नू सतरा और माल्टा आदि के लिए भी होनी चाहिए।

इसके बाद, सड़कों का जिक्र आता है। सड़कों विशेष रूप से गांवों की सड़कों को पुनः पक्का किया जाना चाहिए। मैंने लगभग साढ़े चार वर्ष पूर्व सुझाव दिया था कि नदी पथों, जो होशियारपुर में सैकड़ों की संख्या में है, को जोड़ा नहीं जाना चाहिए बल्कि पक्के नदी-पथ बनाए जाने चाहिए। मुझे यह देखकर दुःख हुआ कि 1986 में एक इंजीनियर इन सुझावों पर हंस दिया था। बाद में इसका परीक्षण किया गया और ये पुलिये बनाए गए थे और उनमें से तीन अथवा चार बड़ा ही अच्छा कार्य कर रहे हैं और ये इतनी सस्ती लागत पर बैठते है कि यह कुल लागत का एक चौथाई या दसवां होता है। मैं अनुरोध करूंगा कि ये पक्के नदी-पथ उन्हीं गांवों की सड़कों पर बनाए जाने चाहिए जो कि कीचड़ में फंसी रहती हैं और जो सड़कें सभी मौसमों के लिए नहीं हैं।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं सरकार से ऐसी बातें, जो हमारे सुनने में आ रही हैं, न करने का पुनः अनुरोध करता हूं कि यह विधान सभा चुनाव कराना चाहती है और लोगों पर किसी अन्य आदमी को थोप देना चाहती है। इस पर पंजाब के लोग विद्रोह कर देंगे। मैं एक बार पुनः इस सभा से अपील करता हूं कि वह आपस में मिलकर पंजाब, जम्मू और काश्मीर तथा अन्य राज्यों की समस्या का समाधान निकाले और इसमें एक दूसरे की सहायता करे।

[हिन्दी]

स० अतिंदर पाल सिंह (पटियाला) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने प्रथम भाषण, मेडन स्पीच देने के अधिकार का इस्तेमाल कर रहा हूं इसलिए आशा करता हूं कि सदन पूरी गम्भीरता से पंजाब से चुने गए पंजाब नुमाइंदों की आवाज पर ध्यान देगा।

बी० जे० पी० की तरफ से और कांग्रेस की बेंचों की तरफ से कुछ शंकाएं, कुछ पूर्वाबोध, कुछ

पूर्वाग्रह के आधार पर प्रकट की गई हैं। यह हालात पूरे देश के हैं, जिन्होंने सिखों के बारे में अपनी मनःस्थिति में पूर्वाग्रह पाले हुए हैं।

मैं सबसे पहले सदन को आपके माध्यम से, पूरे देश को सदन के माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि अगर आप पंजाब की घटनाओं से चिंतित हैं तो सबसे पहले मस्तिष्क में जो पूर्वाग्रह, पूर्वबोध आपने पाले हुए हैं, उन्हें बाहर निकालिए और सबसे पहले पंजाब की समस्या, जैसा कि मदन लाल खुराना जी ने स्वयं कहा कि क्यों उठी, इस ओर ध्यान दीजिए। उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन के माध्यम से पूरे राष्ट्र का आपके द्वारा विश्वास जीतना चाहता हूं ताकि पंजाब के लोगों को सही परिप्रेक्ष्य में समझा, देखा एवं लिया जाय। मैं इस हेतु स्पष्ट करना चाहता हूं कि पंजाब के बारे में जो वायदे 1947 से लेकर आज तक किए गए हैं, जब तक उनको पूरा नहीं किया जाता, तब तक पंजाब समस्या का कोई हल नहीं निकाला जा सकता। वर्तमान में पंजाब समस्या कोई वहां पर एसेम्बली इलैक्शन कराने से हल नहीं होगी। न ही वहां पर टाडा कानून, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को बदलने से या रद्द करने से या स्पेशल कोर्ट्स खत्म करने से या ऐसी ही अदना डिमांडों से हल नहीं होगी। सदन के माध्यम से मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि पंजाब में, पंजाब के लोगों के द्वारा अब यह डिमांड्स नहीं हैं। यह सरकार द्वारा की गई गलतियों की, सरकार द्वारा पैदा की गई खुद समस्याएं हैं, जिनका हल स्वयं सरकार को निकालना होगा। यह पंजाब के लोगों की डिमांड्स नहीं हैं। फिर पंजाब के लोगों की डिमांड्स क्या हैं ? पंजाब क्या चाहता है ? इस पर हमें पूरी गंभीरता से ध्यान देना होगा।

मैं आपका ध्यान कुछ 1947 से पूर्व की ओर ले जाना चाहता हूं। जो कुछ इस देश के राष्ट्रीय नेताओं ने, पंडित जवाहर लाल नेहरू, महात्मा गांधी, डा० अम्बेडकर, ने कांस्टीच्यूएंट एसेंबली में जो कुछ कहा, अगर और जब तक उन बातों को पूरा नहीं किया जाता, तब तक पंजाब शांत नहीं हो सकता। क्योंकि आज पंजाब के 12,687 गांवों में से कोई ऐसा गांव नहीं है, जहां पर किसी-न-किसी परिवार का एक सिक्ख मैम्बर पुलिस के द्वारा न जा चुका हो, कोई ऐसी फैमिली नहीं है जो सीधे या मीधे तौर पर इस कत्लोगारत से प्रभावित न हो। मैं आपके सामने एक उदाहरण खड़ा हूं। मेरे ऊपर कोई केस मेरी अरैस्ट से पहले रजिस्टर्ड नहीं था। उसके बाद कांग्रेस सरकार की ओर से पांच लाख का इनाम घोषित किया गया। यह बहुत ही शर्मनाक बात है। पांच लाख का इनाम घोषित करने के बाद पौने चार करोड़ रुपए एस० आई० टी० के माध्यम से मुझे गिरफ्तार करने के लिए खर्च करने के बाद केस वापस ले लिए गए, जबकि मैंने स्वयं अदालत में रिट-पैटीशन दायर की कि मेरे ऊपर से केस वापस न लिए जायें बल्कि केस चलाए जायें, ताकि राष्ट्र को सच्चाई का पता चल सके। यह कहानी सिर्फ मेरी नहीं है, यह पंजाब के हर नौजवान की कहानी है। मेरा ऊपर से नीचे तक अस्थि-पंजर हिला हुआ है। डाक्टर्स इस टाइम में एनैक्सी में, इस सरकार के माध्यम से भी इतनी ज्यादा दहशत है कि कोई भी रिपोर्ट देने को तैयार नहीं हैं। वे मुंहजबानी कहते हैं कि तुम्हारे थाइज के सारे सैल मर चुके हैं, मुंहजबानी कहते हैं कि तुम्हारे सिर में फ्रैक्चर है, मुंहजबानी कहते हैं कि तुम्हारी आंख में हैमरेज है, तुम्हारे चैस्ट की तीसरी बोन स्लिप है। मेरा आधा भाग अभी भी शून्य हो जाता है। मेरे पैर में फ्रैक्चर है और मुझे कोई भी रिपोर्ट देने को तैयार नहीं हैं।...(व्यवधान) ...मैडिकल रिपोर्ट सबको मिलती है। मेरा जेल में कोई इलाज नहीं किया गया। यह मैं सिर्फ अपनी कहानी नहीं बता रहा हूं, पंजाब के हर एक नौजवान की कहानी बता रहा हूं। इस कहानी को

समझिए और इसके पीछे क्या भावनायें हैं, उनको समझिए। क्या ये राष्ट्र को एक रखने वाली भावनायें हैं, मैं राष्ट्र से पूछना चाहता हूं ?

अब मैं आपका ध्यान कांग्रेस पार्टी द्वारा 1979 में पेश किए गए, रिजोल्यूशन, लाहौर-रावी दरिया के पास पेश किए गए, की ओर ले जाना चाहता हूं। कांग्रेस सिखों को भरोसा दिलाती है— कांग्रेस को भारत का कोई भी ऐसा संविधान मंजूर नहीं होगा, जिससे सिक्ख की तसल्ली न होती हो। 1929 में लाहौर सैशन में कांग्रेस ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास किया। इसी वायदे को महात्मा गांधी ने 16 मार्च, 1931 को यंग-इंडिया के संपादकीय में दोहरा। मेरे पास हर एक चीज का डाक्यूमेंट्री प्रूफ है, जो मैं अपने साथ इस सदन में लेकर आया हूं और जिसको शंका हो, वह देख सकता है। कांग्रेस की ओर से इसी किस्म के प्रस्ताव 1939 में पुन: पारित किए गए। क्रिप्स कमीशन 1942 में जब आया, उस समय क्रिप्स कमीशन को यही प्रस्ताव कांग्रेस पार्टी ने स्वयं हैंड-ओवर किया, जो कांस्टीच्यूएंट एसेंबली के पेज संख्या 318 पर दर्ज है। इस कमीशन के बाद कैबिनेट मिशन की सिफारिशें आईं। कमीशन की सिफारिश आई, जिसमें कैबिनेट मिशन ने भारत में 16 मई, 1989 को अपनी रिपोर्ट दर्ज की, पैरा नं० 10 में और उसमें भारत ने तीन कौमें, तीन नेशनेलटी स्वीकार कीं — प्रथम मुस्लिम, द्वितीय सिख और तृतीय जनरल, इसमें कोई हिंदू लफ्ज इस्तेमाल नहीं है। उसमें इस बात का खुलासा करते हुए बताया कि जनरल में जो सिख और मुसलमान नहीं है वे सभी आते हैं। केबिनेट मिशन ने लिखा है—

[अनुवाद]

"हम समझते हैं कि इन प्रयोजनों के लिए भारत में केवल तीन समुदायों को मान्यता देना काफी है—सामान्य, मुस्लिम और सिक्ख। "सामान्य" समुदाय में वे सभी लोग आते हैं जो मुस्लिम या सिक्ख नहीं हैं।"

पैरा 15 में यह बताया गया है।

[हिन्दी]

इस बात को मैं पूरी गंभीरता से और वजन देकर सदन को बताना चाहता हूं कि जिस वजह से पंजाब की समस्या ज्वलंत समस्या बनी हुई है।

[अनुवाद]

हम सिफारिश करते हैं कि संविधान की निम्नलिखित मूल भावना होनी चाहिए—

"भारत संघ होना चाहिए जिसमें ब्रिटिश, भारत और राज्य होंगे जिनके अधीन निम्नलिखित विषय होंगे अर्थात् विदेश कार्य, रक्षा और संचार···"

[हिन्दी]

ये तीन सबजेक्ट यूनियन आफ इण्डिया के लिए रखे गए। इसके बाद आगे लिखा गया है—

[अनुवाद]

"···और जिनके पास उपरोक्त विषयों के लिए अपेक्षित धन जुटाने के लिए आवश्यक

शक्तियां होंगी।"

[हिन्दी]

इन तीन विषयों के बारे में जो पैसे की जरूरत है वे अधिकार सैन्ट्रल गवर्नमेंट को दिए गए। पैरा नं० दो में लिखा गया —

[अनुवाद]

"विधान मण्डल में कोई भी प्रमुख साम्प्रदायिक मुद्दा उठाने वाले प्रश्न पर निर्णय लेने के लिए बहुसंख्यक प्रतिनिधियों की आवश्यकता होगी और दो मुख्य समुदाय मतदान में भाग लेंगे ··"

पैरा 6 में यह बताया गया है—

"संघ और समुदायों के संविधान में एक प्रावधान होना चाहिए जिसके द्वारा कोई राज्य अपने विधान मण्डल के बहुसंख्यक मत द्वारा संविधान के शब्दों पर शुरू के दस वर्ष पश्चात् पुनः विचार कर सकेगा और तत्पश्चात् दस वर्षीय अन्तरालों के पश्चात् ऐसा करेगा।"

[हिन्दी]

ये प्रोविजन कांस्टीच्युऐंट असेम्बली में अपने मतों के द्वारा भी किये गए जो पूरे नहीं किए गए। इसके तहत हर स्टेट का अपना एक सेपरेट कांस्टीच्यूशन बनाने का वायदा किया गया जो कि नहीं बनाया गया। इन सिफारिशों को मुस्लिम लीग ने मंजूर कर लिया, पर सिखों को उससे सेटिसफेक्शन नहीं हुई और उन्होंने इसे नामंजूर कर दिया। परन्तु कांग्रेस पार्टी ने जिस समय इन सिफारिशों को मंजूर कर लिया उसके दूसरे ही दिन मुस्लिम लीग ने अपना रेजोलूशन पास करके इन सिफारिशों को रद्द कर दिया क्योंकि उसे लगा कि जरूर इसमें हमारी हार होगी। उसके बाद सिखों ने भी ये सिफारिशें नामंजूर कर दीं। पं० नेहरू ने 7 जुलाई, 1946 को कलकत्ता में कांग्रेस पार्टी के सालाना इजलास के समय अपना स्टेटमेंट जारी किया, स्टेटमेंट दिया। ये 7 जुलाई, 1946 का फ्रंट पेज स्टेट्समैन आप देख सकते हैं, वह मेरे पास है, जिसको शक हो वह देख सकता है उसकी फोटो कापी मेरे पास है।

[अनुवाद]

"पंजाब के बहादुर सिख विशेष ध्यान दिए जाने के पात्र हैं। मैं उत्तर भारत में ऐसे क्षेत्र और ढांचे की स्थापना को बिल्कुल भी गलत नहीं समझता हूं जिसमें सिख भी स्वतंत्रता के उल्लास का अनुभव कर सकें।"

[हिन्दी]

पंडित नेहरू ने ये वायदा सिखों से किया और इसके बाद ही केबिनेट मिशन और उसकी सारी सिफारिशों को रद्द किया। कांग्रेस ने 27 और 29 जुलाई, 1947 को इसी वायदे के अनुसार एक अपना रेजोलूशन पास किया। डा० सीता रमैया ने अपने कांग्रेस के इतिहास में उसे दर्ज किया है।

कांग्रेस पार्टी और सारा सदन स्वयं इस बात को देख सकता है। कांस्टीच्यूएंट असेम्बली में

यह भरोसा फिर सिखों के साथ दोहराया गया । कांस्टीच्यूएंट असेम्बली की डिबेट नं० 754 में…

[अनुवाद]

"कांग्रेस उन्हें सभी सम्भव समर्थन देगी, उनकी जायज परेशानियों को दूर करते हुए और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए पर्याप्त उपाय करेगी।"

[हिन्दी]

इसी पार्टी की तरफ से 9-12-46 को अपने वार्षिक सम्मेलन में जवाहर लाल नेहरू ने 13-12-46 को ओबजैक्टिब्स रैज्योलूशन नामक एक प्रस्ताव पेश किया जो हिन्दुस्तान की आजादी में मील पत्थर के नाम से जाना गया और कांस्टीच्यूएंट असेम्बली में उस ओबजैक्टिव रैज्योलूशन को सैपरेट बुकलेट में प्रकाशित किया । ओबजैक्टिव कांस्टीच्यूशन के रैज्योलूशन में जो कुछ कहा गया है, खास तौर से सिखों के बारे में कहा गया, मैं उस वर्डिंग को दोहराना चाहता हूं । इसके एक-एक शब्द पर गौर कीजिए।

[अनुवाद]

"यह प्रस्ताव जो मैं आपके समक्ष रख रहा हूं। प्रण के स्वरूप का है। यह पर्याप्त विचार विमर्श करने के बाद तैयार किया गया है और इसमें विवाद की गुंजाइश न रहे, इसके लिए प्रयास किए गए हैं । मैं नहीं समझता कि इस प्रस्ताव में ऐसा कुछ है जो ब्रिटिश कैबिनेट द्वारा निर्धारित सीमाओं से बाहर है या इसमें ऐसा कुछ है जिससे कोई भारतीय सहमत न हो।"

मैं प्रस्ताव करता हूं :

"(1) यह संविधान सभा भारत को एक स्वतंत्र सम्प्रभु, गणराज्य बनाने और उसके भविष्य के शासन के लिए एक संविधान बनाने के अपने और पवित्र संकल्प की घोषणा करती है।

(2) जिसमें उक्त क्षेत्र चाहे अपनी वर्तमान सीमाओं के साथ या ऐसी ही अन्य के साथ जो संविधान सभा द्वारा निर्धारित की जाए और तत्पश्चात् संविधान की विधि अनुसार अवशिष्ट शक्तियों के साथ स्वायत्तशासी इकाई को धारण करेंगी और उन्हें बनाए रखेगी। और सरकार की और शासन की सभी शक्तियों और कार्यों का उपयोग करेगी, केवल ऐसी शक्तियों और कृत्यों को छोड़कर, जो कि संघ में निहित है या उसे निर्दिष्ट किए गए हैं या संघ ने अन्तर्निहित हैं या उसके परिणामस्वरूप उत्पन्न होते हैं।

[हिन्दी]

रैज्योलूशन पेश करते हुए उन्होंने कहा :

[अनुवाद]

"यह एक संकल्प है और फिर भी यह संकल्प से अधिक कुछ और है। यह एक उद्‌घोषणा है । यह एक दृढ़ संकल्प है । यह एक शपथ है और एक प्रतिज्ञा है और यह हम

सबके लिए है, मैं आशा करता हूं, यह एक प्रतिबद्धता है। और मेरी इच्छा है कि यह सदन, यदि मैं इसे आदरपूर्वक कहूं, इस संकल्प पर एक संकीर्ण विधिक शब्दों के रूप में नहीं, बल्कि संकल्प की भावना को ध्यान में रखकर विचार करे। यह संकल्प, हाथ उठाने के औपचारिक ढंग से पारित न किया जाए, परन्तु उससे अधिक हम सभी के द्वारा खड़े होकर और इस प्रकार फिर से शपथ लेकर पारित किया जाए।"

[हिन्दी]

यह बात जवाहरलाल नेहरू ने स्टेट्स के बारे में ओबजैक्टिव रैज्योलूशन में कहा, जो कांस्टीयूसंट असैम्बली की तरफ से प्रकाशित किया गया। पेज 14 में पं० जवाहर लाल नेहरू ने पैरा एक में फिर दोहराया। यह सौगंध कांस्टीच्यूएंट असैम्बली में सभी मैम्बरों ने खायी और डा० राजेन्द्र प्रसाद ने इस प्रस्ताव को अपनी हिमायत असैम्बली की दूसरी जिल्द पेज 23 पर इसी रैज्योलूशन को फिर पास किया। भारत की आजादी के समय कांग्रेस पार्टी ने···

फिर सिखों को 8 मार्च, 1947 को एक प्रस्ताव के माध्यम से भरोसा दिया :

[अनुवाद]

"कार्यकारिणी समिति सिखों और अन्य सम्बन्धित ग्रुपों के प्रतिनिधियों के साथ निकट सम्पर्क में रहेगी ताकि उनके हितों की रक्षा के लिए उठाए जाने वाले कदमों में सहयोग दिया जा सके।"

[हिन्दी]

3 जून, 1947 को बरतानिया की स्कीम पेश की गयी। उस स्कीम में पंजाब के सिखों ने अपनी डिमांड रखते हुये कहा कि पंजाब को दो भागों में बांट दिया। दोनों भाग आटोनॉमस और सार्वभौम हों। उस स्कीम को कांग्रेस पार्टी ने अपनी हिमायत दी। कांस्टीच्यूएंट असैम्बली की तरफ से अयंगार कमेटी स्थापित की गई। इसके रैज्योलूशन में पं० नेहरू समेत बी० बी० पटेल, जय राम दास, दौलत राम, गोपालास्वामी अयंगार, बी० कृष्णाचारी, बी० प्रतापी रमैय्या, ए० कृष्णामचारी। 17 अप्रैल, 1947 को···

उपाध्यक्ष महोदय : अतिन्दर पाल सिंह जी, आप पहली दफा बोल रहे हैं, इसलिए मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। मगर आप करीब-करीब 20 मिनट बोल चुके हैं और आपको बजट पर बोलना है।

स० अतिन्दर पाल सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, यह मेरा प्रथम भाषण है। सदन की यह मर्यादा है कि प्रथम भाषण के समय मैम्बर को यह अधिकार दिया जाता है कि वह अपनी आवाज को स्वतन्त्र रूप से प्रकट कर सके। मैं पूर्ण आदर के साथ ··

उपाध्यक्ष महोदय : आपको और कितना समय चाहिये।

स० अतिन्दर पाल सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, 10 मिनट और लेना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : अतिन्दर पाल जी का भाषण समाप्त होने तक हम बैठेंगे।

स० अतिन्दरपाल सिंह : धन्यवाद। अयंगार कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में, जिस पर जवाहरलाल

मेहकमे जी ने अपने हस्ताक्षर किए हैं, उसमें स्पष्ट तौर पर सेंटर के पास तीन मेहकमे देने की सिफारिश की है। पहला डिफेंस, दूसरा फॉरेन अफेयर्स और तीसरा कम्युनीकेशन। तीनों महकमों के बारे में अयंगार कमेटी ने रिपोर्ट दी है कि तीन महकमों के बारे में फायनेंस का हक सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होगा। इसी अयंगार कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि स्टेट्स का अपना सैपरेट कांस्टीच्यूशन होगा। बी० एन० राव की किताब में पेज सं० 141 से 152 तक यूनियन कांस्टीच्यूशन छपा है। कांस्टीच्यूशन का माडल छठे अध्याय में पेज 97 से 140 तक छपा है। पेज 141 से 152 तक स्टेट्स को अपना सैपरेट कांस्टीच्यूशन इस कमेटी ने सबमिट किया, जो कांस्टीच्यूएंट असेम्बली में है। यूनियन पावर कमेटी कांस्टीच्यूएंट असेम्बली की तरफ से दोबारा बनायी गयी। उसने 13-12-1946 को रिपोर्ट पेश की उसमें भी शामिल थे।

[अनुवाद]

(क) रक्षा, (ख) विदेश कार्य, (ग) संचार और (घ) संघ विषयों के लिए अपेक्षित धन जुटाने के लिए शक्तियां।

[हिन्दी]

इन तीनों के मामले में पावर कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की। परन्तु अध्यक्ष महोदय, बहुत ही अफसोस की बात है कि जैसे ही आजादी मिली, कांग्रेस पार्टी, इस देश के नेता, ऐडमिनिस्ट्रेशन सभी ने एकदम पैंतरा बदला और सिखों के साथ दुश्मनी भरे सलूक की ओर बढ़ गए। जिसका सबसे पहला उदाहरण 10 अक्तूबर, 1947 को चन्दू लाल त्रिवेदी, गवर्नर की ओर से जारी किया गया सरकूलर है। जिसमें 45 हजार सिखों की शहादत हुई और उन्होंने 950 अरब रुपये का माली, जानी और अचल सम्पत्ति का अपना नुकसान कराया। वे रिफ्यूजी के तौर पर भारत आ रहे थे। उन्होंने अपने आपको भारत के साथ सम्मिलित करने का फैसला किया था और इस देश की एकता और अखण्डता के लिए उन्होंने कुर्बानी की। उन्हीं सिखों को, जो अपना सब कुछ लुटा कर भारत आए, 10-10-47 को चन्दूलाल त्रिवेदी द्वारा जारी सरकूलर में सिख कम्युनिटी को जरायमपेशा कौम करार दिया।

इस सर्कूलर में लिखा कि इन पर कड़ी से कड़ी नजर रखी जाए। यह प्वाइंट है।

6.00 म० प०

श्री मदन लाल खुराना जी ने कहा कि जहां से पंजाब की समस्या और वर्तमान समस्या आरंभ होती है तो देश को स्पष्ट करना पड़ेगा। यह देश सिख कम्युनिटी को अपने किए गए वायदों के अनुरूप स्वीकार करते हैं या नहीं और सिख इस बात का बार-बार भरोसा चाहेंगे। मैं पूरे सम्मान और आदर के साथ आपके सामने वह सच्चाई लाना चाहता हूं। पाकिस्तान का जो रेजोल्युशन पास किया गया और उसके बाद हिंदुस्तान-पाकिस्तान डिवाइड हो गया। स्वतंत्र पाकिस्तान की लेजिस्लेटिव असेम्बली में 17 हिन्दुओं ने पाकिस्तान को एक्सेप्ट करते हुए कांस्टीच्युऐंट असेम्बली में पाक कांस्टीच्युशन पर दस्तखत किए। एक भी सिख उनमें से नहीं था। यह राष्ट्र के लिए और अधिक शर्मनाक बात है। उनमें से तीन ऐसे व्यक्ति थे जिनमें से श्री भीमसेन सच्चर को पंजाब का पहला मुख्य मंत्री बनाया गया। उसके बाद गवर्नर बनाया गया और एक व्यक्ति को हाई कोर्ट का जज बनाया। एक व्यक्ति

का बेटा आज एक मंत्री है। मैं आपको स्पष्ट तौर पर बताना चाहता हूं कि यह कांस्टीच्युऐंट असेम्बली पाकिस्तान को डिबेट्स और पाकिस्तान को फर्स्ट कांस्टीच्युशन रिपोर्ट है, जिसमें आप सिगनेचर देख सकते हैं। श्री सत्येन्द्र नारायण सान्याल को जस्टिस बनाया गया, श्री भीमसेन सच्चर पंजाब के पहले मुख्य मंत्री बने और बाद में गवर्नर बनाया गया और लाला अवतार नारायण गुजराल उनके सुपुत्र मंत्री परिषद में हैं। जिन्होंने देश के साथ गद्दारी की है। उनको देश ने सम्मानित किया। जिन सिखों ने अपना सब कुछ लुटा दिया और उनको आप देशद्रोही कहते हैं। मैं इस राष्ट्र से पूछना चाहता हूं कि आप सिखों को स्वीकार करते हैं या नहीं। सिखों की पगड़ी को ब्लयु स्टार के बाद सड़क पर फेंक दिया गया। पंजाब की पब्लिक इस बात के लिए राजी नहीं है। उनकी गिरी हुई पगड़ी को आप सिर पर सजाएं या सम्मान के साथ राष्ट्र को सिर पर सजानी होगी। मैं कहना चाहता हूं कि गोरखालैंड लिबरेशन आरगेनाइजन को ओटोनोमस मिल सकता है, नागाओं का नागालैंड हो सकता है, मिजो का मिजोरम हो सकता है, राजपूतों का राजस्थान हो सकता है, मराठों का महाराष्ट्र हो सकता है तो इस देश में सिखों के लिए पं० नेहरू ने अपने वायदों के साथ कहा। यह खालिस्तान, सिखिस्तान या जो नाम आपको पसन्द आए तो वह क्यों नहीं हो सकता। मैं कहना चाहता हूं कि अम्बर कांस्टीच्युशन जब इस देश में एक मैम्बर पार्लियामेंट के तौर पर इलैक्ट होकर आए हैं तो हमें बुरी नजर से देखा जाता है। इसका बिल्कुल स्पष्ट और सीधा मतलब है कि यह राष्ट्र अब भी पंजाब के लोगों को स्वीकार करने के लिए राजी नहीं है। अपने आपको इससे मुक्त कीजिए। मैं कहना चाहता हूं कि अगर दंगों से नुकसान हो जाए या रेलवे एक्सीडेंट हो जाए और उसमें एक-दो आदमी मर जाएं तो इस हाऊस में मौन रखा जाता है। मैं पूछना चाहता हूं कि 1984 में दंगों में मौन क्यों नहीं रखा। ब्ल्यू स्टार के बारे में इस हाऊस में मौन क्यों नहीं रखा। मैं संपूर्ण आदर के साथ और इस राष्ट्र को संपूर्ण भरोसे के साथ प्रस्ताव पेश करता हूं कि यह हाऊस अभी दो मिनट का मौन रखे। राष्ट्र यहां पर मौन रखकर अपना कांफीडेंस पंजाब के लोगों को प्रदर्शित करे। मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं कि अगर गोरखालैंड आरगेनाइजेशन हो सकता है इस देश में अन्डर कांस्टीच्युशन इलैक्शन कमीशन के तहत खालिस्तान लिबरेशन आरगेनाईजेशन रजिस्टर्ड क्यों नहीं हो सकता। आप सिखों से नफरत क्यों करते हैं। मैं राष्ट्र के साथ ओपन डिबेट करने के लिए तैयार हूं। मैं यह पूछना चाहता हूं कि सिखों की गैर-वफादारी बताइए। हर चीज को वाक्यात के अनुरूप पेश कर सकता हूं। पं० जवाहर लाल नेहरू के शब्दों को मैं आपको बता चुका हूं। उसके बाद डा० भीमराव अम्बेडकर एवं महात्मा गांधी के लफ्ज बताकर आपके द्वारा दिये गये वक्त के लिए आपका शुक्रिया अदा करूंगा। महात्मा गांधी ने अपने 22 मार्च, 1931 के भाषण में जो उन्होंने शीशगंज गुरुद्वारे में दिया था उसमें सिखों से वादा करते हुए कहा कि "आप ऐसा विश्वास क्यों नहीं कर सकते यदि कांग्रेस बाद में धोखाधड़ी करे तो निश्चय ही आप उससे अच्छी तरह से निपट सकते हैं क्योंकि, इस लफ्ज पर गौर करें, क्योंकि आपके हाथ में कृपाण है और अपनी कृपाण को निकालिये मैं आपके साथ आपके आगे होकर लडूंगा।" आज पंजाब की जनता महात्मा गांधी के द्वारा दिये हुए लफ्जों पर आगे बढ़ रही है, उस पर अमल कर रही है। आज पंजाब के लोग राष्ट्रपिता के लफ्जों पर अमल करते हैं तो उन्हें आतंकवादी कहा जाता है, मैं समझता हूं कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को आतंकवादी करार दिया जा रहा है, पंजाब की जनता को नहीं। महात्मा गांधी के अपने अखबार "यंग इंडिया" के 5 मार्च, 1931 के सम्पादकीय मैं पढ़कर सुनाता हूं, उसकी फोटो कापी मेरे पास है। इसी बारे में डा० भीमराव अम्बेडकर ने अपने वायदे में

जो कहा उनके वही लफ्ज मैं दोहराना चाहता हूं। मैं आपसे क्षमा मांगता हूं कि मुझे उसको पढ़ने में थोड़ी-सी परेशानी हो रही है। मैं आपको बताना चाहता हूं 25 नवम्बर, 1947 को संविधान सभा में डा० भीमराव अम्बेडकर ने कहा "देशवासियो आप पर अल्पसंख्यकों ने ट्रस्ट रखा है और आपको अपने ट्रस्टी के साथ धोखा करने की गलती नहीं करनी चाहिए नहीं तो नतीजे बहुत खराब निकलेंगे, क्योंकि कम गिनती अल्पसंख्यक एक विस्फोटक शक्ति है जो कि फूट पड़ी तो यह पूरे देश का ढांचा विस्फोटक करेगी यूरोप का इतिहास इसका बहुत बड़ा तथा भयभीत करने वाली गवाही पेश करता है।" आज पंजाब में डा० भीमराव अम्बेडकर एवं पं० जवाहर लाल नेहरू के इन्हीं लफ्ज़ों को साकार होते हम देख रहे हैं। अन्त में मैं सर्वभारतीय सूबाई कांफ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी श्री के० सी० जोष ने आजादी के बाद 28 जुलाई, 1956 को पण्डित जवाहर लाल नेहरू को लिखे गये पत्र के शब्द बताता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं। "इस तरह पंजाब का मसला असल में विश्वास का मसला है, क्या हमें सिखों पर विश्वास करना चाहिए।" यह श्री के० सी० जोष ने 28 जुलाई, 1956 को पण्डित नेहरू से प्रश्न किया था और आगे कहा कि "क्या हमें इन पर एतबार करना चाहिए या नहीं, अगर हिन्दू इन पर भरोसा और एतबार नहीं करते तो सिखों को इससे अलग होकर सम्प्रभू स्टेट बना लेनी चाहिए। इतिहास हमें इसी नतीजे पर लेकर जाएगा, फिर क्या हमें इन पर एतबार करना चाहिए।" यह लफ्ज़ मैं राष्ट्र के सामने आपके माध्यम से रखना चाहता हूं।

जब भी वतन को लहू की जरूरत पड़ी

सबसे पहले गर्दन हमारी ही कटी।

हम कहते हैं यह एहले वतन कि वतन हमारा है तुम्हारा नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय, हम भी इस वतन के उतने ही हक में हैं जितने कि आप। हमें भी इज्जत चाहिए और जो वायदे संविधान सभा में किये गये उनके साथ ही इस वतन में रहना चाहते हैं और जिस तरह से मराठे मराठवाड़ा बनाकर रहे, राजपूतों ने राजस्थान, नागाओं ने नागालैंड, मिजो लोगों ने मिजोरम बनाया उसी माध्यम से इस देश में हम अपने स्टेट हासिल करना चाहते हैं। जिसे आप खालिस्तान के रूप में स्वीकार करें या सिखीस्तान के रूप में स्वीकार करें। सम्पूर्ण राष्ट्र को इस मामले में खुली डिबेट के लिए आमन्त्रित करता हूं। मैं हर पार्टी से अनुरोध करना चाहता हूं कि इस विषय पर जो पंजाब की ग्रीवांसेज हैं, उनको दूर करने के लिए पंजाब का हर इन्सान चाहता है मैं इस बात को समझाना चाहता हूं कि वहां पर सिर्फ एक मसला है और वह है अविश्वास का। इसके अलावा और कोई मसला नहीं है। इन्हीं लफ्ज़ों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं और आपको सदन के माध्यम से धन्यवाद देता हूं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा की बैठक कल 11.00 बजे म० पू० पर पुनः समवेत होने तक के लिए स्थगित होती है।

6.11 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा मंगलवार, 4 सितम्बर, 1990/13 भाद्र, 1912 (शक) के ग्यारह बजे म० पू० तक के लिए स्थगित हुई।

चौधरी मुद्रण केन्द्र, 12/3, श्रीराम मार्ग, दक्षिणी मौजपुर, दिल्ली-53